

रामायण-कालीन समाज

वाल्मीकि-रामायण में चित्रित सामाजिक, आर्थिक
एवं प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन

लेखक

डा० शांतिकुमार नानूराम व्यास



१९५८

सत्यसाहित्य प्रकाशन

प्रकाशक
भार्तृण्ठ उपाध्याय
मन्त्री, सस्ता साहित्य मडल
नई दिल्ली

पहली बार १९५८
मूल्य
चार रुपये

मुद्रक
नेशनल प्रिंटिंग वर्क्स
दिल्ली

अग्रज
श्री मदनमोहन व्यास
की
पुण्य-स्मृति में
जो
अब इस ससार में नहीं है ।

प्रकाशकीय

हमारे प्राचीन साहित्य के दो अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ महाभारत और रामायण हैं। देश का शायद ही कोई ऐसा सुशिक्षित परिवार होगा, जिसने इन दोनों ग्रंथों का नाम न सुना हो तथा इनकी कहानी न पढ़ी हो, यहां तक कि अशिक्षित व्यक्तियों के घरों में भी इनका नाम पहुंचा है। इन दोनों ग्रंथों में रामायण को विशेष लोकप्रियता प्राप्त है।

हिंदी-जगत दो रामायणों से परिचित है—एक वाल्मीकि-कृत, जो सस्कृत में है, दूसरी गोस्वामी तुलसीदास-कृत, जो अवधी में है। दोनों के चरित-नायक एक हैं, पर उनके विवरणों में जहा-तहा अंतर है।

सस्कृत में होने के कारण वाल्मीकि-रामायण से कम लोग परिचित हैं। उसकी भाषा, शैली तथा घटनाएँ बड़ी ही संजीव हैं। ज्ञान की तो वह खान है। उसमें जितना गहरा प्रवेश किया जाता है, उतने ही मूल्यवान रत्न प्राप्त होते हैं।

हमें हर्ष है कि लेखक ने वाल्मीकि-रामायण का बड़ी बारीकी से अध्ययन करके उस युग की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की विगद जानकारी पाठकों को दो पुस्तकों में दी है। इस पुस्तक में उन्होंने उन विषयों को लिया है, जो तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों से संबंधित हैं। हमें विश्वास है कि रामायण की कथा से सुपरिचित पाठकों के लिए भी यह विवेचन नवीन और रोचक सिद्ध होगा, और उसे यह अनुभव होगा कि रामायण हमारे सामाजिक एवं राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

इस प्रकार का अध्ययन प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है। इसमें पाठकों को उस युग का एक प्रामाणिक तथा सुबोध चित्र मिल जाता है।

इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी उपयोगिता विद्वद्बर्ग तक ही सीमित नहीं है, अपितु इससे सामान्य पाठकों भी लाभ उठा सकते हैं, कारण कि इसमें दुर्बोध अथवा शुष्क सैद्धांतिक सामग्री का समावेश न करके लेखक ने जीवन के स्पंदनशील कणों को एकत्र किया है। इसके पठन-पाठन से पाठकों के रस एवं रुचि में भी वृद्धि हो सकती है।

हमें विश्वास है कि यह पुस्तक वाल्मीकि-रामायण को समझने तथा उसे लोकप्रिय बनाने में सहायक होगी और इसका सर्वत्र स्वागत होगा।

प्राक्कथन

सन १९४५ में मेरे प्राध्यापक स्वर्गीय पंडित चंद्रशेखर पाडेय, तत्कालीन अध्यक्ष, सस्कृत-विभाग, सनातन धर्म कालेज, कानपुर, ने मुझे वाल्मीकि-रामायण का सामाजिक एव सांस्कृतिक अध्ययन करने का परामर्श दिया था। तब से मेरा प्रायः समस्त अवकाश का समय इस आदि-काव्य के मनन-मंथन में ही बीता है। उक्त विषय पर १९४९ में मैंने आगरा विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए अंग्रेजी में एक शोध-प्रबंध लिखा और बाद में रामायण के एक सहस्र श्लोको में राम-कथा का सक्षेपीकरण तैयार किया। हिंदी-अंग्रेजी की पत्र-पत्रिकाओं में मेरे रामायण-विषयक शताधिक लेख प्रकाशित हुए, जो बहुत लोक-प्रिय सिद्ध हुए और अनेक हितैषियों का यह आग्रह रहा कि मैं अपने अध्ययन को विस्तृत एव सुसंबद्ध कर हिंदी में पुस्तकाकार प्रस्तुत करूँ। इस कार्य में कुछ वर्ष और लग गए और अब मेरा यह समग्र अध्ययन 'रामायणकालीन समाज' और 'रामायणकालीन सस्कृति' नामक दो स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में 'सस्ता साहित्य मंडल' द्वारा एक साथ प्रकाशित होकर रामायण-प्रेमियों के समक्ष उपस्थित है। लेकिन अब भी मैं यह विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता कि मैंने वाल्मीकि की समस्त सांस्कृतिक सामग्री को ढूँढ और समझ लिया है। सच तो यह है कि जितना ही अधिक मैंने रामायण का परिशीलन किया, इस चिर-पुराण कथा का लौकिक दृष्टि से विश्लेषण किया, नवीन से नवीनतर तथ्य प्रकाश में आते गए और मुझे यह अनुभव होने लगा कि उनका ओर-छोर पाने के लिए एक मनुष्य-जीवन की अवधि पर्याप्त नहीं है। अतएव मैं तो इतना ही कहने का अधिकारी हूँ कि इन पुस्तकों में मैंने एक उपेक्षित विषय की आशिक पूर्ति करने का प्रयास किया है। वेदों, उपनिषदों, कतिपय पुराणों, महाभारत तथा लौकिक सस्कृत साहित्य के कुछ ग्रंथों की सामाजिक-सांस्कृतिक सामग्री का तो न्यूनाधिक अध्ययन मनीषियों ने किया है, पर इस खोज-कार्य में रामायण की उपेक्षा एक खाई बनी हुई थी, जिसे पाटने की ओर उनका बहुत कम ध्यान आकर्षित हुआ। यदि मेरा श्रम आदि-काव्य के एक नवीन और रोचक पक्ष का उद्घाटन करने में तथा वाल्मीकि के प्रति

पाठको की अभिरुचि जगाने में सफल हो सका, तो मैं अपने को कृतकार्य समझूंगा ।

इस पुस्तक की सीमाओं तथा इसमें अपनाये गए दृष्टिकोण के बारे में कुछ कहना आवश्यक है । इसमें तटस्थ दृष्टि से प्राचीन भारतीय समाज का वैसा ही चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न किया गया है जैसा स्वयं वाल्मीकि ने अपनी रामायण में अंकित किया है । ऐमा करते समय आधुनिक मापदंडों से तत्कालीन-प्रथाओं की टीका-टिप्पणी से बचे रहने का यथासंभव ध्यान रखा गया है । वाल्मीकि-रामायण में पाई जानेवाली सामाजिक महत्व की सामग्री को व्यवस्थित एवं सुसंबद्ध रूप में उपस्थित कर देना ही इस अध्ययन का उद्देश्य है । इसे वाल्मीकि के ही तथ्यों पर आश्रित तथा किसी पूर्वाग्रह, उपदेश-वृत्ति या निरे सैद्धांतिक ऊहापोह से मुक्त रखने का यत्न किया गया है । पाठक के सामने एक युग-विशेष के समाज से संबंधित प्रचुर सामग्री प्रस्तुत कर दी गई है, जिसके आधार पर वह यथेच्छ समति निर्धारित करने में स्वतंत्र है ।

सदमों या उद्धरणों के सख्या-निर्देश में पहला अंक कांड की, दूसरा सर्ग की तथा तीसरा श्लोक की सख्या का सूचक है, जैसे २।७३।५१ का अर्थ हुआ अयोध्या-कांड के ७३वें सर्ग का ५१वां श्लोक ।

रामायण की प्रचलित प्रतियों में प्रक्षिप्त-अप्रक्षिप्त अशो के घुले-मिले रहने के कारण आलोचनात्मक अध्ययन में बड़ी बाधा पहुंचती है तथा यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि अमुक तथ्य प्राचीन और प्रामाणिक भी है अथवा नहीं । कुछ विद्वानों ने रामायण के कतिपय प्रक्षिप्त स्थलों का अवश्य निर्देश किया है, पर मतैक्य के अभाव में उनके सारे निष्कर्षों को कैसे स्वीकार किया जाय ? इसके लिए आवश्यकता है रामायण के एक सार्वदेशिक, प्रामाणिक एवं समीक्षित (क्रिटिकल) संस्करण की, जिसमें सभी पाठों का तुलनात्मक अध्ययन कर प्रक्षिप्त स्थलों का वहिष्कार कर दिया गया हो । कहना न होगा कि यह कार्य इस पुस्तक के क्षेत्र से बाहर है और वर्षों के व्यय-साध्य सामूहिक उद्योग की अपेक्षा रखता है । ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अध्ययन का आधार रामायण का बंबई संस्करण^१ रखा गया है, जो देश में सर्वाधिक प्रचलित है और जिसमें आदि-काव्य का प्राचीनतम रूप सुरक्षित है ।^२ फिर भी, डा० घमंड्रनाथ शास्त्री, अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, मेरठ कालेज, मेरठ, के

१ गुजराती प्रेस, बंबई, द्वारा सात जिल्दों में प्रकाशित (१९१२-२०)

२ ए० ए० मंडानेल—'ए हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर', पृ० ३०३

सुझाव पर, यह प्रयास किया गया है कि रामायण के प्रसिद्ध प्रक्षिप्त अंशों का उपयोग न किया जाय। साधारणतः बालकांड का आख्यान-भाग तथा समस्त उत्तरकांड, जिनको आधुनिक विद्वानों ने प्रायः सर्व समति से प्रक्षेप माना है, इस अध्ययन से अधिकतर बहिष्कृत रखे गए हैं। टीकाकारों द्वारा निर्दिष्ट प्रक्षिप्त स्थल भी छोड़ दिये गए हैं। जहाँ कहीं तुलनात्मक विवेचन के लिए अथवा महत्व या रोचकता की दृष्टि से इन प्रक्षिप्त स्थलों की सामग्री का उपयोग किया गया है, वहाँ स्पष्ट करके दिया गया है।

रामायण के रचना-काल, उसकी ऐतिहासिकता, उसके कर्ता, प्रक्षेप, संस्करण, पाठ-भेद आदि का विवेचन इस पुस्तक के मुख्य विषय से सबद्ध नहीं है, इसलिए विस्तार में न जाकर आरम्भ में इनकी संक्षिप्त चर्चा-भर की गई है।

संभव है, पुस्तक में आगे चलकर रामायण की कुछ घटनाओं की पुनरुक्ति दिखाई दे। एक विश्लेषणात्मक कृति में कुछ पुनरुक्तियाँ तो अपरिहार्य हैं, क्योंकि कई बार एक ही तथ्य या घटना की विभिन्न प्रसंगों में विविध दृष्टिकोणों से व्याख्या आवश्यक हो जाती है। राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को सामाजिक गति-विधि का ही अंग मानकर उनका भी इस पुस्तक में समावेश कर लिया गया है। हिंदी की प्रकृति के अनुरूप, अनुनासिकों के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग किया गया है तथा हलन्त का व्यवहार छोड़ दिया गया है, केवल संस्कृत-स्थल इसके अपवाद रखे गए हैं।

इस पुस्तक के रेखा-चित्रों में चित्र १ भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'इंडियन आर्ट्स एंड एजेंस' के एक छवि-चित्र की रेखानुकृति है। चित्र २ का आधार पत्र-सूचना-विभाग, नई दिल्ली, से प्राप्त एक छवि-चित्र है। चित्र ३ श्री सी० शिवराममूर्ति-कृत 'संस्कृत लिटरेचर एंड आर्ट, मिरर्स आफ इंडियन कल्चर' के चित्र १२ की अनुकृति है (कापीराइट, पुरातत्व-विभाग, भारत सरकार)। चित्र ४ से ११ श्री अवनींद्रनाथ ठाकुर की 'सम नोट्स आन इंडियन एनेटामी' पर आधारित हैं। चित्र १२ श्री सी० शिवराममूर्ति की 'अमरावती स्कल्पचर्स इन मद्रास म्यूजियम' से लिया गया है (कापीराइट, राजकीय संग्रहालय, मद्रास)। लेखक इन सबके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है।

नई दिल्ली,
राम-नवमी, सं० २०१५ }

--शांतिकुमार नानूराम व्यास

विषय-सूची

१	वाल्मीकि और उत्तका काव्य	१
२	आर्य और अनार्य	१५
३	राक्षस	२४
४	वानर	५३
५	वर्ण	७५
६	आश्रम	९३
७	परिवार	९९
८	विवाह	१११
९	प्रेम	१३६
१०	नारी—घर में	१४९
११	नारी—समाज में	१८७
१२	आर्थिक जीवन	२१३
१३	प्रशासन	२५३
१४	युद्ध	२८८
	सदभं-ग्रथ	३०५
	परिशिष्ट—वाल्मीकि-कालीन स्थान-परिचय	३०७
	अनुक्रमणिका	३१३

रामायणकालीन समाज

: १ :

वाल्मीकि और उनका काव्य

वाल्मीकि-रामायण भारत का राष्ट्रीय आदि-काव्य है। धार्मिक एवं नैतिक आदर्शों का भंडार होने के साथ-साथ वह एक महत्वपूर्ण मानवीय समाज-शास्त्र भी है, जो सहस्रो शताब्दियों पूर्व के भारतीयों के जीवन-यापन का रोचक वृत्तान्त उपस्थित करता है। एक पुरातन युग की जीवित परंपराओं, धारणाओं, चिन्ताओं, आकांक्षाओं और भावनाओं का चित्रण करने के कारण वह प्राचीन भारतीय मम्यता और संस्कृति की एक बहुमूल्य निधि है। उसकी उपमा एक ऐसे पर्वत से दी जा सकती है, जिसकी चोटी से हम प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं कला-संबन्धी क्रिया-कलाप का सम्यक दर्शन कर सकते हैं। तत्कालीन भारतीय समाज के अनेक अस्पष्ट पक्षों पर वाल्मीकि के काव्य से जैसा प्रकाश पड़ता है, वैसा अन्य किसी स्रोत से नहीं। उत्तर-वैदिक भारत के सामाजिक इतिहास की शोध में रामायण का योग और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि वह आज भी करोड़ों भारतीयों के धार्मिक विश्वासों के साथ अविच्छिन्न रूप से गुथी हुई है। वाल्मीकि हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के आदि-विधाता हैं, धर्म और सत्य-रूपी महा-वृक्षों के जो अमर बीज उन्होंने बोये, वे आज भी फल-फूल रहे हैं।

किंतु आश्चर्य की बात है कि रामायण के प्रति जन-मानस का यह श्रद्धा-तिरेक ही व्यावहारिक दृष्टि से उसके समीक्षात्मक अध्ययन में बाधक सिद्ध हुआ। भारत के कुछ रूढ़िवादी हिंदू रामायण के चरितनायकों की ईश्वरीय अवतारों के रूप में वदना और पूजा करने में ही परम सतोष का अनुभव करते हैं। उनके अनुसार रामायण के उदात्त चरित्रों की महत्ता और गहराई मानव-बुद्धि के लिए अगम और अगोचर है तथा सामान्य अध्ययन-अन्वेषण से ऊपर की चीजें हैं। उनकी दृष्टि में राम और सीता के जीवन को सामान्य मानवीय मापदंड से नापने की चेष्टा करना अथवा तार्किक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना वाणी या लेखनी का निरर्थक व्यापार है। इसी संकुचित धारणा ने रामायण के व्यावहारिक

अध्ययन में बाधा पहुँचाई। रामायण के टीकाकार भी प्रायः इसी भावना से ग्रस्त जान पड़ते हैं। उन्होंने उसके गूढ़ स्थलों को भक्ति-भावना-पूर्वक समझाने की चेष्टा की है, लौकिक दृष्टि से उनकी विशेषताओं पर प्रकाश कम डाला है। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि उन्होंने रामायण की घटनाओं को लोकोत्तर मानकर ही उस पर टीकाएँ लिखीं।

रामायण की अपार लोकप्रियता ने भी उसके समाजशास्त्रीय महत्व की उपेक्षा कराने में योग दिया। हम लोग रामायण की कथा में इतने अम्यम्त और परिचित हैं कि उसका नवीन दृष्टिकोण से अध्ययन-अनुसंधान करने की ओर ध्यान ही नहीं जाता। राम और सीता के अप्रतिम आदर्शों का पठन-पाठन, श्रवण, कीर्तन और मनन ही हमारे लिए पर्याप्त है, वे या उनके समय के लोग कैसे रहते-महते थे, कैसे अपनी आजीविका चलाते थे, कैसे राज-काज करते थे, आदि प्रश्नों का मही उत्तर ढूँढ़ने के लिए हम प्रेरित ही नहीं होते। रामायण के कथानक का चिरतन आकर्षण उसकी साम्प्रतिक सूचनाओं को पाठक की दृष्टि से ओझल कर देता है। स्वर्गीय श्री श्रीनिवास शास्त्री के शब्दों में, "रामायण का सामान्य पाठक कथा की मनोहरता और विषय की उदात्तता से मुग्ध और प्रभावित हो उठता है। उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि प्रत्येक पृष्ठ पर तत्कालीन युग की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालनेवाली सामग्री बिखरी पड़ी है। यह सामग्री अधिकांश संकेतो के रूप में मिलती है, जिन्हें पूरी तरह से समझने के लिए उनके व्यवस्थित और सुसंयुक्त सकलन तथा सप्रमाण विवेचन की आवश्यकता है। जब कोई सत्यान्वेपी और विवेकपूर्ण अनुसंधानकर्ता इन संकेतों को एकत्र कर हमारे प्राचीन समाज का एक स्पष्ट चित्र उपस्थित कर देता है, तब हमारी प्रसन्नता बहुत-कुछ वैसी ही होती है जैसी कोई नई खोज या आविष्कार कर डालने पर।"^१

अतएव आज के वैज्ञानिक युग में, जबकि अतीत हमारे लिए केवल गौरव, भक्ति या स्वातः सुख का विषय न होकर ज्ञान-वर्धन और प्रगति का भी एक साधन है, हमें चाहिए कि वाल्मीकि के महाग्रन्थ का लौकिक दृष्टि से भी समुचित मूल्यांकन करें। सामाजिक जीवन के प्रायः सभी पहलुओं पर वाल्मीकि ने रोचक और स्थायी महत्व की सामग्री प्रस्तुत की है। समाज और परिवार के विषय में तत्कालीन आयों

की धारणाएं क्या थी ? समाज का सगठन कैसा था ? वर्ण और आश्रम की व्यवस्था कैसी थी ? जनसाधारण की स्थिति पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती थी ? उच्च वर्ण के लोगो को समाज क्या सुविधाएं प्रदान करता था ? निम्न वर्णों की क्या नियोग्यताएं थी और उनके जीवन का स्तर कैसा था ? विवाह की प्रणाली कैसी थी और प्रेम का आदर्श क्या था ? स्त्रियों के साथ समाज में कैसा व्यवहार किया जाता था ? लोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करते थे ? शासन-व्यवस्था, युद्ध-संचालन, अस्त्र-शस्त्र, यातायात के साधन इत्यादि कैसे थे ? इन प्रश्नों का उत्तर रामायण में ढूढने से पता चलेगा कि तत्कालीन समाज का ठोस और व्यावहारिक स्वरूप कैसा था ।

यदि इस समाजशास्त्रीय दृष्टि से वाल्मीकि-रामायण का महत्व आका जाय तो निश्चय ही हमारा अध्ययन अत्यंत रोचक, हृदयग्राही और ज्ञान-वर्धक सिद्ध होगा—रामायण का एक सर्वथा मौलिक, नवीन, अद्भुत एवं सर्वजनप्रिय स्वरूप पाठको के समक्ष उपस्थित होगा । शिक्षित-अशिक्षित, आधुनिक-पुरातन सभी स्तरों के लोगो के लिए यह एक नितान्त रोचक और अनुपेक्षणीय विषय होगा । ज्ञान की खोज एक ऐसा विषय है, जो स्वयं ज्ञानोपार्जन से कम विलक्षण और रुचिकर नहीं है । लिखित इतिहास तथा प्राचीन स्मारको और भग्नावशेषों में अकित अतीत की कहानी की परिधि सीमित है । इतिहास के ये साधन मानव को बहुत दूर तक नहीं ले जाते और यदि ले भी जाते हैं तो मानवीय गति-विधि के सन्निधि में बहुत कम बता पाते हैं । हमारे पास एक और साधन है—प्राचीन साहित्य, जिसकी जाच अतीत के निरवगुठन में, मानव-वृद्धि के विकास-क्रम को समझने में, मानव की ज्ञान-वृद्धि में नितान्त सहायक होगी । समस्त ससार में कहीं भी किसी जाति ने अपने बारे में जानकारी की ऐसी विस्तृत सामग्री नहीं छोड़ी जैसी प्राचीन भारत के आर्यों ने । अपनी सस्कृति के विषय में जो तथ्य उन्होंने वेदों, इतिहास-पुराणों, दर्शन-ग्रन्थों और काव्यों में लिपिबद्ध किये हैं, उनके आधार पर हमें उनके जीवन का जैसा सूक्ष्म, घनिष्ठ और सच्चा परिचय प्राप्त होता है, वैसा अपने समकालीनों का भी प्राप्त होना कठिन है ।

प्राचीन साहित्य का रस हम प्रायः एकांत में बैठकर लिया करते हैं, उसे हम मुख्यतः आनंद के लिए पढते हैं । पर उसका पूरा महत्व हृदयगम करने के लिए हमें उसे युग-जीवन से जोडना होगा । हमें यह देखना होगा कि साहित्यकार ने

जीवन के किस अंग को कितनी सफलता से प्रकट किया है—कलाकार ने युग-जीवन को कितनी गहराई और व्यापकता में उद्घाटित किया है। श्रेष्ठ साहित्य स्वभावतः युग-जीवन से ग्रथित होता है—वह अपने समय के सामाजिक यथार्थ को प्रकट या प्रतिफलित करता है। वाल्मीकि की कृति भी इस कोटि में आती है और उसके समग्र मूल्यांकन के लिए हमें समाजशास्त्रीय दृष्टि भी रखनी होगी, उसमें तत्कालीन युग-जीवन के तत्व खोजने होंगे। ऐसा करने पर हमें रसानुभूति के साथ यह चेतना भी प्राप्त होगी कि रामायण का भारत की विराट् संस्कृति से कितना गहरा सबंध है।

रामायण के कर्ता वाल्मीकि एक प्रतिष्ठित ऋषि एव राम के एक समकालीन के रूप में हमारे सामने आते हैं। बालकांड में लिखा है कि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे एक आश्रम में रहते थे। उनके मन में किसी आदर्श मानव का चरित्र लिपिबद्ध करने की इच्छा उठी। नारद के परामर्श से उन्होंने अयोध्या के तत्कालीन शासक महाराज राम को अपना चरितनायक बनाने का सकल्प किया। इसी समय एक व्याध के हाथों एक क्रीच पक्षी को मारे जाते देख उनकी हृद्गत करुणा सहसा एक श्लोक के रूप में प्रस्फुटित हो गई। ब्रह्मा के आदेशानुसार उन्होंने इसी नवीन छंद में राम-चरित को काव्यबद्ध करना शुरू किया।^१ अपनी यह रचना उन्होंने कुश और लव को सिखाई और ये दोनों भाई सर्वत्र इसका गा-गाकर प्रचार करने लगे। इन्होंने अयोध्या के दरवार में राम और उनके भाइयों को भी यह कथा सुनाकर भाव-विभोर कर दिया (१।१, ४)।

उक्त वर्णन से यह सिद्ध है कि रामायण की रचना राम के राज्यारूढ होने के कुछ ही वर्षों बाद की गई थी —

प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः ।

चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमर्थवत् ॥ १।४।१

अयोध्याकांड के अनुसार राम, लक्ष्मण और सीता ने चित्रकूट के निकट वाल्मीकि से भेंट की थी।^२ उत्तरकांड के अनुसार वाल्मीकि दशरथ के 'परम सखा'

१ कुरु रामकथा पुण्या श्लोकबद्धा मनोरमात् । १।२।३६

२ इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताजलिः । अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकि-
मभिद्रादयन् ॥ तान्मर्हसि प्रमुदितं पूजयामास धर्मवित् । आस्यतामिति
चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च ॥ २।५६।१६-७

थे,^१ और उन्होंने परित्यक्ता सीता को अपने आश्रम में आश्रय दिया था। यही कुश और लव का जन्म हुआ। इन्होंने वाल्मीकि से रामायण सीखकर राम के अश्वमेध-समारोह में नुनाई। उसे मुनकर राम ने सीता को बुला भेजा। उनके साथ वाल्मीकि ने भी आकर भगी सभा में सीता के सतीत्व की साक्षी दी श्री (७।१५-६)।

वाल्मीकि के पूर्व-जीवन पर रामायण में कोई प्रकाश नहीं पड़ता। उनके डाकू होने और फिर तपस्वी बनने की कथाओं का आधार अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। अध्यात्म-रामायण के अनुसार, वाल्मीकि ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुए थे, पर कु-भगति के कारण लूटमार में प्रवृत्त होकर अपने परिवार का भरण-पोषण करने लगे। एक बार उनके मार्ग में सप्तर्षिगण आये। उन्हें भी इस पतित ब्राह्मण ने लूटना चाहा। मुनियों ने इसमें पूछा कि जिन कुटुंबियों के लिए तुम लूटमार द्वारा धन कमा रहे हो, क्या उनमें से कोई तुम्हारे अधर्म का भागी भी बनने को तैयार है? जब ब्राह्मण ने धर जाकर अपने स्त्री-पुत्रों में यह प्रश्न किया, तब उत्तर मिला कि हम तो केवल तुम्हारे धन को भोगनेवाले हैं, उसका पाप तो तुम्हें ही लगेगा। इससे ब्राह्मण के मन में वैराग्य का उदय हुआ और वह उन मुनियों की शरण में गया। सप्तर्षियों ने उसे 'राम' नाम को उलटा जपने का आदेश दिया—एकाग्रमनसानैव मरेति जप सर्वदा। ब्राह्मण इतने दीर्घ काल तक इस नाम का जप करता रहा कि उस पर मिट्टी का ढेर (वल्मीक) लग गया। बहुत समय बाद जब सप्तर्षि उधर से लौटे, तब उन्होंने उसका 'वाल्मीकि' नामकरण किया और इस नूतन जन्म पर उसका अभिनन्दन किया।

जनश्रुति में वाल्मीकि का वचन का नाम रत्नाकर है और उनकी भेंट सप्तर्षियों के वजाय नारद में होती है। कृत्तिवासीय रामायण में इस जनश्रुति का उपयोग किया गया है। शेष कथा अध्यात्म-रामायण-जैसी ही है।

वाल्मीकि के आरंभ में डाकू होने का आभास महाभारत के अरण्य-पर्व (अध्याय १२०) और अनुशासन-पर्व (अध्याय ४९) में भी मिलता है।

वाल्मीकि के जीवन-सद्वर्धी उन सामग्री की प्रामाणिकता सदिग्ध है। स्वयं रामायण में उनके विषय में जो उल्लेख आये हैं वे मौलिक नहीं माने जाते। वाल्मीकि-

१ राज्ञो दशरथस्यैव पितुर्मै मुनिपुंगवः । तत्रा परमको विप्रो वाल्मीकिः
सुमहायशा ॥ ७।४७।१६-७

नारद-सवाद और क्राँच-वद्य के प्रमग किमी दूसरे के लिखे हुए हैं। चित्रकूट के निकट राम-वाल्मीकि की भेट का उल्लेख भी रामायण के केवल दाक्षिणात्य पाठ में पाया जाता है। आधुनिक अन्वेषक वाल्मीकि को राम का समकालीन नहीं मानते, और उनका राम-जन्म से सहस्रो वर्ष पहले रामायण की रचना कर डालना तो सर्वथा अमान्य और काल्पनिक है। फिर भी इतना मर्ममान्य है कि वाल्मीकि-रामायण रचना-काल की दृष्टि से राम के सर्वाधिक निकट है। राम-राज्य का चित्रण करने के लिए वाल्मीकि को तत्कालीन अनुश्रुतियों, आख्यानों और लोक-परपराओं का एक बहुमूल्य स्रोत उपलब्ध रहा होगा। इस कारण उनकी रामायण का जो ऐतिहासिक महत्व है वह अन्य किमी रामायण का नहीं।

रामायण के अनुमधान से वाल्मीकि के व्यक्तित्व का, उनकी प्रजा-प्रतिभा का जो अप्रत्यक्ष परिचय मिलता है, उसके प्रकाश में उनके पूर्वकालीन जीवन का समस्त तथाकथित कालुष्य धुल जाता है—उमके प्रति पाठक की जिज्ञासा ही नहीं जगती। पाठक के मन पर तो यही छाप पड़ती है कि वाल्मीकि ऋषि-समाज के अग्रगण्य तपस्वी साधक, वेद-वेदांगों के परिनिष्ठित विद्वान, रमसिद्ध कवीश्वर, तत्कालीन भारत के मानचित्र के सम्यक ज्ञाता, सामाजिक प्रथाओं एवं मर्यादाओं के सस्थापक और व्याख्याकार, सत्य और न्याय के समर्थक, धर्म के स्तम्भ एवं लोकानुरजन के प्रबल हिमायती थे। उन्होंने अपने समकालीन, अथवा कुछ ही पूर्ववर्ती, एक अतुल पराक्रमी, लोकप्रिय, आदर्श शासक के युग को काव्य की रेखाओं में बाधकर न केवल प्राचीन भारत के एक स्वर्ण-युग को इतिहास के खडहरो में जा पड़ने से बचा लिया, वरन स्वयं अपने यश-शरीर को भी जरा-मरण के भय से सदा के लिए मुक्त कर दिया—

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा ।

नास्ति येषा यश-कार्ये जरामरणज भयम् ॥ गार्ङ्गधरपद्धति १६६

यह उल्लेखनीय है कि जहा अन्य रामायणों में राम को विष्णु के अवतार के रूप में अधिक चित्रित किया गया है, वहा वाल्मीकि-रामायण देव-चरित्र का वर्णन न होकर नर-चरित्र का ही कीर्तन है। जब वाल्मीकि ने आदर्श गुणों से मडित किसी विभूति का परिचय पूछा, तब नारद ने एक मानव को ही उन अनुपम गुणों का भाजन बताया—**तैर्युधतः श्रूयता नर (१।१।७)**। अवश्य ही वाल्मीकि के समय की अनुश्रुतियों में राम का विष्णुत्व प्रकट होने लगा था, जिनके प्रभाव से अछूते रहना

कठिन था, फिर भी वाल्मीकि उन इने-गिने लौकिक ऋषियों में से थे, जिनका दृष्टिकोण पूर्णतः मानवीय था। राम उनके लिए एक मानवीय महापुरुष थे, एक ऐसे 'नर-चंद्रमा' थे, जिन्होंने विकट परिस्थितियों के बीच रहकर भी अपने शील की रक्षा की तथा अपने युग की हीनताओं और मानव-मात्र की दुर्बलताओं से ऊपर उठ कर मनुष्य को ईश्वरत्व की कोटि तक पहुँचा दिया। इस स्वस्थ दृष्टिकोण ने उनकी रामायण को एक सहज आकर्षण से परिप्लावित कर दिया है।

रामायण में समय-समय पर प्रक्षेपो के रूप में अतिरिक्त सामग्री जुड़ती रही है। ये परिवर्धन कुछ तो प्रतिभाशाली कवियों ने और कुछ संस्कृत के विद्वानों ने किये। ये अश्व उन लोगों द्वारा उचित और उपयोगी माने जाते थे, जो या तो अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना चाहते थे या यह समझते थे कि इस प्रकार मूल काव्य अधिक सुंदर और कहीं-कहीं अधिक विस्तृत बन जायगा। परिवर्धन की इस प्रक्रिया में तीन कारणों ने सहायता पहुँचाई—एक तो प्रारंभ में यह काव्य मौखिक रूप से प्रचलित रहा, दूसरे, बाद में इसकी कुछ ही हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध रही, और तीसरे, इनकी प्रामाणिकता की पुष्टि के सहज साधन भी उपलब्ध नहीं थे। किंतु प्रक्षेपकर्ता यह नहीं समझते थे कि हम किसीके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि वे मानते थे कि हम सत्य और स्वस्थ विचारों का ही प्रचार कर रहे हैं। पांडुलिपि जितनी बड़ी होती थी, भक्त लोग उसका उतना ही अधिक आदर करते थे, क्योंकि प्रचलित धारणा यह थी कि मूल ग्रंथ बहुत विशाल था और उसके अनेक अंश लुप्त हो गए। इसलिए कुछ लोगों ने इन विलुप्त अंशों के 'पुनरुद्धार' का बीड़ा उठाया। रामायण के ये परिवर्धित या प्रक्षिप्त अंश मूल्यवान् भले ही हों, पर वाल्मीकि-रचित मूल भागों से निस्संदेह भिन्न हैं।

रामायण को लिपिवद्ध करते समय उसके विभिन्न पाठ, प्रक्षेप तथा श्लोकों के क्रम उसी रूप में लिख लिये गए, जिस रूप में भिन्न-भिन्न प्रदेशों के सूत और गायक उन्हें गाकर सुनाया करते थे। फलतः भारत के विभिन्न भागों में रामायण के पृथक-पृथक पाठ प्रचलित हो गए। इन पाठ-भेदों के आधार पर पिछले डेढ़ सौ वर्षों में रामायण के अनेक संस्करण छपे। सबसे पहले सन १८०६ में सिरामपुर के डा० विलियम कैरी और डा० जोशुआ मर्शमैन नाम के दो पादरियों ने रामायण के प्रथम दो कांड अंग्रेजी अनुवाद-सहित प्रकाशित किये। उनका आधार रामायण का पश्चिम-मोत्तरीय पाठ था। १८२९ में जर्मन विद्वान् श्लेगल ने प्रथम दो कांड लैटिन अनु-

वाद, भूमिका और टिप्पणी-महित प्रकाशित किये। संपूर्ण रामायण का सर्वप्रथम मुद्रित संस्करण राजा चार्ल्स अलवर्ट के व्यय में इटली के विद्वान गोरेगियो ने १८४३ से १८६७ के बीच प्रकाशित किया। यह संस्करण बंगाल में प्रचलित पाठ पर आधारित था। तत्पश्चात् उत्तर भारत में प्रचलित देवनागरी पाठ के आधार पर सन १८८८ में निर्णयमागर प्रेम, बवई, ने रामायण का संस्करण छपा तथा १९१२-२० में गुजराती प्रेस, बवई, ने तीन टीकाओं-महित सात जिल्दों में एक संस्करण निकाला। बवई में छपे इन संस्करणों का पाठ कुभकोणम (१९०५), श्रीरगम (१९१७-८) तथा मद्रास (१९३३) के संस्करणों के ही समान है, जिनमें दक्षिणात्य पाठ का अनुसरण किया गया है। पश्चिमोत्तरीय पाठ के आधार पर रामायण का लाहौर-संस्करण १९२३-४७ में ५० भगवद्दत्त, ५० रामलभाया और ५० विश्ववधु ने संपादित करके प्रकाशित कराया।

इन सबमें तीन संस्करण महत्वपूर्ण हैं—गोरेगियो का वगीय संस्करण, बवई और मद्रास का दक्षिणात्य संस्करण तथा लाहौर का पश्चिमोत्तरीय संस्करण। कितने ही कथा-प्रसंग दक्षिणात्य संस्करण में उपलब्ध होने हैं, पर अन्य दो संस्करणों में उनका समावेश नहीं है। इसी प्रकार कुछ प्रसंग ऐसे हैं, जो पश्चिमोत्तरीय और वगीय संस्करणों में मौजूद हैं, पर दक्षिणी में नहीं। कुछ-एक प्रसंग तीनों संस्करणों में मिलते हैं, परंतु उनका परिमाण न्यूनाधिक है तथा सूक्ष्म विस्तार में पर्याप्त भेद है। वडोदा के प्राच्य-विद्या-मंदिर ने वाल्मीकि-रामायण का एक सचित्र समीक्षित संस्करण (क्रिटिकल एडिशन) तैयार करने की एक विशाल व्यय-माध्य योजना बनाई है, जिसके १९६० में पूरा होने का अनुमान है।

पश्चात्त्य विद्वानों का अनुमान है कि रामायण के प्रक्षिप्त और अप्रक्षिप्त भागों के बीच कई शताब्दियों का अंतर रहा होगा। आधुनिक अन्वेषक मौलिक रामायण (वाल्मीकि की प्रक्षेप-रहित प्रामाणिक रचना, काड दो से छ) तथा प्रचलित रामायण (जिसमें चौबीस हजार श्लोक तथा सात काड हैं) का अलग-अलग रचना-काल निर्धारित करते हैं। मूल रामायण में वालकाड और उत्तरकाड नहीं थे और उसमें बौद्ध धर्म की ओर संकेत नहीं मिलता। अतः उसकी रचना बुद्ध से पूर्व, अर्थात् पाचवीं शताब्दी ई० पू० से पहले हुई होगी।^१ याकोबी, मैकडानेल, मोनियर

१ लेकिन प्राचीन बौद्ध साहित्य तथा जातको की सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है कि तिपिटक के रचना-काल में राम-कथा-सबसे स्फुट आख्यान-काव्य प्रच-

विलियम्स और चितामण विनायक वैद्य का यही मत है। इसके विपरीत कीथ रामायण की मूल रचना चौथी शताब्दी ई० पू० में रखते हैं और विटरनित्स तीसरी शताब्दी ई० पू० में। याकोवी मूल रामायण का रचना-काल ८००-६०० ई० पू० मानते हैं। इसी समय के निकट-परवर्ती ग्रंथकार भास, कौटिल्य और पतञ्जलि रामायण के कथानक से पूर्ण परिचित प्रतीत होते हैं।^१ मूल रामायण की रचना निश्चय ही पाणिनि (५०० ई० पू०) से पहले की जान पड़ती है, क्योंकि रामायण की भाषा में ऐसे अनेक आर्ष प्रयोग पाये जाते हैं, जो पाणिनीय व्याकरण से मेल नहीं खाते। यदि वाल्मीकि पाणिनि के बाद हुए होते तो ऐसा न होता। पाणिनि ने कोसल, कौसल्या, केकय, कैकेयी, भरत, वैश्रवण, विभीषण, रावण और वाल्मीकि-जैसे नामों की व्युत्पत्ति भी समझाई है। किंतु रामायण के प्रधान पात्र राम, सीता और दशरथ पाणिनि में नहीं मिलते।

मूल रामायण के विकसित होकर प्रचलित रामायण का बृहत्तर रूप धारण करने में कई शताब्दियाँ लगी होंगी। याकोवी पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी को प्रचलित रामायण का काल मानते हैं। चितामण विनायक वैद्य पहली शताब्दी ई० पू० अधिक संभव समझते हैं तो विटरनित्स दूसरी शताब्दी ईस्वी। कालिदास के समय में रामायण ने अपना प्रचलित रूप धारण कर लिया था और यदि कालिदास का समय प्रथम शताब्दी ई० पू० है तो प्रचलित रामायण का रूप इसके बाद का नहीं हो सकता।

राम-जैसे अप्रतिम शासक के बारे में लोक-मानस ने अनेक गीतों और आख्यानों की सृष्टि कर ली होगी तथा इनका वाल्मीकि के पहले से प्रचार रहा होगा। इसका आभास महाभारत के द्रोण-पर्व और शांति-पर्व के सक्षिप्त राम-चरित से तथा अन्य निदर्शों से मिलता है।^२ ये आख्यान आज अप्राप्य हैं, पर वाल्मीकि के समय में ये उपलब्ध रहे होंगे। निश्चय ही उन्होंने एक विस्तृत मुसवद्व राम-कथा की रचना करने में इनका प्रयोग किया होगा।

लित हो चुका था, पर रामायण की रचना नहीं हो पाई थी (कामिल बुल्के-कृत 'राम-कथा', पृ० ३६)।

१. टी० परमशिव ऐयर — 'रामायण एंड लंका', पृ० ८

२. 'राम-कथा', पृ० ३०

जहा तक रामायण की घटनाओ का प्रश्न है, पुराण-विशेषज्ञ पार्जिटर ने वशावलियों के-आधार पर यह सिद्ध किया है कि राम-रावण और कौरव-पाडव युद्धो के बीच पाच शताब्दियों का अंतर था। उनके अनुसार महाभारत-युद्ध ११०० ई० पू० में हुआ था।^१ इस प्रकार राम १६०० ई० पू० में हुए और रामायण की घटनाए इसी काल में घटित हुईं।

रामायण-काल का पूर्ववर्ती युग उपनिषदो का समय माना जाना चाहिए, क्योंकि उपनिषदो के नीरस और आर्प गद्य ने जन-मानस में किमी सरस और उदात्त काव्य का आस्वादन करने की उत्कठा जागृत की होगी, और वाल्मीकि की कृति ने जनता का अनुरजन किया होगा। उपनिषदो के दार्शनिक महाराज जनक सीता के पिता राजा जनक से अठारह पीढी पहले हुए थे^२ और राम का समय प्राचीन उपनिषदो मे लगभग चार सौ वर्ष बाद का रहा होगा।^३

किंतु ये सब तिथिया विवादग्रस्त और अनिर्णीत है तथा अधिक शोध की अपेक्षा रखती है। अतएव इस पुस्तक में व्यवहृत 'रामायण-काल' अथवा 'रामायणकालीन' शब्द का स्थूल अर्थ उस काल अथवा युग से लेना चाहिए, जो वाल्मीकि-रामायण मे चित्रित है, चाहे वह युग राम के समय का हो अथवा वाल्मीकि के समय का।

इस प्रमग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की भी चर्चा कर लेना आवश्यक है, वह यह कि रचना-काल की दृष्टि से रामायण और महाभारत में कौन पूर्ववर्ती है। क्योंकि रामायण की काव्य-शैली परिष्कृत और अपने समय की साहित्यिक प्रगति के अनुरूप पर्याप्त पुष्ट एवं अलंकृत है, तथा महाभारत की भाषा और शैली में प्राचीनता और अस्तव्यस्तता दृष्टिगोचर होती है, अतएव कई विद्वानो का यह अनुमान है कि महाभारत की रचना रामायण से पहले हो चुकी थी। लेकिन

१. 'एन्क्यट इंडियन हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन', अध्याय १५

२. बालकाड, सर्ग ७१, के अनुसार विदेह-वंश में जनक इक्कीसवीं पीढी में हुए थे: विदेह—निमि—मिथि (मिथिला के सस्थापक)—जनक प्रथम—(११) हर्यश्व—(२०) ह्रस्वरोमा—(२१) जनक द्वितीय (सीता के पिता)

३. देखिए बी० बी० दीक्षित—'रिलेशन आफ दि एपिक्स टु दि ब्राह्मण लिटरेचर' ('पूना ओरिएटलिस्ट', जिल्द ६-७)

वाल्मीकि और उनका काल

इस सबध मे यह स्मरण रखना चाहिए कि महाभारत के रचने की रचनाओं की 'सहिता' है, इसलिए उसमे भाषा की विभिन्नता और काव्य-शैली का अपरिष्कार दिखाई पडना स्वाभाविक है। इसके विपरीत रामायण एक हाथ की रचना अधिक है। प्रक्षेप इसमे भी है, पर ऐसा जान पडता है कि इसका मुख्य अंश एक ही कवि की कुशल लेखनी का चमत्कार है। काव्य में माधुर्य-गुण का संचार करना बहुत-कुछ एक व्यक्तिगत गुण है, किसी युग-विशेष का सामान्य लक्षण नहीं। अतः भाषा और शैली के आधार पर रामायण को परवर्ती सिद्ध करने के तर्क में अधिक बल नहीं है।

इससे अधिक महत्व का प्रश्न यह है कि रामायण और महाभारत में चित्रित सामाजिक व्यवस्थाओं में कौन अधिक प्राचीन है। महाभारत में वर्णित सभ्यता अशांतिमय एवं अव्यवस्थित है, किंतु रामायण की सभ्यता अपेक्षाकृत अधिक शांत, व्यवस्थित, सुसंस्कृत और आदर्श है। इस आधार पर पाश्चात्य विद्वान यह अनुमान करते हैं कि महाभारतकालीन समाज रामायणकालीन समाज की अपेक्षा प्राचीनतर है। लेकिन, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, महाभारत की रचना में अनेक हाथों का योग रहा है, उसका संपादन एकाधिक बार किया गया है, उसमें एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक संपूर्ण युग का व्यक्तित्व, अपने समस्त गुण-दोषों के साथ, अत्यंत जीवत रूप में अभिव्यक्त हुआ है। अतः उसमें सभ्यता के विभिन्न स्तरों का, शिष्ट-अशिष्ट व्यक्तियों का, समाज के वर्वर और शालीन दोनों रूपों का, अकन पाया जाना स्वाभाविक ही है। अन्यथा, रामायण ही मूल महाभारत की अपेक्षा भारतीय समाज के एक प्राचीनतर रूप को प्रकट करती है। जिन परंपराओं और अनुश्रुतियों के आधार पर रामायण की रचना हुई थी, वे महाभारत के समय में आकर समाज की सामान्य धरोहर बन गई थी। रामायण के मुख्य पात्र आर्यों के अतिरिक्त वानर, ऋक्ष और राक्षस-जैसे आदिवासी हैं, जबकि महाभारत के मुख्य पात्र सुसंस्कृत मनुष्य ही हैं, राक्षस केवल कथानक की नाटकीयता में अभिवृद्धि करने के लिए यदा-कदा आते हैं और मनुष्यों-जैसे वानर और ऋक्ष सर्वथा लुप्त हो चुके हैं। रामायण में अलौकिक तत्वों का प्रयोग एक सीमित मात्रा में हुआ है, पर महाभारत में उनका सीमातीत उपयोग हुआ है। राम सर्वत्र पृथ्वीतल पर रहनेवाले एक मनुष्य बने रहते हैं। 'महाभारत के वीर में नैतिक आचरण कुछ-कुछ बौद्धिक है, समय-समय पर उसका अन्यथाचरण हो सकता है, पर रामायण के वीर का नैतिक आचरण

महज है, उसका अन्यथा भाव नभव नहीं। महाभारत के वीर अधिवानर मजानीय समाज में चमके हैं, परन्तु रामायण के वीर प्रायः त्रिजानीय परिघेष्टन में चमके हैं। महाभारत के क्षत्रिय वीर अनेक प्रकार के कालोपयोगी अस्त्र-शस्त्रों में सुसज्जित हैं, तत्कालीन प्रचलित नवीनतम गुर्र-शौला और गुर्र-शूटियों के अभ्यन्त है, पर रामायण के वीर—हनुमान, गुगीव, जावजान—न तो इन वीरों के जानकार हैं और न शूटियों के कायल।^१ दोनों ग्रंथों के अवलोकन में पाठक पर यही प्रभाव पड़ता है कि जहाँ महाभारतकालीन भारत में सामान्यतः अधिक राज्य, अधिक राजा, अधिक नगर, अधिक तीर्थ-स्थान और अधिक नागरिक हलचल है, वहाँ रामायणकालीन भारत में अधिक जंगल, अधिक जनजाने रान्ने और प्रकृति में अधिक सपर्क है। रामायण-काल का आर्थिक जीवन भी महाभारत के आर्थिक जीवन से पिछड़ा हुआ है।^२ रामायण का समाज, अपने नीमित भौगोलिक दायरे में, अधिक सुगठित, व्यवस्थित और सघर्ष-रहित है, जबकि महाभारत के समाज की भौगोलिक सीमाएँ अधिक विस्तृत और सघर्ष-सकुल हैं। रामायणकालीन भारत के राजनीतिक मानचित्र में छोटे-छोटे राज्यों का बाहुल्य तथा किमी सार्वभौम सत्ता का अभाव पाया जाता है, तो महाभारत चौथी शताब्दी ई० पू० की राजनीतिक स्थिति की ओर इंगित करता है, जब पूर्वी भारत में जगन्ध का शक्तिशाली साम्राज्य मगध के अतिरिक्त अनेक राज्यों को अपने भीतर समेटे हुए था। यदि रामायणकालीन संस्कृति महाभारतकालीन संस्कृति की अपेक्षा अर्वाचीन है तो रामायण में महाभारत के सुप्रसिद्ध राज्यों का उल्लेख कैसे नहीं हुआ? रामायण क्योंकि इक्ष्वाकु-नृपतियों के गौरवशाली युग में रचित है और महाभारत के समय कोसल-राज्य को मगध-साम्राज्य ने उदरस्थ कर लिया था, इसलिए रामायण-काल निश्चय ही महाभारत-काल का पूर्ववर्ती है। रामायण की उत्तर-भारतीय आर्य-सभ्यता को महाभारत-काल के विस्तृत भारतवर्ष में व्याप्त होते-होते काफी समय लगा होगा। तब यवन, शक, हूण, चीन और अन्य विदेशी जातियाँ भारत के विभिन्न भागों में बस चुकी थीं। दुर्योधन के दरवार में क्षत्रियेतर म्लेच्छ,

१ हजारप्रसाद द्विवेदी—'संस्कृत के महाकाव्यों की परंपरा' ('आलोचना', अक्टूबर १९५१, पृ० १४)

२ जे० एन० समदर—'एकानामिक कडिशनस इन एन्डेंट इंडिया', पृ० ६८

यवन आदि राजा समादृत थे । दूसरी ओर रामायण में यवन आदि का उल्लेख केवल दो बार हुआ है (१।५।४।२१, २३) और उनका देश के राजनीतिक जीवन में नगण्य स्थान है ।^१

इसके अतिरिक्त, पाश्चात्य विद्वान महाभारत की अपेक्षा रामायण को परवर्ती सिद्ध करने में जो यह तर्क देते हैं कि महाभारत की विपम एव अव्यवस्थित सस्कृति ही कालांतर में रामायण की मर्यादित एव सुव्यवस्थित सस्कृति में परिणत हो गई, उसके मूल में उनका वह विकासवाद का सिद्धांत है, जिसके अनुसार मनुष्य उत्तरोत्तर सभ्य एव शिष्ट बनता जाता है । हमारा भारतीय दृष्टिकोण इसके विपरीत है । सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग का क्रम मनुष्य की उत्तरोत्तर ह्रासोन्मुखी प्रकृति का ही परिचायक है । रामायण की समुन्नत सस्कृति का महाभारत-काल में जाकर काल-क्रम से ह्रास हो गया । उस समय के आदर्श बाद में शिथिल पड़ गये । कहा श्री राम का परम एव उदात्त आचरण और कहा युधिष्ठिर का द्यूत आदि कर्मों में प्रवृत्त होना, कहा लक्ष्मण, भरत आदि का वह भ्रातृ-स्नेह और कहा युधिष्ठिर के प्रति भीम और अर्जुन द्वारा अपमान-सूचक शब्दों का प्रयोग, कहा राम और भरत की राज्य के प्रति अनिच्छा और कहा दुर्योधन की यह राज्य-लिप्सा—**सूच्यग्रं नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव** ! इस प्रकार दोनों कालों के सांस्कृतिक आदर्शों में महान अंतर है । वैवाहिक जीवन की दृष्टि से भी क्रमिक अवनति दीख पड़ती है । कहा सती-साध्वी सीता का पातिव्रत्य और श्री राम का एकपत्नी-व्रत और कहा सत्यवती और कुती की कुमारावस्था में ही सतानोत्पत्ति, पांडवों के बहु विवाह और द्रौपदी के पांच पति ! जब हनुमान सीता को राम के पास अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाना चाहते हैं, तब सीता पर-पुरुष-स्पर्श के भय से यह प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है । रावण-वध के अनंतर सीता को अपनी पवित्रता के प्रमाण-स्वरूप अग्नि-परीक्षा देनी पड़ती है । किंतु काम्यक-वन में जब जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करता है, तब पांडव उसके चरित्र के सबंध में कुछ भी सदेह नहीं करते । युद्ध के आदर्श भी गिर गए ।

१. नगेंद्रनाथ घोष—'दि रामायण एंड महाभारत, ए सोशियोलॉजिकल स्टडी'
(सर आशुतोष मुखर्जी सिल्वर जुबिली वाल्यूम, ओरिएंटलिया, भाग २,
पृ० ३६१)

रण-क्षेत्र में रावण के घायल हो जाने पर राम कहते हैं कि घायल का वध धर्म-विरुद्ध है, तो महाभारत में शस्त्र छोड़े हुए भीष्म और द्रोण का वध, रथ से उतरे हुए कर्ण का वध तथा सोते हुए धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपदी के पाचो पुत्रो का वध किया जाता है। राम-रावण या लक्ष्मण-मेघनाद के युद्ध में वह क्रोधोन्मत्त, धृणा-सूचक सलाप या प्रलाप नहीं पाया जाता, जो भीम और दुर्योधन, अर्जुन और कर्ण के बीच होता है। इस प्रकार जहा रामायण पूर्ववर्ती सत्ययुग की ज्ञाकी कराती है वहा महाभारत परवर्ती कलियुग के आगमन की सूचना देता है। रामायण मुख, शांति, समृद्धि और व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व करती है तो महाभारत प्रचंड सक्षोभ, विप्लवकारी परिवर्तन तथा सहारकारी युद्ध के युग का दिग्दर्शन कराता है।^१

: २ :

आर्य और अनार्य

यदि वाल्मीकियुगीन भारत का कोई व्यक्ति आधुनिक भारत में अकस्मात् प्रकट हो जाय, तो उसके विस्मय की सीमा न रहेगी कि हमारे इस प्राचीन देश में आज कितनी जातियाँ निवास करने लगी हैं। विशेष कर उसका ध्यान इस देश के विभिन्न मत-मतातरो तथा बोल-चाल की अनेक भाषाओं की ओर आकृष्ट होगा। उसका यह विस्मय का भाव सकारण ही है, क्योंकि उसके अपने समय में जातियों और भाषाओं की ऐसी अनेकता दृष्टिगोचर नहीं होती थी। तब तो स्थूल रूप से भारतवासियों के दो ही विभाग थे—एक आर्य और दूसरा अनार्य। हा, इन दोनों विभागों के भी कुछ उप-विभाग अवश्य थे, किंतु उनकी संख्या अधिक नहीं थी। जातियों और उप-जातियों के आज जो असंख्य भेद-प्रभेद दीख पड़ते हैं, उनकी तुलना में रामायण-काल की जातियों की संख्या कम ही जान पड़ेगी।

आर्यों और अनार्यों की सामाजिक व्यवस्था में अंतर था। जहाँ आर्यों का समाज वर्णाश्रम के साचे में ढला हुआ था, वहाँ अनार्यों का समाज जाति-रहित था। आर्यों का प्रभुत्व गंगा-सिंधु के प्रायः सारे मैदान पर फैला हुआ था, जबकि उसके दक्षिण में वन-ही-वन थे, जिनमें अनार्य-जातियाँ निवास करती थीं। आर्यों ने अपनी श्रेष्ठ सभ्यता और संस्कृति के बल पर धीरे-धीरे प्रायः सारे देश पर अधिकार कर लिया। अनार्य-जातियों में से कुछ ने आर्यों को सहयोग दिया और कुछ ने डटकर उनका विरोध किया। इन विरोधी जातियों को भी अंत में पूर्ण परास्त होकर आर्यों की प्रभुता स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा।

विध्य पर्वत के दक्षिण में निवास करनेवाली अनार्य-जातियों में से अधिकांश ने आर्यों के प्रभुत्व और उनकी संस्कृति को अंगीकार कर लिया, परंतु भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर तथा लका-द्वीप में एक खूबवार काली जाति निवास करती थी, जिसकी रीति-नीति आर्यों के आचार-विचार से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। इस जाति को आर्यों ने राक्षसों की संज्ञा दी। वेदों में यह नाम असभ्य, बर्बर और घृणित जातियों के लिए आया है। इसी राक्षस-जाति के विरुद्ध राम ने अभियान

किया था, जिसका विस्तृत शोषण वाल्मीकि ने अपनी रामायण में किया है। वाल्मीकि ने राक्षसों को ऋषि-मुनियों के आश्रमों का ध्वंस करनेवाले, वैदिक क्रिया-कलापों में विघ्न डालनेवाले, ब्राह्मणों के चिर शत्रु तथा स्वेच्छानुसार आकार बदलनेवाले निशाचरो के रूप में चित्रित किया है। उत्तर भारत के सस्कृत-भाषी आर्यों से राक्षसों का बराबर संघर्ष रहता था। पूर्व-महाभारतकालीन भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास में राक्षसों का महत्वपूर्ण स्थान था। उनकी सभ्यता महान और परिष्कृत थी, फिर भी वे अपनी स्वेच्छाचारिता, भोग-लिप्सा, दुष्टता और क्रूरता के कारण कुख्यात थे। खान-पान एवं यौन सबंधों में उनका आचरण निर्लज्ज और अमर्यादित था। नर-मांस-भक्षण भी उनके लिए वर्जित नहीं था।

राक्षसों के बाद रामायण में वानरों का उल्लेखनीय स्थान है। यह भी दक्षिण भारत की एक अनार्य-जाति थी, किंतु इसने आर्यों से सहयोग किया और उनकी धार्मिक क्रियाओं को भी स्वीकार किया। नस्ल, भाषा, वर्ण और आकृति में आर्यों से भिन्न होते हुए भी वानरों ने आर्य-संस्कृति को मुक्त हृदय से अपनाया। राक्षसों के विरुद्ध राम के अभियान में उनके सक्रिय सहयोग से यह प्रकट है। वाली और सुग्रीव वानरों के नेता थे। वास्तव में वानर-जाति विध्य-पर्वतमाला के दक्षिण में निवास करनेवाली एक वनचर जाति थी और उसे निरा बदर समझ लेना भूल है। उसके वानर कहलाने के दो कारण हो सकते हैं—रहन-सहन या आचार-विचार की दृष्टि से उसमें विचित्रता थी अथवा आर्य लोग उससे भली भाँति परिचित नहीं थे और एक पूँज्युक्त उछल-कूद मचानेवाली जाति को देखकर उसे वानर कहने लगे।^१ उसके यौन सबंध भी अनियमित होते थे।

राक्षसों और वानरों के अतिरिक्त तत्कालीन भारत में निपाद, गृध्र, शबर, यक्ष और नाग-जैसी अन्य अनार्य-जातियाँ भी निवास करती थीं। इनमें से निपाद-जाति कोसल-राज्य और गंगा के बीच के प्रदेश में रहती थी। गृह उसके मुखिया थे और श्रृगवेरपुर उनकी राजधानी थी। निपाद लोग अच्छे तीरदाज थे। जब भरत राम को लौटा लाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, तब मार्ग में निपादों ने एक बार उनका सामना करने की ठान ली थी।^२ नदी के समीप होने तथा पास के वनों

१ जे० म्युअर—'ओरिजिनल सस्कृत टेक्स्ट्स भाग २, पृ० ४१६-९

२ तिष्ठन्तु सर्वदाशाश्व गगामन्वीश्रिता नदीम् । देखिए २।८४।३-८

में लकड़ी बहुतायत से मिलने के कारण निषाद-स्वभाव के ~~राजकुमारों~~ और खेने में कुशल थे। गुह ने ही राम को एक सुखद नौका में गंगा-तीर पहुँचाने का प्रबंध किया था।^१ निषादराज कोसल-राजकुमार के आत्मसम-सखा (अभिन्न मित्र) थे और उन्होंने सीता-सहित राम-लक्ष्मण का हार्दिक स्वागत किया। राम ने भी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया।^२ तत्पश्चात् गुह ने राम को उत्तम-खाद्य-पदार्थ-भेंट किये, किंतु राम ने घोड़ों के लिए घास-दाने के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं किया, इसलिए नहीं कि उन्हें एक निषाद का भोजन ग्रहण करने में आपत्ति थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तपस्वी का व्रत ले रखा था और प्रतिग्रह (दान या उपहार) लेना उनके लिए निषिद्ध था—न हि वर्ते प्रतिग्रहे (२।५०।४३)। राजकुमार भरत ऐसे किसी व्रत से बंधे नहीं थे और उन्होंने गुह से अन्न-पान आदि सहर्ष स्वीकार कर लिया। इससे यह सिद्ध होता है कि आर्यों को इस वनवासी अनार्य-जाति का स्पर्श करने में अथवा उसका भोजन ग्रहण करने में आपत्ति नहीं थी।

कोसल-राज्य के पड़ोस के कारण निषाद-जाति आर्य-संस्कृति से विशेष प्रभावित हुई थी। कहा जाता है कि इन निषादों की संस्कृति उत्तर-पाषाण-युग की संस्कृति थी और किसी समय समस्त भारत की जन-संख्या में इन्हीं का बहुमत था, पर अन्य उन्नत जातियों की वेगवती लहरो ने इन्हें पीछे ढकेल दिया। फलतः निषाद आर्यावर्त की सीमावर्तिनी जाति-मात्र बनकर रह गए, जबकि वे नई जातियाँ ही भारतीय समाज का मूलाधार बन गईं।^३

प्राचीन भारत की कुछ घुमंतू जातियाँ अपने पर्यटनशील स्वभाव के कारण पक्षियों—गृध्रों या सुपर्णों—के नाम से संबोधित की जाती थी।^४ रामायण-काल में गृध्र-जाति भारत के पश्चिमी समुद्र-तट और उसके आसपास की पर्वत-श्रेणियों पर रहा करती थी। इस जाति के मुखिया सपाति और जटायु नाम के दो भाई थे,

१. अस्य वाहनसंयुक्तां कर्णग्राहवती शुभाम् । सुप्रतारां दृढां तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहर ॥ २।५२।८

२. सह सौमित्रिणा रामः समागच्छद् गुहेन सः । २।५०।३५

३. रमेशचंद्र मजूमदार—'हिस्ट्री आफ बंगाल', भाग २, पृ० ५५७

४. अविनाशचंद्र दास—'ऋग्वेदिक इंडिया', पृ० १४८

जिनकी मृत्यु के बाद गृध्रो का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया। इस जाति का रामायण में विस्तृत परिचय नहीं मिलता। हम केवल इतना जान पाते हैं कि जटायु महाराज दशरथ के सखा थे^१ और पचवटी में जब कभी राम और लक्ष्मण शिकार खेलने चले जाते, तब सीता की रखवाली का भार उन्हीं पर आ पड़ता था। रावण के चगुल से सीता को छुड़ाने के प्रयत्न में जटायु ने अपने प्राण तक गवा दिये थे। क्या आश्चर्य यदि राम ने अपने किसी निकट बधु की भाति उनका दाह-सस्कार किया हो—**ददाह रामो धर्मात्मा स्वबन्धुमिव द्रु खित (३।६८।३१)**। दक्षिण दिशा में सीता की खोज में गया हुआ वानर-दल जब हताश होकर समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, तब सपाति ने पर्वत-गुफा में से निकलकर जटायु के भाई के रूप में अपना परिचय दिया था। अपने दिवगत भाई के पितरों को सपाति ने जला-जलि भी अर्पित की थी,^२ जिससे सूचित होता है कि गृध्र-जाति ने आर्यों की धार्मिक रीतियों को अपना लिया था। जटायु ने राम के प्रति प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन किया था (३।१४।६-३३) और सपाति ने वानरो को पक्षियों के विविध भेद बताये थे (४।५८।२४-७)। इन वर्णनों के अध्ययन से प्रतीकवाद (टोटे-मिज्म) की उत्पत्ति तथा उसके भेदों के सवध में कुछ संकेत मिल सकते हैं।

राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते-करते शबरी नामक तपस्विनी के आश्रम में जा पहुँचे थे, जो संभवतः पपा-सरोवर के किनारे रहनेवाली शबर-जाति की स्त्री थी। इस जाति के लोग प्रायः बहेलिये और शिकारी हुआ करते थे। आधुनिक समय में शबरो का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में निवास करनेवाली इसी नाम की एक जाति करती है।^३ शबरी की कथा एक ऐसी अनार्य-जाति की कथा है, जो आर्यों की संस्कृति से पूर्णतया प्रभावित हो चुकी थी। इसकी पुष्टि शबरी के आश्रम तथा राम-लक्ष्मण के प्रति उसके अतिथि-सत्कार के वर्णनों से होती है। वाल्मीकि ने शबरी को 'श्रमणी' की सज्ञा दी है। पवित्र और सयत जीवन व्यतीत करनेवाली उस साध्वी तपस्विनी ने आर्यों के राजकुमार का कृपा-भाजन बनकर अपने को धन्य समझा (३।७४)।

१. उवाच वत्स मा विद्धि वयस्य पितुरात्मन । ३।१४।३

२. तत कृतोदक स्नात त गृध्र हरियूयपा । ४।६०।१

३. एस० वी० विश्वनाथ—'रेशियल सिथेसिस आफ हिंदू कल्चर', पृ० ८६



यक्ष-जाति राक्षसो की ही समकालीन थी, पर संख्या और प्रभाव की दृष्टि से उसका महत्व नगण्य था। यक्ष अपने असाधारण सौंदर्य और शारीरिक बल के लिए प्रसिद्ध थे। विकराल राक्षसी बनने से पहले ताटका एक सुंदर और शक्ति-शाली यक्षिणी थी (१।२५।७-८)। यक्ष और राक्षस सभवतः सजातीय थे। दोनों के बीच वैवाहिक संबंधों के भी उदाहरण मिलते हैं। यक्षों के राजा कुबेर रावण के सौतेले भाई थे और दोनों विश्रवा मुनि की मतान थे। किंतु रावण ने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर यक्षों के साथ शत्रुता ठान ली। लंका मूलतः कुबेर की राजधानी थी। प्रारंभ में ये दोनों जातियाँ दक्षिण भारत में निवास करती थीं, जहाँ से यक्षों को उनके क्रूर बधुओं ने धीरे-धीरे उत्तर की ओर खदेड़ दिया।^१ बाद के संस्कृत ग्रंथों में यक्षों को देव-योनि के अंतर्गत माना गया है।

यक्षों की एक और समकालीन जाति सर्प-चिह्नवाले नागों की थी।

चित्र १—यक्षिणी (पटना, मौर्य-काल, चौथी-तीसरी शताब्दी ई०पू०)

१. चिंतामण विनायक वैद्य—'द्वि रिडिल आफ दि रामायण', पृ० ९९

यह भी दक्षिण भारत में पनपी थी। नागों ने लका के कुछ भागों पर ही नहीं, वरन् प्राचीन मलाबार प्रदेश पर भी अधिकार जमा रखा था। स्पष्टतः यह एक समुद्री जाति थी। रामायण में सुरसा को नागों की माता और समुद्र को उनका अधिष्ठान बताया गया है।^१ महेन्द्र और मैनाक पर्वतों की गुफाओं में भी नाग निवास करते थे। हनुमान द्वारा समुद्र लाघने की घटना को नागों ने प्रत्यक्ष देखा था।^२ नागों की स्त्रियाँ अपनी सुदरता के लिए प्रसिद्ध थीं।^३ रावण ने कई नाग-कन्याओं का अपहरण किया था।^४ नागों की राजधानी भोगवती नगरी पर आक्रमण करके उसने वासुकि, तक्षक, शख और जटी नामक प्रमुख नागों को परास्त किया था।^५ कालांतर में नाग-जाति चेर-जाति में विलीन हो गई, जो ईस्वी सन के प्रारम्भ में प्रभुत्व-संपन्न हुई थी।^६

जहाँ तक असुरों का प्रश्न है, रामायण में उनको और राक्षसों को पृथक्-पृथक् माना गया है, यद्यपि बाद के पुराणों में दोनों की एक ही जाति बताया गया है। असुरों की माता का नाम दिति था, जो देवों की माता अदिति की सौत थी। असुर लोग ऋषि-मुनियों के द्वेषी, मास-भक्षी और ब्रह्म-हत्यारे थे। वातापि और इल्वल उनके मुखिया थे, जो अगस्त्य के हाथों मारे गए (३।११)। दडकारण्य के ऋषियों ने असुरों को मारने के लिए राम से प्रार्थना की थी।^७ वाल्मीकि ने असुरों को पाताल के निवासी और अधर्म के पोषक के रूप में अंकित किया है।^८

१. सुरसां नागमातरम् । ५।१।१३७; भुजगा सागरंगमा । ५।१।७३
२. नागाश्च तुष्टुवु . . प्रेक्ष्य सर्वे कपिवर सहसा विगतबलम् । ५।१।८४
३. नागकन्या वरारोहा. पूर्णचन्द्रनिभानना. । दृष्ट्वा हनुमता तत्र . . . ॥ ५।१।२१
४. प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्धृता । ५।१।१२
५. देखिए ७।२।३।५; ६।७।९; ३।३।१४
६. वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार—'साउथ इंडिया इन दि रामायण' (सप्तम ओरिएण्टल कान्फरेंस का विवरण, १९३३)
७. वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह । ऋषयोऽभ्यागमन्सर्वे वधाया-सुररक्षसाम् ॥ १।१।४३-४
८. त्वमिहासुरसघाना देवराज्ञा महात्मना । पातालनिलयाना हि परिघ. सनि-वेक्षित ॥ ५।१।९२; अधर्मो रक्षसा पक्षो ह्यसुराणा च राक्षस । ४।३।५।१३

देवों और राक्षसों-दोनों से असुरों की अनबन रहती थी। दशरथ ने एक बार दंड-कारण्य में जाकर-असुरों पर धावा बोला था, जिसमें अपने प्राण बचाने के लिए उन्होंने कैंकेयी को दो-वर दिये थे (२।१।११-७)। जब हनुमान के मारने पर रावण अचेत होकर गिर पड़ा, तब असुर बड़े प्रसन्न हुए थे।^१ देवों के सौतेले भाई होने के कारण असुर भी आर्य-श्रेणी में गिने जा सकते हैं।

उपर्युक्त जातियों के अतिरिक्त रामायण में देवों, गंधर्वों, चारणों, सिद्धों, किन्नरों और अप्सराओं की भी चर्चा आती है। जब कभी कवि-किसी आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए इकट्ठे हुए जन-समूह का आभास कराना चाहता है, तब वह इन जातियों का सामूहिक रूप से उल्लेख करता है। देवों को जहाँ स्वर्ग के देवता माना गया है, वहाँ वे पृथ्वी पर रहते हुए तथा पार्थिव रमणियों के प्रति आकृष्ट होते हुए भी पाये जाते हैं। आर्यों के यज्ञों में देवों का एक भाग नियत रहता था। राक्षस उनके चिर शत्रु थे और वे प्रायः राक्षसों के विनाश का उपाय ढूँढने में ही व्यस्त दीख पड़ते हैं।



चित्र २—गंधर्व (शितलनवाशल गुहा-मंदिर का एक भित्ति-चित्र, पल्लव, सातवीं शताब्दी ई०)

गंधर्व लोग अलौकिक संगीतज्ञों के रूप में समादत थे। गंधर्वों के गीतों,

१. विसंज्ञ रावणं दृष्ट्वा समरे भीमविक्रमम् । ऋषयो वानराश्चैव नेदु-
द्वैवाश्च सासुराः ॥ ६।५९।११५-६

अप्सराओ के नृत्यो और पुष्पो की वृष्टि के बिना किमी भी ममारोह का वर्णन कवि की दृष्टि में मानो मभव ही नहीं। किञ्चर एक स्त्रैण जाति थी, जो सदा शृंगारिक गीतो और क्रीडाओ मे मग्न रहती थी। सिद्धो और चारणो को वाल्मीकि ने अतरिक्ष के निवासी बताया है, जो वीरतापूर्ण कृत्यो के सपादन पर प्रशसा की बौछार किया करते थे।

रामायण मे अप्सराओ का बारबार उल्लेख आता है। सच पूछा जाय तो वे गणिकाओ या वारागनाओ से भिन्न नहीं थी और प्रतीत होता है, उनके सौंदर्य एव विशिष्ट आकर्षणो के कारण समाज उन्हें स्वर्ग की मुदरिया समझने लगा। पौराणिक दृष्टि से अप्सराओ की उत्पत्ति समुद्र-मथन से हुई, पर यह उल्लेखनीय है कि उनको न देव और न दानव ही पत्नी-रूप में ग्रहण करने को तैयार हुए, जिससे वे साधारणा' (सबके लिए सुलभ) स्त्रिया बन गई—

न ता स्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवा ।

अप्रतिग्रहणादेव ता वै साधारणा स्मृता ॥१४५॥३५

रावण द्वारा अनेक अप्सराओ के उपभोग का वर्णन आता है। कही कोई

अप्सरा एकाधिक देवो के प्रति अनुरक्त पाई जाती है तो कही कोई देव एकाधिक अप्सराओ का प्रेम पाने को व्याकुल दिखाई पडता है।^१ अप्सराओ की वेश्या-वृत्ति रभा-रावण-प्रमग से भी सिद्ध होती है, जिसमे रावण कहता है कि अप्सराओ के कोई पति नहीं होता—पति-रप्सरसां नास्ति (७।२६।४०)। पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब कोई शूरवीर युद्ध-क्षेत्र मे प्राण त्याग कर इद्रलोक पहुचता, तब



चित्र ३—नृत्यशील अप्सरा (शितल-वाशल गुहा-मंदिर का एक भित्ति-चित्र, पल्लव, सातवीं शताब्दी ई०)

१. उदाहरणार्थ, मित्र की तृप्ति के लिए जाती हुई उर्वशी से वरुण प्रणय-याचना करते हैं (७।५६।१५-६); सुराणा न चैकस्त्रीपरिग्रह । ७।२६।४०

अप्सराए उसका स्वागत एव मनोरजन करती थी ।^१ ऋषि-मुनियों के समय को भग करने के लिए वे पृथ्वी पर भी उतरती थी और उन्हे अनवरत तपस्या से होनेवाले पुण्य से वचित कर देती थी । अप्सराए नृत्य-गान में विशेष दक्ष होती थी, जिनके बल पर वे ससारी प्राणियों के चित्त को लुभाया करती थी ।

१. रूपयौवनदृप्तानां दक्षिणानां च मानद । नूनमप्सरसामार्यं चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥ ४।२०।१३; न ह्येष उच्चावचताम्रचूडा विचित्रवेषा-प्सरसोऽभजिष्यत् । ४।२४।३४

राक्षस

वाल्मीकि ने मुख्यत उत्तरी भारत की आर्य-सभ्यता का चित्रण किया है। प्रसंगवश उन्होंने ऐसी अन्य जातियों की सस्कृति पर भी प्रकाश डाला है, जिनके सपर्क में आर्य लोग दक्षिण की ओर बढ़ते समय आये थे। ये जातियाँ धन-वैभव में बढ़ी-चढ़ी होने पर भी वास्तव में भारत की आदिम जातियाँ थी, जो आर्यों का सह-योग अथवा विरोध करने के कारण दिव्य अथवा दुष्ट योनियाँ बन गईं।^१ इन्हें भारत की मूल द्रविड जातियाँ माना जा सकता है, जिन्होंने अपने पृथक राज्य स्थापित कर लिये और जिनकी अपनी पृथक सस्कृति और राज्य-व्यवस्था थी। इन जातियों में मुख्य रूप से उल्लेखनीय राक्षस और वानर हैं। इनके अतिरिक्त आघ्र, पुड्र, चोल, पाड्य और केरल-जैसे राज्यों का भी उल्लेख आता है (४।४।१२), पर इनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, जिसका कारण संभवतः यह था कि कविलका जानेवाले एक मार्ग-विशेष का वर्णन कर रहा था और इसलिए इन राज्यों की विस्तार से चर्चा करने का उसे अवसर ही नहीं था।^२

राजनीतिक दृष्टि से वाल्मीकि-रामायण में राक्षसों और आर्यों के पारस्परिक सघर्ष का सर्वप्रथम विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इस नाते उसमें राक्षसी सभ्यता का भी अपेक्षाकृत विस्तार से वर्णन आ गया है। यो तो महाभारत और पुराणों में भी राक्षसों का उल्लेख हुआ है, किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से वह विशेष महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि उनके समय में राक्षसों की शक्ति अस्तोन्मुख अथवा लुप्तप्राय हो चुकी थी। यह तो रामायण का ही युग था, जिसमें राक्षसों की चरम उन्नति और चरम अवनति दोनों लक्षित होती हैं और इसीलिए वाल्मीकि-कृत राक्षसों के वर्णन का अपना विशेष महत्व है।

१. चिंतामण विनायक वैद्य—'दि रिडिल आफ दि रामायण', पृ० ९४

२. वी० आर० रामचंद्र दीक्षितार—'साउथ इंडिया इन दि रामायण' (सप्तम् ओरिएंटल कान्फरेंस का विवरण, १९३३)

रामायण में राक्षसों की तीन शाखाओं का स्पष्ट रूप से पता चलता है, जिनमें प्रत्येक का अपना अलग वंश था, यद्यपि ये सभी राक्षसों के सामान्य नाम से जानी-पहचानी जाती थी। इनमें से पहली विराध-शाखा थी, जो दडकारण्य के उत्तरी भाग में रहती थी। इस शाखा का मुखिया विराध नामक राक्षस था, जिसके कथनानुसार जब और शतहृदा उसके पूर्वज थे। विराध की आकृति बड़ी भयानक थी। राम-लक्ष्मण के हाथों उसका वध हुआ था (३।२-३)। राक्षसों की दूसरी शाखा दनु की सतति होने के कारण दानवों के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस शाखा का प्रतिनिधि कवच राक्षस था। उसकी आकृति बड़ी विचित्र थी, उसके भुजपाश में आनेवाला प्रत्येक प्राणी उसका आहार बन जाता था। उसकी मृत्यु होने पर लक्ष्मण ने उसका शव एक गड्ढे में डालकर जला दिया था (३।६९-७२)। रावण ने दानवों के कई सरदारों का वध किया था (हन्तारं दानवेन्द्राणाम्)। राक्षसों की इन दो शाखाओं के बारे में, उनके अंतिम सस्कारों के अतिरिक्त, और कोई जानकारी नहीं दी गई है। तीसरी शाखा, जो 'राक्षस' अथवा 'रक्ष' के नाम से विख्यात थी, सबसे अधिक क्रूर और शक्तिशाली थी। उसके अंतर्गत लका के निवासी गिने जाते थे, जो पुलस्त्य और दिति के वंशज रावण के अधीन थे। लका के राक्षसों का वाल्मीकि ने, विशेषतः सुदरकांड में, विस्तार से वर्णन किया है, जिसके अध्ययन से उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विविध पक्षों का स्पष्ट परिचय मिल सकता है।

उत्तरकांड (सर्ग ४-११) में महर्षि अगस्त्य ने राक्षसों की उत्पत्ति और उनके विस्तार का इस प्रकार वर्णन किया है—प्रजापति ब्रह्मा ने जल की सृष्टि करके उसकी रक्षा के लिए प्राणियों को उत्पत्ति की। इनमें से कुछ, जो धुधा-पीडित थे, बोले उठे—“हम रक्षा करेंगे” (रक्षाम), और दूसरे, जो भूखे नहीं थे, बोले—“हम यज्ञ करेंगे” (यक्षाम)। ब्रह्मा ने इन दोनों प्रकार के प्राणियों को क्रमशः राक्षस और यक्ष की सजा दी।

राक्षसों के वंश में विद्युत्केश नामक एक यशस्वी राजा हुआ, जिसने सव्या की पुत्री सालकटकटा से विवाह किया। उसके सुकेश नामक एक पुत्र हुआ, जिसके पैदा होते ही कामोन्मत्त सालकटकटा ने उसे त्याग दिया। शिव-पार्वती ने कृपापूर्वक सुकेश की रक्षा की तथा उसे दीर्घ जीवन और एक आकाशगामी विमान प्रदान किया। सुकेश के तीन पुत्र हुए—माल्यवान, मुमाली और माली। बड़े होकर ये तीनों क्रूर और दुर्धर्म वीर निकले। उन्होंने मुरों और अमुरों दोनों को परास्त करके

भगा दिया। फिर वे अपने साथियों को लेकर लका के दुर्भेद्य दुर्ग में जा बसे। राक्षसों के उत्पात से पीड़ित होकर देवों ने विष्णु से सहायता की याचना की। विष्णु ने राक्षसों को मार भगाया। तब वे अपनी स्त्रियों और अपने अनुयायियों-सहित लका छोड़कर रसातल में सालकटकटा-जाति के बीच बस गए।

कुछ समय बाद सुमाली रसातल छोड़कर भारत के मैदानी भाग में आया, जहाँ उसकी पुत्री कैकसी ने सायकाल की वेला में विश्रवा मुनि से सतान की याचना की। तत्पश्चात् कैकसी ने काजल-जैसे काले रावण, विशालकाय कुभकर्ण, विकराल शूर्पणखा और धर्मात्मा विभीषण को जन्म दिया। रावण और कुभकर्ण बचपन से ही अत्याचारी थे, पर विभीषण सदा धर्म में स्थित रहते, स्वाध्याय करते और सयमित जीवन व्यतीत करते थे। रावण ने दीर्घ समय तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे अजेय होने का वर प्रदान किया। अपने नाना सुमाली से उकसाये जाने पर रावण ने कुबेर को लका छोड़ने के लिए विवश कर दिया और तब से लका राक्षस-साम्राज्य की राजधानी बन गई। रावण के शासन-काल में राक्षसों ने अपनी पाशविक शक्ति और प्रचुर साधनों के बल पर भारतीय प्रायद्वीप के समुद्री भागों पर अधिकार स्थापित कर लिया।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लका-विजय से पहले राक्षसों के राजनीतिक इतिहास में कई उतार-चढ़ाव आ चुके थे। उनकी उत्पत्ति के पौराणिक वर्णन से यह अनुमान होता है कि वे समुद्र-तट के निवासी और जलीय प्रदेशों के सरक्षक थे। यक्षों की तुलना में वे पेटू और अभक्ष्यभक्षी थे। उनका प्रधान निवास-स्थान भारत का दक्षिणी समुद्री किनारा और लका-द्वीप था। इस जाति के कुछ अवशेष आज भी अडमान, वॉनियो, सुद तथा भारतीय महासागर के अन्य द्वीपों में पाये जाते हैं। यह भी उल्लेख्य है कि रावण मातृ-पक्ष की ओर से सालकटकटा के वंश में उत्पन्न हुआ था। श्री चिंतामण विनायक वैद्य के अनुसार इस नाम में निस्सदेह एक आदिवासीपन झलकता है और यह माना जा सकता है कि इस नाम की एक नर-भक्षक जाति राम से पूर्व ही लका में रहती थी।^{१*}

लका-दुर्ग को हस्तगत करके रावण त्रैलोक्य-विजय की महत्वाकांक्षा से अपनी सेना लेकर निकल पड़ा और उसने भूमंडल के ममस्त ज्ञात भागों में लूटमार

का भयकर आतक मचा दिया । एक अजेय धनुर्धर के रूप में उसका सर्वत्र लोहा माना जाने लगा । एक नगर से दूसरे नगर को वह कूच करता और वहा के राजाओं को चुनौती देता कि या तो मुझसे लड़ाई मोल लो या अपनी हार स्वीकार करो—

युद्धं मे दीयतामिति

निर्जिताः स्मेति वा ब्रूत । ७।१९।२

रावण ने अपने साम्राज्यवादी अभियान का आरम्भ यक्षों पर प्रबल आक्रमण करके किया । उन्हें जीतकर उसने कुबेर को दृढ़-युद्ध में परास्त किया और युद्ध की लूट के रूप में उनका विख्यात पुष्पक-विमान छीन लिया । मनुष्य-लोक को अधीन करके रावण ने यमपुरी पर आक्रमण किया और फिर रसातल की ओर अपना विमान मोड़कर वह समुद्र के ऊपर से निकला । मार्ग में उसने वासुकि की राजधानी भोगवती को सर किया । तत्पश्चात् वह निवातकवच की मणिन्मयी में पहुँचा, किन्तु प्रारम्भिक युद्ध के बाद, ब्रह्मा के हस्तक्षेप करने पर, उसने उससे सधि कर ली । फिर कालिय दैत्य के अम्ननगर में पहुँचकर उसे अपने अधीन किया । अतः वह अपना विमान क्षीरसागर के तट पर स्थित वरुणालय पर ले गया । वरुण-पुत्रों को पराजित कर वह उसी मार्ग से लका लौट गया जिससे वह आया था । पाताल-लोक पर रावण का यह धुआधार हमला शीघ्रता, आकस्मिकता और प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से एक आधुनिक हवाई आक्रमण के समान जान पड़ता है ।

इसके बाद रावण ने इन्द्रलोक जीतने की ठानी । अपने बहनोई मधु के साथ उसने सुरलोक पर धावा बोला । देवों और राक्षसों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ । रावण के पुत्र मेघनाद ने छद्म युद्ध करके देव-सेना में भीषण आतक मचा दिया और देवराज इन्द्र की धरपकड़ कर ली । इस घटना से रावण का नाम समस्त भूमंडल पर भय-मिश्रित आदर के साथ लिया जाने लगा । ब्रह्मा के बीच-बचाव करने पर ही देवराज मुक्त हो सके ।

अनार्यों में वानरराज वाली एक-मात्र ऐसा व्यक्ति था, जिसने साम्राज्यवादी रावण का सफलता से मुकाबला किया । कहते हैं कि वाली ने रावण को अपनी बगल में दबोचकर पशु की भाँति चारों समुद्रों तक घुमाया था (येनाह पशुवद्गृह्य भ्रमित-श्चतुरोर्णवान्, ७।३४।४०) । रावण ने अपने प्रतिद्वंद्वी का लोहा मानकर उससे सधि कर ली । अतएव राम के समक्ष वाली की यह दर्पोक्ति उचित ही थी कि यदि

आपने मुझसे पहले कहा होता तो मैं आपकी भार्या का अपहरण करनेवाले, उस दुरात्मा राक्षस के गले में रस्सी बांधकर उसे ले आता।^१ वस्तुतः वाली के अकुश से ही दक्षिण में रावण की साम्राज्य-लिप्सा-नियंत्रित रह सकी थी।

राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण राक्षसों और आर्यों का संघर्ष था। सुप्रसिद्ध राम-रावण-युद्ध से पहले भी इन दोनों जातियों के बीच संघर्ष की अनेक घटनाएँ हो चुकी थीं। रसातल-विजय के बाद रावण ने पंचवटी के समीप जनस्थान में अपनी उत्तरी सैनिक-चौकी स्थापित की, जहाँ उसने खर-दूषण के सेनापतित्व में चौदह हजार राक्षसों की सेना रख छोड़ी थी। यहाँ से ये लोग गंगा-यमुना के मैदान तक धावा बोला करते थे। उत्तरी भारत के कुछ भागों पर राक्षसों ने आधिपत्य भी जमा रखा था। रावण का भतीजा लवणासुर यमुना पर स्थित मधुपुरी (मथुरा) नगरी का शासक था। ताटका और उसके पुत्र मारीच ने, जो रावण के ही सबधी थे, सोन और गंगा नदियों के बीच के प्रदेश पर अधिकार कर रखा था, जो उन दिनों 'मलद' और 'करूष' के नाम से ख्यात था। विश्वामित्र के आश्रम में राक्षस लोग उत्पात मचाकर उनका यज्ञ-समारंभ भंग कर दिया करते थे। बलि को पराजित करने के सकल्प से वामन ने सिद्धाश्रम में तपस्या की थी। ये दोनों आश्रम गंगा के उत्तर में अयोध्या और मिथिला के मार्ग में पड़ते थे। इससे स्पष्ट है कि राक्षस उत्तरी भारत में कितनी दूर-दूर तक अपना आतंक फैलाया करते थे। आर्यावर्त के राजाओं को भी रावण ने नहीं छोड़ा। उसका आक्रमण महमूद गजनी और महमूद गोरी के हमलों के समान था, जिनके सामने उत्तर भारत के हिंदू राजा एक-एक करके धराशायी होते गए। केवल माहिष्मती-नरेश कार्तवीर्य अर्जुन के आगे रावण को मुह की खानी पड़ी। सधि करके उन्हें रावण ने अपने पक्ष में मिला लिया। अन्य सभी आर्य-नृपति—दुष्यंत, सुरथ, गाधि, गय और पुरुरवा—लकेश के समुख नतमस्तक थे। अयोध्या पर भी रावण ने दो बार आक्रमण किया—एक बार अनरण्य के शासन-काल में और दुबारा माघाता के राज्य-काल में। अनरण्य रावण के हाथों काम आये और माघाता ने राक्षसराज से सधि कर ली। स्वयं दशरथ ने यह स्वीकार किया था कि मैं रावण का युद्ध में सामना करने में असमर्थ हूँ—न हि शक्तोऽस्मि

१. मामेव यदि पूर्वं त्वमेतदर्थमचोदय । . राक्षसं च दुरात्मान तव भार्या-पहारिणम् । कण्ठ बद्ध्वा प्रदद्या ते निहत रावण रणे ॥४॥१७॥४९-५०

संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः (१।२०।२०)। इस प्रकार आर्य-प्रभुत्व का गौरवशाली सूर्य रावण के पशु-बल के समक्ष अस्तप्राय हो चुका था। वाल्मीकि कहते हैं कि 'रावण को आते देखकर सूर्य अपनी उष्णता कम कर देता, पवन वेग से नहीं चलता, समुद्र गर्जन-तर्जन रोक देता, नदियाँ धीरे-धीरे बहने लगतीं और पर्वत अपनी कठोरता भूल जाते—रावण की उपस्थिति में समस्त प्रकृति भय के मारे कुठित-सी हो जाती थी।' किसी व्यक्ति के आतंक का इससे बढ़कर वर्णन और क्या हो सकता है।

राक्षसों और आर्यों की इस शत्रुता का प्रधान कारण उनका एक-दूसरे के क्षेत्रों में घुसने का प्रयास था। जहाँ राक्षस अपना राजनीतिक प्रभाव आर्यों के प्रदेशों पर फैलाना चाहते थे, वहाँ आर्य भी दक्षिण भारत में अपना विस्तार करने पर तुले हुए थे। दक्षिण की ओर आर्यों के प्रसार में एक बड़ी बाधा दुर्गम विंध्य-पर्वतमाला थी। उसे पार करने का श्रेय अगस्त्य मुनि को मिला, जो दक्षिण में आर्यों की बस्तियाँ स्थापित करने में अग्रगामी थे। विंध्य के बीहड़ वनों में होते हुए वह दक्षिण में दूर तक चले गए, जनस्थान के निकट गोदावरी के ऊपरी तटों के पास, दडकारण्य में, उन्होंने आर्यों के एक आश्रम-मंडल की स्थापना की। अगस्त्य एक तपस्वी होने के साथ-साथ शस्त्रास्त्रों से सपन्न भी थे, उन्होंने स्वयं राक्षसों से मोर्चा लिया और दक्षिण-प्रदेश को निशाचरों के आतंक से मुक्त कर दिया।^१ अगस्त्य का अनुसरण करके अनेक ऋषि-मुनि दक्षिण में जाकर बस गए और राम के समय में, गोदावरी के उत्तर में, आर्यों के अनेक समृद्धिशाली आश्रम बने हुए थे। ये आश्रम एक प्रकार से दक्षिण में आर्य-प्रसार के अग्रिम सनिवेश ही थे।

यो तो आर्यों और राक्षसों के बीच छुटपुट झगड़े देश के कई भागों में होते रहते थे, पर गोदावरी नदी के स्रोत के निकटवाला प्रदेश, जहाँ आर्यों की बस्ती दडकारण्य और राक्षसों की चौकी जनस्थान पास-पास थी, उनके आपसी संघर्ष का प्रमुख रगमच था। महाराज दशरथ भी कई बार इस मोर्चे पर लड़ने गए थे। मदाकिनी (चित्रकूट) से लेकर पपा तक के प्रदेश में राक्षसों ने भीषण उत्पात मचा रखा था।^२

१. निगूह्य तरसा मृत्युं लोकानां हितकाम्यया । दक्षिणा दिक्कृता येन शरण्या पुण्यकर्मणा ॥३।१।१८१

२. पम्पानदीनिवासानामनुमन्दाकिनीमपि । चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनं महत् ॥३।६।१७

इंद्र की पराजय के बाद राक्षसों से जूझने का जो उत्तरदायित्व अगस्त्य पर आ पड़ा, उसे उन्होंने भारत के राजनीतिक गगन में राम के आविर्भाव के बाद इन्हींको सौंप दिया, और इसमें कोई मदेह नहीं कि राक्षसों से लोहा लेनेवालों में राम अपने युग के सर्वश्रेष्ठ आर्य-योद्धा थे। वचपन से ही उन्होंने अपने बल-वीर्य और शस्त्रास्त्रों का उपयोग राक्षसी आक्रमणों में आर्य-ऋषियों की रक्षा करने में किया, जैसा कि सोलह वर्ष की आयु में उनके विश्वामित्र की यज्ञ-रक्षार्थ जाने में प्रकट है। अपने वन-वास-काल में जब राम ने दंडकारण्य में प्रवेश किया, तब राक्षसों से त्रस्त ब्रह्म के ब्राह्मणों और ऋषि-मुनियों ने उनके आगमन का एक वरदान के रूप में स्वागत किया। राम के साथ रावण के युद्ध का प्रत्यक्ष कारण लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा का विस्फीकरण था, जिसमें रावण द्वारा सीता के अपहरण ने मानो आग में घी का काम किया। वास्तव में यह युद्ध आर्यों और राक्षसों की चिरकालीन शत्रुता की चरम परिणति था, और लका-युद्ध में रावण के वध के बाद भारत की राजनीति में राक्षसों का महत्व सदा के लिए मिट गया।

राक्षसों के रूप-रंग के बारे में हमारे बीच परंपरा से एक विचित्र धारणा प्रचलित रही है, जिसका वर्णन इतिहास-पुराणों में भी पाया जाता है। उसके अनुसार राक्षस लोग काली-मोटी देह, बिखरे बाल, लपलपाती जीभ, पर्वताकार डीलडौल, अगारों के समान आखें, तीखे नख और रोए, टेढ़े-मेढ़े दात, डरावनी आगे की ओर निकली हुई ठोड़ी, फैला हुआ मुह आदि विशेषताओंवाले विकराल प्राणी होते थे। कुछ राक्षसों के अग-प्रत्यग कवच की तरह विकृत होते थे—मस्तक-रहित घड, छाती में एक आख, पेट में एक भयकर मुह और दो लंबी फैली हुई भुजाएँ (३।६९।२६-३२)। राक्षसी स्त्रियों की विकरालता भी ऐसी ही रोगटे खड़े कर देनेवाली थी। ताटका एक बड़े भयानक आकार-प्रकार की स्त्री थी। अयोमुखी कुरूप मुह, लंबे पेट, तीखे दात और सूखी त्वचावाली महाकाय राक्षसी थी। रावण ने सीता को डराने के लिए उनके चारों ओर भयानक राक्षसिया तैनात कर रखी थी।

किंतु रामायण में ऐसे स्थल अपेक्षाकृत कम ही हैं, जिनमें राक्षसों की विकरालता या कुरूपता का आग्रह किया गया हो, अन्यथा वे प्रायः सामान्य मनुष्यों की तरह ही चित्रित किये गए हैं। राक्षसों को भयानक या विकराल सभवतः इसलिए बताया गया कि वे आर्य-जाति के जन्मजात और वंशगत शत्रु थे। ग्रिफिथ

महोदय के अनुसार 'रामायणकार ने राक्षसों का संबोधन एक विरोधी और घृणास्पद जाति के लिए किया है और यह नाम विशुद्ध ऐतिहासिक न होकर मात्र घृणा का सूचक है, ससार की सभी जातियों की पौराणिक कथाओं में दैत्य और पिशाच भयानक और अप्राकृतिक रूपवाले वर्णित किये गए हैं।' सीता पर पहरा देनेवाली विकराल राक्षसियों के वर्णन से यह सूचित होता है कि रावण ने अपने यहाँ कुरूप आकृतिवाली स्त्रियाँ रख छोड़ी थी।^१ ऐसी भद्दी औरतों से लगातार घिरे रहने के कारण बेचारी सीता के मन पर उनका आतक जम गया होगा। अतः कोई आश्चर्य नहीं यदि आगे चलकर राक्षसों और राक्षसियों की कुरूपता के बारे में एक अतिशयोक्तिपूर्ण धारणा प्रचलित हो गई हो।

इतना तो निश्चित है कि राक्षस-जाति के लोग बड़े बलशाली, कद में ऊँचे और भारी-भरकम शरीरवाले होते थे। उनका रूप-रंग अवश्य ही काला-कलूटा रहा होगा, जैसा कि आज भी दक्षिण भारत के अधिकांश निवासियों का पाया जाता है। वाल्मीकि ने अनेक स्थलों पर आर्यों के गौरवर्ण की तुलना में राक्षसों के कृष्ण वर्ण का उपमापूर्ण वर्णन किया है।^२ फिर भी सभी राक्षस भद्दे या कुरूप नहीं थे। उनके अग-प्रत्यग नियमित और सुदर-सुडौल भी होते थे। रात्रि के समय लका में विचरण करते हुए हनुमान को मुरूप और कुरूप दोनों प्रकार के नर-नारी दिखाई पड़े थे (विरूपान् बहुरूपाश्च सुरूपाश्च सुवर्चसः, ५।२।२०)। रावण की पटरानी मदोदरी एक 'चारुरूपिणी, गौरी, कनकवर्णा' सुदरी थी (५।१०।५२), जिसकी ओर हनुमान का ध्यान हठात आकृष्ट हो गया था। स्वयं रावण का व्यक्तित्व बड़ा भव्य और सुदर था (६।११।३४-६)।

राक्षसों के सामान्य मनुष्य होने का प्रमाण युद्धकांड में मिलता है, जहाँ राम वानरो से कहते हैं कि तुम लोगों में से कोई भी मनुष्य का रूप धारण करके

१. इसी प्रकार कैकेयी के महल में भी विरूप, कुबड़ी और नाटी स्त्रियाँ रखी गई थी—कुब्जावामनिकायुतम् । २।१०।१३

२. उदाहरणार्थ—सा हेमवर्णा नीलांग मैथिली राक्षसाधिपम् । शुशुभे काञ्चनी काञ्ची नील गजमिवाश्रिता ॥३।५२।२३; अर्थात् सोने के समान रंगवाली सीता काले-कलूटे रावण को वैसे ही सुशोभित कर रही थीं, जैसे काले हाथी को सोने की करधनी।

न लड़े, जिससे हमारे पक्ष में (मैं, लक्ष्मण तथा विभीषण और उनके चार अनुयायी इन्हें मिलाकर) कुल सात मनुष्य होंगे और तुम इनके अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य को निःशक होकर मृत्यु के घाट उतार सकते हो।^१ इससे यह ध्वनित होता है कि विभीषण और उनके समान रावण की ओर के सभी राक्षस मनुष्य-रूप थे। हनुमान का रावण की राक्षसी पत्नी मदोदरी को सीता-समझ लेना इस बात को प्रमाण है कि राक्षसों और सामान्य मनुष्यों की आकृतियों में कोई अंतर नहीं था।

जन-मानस और कला के क्षेत्र में रावण के विषय में यह धारणा रूढ़ हो गई है कि वह 'दशानन' (दस मुहवाला), 'दशशीर्ष' (दस सिरोवाला), 'दशग्रीव' (दस गर्दनवाला) तथा 'विंशतिभुज' (बीस भुजाओवाला) एक विचित्र व्यक्ति था। प्रस्तर-कला के प्राचीन नमूनों में रावण के अनेक सिर और हाथ प्रदर्शित किये गए हैं। दस मुहवाला कोई भी विकृत मानव-चित्र रावण मान लिया जाता है। यद्यपि वाल्मीकि-रामायण में (उत्तरकांड को छोड़कर) कुछ स्थलों पर रावण के इस विकृत स्वरूप की पुष्टि होती है, तथापि अनेकानेक स्थलों पर इसका विरोध भी मिलता है, और वह एक सिर, एक गर्दन, दो हाथ और दो आखोवाले सामान्य मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है।

जब हनुमान ने रावण को लका में पहले-पहल देखा, तब वह अपने अंतपुर में सोया हुआ था। रावण की दोनों भुजाएँ इद्रध्वज के समान फैली हुई थीं। हनुमान को रावण का एक ही बड़ा मुह और एक ही बड़ा चेहरा दिखाई दिया। इस वर्णन में वाल्मीकि ने भुजाओं के लिए द्विवचन तथा मुह के लिए एकवचन प्रयुक्त किया है।^२ राक्षसों के सबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि वे सोते समय और मरने के बाद अपने असली रूप में आ जाते हैं। क्योंकि हनुमान ने रावण को सोते हुए पाया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि रावण ने इस समय कोई छद्म रूप धारण कर लिया था।

-
१. न चैव मानुष रूप कार्यं हरिभिराहवे । वयं तु मानुषेणैव सप्त योत्स्यामहे परान् ॥ अहमेव सह स्यात्रा लक्ष्मणेन महौजसा । आत्मना पचमश्चायं सखा मम विभीषण. ॥६।३७।३३-५
 २. विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ । ५।१०।१५; तस्य राक्षसराजस्य निश्चक्राम महामुखात् । ५।१०।२४; कुण्डलोज्ज्वलिताननम् । ५।१०।२५

उक्त स्थल की टीका करते हुए तिलक टीकाकार ~~ने लिखा है~~ कि क्योंकि यहा कवि रावण की दो भुजाओ का उल्लेख करता है, अत यह समझना चाहिए कि युद्ध के समय वह दस सिर और बीस भुजाए धारण कर लेता था ।^१ किंतु हम देखेंगे कि इसका प्रमाण भी प्राय नही मिलता ।

रावण के अनुचित प्रेम-प्रस्ताव करने पर सीता ने उसकी भर्त्सना करते हुए कहा था—“अनार्य, मुझ पर दृष्टि डालते हुए तेरी ये दोनो क्रूर और विकारयुक्त काली-पीली आखें निकलकर पृथ्वी पर क्यों नही गिर पडती ?”—

इमे ते नयने क्रूरे विकृते कृष्णर्षिगले ।

क्षितौ न पतिते कस्मान्मामनार्य निरीक्षतः ॥५।२२।१८ .

(यहा आखो के लिए द्विवचन प्रयुक्त हुआ है और बाद के श्लोको में भी उसकी पुनरावृत्ति हुई है ।) तब रावण ने सीता की ओर आखें तरेरकर देखा और मदर पर्वत के समान अपनी दोनो विशाल परिपूर्ण बाहें फैलाकर वह गर्व से खडा हो गया (५ । २२ । १७) । जब सीता की राक्षसी पहरेदारनियो ने जाकर रावण को सूचना दी कि हनुमान ने अशोकवाटिका का विध्वंस कर डाला है, तब रावण प्रज्वलित चिता की भाति क्रोध से जल उठा और उसके दोनो क्रुद्ध नेत्रो से आसू की बूदें वैसे ही टपकने लगी जैसे दो जलते हुए दीपको में से तेल की बूदे गिरती हो—

तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नश्रुबिन्दवः ।

दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषः स्नेहबिन्दवः ॥५।४२।२३

टीकाकार का यह कथन कि युद्ध-क्षेत्र में रावण दस सिर और बीस भुजाओं-वाला बन जाता था, युद्धकांड से प्रमाणित नही होता । जब रावण आक्रमणकारियो का मुकाबला करने लका-दुर्ग से निकला, तब कवि ने उसका आलंकारिक वर्णन किया है, उसमे उसके अनेक सिर-हाथ होने का कोई उल्लेख नही है । सुग्रीव के साथ द्वंद्व-युद्ध करते समय रावण ने अपने दोनो बाहुओ से उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया था (बाहुभ्यामाक्षिपत्तले, ६। ४० । १३) । उस समय रावण ने एक ही मुकुट पहन रखा था । राम के साथ अतिम बार युद्ध करने जाते समय रावण की बाईं

१. अत्र द्विभुजत्वकथनाद्युद्धादिकाल एव विशतिभुजत्वं दशशीर्षत्वं चेति बोध्यम् । ५।१०।२१ पर तिलक-टीका ।

आख और बाईं बाह फडकने लगी थी।^१ राम ने रावण के चमकते मुकुट से सुशोभित सिर को काट डाला। वर्णन आता है कि उसकी जगह एक दूसरा सिर उग आया। वह भी काट डाला गया। इस प्रकार सौ सिर उगे और कटे, पर सर्वत्र सिर के लिए एकवचन का प्रयोग हुआ है (६।१०७।५४-७)।

रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने विलाप करते हुए अपने भाई की दो लबी बाहो और एक ही मुकुट का उल्लेख किया था। इसी अवसर पर मदोदरी ने विलाप करते हुए रावण के सुंदर मुख का इस प्रकार वर्णन किया—“आपका मुखमडल दो सुंदर भौहो, एक ऊँची नाक और दमकते हुए कुडलो से युक्त तथा किरोट के प्रकाश से चमकता रहता था। जब आप मधुशाला में मदोन्मत्त हो जाते थे, तब आपकी आँखें नशे के कारण कैसी चंचल और व्याकुल मालूम होती थी तथा आपके अघरो पर कैसी मोहक मुसकान नाच उठती थी। वही आपका मुख आज राम के बाणो से घायल होकर सुंदर नहीं प्रतीत होता” (६।१११।३४-६)। इस समस्त वर्णन में यथास्थान एकवचन और द्विवचन का ही प्रयोग हुआ है।

रामायण में दो महत्वपूर्ण स्थलो पर रावण को दस सिर और बीस भुजाओ-वाला बताया गया है। पंचवटी में सीता को डराने के लिए रावण भिक्षु का रूप त्याग कर दस सिर और बीस भुजाओ से युक्त महाकाय निशाचर बन गया था (३।४९।१,८)। इसी प्रकार जब हनुमान बंदी के रूप में राक्षस-दरवार में लाये गए, तब वहा उन्होंने रावण को मदर पर्वत के शिखरो के समान दस सिरो तथा चदन-चर्चित भुजाओ से सुशोभित पाया था (५।४९।६,८)। इसकी टीका में भी तिलक टीकाकार ने लिखा है कि हनुमान के देखने पर रावण ने वैसा ही भीषण रूप धारण कर लिया होगा, जैसा वह युद्ध में करता था। किंतु हम देख चुके हैं कि रावण ऐसा नहीं करता था। रामायण में रावण के एक ही सिर और दो हाथ होने के जो प्रचुर प्रमाण मिलते हैं, उनके सामने उपर्युक्त दोनो स्थलो का विरोध असंगत और अप्रामाणिक जान पड़ता है।

तब फिर रावण दस सिरोवाला कैसे बना? वास्तव में रामायण में रावण के लिए ‘दशानन’ और ‘दशग्रीव’ शब्द स्थायी सवोधनों के रूप में व्यवहृत हुए हैं। उनका शाब्दिक अर्थ लगाकर रावण को अनेक सिरोवाला सिद्ध करने की चेष्टा

निराधार है। ये शब्द उसी रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जिसमें राम के पिता के लिए दशरथ शब्द का उपयोग हुआ है। 'दशरथ' शब्द का यह अर्थ नहीं किया जा सकता कि राम के पिता के पास केवल दस रथ थे अथवा वह दस रथों पर एक साथ सवारी करते थे। इसका अर्थ यही हो सकता है कि दशरथ के पास संभवतः साधारण दस रथों के समान एक महारथ था, या वह दस रथियों की बराबरी के अकेले योद्धा थे, या उनके रथ की दसो दिशाओं में अबाध गति थी। दशरथ का नाम एक तुलना या उपमा लिये हुए है। इसी प्रकार 'दशग्रीव' या 'दशानन' शब्द भी रूपकात्मक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा इस बात का उदाहरण है कि रूपको या उपमाओं में समय की गति से किस प्रकार अर्थ-भेद हो जाता है और जन-मानस उसके शब्दार्थ को ही वास्तविक अर्थ समझने लगता है।^१ यह संभव है कि अधिकांश बलवान मनुष्यों की भांति रावण का सिर और उसकी गर्दन विशाल और भारी-भरकम हो तथा इस कारण लोग आरम्भ में उसे 'दशग्रीव' (जिसकी गर्दन दस गर्दनो के समान बड़ी हो) कहने लगे हो। 'दशानन' या 'दशशीर्ष' का भाव यह है कि उसकी ससार में दसो दिशाओं में अप्रतिहत गति थी, अथवा वह दसो दिशाओं की विजय के उपलक्ष्य में अपने सिर पर दस प्रकार के मुकुट या दस मणियोंवाला एक किरौट धारण करता था।^२ रावण के इन नामों की विचित्र व्याख्या से यह धारणा प्रचलित हो गई कि रावण के दस सिर, बीस आंखें और बीस बाहें थीं। इन नामों का वास्तविक लक्ष्य रावण को एक अजेय और अद्वितीय योद्धा-मात्र घोषित करना है।

राक्षसों की नर-मांस-भक्षण की प्रवृत्ति भी उन्हें एक विकृत और कुरूप जाति बनाने में सहायक हुई। नर-मांस के प्रति उनकी बर्बरो की-सी रुचि थी, इसलिए उन्हें बारबार नरमांसाशिनः कहा गया है। राक्षसी ताटका के लिए 'पुरुषादी' (मनुष्य-मांस-भक्षी) विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कहा जाता है कि वह एक बार गरजनी हुई अगस्त्य ऋषि तक को खाने के लिए झपटी थी (१।२५।११)। मारीच राक्षस ऋषियों का मांस खाते हुए दडकारण्य में विचरण किया करता था। जब हनुमान को लंका में सीता नहीं दीख पड़ी, तब उन्हें शंका हुई कि कहीं रावण या उसकी स्त्रियों ने उन्हें खा न डाला हो (५।१३।११-२)। उत्तरकांड में वर्णन आता है कि

१. चि० वि० वैद्य—'दि रिडिल आफ दि रामायण', पृ० १४५-६

२. नवीनचंद्र दास—'ए नोट आन दि एटोकिवटी आफ दि रामायण', पृ० ११

रावण ने कुबेर के दूत को तलवार से काटकर राक्षसों के भक्षणार्थ फेंक दिया था। रावण के अमात्यो ने कार्तवीर्य अर्जुन के अमात्यो को कच्चा ही चवा डाला था। विराघ राक्षस को ऋषियो का मास विशेष प्रिय था। सीता की राक्षसी पहरेदार-निया इस आशा में बड़ी प्रसन्न जान पडती थी कि हमे सुरा के साथ-साथ सीता का मास भी खाने को मिलेगा (५।२४।४४)।

नर-मास के अतिरिक्त राक्षस अन्य सभी प्रकार के मास का भक्षण किया करते थे। 'पिशिताशन' और 'मासाशन' उनके सामान्य विशेषण हैं। सुदरकाड के ग्यारहवें सर्ग में रावण के भोजन के वर्णन में विविध प्रकार के मास पदार्थ गिनाये गए हैं।

राक्षस नर और नारी दोनो मदिरा का भरपूर सेवन करते थे। नर-रक्त भी उनका प्रिय पेय था (मास-शोणित-भोजना.)। विराघ ने राम-लक्ष्मण को घमकी दी थी कि मैं तुम दोनो पापियो का खून पीकर रहूंगा—युवयो पापयोश्चाह पास्यामि रुधिर मृधे (३।२।१४)। शूर्पणखा राम-लक्ष्मण और सीता का खून पीने को व्याकुल थी। गाढी नीद से जगने पर कुभकर्ण छककर रक्त-पान कर सके, इसके लिए पहले से ही खून से भरे हुए घडे तैयार रखे गए थे (६।६०।३३)।

शिष्टाचार और लोक-व्यवहार में राक्षस प्राय आयों का ही अनुकरण करते थे। युद्ध-क्षेत्र में जाने से पहले कुभकर्ण ने अपने बडे भाई रावण का आलिङ्गन करके उसकी प्रदक्षिणा की और सिर से अभिवादन किया। जब रावण राम के साथ युद्ध करने पहली वार जाने लगा, तब मन्त्रो के पवित्र घोष से उसके लिए मगल-कामना की गई।^१ मारीच ने अपने आश्रम में रावण का पाद्य, अर्घ्य, आसन और श्रेष्ठ भक्ष्य-भोज्य पदार्थों से स्वागत किया। राम की शरण में आने पर विभीषण ने समयानुकूल विनम्रता और समान-भावना व्यक्त की थी।

जान पडता है कि राक्षसों में पितृ-पक्ष से वश चलने की प्रथा नहीं थी। रावण मातृ-पक्ष से राक्षसों का सम्राट बना था।

राक्षसों में शवों को गाडने का रिवाज प्रचलित था।^२ विराघ के शव को

१. पुण्यैस्तवैश्चापि सुपूज्यमानस्तदा ययौ राक्षसराजमुख्य । ६।५९।८

२. अवटे चापि मा राम निक्षिप्य कुशली व्रज । रक्षसा गतसत्त्वानामेष धर्म-सनातन' ॥३।४।२२

राम-लक्ष्मण ने एक गड्ढे में डालकर पत्थरो से पाट दिया था। कबध राक्षस का अंतिम सस्कार राक्षसों और आर्यों की मिली-जुली पद्धति से किया गया। आर्य-रीति के अनुसार उसके शव को पहले जलाया गया और फिर राक्षस-प्रथानुमार उसके अवशेष जमीन में गाड़ दिये गए। साधारण सैनिकों के शव रण-भूमि में गीधों और मासाहारी पशुओं के नोचने के लिए छोड़ दिये जाते थे। राक्षस शूरवीर प्रायः यह डींग हाका करते थे कि हम अपने शत्रुओं को गीधों की भेंट चढ़ायेंगे।^१

आर्य-संस्कृति से प्रभावित विभीषण पहले तो राम के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए कि रावण-जैसे त्यक्तधर्मा का अंतिम सस्कार आर्य-पद्धति से संपन्न हो। किंतु राम रावण का पितृमेध-सस्कार करके राक्षसों में आर्य-प्रथाएँ जारी करना चाहते थे। मरणान्तानि वैराणि (मृत्यु होने पर वैर समाप्त हो जाता है), यह घोषणा करके वह राक्षसों को आर्यों का मित्र बनाना चाहते थे। उन्होंने सोचा होगा कि शव-संस्कार एक महत्वपूर्ण सस्कार है, अतः यदि राक्षसराज की दाह-क्रिया वैदिक विधि से कर दी जाय तो सारी राक्षस-जाति आर्यों का धर्म अंगीकार कर लेगी। इसलिए राम ने आग्रह करके रावण की अत्येष्टि ब्राह्मी विधि से करवाई, जिसमें द्विजों, याजकों और अध्वर्युओं का सहयोग लिया गया (६।११।१०३-२३)। विभीषण का राज्याभिषेक भी राम के हाथों वैदिक रीति-से हुआ था (विधिना मन्त्रदृष्टेन)। इस प्रकार राक्षसों को आर्य-सम्यता में दीक्षित कर लिया गया।

आर्यों की भाँति राक्षसों में भी विवाह-सस्कार अग्नि की दुहाई देकर किया जाता था। रावण ने अग्नि प्रज्वलित करके मदोदरी का पाणिग्रहण किया था। वधू का अपहरण करके विवाह करने की प्रथा, जो बाद में राक्षस-विवाह कहलाई, राक्षसों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। स्वयं रावण की विवाह-योग्य भतीजी कुभीनसी का मधु दैत्य ने अपहरण करके उससे विवाह किया था। प्रतीत होता है कि राक्षस लोग किसी भी स्त्री से—चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित—समागम करने में अपने को स्वच्छद समझते थे। जब रावण को यह परामर्श दिया गया कि आप सीता का उपभोग करने में कुक्कुट की तरह पाशविक बल का प्रयोग क्यों नहीं करते,^२ तब उसने कहा कि मैं इस विधि का आश्रय नहीं ले सकता, क्योंकि

१. कस्य पत्ररथा कायान् मासमुत्कृत्य संगताः। प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मयारणे ॥३।१९।१०

२. बलात्कुक्कुटवृत्तेन प्रवर्तस्व महाबल। ६।१३।४

पुजिकस्थला अप्सरा पर बलात्कार करने के कारण मैं ब्रह्मा के शाप का भागी बन चुका हूँ। यह आख्यान राक्षसों के अमर्यादित यौन सवधों में एक आवश्यक सुधार का सूचक है। एक तो उपभुक्ता नारी की दयनीय दशा और दूसरे सुसंस्कृत आर्य-जाति का आदर्श, इन दोनों ने राक्षसों को इस आवश्यक समाज-सुधार के लिए प्रेरणा दी होगी।

आर्यों और अनार्यों में परस्पर विवाह-सवध के उदाहरण भी मिलते हैं। रावण सीता और वेदवती-जैसी आर्य-रमणियों से विवाह करने को इच्छुक था। शूर्पणखा राक्षसी होते हुए भी राम-लक्ष्मण-जैसे विजातियों से विवाह करना चाहती थी। अनेक राजर्षियों, विप्रों, गधवों और दैत्यों की कन्याएँ कामासक्त होकर स्वेच्छा से रावण की पत्नियाँ बन गई थीं।^१

राक्षसों के धार्मिक कृत्यों में स्वस्त्ययन नाम की मागलिक क्रिया बहुत प्रचलित थी। रावण ने कुम्भकर्ण और अपने पुत्रों को प्रशस्त आशीर्वाचनों के साथ रण-भूमि में भेजा था। विश्व-विजय के लिए विमान पर सवार होने से पहले रावण ने स्वस्त्ययन किया था। अनेक राक्षस-वीरों को स्वस्त्ययन करके युद्ध में जाते हुए दिखाया गया है—कृतस्वस्त्ययना सर्वे रणाभिमुखा ययुः (६।९५।७)।

आर्यों की भाँति राक्षस भी नियमपूर्वक तपस्या करने के अभ्यासी थे, किन्तु जहाँ आर्य-तपस्वी आध्यात्मिक ज्ञान और परलोक-सुधार के लिए तप करते थे, वहाँ राक्षसों का उद्देश्य भौतिक शक्तियाँ प्राप्त करना होता था। विराध राक्षस ने तपस्या करके किसी भी शस्त्र से अवध्य बन जाने का वर प्राप्त किया था। तप-श्चरण की अवधि में राक्षस तितिक्षा और सयम के कठोर व्रतों का पालन करते तथा पवित्र, सत्यपरायण और सयत् जीवन व्यतीत करते थे। मारीच ने अपने प्रारम्भिक दुष्कर्मों के बाद मृग-चर्म और जटाओं का तपस्वी बाना पहन लिया था। नियताहार रहकर वह तप करने में प्रवृत्त हो गया था। हनुमान के अनुसार रावण का तपस्या-जन्य पुण्य इतना अधिक था कि सीता का स्पर्श करने पर भी वह नष्ट नहीं हुआ।^२ राक्षसों के विरुद्ध सदा यही शिकायत रहती थी कि वे तपस्या से प्राप्त

१. राजर्षिप्रद्वैत्याना गन्धर्वाणा च योषितः। रक्षसा चाभवन् कन्यास्तस्य कामवश गताः ॥५।९।६८

२. सर्वथातिप्रकृष्टोऽसौ रावणो राक्षसेश्वरः। यस्य ता स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितम् ॥५।५९।४

होनेवाली सिद्धियों का उपयोग अधर्माचरण में करते थे। हा, विभीषण का आचरण इसके सर्वथा विपरीत था। न तु राक्षसचेष्टितः कहकर वाल्मीकि ने उन्हें दुर्जनों के बीच एकाकी सज्जन बताया है (५।१७।२२)।

राक्षस यज्ञ-यागादिक का भी अनुष्ठान करते थे, पर इनमें अधिकतर जादू-टोनोंवाली (अथर्ववेदीय) क्रियाएँ होती थीं, जिनसे वे अजेय बनने की रहस्यमयी शक्ति पाना चाहते थे। रावण स्वयं एक अग्रगण्य याज्ञिक और अग्निहोत्री था; उसके अग्निहोत्र की अग्नि से उसकी चित्ता प्रज्वलित की गई थी। घनघोर लका-युद्ध के दौरान में इन्द्रजित ने छद्म शक्ति पाने के लिए एक यज्ञ का समारंभ किया था। वाल्मीकि ने उसका जो वर्णन किया है (६।८०।५-१६), उससे स्पष्ट है कि इन्द्रजित का यज्ञ गीता के अनुसार एक तामस यज्ञ था।

निकुम्भिला राक्षसों की कुल-देवी थी। लका नगरी में उसके नाम पर एक पृथक उद्यान बना हुआ था।^१ सीता पर पहरा देनेवाली राक्षसिया कहा करती थी कि 'सर्वशोकविनाशिनी' सुरा ले आओ, उसे पीकर और मनुष्य-मांस खाकर हम निकुम्भिला देवी के आगे नृत्य करेगी (नृत्यामोऽथ निकुम्भिलाम्, ५।२४।४४)। लका-युद्ध में इन्द्रजित ने निकुम्भिला देवी की प्रीत्यर्थ एक यज्ञ किया था।^२ राक्षसों की इस रहस्यमयी देवी के बारे में वाल्मीकि ने कोई निश्चित जानकारी नहीं दी है।

इन गुप्त और रहस्यमय क्रिया-कलापों के उपासक होते हुए भी राक्षस लोग एक सुशिक्षित जाति थे। वैदिक शिक्षा का उनमें बहुत प्रचार था। लका के भवनों में हनुमान ने वैदिक मंत्रों का घोष सुना था और राक्षसों को स्वाध्याय में सलग्न पाया था।^३ रात्रि के चौथे पहर में अशोकवाटिका में उन्हें षड्ग वेदों के ज्ञाता और यज्ञों का अनुष्ठान करनेवाले ब्रह्मराक्षसों की वेद-ध्वनि सुनाई दी थी।^४

१. ततो निकुम्भिला नाम लंकोपवनमुत्तमम् । तद्राक्षसेन्द्रो बलवान् प्रविवेश सहानुगः ॥७।२५।२
२. निकुम्भिलामधिष्ठाय पावकं जुहुवेन्द्रजित् । ६।८२।२५
३. शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रान् रक्षोगृहेषु वै । स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातु-धानान्ददर्श ह ॥५।४।१३
४. षडङ्गवेदविदुषा ऋतुप्रवरयाजिनाम् । शुश्राव ब्रह्मघोषान्त विरात्रे ब्रह्म-राक्षसाम् ॥५।१८।२

रावण के राजमहल की ओर जाते समय विभीषण को अपने भाई के सम्मान में की जानेवाली वैदिक विद्वानों की प्रशस्तिया सुनाई पड़ी थी, ^१ और उन्हें ऐसे वेद-वेत्ता विप्र भी दिखाई पड़े थे, जिनका नागरिक लोग उपहारों से समान कर रहे थे।^२

जनश्रुति के अनुसार रावण महान वैदिक विद्वान था। इसकी पुष्टि रामायण के मौलिक और प्रक्षिप्त दोनों स्थलों से होती है। रावण के शौर्य और शास्त्र-ज्ञान की प्रशंसा में तमिल-ग्रन्थों में भी अनेक उक्तिया मिलती हैं। कहा जाता है कि स्वर-सहित वेद-पाठ करने की प्रणाली का आविष्कार उसीने किया था। सामवेद के स्तोत्रों से उसने नर्मदा के तीर पर भगवान शंकर की आराधना की थी—

तुष्टाव वृषभध्वजम् ।

सामभिविधैः स्तोत्रैः प्रणम्य स दशानन ॥७।१६।३३

रावण की मृत्यु पर विलाप करते हुए विभीषण ने अपने भाई को आहिताग्नि, महातपा. और वेदान्तग. बताया था (६।१०९।२३), अर्थात् रावण वेदों में निर्दिष्ट अग्नि-पूजा किया करता था, स्वाध्याय और तपस्या का कर्मठ सेवी था तथा वैदिक शिक्षा की चरम सीमा तक पहुँच गया था। लका के युद्ध में अपने पुत्रों और बधु-वाधवों को मारे जाते देखकर रावण जब एक बार सीता का वध करने को उद्यत हो गया, तब उसके एक बुद्धिमान सभासद सुपाश्वर्ष ने उसे समझाया कि आप 'वेदविद्याव्रतस्नातक' हैं, तब फिर आप स्त्री-वध करने पर कैसे उतारूँ हो गए? ^३ इसका अर्थ यह हुआ कि रावण ने नियमानुसार किसी आश्रम में रहकर वैदिक शिक्षा का सागोपाग अध्ययन किया, तत्पश्चात् वैदिक-विधि के अनुसार स्नातक की दीक्षा ली और गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था।

१. पुण्यान् पुण्याहघोषाश्च वेदविद्भिर्बुधाहृतान् । शुश्राव सुमहातेजा
स्नातुर्विजयसश्रितान् ॥६।१०।८

२. पूजितान्दधिपात्रैश्च सर्पिभिः सुमनोक्षतैः । मन्त्रवेदविदो विप्रान् ददर्श स
महाबल ॥६।१०।९

३. वेदविद्याव्रतस्नातः रवकर्मनिरतरतदा । स्त्रियः कस्माद्दधं वीर मध्यसे
राक्षसेश्वर ॥६।९।२।६०

रावण के कनिष्ठ पुत्र अतिकाय के बारे में कहा गया है कि वह ज्ञानी वृद्धजनो की सेवा करनेवाला, वेदों में पारंगत, सब शस्त्रास्त्रों के प्रयोग में कुशल, घोड़े और हाथी की सवारी में प्रवीण तथा धनुर्विद्या में सिद्धहस्त था, राजनीति और कूटनीति के अतिरिक्त साम, दान, दंड और भेद की चालों में भी वह निष्णात था (६।७।१।२९)। रण-क्षेत्र पर जाने से पहले कुभकर्ण ने रावण की सभा में जो वक्तृता दी थी, उसमें अर्थ-शास्त्र और राजनीति का उल्लेख हुआ है (६।६३।१४-६)। इसी अवसर पर महोदय नामक एक अन्य राक्षस ने चार पुरुषार्थों—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—के सिद्धांत की विवेचना की थी (६।६५)।

रावण तथा अन्य प्रमुख राक्षस संस्कृत बोल सकते थे। अशोकवाटिका में सीता को संबोधित करने से पूर्व हनुमान ने सोचा था कि यदि मैं सीता से एक ब्राह्मण की तरह संस्कृत में बोलूंगा तो वह मुझे रावण समझकर डर जायगी।^१ इत्वल और वातापि नामक असुर-बधु ब्राह्मणों की-सी परिष्कृत संस्कृत बोलकर उन्हें श्राद्धों में आमंत्रित किया करते थे।^२

रावण की राज्य-सभा सर्वज्ञ और बुद्धिमान अमात्यो तथा नीति-निर्माण में निष्णात मंत्रियों से युक्त थी—

मन्त्रिणश्च यथामुख्या निश्चितार्थेषु पण्डिताः ।

अमात्याश्च गुणोपेताः सर्वज्ञा बुद्धिदर्शनाः ॥ ६।१।१२५

सभा में शिष्टाचार और अनुशासन की दृष्टि से आदर्श वातावरण था— वहाँ कोई न नारे लगाता, न परस्पर बातचीत करता और न असत्य-भाषण ही करता था।^३ बुद्धि, ज्ञान, शिष्टता से मानो ओतप्रोत थी रावण की राज्य-सभा। लका-पुरी में वैदिक ज्ञान के अनुशीलन के साथ-साथ विभिन्न कलाओं और आमोद-प्रमोद का भी पर्याप्त सेवन किया जाता था, जैसाकि 'चित्रगृह', 'निशागृह', 'लतागृह',

१. यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् । रावणं मन्यमानां मां सीता भीता भविष्यति ॥५।३०।१८

२. धारयन् ब्राह्मण रूपमित्वलः संस्कृतं वदन् । आमन्त्रयति विप्रान् स...॥ ३।१।५५

३. न चुकुशुनानृतमाह फश्चित्सभासदो नापि जजल्पुरुच्चैः । ६।१।३०

‘चित्रशाला’, ‘त्रीडागृह’, ‘पुष्पगृह’ और ‘आपानशाला’ (मधुशाला) के अस्तित्व से प्रकट है (५।१२)। हृदय, कठ और मूर्धा—इन तीन स्थानों से निकलनेवाले (मद, मध्यम और उच्च) स्वरो से विभूषित मनोहर गीत लका में सर्वत्र प्रचलित थे।^१ ऐसे वातावरणमें रहना ही अपने-आपमें एक प्रशिक्षण रहा होगा। ‘जो लका जाता वही राक्षस बन जाता’, इस कहावत का एक ठोस आधार था, क्योंकि राक्षस एक सुसंस्कृत व्यक्ति था।

रावण के शासन-काल में राक्षसों का साम्राज्य भौतिक ममृद्धि के शिखर पर पहुँच गया था। त्रिकूट पर्वत पर स्थित लका का दुर्ग अपने युग का एक चमत्कारी किला था। उसकी निर्माण-योजना अद्भुत थी और उसके धन-ऐश्वर्य की जो झाकी वाल्मीकि ने सुदरकांड में कराई है, वह कल्पना से परे जान पड़ती है। रावण का राजप्रासाद एक पर्वत-शिखर पर अवस्थित था। वह चारों ओर सूर्य के समान चमचमाती हुई दीवार से घिरा था। भयानक राक्षस उमकी रक्षा करते थे। चादी से मढ़े हुए चित्रों, सोने के दरवाजों, भव्य प्रागणों और अद्भुत अतर्द्वारों से वह सुशोभित था। उसमें लड़ाई के रथों तथा अन्य सवारियों के आने-जाने के मार्ग थे। इन मार्गों पर दोनों ओर नियत दूरी पर योद्धाओं की हाथी-दात की प्रतिमाएँ थीं तथा घुड़सवार सैनिक तैनात थे। वह महल मदराचल के समान ऊँचा, मोरों के स्थान से युक्त, ध्वजाओं से व्याप्त, अनंत रत्नों का भंडार और खजानों से भरा था। उसमें धीर पुरुषों ने निधि-रक्षा के लिए उपयुक्त साधनों की प्रतिष्ठा की थी तथा वह साक्षात् कुवेर के भवन के समान जान पड़ता था। वह राजोचित सामग्री से पूर्ण और रमणी-रत्नों से भरा था—नूपुरों की झनकार, करधनियों की खनखनाहट और मृदंग के घोष से वह मुखरित था। उसमें अनेक अटारिया थी, वैदूर्य-मणियों से जटित सोने की खिडकियाँ थी, अनेक पक्षी किलोल कर रहे थे तथा उत्तम जाति के शख, शस्त्रास्त्र और धनुषों की शालाएँ थी। उस पर्वत-सदृश भवन में अनेक मनोहर और विशाल चौबारे थे। महल के बाहरी भाग में सैनिक-वर्ग के विख्यात वीरों के सामरिक साधनों से सपन्न और विपुल सपत्तिशाली निवास-स्थान बने हुए थे। उनके इर्दगिर्द लंबे-चौड़े मैदान थे, जिनमें पशु-पक्षियों के कलापूर्ण और व्यवस्थित घेरे बने हुए थे। कोई भी उद्यान ऐसा नहीं था, जिसमें कलात्मक ढंग से सजे हुए

१. शुश्राव रुचिर गीत त्रिस्थानस्वरभूषितम् । ५।४।१०

मनोहर कुज, कदली-गृह, दिन और रात के विहार-स्थान, क्रीडा-पर्वत और रम्य सरोवर न बने हो। निकट ही घोडो और हाथियो के अस्तबल तथा अन्यान्य सवारियो को रखने के स्थान बने हुए थे। ये सब सोने और अन्य बहुमूल्य धातुओ की जालियो से छाये हुए थे।

रावण का शयन-कक्ष भव्य और सुंदर, स्वच्छ और विशाल था। उसमे कई कमरे बने हुए थे। उनमें मणियो से जडी सीढिया, स्फटिक का फर्श, रत्नजटित स्तभ और हाथी-दात की बनी नारी-मूर्तिया थी। फर्श पर रंग-विरंगे चित्रो से सजे चौकोर कालीन बिछे थे और दीवारो पर ऐसे पर्दे टंगे थे, जिनका रंग आसपास की वस्तुओ से मेल खाता था (तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्टशयनासनैः, ५।११।२०)। सभी कमरे सुगन्धित अगुरु से सुवासित थे, उनकी दीवारें पुष्पमालाओ और वदन-वारो से अलंकृत थी। रात के समय दीपो के प्रकाश मे वे प्रज्वलित-से जान पडते थे। सारा वातावरण अतीव आह्लादकारी, उत्साहजनक और चित्ताकर्षक था। महल के दूमरे भागो मे सुसज्जित नृत्य-शाला, संगीत-शाला और आपान-शाला बनी हुई थी। निकट ही, नदन-वन के समान आकर्षक और रमणीय रावण की अशोक वाटिका थी, जिसमें तरह-तरह के पशु-पक्षी, भवन और प्रासाद थे। कमल-कमलिनी से परिपूर्ण एव बावलियो, लता-कुजो तथा कर्णिकार, किशुक, पुत्राग, चपक और अशोक वृक्षो से सुशोभित वह वाटिका वास्तव मे नेत्रमन कान्तम् थी।

लंका मे सामान्य राक्षसो के निवासस्थान 'समृद्ध, बहुमूल्य, अनेकानेक कक्षो से सपन्न तथा सोने के पूर्ण और अर्ध चंद्रमा से अलंकृत थे। उन भवनो मे सुंदर चंद्र-शालाए बनी थी और उनकी वैठको के झरोखे बढिया रत्नो से खचित थे। वे घर मणि और मृगो मे चित्र-विचित्र थे, ऊचाई में मानो सूर्य को छूना चाहते थे तथा क्रीच और मोर के शब्द की तरह उनमे भूषणो की झनकार सुनाई पडती थी' (६।७५।१८-२१)। वानरो के आग लगा देने पर 'तोरणो, अटारियो, शिखरो आदि से युक्त वे पर्वताकार महल टूट-टूटकर जमीन पर गिरने लगे थे। कही अगुरु जल रहा था, कही चदन की लकडिया जल रही थी, कही मणि, मोती, हीरे, मूगे और कही छाल के वस्त्र जल रहे थे। कही क्षीम और कौशेय वस्त्र, कही उनी कपडे, कही मोने के वर्तन और कही शस्त्रास्त्र आग की भेंट हो रहे थे। कही अनेक तरह के चित्र-विचित्र घोडो के आभूषण, कही हाथियो की गर्दन के गहने, कही झूलें और कही रथो की अलंकरण-सामग्री धाय-धाय जल रही थी। कही योद्धाओ, हाथियो और

घोडो के कवच तो कही चवर, श्रेष्ठ कंबल, व्याघ्र-चर्म, कस्तूरी, मुक्ता-मणि, सुवर्ण-आभूषण और मालाएँ भस्मीभूत हो रही थीं (६।७।८-१४)। यह समस्त वर्णन राक्षसों की अपार समृद्धि और संपत्ति का द्योतक है।

हनुमान ने लका में जो कुछ देखा, उसके वर्णन में सभवतः कवि ने अतिरजना का आश्रय लिया है। विशेष कर उन लोगों में, जिन्हें अकस्मात् कोई नवीन, अप्रत्याशित या विस्मयजनक दृश्य दिखाई पड़ जाय, बड़-चढ़कर वर्णन करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। किंतु इस सारे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन में सत्य का अंश निस्संदेह विद्यमान है, भले ही दीर्घ समय के अनंतर, आज की परिवर्तित परिस्थितियों में, वह अवास्तविक और कल्पनाजन्य प्रतीत हो। राक्षस-राजधानी में सुवर्ण और मणिरत्नों की जो बहुलता बताई गई है, वह मात्र कवि के मस्तिष्क की उपज नहीं है। जब हम यह पढ़ते हैं कि मैक्सिको के लोगों के पास बेहद सोना था, पेरू (दक्षिण अमरीका) के विशाल सूर्य-मंदिर की दीवारों सोने से मढ़ी थी और आज भी तिब्बत की राजधानी ल्हासा के बौद्ध मंदिर की छत सोने से पटी है, तब यह न मानने का कोई कारण नहीं कि बर्बर जातियों की अभिरुचि के अनुरूप लका के राक्षसों ने भी अपने घरों और उनकी दीवारों को कही-कही मणि-सुवर्ण से अलंकृत किया होगा। उनके पास सोना अत्यधिक मात्रा में था, यह भी बहुत संभव है। प्राचीन समय में, दक्षिण भारत और लका में सोना खानों और नदियों की रेत में से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था और आज भी मैसूर राज्य की खानों में से सोना काफी निकलता है। अतः वाल्मीकि-कृत सुवर्णमयी लका का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण भले ही हो, पर निरा कवि-कल्पना-प्रसूत नहीं है।^१

रावण ने राम-जैसे दुर्धर्ष आर्य-वीर को उकसाकर अपने हाथों अपना अनिष्ट किया, सही, फिर भी यह सोचना भूल है कि राक्षस लोग राजनीतिक औचित्य या बुद्धिमत्ता से सर्वथा शून्य थे। मारीच और विभीषण दोनों ने सीता को मुक्त करने के लिए रावण को भरसक समझाया था और ऐसा न करने पर राक्षस-जाति के सभावित विनाश की ओर उसका ध्यान आकृष्ट किया था। यह तो मृत्यु का भय था, जिसने मारीच को सीता-हरण के षड्यंत्र में रावण को सहयोग देने के लिए विवश किया। अंतरराष्ट्रीय नीति-नियमों से भी राक्षस अनभिज्ञ नहीं थे। विभीषण

के यह बताने पर कि दूत अवध्य होता है,^१ रावण ने हनुमान के प्राण छोड़ दिये थे। स्वयं रावण का स्त्री-दाक्षिण्य इस बात से प्रकट है कि बार-बार ठुकराये जाने पर भी उसने सीता का वध नहीं किया।

कुभकर्ण ने अपने दृष्टिकोण से राजनीति की विशद व्याख्या करके अपने भाई को युद्ध में प्रवृत्त होने से रोकना चाहा था। उसकी वक्तृता (६।६३।५-१६) से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुभकर्ण पशु की तरह निरा पेटू नहीं था, उसमें अपने अभिमानी भाई की खरी आलोचना करने और उसके परामर्शदाताओं का पर्दा फाश करने का नैतिक साहस भी था। राजनीतिक कर्तव्य के नाते ही कुभकर्ण ने रावण का साथ दिया, वह भी तब जबकि इसके अतिरिक्त और चारा नहीं रह गया था। विभीषण ने भी रावण को राम के न्याय्य पक्ष और अप्रतिम बल-वीर्य से अवगत कराकर यह परामर्श दिया कि क्षमा-याचना-पूर्वक आप उन्हें वैदेही लौटा दें। इस 'अप्रिय किंतु पथ्य' परामर्श के बदले जब रावण ने उन्हें कुवचन कहे और उन पर कृतघ्न और देशद्रोही होने का लालच लगाया, तब विभीषण ने राम का न्यायपूर्ण पक्ष लेकर अपना नैतिक कर्तव्य निभाया था।

जहा आर्य लोग युद्ध में उचित और निष्कपट साधनों का सहारा लेते थे, वहा राक्षस शत्रु को परास्त करने में धोखेधडी का आश्रय लेने के लिए कुख्यात थे। इसी-लिए उन्हें रामायण में स्थल-स्थल पर कूटयोधिनः (छिपकर युद्ध करनेवाले) कहा गया है। आग, विष और जादू-टोनों के प्रयोग द्वारा वे अपने माया-बल को प्रकट करते थे। मारीच 'महामायाविशारद' था। रावण युद्ध में छल-कपट करने के लिए प्रसिद्ध था (मायास्रष्टारमाहवे, ६।१११।५३)। लका-युद्ध के वर्णन में राक्षसों के कपट-युद्ध के अनेक उदाहरण मिलते हैं।

राक्षसी सेना में नकाब पहनकर लड़नेवाले सैनिक होते थे। जब रावण पहले-पहल रण-भूमि में गया, तब उसके साथ-साथ बाघ, घोडा, ऊट, हरिण और दूसरे पशुओं के मुखवाले प्राणी-भी चले थे।^२ ये लोग वे राक्षस सैनिक थे, जिन्होंने जगली जानवरों के नकाब लगा रखे थे। शत्रु-पक्ष को भयभीत करने की उनकी यह युक्ति

१. दूता न वध्याः समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र प्रवदन्ति सन्तः । ५।५३।१३

२. यश्चैप नानाविधघोररूपैर्व्याघ्रोष्ट्रनागेन्द्रमृगाश्ववक्रैः । भूतैर्वृतो भाति विवृत्तनेत्रैर्योऽसौ सुराणामपि दर्पहन्ता ॥६।५९।२३

थी, युद्ध में घोखघडी का प्रयोग करने की उनकी नीति का यह एक अंग था। इसके अतिरिक्त वे ऐसे छद्म रूपों का भी आश्रय लेते थे, जिनसे असली और नकली में अंतर करना कठिन हो जाता था।

राक्षसों में एक सुनिश्चित सैन्य-व्यवस्था के अनुसार युद्ध-संचालन किया जाता था। रावण की अपनी चतुरगिणी सेना थी, जिसमें एक सेनापति और अनेक नायक (बलाध्यक्ष) होते थे। राम के आक्रमण के समय रावण ने मंत्रियों के साथ शीघ्र ही अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि घौसा बजाकर सब सैनिकों को इकट्ठा करें, किंतु इसका कारण न बतायें।^१ लका-दुर्ग के फाटको पर कड़ा पहरा रहता था। दुर्ग में कई 'कूटागार' बने हुए थे, ये संभवतः भूगत मार्ग और सैनिकों को छिपाने के तहखाने थे।

राक्षसों का अपना जासूस-विभाग भी था। शूर्पणखा ने रावण को गुप्तचर-व्यवस्था क्रियाशील रखने की आवश्यकता समझाई थी, क्योंकि जासूस ही राजा को दीर्घ दृष्टि प्रदान करते हैं (चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः, ३।३३।१०)। रावण के जासूस लका-दुर्ग के मध्य में घूमते रहते तथा प्रजाजनो और सैनिकों में घुले-मिले रहते थे। सीता-हरण के बाद रावण ने आठ जासूसों को इस काम में लगा दिया था कि वे राम-लक्ष्मण की गति-विधि की सूचना बराबर देते रहें और उनका काम तमाम कर डालने का कोई मौका न चूकें (३।५४।२६-७)। शत्रु-सेना में भेद-नीति द्वारा फूट डालने की युक्ति का राक्षस प्रायः आश्रय लिया करते थे। राम और सुग्रीव में फूट डालने के लिए रावण ने अपने गुप्तचर शुक को नियुक्त कर रखा था (६।२०।८-१५)। राम की वानरी सेना का बलावल जानने के लिए भी उसने शुक, मारण और शार्दूल के नेतृत्व में कई जासूस भेजे थे।

प्रमुख राक्षस-वीर रथों में बैठकर रण-क्षेत्र में जाते और युद्ध करते थे। वानरों की भांति वे शस्त्रास्त्रों के प्रयोग से अनभिज्ञ नहीं थे। इन्द्रजित, रावण, अतिकाय, महारक्ष आदि रक्ष-वीर निपुण धनुर्धर थे। आकाश-युद्ध में भी राक्षस कुशल थे। उत्तरकांड में रावण और वरुण-पुत्रों के बीच हुए एक आकाश-युद्ध का वर्णन आता है। बाहु-युद्ध, गदा-युद्ध और मुष्टि-युद्ध द्वारा भी राक्षस अपने प्रतिपक्षी का सामना करते थे।

१. शीघ्र भेरीनिनादेन समानयध्व सैन्यानि वक्तव्यं न च कारणम् ।

फिर भी आर्यों के हाथों राक्षसों को जो भयानक हारें खानी पड़ी, उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि वे सैन्य-साधनों और युद्ध-संचालन में पर्याप्त समुन्नत नहीं थे तथा अपने आर्य-प्रतिपक्षियों के मुकाबले में नहीं ठहर सकते थे। उनका धनुर्विद्या-कौशल आर्य-वीरों के समक्ष टिक नहीं पाता था। एक और कारण यह था कि राक्षस लोग व्यक्तिगत रूप से तो बलवान् थे, पर युद्ध में सगठित मोर्चा बनाकर लड़ने के बजाय एक भारी और अव्यवस्थित भीड़ के रूप में शत्रु-पक्ष से भिड़ते थे और इस तरह अपने सख्या-बल का पूरा लाभ नहीं उठा पाते थे। ऐसी स्थिति में यदि जनस्थान में राम ने अकेले ही खर की चौदह हजार राक्षसी सेना को (यह सख्या कुछ अतिरजित हो सकती है) खदेड़ दिया हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। राम की विजय का रहस्य संभवतः यह था कि धनुष-बाण के प्रयोग तथा युद्ध-कौशल में राक्षस-पक्ष का कोई वीर उनसे बाजी नहीं मार सकता था।^१

धर्म-कर्म और शिक्षा-स्वाध्याय में सलग्न रहने पर भी रावण और उसके साथियों ने अनीति और अधर्म, हिंसा और अत्याचार, विलास और व्यभिचार में लिप्त रहकर अपने सर्वनाश को न्योता दिया। रावण के उदाहरण में हम देखते हैं कि महत्ता-सूचक गुणों का उपयोग किस प्रकार निकृष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में किया गया। उसकी वैभवशालिता और पापाचारिता से चकित हो हनुमान कह उठे थे—“अहो, इसका रूप और धैर्य अद्भुत है। इसका साहस अनोखा और कांति निराली है। इस राक्षस-राज में सभी राजोचित लक्षणों का होना महान आश्चर्य की बात है। यदि इसमें अधर्म की प्रबलता न होती तो यह देवलोक और इंद्र का भी रक्षक होता। किंतु इसके कर्म इतने कठोर, निर्दयतापूर्ण और निंदित हैं कि देवता और दानवों-सहित संपूर्ण जगत के प्राणी इससे डरते रहते हैं।”^२

सच पूछा जाय तो राक्षसों का नाम ही, शांति-प्रिय आर्य-ऋषि-मुनियों के प्रति उनकी हिंसा-वृत्ति के कारण, देश-भर में कुख्यात और कलकित हो चुका था।

१. चिं० वि० वैद्य—‘दि रिडिल आफ दि रामायण’, पृ० १४०

२. अहो रूपमहो धैर्यमहो सत्त्वमहो द्युतिः । अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षण-युक्तता ॥ यद्यधर्मो न बलवान् स्यादयं राक्षसेश्वरः । स्यादयं सुरलोकस्य सन्नक्रस्यापि रक्षिता ॥ अस्य क्रूरैर्नृशंसैश्च कर्मभिलोककुत्सितैः । सर्वे विभ्यति खल्वस्माल्लोकाः सामरदानवाः ॥५।४९।१७-९

उनके यज्ञ-यागो का विध्वंस करना निशाचरो का एक कुत्सित व्यापार बन गया था। वे यज्ञ में प्रयुक्त होनेवाली सामग्री को फेंक देते, यज्ञ की अग्नि पर पानी की बौछार कर वृद्धा देते और जल-पात्रो को तोड़-फोड़ डालते थे। जब विश्वामित्र ने अपना यज्ञ प्रारंभ किया, तब मारीच और सुबाहु ने यज्ञ-वेदी पर गाढ़ा खून बरसाया था।^१ रावण अनेक यज्ञो को नष्ट करनेवाला (नैकयज्ञविलोप्तारम्), धर्म की व्यवस्था को तोड़नेवाला (धर्मव्यवस्थाभेत्तारम्) तथा नैतिक धर्मों की धज्जिया उड़ानेवाला (उच्छेत्तार धर्माणाम्) था। अनुल शक्ति-मपन्न होने के कारण वह यज्ञ-भूमि से मंत्रपूत सोम-रस को छीनकर ले जाता था। इसीलिए यज्ञ-भूमि में किसी राक्षस का प्रवेश गदे कुत्ते के प्रवेश की तरह अशुभ और अपवित्र माना जाता था।^२

राक्षस लोग आर्यों के यज्ञ-समारोहो को नष्ट-भ्रष्ट ही नहीं करते थे, अपितु उनमें भाग लेनेवालो को भी मौत के घाट उतार देते थे। रावण को 'ब्रह्मघ्न' अर्थात् ब्रह्म-हत्यारा कहा गया है। उत्तरकांड में वर्णन आता है कि रावण ने किस प्रकार राजा मरुत्त के माहेश्वर-यज्ञ में आये हुए ऋषियो को खाकर और उनका खून पीकर अपने को परितृप्त किया था (७।१८।१९)। राम के दडकारण्य में आने पर वहा के निवासियो ने उन्हे राक्षसो द्वारा मारे गए ऋषि-मुनियो की हड्डियो का ढेर दिखाया था।^३ इद्रजित-वध के पश्चात् देवता, दानव और गधर्व आकर यह कहने लगे थे कि अब ब्राह्मण लोग निर्भय होकर पृथ्वी पर विचरण करेंगे,^४ जिससे सिद्ध है कि जीते-जी वह ब्राह्मणो के लिए कितना अभिशाप-तुल्य था।

किंतु राक्षसो का सबसे घृणित कार्य, जिसने उन्हे सम्य ससार की दृष्टि में हेय और निंदित बना दिया, स्त्रियो पर बलात्कार था। रावण के शब्दो में 'पराई स्त्रियो का उपभोग करना अथवा उन्हे बलपूर्वक हर लेना राक्षसो का सदा से प्रच-

१. आगम्य भीमसंकाशा रुधिरौघानवासृजन् । ता तेन रुधिरौघेण वेदीं वीक्ष्य समुक्षिताम् ॥१३०।१२-३

२. रावणः प्राविशद्यज्ञं सारमेय इवाशुचिः । ७।१८।६

३. एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनाम् । हताना राक्षसैर्घोरैर्बहूनां बहुधा वने ॥३।६।१६

४. विज्वरा. शान्तकलुषा ब्राह्मणा विचरन्त्विति । ६।९०।८८

लित स्वधर्म रहा है।^१ कुभकर्ण नर-हत्या, आश्रम-विध्वंस और परस्त्री-हरण के लिए कुख्यात था (६।६१।१९)। देवों ने विष्णु के समक्ष रावण के जिस अत्याचार को प्रमुख रूप से उपस्थित किया और जो उनकी दृष्टि में विष्णु के घराघाम पर अवतरित होने का सबसे प्रबल कारण हो सकता था, वह रावण द्वारा स्त्रियों का अपहरण ही था (१।१६।७)। वह एक अजितेन्द्रिय, परस्त्रीगामी लंपट था— एक ऐसा बटमार था, जिसने अपनी त्रैलोक्य-विजय में स्त्रियों की खुले आम लूट मर्चा दी थी। उसकी पटरानी मदोदरी को पता था कि वह देवों और असुरों की कन्याओं को देश-विदेश से हरकर लाया था (देवासुरकन्यानामाहर्तारं ततस्ततः; ६।११।५३)। पुजिकस्थला और रभा-जैसी अप्सराओं पर उसका बलात्कार, आर्य-ललना वेदवती का काम-भाव से स्पर्श तथा अन्य अगणित सुदरियों का उनके सबधियों को मारकर अपहरण ऐसी घटनाएँ थीं, जिनका तत्कालीन आर्य राजा कोई सबल प्रतिरोध न कर सके, किंतु सीता के अपहरण ने रावण को आर्यों के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की क्रोधाग्नि की आहुति बना दिया, जिसकी विनाशकारी लपटों में राक्षस अपना साम्राज्य खो बैठे।

राक्षस लोग आर्यों की चर्चा 'नर', 'मनुष्य' या 'मानुष' के नाम से किया करते थे। नर-मांस के प्रति उनकी स्वाभाविक अभिरुचि होने पर भी उनके और मानुषों के बीच सौहार्दपूर्ण सबध के उदाहरण मिलते हैं। रावण की अशोकवाटिका में हनुमान ने हर्षमग्न मनुष्य देखे थे (५।१४।८)। इससे सूचित होता है कि इन नरभक्षी बर्बरो के राज्य में भी मनुष्य आनंदपूर्वक रह सकते थे। प्रतीत होता है कि राक्षस उन्हीं मनुष्यों का मांस खाया करते थे, जिन्हें वे युद्ध में बंदी बना लेते थे, अथवा जिनके प्रति उनकी शत्रुता होती थी, उनके समाज के अग बनकर उन्हींके बीच बस जाने-वाले मनुष्यों को वे कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। यही नहीं, राक्षसों ने आर्यों की ब्राह्मण-सत्कार की भावना भी अपना ली थी। उदाहरणार्थ, जब राक्षस-सेनापति प्रहस्त रण-क्षेत्र को प्रस्थान करने लगा, तब बहुत-से राक्षस उसकी मंगल-कामना के लिए ब्राह्मणों को प्रणाम करने लगे थे।^२ स्पष्ट है कि जिन ब्राह्मणों ने राक्षस-

१. स्वधर्मो रक्षसा भीरु सर्वदेव न संशयः। गमनं वा परस्त्रीणां हरणं संप्रमथ्य वा ॥५।२०।५

२. हुताशनं तर्पयतां ब्राह्मणांश्च नमस्यताम् । ६।५७।२१

राज की यजमान-वृत्ति स्वीकार कर ली थी, वे उसके राज्य में निश्चय होकर बस सकते थे ।

किंतु अन्य दृष्टियों से राक्षसों की मनुष्यों के प्रति हीन भावना थी । वे उन्हें मरणघर्मा और दुर्बल प्राणी समझते थे तथा अपने को उनसे भिन्न और उच्चतर । रावण तो मनुष्यों को कुछ भी नहीं गिनता था, ब्रह्मा से गरुड, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस, देवता आदि जातियों से अवध्य होने का वरदान मागते समय उसने मनुष्यों से भय-मुक्त होना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि तृणभूता हिंसे में मनुष्य प्राणियों मानुषादय, वह मनुष्य आदि प्राणियों को तिनके के समान मानता था (७।१०।२०) । जब मारीच ने रावण को राम-जैसे महापराक्रमी वीर से शत्रुता मोल न लेने का परामर्श दिया, तब रावण ने उसका उपहास करते हुए कहा— “अपनी इस वकवास से तुम मुझे उस राम से भयभीत नहीं कर सकते, जो मूर्ख है, पापी है और विशेष कर एक मनुष्य है ।”^१ मदोदरी सीता को कुल, रूप या गुण किसी बात में अपने से बढ़कर नहीं समझती थी ।^२ शूर्पणखा ने राम-लक्ष्मण-जैसे मनुष्यों को मारने में असमर्थ खर को ‘नि सत्व और अल्प-वीर्य’ कहकर लताड़ा था (३।२।१। १९) । रावण ने राम को ‘राज्य से च्युत, दीन, तापस, पैदल घूमनेवाला, मनुष्य और अल्प तेजस्वी’ बताकर सीता को अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा की थी ।^३ स्वयं सीता ने राक्षसियों से त्रस्त होने पर अपनी मनुष्यता और पराधीनता को धिक्कारा था—धिगस्तु खलु मानुष्य धिगस्तु परवश्यताम् (५।२५।२०) ।

एक रोचक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि राक्षस लोग जन्मना और कर्मणा कौन थे । रामायणकालीन आर्यों के दृष्टिकोण से स्वधर्म से, च्युत, अतएव जाति-बहिष्कृत मनुष्य राक्षसों की श्रेणी में आ जाते थे । इसकी पुष्टि उन लोगों के उदाहरणों से होती है, जो मूलतः आर्य या अराक्षस थे और बाद में, अधर्माचरण के कारण,

१. त्वद्वाक्यैर्न तु मा शक्य भेतुं रामस्य सयुगे । मूर्खस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषतः ॥३।४०।४

२. न कुलेन न रूपेण न दाक्षिण्येन मैथिली । मयाधिका वा तुल्या वा तत्तु मोहान्न बुध्यसे ॥६।११।२८

३. राज्यम्रष्टेन दीनेन तापसेन पदातिना । किं करिष्यसि रामेण मानुषेणाल्प-तेजसा ॥३।५५।२१

राक्षस बनने का शाप पा गए। ताटका आरंभ में एक यक्षिणी थी, पर जब उसने अगस्त्य-जैसे महामुनि पर आक्रमण करना चाहा, तब उन्होंने उसे नरभक्षी राक्षसी बन जाने का शाप दे दिया। उसका पुत्र मारीच भी राक्षस बना दिया गया—राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सः (१।२५।१२)। उत्तरकांड में आई राजा कल्माष-पाद की कथा भी कुछ ऐसी ही है। जब राजा ने वसिष्ठ को (भ्रमवश) नर-मांस परोस दिया, तब मुनि ने उसे नरभक्षी राक्षस बन जाने का शाप दे दिया (७।६५।२८)। इस प्रकार एक आर्य भी किसी घृणित अपराध के दंडस्वरूप राक्षस-योनि में पतित हो जाता था।

उपर्युक्त दृष्टिकोण कतिपय आधुनिक विद्वानों के मत से मेल खाता है। यह तो हम देख चुके हैं कि राक्षसों में वैदिक अध्ययन और कर्मकांड प्रचलित था तथा वे अग्नि और शिव के पूजक थे। इस आधार पर इन विद्वानों का कथन है कि राक्षस-जाति आर्यों की वह शाखा थी, जो दक्षिण के उपजाऊ प्रदेशों में जाकर बस गई और एक विशिष्ट सम्यता का निर्माण कर अत्यंत शक्तिशाली और समृद्धि-युक्त बन गई। राक्षसों की उत्पत्ति के प्रसंग से यह ज्ञात होता है कि रावण प्रजापति ब्रह्मा के वंशज विश्रवा मुनि का पुत्र था। यह भी राक्षस-जाति के मूल आर्यत्व का सूचक है। किंतु आर्यों की यह दक्षिणी शाखा जब अपनी मूल सस्कृति के कल्याणकारी प्रभाव से दूर जा पड़ी, तब वह क्रूरता और विलासिता में लिप्त होकर अनार्यों का-सा आचरण करने लग गई।^१

एक अन्य मत यह है कि राक्षस लोग दक्षिण भारत और लंका के मूल निवासी थे, जो अपनी बर्बर स्थिति से उठकर रामायण-काल में एक अर्ध-सम्य दशा में आ गए थे। नस्ल की दृष्टि से वे उन दस्युओं से मिलते-जुलते थे, जिनके साथ ऋग्वेदीय आर्यों का संघर्ष रहता था।^२ दक्षिण भारतीय दृष्टिकोण से^३ राक्षस आदिम तीरदाजों और मछुओं के वंशज थे, जिन्होंने सख्या में बढ़ने पर अपना अलग राज्य

१. के० एस० रामस्वामी शास्त्री—'दि आर्यन कॉलनीज आफ किर्किष्वा एंड लंका' ('इंडियन कल्चर', भाग ५, पृ० १९५)

२. टी० के० वेंकटरमन—'दि राक्षसाज' (के० वी० रंगास्वामी स्मृति-ग्रंथ, पृ० १८७-९३)

३. वी० आर० रामचंद्र दीक्षितार—'साउथ इंडिया इन दि रामायण'

स्थोषित कर लिया। कालांतर में आर्यावर्त से उनका सपर्क बढ़ता गया, जिसके फल-स्वरूप राक्षसों ने ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया, जैसाकि ब्रह्मराक्षसों (वे राक्षस जो ब्राह्मण-धर्मों वन गए थे) के अस्तित्व में प्रकट है। इन ब्रह्मराक्षसों ने वैदिक कर्मकांड के संपादन के लिए सस्कृत भी सीख ली।

इतना तो निश्चित और निर्विवाद है कि रामायण के समय भारत के दक्षिणी छोर पर लका में एक काली खूखार जाति निवास करती थी, जो आर्यों से विमुख थी और उनके धार्मिक क्रिया-कलापों में विघ्न डालती थी। इस जाति के कुछ अवशेष आज तक जावा में पाये जाते हैं।^१ उसकी ध्वसात्मक प्रवृत्तियाँ भारतीय महासागर के द्वीपों तक व्याप्त थी। आर्यों का प्रभुत्व स्थापित होने से पहले इस जाति ने विश्व के घटना-चक्र में प्रमुख भाग लिया था। आर्यों ने राक्षसों को दैत्याकार, इच्छानुसार यज्ञ बदलनेवाले और रक्त-पिपासु आक्रामकों के रूप में चित्रित किया है, वैसे ही जैसे सेमाइट लोगों ने अपनी विरोधी जातियों को अपवित्र, भयकर और दैत्याकार वर्णित किया। राक्षस लोग कृष्ण वर्ण के थे, उनके बाल हवशियों की तरह ऊननुमा घुघराले होते थे और वे सोने-चादी के गहनो से लदे रहते थे, जिनसे उनकी जाति को सदा से प्रेम रहा है और जिनके उपयोग में उनके सजातीय सूडानी लोग अब भी रस लेते हैं। डा० जान फ्रेजर का अभिमत है कि सिलोन के मूल निवासी आर्यों से पहले पनपनेवाली एक काली जाति के लोग थे और दक्षिण भारत की द्रविड जातियाँ उसीसे निकली हैं, भारत में आर्यों का प्रभुत्व स्थापित होने पर यह जाति दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्रायद्वीप में तथा इंडोनेशिया और ओशिएनिया के द्वीपों में खदेड़ दी गई, तथा मलयेशिया के निवासी उसके वर्तमान प्रतिनिधि हैं।^२

१. नवीनचंद्र दास—'ए नोट आन दि एंटीक्विटी आफ दि रामायण', पृ० ६

२. पॉलिनेशियन जर्नल, भाग ५, उपर्युक्त में उद्धृत।

वानर

कुछ विद्वानों की धारणा है कि वानर-जाति एक पौराणिक अथवा काल्पनिक जाति थी और वाल्मीकि ने उसके कार्य-कलाप का जो वर्णन किया है, वह 'निरर्थक विचित्रताओं का एक व्योरा-मात्र' है। कुछ अन्य विद्वान वानरों को निरा बंदर मानकर उन्हें कोई महत्व नहीं देते, और यह इसलिए कि कवि ने उन्हें बंदरों की विशेषताओं से युक्त बताया है। किंतु वानरों की सभ्यता का जो चित्रण रामायण में प्रस्तुत है, उससे ये दोनों मान्यताएँ गलत सिद्ध हो जाती हैं और यह प्रमाणित होता है कि वानरों की जाति एक वास्तविक मनुष्य-जाति थी, जिसकी अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति थी। भले ही यह जाति मध्यदेश के आर्यों और लका के राक्षसों की-सी समुन्नत न रही हो, पर निश्चल, सरल और साम्राज्यवादी आकांक्षाओं से अलिप्त होने के कारण इसका भी अपना एक अनोखा गौरव और महत्व था। रामायण ही भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन और सभ्यत एक-मात्र ऐसा ग्रंथ है, जिससे हम वानर-सभ्यता की निकट से झाँकी पा सकते हैं।

वानरों को कवि ने ऐसे बलवान प्राणियों के रूप में चित्रित किया है, जो 'माया जाननेवाले, शूरवीर, वायु के समान वेगवान, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु के समान पराक्रमी, किसीसे परास्त न होनेवाले, तरह-तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीर-धारी और देवताओं की तरह सभी शस्त्रास्त्रों के प्रयोग में कुशल' थे (१।१७।२-४)। कामरूपिणः उनका एक बहु-प्रयुक्त विशेषण है—वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। राम-लक्ष्मण से पहली भेट के समय हनुमान ने अपना कपि-रूप त्याग कर भिक्षु-रूप धारण कर लिया था। लका में सीता की गुप्त ढग से खोज करते समय भी उन्होंने अनेक रूप-परिवर्तन किये थे।

वानर अपने दातों और नखों का शस्त्रों के रूप में प्रयोग करते थे। बाघ के-से पँने दातों से उनकी आकृति विकृत और रोगटे खड़े कर देनेवाली हो जाती थी।^१

१ नखदंष्ट्रायुधाः सर्वे वीरा विकृतदर्शनाः । सर्वे शार्दूलदंष्ट्राश्च . .।।४।३।२४;
रोमहर्षणाः।४।३।२३

विशालकाय होने के कारण उनकी समता महागजो, बट और शाल-वृक्षो, पर्वतों तथा मेघो से स्थापित की गई है। उनका वर्ण सोने का-सा होता था। सुग्रीव को हेमपिगल और वाली को कनकप्रभं कहा गया है। लका पर धावा बोलनेवाले वानरो का मुख तावे-जैसा और रंग सोने-जैसा था (ताम्रवदना, हेमाभा)। लका में सीता को पहरेदारनियो ने 'तुमसे बातें करनेवाला वह ताम्रमुख कपि'^१ यह कहकर हनुमान की ओर सकेत किया था। वानरो के शरीर पर घने रोए होने थे। उनमें सुदरता का भी अभाव नहीं था। सुग्रीव के राजप्रामाद में दिव्य वस्त्र और मालाधारी 'प्रियदर्शन' वानर मौजूद थे। लक्ष्मण ने वहा रूप और यौवन से गर्वित वानर-स्त्रिया देखी थीं।^२ फिर भी यह निःसदिग्ध है कि रामायणकालीन वानर पूछ नामक उस 'लोचदार, मृदु उपकरण' से युक्त थे, जो आजकल के बदरो की विशेष पहचान है।

वानरो के अपने कतिपय मानसिक लक्षण भी थे, जो अन्य जातियो से उनका पार्थक्य स्थापित करते थे। उनके स्वभाव का सबसे उल्लेखनीय तथ्य उनका शारीरिक और मानसिक चापल्य था। राम ने वाली पर यही आरोप लगाया था। रावण की दृष्टि में वानरगण चपल, उद्धत और अस्थिर-चित्त थे—चपला ह्यविनीताश्च चलचित्ताश्च वानरा (६।५७।९)। उसने अपने गुप्तचर शुक से हँसते हुए पूछा था कि कही तुम चचल वानरो के फदे में तो नहीं पड गए थे।^३ जब भरत ने हनुमान के कथनानुसार राम को नियत समय पर अयोध्या लौटते नहीं पाया, तब उन्हें यह सदेह हुआ कि कही हनुमान का वक्तव्य कापेयी चलचित्ता (वानरी चचलता) से तो प्रेरित नहीं है।^४ वानरो की इस दुर्बलता को—उनके अस्थिर-मतिव को—हनुमान ने भी स्वीकार किया था—

नित्यमस्थिरचित्ता हि कपयो हरिपुंगव ।४।५४।९

वानरो के स्वभाव की एक और विशेषता थी, उनका तेज और गरम मिजाज। उनके लिए 'चड' (भीषण) विशेषण कई बार प्रयुक्त हुआ है। वे स्वभाव के रूखे

१. यस्त्वया कृतसवाद सीते ताम्रमुख कपि ।५।५३।२३

२. बह्वीश्च विविधाकारा रूपयौवनगर्विताः । स्त्रिय. सुग्रीवभवने ददर्श स महाबल. ।४।३३।२२

३. कञ्चिद्धानेकचित्ताना तेषा त्व वशमागत ।६।२४।२५

४. कञ्चिन्न खलु कापेयी सेव्यते चलचित्ता ।६।१२७।२३

होते थे और उनके साथ समझौते की बातचीत चलाना दूभर था ।^१ वानर लोग शरारती भी बहुत थे । उनकी शरारती से परेशान होकर मतग ऋषि ने अपने मतग-वन से उन्हें बहिष्कृत-सा कर रखा था (४।११।५५-९) । मधु-वन में वानरो के अनियंत्रित आमोद-प्रमोद का वर्णन करके कवि ने इस प्रकृतिः कपीनाम् (वानरी स्वभाव) का अत्यंत मनोरंजक चित्र उपस्थित किया है (५।६१) ।

वानर बड़े भावुक प्राणी थे । सौभाग्य या दुर्भाग्य आ पडने पर वे हर्ष या शोक से विभोर हो जाते थे । लका में मदोदरी को सीता समझकर हनुमान किस प्रकार प्रसन्नता से नाचने-कूदने और किलकारिया मारने लगे थे, इसका वाल्मीकि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है ।^२ हनुमान के लका से लौटने पर तथा राघव-भ्राताओं के नाग-पाशों से मुक्त होने पर वानरो ने अपना हर्षातिरेक शारीरिक हलचलो से प्रकट किया था । साथ ही, दुःख या विपत्ति आ पडने पर वानर लोग शोक-समुद्र में भी डूबने-उतराने लगते थे । राम और लक्ष्मण को नाग-पाश में जकड़ा देखकर उनके नेत्रों से आसुओं की गगा-यमुना बहने लग गई थी । प्रथम परिचय के समय जब लक्ष्मण ने सुग्रीव को सीता-हरण की घटना सुनाई, तब वानरराज इतने उद्विग्न हो उठे कि कवि को उनका वर्णन करने के लिए राहु-ग्रस्त सूर्य से घटकर कोई उपमान ही नहीं मिला ।

वानरो की एक और विशेषता उनकी कुतूहल की भावना थी । पुष्पक-विमान के अयोध्या के निकट आने पर उसमें बैठे वानर लोग उत्सुकता-वश उचक-उचककर नगर को देखने लगे थे ।^३ इसी औत्सुक्य-भावना ने उनमें शोरगुल करने और बातें फैलाने की भी प्रवृत्ति पैदा की । घनघोर युद्ध के समय विभीषण को देखकर वे एकदम आतकग्रस्त हो गए थे, उन्होंने इन्हे विकराल इद्रजित समझकर आपस में कानाफूसी करनी शुरू कर दी (कर्णे कर्णे प्रकथिताः) । बातूनी होने के कारण वे कही भी आपस में बातचीत करने का लोभ-सवरण नहीं कर सकते थे । इसीलिए उनसे सपात्ति को कहना

१. न ते सम्भाषितुं शक्या सम्प्रश्नोऽत्र न विद्यते । प्रकृत्या कोपनास्तीक्ष्णा वानरा राक्षसाधिप ॥७।२४।२९

२. आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छं ननन्द चिक्रीड जगौ जगाम । स्तम्भान-रोहन्निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् ॥५।१०।५४

३. उत्पत्योत्पत्य सहृष्टास्तां पुरी ददृशुस्तदा ॥६।१२३।५३

पडा कि सीता के विषय में मैं जो कुछ बता रहा हू उसे शोर-गुल किये बिना ध्यानपूर्वक सुनो (कृत्वा निःशब्दमेकाग्रा शृण्वन्तु हरयो मम, ४।६०।३०)। राम के महाप्रयाण के समय भी उनका अनुगमन करनेवाले वानर किलकारिया मारना नहीं भूले ।^१

वानर ऐसे सीधे-सादे लोग थे कि अनायास ही दूसरों के वहकावे में आ जाते थे । वाल्मीकि ने उनकी निराधार आशकाओ, सहज भोलेपन, मूर्खतापूर्ण कायरता और विचित्र अनुमानों के अनेक उदाहरण दिये हैं । एक बार पर्वताकार कुम्कर्ण को देखते ही वानरगण सभी दिशाओं में भाग खड़े हुए थे । इस भगदड़ को रोकने के लिए विभीषण ने राम को राय दी कि वानरों से यह कह देने पर कि लका में यह एक यत्र खडा किया गया है, वे निडर हो जायगे ।^२ तब अगद ने भागते हुए वानर-वीरों को संबोधित करके कहा कि यह राक्षस बडा योद्धा नहीं है, इसकी तो सिर्फ सूरत डरावनी है—यह राक्षसों की ओर से भेजी गई एक विभीषिका (डराने की चीज)-मात्र है । “महान और कुलीन वंश में उत्पन्न होकर तुम लोग निरें वदरों की तरह क्यों भाग रहे हो ? यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी स्त्रिया ही तुम लोगों का उपहास करेंगी और वह उपहास तुम्हें जीते-जी मृत्यु के समान दुःखदायी होगा । तुम जन-समुदाय में बैठकर जो डींग मारा करते थे कि हम बड़े प्रचंड वीर हैं और स्वामी के हितैषी हैं, वे सब बातें आज कहा चली गई ? ” (६।६६।२०-२२) । अगद की बात सुनकर वानर-वीर बड़ी कठिनाई से लौटे और हाथों में वृक्ष लेकर रणभूमि की ओर चले । राम के इन भोले साथियों के मन की इद्रजित ने सच्ची थाह पा ली और इन्हे भयभीत करने के लिए माया-सीता की हत्या रची । इस कपट से उसे निकुमिला देवी के मंदिर में होम करने का आवश्यक समय मिल गया, जिसके अनुष्ठान से वह अपने को अजेय बना लेना चाहता था । स्वयं हनुमान इद्रजित की इस माया से धोखा खा गए थे । एक बार पहले भी बुद्धिमान हनुमान ने रावण के अंत पुर में भ्रमवश मदोदरी को सीता समझ लिया था ।

१ स्नाता. प्रमुदिता. सर्वे हृष्टपुष्टाश्च वानराः । दृढ किलकिलाशब्दे. सर्वे राममनुव्रतम् ॥७।१०९।१६

२ उच्यता वानरा सर्वे यन्त्रमेतत्समुच्छ्रितम् । इति विज्ञाय हरयो भविष्यन्तीह निर्भया. ॥६।६१।३२

वानरगण सदा समूहो में निवास करते और टोलिया बनाकर विचरते थे । सीतान्वेषण करते समय उन्होने एक-दूसरे से विलग होने का खतरा कभी नहीं उठाया । इस समूह-प्रेम के कारण ही अगद, हनुमान, जाबवान आदि वानर-नेताओ ने अपने दल को छोटी-छोटी टोलियों में विभाजित करना सोचा ही नहीं, यद्यपि ऐसा करके वे विस्तृत दक्षिण-प्रदेश की शीघ्रता से खोजबीन करा सकते थे । यही दलगत आसक्ति वानरो को अपने नेताओ के अधानुकरण में प्रवृत्त करती थी । जब हनुमान ने ऋक्षबिल गुफा में से हस, सारस आदि जलचर पक्षियों को निकलते देखकर वानरो से कहा कि इसमें निश्चय ही जल है, तब भूखे-प्यासे वानरो ने तुरंत उनकी बात दुहराई और सबके-सब उस गुफा में जा धुसे (४।५०।१७) । इसी प्रकार जब अगद ने सीता की खोज करते-करते हताश होने पर अनशन करके प्राण-त्याग करने का निश्चय किया, तब उसके साथियों ने भी अपने अनुकरणात्मक स्वभाव-वश, बिना कुछ सोच-विचार किये, ऐसा ही करने का सकल्प कर लिया (४।५५।१९-२०) । वानरो का पराक्रम भी, जिसका रामायण में पर्याप्त वर्णन है, बहुत-कुछ उन्हे रण-क्षेत्र में ले जानेवाले नेताओ पर निर्भर करता था । राक्षस-वीर अकपन की बाण-वर्षा से नौ-दो-ग्यारह होनेवाले वानर-सैनिको और कप्तानो ने जब अकेले हनुमान को उससे जूझने के लिए तैयार देखा, तब वे भी साहस बटोरकर लौट आये (६।५६।९), और इसमें कोई शक नहीं कि उचित नेतृत्व और निर्देश मिलने पर वानर लोग, अपनी निराली युद्ध-प्रणाली द्वारा, शत्रु-पक्ष में आतंक फैला सकते थे ।

किष्किंधा नगर वानरो का गढ़ था । रावण के गुप्तचर सारण के अनुसार 'सौ वृद, एक सहस्र शकु और इक्कीस सहस्र कोटि वानर किष्किंधा में सुग्रीव के सगी-साथी थे' (६।२८।४-५) । किष्किंधा के अतिरिक्त देश में और भी कई स्थल, जैसे पर्वतीय और वन-प्रदेश तथा नदियों और समुद्र के तट, जहा पेड़ो और अन्य पदार्थों की बहुतायत थी, उनके निवास-स्थान थे ।

किष्किंधा को वाल्मीकि ने एक गुफा में स्थित बताया है । सुग्रीव को चेतावनी देने के लिए जाते समय लक्ष्मण ने इसी गुहा में प्रवेश किया था ।^१ यह गुफा अवश्य ही सामान्य अर्थ में समझी जानेवाली पर्वतीय गुहा नहीं रही होगी, क्योंकि कवि ने उसमें वृक्षो, पुष्पो, गुल्मो, प्रासादो, राजमार्गो, नदी-नालो आदि की स्थिति

१. अथ प्रतिसमादिष्टो लक्ष्मणः परवीरहा । प्रविवेश गुहां रम्या किष्किंधां
रामशासनात् ॥४।३३।१

बताई है (४।३३)। वानर-जीवन की यह विशेषता—उनका एक गुफा में निवास करना—या तो कवि की कल्पना-मात्र है, अथवा इस आदिम जाति के अर्ध-सभ्य तरीको की ओर एक संकेत है।^१

वाल्मीकि ने कई स्थलो पर वानरो की घनी आवादी का उल्लेख किया है, जिससे यह निश्चित प्रतीत होता है कि देश में उनका सख्या-बल अपरिमित था, और यह एक कारण रहा होगा, जिसने राम को उनकी सहायता लेने के लिए प्रेरित किया।

जिन वानर-मुख्यो को सुग्रीव ने राम की सहायताार्थ बुला भेजा था, वे आर्य-प्रदेशो के पूर्व और उत्तर में निवास करनेवाले आदिवासी राजा थे। वानरो का अपना स्वतंत्र अस्तित्व था और उनका समाज 'हरिगण' के नाम से ख्यात था। 'हरि' शब्द वानर का ही पर्यायवाची है। हरिगण की तीन शाखाएँ थी—ऋक्ष, गोलागूल और वानर। सामान्य धारणा के विपरीत ऋक्ष लोग भालू नहीं थे, वरन ऋक्ष पर्वत पर निवास करनेवाले हरिगण थे। गोलागूलो के विषय में सारण का कथन है कि वे काले मुहवाले, घोर और महाबली होते हैं (६।२७।३२), पर वानरो की सभ्यता काफी समुन्नत थी।

वानरो का समाज अनेक यूथो या वर्गों में विभक्त था, जिनके मुखिया 'यूथप' कहलाते थे। दुर्धर, केसरी, गवाक्ष और नील प्रसिद्ध यूथप थे। इन यूथपो के ऊपर सनादन और जाववान-जैसे महायूथप हुआ करते थे, और इन सब पर 'महा-यूथप-यूथप' (प्रधान सेनापति) का नियंत्रण रहता था। समूची वानर-जाति का सर्वोच्च नेता राजा होता था, जो किष्किंधा के गिरि-दुर्ग में अपने यूथपो के साथ रहता था। पहाड़ो या वनो में निवास करनेवाले समस्त वानर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, नल, नील और हनुमान-जैसे यूथपो की अधीनता में, अतत वाली या सुग्रीव के आज्ञाकारी थे। प्रत्येक वानर व्यक्तिगत रूप से राजा के प्रति अनुरक्त रहता था। शांति-काल में वह उसके लिए स्वदेश में श्रम करता और युद्ध-काल में सुदूर देशों में लड़ने के लिए जाता। सर्वत्र राजा और प्रजा, शासक और शासित में व्यक्तिगत सवध कायम रहते थे। इस समाज-व्यवस्था से मध्ययुगीन सामंत-प्रथा का बहुत साम्य दीख पड़ता है।

वानरो का अपना राजनीतिक सगठन भी था । कवि ने 'कपिराज्य' के अनेक उल्लेख दिये हैं, जो वानरो के एक सुगठित राज्य की ओर सकेत करते हैं । अगद ने तो एक बार सुग्रीव से स्वतंत्र रहकर एक नया वानर-राज्य स्थापित करने की ठान ली थी ।^१ वानरो में राजा का पद परंपरागत होता था और ज्येष्ठ पुत्र उसका उत्तराधिकारी । राजा का अपना मन्त्रिमंडल तथा अपनी गुप्तचर-व्यवस्था थी । वाली के पिता के दिवंगत होने पर उसके मन्त्रियों ने ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते वाली का राजतिलक किया था । सुग्रीव का राज्याभिषेक उसके अमात्यो द्वारा अनुमोदित था और राजकीय वैभव एवं शास्त्रीय विधि से संपन्न हुआ था (४।२६) । सुग्रीव के निःसंतान होने के कारण वाली के पुत्र अगद को युवराज बनाया गया । राम-सुग्रीव की मित्रता की सूचना गुप्तचरो ने अगद को दी थी और अगद ने तारा को ।^२ हनुमान को दूत के कर्तव्यो का पूरा पता था । सुग्रीव को मोह-निद्रा से जगाते समय उन्होंने राजकीय 'कोष' की ओर सकेत किया था (४।२९।११) । हर प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक सगठन के मूल में स्वामित्व और संपत्ति की भावना काम करती है और ये भावनाएँ वानरो में भी प्रचलित थीं । क्रुद्ध लक्ष्मण को शांत करते हुए तारा ने कहा था कि राम का प्रिय करने के लिए सुग्रीव मुझे, रुमा, अगद, राजपाट, धन-धान्य और पशुओ को भी छोड़ सकते हैं ।^३ सीता को ढूँढने दक्षिण दिशा में गए वानरो ने जब समुद्र के विस्तार से अपने प्रयत्नो को कुठित होते देखा, तब अगद ने भावावेश में कहा था—“अब किसके प्रसाद से हम लोगो का प्रयोजन सिद्ध होगा, और हम सुखपूर्वक लौटकर अपनी स्त्रियो, पुत्रो और घरों को फिर देखेंगे ?”—

कस्य प्रसादाद्वारांश्च पुत्रांश्चैव गृहाणि च ।

इतो निवृत्ता पश्येम सिद्धार्था सुखिनो वयम् ॥४।६४।१७

वानरो के राज्य को आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, पर था वह अयोध्या-नरेशो का करद । राम ने शैलो और काननोवाले समस्त वानर-प्रदेश को अयोध्या-साम्राज्य

१. अथ मेने हृत राज्य हनुमानङ्गदेन तत् ॥४।५४।१, टीका देखिए ।

२. अङ्गदस्तु कुमारोऽयं वनान्तमुपनिर्गतः । प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैरासी-
न्निवेदिता ॥४।१५।१६

३. रुमां मां चाङ्गदं राज्यं धनधान्यपशूनि च । रामप्रियार्यं सुग्रीवस्त्यजेदिति
मतिर्मम ॥४।३५।१३

के अतर्गत वताकर वाली के वध को उचित और न्यायसगत सिद्ध किया था।^१

वनचर जाति होने के कारण वानर लोग फल-मूल-जैमे प्रकृति-प्रदत्त आहार से ही अपनी उदर-पूर्ति करते थे। लक्ष्मण को शात करते समय तारा ने 'धान्य' या अन्न का जो उल्लेख किया (४।३५।१३), उससे वानरो के आहार में अन्न के समाविष्ट होने की ध्वनि आती है। पर आग का व्यवहार जानते हुए भी वानरो के लिए भोजन पकाने की कला अज्ञात थी। इस दृष्टि में वे आर्यों और राक्षसों से पिछड़े हुए थे। वानर नर-नारियो दोनों की मद्य-पान में अत्यधिक आसक्ति थी।

सामान्य धारणा के प्रतिकूल वानर लोग बदरो की तरह नग-घडग नहीं घूमते थे, वरन सुदर वस्त्राभूषण धारण करते थे। वे प्रायः दो वस्त्र पहनते थे। इसका पता राम के प्रति सुग्रीव के इस कथन से चलता है कि वाली ने मुझे मात्र एक वस्त्र देकर ही निकाल दिया।^२ वानर लडने से पहले अपना अधोवस्त्र कमर में लपेट लिया करते थे। सुग्रीव ने लगोट से अपनी कमर खूब कस लेने के बाद (गाढ परिहित) वाली को ललकारने के लिए आकाश-भेदी गर्जना की थी। वाली की अत्येष्टि पूर्ण होने के समय शोक-मग्न सुग्रीव ने गीले वस्त्र पहन रखे थे (क्लिन्नवाससम्)। सीता ने सर्वप्रथम हनुमान को एक श्वेत वस्त्र पहने हुए देखा था (वेष्टितार्जुनवस्त्रम्)।

वानर आभूषणों का प्रचुर व्यवहार करते थे। सुग्रीव के राजप्रासाद की रमणिया भूषणोत्तमभूषिताः थी (४।३३।२३)। वाली को वाल्मीकि ने 'हिममाली' (सोने की माला पहननेवाले) की सजा दी है। राम के चरणों में प्रणाम करते समय सुग्रीव के गले के आभूषण लटकने लगे थे (प्रलम्बीकृतभूषणाः)। वानरो में कला-प्रियता भी विद्यमान थी। पुष्प, गध, प्रसाधन और अगराग के वे शौकीन थे। किर्किधा का वायुमडल चदन, अगुरु और कमलो की मधुर गध से सुवासित रहता था (चन्दनागुरुपद्माना गन्धं सुरभिगन्धिताम्, ४।३३।७)। लक्ष्मण ने सूर्य के समान तेजस्वी सुग्रीव को 'सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य विछौने पर विराजमान

१. इक्ष्वाकूणामिय भूमिः सशैलवनकानता । मृगपक्षिमनुष्याणा निग्रहानुग्रहे-
ष्वपि ॥४।१८।६

२. एवमुक्त्वा तु मा तत्र वस्त्रेणैकेन वानर । तदा निर्वासयामास वाली विगत-
साधवस ॥४।१०।२६

देखा था—वह दिव्य मालाओ और वस्त्राभूषणो से सज्जित थे तथा अलंकृत युवतिया उन्हें घेरे खडी थी' (४।३।४।६३-४) ।

वानरो के रीति-रिवाज बहुत-कुछ आर्यों से मिलते-जुलत थे । उनके मूल आचार-विचार भले ही कुछ और रहे हो, पर राम के समय तक उन्होने आर्यों की सस्कृति और उनके शिष्टाचार के नियम अपना लिये थे । अतिथि-सत्कार तथा सम्य व्यवहार में वानर आर्यों से घटकर नही थे । अपरिचितो का परिचित एव विश्वास-भाजन बनने में हनुमान बेजोड थे । पहली भेंट में ही वह अपने विनम्रतापूर्ण व्यवहार तथा शालीन शब्दों से राम के प्रीति-पात्र बन गए थे । मायावी शत्रु-देश में भी वह सशक और सावधान सीता को, अपने युक्तिपूर्ण भाषण और मनोहर शिष्टाचार से, नि शक और हर्षित कर सके थे । एक-दूसरे के प्रति भी वानरो का बर्ताव शिष्ट और विनीत था । लका से हनुमान के लौटने पर साथियो ने उनका जो हार्दिक स्वागत किया, उससे यह प्रकट होता है (५।५।७।३२-६) । सुग्रीव ने पहले अपने श्वसुर सुषेण के पास नम्रतापूर्वक जाकर उनके चरणो में प्रणाम किया और फिर अजलि-बद्ध होकर उनसे सीता की खोज में पश्चिम दिशा की ओर जाने की प्रार्थना की । आर्य गुरुजनो की उपस्थिति में वानर उपयुक्त शिष्टाचार का पालन करना भली भाँति जानते थे । अपने राज्याभिषेक के बाद जब सुग्रीव पहले-पहल राम के दर्शनार्थ प्रस्रवण पर्वत पर गए, तब वह दूर से ही अपनी पालकी से उतर पडे और समीप आने पर हाथ जोडकर उनके चरणो में गिर पडे । अन्य वानरो ने भी अजलि-पुटो द्वारा राम का अभिवादन किया (४।३।८।१५-९) ।

उपहारो का आदान-प्रदान करने की प्रथा वानरो में खूब प्रचलित थी । वानर-सैन्य को इकट्ठा करने के लिए सुग्रीव ने जिन अनुचरो को आदेश देकर भेजा था, उन्होने हिमालय पर शिव की यज्ञ-भूमि से दिव्य फल-मूल और ओषधिया अपने राजा को समर्पित करने के लिए ले ली थी (४।३।७।३१-२) । सुग्रीव के राज्याभिषेक की घडी में हनुमान ने राम से साग्रह प्रार्थना की थी कि आप कृपापूर्वक किष्किंधापुरी पधारें, जिससे उपकृत वानरराज पुष्पो और रत्नो से आपका सत्कार कर अपना आभार प्रकट कर सके (४।२।६।४-८) ।

सुग्रीव का राज्याभिषेक, जो शास्त्रीय विधि तथा परंपरागत प्रणाली से सपन्न हुआ था, इस बात का सूचक है कि वानर आर्यों की ही रीति-नीति का पालन करते थे । वाली की और्ध्वदैहिक क्रिया भी प्रमाणित करती है कि वानर-जाति अपने

धार्मिक मस्कारों में सर्वथा आर्य बन गई थी—उसका दृष्टिकोण और उसके आचार-विचार आर्यों के रंग में रंगे जा चुके थे ।

वानर-साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा नगरी मुख और वैभव की क्रीडास्थली थी । लक्ष्मण के प्रवेश करते समय का उमका जो चित्रण महाकवि की लेखनी से प्रभूत हुआ है, वह वानर-राज्य की आर्थिक समृद्धि पर भरपूर प्रकाश डालता है । 'उमके राजमार्गों पर प्रधान वानर-वीरो के विध्य और मेरु के तुल्य विशाल और अनेक घन-वाले महल बने थे, जो श्वेत मेघों के समान उज्ज्वल, मुगधित मालाओं में सुमज्जित, प्रचुर घन-धान्य से सपन्न तथा स्त्री-रत्नों में मुशोभित थे । वानरराज मुग्रीव का शुभ्र प्रामाद इद्र-भवन की शोभा को मात कर रहा था—वह कैलास-शृंगों के सदृश शिखरों से युक्त, दिव्य मालाओं से वेष्टित, मुवर्ण के तोरणों से विभूषित, दिव्य पुष्प और इच्छित फल प्रदान करनेवाले मनोहर वृक्षों में सज्जित तथा सशस्त्र वानरों से सुरक्षित था । सवारियों और आमनों से मुशोभित मात इयोदियों के पार सुग्रीव का गुप्त और विस्तीर्ण अंत पुर था, जहा सोने-चादी के पलग और अनेक उत्तम मत्त पड़े थे । उन सब पर बहुमूल्य विद्युत्ने विछे थे । वहा प्रवेश करते ही लक्ष्मण को सगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी । वीणा की लय पर कोई कोमल कंठ से गीत गा रहा था, जिसमें प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण स्वर-ताल के साथ हो रहा था' (४।३३।१२-२४) ।

वाल्मीकि ने वानरों के यौन सधधों में अनियमितता दिखाई है । हनुमान-जन्म की परिस्थितियों में इसका आभास मिलता है । एक वार केसरी वानर की पत्नी अजना, रूप और यौवन से शोभित होकर, पर्वत-शिखर पर भ्रमण कर रही थी । उसके झीने वस्त्र को वायु ने धीरे से हर लिया, जिससे उसके अगाग का सौंदर्य निरावरण हो गया । काम-मोहित होकर वायु ने दोनों भुजाएँ बढ़ाकर उसका आलिंगन कर लिया—अजना के गर्भ में वायु का तेज प्रविष्ट हो गया । उसके विरोध करने पर वायु ने उसे अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करने का आश्वासन दिया । इससे वह प्रसन्न हो गई और फिर एक निर्जन गुफा में जाकर उसने हनुमान को जन्म दिया (४।६६।८-२०) ।

यद्यपि जाववान ने हनुमान को वायु का औरस पुत्र और केसरी का क्षेत्रज पुत्र^१

१. स त्व केसरिण पुत्र क्षेत्रजो भीमविक्रम । भास्तस्यौरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः ॥४।६६।२९-३०-

बताया था और यद्यपि इस बात में हनुमान स्वयं गर्व का अनुभव करते थे, तथापि उक्त घटना को उस नियोग-पद्धति से नहीं जोड़ा जा सकता, जो महाभारत-काल में आकर एक समाज-समत प्रथा बन गई थी। एक तो यहाँ पर किसीने किसी के हित में पुत्रोत्पादन करने के लिए वायु को 'नियुक्त' नहीं किया था। दूसरे, वायु ने काम-भावना से प्रेरित होकर ही अजना से सपर्क किया, जबकि शास्त्रीय आज्ञानुसार नियोग करनेवाले व्यक्ति को स्त्री के पास वासना-रहित होकर जाना चाहिए। अतएव यह यौन सपर्क स्पष्टतः वायु और अजना का एक अमर्यादित कृत्य था।

वाली और सुग्रीव का वैवाहिक जीवन इस बात का उदाहरण है कि वानरो की यौन शिथिलता कभी-कभी अवैध सबधों का रूप धारण कर लेती थी—ऐसे सबध, जिनमें यौन संपर्क धर्म और व्यवहार दोनों दृष्टियों से वर्जित है। राम ने वाली को फटकारते हुए कहा था—“तुम पापी हो और सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री रुमा का, जो तुम्हारी पुत्रवधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो। यही कारण है, जिससे मैंने तुम्हारा वध किया है। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम-बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड है” (४।१८।१८-२३)। आश्चर्य की बात है कि सुग्रीव के ऐसे ही पाप पर राम ने आखें मूढ़ ली थी। जब वाली दुदुभि से द्वन्द्व-युद्ध करते-करते दीर्घ काल तक गुफा से बाहर नहीं निकला, तब सुग्रीव ने, जो एक वर्ष तक गुफा-द्वार पर उसकी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे थे, उसे मरा हुआ समझ लिया और किष्किंधा लौटकर उन्होंने राज्य के साथ-साथ अपनी पत्नी रुमा और वाली की पत्नी तारा पर भी अधिकार कर लिया—राज्यं च सुमहत्प्राप्य तारा च रुमया सह (४।४६।९)। किंतु जब वाली दुदुभि को परास्त करके लौटा, तब उसने रुमा को छीनकर सुग्रीव को निकाल बाहर किया। अतः में वाली की मृत्यु होने पर सुग्रीव ने अपनी पत्नी रुमा तो फिर से पा ही ली, वाली-पत्नी तारा को भी हथिया लिया। मृत शत्रु की विधवा को युद्ध की लूट के रूप में ले लेने का यह रिवाज वानर-जाति में अवशिष्ट बर्बर प्रथाओं का सूचक है।

यह भी विचारणीय है कि अपनी पत्नी रुमा को पुनः पा लेने पर सुग्रीव ने उसकी न कोई शुद्धि कराई, न अग्नि-परीक्षा ली। पर-पुरुष की रखैल बनकर रहने-

१. यस्याह हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिलि। हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा ॥५॥३५॥८१

वाली अपनी भार्या को पुनः अगीकार करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने उसे ग्रहण ही नहीं किया अपितु उस पर अपना समस्त अनुराग भी उडोला। जब लक्ष्मण बेरोकटोक वानरराज के अंतपुर में जा पहुँचे, तब सुग्रीव रुमा (और तारा) के साथ विलास में डूबे हुए थे।^१

इस यौन अमर्यादा और अनियमितता के बावजूद वानर-समाज में विवाह का वह सस्कार पूर्णतया रूढ़ हो चुका था, जो किसी पुरुष और स्त्री को पति-पत्नी के रूप में परस्पर अनुरक्त बना देता है। पुष्पक-विमान में लका से स्वदेश लौटते समय मार्ग में सीता ने यह इच्छा प्रकट की थी कि मैं तारा, रुमा तथा अन्य प्रमुख वानर-पत्नियों को साथ लेकर अयोध्या जाना चाहती हूँ (६।१२३।२४-५)। यदि वानरो में विवाह-सवध प्रचलित न होता तो सीता इन वानर-पत्नियों का उल्लेख न करती। तारा ने भी किष्किंधा के विवाहित और अविवाहित वानरो का उल्लेख किया था।^२ वाली की मृत्यु पर उसके विलाप-प्रलाप में पति-पत्नी-सवध की प्रगाढता ध्वनित होती है।

स्त्री-पुत्रों की ममता और परिवार का वधन ही घर-द्वार से दूर विचरण करनेवाले वानरो का प्रधान सबल था—प्रिय जनो की स्मृति उन्हें लक्ष्य-प्राप्ति करके शीघ्र घर लौटने को आदोलित करती थी। हनुमान ने सीता की खोज करते समय अगद को सचेत कर दिया था कि इन चंचल-चित्त वानरो को अपने स्त्री-पुत्रों से विछुड़े काफी समय हो गया है, और कोई आश्चर्य नहीं यदि ये अब, उनकी याद में उद्विग्न होने के कारण, तुम्हारी आज्ञा मानने से इन्कार कर दें (४।५४।७,९)। वानरो के इस पारिवारिक प्रेम से परिचित होने के कारण ही राम ने लका-विजय के बाद इद्र से यह वर मागा था कि जो वानर मेरे लिए युद्ध में मरकर अपने स्त्री-पुत्रादि से विछुड़ गए हैं, उन्हें आप जीवित कर दें (६।१२०।५-६)।

वानरो के मुख से कवि ने उच्च एव आदर्श नैतिक भावनाओं को अभिव्यक्त कराया है। उदाहरणार्थ, अगद की दृष्टि में उसके चाचा सुग्रीव को धर्म का बिलकुल ज्ञान नहीं था, क्योंकि 'उन्होंने मेरे पिता के जीवन-काल में ही मेरी माता तारा का,

१ स्वां च पत्नीमभिप्रेता तारा चापि समीक्षिताम् । विहरन्तमहोरात्र कृतार्थं विगतज्वरम् ॥४।२९।४

२ अभार्या सहभार्याश्च सन्त्यत्र वनचारिणः । ४।१९।१६

जो बड़े भाई की पत्नी होने के नाते उनके लिए मातृ-तुल्य होनी चाहिए थी, कामवश उपभोग किया था' ।^१ नैतिक उदात्तता की दृष्टि से यह कथन आर्यों के आदर्श से मेल खाता है । जब वायु ने कामोन्मत्त होकर अपनी लंबी भुजाओं से अजना का आलिंगन किया और जब 'आत्मा से आत्मा मिल चुकी थी' (गतात्मा), तब उस वानरी ने विरोध करते हुए कहा कि यह कौन है, जो मेरे पातिव्रत्य को भग करने का दुःसाहस कर रहा है—एकपत्नीव्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति (४।६६।१६) । सीता की खोज में रावण के अतः पुर को दूढ़ते समय हनुमान को मद्य और मदन के नशे में चूर अनगिनत सुदरिया अस्तव्यस्त दगा में निद्रा-मग्न दिखाई पड़ी थी । इस पर वह धर्म-लोप के भय से सशक्त होकर सोचने लगे— "मैंने आज तक कभी दूसरों की स्त्रियों पर दृष्टि नहीं डाली, और आज इस प्रकार अतः पुर में सोई पराई स्त्रियों को देखना मेरे धर्म को बिलकुल नष्ट कर देगा ।" कुछ देर बाद उन्हें यह जानकर आत्म-सतोष की प्रतीति हुई कि "इन पर-स्त्रियों को मैंने काम-वृद्धि से नहीं देखा है । समस्त इन्द्रियों की शुभ या अशुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति का कारण मन ही है और मेरा मन निर्विकार रहा है" (५।११।३७-४२) । वाली-कृत राम की आलोचना आज भी नैतिक तर्क का एक ज्वलंत नमूना है (४।१७) ।

रामायण के अध्ययन से वानरों के धर्म-कर्म की भी जानकारी मिलती है । वे आर्यों के ही देवताओं की पूजा-अर्चना करते और उन्हींके धार्मिक कृत्यों का पालन करते थे । वे पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करते थे । धार्मिक अनुष्ठानों में वे ब्राह्मण कर्मकांडियों का सहयोग लेते थे । अपने राज्याभिषेक के अवसर पर सुग्रीव ने रत्न-वस्त्र एवं भोज्य-पदार्थों का दान देकर द्विज-श्रेष्ठों को प्रसन्न किया था (४।२५।२९) । समृद्धि-प्राप्ति के लिए वानर स्वस्त्ययन-जैसे मागलिक कृत्य करते थे । वाली को विदा करते समय तारा ने प्रदक्षिणा करके उसकी विजय-कामना से विधिपूर्वक स्वस्त्ययन किया था ।^२ लका की ओर उड़ान भरने से पहले हनुमान ने सूर्य, महेंद्र, पवन, स्वयंभू ब्रह्मा और भूतो को नमस्कार किया था (५।१।८) । लका में भी अशोकवाटिका में घुसने से पहले उन्होंने विजय की इच्छा से ब्रह्मा,

१. ग्रातुर्ज्येष्ठस्य यो भार्या जीवतो महिषीं प्रियाम् । धर्मेण मातरं यस्तु स्वी-
करोति जुगुप्सितः ॥ कथं स धर्मं जानीते... १४।५५।३-४

२. चकार रवतो मन्दं दक्षिणा सा प्रदक्षिणम् । ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्-
विजयंदिनी ॥ ४।११२।११

अग्नि, वायु, वज्रधारी इद्र, पाशयुक्त वरुण, चद्र, सूर्य, अश्विन, मरुत, ऋषियो तथा सब भूतो की अम्यर्थना की थी (५।१३।६२-५)।

वानरो की जाति पर्याप्त सुसस्कृत और सुशिक्षित थी। सुग्रीव के सचिव हनुमान रामायण के सर्वाधिक प्रमुख वानर हैं, जिन्होंने अपनी सस्कृति और शिक्षा से राम को अतिशय प्रभावित किया था। वह 'वाक्यज्ञ' और 'वाक्य-कुशल' थे (४।३।२४), अर्थात् उन्हें शब्दों का शास्त्रीय ज्ञान तो था ही, उनके समुचित प्रयोग में—व्याकरण, व्युत्पत्ति और अलकारों के व्यवहार में—भी वह पूर्णतया विचक्षण थे। उनकी प्रथम बातचीत से राम ने यह अनुमान लगा लिया कि 'जैसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। इन्होंने निश्चय ही व्याकरण-शास्त्र का कई बार स्वाध्याय किया होगा, क्योंकि बहुत-सी बातें करने पर भी इनके मुह से कोई अशुद्धि नहीं निकली।'^१ हनुमान एक आदर्श वक्ता थे—उनकी वाणी बुद्धि के आठों गुणों से भूषित थी।^२ वह उन आदर्श सचिवों और दूतों में से थे, जो अपनी वाणी का आश्रय लेकर ही अपने स्वामी का मनोरथ पूरा कर लिया करते हैं।^३ तलवार लेकर वध करने को उतारू शत्रु का हृदय भी उनकी-सी अद्भुत वाणी से बदल सकता है।^४ ऐसे पंडित-प्रवर को लक्ष्मण ने आरंभ से ही 'विद्वन्' कहकर संबोधित किया था (४।३।३७)

सुग्रीव ने उनमें 'वल, बुद्धि, पराक्रम, देश-काल के अनुसार आचरण और

१ नानृग्वेदेविनीतस्य नायजुर्वेदधारिण । नासामवेदविदुषः शक्यमेव विभाषितुम् ॥ नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम् । बहु व्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम् ॥४।३।२८-९

२. बुद्ध्या ह्यष्टागया युक्तं त्वमेवाहंसि भाषितुम् । ६।११३।२४; शुभ्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा । ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणा ॥ अर्थात् सुनने की इच्छा, सुनना, ग्रहण करना, स्मरण रखना, तर्क-वितर्क द्वारा सिद्धांत का निश्चय करना, अर्थ का ज्ञान होना तथा तत्व को समझना, ये बुद्धि के आठ गुण हैं।

३. एवगुणगणैर्युक्ता यस्य स्युः कार्यसाधकाः । तस्य सिध्यन्ति सर्वेऽर्था दूत-वाक्यप्रचोदिता ॥४।३।३५

४. कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि ॥४।३।३३

नीति' इन गुणों का समवाय पाया था ।^१ उनमें सिद्धि, मति, व्यवसाय, शूरता और शास्त्र-ज्ञान सब कुछ प्रतिष्ठित था ।^२ विभीषण के राम की शरण में आने पर हनुमान ने उपयुक्त राय देकर अन्य वानर-वीरों की तुलना में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की थी—वह सभ्य, विनीत और शास्त्र-संस्कार से संपन्न थे, उनके वचन मधुर, सारगर्भित और संक्षिप्त थे, तर्क, स्पर्धा, संघर्ष, बुद्धि के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से उन्होंने अपनी समति नहीं दी थी ।^३

हनुमान ओषधियों का भी ज्ञान रखते थे, भले ही वह सुषेण और जांबवान की तरह निपुण न रहे हों । उनका सुशिक्षित मस्तिष्क नये-नये स्थानों की सांस्कृतिक विशेषताओं का मूल्यांकन करने में सदा सजग रहता था । सीता की खोज करते समय उन्होंने रमणीय ऋक्षविल को ढूँढ निकाला तथा उसकी सुसंस्कृता तपस्विनी अधिष्ठात्री स्वयंप्रभा का परिचय प्राप्त कर गुफा के इतिहास की शोध कर डाली । राम के गुप्त दूत की हैसियत से वह सीता-दर्शन करने के साथ-साथ महानगरी लंका की सुनियोजित निर्माण-व्यवस्था तथा वहाँ के कलापूर्ण आकर्षणों और रमणी-रत्नों के सौंदर्य का भी अवलोकन करना नहीं चूके । सुशिक्षित सीता से समाषण करते समय उन्होंने शास्त्र-ज्ञान-प्रसूत उपमाओं का जो विवेकपूर्ण उपयोग किया तथा सीता के विश्वासार्थ राम की बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक विशेषताओं का जो सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किया, वह सब उनकी उत्कृष्ट बौद्धिक प्रतिभा का परिचायक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसीकी शिक्षा-दीक्षा का समालोचन एवं विश्लेषण तब तक नहीं कर सकता, जब तक वह स्वयं शिक्षित न हो और समालोचित शिक्षा से अभ्यस्त न हो । संक्षेप में, हनुमान एक पूर्ण मानव, वानर-जाति के सर्वोत्तम रत्न थे, जिनमें बल, शूरता, शास्त्र-ज्ञान, उदारता, पराक्रम, दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय आदि उत्तम गुणों का अद्भुत एवं अनुकूल समिश्रण था— एते चान्ये च बहवो गुणास्त्वय्येव शोभन्ता. (६।११३।२५-६) ।

१. त्वय्येव हनुमन्नस्ति बल बुद्धिः पराक्रमः । देशकालानुवृत्तिश्च नयश्च नयपण्डित ॥४।४।३

२. हनुमतीह सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तम । व्यवसायश्च शौर्यं च श्रुतं चापि प्रतिष्ठितम् ॥५।६।३३-४

३. न वादान्नापि संघर्षान्नाधिक्यान्न च कामतः । वक्ष्यामि वचनं राजन्यथार्थं रामगौरवात् ॥६।१७।५२

वाल्मीकि ने प्रसंगवश और भी कई वानरो की शिक्षा-दीक्षा की ओर सकेत किया है। विभीषण की शरणागति के समय राम ने जिन वानर-वीरो से परामर्श किया था, उनमें शरभ अपने अर्थ-निश्चय (राजनीतिक समस्याओं के समाधान) के लिए, जांबवान अपनी शास्त्र-बुद्धि, विचक्षणता और दोष-रहित वक्तृता के लिए तथा मेद अपनी युक्तियुक्तता के लिए प्रख्यात थे। सुग्रीव ने अपने भाषण में कौओ और उल्लुओ के आख्यान का हवाला देकर यह समति दी कि भ्रातृ-द्रोही राक्षस विभीषण को उसके सचिवों-सहित मार डालना चाहिए। इस पर राम ने प्रत्युत्तर दिया कि हे हरीश्वर, जैसी राय तुमने दी है, वैसी तो शास्त्रों का अध्ययन न करने-वाला और गुरुजनों की सेवा न करनेवाला भी नहीं दे सकता। राम ने कडु ऋषि की एक गाथा को उद्धृत किया और उसमें निर्दिष्ट शरणागत-रक्षा के उपदेश को हृदयगम करने के लिए सुग्रीव से कहा (६।१७-८)। इससे यह सिद्ध है कि सुग्रीव ने निश्चय ही शास्त्राध्ययन किया था और गुरुजनों से शिक्षा भी ग्रहण की थी तथा यह कडु-जैसे ऋषि द्वारा रचित गाथा-साहित्य से भी लाभ उठाने में समर्थ थे।

वानर लोग सुदूर देशों की यात्रा करने के शौकीन थे। उत्तरकांड में वर्णन आता है कि वाली 'सद्योपासन के लिए प्रतिदिन चारों समुद्रों की यात्रा करता था'।^१ अपनी ज्ञान-पिपासा शांत करने के लिए हनुमान ने विश्व-भ्रमण किया था। जांबवान ने समुद्र-मथन के समय इक्कीस वार पृथ्वी-परिक्रमा की थी। विभिन्न देशांतरो से परिचित होने के कारण वानरो को ओषधियों और उनके प्राप्ति-स्थान का भली भांति पता था। सच तो यह है कि वानर उस युग के श्रेष्ठ चिकित्सक थे। लंका-युद्ध के दौरान में राम, लक्ष्मण तथा अन्य अनेक वीरो की जीवन-रक्षा वानर-वैद्य सुषेण की सामयिक चिकित्सा से ही संभव हो सकी थी।

वाल्मीकि ने वानर-नारियों में वाली और सुग्रीव की पत्नी तथा सुषेण की पुत्री तारा को एक बहुज्ज, तेजस्वी और प्रतिभागालिनी नारी के रूप में चित्रित किया है। जब सुग्रीव दूसरी वार वाली से लडने आये, तब तारा ने इसमें कोई रहस्य भापकर अपने पति से अनुरोध किया कि आप सुग्रीव और राम से समझौता कर लें। यद्यपि वाली ने तारा की राय न मानी, फिर भी वह उसके सुहृदोचित स्नेह और

परामर्श के लिए आभार प्रकट करना न भूला ।^१ प्राण-त्याग से पहले उसने तारा की बुद्धिमत्ता की प्रभूत प्रशंसा करते हुए सुग्रीव से कहा था—

सुषेणद्रुहिता चैयमर्थसूक्ष्मविनिश्चये ।

औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता ॥

यदेषा साध्विति ब्रूयात्कार्यं तन्मुक्तसंशयम् ।

न हि तारामतं किञ्चिदन्यथा परिवर्तते ॥४१२२।१३-४

अर्थात् सुषेण की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयो के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातो के चिह्नो को समझने में सर्वथा निपुण है । जिस कार्य को यह अच्छा बताये, उसे तुम निश्चय होकर कर डालना—तारा की किसी भी संमति का उलटा परिणाम नहीं होता ।

स्पार्टा की स्त्रियो की तरह तारा को भी वीरोचित प्रशिक्षण मिला जान पड़ता है । वह एक 'अनिद्यवर्णा, चारुनेत्रा, प्रियवादिनी और चारुहासिनी' सुन्दरी थी । उस मनम्विनी महिला की लोक में पर्याप्त ख्याति थी (लोकश्रुता) । उसका पुराण-ज्ञान विस्तृत था । क्रुद्ध लक्ष्मण को तुष्ट करने के लिए उसने पुराणो के अनेक अश प्रमाण-स्वरूप उद्धृत किये थे (४।३३।५१-७) । सीता की खोज कराने में सुग्रीव की शिथिलता का कारण बताते हुए उसने, परपरागत ज्ञान के आधार पर, लक्ष्मण से कहा था कि सुग्रीव तो स्वभाव से ही चंचल वानर हैं, उस पर उन्हें राज्य मिल गया है, ऐसी दशा में वह सुख-भोग में क्यों न आमन्त्रित होंगे ? अपनी स्त्री-सुलभ चतुरता, काता-संमित अनुनय-विनय एवं धर्मानुकूल सारगर्भित वचनो से चद्रमुखी तारा ने सुग्रीव के प्रति लक्ष्मण के मनोमालिन्य को दूर कर दिया । निश्चय ही तारा एक असाधारण नारी थी ; स्त्रियोचित दाक्षिण्य और गुणो के साथ-साथ उसमें उच्च कोटि की राजनयज्ञता और वाग्मिता विद्यमान थी—सरस भावुकता के साथ क्षत्रियोचित निडरता भी थी । सुख के समय सुकुमार और विलास-प्रिय, पर आवश्यकता आ पड़ने पर कठोर और दृढ निश्चयी बनने की उसमें क्षमता थी । वास्तव में तारा ही पहले वाली और फिर सुग्रीव के द्वारा किष्किंधा का राज्य-संचालन करती थी—उन दोनों की नीतियाँ और कार्य तारा के निर्देशानुसार निर्वाहित होते थे । जब सुग्रीव भोग-विलास में निमग्न थे, तब तारा ने ही सजग रहकर सीता की खोज का प्रबंध

करवाया था (४।३५।१९-२२) । सीता ने तारा के इस विशिष्ट व्यक्तित्व को भली भाँति परखा होगा, तभी उन्होंने लका से अयोध्या की विजय-यात्रा में समिलित होने के लिए तारा को भी आमंत्रित किया था ।

वानर-संस्कृति की उक्त विवेचना के बाद यह प्रश्न स्वतः ही समाधान के लिए उठ खड़ा होता है कि वानर बदर थे या मनुष्य । इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह उपस्थित होती है कि स्वयं कवि ने वानरो के चित्रण में परस्पर विरोधी या असंगत बातों का आश्रय लिया है । कभी-कभी तो वह उन्हें निरंजित बदरो के रूप में चित्रित करता है और इस साम्य को कायम रखने के प्रयत्न में अनेक युक्तियों का सहारा लेता है । पहली बार सुग्रीव का वर्णन करते समय कहा गया है कि 'वह वानरेंद्र मन को वश में रखनेवाले, महान पराक्रमी, तेजस्वी, अनंत कातिमान, सत्यप्रतिज्ञ, विनीत, धैर्यवान और परम बुद्धिमान है' (३।७२।१३-४) । निस्संदेह यह वर्णन बदरो का-सा नहीं प्रतीत होता । किंतु सुग्रीव का बदरपन तब उद्घाटित हो जाता है जब राम-लक्ष्मण को देखकर वह सशक्त, भयग्रस्त और उद्विग्न हो उठते हैं । इस दृश्य के अंकन में कवि ने 'वानर' शब्द के अतिरिक्त उसके 'प्लवगम', 'हरि', 'शाखामृग', 'कपि' आदि पर्यायों का भी प्रयोग किया है । सुग्रीव को धैर्य बघाते हुए हनुमान उनके बदरपन की ही दुहाई देते हैं—“हे प्लवगम, इस समय आपका बदरपन बिलकुल साफ दिखाई दे रहा है, तभी तो आप ऐसे अधीर हो गए हैं कि अपनी बुद्धि को भी स्थिर नहीं रख सकते ।”^१ तत्पश्चात् प्रकृतिस्थ होने पर और राम के सौहार्द का आश्वासन मिलने पर सुग्रीव ने रमणीय वेश-भूषा में सज्जित होकर (दर्शनीयतमो भूत्वा) अपना हाथ बढाते हुए उनसे प्रगाढ मैत्री का प्रस्ताव किया । राम ने भी उनका हाथ अपने हाथ में लेकर हर्ष के साथ उन्हें छाती से लगा लिया । हनुमान ने दो लकड़ियों को रगड़कर अग्नि प्रज्वलित की । राम और सुग्रीव दोनों ने अग्नि की प्रदक्षिणा की, और इस प्रकार उनमें विशुद्ध आर्य ढंग से प्रगाढ मैत्री-संबंध स्थापित हो गया । वास्तविक बदर अग्नि के उपयोग से अनभिज्ञ होते हैं और उसके धार्मिक या कर्मकांडीय महत्व का उन्हें कोई पता नहीं रहता । इस मानवीय आचरण के तुरंत बाद ही सुग्रीव ने साल-वृक्ष की पत्ती और फूलोवाली एक शाखा तोड़ी और उसे बिछाकर वह राम के साथ

१. अहो शाखामृगत्व ते व्यक्तमेव प्लवगम । लघुचित्ततयात्मानं न स्थापयसि यो मतौ ॥४।२।१७

उस पर जा बैठे। इसी प्रकार हनुमान ने भी चदन-वृक्ष की एक पुष्पयुक्त डाली तोड़कर लक्ष्मण को बैठने के लिए दी।

वानरो में इस प्रकार बदरो और मनुष्यो का-सा व्यवहार दिखाकर कवि विरोधाभास की सृष्टि कर देता है। राम और वाली के सवाद में यह विरोधाभास खुलकर प्रकट हुआ है। मरणासन्न वाली ने राम पर युद्ध के नियमों का भंग करने का आरोप लगाया और उनके इस अनैतिक कृत्य को अनावश्यक बताते हुए कहा—
“मैं तो पांच नखोवाला वनवासी वानर हूँ। पंडितजन मेरे चमड़े और हड्डियों को छूते भी नहीं और मेरा मांस तो अभक्ष्य है ही। ऐसी स्थिति में मेरा शिकार करना एक निरर्थक क्रूरता का कार्य था।” इसके उत्तर में राम ने कहा—“किष्किष्ठा के सार्वभौम सत्ताधारी होने के नाते हमें यह अधिकार है कि सुग्रीव की पत्नी से अवैध सबंध रखने के दंडस्वरूप तुम्हारा वध कर दें।” बदरो की जाति को आर्य-आदर्श की कसौटी पर कसने की यह प्रवृत्ति विचित्र जान पड़ती है।

अन्यत्र, वानरो की संस्कृति को महान एवं समुन्नत अंकित किया गया है। सुग्रीव का राज्याभिषेक तथा वाली की अत्येष्टि दोनों वैदिक विधि से संपन्न हुए थे। सुग्रीव, हनुमान तथा अगद का जो प्रभावशाली चित्रण कवि ने किया है, वह उनकी महान संस्कृति का सूचक है। वानरो के सपत्ति-वैभव, वसनाभरण, शिक्षा-दीक्षा, धर्म-कर्म तथा सामाजिक और राजनीतिक संगठन के वर्णन से यही स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि रामायणकार ने राम के सहयोगियों को वस्तुतः बदर नहीं माना है।

इस जाति के जिन नामों का उल्लेख रामायण में आया है, उनमें ‘वानर’ शब्द १,०८० बार प्रयुक्त हुआ है, और उसीके पर्याय-रूप में ‘वनगोचर’, ‘वनकोविद’, ‘वनचारी’, ‘वनौकस’ आदि शब्द आये हैं। इनसे यह स्पष्ट है कि ‘वानर’ शब्द बदर का सूचक न होकर वनवासी का द्योतक है। उसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार करनी चाहिए—वनसि (अरण्ये) भव चरो वा इति वानर = वनौकस, आरण्यक। वानरो के लिए ‘हरि’ शब्द ५४० बार आया है। इसे भी ‘वनवासी’ आदि समासों से स्पष्ट किया गया है। ‘प्लवग’ शब्द २४० बार प्रयुक्त हुआ है, और दौड़ने की क्षमता का व्यंजक है। वानरो की कूदने-दौड़ने की प्रवृत्ति को सूचित करने के लिए प्लवग या प्लवगम शब्द का व्यवहार उपयुक्त भी है। हनुमान उस युग के एक अत्यंत शीघ्र-गामी दौड़ाक या धावक थे, इसीलिए उनकी सेवाओं की कई बार आवश्यकता पड़ी

थी। 'कपि' शब्द ४२० बार आया है, जो सामान्यतः बदर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्योंकि रामायण में वानरो को पूछयुक्त प्राणी बताया गया है, इसलिए वे कपयः थे। वानरो को मनुष्य मानने में सबसे बड़ी बाधा उनकी यही पूछ है। पर यदि सूक्ष्मता से देखा जाय तो यह पूछ हाथ-पैर के समान शरीर का अभिन्न अंग न होकर वानरो की एक विशिष्ट जातीय निशानी थी, जो सभवतः बाहर से लगाई जाती थी। तभी तो हनुमान की पूछ जलाये जाने पर भी उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक पीडा का अनुभव नहीं हुआ। रावण ने पूछ को कपियो का सर्वाधिक प्रिय भूषण बताया था—कपीना किल लागूलमिष्टं भवति भूषणम् (५।३३।३)।^१

बदर न होते हुए भी वानरो की आकृति, रूप-रंग, मानसिक चेष्टाओ तथा शारीरिक हरकतो में बदरो के-से लक्षण अवश्य मौजूद थे। चपल, निरकुश और रूखा स्वभाव, रोएदार, विकृत आकृति, कूदने-फादने की प्रवृत्ति, विलास-प्रियता, यौन-संबधो में अनियमितता, जगलो और पहाडो में निवास, पेडो, चट्टानो, नखों और दातो का शस्त्र-रूप में व्यवहार, और किलकारिया मारने में रुचि—इन विशेषताओवाली विचित्र जाति को देखकर आर्यों ने उसे बदरो के समान ही समझ लिया होगा, और जब कभी वह इन वानरी प्रवृत्तियो को प्रकट करती, तब आर्य उसे कपि या शाखामृग-जैसे नामो से संबोधित करते। राक्षस लोग वानरो को कपि या वानर अहकारवश या उनके प्रति तुच्छता की भावना के कारण कहते थे, वैसे

१ पूछ का वर्णन विशेष कर हनुमान और उनके लका-दहन के सिलसिले में ही अधिक हुआ है। वाली, सुग्रीव, अगद तथा वानर-स्त्रियो में पूछ होने का विशेष प्रमाण नहीं मिलता। अन्वेषको ने इतिहास में पूछ लगाने-वाले व्यक्तियो या जातियो का अस्तित्व ढूढ निकाला है। बंगाल के कवि मातृगुप्त हनुमान के अवतार माने जाते थे और वह एक पूछ लगाते थे (दिनेशचंद्र सेन—'बंगाली रामायण', पृ० ५२)। भारत के एक राज-परिवार में राज्याभिषेक के समय पूछ धारण करने का रिवाज प्रचलित था (वही)। श्री विनायक दामोदर सावरकर ने अपने अडमान-कारावास के स्मरणो में लिखा है कि इस द्वीप में पूछ लगानेवाली एक आदिवासी जाति रहती है (महाराष्ट्रीय-कृत 'रामायण-समालोचना')। विजगापत्तन के शवरो में पूछ आभूषण के रूप में पहनी जाती है (जी० रामदास)।

ही जैसे रूसी लोग किसी समय जापानियों को 'पीला बदर' (यलो मकी) कहकर उनका उपहास किया करते थे।^१

अब यह प्रायः स्वीकार कर लिया गया है कि प्राचीन भारत में पशुओं के नाम से अभिहित कई जातियाँ निवास करती थी, जैसे नाग (साप), ऋक्ष (भालू) और वानर (बदर)। कालांतर में लोक-मानस ने उन्हें आकृति और स्वभाव में उन-उन पशुओं का ही प्रतिरूप मान लिया, जिनका नाम वे धारण करती थी, या जिनके साथ उनका कुछ-कुछ रूप-साम्य था, अथवा जिनकी वे देवता-रूप में पूजा करती थी, अथवा जिनको उन्होंने अपना जातीय चिह्न मान लिया था।^२

श्री मन्मथनाथ राय^३ ने वानरो को भारत के मूल निवासी व्रात्य माना है, जो बाद में आर्यों के आने पर दक्षिणी पठार के उपजाऊ भू-भागों में जाकर बस गए। राम के सर्पकर्म में आने से पहले ही वे आर्यों के प्रभाव-क्षेत्र में आ चुके थे। श्री के० एस० रामस्वामी शास्त्री^४ ने वानरो को एक आर्य-जाति माना है, जो दक्षिण भारत में बस जाने के कारण उत्तर भारतवासी अपने मूल बंधुओं से दूर पड़ गई। बाद में आर्य-संस्कृति से प्रभावित होने पर वह प्रगति करने लगी।

गोरेशियो, ह्वीलर आदि अन्य विद्वान वानरो को दक्षिण भारत की पहाड़ियों में निवास करनेवाली अनार्य-जाति मानते हैं। वे मूलतः वनचर लोग थे, पर, जैसा कि उनकी शिक्षा-दीक्षा एवं धार्मिक कृत्यों से प्रकट है, वे अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक सरलता और शीघ्रता से आर्य-संस्कृति में दीक्षित हो गए। सम्भवतः राजा दंड की दक्षिण-विजय के बाद यह आदिवासी जाति विजयी जाति के प्रत्यक्ष प्रभाव में आई और इसने अपने को भानेवाले आर्य रीति-रिवाजों और मान्यताओं को ग्रहण कर लिया। वानरो का राज्य कई छोटे-छोटे गावों और नगरों से मिलकर बना था। उनके कुछ कबीले देश के सुदूर भागों में भी रहते थे। वानर-राज्य से लगी हुई मधु-वन नामक उनकी एक विहार-भूमि थी। वानरो की शासन-व्यवस्था राजा, परिषद, सेना, मंत्री आदि की सहायता से चलती थी। राज्याधिकार परंपरागत था।

१. चि० वि० वंद्य—'दी रिडिल आफ दि रामायण', पृ० ९६

२. वही।

३. 'सरस्वती भवन स्टडीज़', भाग ५, पृ० ७३

४. 'इंडियन कल्चर', भाग ५, पृ० १९५

सुग्रीव का राज्याभिषेक इस नियम का एक अपवाद था । वानर लोग काफी शिष्ट और सम्य थे, यद्यपि सांस्कृतिक दृष्टि से वे आर्यों और राक्षसों से पिछड़े हुए थे । फिर भी उन्हें नील-जैसे स्थपति को जन्म देने का गौरव प्राप्त था, जो भारत और लका के मध्यवर्ती समुद्र पर सेतु बनाकर अपने अद्भुत वास्तुकला-कौशल का परिचय दे सकता था ।

वर्ण

रामायण-युग में आर्यों का समाज निश्चित रूप में जाति-पाति में विभक्त हो चुका था, किंतु यह विभाजन मूलतः सुविधा के लिए किया गया एक प्रकार का श्रम-विभाजन था। बाद के युग की कट्टरता का इसमें समावेश नहीं हो पाया था और इसे मानव-प्रगति में बाधक नहीं समझा जाता था। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि पूर्ववर्ती युग की अपेक्षा रामायण-काल की जाति-व्यवस्था अधिक कठोर थी। जहाँ ऋग्वेद के समय की जातियाँ वर्णों के रूप में अधिक रूढ़ थी—उनकी स्थिति बहुत-कुछ अनिश्चित और घुली-मिली थी—वहाँ रामायण-काल की जातियों के बीच एक सुनिश्चित पार्थक्य स्थापित हो चुका था और उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों का बटवारा भी हो गया था।

वाल्मीकि ने चारों वर्णों (चातुर्वर्ण्य) का स्पष्ट उल्लेख किया है।^१ महा-राज दशरथ के अश्वमेध-यज्ञ में सहस्रों की संख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आमंत्रित किये गए थे।^२ अयोध्या नगरी के वर्णन में कहा गया है कि उसमें अपने-अपने कर्मों में सलग्न ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बसते थे—**ब्राह्मणैः क्षत्रियै-
वैश्यैः स्वकर्मनिरतैः सदा** (२।१००।४१)। यज्ञ-समारोहों में ब्राह्मणों, राजाओं (क्षत्रियों) तथा नागरिकों (जो अधिकांश वैश्य होते थे) के लिए पृथक् निवास-स्थान बने रहते थे (१।१३।१०-११)। वन जाते समय राम जब नाव में गंगा पार कर रहे थे, तब उन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए विहित मंत्रों का जप किया था—**ब्रह्मावत्क्षत्रवच्चैव जजाप हितमात्मनः** (२।५२।७८)। सार्वजनिक उत्सवों में प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति के साथ तदनु रूप व्यवहार किया जाता था—**सर्वे वर्णा यथापूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः** (१।१३।१४)।

१. चातुर्वर्ण्यं स्वधर्मेण नित्यमेवाभिपालयन् । ४।४।६

२. निमन्त्रयस्व . . . ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैव सहस्रशः । १।१३।२०

इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि विभिन्न जातियों के बीच स्पष्ट मर्यादाएँ तथा समान और गौरव की पृथक-पृथक धारणाएँ स्थापित हो गई थी।

जहाँ तक वर्ण-व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रश्न है, रामायण में वैदिक 'पुरुष-सूक्त' द्वारा प्रतिपादित इस मत को स्वीकार किया गया है कि विराट् पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जाघो से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए।^१ इस वर्णन में रूपक-शैली में श्रम-विभाजन की दृष्टि से समाज का चार भागों में बटवारा किया गया है। वाणी के स्थान मुख से प्रकट होनेवाले ब्राह्मण मनुष्य-जाति के शिक्षक-रूप माने गए। बल-वीर्य-सूचक भुजाओं से सबद्ध होने के कारण क्षत्रियों का कर्म घास-धारण करना और प्रजा की रक्षा करना बन गया। शरीर के अधो-भाग—जाघो—से निकलनेवाले वैश्यों का काम श्रमपूर्वक धन और अन्न का उत्पादन करके समाज का भरण-पोषण करना निर्धारित किया गया। इसी प्रकार पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताकर उन्हें अन्य वर्णों का सेवक बनाया गया।

प्रथम तीन वर्ण 'द्विज' (दो बार जन्म लेनेवाले) कहलाते थे।^२ उपनयन-संस्कार उनके दूसरे जन्म का सूचक था। इसी संस्कार से उन्हें शूद्रों की अपेक्षा विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। वेदों का अध्ययन, व्रत-नियमों का पालन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा दान, ये ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के अनिवार्य सामान्य कर्तव्य-कर्म थे। अयोध्या में रहनेवाले चारों वर्ण 'ब्राह्मणों के अनुयायी, देवताओं और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूर, पराक्रमी तथा धर्म और सत्य का पालन करनेवाले थे'।^३

वर्ण-व्यवस्था के आरम्भ में ही वेदों का पठन-पाठन (स्वाध्याय) और तपस्या ब्राह्मणों के मुख्य कर्म रहे हैं। वेदवेत्ता ब्राह्मणों (ब्राह्मण वेदपारगा) का रामायण में स्थूल-स्थूल पर उल्लेख हुआ है। किंतु ब्राह्मणों के लिए शूद्र को वैदिक ज्ञान प्रदान करना निषिद्ध था। इसका संकेत लका में विलाप करती हुई सीता के इस कथन से मिलता है कि मैं जनार्दन रावण को अपना अनुराग वैसे ही अर्पित नहीं कर सकती,

१. मुखतो ब्राह्मणा जाता उरस क्षत्रियास्तथा । ऊरुभ्या जज्ञिरे वैश्या पद्भ्यां शूद्रा इति श्रुति ॥ ३।१४।३०

२. द्वान्या जन्मसत्काराम्यां जायते इति द्विज ।

३. वर्णेष्वप्र्यचतुर्षु देवतातिथिपूजका । कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रम-संपत्ता ॥ १।६।१७

जैसे ब्राह्मण शूद्र को मन्त्र-ज्ञान नहीं दे सकता—

भावं न चास्याहमनुप्रदातु-

मलं द्विजो मन्त्रमिवाद्विजाय ॥५॥२८॥५

अध्ययन-अध्यापन का कार्य ब्राह्मणों के लिए जीविका का पर्याप्त साधन नहीं रहा होगा, अतः उन्हें यज्ञों में पौरोहित्य-कर्म करने का एक-मात्र अधिकार दे दिया गया। कुछ ब्राह्मण कौटुंबिक पुरोहित बन गए और कुछ श्रौत एवं स्मार्त कर्मों में ऋत्विज का काम करने लगे। बालकाड के आख्यान-भाग से ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों के लिए अपात्रों का पुरोहित बनना वर्जित एवं अशोभनीय था। यह भी प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों ने पौरोहित्य-विषयक अपने एकाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अपना एक दृढ सगठन बना लिया था। यदि कोई विजातीय उनके इस अधिकार को हटाने की चेष्टा करता तो उसका प्रबल विरोध किया जाता था। उदाहरणार्थ, जब वसिष्ठ के पुत्रों ने राजा त्रिशकु के यज्ञ में पुरोहित बनना अस्वीकार कर दिया, तब त्रिशकु ने किसी और को अपना पुरोहित बनाने की इच्छा प्रकट की। इसे वसिष्ठ-पुत्रों ने अपने एकाधिकार पर प्रहार समझा और क्रुद्ध होकर राजा को चाडाल हो जाने का शाप दे दिया। जब विश्वामित्र ने (जो तब तक ब्राह्मणत्व नहीं पा सके थे) त्रिशकु का यज्ञ कराना स्वीकार कर लिया, तब देवताओं ने उस यज्ञ की बलि लेने से इन्कार कर दिया, क्योंकि 'जिस यज्ञ में याजक क्षत्रिय हो और यजमान चाडाल, उस यज्ञ की बलि हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं?'—

क्षत्रियो याजको यस्य चाण्डालस्य विशेषतः ।

कथं सदसि भोक्तारो हविस्तस्य विशेषतः ॥१॥५९॥१३-४

इसका अर्थ यह हुआ कि जिस यज्ञ का संचालन परंपरागत ब्राह्मण-पुरोहित नहीं करते थे, वह यज्ञ समाज की दृष्टि में अमान्य और बहिष्कार के योग्य हो जाता था।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि वर्ग-द्वेषवाली यह स्थिति रामायण के आख्यानवाले स्थलों में ही पाई जाती है। रामायण के मौलिक कथा-वर्णन में ऐसा वर्ग-विद्वेष नहीं देखने में आता। फिर भी इतना तो निर्विवाद है कि यज्ञ-यागादिक कराने का कार्य एक विशिष्ट जाति का एकाधिकार बन चुका था।

कर्मकांड के अतिरिक्त कुछ ब्राह्मण राजा के राजनीतिक परामर्श-दाता का

भी काम करते थे ।^१ व्यवहार (कानून) की व्याख्या करने और उसे क्रियान्वित करने में वे राजा की सहायता करते थे । उन्हें राज्य-सभा में उपस्थित रहने का अधिकार प्राप्त था । वे राज-पुरोहित और मन्त्रि-पद के लिए उपयुक्त माने जाते थे । दशरथ की मन्त्रि-परिषद में वसिष्ठ और वामदेव ऋत्विज तथा अन्य ब्राह्मण कूटनीतिक परामर्शदाता थे ।

अन्य वर्णों से दान या प्रतिग्रह लेने का अधिकार ब्राह्मणों को सौंपकर समाज ने उनके लिए आजीविका का एक और द्वार खोल दिया । भूख से पीड़ित होने पर अथवा कुटुंब का भरण-पोषण करने में असमर्थ होने पर ब्राह्मण राजा से सहायता की याचना कर सकता था, जैसाकि बहुत पुत्रोवाले निर्धन ब्राह्मण त्रिजट ने किया था । स्वाध्याय में निरतर सलग्न रहने के कारण यदि कोई ब्राह्मण जीविकोपार्जन से विमुख रहता तो उसे भी राजा से सहायता पाने का अधिकार था (२।३२) ।

यज्ञों में दक्षिणा तथा उदार पुरुषों से दान आदि मिलने के अवसर अनिश्चित ही रहते थे और उन पर सर्वथा निर्भर रहना संभव नहीं था । साथ ही, सभी ब्राह्मणों के लिए वर्षों तक अध्ययन करके सागोपाग वेदवेत्ता बनना भी सुगम नहीं था । इसलिए कई ब्राह्मण परिस्थितिवश अध्यापन, पौरोहित्य और दक्षिणा के समत साधनों के अतिरिक्त आजीविका के अन्य मार्गों का भी आश्रय ले लेते थे । क्षत्रिय या वैश्य की वृत्ति स्वीकार करके जीवन-निर्वाह करना उनके लिए वर्जित या निन्दित नहीं था । अयोध्या के आचार्य सुधन्वा अर्थशास्त्र-विशारद और युद्ध-विद्या में निपुण थे, जिनकी तुलना महाभारत के द्रोणाचार्य से सहज ही की जा सकती है । राम को धनुर्वेद की शिक्षा इन्हीं सुधन्वा से मिली थी और वनवास में भी राम ने इनको श्रद्धा से स्मरण किया था ।^१ इसी प्रकार परशुराम और अगस्त्य ने ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय की भाँति शस्त्र-धारण किया था । त्रिजट ब्राह्मण वैश्यों की तरह हल और कुदाली चलाकर जीविकोपार्जन करता था ।^२ उसका यह कार्य हीन दृष्टि से नहीं

१. इष्वस्त्रवरसम्पन्नमर्थशास्त्रविशारदम् । सुधन्वानमुपाध्यायं कञ्चित्त्वं तात मन्यसे ॥ २।१००।१४

२. तत्रासीत् पिंगलो गार्ग्यस्त्रिजटो नाम वै द्विजः । क्षतवृत्तिर्वने नित्यं फालकुदाललग्नी ॥ २।३२।३०

देखा जाता था, यद्यपि महाभारतकालीन समाज में आकर ब्राह्मण का कृषि करना निन्दित बन गया था ।^१

रामायणकालीन ब्राह्मणों को उनके कर्मनुसार निम्नलिखित पांच विभागों में बाटा जा सकता है—

१ नगरवासी ब्राह्मण, जो प्रतिदिन स्नान, सध्या, जप, होम, अतिथि-देव-पूजा और बलिवैश्वदेव करते तथा बड़े सत्यवादी और सदाचारी थे । अयोध्या के वर्णन में कहा गया है कि उसमें ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण बसते थे, जो विदो और उनके छोहो अगो में पारगत थे, जो यज्ञ-यागादिक करते रहते थे, जो सद्गुणों से युक्त, सत्य-रत, महात्मा और सत थे, जो सहस्रों आशीर्वाद दिया करते थे तथा जो प्राचीन महर्षियों की प्रतिमूर्ति लगते थे ।^२

२ वनवासी ब्राह्मण, जो वन में रहकर तपस्या करते, फल-फूलों पर निर्वाह करते तथा प्रतिदिन श्राद्ध करते थे । अपने वनवास-काल में राम जिन ऋषियों के संपर्क में आये थे, वे नदी-किनारे आश्रमों में रहनेवाले और 'वैखानस-मार्ग' का अनुसरण करनेवाले मुनिगण थे । संभव है, इस वर्ग में ब्राह्मणोंतर तपस्वी भी रहे हों ।

३ ब्रह्मवादी ब्राह्मण, जो वेदात् का अध्ययन करते तथा अनासक्त रहकर साख्य और योग का चिंतन करते थे । राम को वन में ऐसे ब्राह्मण तपस्वी मिले थे, जो ब्रह्म-तेज से युक्त तथा हठ योग की विभिन्न प्रक्रियाओं में दत्तचित्त थे—सर्वे ब्राह्मणाश्चि श्रिया युक्ता दृढयोगसमाहिताः (३।६।६) । दशरथ ने अपने अश्वमेध-यज्ञ में ब्रह्मवादी और वेदवेत्ता ऋत्विजों को आमंत्रित किया था ।^३

४. शस्त्रोपजीवी ब्राह्मण, जो क्षत्रियों की भांति शस्त्र-धारण और युद्ध करते थे ।


५ श्रमजीवी ब्राह्मण, जो कृषि और गो-पालन द्वारा निर्वाह करते थे ।

धर्मशास्त्रों की रचना के समय उपर्युक्त ब्राह्मण क्रमशः देव-ब्राह्मण, मुनि-

१. देखिए महाभारत सभा-पर्व, १२।१९

२. तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिर्भावृतां द्विजोत्तमैर्वेदेषडंगपारंगः । सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभिर्महर्षिकल्पैर्ऋषिभिश्च केवलैः ॥ १।५।२३

३. ब्राह्मणान् वेदपारगान् । सुमन्त्रावाहय क्षिप्रमस्त्रिंजी ब्रह्मदत्त ॥ १।१२।४-५



ब्राह्मण, द्विज-ब्राह्मण, क्षात्र-ब्राह्मण और वैश्य-ब्राह्मण कहलाने लगे थे ।^१ कहना न होगा कि जाति जन्म से ही थी, न कि कर्म से । क्षात्र या वैश्य-वृत्ति से रहनेवाले ब्राह्मण भी ब्राह्मण ही कहलाते थे ।

ब्राह्मणों का बड़ा आदर-समान किया जाता था और जो उन्हें कष्ट पहुँचाता या उनकी संपत्ति छीनता, उसे कठोर दंड दिया जाता था, चाहे वह राजकुमार ही क्यों न हो । ननिहाल से लौटने पर भरत कैकेयी से पूछ बैठे थे कि कहीं राम ने किसी ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था, जिसके कारण उन्हें वन में निर्वासित कर दिया गया हो—

कच्चिन्न ब्राह्मणधन हृतं रामेण कस्यचित् ।

कस्मात्स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासितः ॥२१७२१४४-५

दैनिक जीवन में ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी जाती थी । राजकीय जुलूसों में उन्हें आगे रखा जाता था । लका-विजय से लौटने पर जिस जुलूस में राम नदिग्राम से अयोध्या गए, उसमें महात्मा वसिष्ठ और द्विज लोग आगे-आगे चल रहे थे ।^२ ब्राह्मणों के प्रति प्रगाढ़ भक्ति प्रदर्शित करना तत्कालीन राजाओं का धर्म था । राम अपने युग की ब्राह्मण-संस्कृति के अनन्य रक्षक एवं पोषक थे । जिन विशेषताओं के कारण उन्हें युवराज-पद के लिए उपयुक्त माना गया था, उनमें वयोवृद्ध विद्वान ब्राह्मणों के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति प्रमुख थी (बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानामुपासिता, २।२।३३) । लका में सीता के समुख राम का परिचय देते हुए हनुमान ने उन्हें ब्राह्मणानाम् उपासकं बताया था (५।३५।१३) ।

तत्कालीन राज्य-व्यवस्था में ब्राह्मण पुरोहित को ऊँचा पद प्राप्त था । पौरोहित्य-पद परपरागत होता था । इक्ष्वाकु-वंश के परपरागत पुरोहित वसिष्ठ-वंशी ब्राह्मण थे । राजा दशरथ और राम दोनों के शासन-काल में वसिष्ठ मुख्य मंत्री थे । राजकुल में पुरोहित समान और गिष्टाचार का विशेष पात्र (मानार्ह) होता था । 'उन अत्यधिक तेजस्वी, विद्वान और धर्म-रत ब्राह्मण वसिष्ठ का तुम

१ देखिए पांडुरंग वामन काणे-कृत 'हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र', जिल्द २, भाग १, पृ० १३०

२ द्विजा .. रामस्य पुरतो ययुः । ६।१२।३८

प्रभूत समादर तो करते हो ?' राम ने भरत से चित्रकूट पर यह प्रश्न पूछकर वसिष्ठ के प्रति अपनी आदर-भावना व्यक्त की थी। पुरोहित के आगमन पर राजा लोग सिंहासन से उठकर उसका स्वागत करते थे; दशरथ की सभा में पुरोहित वसिष्ठ के आने पर समस्त सभासद उनके समान में उठकर खड़े हो गए थे।^२

राजकीय क्रिया-कलापो पर पुरोहित का बड़ा प्रभाव था। 'सभी इक्ष्वाकुओं के लिए पुरोहित ही अंतिम शरण हैं और उस सत्यवादी की आज्ञा का उल्लंघन करना संभव नहीं।' ^३ राज्य-सभा में राजा के बाद पुरोहित का ही सर्वोच्च स्थान था। वह राजा का दाहिना हाथ, उनका सतत परामर्शदाता था। दशरथ अपने पुरोहित से परामर्श किये बिना कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते थे। उनके पुत्रेष्टि-यज्ञ का संचालन वसिष्ठ के हाथ में था। राम-सीता के विवाह के लिए दशरथ ने वसिष्ठ की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। विवाह-समारोह के भी वसिष्ठ ही सर्वो-सर्वा थे। राम के प्रस्तावित यौवराज्याभिषेक का सारा प्रबंध वसिष्ठ के ही सुपुर्द किया हुआ था।

आपत्ति-काल में पुरोहित के अधिकार और भी बढ़ जाते थे। राम के वन चले जाने पर जब राजा दशरथ का देहात हो गया और कोसल में कोई राजा नहीं रह गया, तब 'राजकर्तार' (सभा के वरिष्ठ सदस्यो) ने वसिष्ठ से ही पथ-प्रदर्शन की अपेक्षा की थी, क्योंकि वही राज-पुरोहित (धर्माध्यक्ष) और वास्तविक मुख्य मंत्री थे।^४ इस नाते पुरोहित को अधिकार था कि वह राजा की अनुपस्थिति में सभा का विशेष अधिवेशन करे, उसमें अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करे तथा दिवगत राजा के उत्तराधिकारी को आमंत्रित कर उसे राजगद्दी सौंप दे। वसिष्ठ ने 'राज-

१. स कश्चिद् ब्राह्मणो विद्वान् धर्मनित्यो महाद्युतिः । इक्ष्वाकूणामुपाध्यायो यथावत्तात पूज्यते ॥ २।१००।९

२. तमागतमभिप्रेक्ष्य हित्वा राजासनं महत् । २।५।२३; सभासदः... आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूज्यन्तः पुरोहितम् । २।५।२४

३. इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमा गतिः । न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः ॥ १।५।८।३

४. एते द्विजाः सहामात्यैः पृथग्वाचमुदीरयन् । वसिष्ठमेवाभिमुखाः श्रेष्ठं राजपुरोहितम् ॥ २।६।७।४

कर्तार' को आश्वस्त करके भरत को केकय देश से वुलवाने का तुरत प्रवध किया और उनके लौटने पर उनसे राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया। जब भरत नहीं माने तब वसिष्ठ राम को लिवा लाने के लिए चित्रकूट गए, जहा उन्होंने महत्व के विचार-विमर्श में प्रमुख भाग लिया।

महाभारत की अपेक्षा रामायण में ब्राह्मणों का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है। ब्राह्मणों की अप्रसन्नता से सभी घबराते थे। दशरथ ने, अनिच्छा रहते हुए भी, विश्वामित्र से डरकर सुकुमार और अल्पवयस्क राम को उनके सुपुर्द कर दिया था। पचवटी में सीता द्विजवेशधारी रावण का स्वागत करने को विवश हो गई, क्योंकि उन्हे भय था कि यदि मैं इस ब्राह्मण अतिथि से नहीं बोलूंगी तो यह मुझे शाप दे देगा।^१ सुमत्र ने कैकेयी को चेतावनी दी थी कि यदि तुम भरत को राज्य दिलाने का दुराग्रह करोगी तो कोई ब्राह्मण तुम्हारे राज्य में नहीं रहेगा।^२

उत्तरकांड के समय में ब्राह्मणों के प्रभाव में और वृद्धि हो गई। कानून में भी अब उनके प्रति पक्षपात बरता जाने लगा। निम्न वर्णों से उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष विधि-विधान बनाये गए। ब्राह्मण की सपत्ति का हरण करनेवाला या मन से भी उसके अधिकारों को छीननेवाला घोर नरक का भागी माना जाने लगा, और जो व्यक्ति ब्राह्मण को कोई वस्तु दान में देकर उसे वापस ले लेता, उसका तो बधु-बाधवो-सहित सर्वनाश हो जाता था, दोषी ब्राह्मण को भी प्राणदंड नहीं दिया जा सकता था।^३

जान पडता है, उन दिनों ब्राह्मणों की सवारी के लिए विशेष प्रकार के रथ

१ ब्राह्मणश्चातिथिश्चैव अनुक्तो हि शपेत माम् । इति ध्यात्वा मुहूर्तं तु सीता वचनमब्रवीत् ॥ ३।४७।२

२. न च ते विषये कश्चिद् ब्राह्मणो वस्तुमर्हति । तादृश त्वममर्यादमद्य कर्म करिष्यसि ॥ २।३५।११

३ ब्राह्मणद्रव्यमादत्ते देवताना च राघव । सद्यः पतति घोरे वै नरके वीचि-सज्जके । मनसापि हि देवस्व ब्रह्मस्वं च हरेत्तु यः । निरयान्निरय चैव पतत्येव नराधम ॥ ७।५९ (२) । ४९-५१; ब्रह्मस्वं देवताद्रव्यं.. दत्तं हरति यो भूय इष्टं सह विनश्यति । ७।५९(२)।४८-९; अवध्यो ब्राह्मणो दण्डैरिति शास्त्रविदो विदुः । ७।५९(२)।३४

होते थे, जिन्हे 'ब्राह्म रथ' कहते थे। राम को यौवराज्याभिषेक की दीक्षा देने के लिए महर्षि वसिष्ठ ब्राह्मणों के योग्य एक उत्तम रथ में बैठकर उनके महल तक गए थे—ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय स द्विजोत्तमः (२।५।४)। जब उनका रथ राम के प्रासाद के निकट पहुंचा तब राम दूर से देखते ही पहचान गए कि मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ पधारे हैं। इससे ज्ञात होता है कि इन रथों में कुछ ऐसे बाहरी चिह्न होते होंगे, जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता था कि अमुक रथ किसी ब्राह्मण का है। यह अस्वाभाविक नहीं जान पड़ता कि ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होने पर समाज उन्हें विशेष सुविधाएँ और अधिकार देने लगा हो।

ब्राह्मणों का व्यक्तित्व गौओं और राजाओं की तरह पवित्र माना जाता था।^१ उनकी सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े युद्ध मोल लिये जाते थे। उत्तरकांड में ब्राह्मणों की वेदों के साथ एकरूपता बताई गई है (वेदा ब्राह्मणरूपेण, ७।१०९।८)। ब्रह्म-हत्या भयकर पापों के अतर्गत गिनी जाती थी, जिससे मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध-यज्ञ करना आवश्यक था। परशुराम को ब्राह्मण जानकर ही राम ने उन पर अपना अमोघ बाण नहीं चलाया था।^२ जब दशरथ ने हाथी के घोखे में अधमुनि के पुत्र को मार डाला, तब उन्हें यह सोचकर मार्मिक वेदना हुई कि कहीं मैंने किसी ब्राह्मण कुमार को मारकर ब्रह्म-हत्या का पाप तो नहीं कर डाला।^३

पारश्चात्य विद्वानों ने रामायण की एक ब्राह्मण-प्रधान कृति के रूप में आलोचना की है, और इसमें कोई सदेह नहीं कि राम-राज्य के सामाजिक जीवन में ब्राह्मणों का बड़ा हाथ था। किंतु इसी कारण रामायणकालीन संस्कृति की श्रेष्ठता या विशेषता को कम कर देना उचित नहीं होगा। वस्तुतः हमें यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि ब्राह्मणों की इस असाधारण लोकप्रियता का, उनके लोकोत्तर प्रभाव का स्रोत क्या था। उनके प्रभाव का रहस्य कई बातों में ढूँढा जा सकता है,

१ देखिए ३।२४।२१; १।२६।५; ४।१७।३६; १।२५।१५

२. ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे... तस्माच्छक्तो न ते राम भोक्तुं प्राणहरं शरम् ॥ १।७६।६

३. ब्रह्महत्याकृत पापं हृदयादपनीयताम् । न द्विजातिरहं राजन् मा भूते मनसि व्यथा ॥ २।६३।५०

पर उनकी अध्ययन-अध्यापन की वृत्ति एव त्यागशीलता की भावना ही उनके सर्वातिशायी प्रभाव का सबसे बड़ा कारण थी। वे अपना प्रभाव पाशविक शक्ति अथवा छल-कपट के सहारे नहीं, वरन आदर्श चरित्र के बल पर बनाये रखते थे। वेदो का स्वाध्याय और धर्मपरायण आचरण उनके जीवन का मूल मंत्र था, और सच पूछा जाय तो ब्राह्मण-संस्कृति एक अनुशासनपूर्ण संस्कृति थी। जिस ऊँचे बौद्धिक और नैतिक स्तर से ब्राह्मण अपने प्रभाव का संचार करते थे और जो अधिकार अन्य वर्गों ने उन्हें स्वेच्छा से प्रदान किये थे, उन्हें पाने के लिए ब्राह्मणों को दरिद्रता और भिक्षाटन का व्रत अंगीकार करना पड़ता था। सादा जीवन, उच्च विचार, सक्रिय अर्थोपार्जन से निवृत्ति तथा देश की संस्कृति का संरक्षण और प्रसार उनके जीवन के आदर्श थे। अयोध्या के ब्राह्मण पवित्र, स्वकर्म-निरत, जितेंद्रिय, दान और अध्ययन में सलग्न तथा प्रतिग्रह लेने में सचेष्ट रहते थे।^१ राजाओं से उनको जो दान या उपहार मिला करते थे, उनका उपयोग वे देश की सांस्कृतिक निधि के संवर्धन में किया करते थे। अपनी विद्वत्ता,^२ बौद्धिक प्रतिभा तथा कर्मकांड के ज्ञान के कारण वे शैक्षणिक क्षेत्र और धार्मिक क्रिया-कलापों में अनिवार्य बन गए थे। उनमें संगठन और व्यवस्था करने की योग्यता के साथ आज्ञा-पालन कराने का नैतिक बल भी था। उत्तरकांड में जो ब्राह्मण अपने असमय में मरे हुए पुत्र को लेकर राजा राम के समुख उपस्थित होता है और उन्हें ऐसी दुर्घटनाओं का मूल कारण दूर करने को विवश कर देता है, उसकी शक्ति का मूल स्रोत उसका चारित्रिक बल था—उसने कभी असत्य-भाषण नहीं किया था, न कोई हिंसा की थी और न किसी प्राणी के प्रति कोई पापाचरण किया था।^३ ब्राह्मणों को राजनीति का विलक्षण ज्ञान था, कूटनीति में वे पारंगत थे, फिर भी स्वार्थ-सिद्धि से सर्वथा विमुक्त थे। इसीलिए वे राजाओं के विश्वासपात्र परामर्शदाता बनने में समर्थ हुए। क्योंकि उन पर राष्ट्र की बौद्धिक और आध्यात्मिक संस्कृति को प्रसारित करने तथा उसकी

१. स्वकर्मनिरता नित्य ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः । दानाध्ययनशीलाश्च सयताश्च परिग्रहे ॥ १।५।१३

२. नाविद्वान् ब्राह्मणः कश्चित् । १।१४।११; १।१४।२१ भी देखिए।

३. न स्मराम्यनृत ह्युक्तं न च हिंसां स्मराम्यहम् । सर्वेषां प्राणिनां पापं न स्मरामि कदाचन ॥ ७।७३।७

श्रेष्ठता को अक्षुण्ण बनाये रखने का गुह्यतर दायित्व था, अतः क्या आश्चर्य यदि उन्हें सामाजिक जीवन में कुछ विशेष सुविधाएँ एवं अधिकार दे दिये जाय और वे शेष वर्णों के आदर-सत्कार के पात्र बन जाय ?

जहाँ ब्राह्मणों का कार्य प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान में योग देना था, वहाँ क्षत्रियों का कर्तव्य देश को बाह्य और आंतरिक सघर्षों से बचाना था। राम के अनुसार दान देना, यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में देह का त्याग करना क्षत्रियों के कर्तव्य-कर्म है—दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मूषेषु हि (२।४०।७)।

क्षत्रियों को विशेष रूप से ब्राह्मणों और गौओं की रक्षा करनी पड़ती थी; शरण में आये हुए किसी भी प्राणी को अभय-दान देना उनका धर्म था।^१ जैसे माता अपने गर्भ की रक्षा करती है, वैसे ही राजा को तपस्वियों की रक्षा करनी चाहिए।^२ राम ने कहा था कि क्षत्रिय लोग घनुष इसलिए धारण करते हैं कि पृथ्वी पर आर्त-शब्द (दुखी प्राणियों का हाहाकार) न हो—क्षत्रियैर्धायिते चापो नात्तंशब्दो भवेदिति (३।१०।३)।

इन सेवाओं के बदले राजा को यह कानूनी अधिकार मिला हुआ था कि वह अपनी प्रजा की आय का छठा हिस्सा कर के रूप में ले। यह कर 'बलिषड्भाग' कहलाता था (२।७५।२५)। प्रजा-रक्षण में तत्पर और धर्माचरण करनेवाले राजा को तपस्वियों द्वारा अर्जित पुण्य में भी एक-चौथाई हिस्सा मिलता था।^३

'दंड' अर्थात् न्याय का यथोचित विधान करना राजा का कर्तव्य था। दंड का प्रयोग प्रजा की रक्षार्थ होना चाहिए, उसके उत्पीड़न के लिए नहीं। अपराधी पर प्रयुक्त किया जानेवाला दंड राजा को स्वर्ग का अधिकारी बना देता था।

राजा बनने का अधिकार एक-मात्र क्षत्रियों को प्राप्त था। किसी क्षत्रियेतर

१. तुलना कीजिए—करिष्यामि न सन्देहस्ताटकावधमुत्तमम् । गोब्राह्मण-हितार्याय देशस्य च हिताय च ॥ १।२६।४-५; बद्धांजलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम् । न हन्यादानृशंस्यार्थमपि शत्रुं परन्तप ॥ ६।१८।२७

२. रक्षणीयास्त्वया शश्वद् गर्भभूतास्तपोधनाः । ३।१।२१

३. यत्करोति परं धर्मं मुनिर्मूलफलाशनः । तत्र राज्ञश्चतुर्भागः प्रजा धर्मेण रक्षत. ॥ ३।६।१४

को शासन करने का अधिकार नहीं मिल सकता था। ब्राह्मणों ने शासन करने की अपनी अयोग्यता स्वीकार कर ली थी। जब दशरथ ने अपने अश्वमेध-यज्ञ में ब्राह्मणों को समस्त पृथ्वी दान में दे दी, तब उन ब्राह्मणों ने कहा—“राजन, आप ही पृथ्वी का शासन करने के योग्य हैं। हमें भूमि लेकर क्या करना है। उसका पालन करने में हम असमर्थ हैं। हम लोग तो सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं। अतएव आप कृपया इस भूमि के बदले सुवर्ण, हीरे-मोती और गौओं का उपहार दीजिए, भूमि से हमें कोई प्रयोजन नहीं” (१।१४।४७-९)।

ब्राह्मण लोग वर्ण-व्यवस्था के शीर्ष-स्थान पर विराजमान थे और क्षत्रिय उनका अनुसरण करते थे—क्षत्र ब्रह्ममुखं चासीत् (१।६।१९)। ये दोनों उस युग के विशिष्ट वर्ण थे, सारे राजनीतिक और सामाजिक अधिकार इन्हींके हाथों केन्द्रित थे। यदि ब्राह्मण प्राचीन आर्य-राष्ट्र के मस्तिष्क थे तो क्षत्रिय उसके बाहु थे। वसिष्ठ-जैसे ब्राह्मण जहा महान तत्ववेत्ता और विचारक थे, वहा राम-जैसे क्षत्रिय अप्रतिम शासक और योद्धा थे। नैतिक और राजनीतिक उत्कर्ष में उनकी मानो साझेदारी थी।

परशुराम और राम का सघर्ष ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच कटुता का सूचक भले ही मान लिया जाय, अन्यथा इन दोनों जातियों के पारस्परिक सबंध अधिकांशतः सौहार्दपूर्ण ही मिलते हैं। राजागण ब्राह्मणों की सद्भावना प्राप्त करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहते थे। चित्रकूट पर राम ने भरत से पूछा था—“क्या शास्त्रज्ञ ब्राह्मण अन्य नागरिकों के साथ तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं? तुम उनका सत्कार तो करते हो? उन्हें नमस्कार करना भूलते तो नहीं?”^१ वन-प्रस्थान करने से पहले राम ने सीता से कहा था कि मेरी अनुपस्थिति में तुम ब्राह्मणों की पूजा करती रहना।^२ लका में अग्नि-परीक्षा से पहले सीता ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया था।^३ ब्राह्मणों को प्रसन्न और अनुगृहीत करने के लिए क्षत्रिय किस सीमा तक

१ कच्चित्ते ब्राह्मण शर्म सर्वशास्त्रार्थकोविदः । आशसते महाप्राज्ञ पौरजानपदं: सह ॥ २।१००।६४, कच्चित् . ब्राह्मणाश्च नमस्यसि । २।१००।६१

२. पूज्यास्ते मत्कृते देवि ब्राह्मणाश्चैव सत्कृताः । २।२४।२९

३. प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली । बद्धाजलिपुटा चेदमुवाचा-
ग्निसमीपत ॥ ६।११६।२४

जाने को तैयार थे, इसके ज्वलत उदाहरण महाराज अलर्क है, जिन्होंने एक ब्राह्मण की याचना पर अपनी आखे निकालकर उसे दे दी थी।^१ राजा विश्वामित्र ने वसिष्ठ की गौ छीनने की जो चेष्टा की थी, उससे जान पड़ता है कि कुछ क्षत्रिय राजा अत्याचारी होते थे और तपस्वी ब्राह्मणों का कुछ भी समान नहीं करते थे। किंतु विश्वामित्र का क्षत्रियोचित शौर्य वसिष्ठ को आतंकित करने में असफल रहा और अंत में उन्हें यह स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा कि क्षत्रिय का पाशविक बल ब्राह्मण के आध्यात्मिक तेज के सामने तुच्छ है—**धिग्वलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम्** (१।५६।२३)। इसके विपरीत त्रिशकु के आख्यान से ज्ञात होता है कि विरोधी ऋत्विजों के हाथों क्षत्रिय कैसे कठपुतली बन जाते थे।

यदि ब्राह्मण रामायणकालीन समाज के मस्तिष्क थे और क्षत्रिय उसकी भुजाएँ तो वैश्य लोग वर्णाश्रम-व्यवस्था को आर्थिक सबल प्रदान करते थे। उनका मुख्य कार्य अर्थोपार्जन करना था। व्यापार, कृषि और गो-पालन उनके मुख्य धंधे थे। वे ही करो का भार वहन करते थे। द्विज होने के नाते वैश्यों के धार्मिक सस्कार और कृत्य ब्राह्मणों और क्षत्रियों के ही समान होते थे। उन्हें यज्ञों में उपस्थित होने और वेद-पाठ करने का अधिकार था। वैश्य-ऋषि अधमुनि ने दशरथ के हाथों मारे गए अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए कहा था कि अब ब्राह्म वेला में मुझे कौन वेदों या अन्य शास्त्रों का मधुर घोष सुनाया करेगा।^२ क्षत्रियों की भाँति वैश्य भी पुरोहित बनने के अधिकार से वंचित थे।

ब्राह्मणों और क्षत्रियों की अपेक्षा वैश्यों का सख्या-बल अधिक था। वैश्यों की वस्तियाँ अन्य वर्णों की वस्तियों से अलग बनी रहती थी। अयोध्या तथा अन्य नगरों में व्यापारियों की सुव्यवस्थित दुकानें बनी हुई थी (सुविभक्तान्तरापणाम्, १।५।१०)। अपनी सख्या और अपने धन के कारण वैश्य अयोध्या के सबसे प्रभावशाली नागरिक थे। स्वायत्त-संस्थाओं तथा राज्य-सभा के कार्य-कलाप में उन्हें बड़ा महत्व प्राप्त था। वैश्य जाति अपने-अपने धंधों के अनुसार गणों और नैगमों-जैसे सगठनों में विभाजित थी।

१. तथा ह्यलर्कस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारगे । याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्याविमना ददौ ॥ २।१४।५

२. कस्य वा पररात्रेऽहं श्रोष्यामि हृदयंगमम् । अधीयानस्य मधुरं शास्त्रं वान्यद्विशेषतः ॥ २।६४।३२

वर्ण-व्यवस्था में शूद्रों को सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। उनका कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। वे प्रायः घरेलू नौकरी और दास-वृत्ति किया करते थे। शूद्रों का यज्ञों में उपस्थित होना वर्जित नहीं था। दशरथ के अश्वमेध में हजारों शूद्रों को आमंत्रित किया गया था। पर अन्य वर्णों के कुछ अधिकारों से शूद्र वंचित रखे जाते थे। उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण किसी द्विजेतर को वैदिक ज्ञान नहीं प्रदान कर सकता था। यज्ञ करने का भी शूद्र को अधिकार नहीं था।

उत्तरकांड में जहां शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार नहीं दिया गया है, वहां मौलिक कांडों में शूद्र निर्विघ्न तपस्या करते हैं, यही नहीं, उनकी तपस्या समान और वरदान के योग्य समझी जाती है। शबरी उस शबर-जाति की स्त्री थी, जो आर्यों की वर्ण-व्यवस्था के भी अंतर्गत नहीं थी। फिर भी राम ने उसके आश्रम पर जाकर उसके प्रति बड़ी कृपा दिखाई। उन्होंने उसे 'तपोघना' कहकर संबोधित किया और उससे पूछा—कच्चित्ते वर्धते तप—“तुम्हारे तप में अभिवृद्धि तो हो रही है?” वाल्मीकि ने उसे तापसी, श्रमणी और सिद्धा कहा है। आत्म-समाधि द्वारा उसने महर्षियों के पुण्यवान लोको को प्राप्त किया (३।७४)। इसी प्रकार अयोध्याकांड में अधमुनि और उनकी पत्नी, जो क्रमशः वैश्य और शूद्र थे, तपस्वी कहे गए हैं और मरने के बाद स्वर्ग के अधिकारी माने गए हैं। किंतु उत्तरकांड के सकुचित जातीय वातावरण में शूद्रों के लिए तपस्या करना वर्जित बन गया। सशरीर स्वर्ग-प्राप्ति के लिए तपस्या करनेवाले शूद्र-मुनि शबूक को राम ने वध के योग्य समझा (७।७६।१-४)। इससे यह स्पष्ट है कि शूद्रों की सामाजिक स्थिति उत्तरोत्तर बुरी होती गई।

मौलिक रामायण में अस्पृश्यों या चांडालों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। केवल बालकांड की अवातर कथाओं तथा उत्तरकांड में यत्र-तत्र चांडालों का वर्णन आया है। इन स्थलों से पता चलता है कि चांडाल समाज की सर्वाधिक उपेक्षित और हीन जाति गिने जाते थे (द्योनीनाम् अधमा वयम्)। वे नीले रंग के वस्त्र पहनते, उनका शरीर काला और रूखा तथा उनके केश छोटे होते थे। वे लोहे के गहनों से अलंकृत रहते तथा उनका शरीर चिता-भस्म से घूसर रहा करता था। संभवतः ये लोग नगर से बाहर श्मशान की सन्निधि में रहा करते थे (१।५८।१०-११)।

चाडालो की ही श्रेणी में मुष्टिक लोग आते थे, जो श्वान-मास-भक्षी, शव के वस्त्रो का उपयोग करनेवाले, भयंकर-दर्शन, विकृत आकृतिवाले तथा दुराचारी होते थे (१।५९।१९-२०) ।

अस्पृश्यो को नागरिकता के सामान्य अधिकारो से वंचित रखा जाता था । वे मंदिरो, राजप्रासादो, ब्राह्मणो के घरो तथा पूजा-स्थानो में प्रवेश नहीं कर सकते थे, किंतु राजा की विशेष आज्ञा पाकर वे सभा या ससद में प्रवेश कर सकते थे (७।५९, प्रक्षिप्त सर्ग १) ।

त्रिशकु के आख्यान (१।५८) से ज्ञात होता है कि मनुष्य जन्मना चाडाल नहीं होता था, प्रत्युत वर्णाश्रम-व्यवस्था से च्युत होने पर ही चाडाल बन जाया करता था । दूसरे शब्दो मे, घोर पाप करने पर मनुष्य अस्पृश्य और चाडाल बना दिया जाता था । उदाहरणार्थ, जब राजा त्रिशकु ने यह इच्छा प्रकट की कि मैं वसिष्ठ-पुत्रो के अतिरिक्त किसी अन्य पुरोहित से अपना यज्ञ सपादित करा लूंगा, तब वसिष्ठ-पुत्रो ने इस अपमान से क्रुद्ध होकर राजा को चाडाल हो जाने का शाप दे दिया । राजा के सामाजिक स्तर मे यह परिवर्तन देखकर उसके मंत्री और नागरिक उसे छोडकर दूर भाग गए । इस आख्यान से यह ज्ञात होता है कि चाडालत्व किसी व्यक्ति का जन्म-जात चिह्न नहीं था, वह तो बाह्य कार्य-कारणो पर निर्भर एक दड-विधान था, जो अधर्माचरण के फलस्वरूप किसी व्यक्ति-विशेष पर लागू किया जाता था । साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि चाडाल अस्पृश्य माना जाता था और उसके स्पर्श से उच्च जाति के लोग दूर रहते थे ।

त्रिशकु के उदाहरण से यह प्रकट है कि किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति का जाति-च्युत हो जाना संभव था । इस प्रसंग में यह प्रश्न भी विचारणीय है कि क्या निम्न वर्ण का कोई व्यक्ति ऊंचे वर्ण का सदस्य बन सकता था । ऐसा होना सर्वथा असंभव नहीं था, इसका एक सुप्रसिद्ध उदाहरण राजा विश्वामित्र का है, जिन्होंने क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था । उनकी यह जाति-परिवर्तन की कथा बडी रोचक और शिक्षाप्रद है ।

विश्वामित्र की यह महत्वाकाक्षा थी कि उन्हें महर्षि वसिष्ठ का समकक्ष माना जाय, जो भारतीय परपरानुसार सनातन ब्राह्मणत्व के आदर्श थे । जान पडता है, भारतीय इतिहास और परंपरा मे एक से अधिक विश्वामित्र रहे होंगे । यदि इन सभी विश्वामित्रो के जीवन को एक सूत्र मे पिरोया जाय तो उसमें से एक धीमे विकास-

वाद की कथा उद्घाटित होगी, जिसमें एक क्षत्रिय क्रमशः प्रगति करते हुए अपनी मूल स्थिति से ऊपर उठकर ब्रह्मर्षि-पद को प्राप्त हो गया। ऋग्वेद में विश्वामित्र अनार्य और मिश्र जातियों के दस राजाओं के पुरोहित हैं, जबकि उनके विरोधी वसिष्ठ राजा सुदास के नेतृत्व में संगठित तृत्सुओं की विशुद्ध आर्य-जाति के पुरोहित हैं। दोनों पक्षों के युद्ध में विश्वामित्र और उनके दलवाले परास्त हो जाते हैं और वसिष्ठ अपने प्रतिद्वंद्वी पर विजयी होते हैं। दोनों के बीच यह सघर्ष वाद के युगों में भी जारी रहता है। रामायण के युग में वसिष्ठ और विश्वामित्र इच्छित वस्तु प्रदान करनेवाली शबला नाम की गौ को लेकर झगड़ पड़ते हैं। उस गौ को पाने में असफल होकर विश्वामित्र में प्रतिस्पर्धा की भावना जाग उठती है और वह आत्मसमय, कष्ट-सहन और त्याग के लिए कटिबद्ध होते हैं। वह निर्जन वन में जाकर कठोर तपस्या करते हैं, किंतु उनकी आध्यात्मिक प्रगति में अनेक बाधाएँ उपस्थित होती हैं, जिनकी कसौटी पर उनकी आत्मा की परीक्षा होती है। ये बाधाएँ त्रिशकु, शुन शेष, मेनका और रभा के रूप में आती हैं। विश्वामित्र अधिकाधिक कठोर तपस्या में प्रवृत्त होते हैं और अततोगत्वा अपनी प्रगति में बाधक काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि बधनों से मुक्त हो जाते हैं। शनैः-शनैः वह महाराज-पद से ऊपर उठकर पहले राजर्षि, फिर महर्षि और अंत में ब्रह्मर्षि-पद को प्राप्त कर लेते हैं। जब तक वसिष्ठ ने उनको अपना समकक्ष नहीं मान लिया, तब तक विश्वामित्र को सतोष नहीं हुआ। विश्वामित्र एक ऐसे साधक के अनुपम उदाहरण हैं, जिसने प्रत्येक प्रकार के स्वाभाविक प्रलोभन के होते हुए भी निजी अभ्यास, अध्यवसाय और तपोबल के सहारे उच्चतम स्थिति प्राप्त की।

विश्वामित्र के आख्यान से यह प्रमाणित होता है कि उनके-जैसे आत्मबल-संपन्न व्यक्ति के लिए भी क्षत्रिय-पद से उठकर ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कितना कठिन था। उनकी इस आत्मोन्नति का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। ब्राह्मण-वर्ण, जो सत्वगुण-प्रधान है, रजोगुण-प्रधान क्षत्रिय-वर्ण का विरोधी है। विश्वामित्र को अपना काम-क्रोधमय राजसी स्वभाव सात्त्विक वृत्ति में बदलने के लिए कठोर मानसिक अनुशासन का दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ा था। जब उनका हृदय काम और क्रोध के प्रभाव से विलकुल मुक्त हो गया, तभी उस युग के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वसिष्ठ ने उनको ब्रह्मर्षि के नाम से संबोधित किया। इससे यह सिद्ध होता है कि जाति-परिवर्तन असंभव न होते हुए भी एक अपवाद था, नियम नहीं, आत्मानुशासन और

आत्मशुद्धि के दीर्घ एव कठोर प्रयोगों के बाद ही किसी क्षत्रिय के लिए ब्राह्मणत्व पाना शक्य था ।

किंतु उत्तरकांड के परिवर्तित वातावरण में जातीय कठोरता बढ़ गई । तब जाति या जातीय कर्म का परिवर्तन सोचा भी नहीं जा सकता था । अच्छे राजाओं से यह अपेक्षा की जाने लगी कि वे उच्च वर्णों के अधिकारों को निम्न वर्णों द्वारा आक्रांत होने से बचायें । मौलिक रामायण में भी विभिन्न वर्णों के कर्तव्य-कर्मों का इतना विभाजन हो चुका था कि एक जाति के व्यक्ति का दूसरी जाति के क्षेत्र में कार्य करना असंगत माना जाने लगा था । राज-काज करने में ब्राह्मणों की अयोग्यता और पौरोहित्य करने में क्षत्रियों की अनुपयुक्तता इसीलिए स्वीकृत हो चुकी थी । विभिन्न जातियों के सबंध इसलिए सद्भावनापूर्ण थे कि लोग अपने-अपने कर्मों से सतुष्ट थे—स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः (६।१२८।१०३) । अयोध्या के वर्णन में कहा गया है कि क्षत्रिय ब्राह्मणों को अपना नेता मानते, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा पालन करते, और शूद्र अपने कर्तव्य का आचरण करते हुए तीनों वर्णों की सेवा में सलग्न रहते थे ।^१ एक सुखी चातुर्वर्ण्य समाज की स्थापना तत्कालीन राजाओं का लक्ष्य था । चारों वर्णों के हित के लिए ही विश्वामित्र ने राम को ताटका का वध करने का आदेश दिया था ।^२

प्राचीन भारत की वर्ण-व्यवस्था को इस प्रकार राजकीय स्वीकृति प्राप्त थी, अतः उसका पालन करना लोगों के लिए अनिवार्य था । लक्ष्मण ने सुग्रीव के संमुख अपने पिता का परिचय देते हुए कहा था कि वह चारों वर्णों का धर्मपूर्वक और निष्पक्षता से पालन करते थे ।^३ राम चारों वर्णों के आबालवृद्धों के प्रति दया-

१. क्षत्रं ब्रह्ममुखं चासीत् वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः । शूद्राः स्वकर्मनिरता-
स्त्रीन्वर्णानुपचारिणः ॥ १।६।१९; ६।१२८।१०३ भी देखिए ।

२. न हि ते स्त्रीवधकृते घृणा कार्या नरोत्तम । चातुर्वर्ण्यहितार्थं हि कर्तव्यं
राजसूनुना ॥ १।२५।१७

३. राजा दशरथो नाम धृतिमान् धर्मवत्सलः । चातुर्वर्ण्यं स्वधर्मेण
नित्यमेवाभिपालयन् ॥ न द्वेष्टा विद्यते तस्य स तु द्वेष्टि न कंचन ।
स तु सर्वेषु भूतेषु पितामह इवापरः ॥ ४।४।६-७

भाव रखते थे और इसलिए ये सभी उनके वशवर्ती थे ।^१ हनुमान के अनुसार राम लोक में प्रचलित चातुर्वर्ण्य के रक्षक थे, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने और करानेवाले थे ।^२ उनके आदर्श ने प्रजा में कर्तव्य-परायणता का भाव संचारित किया था, जिसके परिणामस्वरूप देश में सुख-सतोष व्याप्त था और प्रतियोगिता-जन्य ईर्ष्या-द्वेष का अभाव था—

सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत् ।

राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यर्हिसन् परस्परम् ॥६॥१२८॥१००

-
१. सर्वेषु स हि धर्मात्मा वर्णानां कुरुते दयाम् । चतुर्णां हि वयःस्यानां तेन ते तमनुव्रता ॥ २।१७।१६
२. रामो भामिनि लोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता । मर्यादाना च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः ॥५।३५।११

आश्रम

प्राचीन आर्य-ऋषियो के अनुसार मानव-जीवन अनवरत आत्म-शिक्षण एव आत्म-अनुशासन का समय था। इस शिक्षण-काल को उन्होंने आश्रमो के नाम से कई भागो में बाट दिया था। इन्ही पर मनुष्य के सासारिक जीवन का ढाचा अवस्थित रहता था।

प्राचीन ग्रन्थो से कुछ विद्वानो ने ऐसे उद्धरण खोज निकालने की चेष्टा की है, जिनसे आश्रमो की सख्या मूलत तीन सिद्ध होती है,^१ किंतु रामायण के समय में आश्रमो की सख्या निश्चित रूप से चार बन चुकी थी (२।१००।६२), यथा (१) विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्याश्रम, (२) विवाहितो के लिए गृहस्थाश्रम, (३) अर्थोपार्जन से विरत वनवासी तपस्वी के लिए वानप्रस्थाश्रम और (४) ससार-त्यागी वैरागी के लिए सन्यासाश्रम।

प्रत्येक द्विज से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने जीवन को इस आश्रम-व्यवस्था के अनुसार संचालित करे। प्रत्येक आश्रम जीवन का एक विभाग माना गया था, जिसमें एक निर्धारित समय तक व्यक्ति अपने को प्रशिक्षित करता और आगामी आश्रम के लिए तैयार करता था। रामायण के अध्ययन से पता चलता है कि आश्रम-व्यवस्था का अनुसरण प्रायः उपर्युक्त क्रम से ही किया जाता था और उसका अतिक्रमण लोक-निन्दित था। राम के वनवास की आलोचना करते हुए भरत ने कहा था कि उनकी-सी आयु और पद के व्यक्ति के लिए गृहस्थाश्रम त्याग कर वानप्रस्थ-जीवन स्वीकार करना असामयिक और अनुपयुक्त है।^२

-
१. देखिए पी० एम० मोदी—'डेवलपमेंट आफ दि सिस्टम आफ आश्रमाज' (सप्तम ओरिएंटल कान्फरेंस का विवरण, १९३३)
 २. चतुर्णामाश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम् । आहृर्धर्मज्ञ धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तुमर्हसि ॥ २।१०६।२२

उपनयन-संस्कार के बाद ब्रह्मचर्याश्रम आरंभ होता था । इसमें विद्यार्थी ब्रह्मचारी रहकर कठोर एवं अनुशासनमय जीवन व्यतीत करता था । गुरु की सेवा और शास्त्रों का अध्ययन उसके दो प्रमुख कर्तव्य थे । अगस्त्य, भरद्वाज, वाल्मीकि आदि ऋषि-मुनियों के आश्रमों में असंख्य विद्यार्थी आकर अपने कुलपति की अधीनता में शिष्य-वृत्ति से रहते थे । शिक्षा-क्रम की समाप्ति पर छात्र का समावर्तन-संस्कार होता था, जो इस आश्रम की समाप्ति का सूचक था, और तब वह 'स्नातक' कहलाता था । रामायण में तीन प्रकार के स्नातकों का उल्लेख है—'विद्या-स्नातक' (२।८२।११), 'व्रत-स्नातक' (५।२१।१७) और 'विद्या-व्रत-स्नातक' (२।१२०) । विद्या-स्नातक उसे कहते थे, जो अपना अध्ययन-क्रम समाप्त कर चुका है, पर ब्रह्मचारी के लिए नियत व्रत-नियमादि जिसके पूरे नहीं हुए हैं । व्रत-स्नातक वह था, जिसने व्रतों का पालन कर लिया है, पर जिसका अध्ययन समाप्त नहीं हुआ है । जिसके व्रत-नियमादि और अध्ययन दोनों संपूर्ण हो चुके हैं, वह विद्या-व्रत-स्नातक कहलाता था । राम और रावण दोनों इस अंतिम श्रेणी के स्नातक थे (२।१२०, ६।९२।६०) ।

ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति पर युवक स्नातक विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था । इस आश्रम में पितृ-ऋण, देव-ऋण और मनुष्य-ऋण को चुकाने के लिए गृहस्थ को श्राद्ध, यज्ञ और अतिथि-सत्कार करने पड़ते थे ।^१ साथ-ही-साथ उसे अपने वयोवृद्ध गुरुजनों, पुत्र-कलत्र तथा परिवार के अन्य सदस्यों का भरण-पोषण करना पड़ता था । सभी धार्मिक क्रिया-कलाप और यज्ञ-यागादिक उसे अपनी पत्नी के साथ संपन्न करने पड़ते थे, जो इसीलिए 'धर्मपत्नी' अथवा 'सहधर्मचारिणी' कहलाती थी ।

चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम ही सर्वश्रेष्ठ था—चतुर्णामाश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम् (२।१०६।२२), और स्वयं रामायण गृहस्थाश्रम का ही आदि-महाकाव्य है । उपनिषदों और आरण्यकों में यदि वानप्रस्थाश्रम का गौरव-गान है, तो रामायण गृहस्थाश्रम की महाप्रशंसा है और इसीको आध्यात्मिक कल्याण का मुख्य साधन बताती है । समस्त हिंदू-धर्मशास्त्रों ने भी गृहस्थाश्रम का जो गुण-नाम किया है, उसका कारण यह है कि गृहस्थ ही अन्य आश्रमों की आधार-शिला

१ ऋणानि त्रीण्यपाकुर्वन् दुर्हृदः साधु निर्दहन् । २।१०६ः२८, टीका देखिए ।

है और वही समाज के कल्याण में प्रत्यक्ष योग देता है। वैयक्तिक और सामाजिक सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में गृहस्थाश्रम ही सबसे अधिक सहायक है। कहते हैं, उपनिषदों और आरण्यकों ने लोक में जो वैराग्य की भावना प्रसारित की थी, उसीकी प्रतिक्रिया के रूप में वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर गृहस्थ-धर्म को गौरवान्वित किया। 'आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पत्नी आदि जितने आदर्शों को इस अनुपम महाकाव्य में आदि-कवि की शब्द-तूलिका ने खींचा है, वे सब गृह-धर्म के पट पर ही चित्रित किये गए हैं। इतना ही क्यों, राम-रावण का भयानक युद्ध भी इस काव्य का मुख्य उद्देश्य नहीं है, वह तो राम-जानकी—पति-पत्नी—की परस्पर विशुद्ध प्रीति को पुष्ट करने का एक उपकरण-मात्र है।'^१

गृहस्थी की गाड़ी ढोते-ढोते एक समय ऐसा आता है, जब उम्र की धूप में गृहस्थ बृद्ध हो जाता है—उसके बाल श्वेत हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और सांसारिक कामों में निरंतर लगे रहने से उसका शरीर कृश और निर्बल हो जाता है। यही वह समय है, जब गृहस्थ को अर्थ और काम के सक्रिय उपार्जन से विरत हो जाना चाहिए तथा अपने पुत्र या उत्तराधिकारी को सारे अधिकार सौंपकर एकांत में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। तत्कालीन राजाओं में यह प्रथा थी कि राज्य को अपने वयस्क पुत्रों के सुपुर्द कर वे वन में तपस्वी जीवन बिताने लगते थे। महाराज दशरथ ने अपनी राज्य-सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं बूढ़ा और अशक्त तथा राज्य के भारी जुए को समानपूर्वक वहन करने में असमर्थ हो गया हूँ, इसलिए राम को राज्यासीन कर विश्राम करना चाहता हूँ (२।२।९-१०)। दशरथ यह स्पष्ट नहीं कहते कि राम को युवराज बनाकर मैं वानप्रस्थी बन जाऊँगा। किंतु वृत्र और अशुमान—जैसे अनेक राजाओं के आख्यानो से पता चलता है कि वे अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर वन चले गए थे। पुत्रों को राज-पाट सौंपकर वनवासी बन जाने की प्रथा की ओर लक्ष्मण ने भी संकेत किया था।^२

१. बलदेव उपाध्याय—'आदिकवि वाल्मीकि', 'कल्याण—संक्षिप्त वाल्मीकि-रामायणिक', पृ० १४
२. पूर्वं राजर्षिवृत्त्या हि वनवासोऽभिधीयते । प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्परिपालने ॥ २।२३।२६

वानप्रस्थाश्रम में पत्नी या तो पुत्रों के सरक्षण में घर पर रहती अथवा पति के साथ वन-गमन करती थी। रामायण में उल्लिखित अधिकांश तपस्विगण अपनी पत्नियों के साहचर्य में वैखानस-मार्ग का पालन करते थे।

वानप्रस्थी गृहस्थ वन में समय और त्याग का जीवन व्यतीत करता, सब प्राणियों के हित में रत रहता, भिक्षाटन और मज्जों का अनुष्ठान करता तथा वेदों के स्वाध्याय में सलग्न रहता था। किसी वृक्ष के नीचे उसका आवास होता, इन्द्रियों पर वह समय रखता और अनायास प्राप्त होनेवाले फल-फूलों से अपना निर्वाह करता था।^१ बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा डालनेवाले शस्त्रों से उसे कोई प्रयोजन न रहता।^२ उसके लिए 'देश-धर्म' का—तपोवन के अनुरूप कर्तव्यों का—पालन ही वाञ्छनीय था—**वेशधर्मस्तु पूज्यताम् (३।९।२७)।**

अंतिम आश्रम 'सन्यास' पर रामायण में विशेष प्रकाश नहीं डाला गया है। उसमें 'सन्यासी' शब्द का प्रयोग न होकर 'भिक्षु' और 'परिव्राजक' नाम आये हैं। रामायणकालीन परिव्राजक या सन्यासी का परिचय पाने के लिए हमें रावण का उस समय का वर्णन देखना चाहिए, जब वह इस रूप में सीता के समुख उपस्थित हुआ था—

श्लक्ष्णकाषायसंवीत शिखी छत्री उपानही ।

वामे चासेऽवसज्याथ शुभे यष्टिफमण्डलू ॥ ३।४६।३

अर्थात् वह शरीर पर साफ-सुथरा गेरू रंग का वस्त्र लपेटे हुए था, उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे, तथा उसने बायें कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडलु लटका रखा था।

आर्य-ऋषियों द्वारा आयोजित यह आश्रम-व्यवस्था उनकी वर्ण-व्यवस्था की ही पूरक है। दोनों व्यवस्थाएँ व्यक्ति और समाज के जीवन और उसके सगठन से सबधित हैं, अंतर केवल दृष्टिकोण अथवा आग्रह का है। वर्ण-व्यवस्था मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखती है, उसके कर्तव्यों और अधिकारों की—उसके स्वभाव, उसकी प्रवृत्तियों और उसके मानसिक झुकाव के अनुसार—परि-

१. हस्तादानो मुखदानो नियतो वृक्षमूलिकः। वानप्रस्थो भविष्यामि.. ॥ ५।१३।३८

२. अग्निसगोगवद्धेतुः शस्त्रसंयोग उच्यते । ३।९।२३

भाषा और व्याख्या करती है। ऐसा करते समय यह व्यवस्था उस समाज को भी दृष्टि में रखती है, जिसका वह एक सदस्य है। अन्य शब्दों में, वर्ण-व्यवस्था समाज में रहनेवाले मनुष्य से सबद्ध है। दूसरी ओर, आश्रम-व्यवस्था मनुष्य को एक इकाई के रूप में देखती है और बताती है कि उसका आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, वह अपने जीवन को किस प्रकार अनुशासित, सुव्यवस्थित एवं धर्मानुकूल बनाये तथा इस लक्ष्य-प्राप्ति के लिए क्या साधन अपेक्षित है।^१

इसी वर्णाश्रम-व्यवस्था के आधार पर रामायणकालीन आर्य व्यक्ति और समाज की विरोधी भागों में संघर्ष के स्थान पर सुदूर समन्वय स्थापित करने में समर्थ हुए थे। वाल्मीकि ने सर्वत्र व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व प्रदान किया है, साथ ही वह, समाज-व्यवस्था को हानि पहुंचाये बिना, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सभी सुविधाएँ देने को तैयार थे। राम का समग्र जीवन इस सिद्धांत से अनुप्राणित था कि जहां व्यापक या सामूहिक हितों की रक्षा का प्रश्न खड़ा हो, वहां सकुचित या निजी हितों की बलि दे देना श्रेयस्कर है। अपने परिवार में व्यक्तिगत स्वार्थों का संघर्ष उठने पर उन्होंने, कैकेयी को संतुष्ट करने के लिए, अपने राज्याधिकार को तिलाजलि दे दी, जिससे कौटुंबिक कलह के परिणामस्वरूप देश में अराजकता न फैल जाय। अपने जीवन में उन्हें जिन अनेकानेक जटिल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उनको उन्होंने या तो पूरी तरह हल कर लिया या कम-से-कम अत्यधिक सरल तो अवश्य बना दिया—और इसका श्रेय है उनकी सत्यवादिता को, उनकी न्यायपरायणता को और दूसरों के हित-साधन के लिए उनके स्वार्थ-त्याग को।

रामायण में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनमें दूसरों के उचित अधिकारों का संमान करना सामाजिक दृष्टि से नितात आवश्यक माना गया है और इस नियम का उल्लंघन करनेवाला दंड का पात्र बना है। वाल्मीकि के सर्वप्रथम श्लोक^२ से यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति के छोटे-से-छोटे प्राणी को भी अपने ढंग

-
१. देखिए पा० वा० काणे—'हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र', जिल्द २, भाग १, पृ० ४२३ और पी० एच० वालावलकर—'हिंदू सोशल इंस्टीट्यूशन्स', पृ० २८
२. मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतोः समाः । यत्क्रौंचमियुनादेकमवधीः काममोहितम् ॥ १।२।१५

से हर्ष मनाने का अधिकार प्राप्त है और उसमें हस्तक्षेप करनेवाले हम कोई नहीं होते। अघमुनि के पुत्र की हत्या करने से दशरथ को पुत्र-शोक का भागी बनने का शाप मिला, क्योंकि राजा ने अघमुनि को उनके सुखपूर्वक रहने के अधिकार से वंचित किया था। राम को अपनी ओर आकर्षित करने की घृष्टता कर शूर्पणखा ने सीता के वैवाहिक अधिकार को चुनौती दी और वाली ने सुग्रीव की पत्नी का उपभोग कर उनके स्वत्व को छीना। इन दोनों को उचित दंड देना शासक का कर्तव्य था। अतः में रावण ने दंडकारण्य में राम-सीता के सुखपूर्वक रहने के अधिकार को छीनकर अपने ही सर्वनाश को न्योता दिया। व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा समाज-हित की दृष्टि से अनुपेक्षणीय है, इसका वाल्मीकि ने सर्वत्र उद्घोष किया है।

परिवार

कुटुंब अथवा परिवार समस्त मानवीय सगठनों की मूल इकाई है और सामाजिक विकास की पहली सीढ़ी। आज के विश्रृंखलता के युग में भी परिवार का काफी महत्व है, भले ही वह पहले की भांति सामाजिक ढांचे का इतना अनिवार्य अंग अब न माना जाता हो। सामाजिक कर्तव्यों का पालन कराने के लिए परिवार मानवीय व्यक्तित्व के विकास में कितना योग देता है, इसका ज्वलंत उदाहरण दशरथ के पारिवारिक जीवन में उपलब्ध होता है। वास्तव में रामायण एक कौटुंबिक महाकाव्य है—राग-द्वेष, हर्ष-शोक, ममता-मोह, लोभ-त्याग आदि की सामान्य कौटुंबिक घटनाओं का चित्रण उसे सर्वसामान्य के लिए एक हृदयग्राही रचना बना देता है। वाल्मीकि ने पारिवारिक जीवन के प्राचीन आदर्शों को भावी पीढ़ियों के लिए अपनी रामायण में सुरक्षित कर दिया है।

परिवार का रूप निस्संदेह पैतृक था। उसमें पिता कुटुंब का मुखिया था, जिसका आदेश सर्वोपरि होता था। पत्नी गृहस्वामिनी थी, किंतु गृहस्वामी पर आश्रित और उसकी आज्ञाकारिणी। पुत्र और पुत्रियों पर पिता का पूर्ण नियंत्रण था। पिता की अनुमति के बिना वे अपना जीवन-साथी नहीं चुन सकते थे। उदाहरणार्थ, धनुर्भंग करके सीता को पाने के अधिकारी होने पर भी राम ने पिता की इच्छा जाने बिना विवाह करने से इन्कार कर दिया—

द्वीयमानां न तु तदा प्रतिजग्राह राघवः ।

अविज्ञाय पितुश्छन्दमयोध्याधिपतेः प्रभोः ॥ २।११८।५१

व्यावहारिक मामलों में पिता की आज्ञा कानून के तुल्य होती थी। अपनी संपत्ति का वह स्वेच्छानुसार पुत्रों में विभाजन कर सकता था। दशरथ ने कैकेयी के पिता को अपने बल-बूते पर यह वचन दे दिया था कि इसीका पुत्र कोसल-राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा।^१ जब भरत ने चित्रकूट पर राम से कोसल का राज्य स्वीकार

१. पुरा न्यातः पिता न. स मातरं ते समुद्बहन् । मातामहे समाश्रयीषीद्राज्यशुल्क-

करने की प्रार्थना की, तब राम ने कहा कि मुझे मृगछाला और चीर-वल्कल पहनाकर जंगल में भेजने या राजगद्दी पर बैठाने दोनों में मेरे पिता सर्वथा समर्थ हैं ।^१

कुटुब का ढाचा इस अर्थ में सयुक्त था कि सारे सदस्य एक ही मुखिया की आज्ञा शिरोधार्य करते थे । राज-परिवारों में राजा की विभिन्न पत्नियाँ और पुत्र अपने पृथक महलों में रहते थे, उनके अपने सेवक और अनुचर होते थे, पर सभी महत्वपूर्ण कामों में वे गृहस्वामी (पिता या बड़े भाई) के आदेशों का पालन करते थे । विवाह के बाद राम अपने पृथक प्रासाद में रहने लगे थे (२।१६), फिर भी उन्होंने पिता के आदेशानुसार वन जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई । राज्य की वागडोर सम्हालने पर राम की अपने भाइयों और उनके पुत्र-कलत्र से भरे सयुक्त परिवार पर शासन करने की वारी आई ।

समाज की एक इकाई के रूप में परिवार उसकी परंपराओं, भावनाओं एवं आचार-विचारों को वर्षों से आत्मसात करता आता है । इस नाते वह अपने सदस्यों में उनका संचार करने का एक अच्छा माध्यम सिद्ध होता है । वाल्मीकि ने बारबार यह शिक्षा दी है कि मनुष्य को उन सब सस्कारों और रूढ़ियों का मनोयोगपूर्वक संरक्षण और पालन करना चाहिए, जो परिवार में अतीत काल से प्रतिष्ठित हो गई हैं, तथा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को कुटुब के सामूहिक हितों के समक्ष गौण रखना चाहिए । रामायण में ऐसे अभिजात पुरुषों के अनेक दृष्टांत आये हैं, जिन्होंने परिवार की सांस्कृतिक थाती का निष्ठापूर्वक पालन करने का सदैव आग्रह रखा । महाराज दशरथ ने अपनी राज्य-सभा के समक्ष गर्वपूर्वक यह घोषणा की थी कि प्रजा की रक्षा में जागरूक रहकर मैंने अपने पूर्वजों के मार्ग का ही अनुसरण किया है ।^२

मनुत्तमम् ॥२।१०७।३, इसी प्रकार विश्वामित्र ने अपने अनाज्ञाकारी पुत्रों को उत्तराधिकार से वंचित कर एक अपरिचित कुमार, शूनःशेष, को दत्तक ले लिया था (१।६२) । ययाति ने अपने बड़े पुत्रों की उपेक्षा कर सबसे छोटे पुरु को राजगद्दी सौंपी थी (७।५९) ।

१ वने वा चीरवसन सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम् । राज्ये वापि महाराजो मां वासयितुमीश्वरः ॥२।१०१।२०

२ मयाप्याचरितं पूर्वं पन्थानमनुगच्छता । प्रजा नित्यमनिद्रेण ययाशक्त्य-भिरक्षिताः ॥२।२।६

माता कौसल्या से वन जाने की अनुमति मागते हुए राम ने यही तर्क दिया था कि पिता की आज्ञा मानकर मैं पूर्वकाल के धर्मात्मा पुरुषो द्वारा सेवित मार्ग पर ही चल रहा हूँ—पूर्वरयमभिप्रेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते (२।२।१।३६) । जब कैकेयी ने यशस्वी इक्ष्वाकु-कुल के कल्याण की अवहेलना कर अपने और अपने पुत्र के स्वार्थों को प्रधानता दी, तब दशरथ अपने महान वश पर आनेवाली घोर विपत्ति से आशंकित हो उठे थे ।^१ राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक का दुराग्रह करके कैकेयी ने परिवार की प्रतिष्ठित परपराओं को तोड़ने की चेष्टा की, जिससे सभी विचारशील लोगो के चित्त सशक्त हो गए । सुमत्र ने कैकेयी की भर्त्सना करते हुए कहा—“इस कुल में यही रीति रही है कि राजा के देहात के बाद उसके पुत्र आयु के अनुसार राज्य के अधिकारी बने । इस सनातन प्रथा को तुम महाराजि के जीते-जी तोड़ देना चाहती हो ?”^२ ऐसा कोई भी कृत्य, जो ‘अमर्याद’ अर्थात् पारिवारिक परपराओं के प्रतिकूल होता, हेय और लोक-निन्दित था । उज्ज्वल इक्ष्वाकु-परिवार पर अपयश का टीका लगानेवाली कैकेयी को ‘स्वकुलोपघातिनी’,^३ ‘कुलघ्नी’ और ‘कुलपासनी’-जैसे विशेषणो से संबोधित किया गया है । इसके विपरीत कैकेयी-पुत्र भरत प्रभूत प्रशसा के पात्र इसलिए बने कि पारिवारिक प्रथाओं का उल्लघन करने का जो प्रयत्न उनकी माता ने किया, उसे उन्होने निर्मूल कर दिया । जब मत्रियो तथा राज्य-सभा के प्रमुख सभासदो ने उनसे राजगद्दी पर बैठने को कहा, तब भरत ने यही उत्तर दिया कि हमारे वश में ज्येष्ठ पुत्र ही शासन करने का उचित अधिकारी होता है—ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि कुलस्य^४ (२।७।१।७) ।

इस प्रकार के पारिवारिक सगठन में पुत्र का महत्वपूर्ण स्थान होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह वशकरः, वश को चलानेवाला था । धार्मिक दृष्टि से भी पुत्र-की-आवश्यकता अनुभव की जाती थी । ‘पुत्र’ नामक नरक से बेटा पिता की रक्षा करता है, इसलिए वह ‘पुत्र’—पितरो की सब प्रकार से रक्षा करनेवाला—कहलौता

१ इक्ष्वाकूणां कुले देविसंप्राप्तः सुमहानयम् । अनयो नयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः ॥२।१२।१९

२. यथावयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये । इक्ष्वाकुकुलनाथेऽस्मिस्तं लोपयितुमिच्छसि ॥२।३।५।९

है ।^१ पारलौकिक कल्याण के लिए पुत्र-प्राप्ति नितात आवश्यक थी, पितृ-ऋण से मुक्त होने का वह साधन थी। भरत-जैसे धर्मात्मा पुत्र को पाकर महाराज दशरथ निस्मदेह ऋण-मुक्त हो गए थे ।^२

अतएव पुत्र के अभाव में माता-पिता का उद्विग्न रहना स्वाभाविक ही था (विनात्मजेनात्मवता कुतो रतिः, २।१२।१११)। पुत्र-प्राप्ति के लिए बड़े उद्योग किये जाते, तपस्या की जाती, यज्ञों का सपादन किया जाता। लोगो की इस बात में बड़ी श्रद्धा थी कि दीर्घ तपस्या, सदाचारी जीवन तथा धार्मिक अनुष्ठानों के परिणामस्वरूप ही सुयोग्य पुत्र की उपलब्धि हो सकती है। महाराज दशरथ को कठोर तपस्या, असाधारण परिश्रम तथा विभिन्न प्रकार के पराक्रमों और मन्त्र-तंत्रों के प्रयोग से राम-सदृश शुभ लक्षण-सपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई थी ।^३ राम-जैसा पुत्र पाकर उनका जीवन धन्य और कृतकृत्य था ।^४ स्त्रिया भी सतान-प्राप्ति के लिए तपस्या का आश्रय लेती थी। पुत्रों की कल्याण-कामना से माता-पिता मागलिक कृत्यों का अनुष्ठान करते थे। राम के प्रस्तावित यौवराज्याभिषेक के दिन जब दशरथ ने उन्हें कैकेयी के प्रासाद में बुला भेजा, तब राम ने सोचा कि जान पड़ता है, माता कैकेयी और पिताजी दोनों मिलकर मेरे अभिषेक के सवध में कोई औपचारिक कृत्य करने का विचार कर रहे हैं (२।१६।१५)।

परिवार में पुत्र स्नेह का केंद्र-विंदु था। 'दर्पण में पडनेवाले प्रतिबिम्ब-सदृश' (आदशंतलसस्थितम्) पुत्र से बढकर और क्या प्रिय हो सकता है—नास्ति पुत्रसम प्रिय। कवि ने दशरथ और अधमुनि के पुत्र-स्नेह का मार्मिक चित्रण कर पुत्र के प्रति मानव की शाश्वत ममता को साकार कर दिया है।

पुत्रों में भी ज्येष्ठ पुत्र का अधिकारपूर्ण स्थान था। वशगत और भावनात्मक

१ पुत्राम्नो नरकाद्यस्मात् पितर त्रायते सुतः । तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः पितृन्य पाति सर्वत ॥२।१०७।१२

२ अनृण स महाबाहु पिता दशरथस्तव । यस्य त्वमीदृशो पुत्रो धर्मात्मा धर्मवत्सल ॥२।११३।१७

३ महता तपसा लब्धो विविर्घश्च परिश्रमं । एको दशरथस्यैव पुत्रः सदृश-लक्षण ॥२।८६।१२, २।५१।११ भी देखिए।

४ जातमिष्टमपत्य मे त्वमद्यानुपम भुवि ।२।४।१३

दोनो कारणो से वह पिता का अधिक प्रीति-पात्र था ।^१ दशरथ के चारो पुत्रो में से ज्येष्ठ राम ही उनकी आखो के तारे थे (तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः, १।१८।२४) । गुणवती पटरानी कौसल्या के गुणवान पुत्र होने के नाते राम के प्रति दशरथ का आकर्षण और भी बढा हुआ था ।^२ विश्वामित्र की यज्ञ-रक्षा के लिए राम को दशरथ इसीलिए नहीं भेजना चाहते थे कि वह उनके जेठे बेटे थे ।^३ कैकेयी निस्सदेह दशरथ की प्राणप्रिय भार्या थी, पर राम उससे भी अधिक उन्हें प्यारे थे ।^४ कैकेयी की मागें पूरी करने का वचन देते हुए उन्होंने राम की शपथ खाई थी—तेन रामेण कैकेयी शपे ते वचनक्रियाम् (२।११।७) ।

उत्तराधिकार का कानून ज्येष्ठ पुत्र को विशेषाधिकार प्रदान करता था । जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, उसे अपने छोटे भाइयो से पहले राजगद्दी पर बैठने का अधिकार था ।^५ पिता की अत्येष्टि तथा पितरो के श्राद्ध में पिंड-दान करने का पहला अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को ही प्राप्त था । ऐसी मान्यता थी कि पिता के प्रिय पुत्र द्वारा प्रदत्त पिंड आदि पितृलोक में अक्षय हो जाते हैं ।^६

बड़े भाई के विवाह को प्राथमिकता दी जाती थी । उससे पहले विवाह कर लेनेवाला छोटा भाई 'परिवेत्ता' कहलाता था और नरक का भागी बनता था ।^७ छोटे भाई बड़े भाई को पितृतुल्य मानते और उसके आदेशो का तन-मन से पालन करते थे । जब कुभकर्ण ने लका की राज्य-सभा में रावण को राजधर्म पर उपदेश दे डाला, तब रावण ने उत्तेजित होकर उसे फटकारा कि मैं तुम्हारा बडा भाई और

१ प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पितृषु वल्लभाः ।१।६।१।१९

२. ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः । उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः ॥२।३।३९-४०

३ ज्येष्ठे धर्मप्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि ।१।२०।१२

४. अवलिप्ते न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम । मनुजो मनुजव्याघ्राद्रामादन्यो न विद्यते ॥२।१।१५

५ सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते ।२।७।३।१२

६. प्रियेण किल दत्तं हि पितृलोकेषु राघव । अक्षयं भवतीत्याहृर्भवांश्चैव पितुः प्रियः ॥२।१०।२।८

७. नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः ।४।१७।३६

पुत्रों का घरती खोदकर मृत्यु का ग्रास बनना, ये पूर्वकालीन उदाहरण राम के सामने मौजूद थे। इन लोगो ने तथा अन्य कितने ही देवतुल्य पुरुषो ने आखं मीचकर पिता का वचन माना था। पिता की आज्ञा का उल्लघन करना राम की शक्ति के बाहर की बात थी (२।२।१।३०-४)।

एक रोचक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि माता की आज्ञा और पिता के आदेश में परस्पर विरोध होने पर किसका वचन पुत्र के लिए अधिक आदरणीय होना चाहिए। यो तो 'धर्मात्माओ की पिता में जितनी गौरव-बुद्धि होती है, उतनी ही माता में भी',^१ तथापि रामायण में ऐसी विषम स्थिति में पिता की आज्ञा को ही अधिक ऊंचा पद दिया गया है। कौसल्या और राम के सवाद से यह प्रकट है। जब राम ने पिता की आज्ञानुसार वन जाने की अनुमति माता से मागी, तब कौसल्या ने उनसे कहा—“हे धर्मज्ञ, यदि तुम धर्म का आचरण करना चाहते हो तो यही रहकर मेरी सेवा करो। देखो, कश्यप ऋषि अपने घर में ही नियमपूर्वक माता की सेवा में लगे रहे और अत में स्वर्ग गए। जिस प्रकार गुरु-भाव से राजा तुम्हारे पूज्य हैं, वैसी मैं भी हू। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, इसलिए न जाओ” (२।२।१।२४-५)। इसके उत्तर में राम ने परशुराम का उदाहरण दिया, जिन्होंने पिता की आज्ञा का आखं मूदकर पालन करके अपनी माता रेणुका का सिर फरसे से काट डाला था (२।२।१।३३)। माता के प्रति अतिशय स्नेहमय होने पर भी राम पिता के वचन अधिक माननीय समझते थे, क्योंकि 'पिता की आज्ञा पालन करने से कोई भी धर्म से झ्रष्ट नहीं होता'।^२ शुक्रनीति (२।७८-९) के अनुसार पिता के पुण्य के प्रभाव से परशुराम को अपनी माता पुन मिल गई और राम को अपना राज्य पुन प्राप्त हो गया, जबकि पिता की आज्ञा की अवहेलना करके ययाति और विश्वामित्र के पुत्र निम्नतम स्थिति को प्राप्त हो गए। सामान्यत माता-पिता दोनों के ही वचन पुत्र के लिए वरेण्य थे, किंतु पितृ-प्रधान परिवार में पिता को स्वभावत कुछ प्रमुखता मिल जाती थी।

राजकीय परिवारो मे ज्येष्ठ पुत्र अपने विवाह के बाद दैनिक कार्य-कलाप

१ यावत्पितरि धर्मज्ञ गौरवं लोकसत्कृते । तावद्धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम् ॥२।१०।१।२१

२. पितुर्हि वचनं कुर्वन्न कश्चिन्नाम हीयते ।२।२।१।३७

में पिता को भरसक सहयोग देता था। सीता से विवाह हो जाने के बाद राम अपने पिता की सेवा-शुश्रूषा का विशेष ध्यान रखते थे, उनकी आज्ञा के अनुसार वह राज-काज देखने तथा प्रजाजनो के प्रिय और हित में निरत रहने लगे। समय-समय पर वह अपनी माताओं तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करने का भी ध्यान रखते थे। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ, पुरवासी, वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा वैश्य महाजन सतुष्ट और प्रसन्न थे (१।७।२०-४)।

मानव-सम्यता के अरुणोदय से ही परिवार को स्थायित्व प्रदान करने में पैतृक स्नेह और यौन इच्छा का प्रमुख योग रहता आया है। समाज का यह कर्तव्य है कि वह इन दोनों भावनाओं का इस प्रकार संचालन करे कि वे सामाजिक दृष्टि से उपयोगी बन जाय। पैतृक स्नेह ही पिता को सतति के लिए त्याग और श्रम करने को कटिबद्ध रखता है। वृद्धावस्था में पुत्र को सब-कुछ सौंप उपराम-वृत्ति ग्रहण करने की आज्ञा देकर हमारे शास्त्रकारों ने पिता के सपत्ति-प्रेम या स्वार्थ-भाव को परिवार की भावी सुख-शांति और सुचारु व्यवस्था के निमित्त नियंत्रित रखने की चेष्टा की। इसी प्रकार यौन भावना पर व्यवहार (कानून), नैतिक और धार्मिक नियमों तथा परंपराओं और सस्कारों का बंधन लगाकर उसे मर्यादित रखा गया, जिससे वह कामोपभोग की उद्दाम वासना के बजाय वश चलाने की हार्दिक अभिलाषा का रूप ले सके।

परिवार के सदस्यों का सौहार्दमय पारस्परिक संबंध ही आर्य-संस्कृति का प्रधान सबल, उसकी उत्कृष्टता का प्रमुख रहस्य रहा है। रामायणकार ने पाठक के सामने सयुक्त परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच स्नेह और सद्भावनापूर्ण संबंधों का एक उत्कृष्ट चित्र प्रस्तुत किया है। दशरथ के पारिवारिक जीवन का चित्रण कर वाल्मीकि ने पिता-पुत्र, भाई-भाई, पति-पत्नी, देवर-भौजाई, सास-पुतोहू आदि के स्नेहसिक्त एवं अनुकरणीय संबंधों के समुज्ज्वल उदाहरण उपस्थित किये हैं। यह सत्य है कि कैकेयी की ईर्ष्या-भावना इस सुखी परिवार पर काली छाया की तरह आ पड़ी है, पर उसकी स्वार्थपरायणता और अमर्यादित आचरण के कारण ही तो अन्य सदस्यों की उदात्त वृत्तियाँ और निस्वार्थ व्यवहार प्रकाश में आ सके। दशरथ में यदि आदर्श पिता और राम में आदर्श पुत्र मूर्तिमान हो उठे हैं तो लक्ष्मण और भरत में आदर्श भाई तथा कौसल्या और सीता में आदर्श पत्नी का रूप निखरा है। रामायणकालीन समाज का कोई भी अध्ययन, इन विशिष्ट चरित्रों

के पारिवारिक आचरण का समुचित मूल्यांकन किए बिना, पूर्ण नहीं हो सकता।

राम और उनके तीनों भाइयों के बीच निश्चल और प्रगाढ़ भ्रातृ-प्रेम था। जैसे गाय के खुर अथवा प्रोष्ठपद नाम के तारे दो-दो के जोड़े में परस्पर अनुरक्त रहते हैं, वैसे ही वे चारों भाई राम-लक्ष्मण और भरत-शत्रुघ्न के दो-दो के जोड़े में परस्पर अनुरक्त थे (प्रोष्ठपदोपमा.)। उनमें कोई स्पर्धा, कोई प्रतियोगिता या कलह नहीं था। राम को अपने भाई प्राणो से भी प्यारे थे। वन-प्रस्थान के समय उन्होंने सीता को घर पर रहने के लिए समझाते हुए कहा था कि प्राणप्रिय भरत और शत्रुघ्न का तुम अपने भाई और पुत्र के समान विशेष ध्यान रखना।^१ भाइयों के प्रति उनका प्रेम चित्रकूट पर भी उस समय उज्ज्वल रूप में प्रकट हुआ है, जब उनसे अयोध्या लौट चलने की अनुनय-विनय की गई थी। लक्ष्मण ने राम के लिए नि-स्वार्थ आत्मोत्सर्ग कर रखा था और राम के भी वह मानो बाह्य प्राण ही थे (बहिः प्राण इवापर, १।१८।३०)। राम और भरत का प्रेम भी अद्वितीय और देवोपम था। राम का भरत के राज्याभिषेक के प्रस्ताव से आनंदित होकर अपना अधिकार छोड़ देना तथा भरत का उसे स्वीकार न करना और तपस्वी रूप में जीवन-यापन करना, एक-दूसरे से बढ़कर आदर्श उपस्थित करते हैं।

राम के यौवराज्याभिषेक पर कैकेयी के आक्रोश की घटना को एक अपवाद मान लिया जाय तो हम देखेंगे कि दशरथ की रानियों का पारस्परिक व्यवहार नितांत सौहार्दपूर्ण था। कौसल्या का कैकेयी के प्रति भगिनीवत् व्यवहार था।^२ सुमित्रा ने अपनी स्थिति सर्वथा गौण बना रखी थी—उसने कौसल्या के हितों में ही अपने हितों को एकाकार कर दिया था और अपने पुत्र को जेठे भाई के प्रति पूर्ण-तया अनुरक्त बनने देने में ही गौरव का बोध किया था। मथुरा द्वारा बहकाये जाने से पहले कैकेयी राम को अपना बड़ा पुत्र मानती थी, उसके स्नेह के वह और भरत समान रूप से पात्र थे।^३ राम का भी अपनी विमाता के प्रति मातृ-नुल्य व्यवहार

१. भ्रातृपुत्रसमौ चापि दृष्टव्यौ च विशेषतः । त्वया भरतशत्रुघ्नौ प्राणं. प्रियतरौ मम ॥२।२६।३३

२. तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घर्वाशिनी । त्वयि...भगिन्यामिव वर्तते ॥ २।७३।१०

३. स मे ज्येष्ठसुतः श्रीमान् धर्मज्येष्ठ इतीव मे । तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्यं कथितं भवेत् ॥२।१२।१७, ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना । २।१२।२१

था। उन्हें अपने प्रति कैकेयी की सद्भावना में कोई सदेह नहीं था। उसके षड्यंत्र के प्रकट होने पर भी राम के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। सच तो यह था कि दशरथ के विशाल अत पुर में, जहा असख्य नर-नारी रहते थे, राम से कोई अप्रसन्न नहीं था—

बहूनां स्त्रीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनाम् ।

परिवादोऽपवादो वा राघवे नोपपद्यते ॥ २।१२।२७

इस प्रकार हम देखते हैं कि माता और पिता की भक्ति, सतति का प्रेम, पति-पत्नी की अनुरक्ति, अतीत की परपराओं में आस्था तथा पूर्वजो का श्रद्धामय स्मरण—ये ही वे सुकुमार ततु थे, जो परिवार के सदस्यों को परस्पर बाधे रखते थे। एक सस्कारी हिंदू गृहस्थ का घर, गृह-देवता अग्नि के सरक्षण में, परिवार के जीवित सदस्यों का ही नहीं, अपितु दिवगत पितरो का भी आवास है। अग्नि की साक्षी में पंच-महायज्ञो का अनुष्ठान किया जाता है तथा पितृ-यज्ञ के समय पूर्वजो का प्रतिदिन स्मरण। ऐसे पवित्र वातावरण में प्राचीन आर्यों का परिवार—मातृ-स्नेह, पैतृक सरक्षण, दापत्य प्रणय और सतानोत्पत्ति की हमारी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के आधार पर—समाज-हित में योग-दान करता था।

परिवार का नष्ट-भ्रष्ट, तितर-बितर या विशृंखलित हो जाना एक महान विपत्ति था। अराजकता के दोषो का वर्णन करते हुए वाल्मीकि कहते हैं कि राजा-रहित प्रदेश में पारिवारिक जीवन और नैतिक जीवन का चरम पतन हो जाता है—तब पिता और पुत्र में सघर्ष होने लगता है और स्त्रिया हाथ से बाहर निकल जाती है—नाराजके पितुः पुत्रो भार्या वा वर्तते वशे (२।६७।१०)।

मनुष्य के चरित्र-निर्माण में कुटुंब के महान योग को रामायण ने स्वीकार किया है। कुल या परिवार ही एक ऐसा शिक्षणालय है, जिसमें व्यक्ति स्नेह और सौहार्द का, गुरुजनो के प्रति आदर और भक्ति-भाव का तथा सामूहिक कल्याण के लिए वैयक्तिक प्रवृत्तियों और महत्वाकांक्षाओं को दबाने का पाठ सीखता है। अपने जीवन में राम ने जिन अलौकिक गुणो का परिचय दिया, उनकी जड़ें उनके अपने पारिवारिक जीवन में जमी थी। वही उन्होंने सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु-सेवा-जैसे सद्गुणो को विकसित किया, १

१. सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम् । विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवाण्ये-
तानि राघवे ॥२।१२।३०

वही उन्होंने 'प्रजाजनो को सत्य से, दीनो को दान से, गुरुजनो को सेवा से और शत्रुओ को धनुष से जीतना' सीखा।^१ शत्रु और मित्र के प्रति सरल, शिष्ट और स्पष्ट व्यवहार, जीवन के विपम क्षणों में उच्च नैतिकता का आग्रह, विचारों की दृढता, असत्य और ईर्ष्या-द्वेष से सर्वथा मुक्ति, दानशीलता और उदारशयता, समस्त मानवों के प्रति सेवा-भाव, प्राणि-मात्र के प्रति प्रेम और भ्रातृत्व आदि गुण, जो उनके उथल-पुथल-भरे जीवन में पद-पद पर प्रकट हुए हैं, अपने उद्भव और विकास के लिए पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक अनुशासन एवं पारिवारिक वातावरण के ही ऋणी थे। वस्तुतः राम का समग्र जीवन परिवार के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सत्प्रभाव का उज्ज्वल दृष्टांत है।

१. सत्त्वेन लोकाञ्जयति द्विजान् दानेन राघवः । गुरुञ्छुभ्रूषया वीरो धनुषा युधि शान्नवान् ॥२११२१२१

विवाह

विवाह व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, गृहस्थाश्रम की भित्ति और पारिवारिक ढाँचे की आधार-शिला। मनु ने उसे स्त्री-पुरुषों के सबधों को मर्यादा में रखनेवाली कल्याणकारी लौकिक प्रथा माना है—एषोदिता लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः शुभा ।^१ रामायण-काल में वह पारपरिक एव शास्त्रीय आधारों पर पूर्णतया प्रतिष्ठित हो चुकी थी। सामान्यतः प्रत्येक प्राणी के लिए विवाह—पारिवारिक स्थिरता, सासारिक सुख और पारलौकिक कल्याण की दृष्टि से—आवश्यक और वाञ्छनीय माना जा चुका था। विशेष कर स्त्रियों के लिए तो विवाह एक प्रकार से उनका नूतन जन्म-संस्कार था, जिस प्रकार उच्च वर्ण का व्यक्ति उपनयन-संस्कार द्वारा द्विजत्व प्राप्त करता है, उसी प्रकार स्त्री पाणिग्रहण द्वारा अपने व्यक्तित्व का उत्कर्ष करती है।^२

उन दिनों विवाह से पूर्व वर-वधू में कोई परिचय या सपर्क नहीं होता था। उच्च कुल की कन्याएँ प्रायः एकांत में रहती थीं और उन्हें प्रेमी जनो से मिलने के कम ही अवसर मिलते थे। सीता, मंदोदरी, कुशनाभ-कन्याएँ, ऋष्यशृंग की पत्नी शाता, इनमें से किसीने विवाह से पहले पति के दर्शन नहीं किये थे। रामायण में जहाँ कहीं अविवाहित कन्याओं के प्रति प्रणय-प्रस्ताव किये गए हैं, वहाँ वे या तो असफल सिद्ध हुए हैं अथवा स्वयं कन्याओं द्वारा तिरस्कृत कर दिये गए हैं। शिष्ट वर्गों में विवाह से पहले प्रेम-संभाषण हेतु दृष्टि से देखा जाता था, जैसाकि अरजा, वेदवती और कुशनाभ-कन्याओं के आख्यानों से विदित होता है।

वर्ण-व्यवस्था में ज्यो-ज्यों रूढ़िबद्धता और जटिलता आती गई, त्यो-त्यो विवाह-सबधों का क्षेत्र भी सकुचित होता गया। पर रामायण के युग तक ऐसी स्थिति

१. मनुस्मृति १।२५

२. वृत्तशैले कुले जातामाचारवति धार्मिके । पुनः संस्कारमापन्ना जातामिव च दुष्कृते ॥ ५।११।१०, टीका देखिए ।

उत्पन्न नहीं हुई थी। समान शील और कुल के आग्रह के सिवा विवाह-सवधो पर कोई निर्धारित प्रतिबन्ध नहीं थे। गोत्र, प्रवर, सर्पिड सवधो के वर्जन आदि का ध्यान रखा जाता था या नहीं, उल्लेख के अभाव में कहना कठिन है। जन्म-पत्रिका आदि मिलाने का रिवाज भी परवर्ती काल का ही लक्षण जान पड़ता है।

अतरजातीय विवाहो का प्रचलन था। क्षत्रिय राजकुमारी शाता और ब्राह्मण ऋषिकुमार ऋष्यशृंग का विवाह अनुलोम-विवाह का उदाहरण है, जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह करता है। जिस मुनिकुमार को दशरथ ने म्रमवश मार डाला था, उसके पिता वैश्य और माता शूद्रा थी।^१ उत्तरकांड के युग में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहो की संख्या और बढ़ गई। क्षत्रिय ययाति और ब्राह्मण देवयानी का संबध प्रतिलोम-विवाह का उदाहरण है, जिसमें निम्न जाति का व्यक्ति उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है।

पुत्र-पुत्रियो के विवाह प्रायः माता-पिता ही रचा करते थे। वर-वधू की स्वतंत्र इच्छाएँ कोई महत्व नहीं रखती थी। पति-वरण के प्रश्न में कन्या को पितृवशा, पिता के सर्वथा अधीन बताया गया है। पिता की समति के बिना उसका स्वेच्छा से पति चुन लेना या किसी प्रेमी के विवाह-प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना अनुचित एवं अशोभनीय माना जाता था। जब वायु ने कुशनाभ-कन्याओ से अपनी भार्या बन जाने के लिए कहा, तब उन्होंने दृढतापूर्वक उत्तर दिया—“हे मुख, ऐसा समय कभी न आये, जब हम अपने सत्यवादी पिता की उपेक्षा कर स्वेच्छापूर्वक स्वयंवर कर लें। पिता ही हमारे प्रभु और परम देवता है। वह जिसको हमें सौंप देंगे, वही हमारा पति होगा—यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति (१।३२।२१-२)। ऐसी दशा में शिष्ट आर्य-परिवारो में प्रणय या गाधर्व-विवाहो के लिए अनुकूल वातावरण नहीं था।

कन्या की याचना उसके पिता से ही करनी पड़ती थी। सीता से विवाह के इच्छुक राजागण महाराज जनक के समक्ष अपना प्रस्ताव रखते थे।^२ जब कामोन्मत्त राजा दंड ने शुक ऋषि की पुत्री अरजा से समागम की इच्छा व्यक्त की, तब उस मुनि-कन्या ने असहमति प्रकट करते हुए कहा—“मै कुमारिका हूँ और अपने पिता

१. शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप । २।६३।५०

२. वर्धमाना ममात्मजाम् । वरयामासुरागत्य राजान् . . ॥ १।६६।१५-६

के सर्वथा वश में हूँ। आप मेरा बलपूर्वक स्पर्श न करे। नरश्रेष्ठ, मेरे तेजस्वी पिता से आप मेरी याचना कर ले।” —

मा मां स्पृश बलाद्राजन् कन्या पितृवशा ह्यहम् ।

वरयस्व नरश्रेष्ठ पितरं मे महाद्युतिम् ॥७।८०।९-११

इस स्थल पर विवाह की उस स्वयवर-प्रथा की चर्चा कर देना अप्रासंगिक न होगा, जिसमें वधू स्वेच्छा से वर का चुनाव करती है। कुछ लोगो की धारणा है कि सीता का विवाह स्वयवर-प्रणाली के अनुसार स्वेच्छा-संमत ढंग से हुआ था। यद्यपि स्वय सीता ने अनसूया के समक्ष अपने विवाह को स्वयवर बताया था (२।११८।३८), तथापि इस स्वयवर को रूढ अर्थ में 'स्वतंत्र रूप से पति-वरण' समझना गलत है। प्राचीन भारत में स्वयवर की दो प्रणालियाँ प्रचलित थी—एक तो वह, जिसमें वधू एक नियत स्थान पर इकट्ठे हुए वरो में से अपनी रुचि के पति को चुन लेती है, दूसरी वह, जिसमें पूर्व-निर्धारित शर्तों को पूरा करनेवाला ही कन्या के पाणिग्रहण का अधिकारी होता है। पहली प्रथा रामायण के समय में प्रचलित नहीं थी, दूसरी अवश्य प्रचलित थी, किंतु इसमें भी वधू की स्वतंत्र राय को कोई महत्व प्राप्त नहीं था। जो कोई भी वीर नियत शर्तों का भली भाँति पालन कर लेता, वधू उसको वर-माला पहनाने को बाध्य थी। सीता के कथित स्वयवर में भी यही हुआ, पति का चुनाव उनकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर नहीं था। स्वयवर का सारा महोत्सव उनके पिता राजा जनक ने आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो व्यक्ति शिव-धनुष को उठाकर तान लेगा, निस्सदेह मेरी कन्या उसकी पत्नी बनेगी।^१ इस प्रकार रामायणकालीन स्वयवर-प्रथा में भी कन्या की अपेक्षा पिता का ही प्रभाव अधिक था, वही 'धनुर्विद्या में कुशलता'-जैसे मापदंडों के आधार पर पुत्री के लिए वर का चुनाव करता था। यह निर्वाचन भी आमंत्रित व्यक्तियों तक सीमित रहता था। जब कुशनाभ-कन्याओं ने वायु से कहा कि हम पिता की उपेक्षा करके स्वयवर नहीं करना चाहती,^२ तब 'स्वयवर' से उनका अभिप्राय 'स्वयग्रहण' (स्वेच्छापूर्वक

१. इदं च धनुर्दम्य सज्ज यः कुरुते नरः । तस्य मे द्रुहिता भार्या भविष्यति न संशयः ॥ २।११८।४२

२. मा भूत्स कालो दुर्मघः पितर सत्यवादिनम् । अवमन्य स्वधर्मेण स्वयंवर-मुपास्महे ॥ १।३२।२१

पति चुन लेना) था। इस दूसरे प्रकार के स्वयवर को उस युग की सम्राट कन्याएँ अनादर की दृष्टि से देखती थी। इसके अतिरिक्त उन दिनों के स्वयवर विशाल, वैभवपूर्ण राजकीय महोत्सव हुआ करते थे, जिनका प्रचार क्षत्रिय राजाओं-महाराजाओं के वर्गों में सीमित था। ब्राह्मणों तथा अन्य वर्गों की कन्याओं के विवाह में स्वयवर का रिवाज नहीं था।

पुत्रों के विवाह में भी पिता की अनुमति आवश्यक थी। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा की समाप्ति के बाद महाराज दशरथ ने ही उनका विवाह कर देने का निश्चय किया था (१।१८।३६-८)। जनक ने राम-सीता के विवाह में दशरथ की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपने दूतों को अयोध्या भेजा था (१।६८।२७)।

सत्तान के विवाह में पैतृक सत्ता का इतना अधिकार होते हुए भी केवल इस कारण विवाहों के दुःखमय होने के उदाहरण नहीं मिलते। सीता और मदोदरी के पतियों का चुनाव उनके पिताओं ने किया था, फिर भी उन्हें पति-प्रेम पर्याप्त मात्रा में मिला और वे भी अनुरागिणी पत्नियाँ निकलीं। सीता राम की प्रियतमा इसलिए थी कि वह उन्हें पिता दशरथ की अनुमति से प्राप्त हुई थी—प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति (१।७७।२६)।

कभी-कभी पिता के अतिरिक्त अन्य लोग भी वैवाहिक सवध स्थापित कराने में सहायक होते थे। उदाहरणार्थ, अयोध्या और मिथिला के राज्य-परिवारों में विवाह-सवध रचाने में विश्वामित्र ने महत्त्वपूर्ण योग दिया था। उन्हीं के सुझाव पर जनक की दोनों भतीजियों का विवाह भरत और शत्रुघ्न से हुआ था।

कन्याएँ वयस्क होने पर ही व्याही जाती थी। सीता और उनकी बहनें विवाह के बाद अपने-अपने पतियों के साथ एकात में रमण करने लगी थी—रेमिरे मुदिता. सर्वे भर्तृभिर्मुदिता रहः (१।७७।१३)। इससे उनकी युवावस्था प्रमाणित होती है।

अरण्यकांड में एक स्थल ऐसा है, जिससे सीता का विवाह वाल्यावस्था में हुआ जान पड़ता है। पंचवटी में रावण को अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा था कि विवाह के बाद मैं बारहवर्ष ससुराल में रही और वन जाते समय मेरी आयु

अठारह वर्ष की थी, ^१ दूसरे शब्दों में, सीता का विवाह छ वर्ष की आयु में ही चुका था। किंतु यह प्रमाण अन्य कई प्रसंगों से अविश्वसनीय सिद्ध होता है। छ वर्ष की बालिका में विवाह का उपर्युक्त प्रकार से फलीभूत होना कल्पित नहीं किया जा सकता। अनसूया के समक्ष सीता ने कहा था कि जब मेरी अवस्था विवाह-योग्य (पति-संयोग-सुलभम्) हुई, तब मेरे पिता जनक मेरे विवाह के विषय में बहुत चिंतित हुए।^२ छ वर्ष की आयु को इस श्रेणी में कदापि नहीं रखा जा सकता। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि सीता के विवाह-योग्य बनने और राम के साथ उनका विवाह हो जाने—इन दोनों के बीच काफी समय बीता था। इस अरसे में अनेक राजा सीता को पाने की इच्छा से आये, पर पर्वताकार धनुष को देख अपना-सा मुह लेकर लौट गए (२।११८।४३-४)। फिर उन सबने मिलकर मिथिला को घेर लिया, और एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर यह घेरा उठ पाया (१।६०।२१-२)। इस प्रकार जब जनक ने सीता-स्वयंवर के 'पण' (शर्त) की घोषणा की, तब से सीता अपना विवाह हो जाने तक आयु में और बड़ी हो चुकी थी। विवाह-संस्कार के समय उनकी माता ने अग्नि के समक्ष जो उपदेश दिया था, उसकी विस्मृति सीता को नहीं हुई थी।^३ अतएव निश्चय ही सीता की आयु इस प्रकार का उपदेश ग्रहण करने योग्य हो गई थी। स्वयं जनक ने विश्वामित्र से कहा था कि मेरी 'वर्धमाना' (प्राप्तयौवना) पुत्री को पाने की इच्छा से बीसियों राजा आये, पर शारीरिक परीक्षा में खरा न उतरने के कारण निराश हो चले गए (१।६६।१५-६)। इन प्रमाणों से यह सिद्ध है कि विवाह के समय सीता एक पूर्ण वयस्क, पति-संयोग के अनुकूल एवं बुद्धिमती कुमारिका थी, जिन्हे माता-पिता से पत्नी के कर्तव्यों की समुचित शिक्षा भी मिल चुकी थी। स्पष्टतः अरण्यकांड का उपर्युक्त स्थल प्रक्षिप्त प्रतीत होता है।^४

१. उषित्वा द्वादशसमा इक्ष्वाकूणां निवेशने । अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते ॥ ३।४७।४, ११, टीका देखिए ।
२. पतिसंयोगसुलभ वयो दृष्ट्वा तु मे पिता । चिन्तामभ्यगमद्दीनो वित्त-नाशादिवाधनः ॥ २।११८।३४
३. पाणिप्रदानकाले च यत्पुरा त्वग्निसन्निधौ । अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्यं तदपि मे घृतम् ॥ २।११८।८
४. अनत सदाशिव अलतेकर—'पोजीशन आफ वीमेन इन हिंदू सिविलि-जेशन', पृ० ६३

विवाह के समय कन्याओं के वयस्क होने की पुष्टि बालकाड और उत्तरकाड के आस्थानों से भी होती है। कुशनाभ-कन्याएँ, जो उद्धत वायु के विवाह-प्रस्ताव को अनादरपूर्वक ठुकरा सकती थी और जिन्हें अपने कुल की मान-मर्यादा का पूरा ध्यान था, राजा ब्रह्मदत्त से अपने विवाह के समय अवश्य ही बाल-वधुएँ नहीं रही होगी। तृणबिन्दु की कन्या पुलस्त्य से विवाह के समय गर्भ धारण करने योग्य अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी।

जब कन्याओं का विवाह उनके युवती होने पर किया जाता था, तब पुत्रों का विवाह उनके पूर्ण युवक होने पर किया जाय, यह स्वतः सिद्ध है। अधमुनि के पुत्र की हत्या करते समय दशरथ युवराज थे और उनका तब तक विवाह नहीं हुआ था।^१ राम-लक्ष्मण विवाह के समय 'समुपस्थितयौवन' थे—उनका व्यक्तित्व ऐसा सुगठित और कातिमान था कि दर्शक निर्निमेष देखते ही रह जाते थे (१।४।२-६)।

पति और पत्नी की आयु में कभी-कभी काफी अंतर होता था। वृद्धों से युवतियों का विवाह अनहोनी घटना नहीं था। दशरथ ने वृद्धावस्था में केकयराज की युवती कन्या का पाणिग्रहण किया था। तरुणी कैकेयी वृद्ध दशरथ को प्राणों से भी प्यारी थी—स वृद्धस्तरुणीं भार्यां प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् (२।१०।२३)। इसी प्रकार वृद्ध ग्राह्यत्रिजट की भार्या तरुणी थी।

विवाह का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ सतति को जन्म देकर वश-वृद्धि में योग देना था। इसलिए माता-पिता इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके पुत्र-पुत्रियों को श्रेष्ठ जीवन-साथी मिले। वर-वधू का 'सदृश' होना आवश्यक था। सीता-राम और उर्मिलालक्ष्मण का विवाह सब प्रकार से अनुरूप था, क्या धर्म की दृष्टि से और क्या रूप-मावुरी की।^२ रावण की अशोकवाटिका में सीता को देखकर हनुमान कह उठे थे कि 'स्वभाव, अवस्था, चरित्र, कुल तथा शुभ लक्षणों की समानता के कारण यह काली आखोवाली सीता राम के योग्य है और वह वैदेही के'—

तुल्यशीलवयोवृत्ता तुल्याभिजनलक्षणाम् ।

रामोऽर्हति वैदेहीं त चेत्यमसितेक्षणा ॥५।१६।५

१. देव्यनूढा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहम् । २।६३।१४

२. सदृशो धर्मसम्बन्ध सदृशो रूपसम्पदा । रामलक्ष्मणयो राजन्सीता
घोर्मिलया सह ॥१।७।२।३

श्रेष्ठ वधू वह है जो 'अनुरूपा' पत्नी बन सके। मन और शरीर से पति से सयुक्त हो सके, ऐसी उसकी युवावस्था होनी चाहिए। 'शुभाचारा', सती और अनूठा वधू ही पति की प्रियतमा बन सकती है। उसके अखंड कौमार्य पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उसका उच्च कुलोत्पन्न, रूप और यौवन से युक्त, अगाग में मनोहर और गुणावली से विभूषित होना इष्ट था। रावण की स्त्रियो में से कोई भी ऐसी नहीं थी, जो अकुलीन, कुरूप, गुणहीन, आभूषणो से रहित या पति को अप्रिय हो—

न चाकुलीना न च हीनरूपा

नादक्षिणा नानुपचारयुक्ता ।

भार्याभवत्तस्य न हीनसत्त्वा

न चापि कान्तस्य न कामनीया ॥५१९॥७१


आदर्श वधू में मौभाग्य और मंगल के सूचक कतिपय सुलक्षणो की भी आशा की जाती थी। इन लक्षणो का व्योरा लका की रण-भूमि में राम की कथित मृत्यु पर सीता के विलाप-वर्णन से प्राप्त होता है। उन्होने कहा—“सामुद्रिक-शास्त्र जानने-वालो ने मुझे सववा और पुत्रवती बताया था। जिनके कारण कुल-कामिनियां आने राजा-पतियो के साथ राज-पद पर अभिषिक्त होती हैं, मेरे चरणो में वे कमल-रेखाए भी हैं। इसके विपरीत, जिन कुलक्षणो के कारण हतभागिनी स्त्रियो को वैभव्य प्राप्त होता है, उनमें से मुझे अपने में कोई भी नहीं दिखाई देता। मेरे बाल बारीक, समान और काले हैं, भाँहे जुडी हुई नहीं हैं, जाधे गोल-गोल और रोम-हीन हैं, तथा दात मटे हुए हैं। आखो के प्रात-भाग, नेत्र, हाथ, पैर, टखने और जाधे, ये सब समान और उभरे हुए हैं। नख उतार-चढाववाले और चिकने हैं, तथा उगलिया भी समान हैं। मेरे उरोज मोटे और सटे हैं—उनके चूचक धसे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी है तथा पार्श्वभाग और छाती उभरी हुई है। मेरी अग-काति खरादी हुई मणि के समान उज्ज्वल है और शरीर के रोए कोमल है तथा पैरो की दसो उंगलिया और तलव्रे पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। इनके कारण भी लक्षणज्ञो ने मुझे शुभ-रक्षणग बताया था। मेरे हाथ-पैर लाल हैं, उनके पोरो में यव (जौ) की समूची रेखाएं हैं। कन्या के लक्षणो का ज्ञान रखनेवालो ने मुझे मद मुसकान करनेवाली बताया था” (६१४८१७-१४) ।

वर को भी पूर्ण युवा, शुभाचारी और ऊर्ध्वरेता होना चाहिए। वर-वधू के 'सद्गत्व' का आग्रह यह सूचित करता है कि वधू की तरह वर का कौमार्य भी

अखण्डित होना चाहिए। उसका अध्ययन-क्रम संपूर्ण हो जाना चाहिए। तपस्या, बल, पराक्रम, धन, तेज, यश आदि वर के अन्य अपेक्षित गुण थे। सीता के अनुराग का द्रावेंदार बनने के लिए रावण ने अपने को इन गुणों में राम की अपेक्षा बड़ा-बड़ा बताया था।^१

माता-पिता अपनी पुत्री के लिए 'अभिरूप' (सुंदर) पति की कामना करते थे। पुरुषों में सौंदर्य और सौभाग्य के सूचक लक्षणों का उल्लेख हनुमान ने सीता के समक्ष राम का वर्णन करते हुए इस प्रकार किया था—“उनके कंधे मोटे, भुजाए बड़ी-बड़ी, गला शख के समान और मुख सुंदर है। गले की हँसली मास से ढकी हुई है

तथा नेत्रों में कुछ-कुछ लालिमा है। उनका स्वर दुदुभि के समान गभीर तथा शरीर का रंग सुंदर और चिकना है। वह श्याम-वर्ण है। उनके सभी अंग सुढील और बराबर हैं। उनके तीन अंग (जाघ, कलाई और मुट्ठी) मजबूत हैं, तीन (भौंहे, दोनों भुजाए



चित्र ४—कवुग्रीव

और अडकोश) लंबे हैं, तीन (बालों के अग्रभाग, अडकोश और घुटने) बराबर हैं, तीन (वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और पेट) ऊंचे हैं, तीन (नेत्रों के कोने, नख और हाथ-पैरों के तलबे) लाल हैं, तीन (दोनों पैरों की रेखाएँ, सिर के बाल और लिंग) चिकने हैं, तथा तीन (स्वर, चाल और नाभि) गभीर हैं। उदर और कठ पर त्रिवली का चिह्न है। (तलबों के मध्यभाग, पैर की रेखाएँ और स्तनों के अग्रभाग, ये तीन) धसे हुए हैं। चार अंग (गला, लिंग, पीठ और फल्लियाँ) छोटे हैं। मस्तक में तीन भवर हैं। (अगूठे में चारों वेदों में प्रवीणता की सूचक और ललाट में दीर्घायु की सूचक) चार-चार रेखाएँ हैं। वह चार हाथ उंचे हैं। उनके

१. न रामस्तपसा देवि न बलेन च विक्रमं । न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसाऽपि वा ॥११.२०।३४

(कपोल, भुजा, जाघ और घुटने, ये) चार अंग बराबर है। शरीर में दो-दो की सख्या में जो चौदह अंग होते हैं (भौह, नथुने, नेत्र, कान, ओठ, स्तनाग्र, कोहनी, कलाई, घुटने, अडकोश, कमर, हाथ-पैर, कंधे और स्फिच अर्थात् कटि के पीछे का वह भाग जिसमें चलने से गड्ढे पड़ जाते हैं), वे भी उनके परस्पर सम हैं। उनकी (चारो कोनो की) चारो दाढ़ें (ऊपर और नीचे की पक्ति के बगलवाले चार-चार दात) शास्त्रीय लक्षणो से युक्त हैं। वह (सिंह, बाघ, हाथी और साड के समान) चार प्रकार की चाल चलते हैं। उनके ओठ, ठोडी और नासिका प्रशस्त हैं। उनकी नाक लबी है। (वाणी, मुख, नख, लोम और त्वचा, इन) पाचो मे स्निग्धता भरी है। (दोनो भुजाए, दोनो जाघे, दोनो फिल्लिया और दोनो कनिष्ठिकाए, ये) आठ दीर्घ हैं। उनके (चेहरा, नेत्र, मुह, जीभ, ओठ, तालु, स्तन, नख और हाथ-पैर, ये) दस अंग कमल-तुल्य हैं। (छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाए, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान, ये) दस अंग चौडे हैं। वह श्री, यश और प्रताप से व्याप्त है। उनके मातृ-कुल और पितृ-कुल अत्यत शुद्ध हैं। (पार्श्वभाग, उदर, वक्ष स्थल, नासिका, कंधे और ललाट, ये) छ अंग ऊचे हैं। उगलिया, केश, रोम, नख, त्वचा, दाढी, मूछ के बाल, दृष्टि और बुद्धि सूक्ष्म हैं" (५।३५।१५-२०)।



ये परिभाषाए भारतीय सौंदर्य-शास्त्र के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इसी प्रकार बालकाड के प्रथम सर्ग मे राम के क्षत्रिय-स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उनके कंधे चौडे और उठे हुए, भुजाए लबी, ग्रीवा शख की तरह और ठोडी दोहरी थी। छाती चौडी, लबा धनुष सम्हालनेवाले घुटनो तक लबे हाथ, गले की हड्डी मास से दबी हुई, उत्तम सिर, सुदर ललाट, बडी-बडी आखें, चमकीला रंग, सब अंग बराबर बटे हुए तथा शुभ लक्षणो से युक्त देह थी। (१।१।९-११)।

चित्र ५—उन्नत नासिका

रामायण में छ प्रकार के विवाहो का वर्णन आया है। प्रथम प्रकार का उदाहरण कुशनाभ-कन्याओ और कापिल्या के राजा ब्रह्मदत्त का विवाह है। इस विवाह में वर से कुछ भी द्रव्य नही लिया गया—उसे राजा कुशनाभ ने आदरपूर्वक आमंत्रित

कर वैदिक विधि से अपनी कन्याएँ उससे ब्याह दी (१।३३)। रोमपाद की पुत्री शाता तथा उत्तरकाड में वर्णित राजा तृणबिंदु और ऋषि भरद्वाज की कन्याओं के विवाह भी इसी विधि से सपन्न हुए। विवाह का यह प्रकार स्मृतियों के ब्राह्म-विवाह का पूर्व-रूप है।

दूसरे प्रकार का विवाह राम और सीता के परिणय में देखा जा सकता है। जनक ने सीता को सब प्रकार के आभूषणों से भूषित कर, राम की एक 'सहधर्मचरी' के रूप में अर्पित कर दिया (१।७३।२५-६)। यह विधि स्मृतिकारों में प्राजापत्य-विवाह के नाम से रूढ हुई। इसमें कन्या का पिता वर का समुचित सत्कार कर दोनों को धर्माचरण में सहयोगी बनने को प्रवृत्त करता है।

वर से शुल्क या धन लेकर कन्या ब्याहने का रिवाज सभवत उत्तर-पश्चिमी सीमांत के आर्यों में प्रचलित था। यह हम देख ही चुके हैं कि केकय देश के राजा ने दशरथ से अपनी कन्या इस शर्त पर ब्याही थी कि वह उसके पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनायगे। यह विवाह बाद में आसुर-विवाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

पारस्परिक प्रेम से उद्भूत होनेवाला गाधर्व विवाह आर्येतर जातियों में अधिक पाया जाता था। कई कामासक्त रमणियाँ स्वेच्छा से आकर रावण की पत्नियाँ बन गई थीं।^१ राम के प्रबल आकर्षण ने शूर्पणखा को कामातुर बना दिया था और वह उन्हें अपना पति बना लेने को व्याकुल हो गई थी—चिराय भव मे भर्ता (३।१७।२५)। कुशनाभ-कन्याओं के प्रति वायु का विवाह-प्रस्ताव एकपक्षीय प्रणय का परिणाम था। उत्तरकाड में बुध और इला दोनों परस्पर अनुरक्त होकर प्रणय-सूत्र में आवद्ध हुए थे।

कन्या का अपहरण करके उससे विवाह कर लेने की प्रथा दुश्चरित्र और क्रूर-कर्मा राक्षसों में बहुत प्रचलित थी। रावण ने सीता का अपहरण करके उनसे अपनी भार्या बन जाने का अनुरोध किया था—सीते मम भार्या भव प्रिये (३।५५।१७)। जब सीता ने यह आपत्ति की कि मैं राम की विवाहिता पत्नी हूँ, अतः तुम्हारे अयोग्य हूँ, तब रावण ने उनसे कहा कि मुझे वरण करने में तुम्हें धर्म-लोप की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राक्षसों में यह आर्प-प्रथा है—आर्षोऽयं देवि

१ राजषिविप्रदंत्याना गन्धर्वाणा च योषितः । रक्षसा चा भवन् कन्यास्तस्य कामवशगताः । समदा मदनेनैव मोहिता काश्चिदागताः ॥ ५।९।६८-९

निधेन्द (३।५५।५५) । टीकाकारो ने 'आर्ष' का अर्थ 'जिसे ऋषिगण राक्षस-विवाह कहते हैं' किया है । किंतु इस प्रकार की व्याख्या का कोई समीचीन कारण नहीं । यहा 'आर्ष' शब्द से अभिप्राय उस विवाह-विधि से है, जो अर्ध-सम्य जातियो में प्राचीन काल से प्रचलित थी ।

कामाध राक्षस लोग अनुत्सुक रमणियो का बलात्कार से उपभोग करने के अम्यस्त थे । इस प्रकार के अनाचारपूर्ण कृत्य को स्मृतिकारो ने पैशाच-विवाह की संज्ञा दी है । इसमे पुरुष किसी युवती को पाशविक बल से वश मे करके अपनी वासना परितृप्त करता है । पुजिकस्थला, रंभा आदि अप्सराओ का रावण द्वारा उपभोग इस प्रकार के बलात काम-सबध का उदाहरण है ।

उपर्युक्त वैवाहिक सबधो का कन्या की स्थिति पर क्या प्रभाव पडता था, यह भी एक विचारणीय विषय है । ब्राह्म और प्राजापत्य-विवाहो मे पिता या अभिभावक वर को कन्या का दान करता था, अर्थात् ये विवाह होते ही कन्या पर सारा नियत्रण पिता से पति को स्थानातरित हो जाता था । इन दोनो विवाहो में वधू दान की वस्तु-मात्र होती थी, उसका अपना कोई सक्रिय योग नहीं होता था । किंतु प्राजापत्य-विवाह की एक शर्त कन्या के लिए हितकर होती थी । इस प्रणाली मे पिता अपनी पुत्री को वर की 'सहधर्मचरी' के रूप में अर्पित करता था, अर्थात् वह वर के साथ यह शर्तनामा करता था कि वर अपनी वधू को यज्ञ, दान आदि में अपनी सहयोगिनी बनायगा और किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेगा । आसुर-विवाह में पति को वधू-प्राप्ति के लिए कुछ कीमत चुकानी पडती थी । यह भले ही वर के लिए समान की बात न मानी जाय, पर इससे यह ध्वनि निकलती है कि समाज यह मानता है कि स्त्री का भी कुछ मूल्य है और उसे पाने के लिए यह मूल्य चुकाना जरूरी है । यह मूल्य धन या सपत्ति के रूप मे न हो कर वधू के लिए लाभदायक अन्य बातो का रूप भी ग्रहण कर सकता था । स्वयवर-विवाह मे विवाहेच्छुक राजाओ को कोई निर्धारित वीरोचित प्रदर्शन करना पडता था । इस 'वीर्य-शुल्क' अर्थात् बहादुरी की कीमत से वधू को काफी सामाजिक महत्व मिल जाता था । गाधर्व या प्रणय-विवाह में वधू की इच्छा सर्वोपरि रहती थी, उसमें पिता द्वारा कन्या-दान का कोई प्रश्न नहीं था । इसके विपरीत, पिता या अभिभावक के शासन की कन्या तत्क्षण उपेक्षा कर देती है । राक्षस और पैशाच-विवाह कन्या के लिए अभिशाप-तुल्य थे, क्योंकि इन दोनो में कन्या का अपहरण करके बलात विवाह किया जाता है ।

आधुनिक अर्थ में देहेज-प्रथा का रामायण-काल में प्रचलन नहीं था । विवाह के

समय वर को उपहार अवश्य दिये जाते थे, पर वे सर्वथा स्वेच्छाजन्य थे—विवाह से पहले उनकी कोई मात्रा तय नहीं होती थी, जैसाकि बाद में चलकर हो गया।

विवाह में कन्या का दान करते समय उसे 'कन्या-धन' के नाम से उपहार दिये जाते थे। राजा जनक ने सीता के विवाहोत्सव पर प्रभूत कन्या-धन दिया था—गौए, अच्छे कबल, रेशमी और सूती वस्त्र, अलकृत हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सिपाही, सखी-रूप सौ कन्याएँ, अनेक दास-दासिया तथा बहुत-से मोती, मूंगे और सुवर्ण (१।७।३-६)। यह कन्या-धन वधू के वैवाहिक जीवन में स्त्री-धन का रूप ले लेता था। ये सब उपहार जनक ने स्वेच्छा और प्रसन्नतापूर्वक दिये थे—उनके विषय में वर-पक्ष से पहले कोई सौदा नहीं हुआ था।

दूसरी ओर कन्या के अत्यधिक गुणवती या रूपवती होने या वर के बड़ी आयु का होने पर कन्या या कन्या-पिता को कुछ शुल्क या धन देने के उदाहरण मिलते हैं। अनिद्य सुदरी सीता को पाने के लिए राम को धनुर्भंग करके 'वीर्य-शुल्क' (पराक्रम का मूल्य) चुकाना पडा था, और तरुणी कँकेयी को पाने के लिए वृद्ध दशरथ को 'राज्य-शुल्क' (उसके पुत्र को राजा बनाने का वचन) देना पडा था।

रामायणकालीन विवाह-संस्कार विस्तृत शास्त्रीय विधि से किया जाता था। विवाह की रीति-रस्म, जो 'वैवाहिकी' या 'वैवाह्य' कहलाती थी, मगल घड़ी में सपन्न होती थी—उनमें शुभ नक्षत्र और मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता था। वाल्मीकि ने उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र को, जिसके अधिपति भग देवता हैं, विवाह के लिए उपयुक्त समय बताया है।^१

तत्कालीन विवाह-प्रणाली का पूर्ण परिचय राम-सीता के विवाह-वर्णन से मिलता है (१।६९-७३), जिसमें कुल मिलाकर पाच दिन लगे थे। इस समारोह के तीन मुख्य भाग स्पष्ट पहचाने जा सकते हैं—(१) प्रारम्भिक औपचारिक कृत्य, (२) मूल संस्कार अथवा विवाह तथा (३) समुद्राह अर्थात् पति-गृह जाने पर किये जानेवाले मागलिक कार्य।

वर-प्रेषण (विवाह-सवध के लिए वर के पिता के पास दूत भोजना, जिसे आजकल 'लगुन भोजना' कहते हैं)—धनुष-भग होने के बाद महाराज जनक ने सर्वप्रथम

१. उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीम्या मनीषिणः । वैवाहिक प्रशसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः ॥ १।७२।१३

अपने दूत अयोध्या भेजकर महाराज दशरथ से राम-सीता के विवाह के लिए अनु-मति मागी और उन्हें विवाह सपन्न कराने के लिए पुरोहित-सहित मिथिला पधारने का निमंत्रण दिया। इस प्रकार विवाह का प्रस्ताव वधू का पिता वर के पिता से करता था। वर के पिता ने अपने पुरोहित और सबधियो से परामर्श कर जनक का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह दल-बल-सहित वधू-नगरी को चल पडे।

सीमंत-पूजन (बरात का स्वागत)—मिथिला पहुचने पर दशरथ का जनक ने अपूर्व स्वागत-सत्कार किया और उनके सुखपूर्वक ठहरने का प्रबध कराया। जनक ने इस बात पर हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की कि अयोध्या और मिथिला के राज-वशो में विवाह-सबध स्थापित हो रहा है, और फिर दशरथ से प्रार्थना की कि वरिष्ठ ऋषि-मुनियो के कर-कमलो से आप कल अपने पुत्रो का विवाह मेरी कन्याओ से सपन्न कराय। दशरथ ने यह प्रस्ताव मुक्त हृदय से स्वीकार कर लिया।

अंकुरारोपण या अंकुरारपण क्रिया—तत्पश्चात जनक ने अपना यज्ञ समाप्त किया और अपनी दोनो कन्याओ के विवाह से सबधित प्रारम्भिक क्रियाए पूरी की। इन क्रियाओ की रूपरेखा रामायण में उपलब्ध नही होती।

यह विवाह-समारोह का प्रथम दिन था।

वशावली-कथन (दोनो पक्षो की वशावलियो का पाठ)—दूसरे दिन जनक ने दशरथ को पुत्रो और मत्रियो-सहित अपने निवास-स्थान पर पधारने का न्योता दिया। वर-पक्ष के आने पर राम और सीता के महान पूर्वजो की वशावलियो का पाठ किया जाने लगा। महाराज दशरथ के प्रस्ताव पर पुरोहित वसिष्ठ ने इक्ष्वाकु-वश की वशा-वली पर प्रवचन किया और अत में राम और लक्ष्मण की ओर से क्रमश सीता और अर्मिला की माग की। विदेह-वशावली का पाठ स्वयं जनक ने किया, क्योंकि उनका यह अभिमत था कि कन्या के विवाह के समय उसीके परिवारवाले को वशावली का पाठ करना चाहिए।^१

वर-वधू-गुण-परीक्षा—वशावली-कथन की समाप्ति पर विश्वामित्र ने इक्ष्वाकु और विदेह राजवशो के बीच इस वैवाहिक सबध की श्रेष्ठता तथा वर-वधू की अनुरूपता पर हर्ष प्रकट किया।

१. प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुलं निरवशेषतः । वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध
महामते ॥ १।७।१२

वाग्दान—तत्पश्चात् महाराज जनक ने दोनों पक्षों के पुरोहितों और सवधियों की उपस्थिति में अपना यह मकल्प घोषित किया कि मैं राम के लिए सीता और लक्ष्मण के लिए ऊर्मिला प्रदान करता हूँ—

सीता रामाय भद्र ते ऊर्मिला लक्ष्मणाय वै ।

ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुंगव ॥११७१२१-२

तदनंतर जनक ने दशरथ से निवेदन किया कि राम और लक्ष्मण के कल्याणार्थ आप गो-दान तथा अन्य मागलिक कार्य सपन्न करें ।

वाग्दान के बाद वर-पक्ष के लोग वधू के पिता को धन्यवाद देकर अपने आवाम पर लौट आये ।

नादी-श्राद्ध—महाराज दशरथ ने लौटकर अपने निवाम-स्थान पर यथाविधि श्राद्ध-कर्म किया ।

इस प्रकार विवाह-कार्य का दूसरा दिन समाप्त हुआ ।

गो-दान—तीसरे दिन प्रातः काल दशरथ ने एक बृहद् गो-दान-समारोह किया और अपने पुत्रों के हितार्थ ब्राह्मणों को हजारों गौओं का दान किया । इन गौओं के सींग सोने से मढ़े हुए थे तथा उनके साथ उनके बछड़े और कामे के दुहने के पात्र भी थे । इनके अतिरिक्त, राजा ने ब्राह्मणों को कई मूल्यवान उपहार भी दिये ।

विवाह का मूलभूत मस्कार चौथे दिन सपन्न हुआ, जिसके अतर्गत निम्न-लिखित कृत्य समाविष्ट थे—

वधू-निष्क्रमण (अपने निवास-स्थान से निकलकर वधू का मंडप में आगमन)—जनक की पुत्रियों ने सारे मागलिक कार्य पूर्ण करके मंडप में प्रवेश किया ।

वधू-गृह-आगमन (वर का वधू के घर आगमन)—उधर प्रारम्भिक औप-चारिक कृत्यों के बाद जब विजय नामक शुभ घड़ी आई, तब राम और उनके भाई भी सुंदर वस्त्राभूषण धारण कर वधू के निवाम पर आये और जनक द्वारा स्वागत किये जाने पर यज्ञ-मंडप में प्रविष्ट हुए ।

वेदी-करण (यज्ञ-मंडप में वेदी का निर्माण)—महाराज जनक ने वर-पक्ष के पुरोहित मुनिवर वसिष्ठ से विवाह-संस्कार कराने की प्रार्थना की । वसिष्ठ ने कन्या-पक्ष के पुरोहित शतानन्द की सहायता से मंडप के बीच विधिपूर्वक वेदी बनाई और

उसे गंध-पुष्पो, अंकुरो से युक्त घडो, अक्षतो, दर्भो, होम करने के सुवर्ण-पात्रो आदि से सजाया ।

अग्नि-स्थापन और होम—वेदी-अलकरण के बाद वसिष्ठ ने मन्त्रोच्चारण के साथ उस पर समान आकार के दर्भो का आस्तरण बिछाया, यथाविधि अग्नि की प्रतिष्ठा की और आहुतिया डालनी आरम्भ की ।

वध्वागमन (वेदी के निकट वधू का आगमन)—महाराज जनक ने 'सर्वाभरणभूषिता' सीता को लाकर अग्नि के पास राम के समुख बैठा दिया ।

कन्या-दान—अग्नि की साक्षिता में जनक ने राम को सबोधित करते हुए कहा—

इयं सीता मम सुता सहधर्मचरो तव ।

प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना ।

पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा ॥१।७३।२६-७

"यह मेरी पुत्री सीता है । धर्म-पालन में यह तुम्हारी सहचरी बनेगी । इसे स्वीकार करो । तुम्हारा कल्याण हो । स्वीकृति के रूप में इसका हाथ अपने हाथ में लो । यह पतिव्रता, शुद्ध आचरणवाली और छाया की भांति तुम्हारा अनुगमन करनेवाली होगी ।" यह कहकर जनक ने मन्त्रपूत जल राम के हाथ पर छिड़क दिया । इसी प्रकार जनक ने राम के तीनों भाइयों को सबोधित किया, और उन्हें क्रमशः ऊर्मिला, माडवी और श्रुतकीर्ति के हाथ सौंपे ।

पाणिग्रहण (वर द्वारा वधू का हाथ पकडना)—जनक के कन्या-दान के पश्चात् चारो वरो ने अपनी-अपनी वधुओ के हाथ स्वीकृति-रूप पकड लिये ।

अग्नि-परिणयन (वर-वधू द्वारा अग्नि की परिक्रमा)—चारो इक्ष्वाकु-राजकुमारो ने चारो वधुओ का हाथ पकडकर यज्ञाग्नि, वेदी, जनक तथा ऋषियो की प्रदक्षिणा की और इस प्रकार वे अपनी-अपनी पत्नियो के साथ विवाह-सूत्र मे आवद्ध हुए । फिर सभी वरो ने वधुओ के साथ अग्नि में हवन किया । इस अवसर पर महती पुष्प-वृष्टि की गई, अप्सराओ ने दिव्य दुदुभि से ताल मिलाते हुए नृत्य किया और गधवों ने सुमधुर गान । इसी घडी में तुरही के घोष के साथ रघु-कुमारो ने वधुओ के साथ अग्नि की तीन बार परिक्रमा करके विवाह-संस्कार की इतिश्री की । फिर विवाहित युगल जुलूस बनाकर जनवासे में गए और उनके पीछे महाराज दशरथ, ऋषि-मुनि तथा सबधी चले ।

यह विवाह-समारोह का चौथा दिन था ।

पाचवें दिन नववधुओ ने पति-गृह को प्रयाण किया । महाराज जनक ने अपनी पुत्रियो को प्रचुर उपहार देकर विदा किया और कुछ दूर तक जाकर उन्हें पहुँचाया । नवविवाहित दपतियो के स्वागतार्थ अयोध्या नगरी सुरचिपूर्वक सजाई गई थी ।

अयोध्या में निम्नलिखित मागलिक कार्य सपन्न किये गए—

गृह-प्रवेश (पति के गृह में प्रवेश) और वधू-प्रतिग्रह (वधू का स्वागत)—
अयोध्या के राजप्रासाद में राजमाताओ ने अपनी पुत्रवधुओ का मंगल-गीतो और अन्य आवश्यक उपचारो से सत्कार किया ।

गृहप्रवेशनीय होम (पति-गृह-प्रवेश के अनंतर किया जानेवाला होम)—
नववधुओ के आगमन के उपलक्ष्य में अग्नि में आहुतिया डाली गई और आशीर्वाद की याचना की गई ।

देवकोत्थापन (उन देवताओ का विसर्जन, जिनका आह्वान विवाह से पूर्व किया गया था) — देवालयों में प्रणाम तथा अभिवादन-योग्य वृद्धजनो को नमस्कार करने के बाद नवविवाहित वधुए अपने-अपने पतियो के साथ एकात में विहार करने लगी ।

उपर्युक्त विवाह-प्रणाली^१ का अध्ययन करने से, विशेष कर पाणिग्रहण और अग्नि-परिणयन सस्कारो के अवलोकन से, पति-पत्नी के पारस्परिक सबधो के आदर्श पर यथेष्ट प्रकाश पडता है । क्योंकि पति-पत्नी वैदिक विधि से अग्नि को साक्षी बनाकर परस्पर सयुक्त होते हैं, अतः उनका विवाह कोई समझौता न होकर एक धर्म-बन्धन है, जो सभी परिस्थितियों में अटूट और अकाट्य है । रथ और उसके पहिये, वीणा और उसके तारो के समान अन्योन्याश्रित उनका सबध है । एक बार पति-पत्नी बन जाने पर सदा-सर्वदा पति-पत्नी बने रहेंगे, यही विवाह का प्राचीन

१ यही विवाह-पद्धति न्यूनाधिक रूप में आज भी प्रचलित है, यद्यपि इस व्यस्त युग में कुछ रीतिया या तो लुप्त हो गई हैं या सक्षिप्त कर दी गई हैं । रामायण-काल में अग्नि की तीन बार परिक्रमा विवाह को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मानी जाती थी । बाद में स्मृतिकारो ने त्रिपदी के स्थान पर सप्तपदी (सात भावरो) का विधान कर दिया और आज प्राचीन रीत्यनुसार किये जानेवाले हिंदू विवाहो में प्रायः सप्तपदी को ही मान्यता दी जाती है ।

आर्य-आदर्श है, जिसमें तलाक या पुनर्विवाह की गुणाइश नहीं। कन्या-दान के अवसर पर वधू का पिता जहा एक ओर वर को यह आश्वासन देता था कि वधू तुम्हारे प्रति सभी परिस्थितियों में अनुरक्त रहेगी, वहा दूसरी ओर वर से यह वचन भी ले लेता था कि सभी सासारिक कार्यों के निर्वाह में वह वधू को अपनी सहधर्मिणी बनायगा। यह वैवाहिक बंधन की अविच्छिन्नता का सूचक था। लका-विजय के बाद जब राम ने तथाकथित दूषित सीता को ग्रहण करने से इन्कार कर दिया, तब सीता ने उन पर वैवाहिक प्रतिज्ञा को तोड़ने का आरोप लगाया था—न प्रमाणीकृतः पाणिर्बाल्ये मम निपीडितः (६।११६।१६)। मनु की तरह वाल्मीकि भी पति-पत्नी के सबंध को मृत्यु के बाद परलोक में भी अक्षुण्ण मानते थे—

इहलोके च पितृभिर्या स्त्री यस्य महाबल ।

अदिभर्दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥२।२९।१८

अर्थात् इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो स्त्री जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से सकल्प करके दी जाती है, वह मरने के बाद परलोक में भी उसीकी पत्नी होती है। सीता की यह प्रबल श्रद्धा थी कि मरने के बाद भी मेरा आर्यपुत्र राम से ही शुभ सगम होगा—प्रेत्यभावेऽपि कल्याणः संगमो मे सदा त्वया (२।२९।१७)।

इस लोकोत्तर आदर्श के विपरीत, वास्तविक जीवन में वैवाहिक सन्धो की अस्थिरता, कटुता और विच्छिन्नता के भी कुछ उदाहरण मिल जाते हैं। पति द्वारा त्यागी गई स्त्री को वाल्मीकि ने एक स्थल पर उपमान के रूप में प्रस्तुत किया है (स्त्रीव भर्तुर्विवाजिता, २।६६।४४)। कौसल्या ने ऐसी पत्नियों का उल्लेख किया है, जो पति पर विपत्ति आ पडने पर उसे छोड़ देती हैं।^१ एक ऐसे राज्य में, जहा कोई शासक नहीं और जहा अराजकता फैली हुई हो, स्त्रियों को वश में रखना कठिन हो जाता है और वे पति की आज्ञा का तिरस्कार कर देती हैं।^२ राम के प्रति अयोध्यावासियों का अपार स्नेह दिखलाने के लिए दशरथ ने कैकेयी से कहा था कि

१. एष स्वभावो नारीणामनुभूय पुरा सुखम् । अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहन्त्यपि ॥ २।३९।२१

२. नाराजके . . . भार्या वा वर्तते वशे । . . . नास्ति भार्याऽप्यराजके ॥ २।६७।१०-११

राम को विपत्ति में पडा देख अनुरागिणी स्त्रिया भी, उनका अनुमरण करने के लिए, अपने पतियो को छोड देंगी।^१ व्यभिचार के कारण अहल्या, निपट स्वार्थ-परायणता के कारण कैकेयी, पति के भी जीवन को तुच्छ मानने के कारण कैकेयी की माता तथा उत्तरकाड में लोकापवाद के कारण मीता के परित्याग-जैसी घटनाए भी कवि ने अकित की है।

रामायण के युग में बहुपत्नी-प्रथा का बोलबाला था। सभी राजागण, चाहे वे आर्य हो, चाहे वानर या राक्षस, अनेक स्त्रियोवाले विशाल अत पुरो के स्वामी होते थे। दशरथ की चार रानियो के अतिरिक्त उनकी साढे तीन मी स्त्रिया और भी थी (२।३४।१०-१४, ३९।३६)। रावण की भी अनेकानेक पत्निया थी— राजाओ, देवो और राक्षसो की कन्याओ से समृद्ध उसके अत पुर को वाल्मीकि ने स्त्रीवनम् की सजा दे डाली है। सुग्रीव और वाली के भी भरे-पूरे अत पुर थे। मिथिलाधिपति जनक के भी सभवत एक से अधिक रानिया थी, वालिका सीता को लालन-पालन के लिए उन्होने अपनी बडी रानी को सौपा था।^२

क्षत्रियो के अतिरिक्त ब्राह्मणो में भी कही-कही अनेक स्त्रियो से विवाह करने का रिवाज दृष्टिगोचर होता है। कश्यप ऋषि के आठ स्त्रिया थी (३।१४।११)। उत्तरकाड में ब्राह्मण मुनि विश्रवा ने पहले भरद्वाज की कन्या देवर्षिणी से और फिर सुमाली की पुत्री कैकसी से विवाह किया था।^३ यह बहुपत्नी-प्रथा समाज के वैभव-शाली वर्गों में ही प्रचलित थी—मध्यम और दरिद्र वर्ग उससे अछूते थे। दरिद्र ब्राह्मण त्रिजट के एक ही पत्नी थी।

तत्कालीन आर्य-राजाओ के चार मुख्य रानिया हुआ करती थी, जो महिषी, परिवृत्ति, वावाता और पालाकली कहलाती थी (१।१४।३५)। इनमें से महिषी पटरानी-पद पर अभिषिक्त थी, परिवृत्ति राजा की उपेक्षित भार्या थी, और वावाता उसकी विशेष प्रीति-पात्र थी। कुछ टीकाकारो ने महिषी को क्षत्रिया, परिवृत्ति को वैश्या और वावाता को शूद्रा रानी माना है। डा०एस०सी० सरकार के अनुसार, पाला-

१ परित्यजेयु . भार्या पतीञ्चापि कृतानुरागा । दृष्ट्वैव राम व्यसनं
निमग्नम् ... ॥ २।१२।१०२

२ दत्ता चास्मीष्टवद्देव्यं ज्येष्ठायै पुण्यकर्मणे । २।११।८।३३

३ ७।३।३; ७।९।१२

कली कोई निम्नवर्ण की रानी होती थी और इससे यह सकेत मिलता है कि उच्च राजकीय कर्मचारी अपनी लडकियों का, किसी राजनीतिक लाभ की दृष्टि से, राजा से विवाह कर देते थे ।^१ इस वर्गीकरण को यदि दशरथ के अंत पुर पर लागू करे, तो कौसल्या को महिषी, सुमित्रा को परिवृत्ति और कैकेयी को बावाता रानी मानना पड़ेगा । रामायण में दशरथ की पालाकली रानी का नामोल्लेख नहीं हुआ है और उसे मात्र 'अपरा' कहा गया है । ये सब नाम और पद अन्योन्याश्रित है और एक ऐसी सुनियोजित अंत पुर-व्यवस्था के सूचक हैं, जिसके सदस्यों के प्रभाव में निरंतर वृद्धि या ह्रास होता रहता था ।

अनेक पत्नियोवाले पति के लिए यह स्वाभाविक था कि वह किसी एक पत्नी के विशिष्ट गुण अथवा सौंदर्य के कारण उसकी ओर अधिक आकृष्ट हो । दशरथ की रानियो में से एक, कैकेयी, उनके मन में बस गई थी और महाराज अपना अधिकांश समय उसी के प्रासाद में बिताया करते थे (२।७२।१२) । उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रदेश से आनेवाली इस छोटी रानी में बड़ी रानियो की अपेक्षा कहीं अधिक लावण्य और आकर्षण था । साथ ही, वह महाराज को उनके बुढापे में प्राप्त हुई थी । अतः अपने रूप और तारुण्य के बल पर उसने शीघ्र ही राजा को अपनी मुट्ठी में कर लिया । "इसमें तनिक भी सदेह नहीं", मंथरा ने कैकेयी को उकसाते हुए कहा था, "कि तुम महाराज को बड़ी प्यारी हो । तुम्हारे लिए वह आग में भी कूद सकते हैं । तुम्हें क्रुद्ध करने की उनमें सामर्थ्य नहीं । तुम्हारी रोष-भरी दृष्टि से वह अपनी दृष्टि मिला नहीं सकते । तुम्हारी प्रसन्नता के लिए वह प्राण भी छोड़ सकते हैं, पर तुम्हारी बात को नहीं टालेंगे" (२।१।२४-६) । ऐसी स्थिति में राजा की यह प्रिय रानी, अपन सौभाग्य-मद से मोहित हो, अन्य रानियो को कष्ट पहुचाने में कुछ कसर नहीं रखती थी ।

कैकेयी के प्रति राजा के पक्षपात के कारण उनकी उपेक्षित रानियो की स्थिति दयनीय हो जाती थी । कौसल्या के साथ भी ऐसा ही हुआ । दशरथ की रानियो में आयु और पद की दृष्टि से प्रमुख होने पर भी वह कैकेयी की तुलना में दीन-हीन बन गई थी । सामान्यतः राजा की उपेक्षित पत्नी अपने कष्ट के दिनों को सहिष्णुता से झेलती थी, और उसमें प्रतिहिंसा की भावना शायद ही कभी उठती हो ।

१. एस० सी० सरकार—'सम एस्पेक्ट्स आफ दि अल्लिएस्ट सोशल हिस्ट्री, आफ इंडिया', पृ० ८७

सपत्नियों में भी भरपूर पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष रहता था। एक-दूसर की सतति इस कटुता का मुख्य स्रोत होती थी। राम के यौवराज्याभिषेक के प्रश्न को लेकर कौसल्या और कैकेयी के बीच ईर्ष्याग्नि भभक उठी थी। कैकेयी को वहकाते समय मथरा ने कहा था कि सौत का बेटा शत्रु के समान होता है और उसकी समृद्धि साक्षात् मृत्यु के समान—अरेः सपत्नीपुत्रस्य वृद्धि मृत्योरिवागताम् (२।८।४)।

पति के लिए अपनी सभी पत्नियों को खुश रखना टेढ़ी खीर थी। किसी एक पत्नी का रूठ जाना और फिर राजा का उसे मनाना, अत पुरो की एक सामान्य घटना थी। अशोकवाटिका को एक अत पुर की उपमा देते हुए कवि ने कही पति की गोद छोड़कर जमीन पर लोट जानेवाली प्रियतमा का, कही सखियों द्वारा मनाई जानेवाली कुपित स्त्री का, और कही मान छोड़कर पति के अनुकूल बन जानेवाली मानिनी भार्या का रमणीय शब्द-चित्र उपस्थित किया है।^१ राजप्रासादों में एक अलग 'क्रोधागार' या कोप-भवन बना रहता था, जहा कोई रूठी रानी गहने फेंककर मँले वस्त्र में दरवाजे के सामने जमीन पर लेट जाती। जब राजा उसे मनाने के लिए आता, तब वह न उसकी ओर देखती, न बात करती, केवल शोकमग्न हो धरती पर लोट-लोटकर रोती रहती। राजा के उसकी मांगें पूरी करने की शपथ खाने पर ही वह जवान खोलती थी (२।९।२२-८)।

अन्य दृष्टियों से अत पुर का वातावरण अत्यंत सुख-सुविधा-सपन्न तथा वैभव और विलासिता से परिपूर्ण रहता था। विभिन्न रानिया पृथक प्रासादों में, अपनी दास-दासियों और पृथक स्त्री-धन के साथ, अमीरी जीवन बिताया करती थी। विविध पक्षियों के कलरव तथा मधुर सगीत से निनादित, कोमल शय्याओं और बहुमूल्य आसनो से सज्जित, रमणीय उद्यानों से सुशोभित, विविध अन्न, पान और भक्ष्य पदार्थों से युक्त, दास-दासियों एवं चाटुकारों से भरपूर तथा याचको एवं भोजनार्थियों से सेवित ये अत पुर अपने युग के समस्त ठाठ-वाट के केंद्र होते थे। रावण के अत-पुर का विशद चित्रण कर वाल्मीकि ने वहा के वैषयिक जीवन का एक नग्न दृश्य उपस्थित कर दिया है।

यह बहुपत्नी-प्रथा आर्य-संस्कृति का एक दुर्बल अंग थी, और आये दिन राज-

१. अकादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतिता प्रियाम् । वार्यमाणामिव क्रुद्धा प्रमदां प्रियबन्धुभिः ॥ प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थिताम् । ५।१४।२९-३१

परिवार में कलह का कारण बनती थी। राष्ट्र के जीवन पर उसकी विषैली प्रतिक्रिया होती थी। स्वस्थ राजनीतिक वातावरण के लिए वह अहितकर थी। अनेक पत्नियों की उपस्थिति से व्यक्तिगत स्वार्थों में घात-प्रतिघात होता रहता था, जिसकी स्वाभाविक परिणति गृह-युद्ध, उत्तराधिकार-विषयक विवाद और सघर्ष, दरबारी षड्यंत्र तथा हत्या के प्रयत्नों में जाकर होती थी।^१

दशरथ के परिवार में उनके उत्तराधिकारी के प्रश्न पर जो विवाद खडा हुआ था, उसके मूल में उनके कुल की पुरानी चली आई बहुपत्नी-प्रथा थी। इक्ष्वाकु-राजा विभिन्न परपराओवाले राज्यों की राजकुमारियों से विवाह करके अपने अत पुर में विरोधी तत्वों को एकत्र कर लेते थे, जिनके स्वार्थों और उद्देश्यों में सघर्ष होता रहता था। केकय देश के राजा एकपत्नी-व्रती थे, अतः ऐसे परिवार की राजकुमारी कैकेयी ने बहुपत्नियोंवाले इक्ष्वाकु-कुल में पहुँचकर राजा को एक-मात्र अपना बनाकर रखने की चेष्टा की, तथा अन्य रानियों और उनकी सतान की उससे उपेक्षा करवाई। एक और बात यह थी कि विभिन्न रानियों ने अपने-अपने समर्थकों, सबंधियों और अनुचरों के गुट बना रखे थे, जो अपनी-अपनी सरक्षिका के हितों की रक्षा में तत्पर रहते थे। अयोध्या में दशरथ,^२ कौसल्या और सुमित्रा,^३ तथा कैकेयी^४ के समर्थकों के अपने-अलग-अलग दल थे, जो अपनी स्वामिनी के स्वार्थों का सतत ध्यान रखते थे। इस प्रकार अत पुर की कुटिल चालों का दुष्प्रभाव राष्ट्र के राजनीतिक जीवन पर भी पड़ता था। इसी ईर्ष्यालु, वैयक्तिक कूटनीति से समूचे कोसल प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सकट ही नहीं उत्पन्न हो गया, अपितु स्वयं राजा का अतकाल भी सन्निकट आ गया।

१. राम को यह आशंका थी कि कहीं कैकेयी द्वेषवश मेरी माता को जहर न दे—'क्षुद्रकर्मा हि कैकेयी द्वेषादन्यायमाचरेत् । परिदद्याद्धि धर्मज्ञ गरं ते मम मातरम् ॥' २।५३।१८
२. पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बान्धवान् ममाहितानां च भवाभिभाषिणी । २।१२।१०६
३. वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः । जातीन्मे त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नन्दय ॥ २।४।३९
४. एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्चैव भविष्यति । यदि चेद् भरतो धर्मात् पित्र्यं राज्यमवाप्स्यति ॥ २।८।३४

ऐसे बहुपत्नी-प्रधान युग में भी एकपत्नी-व्रत का महान आदर्श मनीषियों की दृष्टि से ओझल नहीं हुआ और कवि ने उस पर पर्याप्त प्रशंसा की वृष्टि की है। अध-मुनि ने दशरथ के हाथों असमय मारे गए अपने पुत्र की पितृ-सेवा का पुरस्कार इस आशीर्वाद से दिया कि तुम उन दिव्य लोको को प्राप्त करो, जहाँ एकपत्नी-व्रत का आचरण करनेवाले प्रयाण करते हैं।^१

एकपत्नी-व्रत का युग-युग से प्रख्यात ज्वलत आदर्श राम का वैवाहिक जीवन है, पर ऐसे भी शकालु व्यक्ति हैं, जो रामायण के दो-एक स्थलो से राम की अनेक पत्निया होने का अनुमान लगा लेते हैं। कैंकेयी के कान भरते समय मथरा ने राम की उन परमा स्त्रिय (श्रेष्ठ स्त्रियो) का उल्लेख किया था, जो उनके यौवराज्याभिषेक से हर्ष-विभोर हो उठेंगी।^२ किंतु राम के प्रस्तावित अभिषेक तक कवि ने उनके सीता के अतिरिक्त और किसी स्त्री से विवाह करने का कोई संकेत नहीं दिया है। राम के वन-गमन के समय सीता अपने को कौमारो अर्थात् ऐसे पुरुष की पत्नी बताती हैं, जिसने दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया है (२।३०।८)। इसलिए मथरा का कथन सर्वथा अपुष्ट है। उसने सभवत यह अपेक्षा की होगी कि अभिषेक होने पर राम युग-धर्मानुसार, अपने पिता की ही तरह, अनेक स्त्रियो से विवाह कर लेंगे। पर राम 'न च कालवशानुग', अपने समय के दास नहीं थे (२।१।३१)। अथवा परमाः स्त्रिय का अर्थ, टीकाकारों के अनुसार, कौसल्या और सुमित्रा की तरह वे महिलाएँ हैं, जो राम के लिए वदनीय थीं। परमा. स्त्रिय से अभिप्राय सीता की दासियो या सखियो से भी हो सकता है (और जनक ने सीता के साथ कई सहचरी कन्याएँ भेजी थीं)।

लका में प्राणात करते समय सीता ने सोचा था कि मेरे मर जाने पर राम अपना व्रत समाप्त करके (अयोध्या लौटकर) विशाल-नेत्रा स्त्रियो के साथ रमण किया करेंगे।^३ पर यहाँ 'रमण' का अर्थ दापत्य प्रणय ही आवश्यक नहीं है, उसका तात्पर्य स्त्रियो के नृत्य-गान से मनोरजन करना भी हो सकता है, जो उस समय सामा-

१. या गति. एकपत्नीव्रतस्य च। तां गतिं गच्छ पुत्रक ॥ २।६४।४३-४

२. हृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमा. स्त्रियः। २।८।१२

३. पितुर्निदेशं नियमेन कृत्वा वनान्निवृत्तश्चरितव्रतश्च। स्त्रीभिस्तु मन्ये विप्रलेक्षणाभि संरस्यसे वीतभयः कृतार्थः ॥ ५।२८।१४

न्यत प्रचलित था। वास्तव में सीता का प्राणात हुआ भी नहीं और अयोध्या लौटने पर राम ने अपना दापत्य जीवन उन्हींके साथ बिताया।

उत्तरकांड के अनुसार सीता के अदृश्य होने पर भी राम ने दूसरा विवाह नहीं किया, यद्यपि राज-प्रथा उनके पक्ष में थी। अश्वमेध-जैसे यज्ञो मे पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य होने के कारण राम, सीता के स्थान पर, उनकी एक सुवर्ण-प्रतिमा रख लिया करते थे, पर उन्होंने दूसरी पत्नी कभी अगीकार नहीं की।^१ इस प्रकार उन्होंने सपन्न वर्गों के वैवाहिक जीवन में एक सुसंस्कृत, क्रांतिकारी एव अनुकरणीय आदर्श की प्रतिष्ठा की।

दक्षिण भारत की अनार्य-जातियों में बहुपति-प्रथा (बहुनाम् एकपतिता) के भी सकेत मिलते हैं। किष्किंधा मे तारा और रुमा ने सुग्रीव और वाली दोनों से पति का सबध रखा था। राम ने वाली को रुमा से अनुचित सबध रखने के कारण दंड का पात्र समझा, इससे यह सिद्ध है कि आर्यों में बहुपति-प्रथा निंदित थी। इस प्रथा का आभास पृथ्वी-पार्वती-प्रसंग से भी मिलता है, जिसमे पार्वती ने पृथ्वी को अनेको की पत्नी (बहुभार्या) बनने का शाप दिया था (१।३६।२३)।

कुछ विद्वानो ने रामायण से ऐसे प्रमाण ढूँढ निकालने की चेष्टा की है, जिनसे यह ध्वनि निकलती है कि सीता, मूल परपरानुसार, राम और लक्ष्मण की सयुक्त पत्नी थी। इसकी पुष्टि, उनके अनुसार, इन तीन घटनाओ से होती है—(१) वन में मारीच-वध मे सलग्न राम की कथित आर्त वाणी को सुनकर भी जब लक्ष्मण उनकी सहायतार्थ नहीं गए, तब सीता ने लक्ष्मण पर यह लाछन लगाया कि तुम्हारी नीयत राम को अपनी राह से हटाकर मुझे पा लेने की दीखती है।^२ (२) लका-विजय के बाद राम ने यह सुझाव दिया था कि सीता चाहे तो लक्ष्मण अथवा भरत आदि के साथ रह ले।^३ (३) वन में राम-लक्ष्मण के साथ सीता को देखकर विराघ राक्षस ने यह अनुमान लगाया था कि ये दोनों एक ही स्त्री के साथ (सह)वास करनेवाले

१. न सीतायाः परा भार्या वने स रघुनन्दनः। यज्ञे यज्ञे च पत्न्यर्थं जानकी फाचनी भवत् ॥ ७।९९।७

२. सुदुष्टस्त्वं वने राममेकमेकोऽनुगच्छति । मम हेतोः प्रतिच्छन्नः...॥ ३।४५।२४

३. लक्ष्मणे वाय भरते कुरु बुद्धि यथासुखम् । ६।११५।२२

पापी है।^१ किंतु ये तीनों तथ्य परिस्थिति-विशेष से सवधित होने के कारण सामान्य वस्तुस्थिति का दिग्दर्शन नहीं कराते—सीता के बहुपतित्व को सिद्ध करने के लिए ये नितात अस्पष्ट, आनुमानिक और अपर्याप्त हैं। एक आदर्श नारी के रूप में सीता की जो शाश्वत प्रतिष्ठा है, वह रामायण में चित्रित उनके पातिव्रत्य पर ही आधारित है। सीता का वन में लक्ष्मण को लाछित करना, उनके स्त्री-स्वभाव-मात्र का सूचक है, जैसाकि बाद में स्वयं लक्ष्मण ने कहा था—पति के प्रति आतुरता ने उनका विवेक हर लिया था।^२ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि उक्त आरोप लगाने के तुरत बाद ही सीता ने दृढता से कहा था कि कमलनयन राम की भार्या होकर मैं दूसरे किसी को अपना पति बनाने की इच्छा कैसे कर सकती हूँ।^३ लका-विजय के बाद राम ने सीता को लक्ष्मण आदि के साथ रहने का सुझाव ऐसे समय में दिया था, जब उन्हें सीता के चरित्र पर घोर सदेह था। इसलिए उनका सुझाव, जैसाकि टीकाकारों ने बताया है, इस सामाजिक प्रथा के अनुसार था कि परित्यक्ता स्त्री को पति के मित्रों या सवधियों की ही शरण लेनी चाहिए। विराध का अनुमान तो सर्वथा निराधार था—उसने एक प्रकार से बहुपति-प्रथा के प्रति अपना तीव्र रोप ही प्रकट किया। सपूर्ण रामायण में लक्ष्मण का सीता के प्रति जो अतिशय आदरपूर्ण व्यवहार दृष्टि-गोचर होता है, वह उन्हें सीता का भक्त देवर सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। लका में सीता अपने एकपत्नी-व्रत की शपथ खाकर हनुमान की पूछ की आग से शीतल होने को कहती है,^४ और एक दूसरे स्थल पर, शत्रु-गृह में अपनी कैद पर विलाप करते समय, अपने 'पतिव्रतात्व' की निष्फलता का रोना रोती है।^५ सच तो यह है कि समग्र रामायण सीता की एक-मात्र राम के प्रति अनन्य अनुरक्ति के अनगिनत प्रमाणों से ओत-प्रोत है।

-
१. कथ तापसयोर्वा च वास. प्रमदया सह । अधर्मचारिणौ पापौ कौ युवां मुनिदूषकौ ॥ ३।२।११-२
 २. धिक्त्वामद्य विनश्यन्तीं यन्मामेवं विशंकसे । स्त्रीत्वाद्दुष्टस्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितम् ॥ ३।४५।३२-३
 ३. कथमिन्दीवरश्याम राम पद्मनिभक्षणम् । उपसञ्चित्य भर्तारं कामयेयं पृथग्जनम् ॥ ३।४५।२५-६
 ४. यदि वा त्वेकपत्नीत्व शीतो भव हनुमतः । ५।५।३।२६
 ५. पतिव्रतात्व विफल ममेदम् । ५।२।८।१२

एक और भी विचित्र बात कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाई है, वह यह कि दशरथ-कौसल्या का विवाह भाई-बहन का विवाह था। इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि 'कौसल्या' यह दशरथ की पटरानी का निजी नाम नहीं है, वशावलियों में इसका अर्थ कोसलराज की कन्या किया गया है, पत्नी नहीं, अतः यदि दशरथ कोसल के राजकुमार थे तो कौसल्या कोसल की राजकुमारी एवं दशरथ की सगी या चचेरी बहन थी।^१ किंतु इस निष्कर्ष का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, यह तो आर्य-महापुरुषों को नीचा दिखाने का बौद्धों का एक कुशल प्रयत्न-भरु है। वस्तु-स्थिति यह है कि रामायण-काल में दो कोसल-प्रदेश थे—एक उत्तर कोसल या अवध और दूसरा दक्षिण कोसल या आधुनिक छत्तीसगढ़—और उन पर दो पृथक् राजा शासन करते थे।^२ इक्ष्वाकु द्वारा प्रवर्तित सूर्यवंश के राजा उत्तर कोसल पर राज्य करते थे और अयोध्या उनकी राजधानी थी। दशरथ-कृत अश्व-मेघ-यज्ञ-समारोह में किन्हीं भानुमत नामक कोसलराज को आमंत्रित किया गया था।^३ यह भानुमत संभवतः दक्षिण कोसल अथवा महाकोसल के शासक और कौमल्या के पिता थे। इस प्रकार कौसल्या, कोसल-राजकुमारी होने पर भी, दशरथ की बहन नहीं थी और इन दोनों का विवाह सर्वथा वैध एवं शास्त्र-संमत था।

ऐसी ही तिरस्कार-भावना से प्रेरित होकर बौद्धों ने राम को सीता का पति और भाई दोनों सिद्ध करने की चेष्टा की। किंतु यदि सीता राम की बहन होती तो उनका राम के साथ वन जाना किसी प्रकार आवश्यक या अपेक्षित नहीं था। साथ ही, यह भी अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि एक क्षत्रिय अपनी ऐसी बहन के साथ अविवाहित रूप में चौदह वर्ष तक साथ रहा, जिसके साथ वह विवाह करने को स्वतंत्र था। कम-से-कम वाल्मीकि-रामायण में राम और सीता के भाई-बहन होने का कोई आभास नहीं मिलता।

१. एस० सी० सरकार—'सम एस्पेक्ट्स आफ दि अलिंएस्ट सोशल हिस्ट्री आफ इंडिया', पृ० १४९

२. इमौ कुशीलवौ राजन्नभिविच्य नराधिप । कोसलेषु कुशं वीरं उत्तरेषु तथा लवम् ॥ ७।१०७।७

३. तथा कोसलराजानं भानुमन्तं सुसत्कृतम् । १।१३।२६

प्रेम

प्रमीजनो के आकर्षण एव अनुराग के अनेक मजुल चित्र रामायण में उपलब्ध हैं। सुदरियो के प्रति पुरुष की उद्दाम वासना और प्रणय क्रीडाओं में स्त्रियो की अपार रुचि—दोनों ही कवि-तूलिका का स्पर्श पाकर मुखरित हो उठे हैं। तारा के शब्दों में, 'काम का दुर्दमनीय प्रभाव किसे अभिभूत नहीं करता। प्रिय का सान्निध्य समस्त सकोच और शिष्टाचार को दूर भगा देता है। कामासक्त मनुष्य को देश-काल और अर्थ-धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। काम के असह्य बल को रोकना या दबाना अत्यंत कठिन है—उसे मिटा देना तो दूर रहा। धर्म और तपस्या में निरतर सलग्न रहनेवाले और माया-मोह से परे ऋषि-मुनि भी कभी-कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं, फिर सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या?' (४।३३।५४-७)।

स्वयं राम ने मानवों पर काम के प्रबल प्रभाव को स्वीकार किया है। अपने पिता दशरथ पर आई विपत्ति और उनके मति-भ्रम पर विचार करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि धर्म और अर्थ की अपेक्षा काम ही अधिक बलवान है—काम एवार्थधर्माभ्या गरीयानिति मे मति (२।५३।९)। स्वयं अपने विषय में वह काम की वाम गति, कुटिल चाल से विस्मित थे—वह काम, जो उनकी कल्याणी पत्नी का स्मरण कराता रहता था, यद्यपि वह बहुत दूर जा चुकी थी और उसका पुनः प्राप्त होना भी कठिन था—

अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुर्लभाम् ।

स्मारयिष्यति कल्याणीं कल्याणतरवाविनीम् ॥४।१।६८

कामासक्त होने पर मनुष्य क्रोध के पात्र को भी अपना प्रेमास्पद बना लेता है। रावण अपनी राक्षसी मनोवृत्ति के कारण शत्रु-पत्नी सीता की हत्या कर डालने के लिए बार-बार प्रेरित होता था, किंतु सीता के गुलाबी और चिकने तलवों

और लाल-लाल नखोवाले सुडौल पैर उसके काम-भाव को जागृत कर देते थे,^१ और उसका रोष स्नेह एवं करुणा में परिणत हो जाता था।^२

लका के भवनो में हनुमान का राक्षसी रमणियों की उत्तप्त प्रणय-भावना तथा काम-क्रीडा से रुचिर परिचय हुआ था। प्रियतम और मद्य-पान में उन कामोन्मत्त प्रमदाओ का विशेष अनुराग था। जैसे पक्षी और पक्षिणी परस्पर विहार करते हैं, वैसे ही वे स्त्रिया निशीथ-काल में अपने रमणो द्वारा आलिंगित किये जाने पर एक साथ लज्जा और हर्ष से विभोर हो रही थी। कोई स्त्री मदन-विद्ध हो कटाक्ष-पात कर रही थी, तो कोई प्रियतम के अक में सुखपूर्वक आसीन थी। वे सभी अपने पतियों की प्राणवल्लभा थी—अपने रमणीय सौंदर्य से उनका हृदय जीत चुकी थी और अब उनके सहवास में परम प्रीति का अनुभव कर रही थी (५।५)।

रावण के रनवास में उसकी रानियों के प्रसुप्त एव मद-विह्वल सौंदर्य का अपूर्व दृश्य प्रस्तुत था। रंग-विरगे वस्त्रो और पुष्पहारो से सज्जित अनेक सुदरिया सुरा-पान, काम-क्रीडा और नृत्यादि-जनित परिश्रम के कारण उस ढलती रात में नीद से अचेत हो रही थी। तारो से सुशोभित शरत्कालीन आकाश के समान प्रतीत होती थी रमणी-रत्नो से जगमगाती रावण की वह नारी-शाला। अस्तव्यस्तता ने उनकी चारुता को द्विगुणित कर दिया था। किसीके केश बिखर गए थे, किसीके फूलो के गजरे टेढ़े-मेढ़े हो गए थे, तो किसीके आभूषण छितरा गए थे। किसीका वस्त्र खिसक गया था तो किसीकी करधनी। किसीका चद्र-किरण के समान हार सिमटकर कुचो के बीच ऐसा पडा था मानो कोई हस सोया हो। कोई किसीकी जाघ पर, कोई किसीकी बाह पर, कोई किसीकी गोद में या कमर के सहारे तो कोई किसी की पीठ से लिपटी-लिपटाई, अग-स्पर्श से पुलकित-गात, मद्य और मदन के वश में पडी सो रही थी। भुजाओ-रूपी घागो से गुथी वह स्त्रियो की माला ऐसी सोह रही थी मानो वृक्षो की कुसुमित शाखाए वायु-वेग से लिपट गई हो। ऐसे रूप, ऐसे लावण्य को महल के स्वर्ण-दीप भी एकटक निहार रहे थे (५।९-१०)।

१ सुलोहिततलौ श्लक्ष्णौ चरणौ सुप्रतिष्ठितौ । दृष्ट्वा ताम्रनखं तस्या दीप्यत मे शरीरजः ॥६।१२।१५

२ वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते । जन तस्मिस्त्वनुक्रोशः स्नेहश्च किल जायते ॥ ५।२।४-६

यदि प्रणय-क्रीडाओ में स्त्रियो की ऐसी स्वस्थ और स्वाभाविक अभिरुचि थी तो पुरुषो का तो कहना ही क्या ! उस समृद्ध युग में नारी और नारी के प्रति प्रेम, ये पुरुष के जीवन के अगीभूत थे । युद्ध की तरह प्रेम भी रामायण के वीरो का उद्दाम व्यापार था, दोनो मे कूद पडने को वे तत्पर रहते थे । भरद्वाज-आश्रम में रक्तचदन से भूपित और सुदरी अप्सराओ से सयुक्त होकर भरत के सैनिको को अयोध्या लौटने की कोई चाह नही रह गई थी ।^१ अनेक सुदर एव तरुण रमणियो के प्रणय का आस्वादन करना तत्कालीन योद्धाओ की दृष्टि में सुखी जीवन का एक मापदंड था ।^२ यह मान्यता प्रचलित थी कि युद्ध में वीर-गति पानेवाले सैनिको का स्वर्ग में अप्सराए प्रेमपूर्वक स्वागत करती है । मृत वाली को सबोधित करते हुए तारा ने कहा था कि अब तो आप रूप और यौवन से इठलाती एव काम-कला में प्रवीण अप्सराओ के चित्त को लुभाया करोगे—

रूपयौवनदृप्ताना दक्षिणानां च मानद ।

नूनमप्सरसामार्यं चित्तानि प्रमथिष्यसि ॥४।२०।१३

दापत्य प्रणय के नियमानुसार पुरुष ही पत्नी के प्रति अनुराग-सूचक सबोधनों और स्नेह-चेष्टाओ द्वारा प्रणय-प्रदर्शन मे अगवानी करता है । वयोवृद्ध महाराज दशरथ की अपनी छोटी रानी कैकेयी के प्रति प्रगाढ प्रीति का कवि ने मार्मिक चित्रण किया है । राम-यौवराज्याभिषेक के पहले दिन, राज्य-सभा को विसर्जित कर, जब महाराज दशरथ, काम-सतप्त और 'रत्यर्थी' होकर, स्वर्ग की शोभा मात करनेवाले कैकेयी के प्रासाद में प्रविष्ट हुए, तब अपनी प्रियतमा रानी को शय्या पर न पाकर उनका रोम-रोम व्याकुल हो उठा । राजा की इस आगमन-वेला को कैकेयी कभी टालती नही थी, राजा ने पहले कभी कैकेयी से रहित उस गृह में प्रवेश नही किया था । प्रतीहारी से यह सुनकर कि रानी अत्यंत क्रोध में भरकर कोप-भवन की ओर दौडी गई है, उन्हें बड़ा विषाद हुआ । वहा जाने पर देखा कि वह प्राणाधिका तो 'कटी हुई लता, स्वर्ग से ढकेली हुई किन्नरी, देवलोक से च्युत अप्सरा

१. तर्पिता सर्वकामेश्च रक्तचन्दनरुषिताः । अप्सरोगणसंयुक्ताः संन्या धाव-
मुदीरयन् । नवायोध्या गमिष्याम . . . ॥ २।११।५८-९

२. तुलना कीजिए—स्त्रीभिस्तु मन्ये विपुलेक्षणाभिः सरस्यसे वीतभय कृतार्थः ।
५।२८।१४

और फदे में फसी हरिणी की तरह' भूमि पर पडी थी। जैसे कोई महागज विषैले बाण से बिधी अपनी प्यारी हथिनी को दुलारता है, वैसे ही कामी कोसल-नरेश त्रस्त होकर कमलपत्राक्षी कैकेयी का स्पर्श करते हुए प्रणय-सिक्त स्वर में उससे बोले। उनके शब्द जहा पति के स्नेहातिशय के सूचक हैं, वहा नितात सुष्ठु सबोधनो से भी ओत-प्रोत है (२।१०।१८-४०)।

वाल्मीकि ने इस तथ्य को छिपाने की कोई चेष्टा नहीं की है कि पति और पत्नी के प्रेम में शारीरिक आकर्षण और काम-चेतना का भी प्रमुख योग होता है। शरत्काल में जल के घट जाने पर धीरे-धीरे अपने रेतीले किनारे प्रकट करनेवाली नदी का वर्णन कर कवि उस नववधू का रमणीय चित्र अकित कर देता है, जो प्रिय-तम से प्रथम सगम के समय अपने जघनो को अनावृत करने में सकोच करती है।^१ चंद्रमा की चमचमाती किरणों के स्पर्श से हर्षवश तारो को प्रकाशित करनेवाली और रागवश अबर (आकाश) छोड़नेवाली सध्यारानी उस प्रेम-लवलीना तरुणी का ही तो प्रतिरूप है, प्रिय के प्रथम स्पर्श से रोमाचित होकर जिसकी आखों की पुतलिया आनंद के मारे चमक उठती है और जो अपना अबर (वस्त्र) अपने-आप खिसकने देती है।^२ मद गतिवाली नदी-वधुए कवि को उन कामिनियों की याद दिलाती है, जो अपने कात से उपभुक्त होकर प्रात काल अलसाई चाल से चलती है।^३ हनुमान द्वारा विध्वस्त किये जाने पर अशोकवाटिका का स्वरूप उस युवती के समान लगता था, काम-क्रीडा के कारण जिसके केश बिखर गए हो, तिलक पुछ गया हो तथा अघर में दतक्षत और अन्य अगो में दताघात और नखा-घात लगे हो।^४

१. दर्शयन्ति शरन्नद्यः पुलिनानि शनैः शनैः । नवसंगमव्रीडा च जघनानीव योषितः ॥ ४।३०।५८
२. चंचच्चन्द्रकरस्पर्शहर्षोन्मीलिततारका । अहो रागवती सन्ध्या जहातु स्वयमम्बरम् ॥ ४।३०।४५
३. नदीवधूनां गतयोऽद्य मन्दाः । कान्तोपभुक्तालसगामिनीनां प्रभातकालेष्विव कामिनीनाम् ॥ ४।३०।५४
४. विधूतकेशी युवतिर्यथा मुदितवर्णिका । निपीतशुभदन्तोष्ठी नखैर्दन्तैश्च विक्रता ॥ ५।१४।१८

राम के लिए भी सीता के शोभातिशायी अग-प्रत्यग का प्रबल आकर्षण था। लका पर आक्रमण करने की घड़ी में वह लक्ष्मण से कह उठते हैं—“वह समय कब आयगा, जब शत्रुओ को परास्त करके मैं कमल-दल के समान विशाल नेत्रोवाली तथा सुदर नितबो से युक्त सुदरी सीता को समृद्ध राज्यलक्ष्मी के समान देख सकूंगा ? जैसे रोगी रसायन पीता है, वैसे मैं कब उनके सुदर दातो और ओठोवाले मुखकमल को कुछ ऊपर उठाकर पान करूंगा ? उनके परस्पर सटे और ताल-फल के समान बड़े स्तन-युगल कापते हुए कब मेरे शरीर का स्पर्श करेंगे ? देव-कन्या के समान साध्वी सीता उत्कठापूर्वक मेरे गले लगकर कब आनद के आसू बहायगी ?” (६।५।१३, १४, २०)। नारी के यौन आकर्षण का एक और उन्मुक्त वर्णन कवि ने उत्तरकांड में रूभा के दर्शन से मोहित रावण के मुख से कराया है (७।२६।२१-४)।

प्रेम का आस्वादन, रति-सुख का उपभोग मनुष्य का मानो अपना अधिकार है। अनुत्सुक सीता को अनुकूल बनाने में विफल रावण को महापार्श्व ने यह राय दी कि महाराज, आप तो महावली हैं, क्यों नहीं मुर्गे की तरह बलपूर्वक उसे बार-बार आक्रात करके आप उसका उपभोग करते और उससे रमण करते ?^१ प्रिय की प्रीति प्राप्त करने में मनुष्य हर सभव उपाय का आश्रय क्यों न ले ? ‘मृगो और सापो से भरे वन में प्रवेश करके जो मनुष्य मधु-पान नहीं करता, वह निरा मूर्ख है।’^२ दूसरे शब्दों में, दु खो और चिंताओ से व्याप्त इस ससार में ऐहिक सुखों के चरमोत्कर्ष प्रेम से वंचित रहना जीवन के विरल, सारभूत आनद को खो देना है।

पुरुष और स्त्री का पारस्परिक आकर्षण और यौन सवध एक सर्वथा स्वाभाविक एवं अपेक्षित कृत्य है और उस पर किसी प्रकार की कृत्रिम रोक लगा देना या उसे अस्वाभाविक समय में बाध देना अवाञ्छनीय माना जाता था। ऋषि विभाडक ने अपने आश्रम में स्त्रियो का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध कर रखा था। उनका पुत्र ऋष्यश्रृंग पिता की कठोर निगरानी में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने को बाध्य था। युवक होने तक उसे किसी स्त्री के दर्शन-स्पर्शन का लेश-मात्र भी भान नहीं था।

१. बलात्कुक्कुटवृत्तेन प्रवर्तस्व महाबल । आक्रम्याक्रम सीता वै ता भुङ्क्ष्व च रमस्व च ॥ ६।१३।४
२. य खल्वपि वन प्राप्य मृगव्यालनिषेवितम् । न पिबेन्मधु सम्प्राप्य स नरो बालिशो भवेत् ॥ ६।१३।२

निकटवर्ती अग-राज्य के लोग इसे एक अप्राकृतिक कार्य मानते थे और यही, उनके अनुसार, अनावृष्टि और दुर्भिक्ष का कारण रहा होगा। इस स्थिति को दूर करने के लिए स्त्री-वर्जित विभाडक-आश्रम के कृत्रिम वातावरण में दरार डालने की योजना बनाई गई। यह कार्य अग-राज्य की वारागनाओ को सौंपा गया। उनके हाव-भावो से ब्रह्मचारी ऋष्यश्रृंग डिंग गए और फिर उनका विवाह अग-देश की राजकुमारी शाता से कर दिया गया। इस प्रकार इस ऋषिकुमार के अतर्भन की अस्फुट यौन-भावना को, जिसे सयम और अनुशासन के कृत्रिम उपायो द्वारा अकु-रित होने से रोका जा रहा था, विकसित और फलित होने का अवसर देकर अग-राज्य की भूमि भी उर्वरा बना दी गई (१।१०)।

तत्कालीन उद्यान और उपवन उन्मुक्त प्रणय की रगस्थलिया बने हुए थे (यद्यपि बाद की स्मृतियो के अनुसार उद्यानो मे काम-क्रीडा वर्जित है)। शीघ्र-गामी रथो में सवार होकर प्रणयी युगल अरण्यो में विहार करने जाया करते थे।^१ वानर स्त्रिया, कामावेश में, वनो में क्रीडा करने को आतुर हो जाया करती थी।^२ चित्रकूट पर राम ने सीता का ध्यान कामियो की उन शय्याओ की ओर आकर्षित किया था, जिन पर नरम-नरम कुश-दल बिछे हुए थे—कामिनां स्वास्तरान्पश्य कुशेशयदलायुतान् (२।१४।२५)। अपने वनवास-काल मे राम और सीता ने, तन और मन को आह्लादित करनेवाले वातावरण में, पर्याप्त विहार किया था, सीता-हरण के बाद उसका स्मरण कर राम प्राय उत्तप्त हो जाते थे। प्रेम के अलौकिक आदर्श से अनुप्राणित होते हुए भी वे दोनो प्रेमी और प्रेमिका की नाई परस्पर अनुरक्त थे—उनके जीवन में रसिकत्व या सहृदयत्व की कमी नही थी।

चित्र-विचित्र वेश-भूषा में सजी नारी काम का एक अव्यर्थ उद्दीपन थी। मदिरा का मद उसे और भी लुभावना बना देता था। मतवाली नारियो को आदि-काव्य में बारबार उपमान बनाया गया है (लता: समनवर्तन्ते मत्ता इव वरस्त्रियः ४।१।६५)। सुरा और सुदरी का अन्योन्याश्रित सबध कई स्थलो पर दृष्टिगोचर होता है। शर्करासव की गध से मिली रावण की रानियो की सासों उसे

१. वाहनैः शीघ्रवाहिभिः। नरा निर्यान्त्य रण्यानि नारीभिः सह कामिनः॥

२।६७।१९

२. ततः क्रीडामहे सर्वा वनेषु मदनोत्कटाः। ४।२५।१७

रस-विभोर कर रही थी।^१ प्रेमीगण अपनी प्रेमिकाओं को मद्य-पान के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि इससे प्रेमिका की आखें विह्वल अतएव अधिक सुंदर दिखाई देती थीं। कवि जहाँ कही नारी-सौंदर्य का वर्णन करता है, वहाँ 'मदविह्वलाक्षी', 'मदिरक्षणा' और 'मदिरलोचना'-जैसे सबोधनों का प्रयोग करना नहीं भूलता। रावण ने भी सीता से मदिरा पीकर भोग-विलास में रत होने और विहार करने का प्रस्ताव किया था—पिब विहर रमस्व भुङ्क्व भोगान् (५।२०।३५)। मद्य-पान से अस्तव्यस्त तारा का वर्णन कर वाल्मीकि ने मदमाती नारी का एक चित्र उपस्थित कर दिया है (४।३३।३८-४०)।

पत्नी के प्रति अतिशय प्रगाढ़ प्रणय-भावनाओं के अपूर्व चित्राकन पाठक के नेत्रों के समुख धूम जाते हैं। विरही राम के उन्मादपूर्ण विलाप-प्रलाप का चित्रण कर कवि ने मानव की अपनी प्रियतमा के प्रति शाश्वत प्रीति को शब्दों के रमणीय चौखटे में कस दिया है।

रामायण की अनेकानेक काव्य-कल्पनाएँ प्रणय-भावों से उद्भूत हुई हैं। वाल्मीकि की दृष्टि में हाथी-हथिनी का सपर्क स्त्री-पुरुष के पारस्परिक आकर्षण का प्रतीक है। अशोकवाटिका में सीता के दर्शनार्थ आते समय रावण अपनी स्त्रियों के बीच उसी प्रकार शोभित हो रहा था, जिस प्रकार अरण्य में हथिनियों से घिरा हुआ कोई हाथी सुशोभित हो।^२ दशरथ की मृत्यु हो जाने पर उनकी रानिया वैसे ही विलाप करने लगी, जैसे किसी गजराज के वध पर उसकी वधुएँ क्रदन करती हैं।^३ राम से वियुक्त सीता अपने सहचर से विछुड़ी हथिनी की भाँति थी।^४ रावण ने सीता की राक्षसी पहरेदारानियों को आज्ञा दी कि जिस प्रकार किसी जगली हथिनी को पालतू बनाया जाता है, उसी प्रकार तुम सब सीता को मेरे वश में ले

१ शर्करासवगन्ध. स प्रकृत्या सुरभिः सुखः । तासां वदननिःश्वासः सिषेवे रावण तदा ॥ ५।१।५६

२. स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयम् । करेणुभिर्ययारण्ये परिकीर्णो यथा द्विपः ॥ ५।११।१२

३ ततः प्रच्युतशुर्दीना सस्वरं ता वरांगनाः । करेणव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयूथपाः ॥ २।६।२०

४ यूथपेन विना कृता . गजराजवधूमिव । ५।२६।२१

आओ—आनयध्व वशं सर्वाः वन्यां गजवधूमिव (३।५६।३१) । कभी-कभी गौ और वृषभ का साहचर्य मानवों के यौन आकर्षण का सूचक माना जाता था । ननिहाल से लौटने पर भरत को अयोध्या ऐसी जान पड़ी मानो किसी गौ को उसके वृषभ ने त्याग दिया हो ।^१ सिंह से मारे गए साड़ पर आसू बहानेवाली गौ की भाति तारा ने वाली की मृत्यु पर विलाप किया था ।^२ रावण को अपनी रानियों के बीच सोते देखकर हनुमान को प्रतीत हुआ मानो गौओं के बीच कोई साड़ पड़ा हो (गवां मध्ये यथा वृषः, ५।११।११) । मेघ और विद्युत् भी पति और पत्नी के प्रतीक माने गए हैं । जैसे बादल के साथ बिजली लगी रहती है, वैसे ही रावण की स्त्रिया उसका अनुगमन कर रही थी—अनुजग्मुः पतिं वीरं धनं विद्युत्लता इव (५।१८।१५) ।

प्रणय का अधिक उदात्त एवं शालीन रूप कवि द्वारा चित्रित प्रेम के आदर्श में उपलब्ध होता है । रामायण का मुख्य प्रतिपाद्य सृष्टि के शाश्वत आदर्श युगल राम और सीता का दापत्य प्रेम है । उनके पारस्परिक अनुराग की गभीरता, उदात्तता, और अमरता को सूचित करने के लिए वाल्मीकि ने अनेक अलौकिक एवं आध्यात्मिक उत्प्रेक्षाओं का अवलंबन लिया है । जिस प्रकार वेद-विद्या आत्म-ज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की सपत्ति होती है, उस प्रकार सीता पृथ्वीपति राम की ही सुयोग्य पत्नी थी ।^३ दोनों का साहचर्य अटूट था, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती । जैसे सूर्य से उसकी प्रभा विलग नहीं की जा सकती, वैसे ही राम से सीता ।^४ रोहिणी और चंद्रमा अथवा लक्ष्मी और विष्णु का-सा कात उनका सयोग था ।^५ विवाह के पश्चात् उनका प्रेम पारस्परिक सहानुभूति और निरतर साहचर्य के सहारे विकसित हुआ था—वह इस धार्मिक भावना की नीव पर

१. गोवृषेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोत्सुकाम् । २।११।४।९

२. सिंहेन पातितं सद्यो गौः सवत्सेव गोवृषम् । ४।२३।२६

३. अहमौपयिकी भार्या तस्यैव च घरापतेः । व्रतस्नातस्य विद्येव विप्रस्य विदिता-त्मनः ॥ ५।२१।१७

४. अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा । ५।२१।१५

५. रोहिणीव शशाकेन रामसंयोगमाप यः । २।१६।४२; अतीव रामः शुशुभे मुदान्वितो विभुः श्रिया विष्णुरिवामरेऽवरः । १।७७।२९

सर्वधित एव प्रगाढ हुआ था कि जीवन के उतार-चढ़ाव में, सुख-दुःख एव हर्ष-शोक के द्वंद्वों में, हम एक-दूसरे के सगी-साथी हैं, राम के अकृत्रिम सौहार्द और स्नेह ने इस प्रेमिल सबंध को सुधा-रस से सींचा था।^१ पिता के यहा के अभ्यस्त वातावरण को छोड़ एक अपरिचित घर में आनेवाली नवोढा के लिए इससे बढकर सौख्य का विषय और क्या हो सकता है। फलत दोनो का गार्हस्थ्य जीवन विवाह की लोकोत्तर कल्पना एव प्रेम के सर्वोच्च आदर्शों से अनुप्राणित था।

रामायण में अन्य सुखी विवाहो के भी उदाहरण मिलते हैं। तारा और मदोदरी के विलापो में जहा उनकी पति-भक्ति की प्रगाढता अभिव्यक्त हुई है, वहा उनके पतियो का हार्दिक अनुराग भी। जहा तक तपस्या-रत ऋषि-मुनियो या कर्मकाडी ब्राह्मणो के विवाहित जीवन का प्रश्न है, उसमें प्रणय-भावना अपेक्षाकृत गौण थी। उनके लिए विवाह स्वप्निल भावो की पुष्प-शय्या न होकर धर्माचरण की कठोर वेदी था। पत्नी का अधिकाश समय पति की सेवा-शुश्रूषा करने में, यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित रखने में तथा व्रत-नियमो के अनुष्ठान में पति की सहयोगिनी बनने में ही वीतता था (७।२।२६, २८-९)। मुनि-पत्नी के लिए विवाह एक सस्कार था, एक कर्तव्य-पथ था, जिसका मुख्य लक्ष्य सयम और सदाचार द्वारा आध्यात्मिक सुख और पारलौकिक पुण्य का अर्जन करना था।

‘सदृश’ अथवा अनुरूप पति-पत्नी में ही प्रेम की प्रगाढता होती है, जैसा कि राम और सीता के बारे में कहा गया है—“सीता ने अपने हृदय-मंदिर में राम को ही विराजमान कर रखा था—राम, जो स्थिरचित थे और जिनका मन भी सीता में ही लीन था। सीता के गुणो और रूप के कारण राम का यह अनुराग और भी अधिक होता जाता था। सीता के हृदय में राम द्विगुणित होकर निवास करते थे—अर्थात् राम के प्रति सीता का दुगुना प्रेम था। राम सीता के हृद्गत भावो को, न कहने पर भी, अपने हृदय से स्पष्टतया पढ लेते थे और सीता राम के भावो को उससे भी अधिक स्पष्टता से जान लेती थी” (१।७।२६-८)।

अनुराग प्राय दर्शन-जन्य होता है, अदृष्ट के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता।^२ पारस्परिक अनुराग विवाह का चरम लक्ष्य है, उसकी सच्ची आधार-शिला। पत्नी

१. देखिए ६।३२। २०-१; ६।११६।१५-६; २।२९।२०

२. दृश्यमाने भवेत्प्रीतिः सौहृद नास्त्यदृश्यतः। ५।२६।३९

के प्रति सहृदय और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ही पति के प्रति उसकी आदर एवं भक्ति की भावना को जगा सकता है। सीता जहा राम के प्रति अत्यधिक अनुरक्त थी, वहा राम भी उनकी सुख-सुविधाओ का बडा ध्यान रखते थे। दोनो एक-दूसरे के अनन्य प्रेमी थे।^१ एकागी प्रणय वाल्मीकि की दृष्टि में अनुचित एव वैरस्य-जनक होता है। रावण की स्त्री धान्यमालिनी ने सीता के साथ बलात्कार न करने की प्रार्थना करते हुए अपने स्वामी से कहा था कि अनिच्छुक स्त्री से प्रेम करने-वाले पुरुष को मनस्ताप का शिकार होना पडता है, इसके विपरीत किसी अनु-रागिणी स्त्री से प्रेम करने पर प्रसन्नता की प्राप्ति होती है।^२ इसीलिए रावण अकामा मैथिली का स्पर्श करने को प्रोत्साहित नही होता था—एव चवंसकामा त्वं न ऋ स्पृक्ष्यामि मैथिलि (५।२०।६)।

विवाह की सफलता प्रणय एव सतान-प्राप्ति में निहित मानी जाती थी (रतिपुत्रफला दाराः)। गृहस्थाश्रम को स्वीकार करनेवाला प्रत्येक स्नातक यह् भली भाति जानता था कि विवाह तो वश-प्रवर्तन के लिए सौपी गई एक पवित्र धरोहर है। चित्रकूट पर राम ने भरत से पूछा था कि तुम्हारी पत्नी 'सफला' है, अर्थात् रति और सतति से युक्त है।^३ सतानोत्पत्ति ही दापत्य प्रेम की चरम परिणति है। पुरुष के लिए इससे बढकर दु खद बात और क्या हो सकती है कि वह अपने अनुरूप पत्नी प्राप्त किये बिना अथवा उससे आयु-भर पुत्र उत्पन्न किये बिना ही ससार से चल बसे ?^४ यौन आकर्षण अथवा काम-भाव की असह्य प्रबलता को अस्वीकार न करते हुए भी रामायण में, धर्म-रति' (नैतिक नियमों के अनुसार संचालित यौन सबध) को ही श्रेष्ठ माना गया है। विवाह-सस्कार की

१. मयि भावो हि वैदेह्यास्तत्त्वतो विनिवेशितः । ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः ॥ ४।१।५२
२. अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते । इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिर्भवति शोभना ॥ ५।२२।४२
३. कच्चित्ते सफला दाराः (दाराणां सफलत्वं धर्मरतिप्रजाभिः—तिलक टीका) । २।१००।७२
४. तुलना कीजिए—मात्मनः सन्ततिं द्राक्षीत् स्वेषु दारेषु दुःखितः । आयुः समग्रमप्राप्य यस्थार्योऽनुमते गतः ॥ २।७५।३६

सपूर्ण विधि इस बात की पर्याप्त द्योतक है कि यौन समागम एक उदात्त कर्तव्य है, जिसमें स्वार्थपूर्ण भोग-लिप्सा या लपटता के लिए स्थान नहीं। भारतीय काम-कला लपटो के उच्छृंखल ऐद्रिक व्यापार के स्तर पर अपने को नहीं गिराती। यौन जीवन को मर्यादा में बाधने के लिए रामायण में सहवास के कतिपय नीति-नियम यत्र-तत्र निर्दिष्ट हैं।^१ उनके अनुसार तन और मन की विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया गया काम-सवध उचित और धर्मसगत है, और उनके विपरीत की गई यौन क्रिया व्यभिचार है, अनैतिक और मानवो के लिए अशोभनीय। गुरु-पत्नी, औरस पुत्री, भगिनी तथा भ्रातृ-भार्या के पास काम-वृद्धि से जाना, या उनका कामवश उपभोग करना धर्म और लोकाचार का घोर अतिक्रमण है। पुरुष को केवल अपनी पत्नी के साथ ऋतु-काल में गमन करना चाहिए, वह भी सतानोत्पादन की इच्छा से। सध्या के समय अथवा रजस्वला स्त्री के साथ सभोग वर्जित है। जो जितेंद्रिय गृहस्थ इन नियमों के अनुसार अपना यौन जीवन मर्यादा और समय में बाधे रखता है, वह (गौण अर्थ में) ब्रह्मचारी ही कहलाने योग्य है।^२

प्रेम मध्यम भाव से और यथासमय करना चाहिए। विशेष कर राजा को रात्रि का समय ही काम-सेवन के लिए नियत रखना चाहिए, प्रातः काल या दिन का समय नहीं।^३ अतिप्रणय और अप्रणय दोनों ही अनुचित हैं, अतः मध्यम मार्ग का अनुसरण ही श्रेयस्कर है।^४ अपनी पत्नी के प्रति अधानुराग का रामायण समर्थन नहीं करती। विरह-पीडित राम को सुग्रीव ने सात्वना देते हुए कहा था—
“मै भी भार्या-हरण के महान कष्ट से दुःखी हूँ, पर मै न शोक करता हूँ, न धैर्य का ही

- १ देखिए २।६३।३०; २।७५।४५, ४।१८।२२-३; ४।५५।३; १।४८।१८; ७।९।२२-४; ७।८६।१५
- २ तुलना कीजिए—द्वैविध्य ब्रह्मचर्यस्य (मेखलाजिनादिरूप मुख्यं ब्रह्मचर्यम्, दारेषु ऋतुगमनरूपं पर गौणम् —तिलक टीका)। १।१।५
- ३ कच्चिदर्थं च कामं च धर्मं च जयता वर। विभज्य काले कालज्ञ सर्वान्वरद सेवसे ॥ (प्रातर्दानादिधर्मकाल, तदनन्तर आस्थान्यां राज्यविचारेणार्थ-काल, रात्रौ कामकाल इत्यर्थं —गोविन्दराज)।
४. न चातिप्रणय कार्यं कर्तव्योऽप्रणयश्च ते। उभयं हि महाबोध तस्मादन्त-रदुग्भव ॥ ४।२२।२३

परित्याग । एक तुच्छ वानर होते हुए भी मैं उसके लिए कोई पश्चात्ताप नहीं करता । आप तो महात्मा, शास्त्रज्ञ और धैर्यवान हैं, इतना विलाप करना आपको शोभा नहीं देता” (४।७।६-७) । दशरथ के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि पत्नी के प्रति सीमातीत आसक्ति बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है । लक्ष्मण के अनुसार, दशरथ काम के वशीभूत, वृद्धावस्था के कारण विपरीत-बुद्धि तथा कैकेयी के मोह-जाल में पडकर असहाय थे (२।२१।२-३) । स्वयं राम ने वन में पहुंचने पर अपने पिता के बारे में ऐसे ही भाव व्यक्त किये थे । कामात्मा कैकेय्या वशमागतः, काम-पाश-पर्यस्तः, कामभारावसन्न. आदि सबोधनो द्वारा उन्होंने पिता की काम-परायणता की आलोचना की थी । लक्ष्मण की तरह उनकी भी यही मान्यता थी कि महाराज ने एक स्त्री की बातों में आकर अपने आज्ञाकारी पुत्र को राज्य से निर्वासित कर दिया ।^१ कैकेयी के प्रति दशरथ की यह आसक्ति अयोध्या की जनता में भी सुवि-दित थी और कटु चर्चा का विषय बनी हुई थी ।^२ कामपरायण होना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, विशेष कर स्त्रियों के लिए तो ‘कामवृत्त’ सर्वथा अशोभनीय है ।^३

वाल्मीकि ने सर्वत्र विवाहित प्रणय को ही श्रेष्ठ पद प्रदान किया है तथा अविवाहित और असयत प्रेम को निंदा और दंड का पात्र घोषित किया है । अपने प्राकृत स्वभाव के कारण पुरुष नारी का उपभोग करना चाहता है, उससे विवाह करना नहीं, जैसाकि राजा दंड और मुनि-कन्या अरजा के आख्यान से प्रकट है । वाल्मीकि ने ‘स्वदारनिरत’, अपनी पत्नी में ही अनुरक्त होने का आग्रह किया है । उनके अनुसार प्रेम और विवाह दोनों परस्परावलंबी हैं । पर-स्त्री विष-मिश्रित भोजन के समान अग्राह्य है ।^४ सीता ने राम का, परस्त्री-ससर्ग से दूर रहने और

१ को ह्यविद्वानपि पुमान्प्रमदायाः कृते त्यजेत् । छन्दानुवर्तितं पुत्रम् ॥

२।५३।१०

२ राजानं धिग्दशरथ कामस्य वशमास्थितम् । २।४९।४; २।१२।८३ भी देखिए ।

३ कामात्मता खल्वति न प्रशस्ता । २।२१।५८; कामवृत्तमिदं रौद्रं स्त्रीणाम्-सदृशं मतम् । ३।४३।२१

४ तव भार्या महाबाहो भक्ष्यं विषकृतं यथा । ४।६।८

अपनी ही स्त्री से प्रेम करने के उपलक्ष्य में, अभिनदन किया था (३।१।५-६)। मारीच ने परस्त्री-ससर्ग से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं माना था।^१ 'जो चंचलचित्त अजितेंद्रिय पुरुष अपनी ही स्त्री से सतुष्ट नहीं रहता, उस पापात्मा की पराई स्त्रिया बहुत फजीहत करती है।'^२ विवाहित स्त्री से प्रणय-प्रस्ताव करना सामाजिक मर्यादा के विपरीत था। सीता ने रावण से कहा था—“अपना मन मुझसे हटाकर तुम्हें अपनी ही स्त्रियों के साथ विहार करना चाहिए। मैं पराई स्त्री हूँ, अतएव न्यायानुसार तुम्हारी भोग्या नहीं हो सकती। पतिव्रता कुलवधू के लिए यह दुष्कर्म है। जगदीश्वर राम की भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाह का तकिया कैसे लगा सकती हूँ ?”^३

जीवन के धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों में कौन श्रेष्ठ है ? राम के अनुसार, 'जो व्यक्ति धर्म और अर्थ का परित्याग कर काम का ही अनुसरण करने लगता है, वह शीघ्र ही राजा दशरथ की तरह विपत्ति में पड़ जाता है।'^४ जो राजा अपने जीवन में धर्म और अर्थ की उपेक्षा करके काम को प्रधानता देता है, वह धर्मात्माओं की दृष्टि में निन्दनीय और राजोचित मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, वह वृक्ष की शाखा पर सोये हुए उस मनुष्य के समान है, गिरने पर ही जिसकी आत्मा खुलती है।^५ धर्म, अर्थ और काम तीनों का यथासमय और यथोचित मात्रा में उपभोग करना ही बुद्धिमानों के लिए कल्याणकारी है।^६

१ परदाराभिमर्शान्तु नान्यत्पापतर महत् । ३।३।८।३०

२ अतुष्ट स्वेषु दारेषु चपल चपलेन्द्रियम् । नयन्ति निकृतिप्रज्ञ परदारा-
पराभवम् ॥ ५।२।१।८

३ उपधाय भुज तस्य लोकनायस्य सत्कृतम् । कथ नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य
कस्यचित् ॥ ५।२।१।१६; ५।२।१।३-४, ६-७ भी देखिए।

४ अर्थधर्मो परित्यज्य यः काममनुवर्तते । एवमापद्यते क्षिप्र राजा दशरथो
यथा ॥ २।५।३।१३

५. तुलना कीजिए—त्व च सक्लिष्टधर्मश्च कर्मणा च विगर्हितः । कामतन्त्र-
प्रधानश्च न स्थितो राजवर्त्मनि । ४।१।८।१२, हित्वा धर्मं तथाऽर्थं च काम
यस्तु निषेवते । स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते ॥ ४।३।८।२१-२

६ धर्ममर्थं हि काम वा सर्वान्वा रक्षसा पते । भजते पुरुषः काले त्रीणि द्वन्द्वानि
वा पुनः ॥ ६।६।३।९; ४।३।८।२९-२२ भी देखिए।

नारी—घर में

नारी की स्थिति ही किसी समाज की सभ्यता का सच्चा मापदंड है। रामायण-काल की नारी-संस्कृति का यथार्थ स्वरूप जानने के लिए वाल्मीकि ने प्रचुर सामग्री प्रस्तुत की है। अन्य अनेक महाकाव्यों और नाटकों की तरह रामायण में भी पाठक की अभिरुचि प्रायः उसके नारी-पात्रों पर ही केन्द्रित रहती है। संस्कृत के साहित्य-शास्त्र की भाषा में, नारियाँ ही इस आदि-काव्य का प्रमुख आलंबन हैं—वे ही इसके कथानक को गति प्रदान करती हैं, उसका चरम विकास करती हैं। रामायण में कई प्रधान एवं आनुषंगिक नारी-पात्रों के विशद चित्र अंकित हैं, ऐसे नारी-पात्र, जिनके गुण और दुर्गुण, जिनकी महत्ता और दुर्बलता हमारे समुख नारी-संस्कृति का एक मिला-जुला रूप उपस्थित कर देती हैं। हिंदू कन्याओं की प्रातःस्मरणीया पाँच महानारियों (अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मदोदरी) में से चार रामायण से ही प्रसूत हैं, केवल द्रौपदी महाभारत से संबद्ध है। रामायण में नारी-चित्रण इतना सजीव, इतना प्रमुख है कि वह उसे एक पुरुष-प्रधान काव्य के बजाय एक नारी-प्रधान रचना बना देता है। जहाँ महाभारत को 'द्यूत-प्रसंग' और भागवत को 'चोर-प्रसंग' की सज़ा दी जाती है, वहाँ रामायण को 'स्त्री-प्रसंग' के नाम से यथार्थ ही संबोधित किया जाता है।

रामायण में नारी की स्थिति का कई दृष्टियों से अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि कन्यात्व, पत्नीत्व और मातृत्व उसके जीवन के प्रमुख अंग हैं, अतः समाज में उसकी स्थिति का विश्लेषण इन तीन दृष्टियों से करना समीचीन होगा।

उत्तरकांड में ऐसे कई स्थल हैं, जहाँ विवाह-योग्य कन्याओं की बढ़ती हुई आयु को देखकर माता-पिता के चिंता के उद्गार अभिव्यक्त हुए हैं।^१ रामायण के

१ कन्या का पिता बनना संमान चाहनेवाले लोगों के लिए दुःख का विषय है—
कन्यापितृत्वं दुःखं हि सर्वेषां मानकाक्षिणाम् (७।१।१०)। इसका कारण यह था कि उन दिनों भी पिता को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूँढ़ने में

प्रामाणिक काडो में ऐसे उदाहरण कम हैं, फिर भी हम सीता के उस कथन की उपेक्षा नहीं कर सकते, जिसमें वह कहती है कि मेरे विवाह-योग्य होने पर मेरे पिता जनक वैसे ही चिंताग्रस्त हो गए जैसे कोई निर्धन व्यक्ति अपनी स्वल्प संपत्ति नष्ट हो जाने पर चिंतातुर हो जाता है, क्योंकि कन्या के पिता को, चाहे वह इद्र का ही समकक्ष क्यों न हो, समान और निम्न श्रेणीवाले लोगों से अनादर ही प्राप्त होता है ।^१

इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि कन्या के जन्म पर परिवार में प्रसन्नता की लहर नहीं दौड़ती होगी, क्योंकि वह जन्म के साथ ही अपने भावी विवाह की चिंता भी माता-पिता पर लाद देती थी । प्रश्न होता है, इस चिंता से मुक्त होने के लिए क्या लोग अपनी नवजात कन्याओं को त्याग तो नहीं दिया करते थे ? इस सवध में वाल्मीकि द्वारा प्रयुक्त एक उपमा विचारणीय है । रावण की कैद में अपने दुर्भाग्य पर विलाप करती हुई सीता की उपमा वाल्मीकि एक ऐसी बालिका से देते हैं, जो निर्जन वन में छोड़ दी जाने के कारण ऋदन कर रही हो—

कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा

बालेव कन्या विललाप सीता । ५।२८।२

क्या इस उक्ति को कोरी उपमा ही मान लेना चाहिए ? क्या इससे यह ध्वनि नहीं निकलती कि वाल्मीकि के समय में नवजात कन्याओं के वन में त्याग दिये जाने की घटनाएँ भी हो जाया करती थी ?

कठिनाई पड़ती थी । सबसे पहले तो इसी बात का निश्चय नहीं किया जा सकता कि कन्या का वरण कौन करेगा । दूसरे, कन्या की बढ़ती हुई आयु देखकर माता-पिता चिंतित हो जाते थे और वर लोग भी इस भय से विवाह का प्रस्ताव नहीं करते थे कि स्वयं निर्णय करने में समर्थ युवती पुत्री उन्हें कहीं अस्वीकार न कर दे । कन्या अपने चरित्र के विषय में माता, पिता और पति इन तीनों के परिवारों को सशय में डाले रखती हैं, क्योंकि यह कोई नहीं कह सकता कि कन्या का भविष्य क्या होगा—वह सुखी एवं पतिव्रता पत्नी बन सकगी अथवा नहीं (७।१।८-११) ।

१ पतिसयोगमुलभ वयो दृष्ट्वा तु मे पिता । चिन्तामभ्यगमहीनो वित्तनाशा-
दिवाधन । सदृशाच्चापकृष्टाच्च लोके कन्यापिता जनात् । प्रधर्षणमवा-
प्नोति शक्रेणापि समो भुवि ॥२।११८।३४-५

जिस परिस्थिति में सीता जनक को मिली, उससे भी इसमें भी प्रकाश पडता है। जब जनक यज्ञ-क्षेत्र में हल चला रहे थे, तब उन्हें पृथ्वी पर एक शिशु-कन्या पडी हुई मिली, जिसके सारे अंग धूल में सने थे और जो मुट्ठी बाधे अपने हाथों को इधर-उधर फेक रही थी। आसपास उसका कहीं कोई रक्षक या अभिभावक नहीं था (२।११८।२८-९)। क्या इससे यह सकेत नहीं मिलता कि सीता किसीकी परित्यक्ता कन्या थी, जो जनक को सयोगवश पडी हुई मिल गई? पौराणिक मान्यतानुसार सीता पृथ्वी फोडकर निकली थी—अहं किलोत्थिता भित्त्वा जगतीं नृपतेः सुता (२।११८।२८), किंतु यह बात तर्कगम्य नहीं जान पडती।

दूसरी ओर यदि हम परिवार में कन्या की स्थिति और उसके प्रति किये जानेवाले व्यवहार की समीक्षा करे तो यह स्वीकार करना होगा कि कन्याओं से किसी प्रकार का द्वेष, द्रोह या घृणा नहीं की जाती थी। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि कन्या का जन्म हो जाने के बाद उसका लालन-पालन मनोयोग से किया जाता था और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उदारता बरती जाती थी। सतान के प्रति स्नेह मानव-मनोवृत्ति का सामान्य लक्षण है और पुत्रिया भी इस स्नेह को भरपूर पाती थी। पुत्री अपने पिता की 'दयिता' अर्थात् प्रीति-पात्र थी। गुणवती कन्या की प्राप्ति दीर्घ तपस्या से ही संभव है (१।२५।५-६)। सीता को खेत में पडी हुई पाकर जनक का सपूर्ण अपत्य-स्नेह उमड़ पडा। गोद में उठा कर उन्होंने उसे कन्या-रूप में स्वीकार किया और अपनी सारी ममता उस पर उडेल दी। जनक की बडी रानी ने भी सच्ची माता के स्नेह से उसे पाला-पोसा (२।११८।३०-३३)।

इस पर भी यदि कन्या परिवार की चिंता का कारण होती थी, तो इसके मूल में माता-पिता की यह उद्विग्नता थी कि हमारी पुत्री का विवाहित जीवन कैसे सुखमय हो। कन्या का उपयुक्त ढंग से विवाह संपन्न कर देना बड़े महत्व का कार्य था। इसे माता-पिता ज्यो-त्यो नहीं निपटा दिया करते थे। किसी व्यक्तिगत धारणा या धुन के अनुसार नहीं, अपितु पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात्, नियत सिद्धांतों के आधार पर ही, कन्या के लिए वर का चुनाव किया जाता था। कुशनाभ-कन्याओं के विवाह-वृत्तांत से यह प्रकट है। राजा जनक ने भी सीता के विवाहार्थ विशाल स्वयंवर का आयोजन करके अनेक राजाओं से शत्रुता मोल ली, केवल इसलिए कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उनकी पुत्री का पति बन सके। निश्चय ही

कन्या परिवार में उपेक्षा का विषय नहीं थी। सीता-हरण के पश्चात् राम यह सोचकर बड़े दुःखी हुए थे कि यदि लोगो के समूह में राजा जनक मुझसे सीता की कुशल के विषय में कही पूछ बैठे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा।^१ यह सच है कि कन्या के जन्म से पिता पर एक महान उत्तरदायित्व आ पड़ता था, किंतु उसका निर्वाह वह स्नेह से प्रेरित होकर करता था, पुत्री का सुख या हित कभी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता था।

यही नहीं, कुमारी कन्याओं को मागलिक तथा उनकी उपस्थिति को शुभ शकुन माना जाता था। सुदर और सुसज्जित कन्याओं का दिखाई पड़ना और उनके द्वारा स्वागत-सत्कार किया जाना सफलता और सौभाग्य का चिह्न था। इसीलिए जब राम ने वन से लौटकर अयोध्या में प्रवेश किया तब कुमारी कन्याएँ उनके आगे-आगे चली थी (कन्या रामस्य पुरतो ययु, ६।१२८।३८)। धार्मिक एवं सार्वजनिक व्रत-उत्सवों में अविवाहिता कन्याओं की उपस्थिति से अवसर की मागलिकता में अभिवृद्धि होती थी। राम के यौवराज्याभिषेक की सामग्रियों में आठ सुदर कन्याएँ भी समाविष्ट थी (अष्टौ च रुचिरा कन्या, २।१४।३६)। उनके राज्याभिषेक में कन्याओं ने उन पर जल छिड़का था (६।१२८।६२)। जिस घड़ी में जनक ने सीता को पुत्री के रूप में ग्रहण किया, तभी से उनके यहाँ सुख-समृद्धि की अतिशय वृद्धि होने लगी थी।^२ कन्या-दान पिता के लिए एक पुण्योत्पादक कर्म था,^३ पुत्री के लिए वर प्राप्त करना पिता का धार्मिक एवं अनिवार्य कर्तव्य था।

रामायण के प्रमुख स्त्री-पात्रों की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि विवाह से पूर्व उन्हें अपने घरों में समुचित शिक्षा मिल चुकी होगी। क्योंकि उन्हें सभी धार्मिक कृत्यों में अकेले या पति के साथ सम्मिलित होना पड़ता था, अतः उन्हें विवाह से पहले ही वैदिक और स्मार्त क्रिया-कृत्यों की तथा उनमें प्रयुक्त होनेवाले मंत्रों की शिक्षा दे दी जाती थी। राम के यौवराज्याभिषेक के दिन कौसल्या अग्नि में मंत्रों-

१ किं नु वक्ष्यामि धर्मज्ञं राजान सत्यवादिनम् । जनकं पृष्टसीतं त कुशलं जनसंसदि ॥४।१।१०६

२. अवाप्तो विपुलामृद्धिं मामवाप्य नराधिप । २।११८।३४

३. परो धर्मं (कन्याप्रदानरूप.) कृतो मह्यम् । १।७५।१५

सहित आहुति दे रही थी।^१ सीता को सध्योपासन में तत्पर बताया गया है (५। १४।१९), जबकि तारा मन्त्रो की जानकार (मन्त्रवित्) थी (४।१६।१२)।

कर्मकांड की शिक्षा पाने के अतिरिक्त कन्याएँ शास्त्रो, स्मृतियों और पुराणों का भी पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करती थी। यह ज्ञान उन्हें अपने माता-पिता, ब्राह्मण अभ्यागतों तथा ऋषि-मुनियों से मिलता था। इस प्रकार मिलनेवाली उनकी शिक्षा सर्वांगीण होती थी। सीता अपने पिता के घर में ऋत्विजों, ब्राह्मणों, ज्योतिषियों और विद्वानों के संपर्क में आने के कारण पारंपरिक ज्ञान की अनेक शाखाओं में पारंगत थी। अपने समय के पौराणिक ज्ञान में वह विचक्षण थी।^२ कैंकेयी और तारा ने भी शास्त्र-ज्ञान का विशद परिचय दिया है।

कन्याओं को व्यावहारिक और नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। पत्नी-विषयक कर्तव्यों का उन्हें सुचारु रूप से बोध कराया जाता था। सीता को, जैसाकि उन्होंने राम के साथ वन चलने का आग्रह करते समय कहा था, अपने माता-पिता से पत्नी के कर्तव्यों की समुचित शिक्षा मिल चुकी थी।^३ उन्होंने वही सदाचार और सयम का अभ्यास कर लिया था तथा सुख-दुःख को समान समझकर हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। राजकुमारियों को राजधर्म की भी शिक्षा दी जाती थी, जिससे वे अपने राजकीय पतियों की सच्ची सहयोगिनी बन सकें। युवराज-पत्नी होने के नाते सीता राजधर्म की जानकार थी (अभिज्ञा राजधर्माणाम्, २।२६।४)। कई कन्याओं को संगीत, नृत्य आदि ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। रावण के अंत पुर की रमणिया वाद्य-यंत्रों के प्रयोग में प्रवीण थी (५।१०।३७-४९)।

देवासुर-संग्राम में कैंकेयी का अपने पति के साथ जाना यह सिद्ध करता है कि लडकियाँ सैनिक-शिक्षा से भी वंचित नहीं रखी जाती थी। घोर युद्ध में अस्त्र-

१. सा क्षौमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा । अग्निं जुहोति स्म तदा मन्त्र-
वत्कृतमंगलम् ॥२।२०।२५

२. २।२९।८-९; ६।४८।२; २।२९।१७; २।३०।६; ५।२४।९१;
६।११३।४१; ३।९।१३-२३

३. अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयम् । नास्मि सप्रति वक्षतव्या
वर्तितव्यं यथा मया ॥२।२७।१०

शस्त्रो से जब महाराज का शरीर जर्जर हो गया और उनकी चेतना लुप्त हो गई, तब कौक्यी ने युद्ध-भूमि से दूर ले जाकर उनके प्राण बचाये थे (२।९।१५-६)। इससे सूचित होता है कि वह रथ-सचालन तथा प्राथमिक चिकित्सा से अवगत थी। शरीर से बलिष्ठ स्त्रियो का उन दिनों अभाव नहीं था। दशरथ के अश्वमेध-यज्ञ में अश्व की बलि चढाने का काम रानी कौसल्या के सुपुर्द था, उन्होंने तलवार के तीन वार करके घोड़े का शिरोच्छेदन किया था।^१ सचमुच वह एक शक्ति-सपन्न वीर धत्राणी रही होगी। लका में स्त्रियो से सशस्त्र पहरेदारो का काम लिया जाता था। सीता की राक्षसी पहरेदारनियें शस्त्रधारिणी महिला सैनिक थी।

अपने कौमार्य-काल में कन्याए पदे-जैसे नियत्रणो^१ अथवा अतिशय औपचारिकता के बधनो से मुक्त रहती थी। नगर के उद्यानो में वे आभूषणो से सज्जित होकर सायकाल के समय समूहो में क्रीडा करने जाया करती थी।^२ कुशनाभ-कन्याओ के आख्यान से यह ज्ञात होता है कि उन्हे बाहर घूमने-फिरने की स्वच्छदता प्राप्त थी। वस्त्राभूषणो से सजी हुई वे रूपवती युवती कन्याए जब गाती-बजाती और नृत्य करती हुई, शरत्कालीन विद्युत के समान, वाटिका में पहुचती, तब वायु-जैसे अलौकिक (उच्चपदस्थ) व्यक्ति भी मोहित हो उठते थे (१।३२)।

विवाह होने के बाद पितृ-गृह से पति-गृह आनेवाली कन्या 'वधू' का पद प्राप्त करती थी (उह्यते पितृगृहात् पतिगृहम् इति वधू)। नवविवाहित होने के कारण वह पति के परिवार में कुछ समय के लिए अजनबी बनी रहती थी। अत नये वातावरण से अभ्यस्त होने में उसे सप्रयास तत्पर हो जाना पडता था। परिवार के अन्य सदस्यो का स्नेहपूर्ण व्यवहार इसमें उसका सहायक होता था। विशेष रूप से सास अपनी अनुभवहीन पुत्रवधू को इस विषय में भली भाति शिक्षित करती थी कि असाधारण परिस्थितियो मे पति के साथ कैसा बतवि करना चाहिए।^३

१ कौसल्या त ह्य तत्र परिचर्य समन्तत । कृपाणोविशशासैन त्रिभिः परमया मुदा ॥१।१४।३३

२ उद्यानानि समागता । सायाह्ने क्रीडितुं यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः ॥ २।६७।१७, २।६०।९-१०, ७।२।१०-१ भी देखिए ।

३ आगच्छन्त्या च विजन वनमेव भयावहम् । समाहित हि मे श्वश्र्वा हृदये यत्स्थिर मम ॥२।११।८।७; २।३९।२०-५ भी देखिए ।

रामायण में सास-ससुर और पुत्र-वधू के बीच नितात स्नेहसिक्त सबध चित्रित हुए हैं। दशरथ और कौसल्या का अपनी पुत्रवधू सीता के प्रति हार्दिक और निश्छल स्नेह था। यह स्नेह राम के साथ सीता के वन जाते समय अतिशय चारु एव मार्मिक रूप में प्रकट हुआ है।

जहा तक पति के प्रति व्यवहार का प्रश्न है, वाल्मीकि ने पत्नी की ऐकात्मिक निष्ठा और सेवा-भावना का ही बारबार आग्रह किया है, और यह इसलिए कि 'पति ही पत्नी की एक-मात्र शरण है (गतिरेका पतिर्नार्या), उसके बिना वह जीवित रहने में भी समर्थ नहीं है। लोक और परलोक दोनों में पिता, पुत्र, माता, सखिया, आत्मा कोई भी नारी का अपना नहीं है, मात्र पति उसका एक सहारा है। जैसे बिना तार के वीणा नहीं बज सकती और पहिये के बिना रथ नहीं चल सकता, वैसे ही पति के बिना स्त्री को सुख नहीं मिल सकता, चाहे उसके सौ पुत्र भी क्यों न हो। पिता, माता, भाई, पुत्रवधू, ये सब अपने पुण्य-कर्मों का फल भोगते हुए अपने-अपने भाग्य को प्राप्त करते हैं, केवल पत्नी अपनी पति के भाग्य को प्राप्त करती है। पति आभूषणों से भी अधिक पत्नी की शोभा-वृद्धि करता है।' १

महाराज दशरथ को छोड़कर पुत्र के साथ वन चलने को उद्यत माता कौसल्या को राम ने जो उपदेश दिया था, उसमें तत्कालीन स्त्री-धर्म का आदर्श प्रस्फुटित हुआ है, जो आज तक भारतीय महिलाओं के लिए अनुकरणीय बना हुआ है (२।२४)। पत्नी के लिए उसका पति ही देवता, गुरु, सुहृद, गति, धर्म, प्रभु और सर्वस्व है। अतः उसकी सर्वतोभावेन भक्ति ही पत्नी का एक-मात्र कर्तव्य है। सुख-दुःख में, जीवन के उतार-चढ़ावों में पत्नी को पति की ही अनुगामिनी बनना चाहिए। 'ऊँचे-ऊँचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियों द्वारा आकाश में विचरना, इन सबकी अपेक्षा स्त्री के लिए किसी भी अवस्था में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्त्व रखता है। पिता, भाई और पुत्र—ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, किन्तु पति अपरिमित सुख का दाता है। अतः ऐसी कौन स्त्री है, जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी? स्वामी का त्याग स्त्री के लिए बड़ा क्रूरतापूर्ण कार्य है, सती-साध्वी नारियों के लिए

वह अकल्पनीय है। जाति और गुणों से उत्तम तथा व्रत-उपवास आदि में तत्पर होने पर भी जो नारी अपने पति की सेवा नहीं करती, उसे पापियों की ही गति मिलती है। देवताओं की पूजा और वदना से दूर रहकर भी जो स्त्री अपने स्वामी की सेवा में लगी रहती है, उसे उत्तम स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः नारी को अपने पति के प्रिय और हित में सलग्न रहकर सदा उसीकी सेवा करनी चाहिए। यही स्त्री का लोक और वेद में प्रसिद्ध सनातन धर्म है, इसीका श्रुतियों और स्मृतियों में भी वर्णन है।^१

तत्कालीन समाज पत्नी से कठोर अनुशासन एवं आत्म-त्याग की अपेक्षा रखता था। उसे पति के अवगुणों को आँखों से सर्वथा ओझल करके उसकी नि-स्वार्थ सेवा करनी होती थी। अनसूया के अनुसार 'अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हो या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं, उन्हें महान् अम्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना वर्तव्य करनेवाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, उत्तम स्वभाववाली नारियों के लिए वह श्रेष्ठ देवता के समान है' (२।११७।२३-४)। सीता ने भी इस दृष्टिकोण को सर्वथा अगीकार किया था—“मेरे पतिदेव यदि अनार्य और चरित्रहीन होते तो भी मैं बिना किसी दुविधा के उनकी सेवा में लगी रहती। फिर जब वह अपने गुणों के कारण सबकी प्रशंसा के पात्र हैं, दयालु और जितेन्द्रिय, स्थिर अनुरागवाले, धर्मात्मा तथा माता-पिता की तरह प्रिय हैं, तब तो उनकी सेवा में क्या दुविधा हो सकती है? स्त्री के लिए पति की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है” (२।११८।२-९)।

पतिव्रता एवं साध्वी नारियों की स्तुति से रामायण भरी पड़ी है। देवराज की पत्नी शची अपने पतिव्रत्यों के लिए प्रख्यात है। इसी प्रकार एक मुहूर्त के लिए भी चंद्रमा से विलग न होनेवाली रोहिणी तथा सावित्री और दमयंती हैं, जिन्होंने विपत्ति के कड़े थपेड़ों में भी पति का त्याग नहीं किया। पतिव्रताओं में अग्रगण्य जिस नारी का रामायण में काव्यात्मक चमत्कार के साथ वर्णन हुआ है, वह तो रावण के चगुल में पड़ी, सुवर्ण के समान दीप्तिमती, मलिन-वसना, दुःख-सतप्त, एकाग्र चित्त से राम के ध्यान में लगी हुई सीता है, जो पति-प्रेम के कारण ही सब प्रकार के भोगों को लात मारकर निर्जन वन में खली आई थी और जिन्होंने राक्षस-

राज के समस्त प्रलोभनो और प्रणय-प्रस्तावो को ठुकरा दिया था। यह दर्शनीय है कि सीता की पति-भक्ति विवाहोत्तर सुख-भोगो, वनवास के कष्टो, अपहरण के अपयश, राज्याभिषेक के गौरव और वैभव, तथा अतिम परित्याग की मर्मांतक वेदना-जैसी उत्तरोत्तर विषम परिस्थितियो में भी अखड और अविचल बनी रही। समस्त रामायण उस युग की इस आदर्शभूत महानारी का ही चरित्र-चित्रण है—काव्य रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरित महत् (१।४।७)।

कुछ ऐसी स्त्रियो के भी उदाहरण मिलते हैं, जो पति के प्रति अनुरक्त रहने पर भी कभी-कभी आवेश में आकर खिन्नता या असतोष प्रकट कर देती हैं। दशरथ की कैकेयी के प्रति पक्षपातपूर्ण प्रीति होने पर भी कौसल्या उनके प्रति पूर्ण भक्ति-समन्वित थी, किंतु वह भी एक बार राम से दशरथ के क्रूर उपेक्षा-भाव की शिकायत कर बैठी थी। राम के वन चले जाने के बाद कौसल्या ने पुत्र-शोक से पीडित होकर दशरथ पर, राम के प्रति अन्याय करने के कारण, आरोप-पर-आरोप लगाने आरंभ कर दिये थे, किंतु उनकी पातिव्रत्य की उदात्त भावना तब प्रकट होती है, जब दशरथ अजलिबद्ध होकर उनसे क्षमा-याचना करते हैं। तब कौसल्या अपनी गलती अनुभव करती है और, अपने असमय दोषारोपण से लज्जित हो, विनयपूर्वक अपने अपराध के लिए क्षमा मागती है, क्योंकि वह स्त्री, जिसके पति को उसकी अनुनय-विनय करनी पडती है, लोक-परलोक में कही प्रशंसा की पात्र नहीं बन सकती—

नैषा हि सा स्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमता ।

उभयोर्लोकयोर्लोकै पत्या या सम्प्रसाद्यते ॥ २।६३।१३

अडिग पति-भक्ति पत्नी में ऐसा आत्म-विश्वास उत्पन्न कर देती थी कि दुष्टो के चक्र में पडकर भी वह अपने सतीत्व की रक्षा करने में समर्थ हो जाती थी। घर में अकेली छोड दिये जाने पर भी वह अपने 'चारित्र' के बल पर सुरक्षित रहती थी।^१ अपने चरित्र पर जरा-सा आक्रमण भी पतिव्रता नारी के समस्त आक्रोश, तेज, प्रतिरोध-शक्ति तथा अदम्य उत्साह के विस्फोटन के लिए पर्याप्त था। सीता सौम्य और सुकुमार थी, ज्योत्स्ना-सी स्वप्निल और मृदुल, किंतु सतीत्व-रक्षा का प्रश्न आने पर वह भी एक निर्भीक वीरागना का रूप धारण कर लेती थी। पातिव्रत्य के प्रभाव से सुरक्षित सीता पर रावण को बलात्कार करने का

साहस कभी नहीं होता था ।^१ रावण के साथ सीता ने सदा घोर घृणा, उपेक्षा और तिरस्कार का व्यवहार किया (३।४७।३७, ४२-४) । उनका तेज ही रावण को हतप्रभ करने के लिए पर्याप्त था, केवल राम की आज्ञा के अभाव में और अपनी तपस्या को नष्ट करने के विचार से वह उसे भस्म नहीं कर रही थी ।^२

पतिपरायणा स्त्रियो का अपहरण करनेवाले की दुर्गति निश्चित मानी जाती थी । मदोदरी का विश्वास था कि पतिव्रता सीता की तपस्या ने ही रावण को नष्ट किया था, सीता का अपहरण करते समय ही वह जलकर खाक नहीं हो गया, यही आश्चर्य की बात थी । गुरुजनो की सेवा में लगी रहनेवाली, धर्मपरायणा तथा पतिव्रता कुल-ललनाओ को विधवा बनाकर और उन्हें अपमानित कर रावण ने अपने ही सर्वनाश को आमंत्रित किया था । सच है, पतिव्रताओ के आसू पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते—पतिव्रताना नाकस्मात्पत-त्यश्रूणि भूतले (६।११।६७) ।

जिस प्रकार पत्नी से पतिपरायणा होने की अपेक्षा की जाती थी, उसी प्रकार पति से भी यह आशा की जाती थी कि वह अपनी पत्नी का परित्याग न करे । सच्चरित्र, अनुरक्त, पतिप्राणा, सुख-दुःख में समान रूप से साथ देनेवाली पतिव्रता पत्नी का त्याग कैसे किया जा सकता है ! वीरो के लिए, शास्त्र-वेत्ताओ के लिए पत्नी का त्याग अनुचित और अपयशकारी है । अन्याय से त्यागी गई पत्नी के लिए मृत्यु के अतिरिक्त और क्या चारा हो सकता है ।^३

किंतु रामायण में दुष्ट पत्नी के परित्याग की अनुमति दी गई है । ऐसी परित्यक्ता स्त्रियो को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है । पहला वर्ग उन स्त्रियो का है, जो अपनी दुष्चरित्रता के कारण पति द्वारा त्याग दी जाती हैं तथा एक निश्चित अवधि तक प्रायश्चित्त करने के बाद पुन ग्रहण कर ली जाती हैं । ऐसा उदाहरण गौतम-पत्नी अहल्या का है (१।४८-९), जिसने देवराज इंद्र के साथ गुप्त रूप से रमण किया था । गौतम के वेश में आने पर भी इंद्र को अहल्या ने पहचान

१ इमामपि विशालाक्षीं रक्षिता स्वेन तेजसा । रावणो नातिवर्तेत वेलामिव महोदधे ॥६।११।१६, ३।३७।१४ भी देखिए ।

२ असन्देशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात् । न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह-तेजसा ॥५।२२।२०

३. २।२९।१९-२०, २।२७।३; २।३०।२०

लिया या, पर 'दिव्य-रति' का लोभ-सवरण वह न कर सकी। इस प्रकार वह जान-बूझकर व्यभिचार करने की अपराधिनी थी। उसकी इस चंचलता को फटकारते हुए गौतम ने उसे आश्रम से निकल जाने को कहा। उसके अनुनय-विनय करने पर गौतम ने इस शर्त पर उसे पुनः ग्रहण करना स्वीकार कर लिया कि वह एकात में रहकर दीर्घ काल तक प्रायश्चित्त-रूप तपस्या करे और कोसल-राजकुमार 'उसे निष्कलक मानकर उबार ले। तब अभिशप्ता अहल्या ने, लोगो की दृष्टि से दूर रहकर, अनुताप और तपस्या में अनेक वर्ष व्यतीत किये। विश्वामित्र के साथ राम के आने पर अहल्या ने उनका विधिवत अतिथि-सत्कार किया। उसकी अभ्यर्चना को स्वीकार करके राम ने अहल्या की समाज में पुनः प्रतिष्ठा का मार्ग खोल दिया। शाप-मुक्त और तप पूत होने पर अहल्या का अपने पति से पुनः समा-गम हुआ।

इसी वर्ग में सीता का उदाहरण भी रखा जा सकता है, जिनको राम ने लका-विजय के बाद अगीकार करने से इन्कार कर दिया था। यह परित्याग सीता के चरित्र में आशका-मात्र से प्रेरित हुआ था और लोकापवाद का भय ही उसका जनक था। अग्नि-शुद्धि के बाद राम ने उनको मुक्त हृदय से स्वीकार कर लिया था।

इससे दूसरे और कहीं अधिक बड़े वर्ग में वे स्त्रियाँ आती हैं, जिनका उनके पति सदा के लिए परित्याग कर देते हैं और अतः समय तक जिनके साथ उनका समझौता नहीं हो पाता। सुमत्र ने कैंकेयी को उसकी माता की कहानी सुनाई थी, जिसने अपने पति केकयराज के प्रति निपट स्वार्थपरायण और पत्नी के लिए सर्वथा अशोभनीय व्यवहार किया था और इसी कारण जिसके पति ने निःशक हो उसे छोड़ दिया था (२।३५)। ऐसा ही उदाहरण स्वयं कैंकेयी का भी है, जिसके साथ दशरथ ने अपना विवाह-संबंध विच्छिन्न कर लिया था। जब कैंकेयी ने दशरथ पर यह आरोप लगा कर कि आप अपने दिये वचनो से विमुख हो रहे हैं, राम को वन भेजने की अपनी माग तीन बार दुहराई, तब दशरथ ने आगबबूला होकर उससे यह स्पष्ट कह दिया—“ओ पापिनी, मैंने अग्नि के समीप मंत्र-पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था, उसे आज छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरा और अपने से जाये तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ।”^१ कहा जा सकता है कि यह घोषणा एकात कोप-

१. यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरग्नी पापे मया धृतः । सन्त्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया ॥२।१४।१४

भवन में की गई थी। अतः वाल्मीकि ने इस आशय के अधिक व्यापक और दारुण शाप को एक सार्वजनिक स्थान और अवसर के लिए रख छोड़ा है। जब वन की ओर जाते हुए राम के रथ की घूल दशरथ को दिखाई देने बंद हो गई, तब वह शोकार्त होकर धरती पर गिर पड़े। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए कौसल्या के साथ कैंकेयी भी आ पहुची थी। उसे देखते ही राजा की समस्त इन्द्रिया व्यथित हो उठी और वह कहने लगे—“कैंकेयी, तेरे विचार पापपूर्ण हैं, तू मेरे अगो मे हाथ न लगा, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू न तो मेरी स्त्री है और न सगिनी ही। तू ने धन में आसक्त होकर धर्म को त्यागा है, अतएव मैं तेरा परित्याग करता हूँ। अग्नि को साक्षी देकर जो मैंने तेरा पाणिग्रहण किया है, तेरे साथ अग्नि की जो प्रदक्षिणा की है, लौकिक सुख और पारलौकिक कल्याण के लिए उसका जो महत्व है, वह सब मैं त्याग देता हूँ” (२।४२।६-९)। अपनी इस प्रतिज्ञा को सतप्त राजा ने एकनिष्ठ होकर मरते दम तक निभाया। अंतिम क्षण उन्होंने कौसल्या के साथ ही विताये, अभागी कैंकेयी का राजा से उनकी मृत्यु-पर्यंत समझौता न हो सका। रावण के वध पर जब दिवगत महाराजा दशरथ, महेश्वर के अनुग्रह से, राम के समक्ष प्रकट हुए, तब राम ने उनसे कैंकेयी के परित्यागवाली अपनी प्रतिज्ञा लौटा लेने के लिए कहा था और दशरथ ने ‘एवमस्तु’ कहकर उनकी बात मान ली।

इस प्रकार कवि चाहता है कि ‘दशरथ और कैंकेयी के’ सबध-विच्छेद की घटना को पाठक गभीरतापूर्वक ग्रहण करे, उसे क्षणिक आवेश में कह दी जानेवाली उक्ति-मात्र न मानें। दशरथ के शाप देने से पहले जिन शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है, उनसे भी यह स्पष्ट है कि कैंकेयी-त्याग की इस घटना को वह उचित एव न्यायस्रगत मानता है।

नैतिक गुणों के अतिरिक्त आदर्श पत्नी में शारीरिक आकर्षण की भी अपेक्षा की जाती थी। पत्नी के मनोहर स्मित, हाव-भाव और कटाक्ष, तथा वाणी-भाव्युयं उसे पति के समस्त अनुराग का भाजन बना देते हैं। वाल्मीकि का युग सुदरियों का युग था। सीता, कैंकेयी, अहल्या, रभा, मेनका, हनुमान की माता अजना, तारा, मदोदरी आदि उसयुग की सुप्रसिद्ध सुदरिया थी, जिनका विस्तार से वर्णन कर वाल्मीकि ने आदर्श स्त्री-सौंदर्य का एक स्पष्ट चित्र उपस्थित कर दिया है।

१ ता नयेन च सम्पन्नो धर्मेण विनयेन च । उवाच राजा कैंकेयीं समीक्ष्य व्यथितेन्द्रिय ॥२।४२।५


६।

एक सर्वांगसुंदर नारी-रूप जगत की परम दुर्लभ वस्तु है (सर्वांगी सर्वरम्यो हि कश्चिच्चल्लक्ष्ये प्रजायते)। यद्यपि सामान्यतः समस्त स्त्रियो के शरीर की बनावट में, उनके अंग-प्रत्यंग में, एकरूपता पाई जाती है, तथापि किसी भी एक नारी-रूप को सभी के लिए आदर्श या उपमान नहीं कहा जा सकता। सघन कुंतल, रोमहीन मुखमंडल, उरोज-युग्म तथा लचीली सुकुमारता, ये शारीरिक विशेषताएं लगभग सभी स्त्रियो में समान होने पर भी, सूक्ष्म एवं कलात्मक दृष्टि से देखने पर, उनमें न्यूनाधिक अंतर, आकर्षण या अनाकर्षण, सहज ही दीख पड़ेगा। इसी कारण कवि ने



चित्र ६—घनुष-जैसा मस्तक

किसी विशिष्ट नारी के रूप को स्त्री-सौंदर्य की कसौटी नहीं माना है। इसके विपरीत प्रकृति या पशु-जगत में इतनी विभिन्नता नहीं देखी जाती। पशुओं या पेड़-पौधों में




चित्र ७—गजनासोर

आंगिक समानता के अधिक दर्शन होते हैं। एक ही नस्ल के दो पक्षियों या पशुओं अथवा एक ही पेड़ के दो पौधों में विशेष रूप-भेद दृष्टिगोचर नहीं होता। एक मुर्गी के अंडों में वही स्निग्धता और वही व्यवस्थित गोलाई मिलेगी, जो किसी भी अन्य मुर्गी के अंडों में होगी। एक पीपल के पत्ते में वैसा ही त्रिकोण और लहरदार पैना छोर मिलेगा, जैसा किसी अन्य पीपल के पत्ते में। मानव स्त्री-पुरुषों में ऐसी एकरूपता का

प्रायः अभाव होता है। सभवतः इसी कारण वाल्मीकि ने एक नारी के अग-प्रत्यग की तुलना किसी अन्य नारी के अग-उपाग से न कर पुष्पो-पल्लवो से, पशु-पक्षियों के अंगो से अथवा प्रकृति की विविध छटाओं से की है। इसका साक्ष्य रामायण में निर्दिष्ट नारी का निम्नलिखित स्वरूप-वर्णन है।


आदर्श सुदरी की आयु यौवन की दोपहरी में (श्यामा) और सुकुमारता लिये हुए होनी चाहिए। उसकी शरीर-यष्टि इकहरी (तन्वी) होनी चाहिए—सारा वदन




चित्र ८—कमल-नयन, मृग-नयन और भीम-नयन

गठा हुआ, समस्त अग समान रूप से बटे हुए, निर्दोष, कोमल तथा ऐसे आकर्षक और सौष्ठवयुक्त होने चाहिए कि देखते ही हठात् मुख से प्रशंसा निकल पड़े (वयु-श्लाघ्या)। उसके शरीर का रंग तपे हुए शुद्ध सोने के समान चमकदार (तप्तकाचन-वर्णाभा) या वृक्षों की कोपलों के समान हलकी लाली लिये (तरुप्रवालरक्ता)

होना चाहिए। सुदरी की बाहे मासल, गोलाकार और पत्तो के समान कोमल तथा पीठ रथ के कूबर (डडे) के समान सुदर होनी चाहिए (रथकूबरसकाशा)। मनोरम नाभि से सुशोभित पतला पेट सुदरता की निशानी




चित्र ९—कर-कमल



चित्र १०—पाणि-पल्लव

था। स्तन तो सौंदर्य के आधान होते थे। वाल्मीकि ने सर्वत्र 'पीनोत्तुग'—मोटे और उठे हुए—तथा स्वर्ण-कलशो या ताल-वृक्ष के पके फलो के समान सुपुष्ट एवं

रुचिर कुचो की प्रशंसा की है (३।४६।१९-२०)। सुदरता की दृष्टि से उरोजो का 'सहत', परस्पर सटा हुआ होना आवश्यक है। उनका पेट की तरफ झुकाव न होकर कधो की ओर उठाव होना चाहिए (२।९।४१)। जाघे हाथी की सूड (करिकराकारौ) या केले के पेड के तने की तरह (कदलीकाण्डसदृशौ) होनी चाहिए—गोल, भरी-पूरी, बलिष्ठ और सुदर। जाघो और कमर के बीच का भाग, जिसे नितब कहते हैं, कडा, भरा, फूला, चौडा,



चित्र ११—कदली-प्रतिस्पर्धी जघन

उठा हुआ, मुष्प, विस्तीर्ण और रोम-रहित होना चाहिए। मनोहर, मतवाली, स्वच्छ और विशाल आँखें गुदरता-मूचक मानी गई हैं। उनके काने लाली लिये हुए (रफ्तान्त) तथा चितवन लची हों। आँखों की पुनलिया वाली ही अच्छी मानी गई हैं (फृष्णतारके), जबकि पलकों गुदर, काली, पतली और घनी होनी चाहिए। वाल्मीकि ने आँखों की तुलना कमल, हरिण, मछली और मदिग से की है। कमलनयनी के नेत्रों में एक प्रकार की गभीर शांति का भाव पाया जाता है, मृगनयनी की आँखें भोली-भाली होती हैं, मीनाक्षी के नयन मछली-जैसे चंचल होते हैं और मदिग्रेक्षणा की आँखें नगीली और गस्ती-भरी होती हैं। भौंटे दो धनुषों की तरह गुदर, मुड़ी हुई और कानों तक फैली हुई होनी चाहिए (भ्रुवौ चापनिभे शुभे)। गुदर-मडल चाद-सा सुदर और चमकदार (शशिनिभम्) हो, वेदाग, स्वच्छ और धावों-फोड़ों से रहित (अव्य)। उभे देगते ही आँखें जैसे शीतल हो जाय—उनमें से जैसे कमल की-सी सुगंध निकलनी हो (पद्मोत्पलसुगधि)। नाक उठो हुई (उन्नतम्), ललाट केसों की लटों में थलकृत (सुकेशान्तम्) तथा स्वर मधुर हो। गुदर, मुड़ील और कोमल पैर, जो पृथ्वी से अच्छी तरह गट जाते हों और जिनके तलवे लाल और नख तावे-जैसे हों, सुदरी के आकर्षण में वृद्धि करते हैं (६।१२।५५)। चाल मतवाले हाथों के समान अलमाई हुई होनी चाहिए (अलसगामिनी, मत्तमातगगामिनी)। बाल काले, लंबे और घुघुरले हों (नीलकुचितमूर्धजा), उनकी बंधी हुई वेणों काले नाग के समान जघनो तक लटकती हों (नीलनागाभया वेण्या जघन गतचैकया, ५।१५।२४)। होठ गीले, चिकने, लाल और लुभावने होने चाहिए। उनकी उपमा विवाफल से दी गई है (विस्फलोपमोष्ठम्)। तावे का वर्ण भी हाँठों के लिए आदर्श माना गया है (ताम्रोष्ठम्)। दात मफेद, चमकते, निर्मल, पैने, समान आकारवाले, सटे हुए और चिकने होने चाहिए। हाथ पल्लवों-जैसे नरम (पल्लवकोमलौ) और कमल-दल की-सी थाभावले, अगुलियों के नख उठे हुए, आगे की ओर निकले हुए और लाली लिये हुए (रक्ततृगनसौ) तथा कमर इतनी पतली कि मुट्ठी से भी पकड़ी जा सके (फरान्तमितमध्या)। गदंन नरम और चदन-जैसी पीली तथा कद मशला हो।

किंतु पत्नी के रूप और जीवन का यह समस्त आकर्षण तभी पूर्ण और सार्थक हो सकता है, जब उसका हृदय उदार और स्वभाव भी सुदर हो। सच तो यह है कि पत्नी का सारा शारीरिक समोहन, उसके सारे श्रृंगार और प्रसाधन, उसके सर्वोत्कृष्ट भूषण पति के अभाव में निस्सार और निष्प्रभाव हो जाते हैं। पति-प्रेम

ही स्त्री का एक-मात्र शृंगार है। अतएव शारीरिक सौंदर्य के साथ-साथ अपनी गुणावली से भी पति के सुख-सतोष में अभिवृद्धि करना आदर्श पत्नी की कसौटी है। अपनी सुशीलता एवं मनस्विता के सहारे उसे पति का पूर्ण विश्वास-भाजन बनने का प्रयास करना चाहिए। पत्नी को 'प्रियंवदा' और 'मृदुभाषिणी' होना चाहिए— उसे सदा मुसकराकर बोलना चाहिए (स्मितपूर्वाभिभाषिणी)। पति-शुश्रूषा ही उसका सर्वोपरि धर्म है। पति के प्रति उसे किसी प्रकार के अनुचित या अप्रिय व्यवहार का दोषी नहीं बनना चाहिए। वाल्मीकि ने राम और सीता की झाकी चित्रित करते समय राम को तो स्वर्ण-शय्या पर आमीन और सीता को उनके पास खड़ी चवर डुलाते हुए दिखाकर पत्नी की विनम्रता, सेवा-भावना एवं प्रगाढ अनुरक्ति को मानो साकार रूप प्रदान कर दिया है (२।१६।१०)।

पति के प्रवास में होने पर स्त्री को विशेष विधि-नियमों का पालन करना पड़ता था। पति द्वारा निर्दिष्ट आदेशों का पालन पत्नी से नितात अभिप्रेत था। प्रातः काल जल्दी उठकर, स्नानादि से निवृत्त हो, उसे देव-पूजा में सलग्न रहना चाहिए। व्रत, उपवास और सत्य का पालन करना उसका प्रधान कार्य होना चाहिए। उसे सादा और स्वल्प वेश धारण करना चाहिए, शृंगार, आमोद-प्रमोद या खान-पान में उसे कोई आसक्ति नहीं रखनी चाहिए।^१ 'प्रोषितभर्तृका' (पति से विलग) पत्नी केवल एकवेषी धारण करती, प्रार्थना और व्रत-नियमों से अपने को बाधे रखती तथा एक तपस्विनी का जीवन व्यतीत करती थी। पति की स्मृति में ही उसके समस्त विचार केंद्रित रहते थे—उत्सुकता और व्यग्रता से वह पति के लौटने की अर्हतिश बाट जोहती रहती थी। पति के अतिरिक्त उसका कोई परमेश्वर नहीं होता था। क्षमा का आचरण, पृथ्वी पर शयन, नियमों का पालन, स्वधर्म का अनुसरण तथा पतिव्रता के आदर्शों का अनुगमन करने में ही उसका जीवन-यापन होता था (५।२८।१२)। किसी भी पर-पुरुष के सपर्क में, चाहे वह देवराज इंद्र ही क्यों न हो, उसे नहीं आना चाहिए। जब सीता से हनुमान ने अपनी पीठ पर बैठाकर राम के पास तुरत ले चलने का प्रस्ताव किया, तब सीता ने उसे अपने और राम के समान के लिए अनुपयुक्त समझकर विनयपूर्वक अस्वीकार कर दिया (५।३७।६२)।

१. तुलना कीजिए—न रामेण वियुक्ता सा स्वप्नुमर्हति भामिनी । न भोक्तं नाप्यलकर्तुं न पानमुपसेवितुम् ॥५।११।२

इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि ने गृह-कार्य में रत गृहिणी का कही वर्णन नहीं किया है। वह केवल इतना कहते हैं कि नववधू को अपने सास-ससुर के अधीन रहना चाहिए, उनका नित्य पादाभिवदन करना चाहिए (२।२६।३०-३२)। पति के भाइयों के साथ अपने ही भाइयों या पुत्रों-जैसा व्यवहार करना चाहिए। सभीको अपने सुशील, मृदु तथा सेवापरायण वर्ताव से प्रमत्न रखने की चेष्टा करनी चाहिए—आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्चोपसेविता (२।२६।३५)।

विवाहित स्त्रियाँ पति की कल्याण-कामना से व्रतो और नियमों का अनुष्ठान करती तथा ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देती थी। अपने प्रस्तावित यौवराज्याभिषेक के दिन जब दशरथ ने राम को बुला भेजा, तब सीता अपने पतिदेव को द्वार तक पहुँचाने आई और उन्होंने देवताओं से उनके हितार्थ मंगल-याचना की (२।१६।२१-५)। वन में भी सीता ने गंगा और कार्लिदी नदियों तथा न्यग्रोव वृक्ष की स्तुति की थी, जिसमें उनके पति का वनवास निरापद हो सके और उसकी समाप्ति पर वह सकुशल स्वदेश लौट सकें।

संक्षेप में, वाल्मीकि ने आदर्श पत्नी का यही चित्र उपस्थित किया है—शारीरिक आकर्षणों और नैतिक गुणावली से अलंकृत। ऐसी पत्नी ही पति की सुख-समृद्धि की मूल भित्ति है—जीवन-यात्रा के एकाकी मानव-पथिक को यही सेवा और सहानुभूति का पाथेय प्रदान करती है। सीता-जैसी आदर्श भार्या अपने पति के समस्त हृदय और मस्तिष्क को अपने में केंद्रीभूत कर लेती है।^१ दशरथ के कथनानुसार कौसल्या-सी आदर्श नारी में दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता सबके एकत्र दर्शन किये जा सकते हैं।^२ वसिष्ठ ने पत्नी को पति की आत्मा बताया था—आत्मा हि दारा सर्वेषां दारासग्रहवर्तिनाम् (२।३७।२४)। इसलिए जब तक मनुष्य के पत्नी नहीं होती और वह उससे सतानोत्पत्ति नहीं करता, तब तक वह अपूर्ण बना रहता है, पत्नी और पुत्र से युक्त होने पर ही वह पूर्णत्व प्राप्त करता है।^३ पति के वश में

१. तस्याश्च भर्ता द्विगुण हृदये परिवर्तते । अन्तर्गतमपि व्यक्तमाख्याति हृदये हृदा ॥१।७७।२७-८

२. यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च । भार्यावद्भगिनीवच्च मातृवच्चो-पतिष्ठति ॥२।१२।६८-९

३. तुलना कीजिए—अप्राप्य सदृशान्दराननपत्यः प्रमीयताम् । अनवाप्य

रहनेवाली पुत्रवती भार्या के रूप में जीवन के धर्म, अर्थ और काम, इन परस्पर-विरोधी पुरुषार्थों का मधुर समन्वय हो जाता है^१—अतिथि-पूजन, यज्ञ आदि में सहचरी बनकर वह धर्म में, मनोनुकूल होकर काम में और सुपुत्रवती होकर अर्थ में सहायक होती है।

अब तक ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह धारणा बन सकती है कि रामायण-कालीन नारी को मात्र कर्तव्यो का पालन करना पड़ता था और उसके अपने कोई अधिकार नहीं थे। ऐसी धारणा बनाना सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि स्त्रियो के अपने कुछ सुनिर्धारित अधिकार भी थे, जैसे भरण-पोषण का अधिकार, सपत्ति का अधिकार और वैवाहिक अधिकार।

पत्नी का सबसे बड़ा अधिकार और पति का सबसे बड़ा कर्तव्य था उसके भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था। भारतीय भावनाओं के लिए यह एक अकल्पनीय बात रही है कि पत्नी अपने पति का भरण-पोषण करे। सीता ने भर्त्सनापूर्वक उन नटो (शैलूषो) का उल्लेख किया था, जो अपनी स्त्रियो के दुराचार से अर्जित धन पर जीवन-निर्वाह करते हैं।^२ जहा 'पति' का अर्थ पत्नी का संरक्षक और 'भर्ता' का अर्थ पत्नी का भरण-पोषण करनेवाला है,^३ वहा 'भार्या' का अर्थ पति के साधनों की व्यवस्था करके उसका सर्वर्धन करनेवाली है। इसलिए पत्नी का संरक्षण करना, उसकी सुख-सुविधा का ध्यान रखना, उससे स्नेह और प्रीतिपूर्ण व्यवहार करना, उसे प्रसन्न रखने के लिए सचेष्ट रहना, कामोपभोग से उसे परितुष्ट रखना, पुरुष का नैतिक कर्तव्य है। राम के साथ बन चलने का आग्रह करते हुए भी सीता उनसे भोजनादि की व्यवस्था करने की अपेक्षा रखती ही है।^४ पति के लिए इससे

क्रियां धर्म्यां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२।७५।३५; यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्मा-
प्रजस्य च ॥१।१८।५१

१ धर्मार्थकामाः खलु जीवलोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु । ये तत्र सर्वे स्युर-
संशयं मे भार्येव वश्याभिमता सपुत्रा ॥२।२१।५७

२ शैलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥२।३०।८

३ भार्याया भरणाद् भर्ता पालनाच्च पतिः स्मृतः ।

४. पत्रं मूलं फलं यत्तु अल्पं वा यदि वा बहु । दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मेऽमृतरसो-
पमम् ॥२।३०।१५, २।२७।१४ भी देखिए ।

बढ़कर अशोभनीय बात और क्या हो सकती है कि वह स्त्री-पुत्रों की उपेक्षा करके घर में अकेले ही सुस्वादु भोजन का आस्वादन करे ?^१ चित्रकूट पर राम ने भरत से पूछा था—

कच्चित् स्त्रिय. सान्त्वयसे

कच्चित्तास्ते सुरक्षिता. ॥२१००१४९

‘क्या तुम अपनी स्त्रियो को सतुष्ट रखते हो ? क्या वे तुम्हारे द्वारा भली भाँति सुरक्षित हैं ?’

पुत्री के विवाह पर माता-पिता उसे जो कन्या-धन दिया करते थे, वह आधुनिक शब्दावली में उसका स्त्री-धन बन जाता था। इस धन या संपत्ति पर पत्नी का ही एकाधिकार रहता होगा। इसके अतिरिक्त, राजागण समय-समय पर अपनी रानियो को उपहार दिया करते थे, जिन पर बाद में उन रानियो का ही स्वत्व स्थापित हो जाता था। अपने राज्याभिषेक पर राम ने सीता को उत्तम मणियो से जडी हुई एक मोतियो की माला दी थी और यह माला सीता ने हनुमान को, उनकी अविस्मरणीय सेवाओं के बदले, अर्पित कर दी (६।१२८।७७-९)। अपनी संपत्ति से होनेवाली आय को रानिया दान-दक्षिणा देने में व्यय करती थी, क्योंकि उनकी निजी आवश्यकताएँ उनके पतिगण पूरी कर ही देते थे। कौसल्या को अपने आश्रितों का पालन करने के लिए एक हजार गाव मिले हुए थे।^२ कौसल्या के पास स्त्री-धन की प्रचुरता थी, ब्रह्मचारी छात्रों के समूह-के-समूह उनके पास सहायता की याचना करने आया करते थे।^३ पति के देहावसान के बाद भी पत्नी का अपनी संपत्ति पर अधिकार सुरक्षित रहता था। पुष्पक-विमान में सीता के साथ अयोध्या आनेवाली वानर-रमणिया दशरथ-पत्नियो की समृद्धि देखने को उत्सुक थी।^४

१. तुलना कीजिए—पुत्रदारैश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः । स एको मृष्टमश्नातु यस्यार्योऽनुमते गत ॥२।७५।३४

२. यस्या सहस्र ग्रामाणा सम्प्राप्तमुपजीविनाम् ॥२।३१।२२

३. मेखलीना महासघः कौसल्या समुपस्थितः ॥२।३२।२२

४. विभूर्ति चैव सर्वासा स्त्रीणा दशरथस्य च (पश्यामः इति शेषः) ॥६।१२३।५

पत्नी को वैवाहिक अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह स्पष्ट विधान दिया गया था कि उसके ऋतु-काल में पति को उससे अवश्य सहवास करना चाहिए—उस समय पति का अपना वैवाहिक कर्तव्य न निभाना सरासर पाप है। भरत ने उस 'दुष्टात्मा' की तीव्र भर्त्सना की है, जो अपनी ऋतु-स्नाता, और इसलिए गर्भ-धारण के लिए अनुकूल, भार्या को उसके अधिकार से वंचित रखता है।^१ जिस प्रकार पातिव्रत्य पत्नी की सर्वश्रेष्ठ निधि है, उसी प्रकार पति को भी अपनी ही पत्नी के प्रति अनुरक्त (स्व-दार-निरत) रहना चाहिए। धर्म-भयदा के प्रतिकूल अपनी पत्नी को त्याग कर पर-स्त्री का सेवन करनेवाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, वह भरत ने उस मूढ को लगाया था, जिसकी अनुमति से राम वन गए थे।^२

पति और पत्नी का क्रमश एक और कर्तव्य तथा अधिकार यह था कि समस्त धार्मिक क्रिया-कलापो में वे दोनों सहयोगी एव पूरक बनें। पति को दो प्रमुख ऋणो से उच्छ्रय करने में पत्नी सहायता देती थी—यज्ञ-यागादिक में सहयोग देकर देव-ऋण से तथा सतानोत्पादन कर पितृ-ऋण से। 'सहधर्मचारिणी' के रूप में पत्नी की यह प्रतिष्ठा इस बात की स्वीकृति थी कि नारी धर्मचरण में पुरुष की समकक्ष है। यह मान्यता थी कि पति-पत्नी सयुक्त रूप से अपना कर्म-फल भोगते हैं (भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ, २।२७।५)। जैसाकि पहले कहा जा चुका है, वह अपने पति की अर्धांगिनी, उसकी आत्मा ही थी। यज्ञानुष्ठान में उसके बिना दीक्षा लेना संभव न था। दशरथ की रानियो ने अश्वमेध-यज्ञ में सक्रिय योग दिया था। तारा ने (रूपकात्मक ढंग से) मृत वाली पर यह आरोप लगाया था कि आपने सग्राम-रूपी यज्ञ का संपादन तो किया, पर राम के बाण-रूपी जल में मेरे बिना अकेले ही कैसे यज्ञात का अवभृत् स्नान कर लिया ?^३

१ ऋतुस्नाता सतीं भार्यामृतुकालानुरोधिनोस् । अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योऽ-
नुमते गतः ॥२।७५।५२

२. धर्मदारान्परित्यज्य परदारान्निषेवताम् । त्यक्तधर्मरतिर्मूढो यस्यार्योऽ-
नुमते गतः ॥२।७५।५५

३ इष्ट्वा संग्रामयज्ञेन रामप्रहरणाम्भसा । तस्मिन्नवभृते स्नातः कथं पत्न्या
मया विना ॥४।२३।२७

राज्याभिषेक-सस्कार में पत्नी का पति से सयुक्त किया जाना भी पत्नी के महत्व को प्रमाणित करता है। राम के राज्याभिषेक में वसिष्ठ ने उन के साथ सीता को भी रत्नजटित सिंहासन पर बैठाकर अभिषेक किया था।^१ विधवा पत्नी को अपने स्वर्गत पति की और्ध्वदैहिक क्रिया में योग देने का अधिकार था। कौसल्या आदि रानियो ने दशरथ की प्रज्वलित चिता की प्रदक्षिणा की थी।^२ वाली की श्मशान-यात्रा में उसकी पत्निया शामिल हुई थी।^३ ऐसे अवसरो पर स्त्रिया प्रायः आगे-आगे चला करती थी।^४ दिवगत पितरो का तर्पण करने की भी वे पात्र मानी जाती थी।^५

सामान्यतः यज्ञादिक धार्मिक कृत्य पति और पत्नी सयुक्त रूप से ही किया करते थे। यदि किसी कारणवश उनमें पति का सहयोग न मिल पाता तो पत्नी उन कृत्यों को अकेली ही कर सकती थी। पत्नी की अनुपस्थिति में पत्नी को दैनिक अग्निहोत्र करने का अधिकार था। तपस्या, वेदाध्ययन, देव-पूजा तथा सध्योपासन से वे वंचित नहीं रखी जाती थी। राम के हितार्थ कौसल्या ने स्वयमेव एक स्वस्ति-याग किया था (२।२०।१५-९), क्योंकि दशरथ उस समय रुष्ट कैकेयी को मनाने में लगे थे। तारा ने भी अकेले ही वाली के मंगल के लिए स्वस्त्ययन किया था,^६ क्योंकि वाली तो उस समय सुग्रीव की ललकार सुनकर उससे मोर्चा लेने की तैयारी में लगा था और इस कारण तारा के स्वस्त्ययन में योग नहीं दे सकता था। ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि यज्ञ-यागादिक में स्त्रियों का योग मात्र सैद्धांतिक

-
- १ राम रत्नमये पीठे ससीत सन्यवेशयत् । ६।१२।५१-६१; ६।४।६ भी देखिए ।
 २. प्रसव्य चापि त चक्रुः . अग्निचित नृपम् । स्त्रियश्च शोकसन्तप्ताः कौसल्या-प्रमुखास्तदा ॥२।७।२०
 - ३ ताराप्रभृतयो सर्वा वानर्यो हतबान्धवाः । अनुजग्मुश्च भर्तार क्रोशन्त्यः कुरुणस्वना ॥४।२५।३५-६
 - ४ सीता पुरस्ताद्ब्रजतु त्वमेनामभितो ब्रज । अहं पश्चाद्गमिष्यामि गतह्येषा सुदारुणा ॥२।१०।३।२१
 - ५ कृत्वोदकं ते भरतेन सार्धं नृपागना । २।७।२३
 - ६ ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्विजयैषिणी । ४।१६।१२

न होकर वास्तविक था और प्रायः पतिगण व्यस्त होने पर उनका संचालन पत्नी के ही सुपुर्द कर देते थे।

विनम्रता की प्रतिमूर्ति होने पर भी हिंदू पत्नी अनुचित रूप से अपमानित, प्रताडित या लाञ्छित किये जाने पर प्रज्वलित क्रोधाग्नि का रूप धारण कर लेती थी। जब दशरथ कैकेयी को दिये गए अपने वचनों से विमुख होने लगे, तब कैकेयी ने अपने समस्त नारी-बल का आश्रय लेकर आक्रोशपूर्वक उन्हें लताडा था। राम को दंडित करने में असफल खर राक्षस को शूर्पणखा ने बहुत बुरा-भला कहा था और बाद में उसने रावण की भी, राजकीय कर्तव्यों की उपेक्षा करके विषय-भोगों में लिप्त रहने के कारण, तीव्र आलोचना की थी। जब कौसल्या ने सीता को, वन-गमन के समय, दुष्टा स्त्रियों का-सा आचरण न करने का परामर्श दिया, तब सीता ने हाथ जोड़कर, किंतु एक गर्विता क्षत्राणी के ओज से, यह निवेदन किया था कि आप मुझे असती नारियों के समकक्ष कैसे रख रही हैं।^१ लका-विजय के बाद सार्वजनिक रूप से अपना प्रत्याख्यान किये जाने के समय सीता ने सयत् शब्दों में अपना रोष प्रकट किया था।

यह निर्विवाद है कि नारियाँ तत्कालीन युग की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को अत्यधिक रूप से प्रभावित करती थीं। सीता और कैकेयी-जैसी नारियों ने राष्ट्रों का भाग्य-परिवर्तन कर दिया है। पत्नी के समान की रक्षा-भावना ने पुरुषों को दुर्धर्ष शत्रुओं से बैर ठानने के लिए प्रेरित किया है। पत्नी का अपमान स्वयं अपना, अपने कुल का अपमान है, जिसकी उपेक्षा कोई भी अभिजात-वर्गीय नहीं कर सकता। सीता का विराध द्वारा अपहरण किये जाने पर राम ने कहा था कि विदेहनदिनी का कोई पर-पुरुष स्पर्श करे, इससे बढ़कर दुःख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है, पिता का मरण और राजपाट से मेरा वंचित किया जाना भी उतना दुःखदायी नहीं है।^२ रामायण का मुख्य घटना-चक्र रावण द्वारा सीता के अपहरण के इर्द-गिर्द घूमता है। वाली और मायावी के बीच एक स्त्री के

१ अभिज्ञास्मि यथा भर्तुर्वर्तितव्यं श्रुतं च मे । न मामसज्जनेनार्या समान-
यितुमर्हति ॥२।३१।२७-८

२ परस्पर्शात्तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति मे । पितुर्विनाशात् सौमित्रे स्व-
राज्यहरणात्तथा ॥३।२।२१

कारण ही शत्रुता के बीज बोये गए थे।^१ अपनी पत्नी रुमा के अपहरण ने सुग्रीव को वाली का कट्टर शत्रु बना दिया था। सीता को पाने में असफल होने पर अनेक निराश राजाओं ने जनक पर आक्रमण कर दिया था।^२

राजनीतिक क्रातियों के पीछे नारी की शक्ति, नारी का प्रभाव निहित था। इक्ष्वाकु-परिवार में उत्तराधिकार का झगडा रानियों के पारस्परिक वैमनस्य का ही परिणाम था। नारियों की शासन करने की योग्यता के भी सकेत मिलते हैं। उन्हें राजकीय अधिकारों का सौपा जाना सर्वथा सम्भव और व्यावहारिक माना जाता था। रावण ने सीता का लका के महाराज्य पर अभिषेक करने का प्रस्ताव किया था।^३ नारी की प्रशासनिक योग्यता का एक और प्रमाण वसिष्ठ ने दिया है, जिन्होंने कैकेयी को सुझाव दिया था कि राम की आत्मा होने के नाते सीता, उनके वन चले जाने पर, उनकी प्रतिनिधि के रूप में राज्य का शासन-संचालन करेंगी।^४ स्त्री को इस प्रकार का अधिकार प्रदान करना सर्वथा व्यवहार्य एवं समीचीन रहा होगा, अन्यथा अपने युग की प्रथाओं और परंपराओं के जानकार महात्मा वसिष्ठ ऐसा प्रस्ताव कैसे उपस्थित करते ?

गृहस्थी की आंतरिक व्यवस्था में भी पत्नी का ही सर्वाधिक प्रभाव था। कोई लाडली रानी अपने राजकीय पति को कितना अभिभूत कर सकती है, यह कैकेयी-शासित दशरथ के उदाहरण से प्रकट है। इसी प्रकार राम भी काचन मृग को पकड लाने के सीता के दुराग्रह को नहीं टाल सके, यद्यपि वह यह जानते थे कि

१. मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुन्दुभे सुतः । तेन तस्य महद्वरं वालिनः स्त्रीकृत पुरा ॥४१९१४
२. अरुन्धन् (बलेन फन्या ग्रहीष्यामः, इत्यर्थः) भियिला सर्वे (राजान.) वीर्यसन्देहमागता ॥१६६१२१
३. यविह राज्यतन्त्र मे त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् ।, ३५५११६; लकायाः सुमहद्राज्यमिद त्वमनुपालय । अभिषेकजलक्लिन्ना तुष्टा च रमयस्व च ॥३५५१२६-७
४. अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम् । आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम् ॥२१३७१३-४

स्वर्ण-मृग एक असंभव चीज है और संभव होने पर भी राक्षसों के किसी षड्यंत्र का ही द्योतक है। साधारण नागरिकों के यहाँ भी पत्नी का प्रभाव उपेक्षणीय नहीं था। पति की गलतियों का परिहार करना वे अपना उत्तरदायित्व समझती थी। जब अयोध्या के नागरिक, राम के साथ वन जाने में असफल होने पर, लौट आये, तब उनकी पत्नियों ने उन्हें, राम का साथ छोड़ देने पर, उपालभ दिया था। युद्ध-क्षेत्र में पीठ दिखाने पर सैनिकों को यह भय रहता था कि हमारी पत्नियाँ हमारा उपहास करेगी।^१ जब भरत ने सेना-सहित चित्रकूट जाकर राम को लिवा लाने का अपना निश्चय घोषित किया, तब अयोध्या में घर-घर में योद्धागनाएँ हर्षित होकर अपने पतियों को इस शुभ यात्रा के लिए प्रेरित करने लगी थी।^२

पत्नी के जीवन की गौरवमय परिणति, उसके व्यक्तित्व का पूर्णतम विकास मातृत्व में जाकर होता था—वश-प्रवर्तन ही उसके समस्त स्नेह और सौंदर्य की सफलता का सूचक था। भारत में अनुरूप पत्नी से पुत्र-प्राप्ति सदा से विवाहित आनंद का चरम रूप माना जाता रहा है। अपने अगाध से, हृदय के सुकुमार तनुओं से एक नूतन संप्राण पदार्थ की सृष्टि करके उसका जगतीतल पर नवोन्मेष करना—नारी के अस्तित्व की इससे बढ़कर और क्या प्रतिष्ठा हो सकती है? पुत्र-प्रसव करके पत्नी वास्तव में अपने पति को ही पुनर्जन्म देती है, इसलिए वह 'धात्री' और 'जननी' कहलाती है। सतान में इस प्रकार पत्नी का रूप और गौरव तथा पति का प्रेम ही मूर्त नहीं होता, वश-वृद्धि की उच्चतर सामाजिक मांग भी पूर्णतया सतुष्ट हो जाती है।

मातृत्व के इस गौरव-गान के समक्ष वध्या स्त्री की दयनीयता और भी अधिक विषादजनक हो जाती है। निःसतान होने का दुःख उसे निरंतर सालता रहता है।^३ अतः प्रत्येक अनुरक्ता पत्नी का मातृ-पद पाने के लिए समुत्सुक रहना

-
१. निरायुधानां क्रमतामसंगतिपौरुषाः । दारा ह्युपहसिष्यन्ति स वै घातः
सुजीवताम् ॥६।६६।२०
 २. ततो योद्धांगनाः सर्वा भर्तृन्सर्वान्गृहे गृहे । यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयन्ति
स्म हर्षिताः ॥२।८५।२५
 ३. एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः । अप्रजास्मीति सन्तापः... ॥
२।२०।३७

स्वाभाविक था। सच तो यह है कि पत्नी को पति के साथ पुत्र-प्राप्ति की इच्छा से ही सहवास करना चाहिए, यौन सुख की प्राप्ति के लिए नहीं। बालकांड में पार्वती का पुत्र की अभिलाषा से शिव से सयुक्त होने का आख्यान वर्णित है। जब देवों ने असमय विघ्न डालकर उन्हें अकृतकार्य कर दिया, तब पार्वती ने रुष्ट होकर उन्हें अपनी पत्नियों को गर्भित कर देने में असमर्थ हो जाने का शाप दिया था। इसी प्रकार पृथ्वी को भी पुत्र-पुत्र से वंचित रहने का शाप मिला, क्योंकि पृथ्वी ने भी पार्वती की पुत्रेच्छा को पूरा नहीं होने दिया था। नि सतान हो जाने का शाप पाकर देवगण बड़े व्यथित हुए थे। पत्नी का बध्यात्व पति के लिए अपार मनोवेदना का विषय था (१।३६)।

प्राचीन भारतीयों ने वैवाहिक सवध को सदा मातृत्व और पितृत्व के महान आदर्शों से गौरवान्वित किया था। वे वर और बधू का चुनाव दपती के भावी सुख की दृष्टि से नहीं, वरन ऐसे सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से किया करते थे, जो कुल-क्रम को अविच्छिन्न बनाये रख सके। कन्या के अखंड कौमार्य और वर के सच्चरित्र का आग्रह उनकी भावी सतान की श्रेष्ठता और शुद्धता के लिए ही किया जाता था। अभिजात राजकुमारियों का तपोनिरत, जितेंद्रिय एव कीर्तिलब्ध महामुनियों की सेवा में उपस्थित होकर उन्हें आर्काषित करना और उनकी अर्धांगिनी बनने को लालायित होना भी यही सिद्ध करता है कि विवाह दपती की तात्कालिक यौन भावना की परितृप्ति का नहीं, प्रत्युत ऐसी सवल, स्वस्थ एव विशुद्ध सतति प्राप्त करने का साधन था, जो माता-पिता के सद्गुणों का कात समिश्रण हो। अनेकानेक मर्त्य कुमारिकाओं का अमर्त्य देवों के सपर्क स्थापित कर उन्हींके समान तेजस्वी पुत्रों को जन्म देना भी वश-परपरा को श्रेष्ठ बनाने की इच्छा से ही प्रेरित रहता था। प्रतीत होता है कि हमारे प्राचीनों को कुल-क्रम की अविच्छिन्नता और तेजस्विता बनाये रखना ही अधिक इष्ट था, चाहे इससे विवाह की सकुचित परिधि का उल्लघन ही क्यों न होता हो।

कुछ उदाहरण देखिए। राक्षस सुमाली ने अपनी पुत्री कैंकसी से कहा था—“बेटी, तुम स्वयं जाकर महर्षि पुलस्त्य के पुत्र मुनिवर विश्रवा को अपना पति बनाओ। इससे तुम्हारे धनेश्वर कुबेर-जैसे तेजस्वी पुत्र होंगे, जो राक्षस-जाति का सवर्धन करेंगे” (७।९।१२-३)। गधर्वी सोमदा ने, जिसका ‘न कोई पति था और जो न किसीकी पत्नी’ थी, चलि ऋषि को अपनी सेवा से प्रसन्न कर ब्राह्म तेज

से युक्त पुत्र-रत्न की याचना की थी (१।३३।१७)। कामातुर वायुदेव ने वानर-राज केसरी की पत्नी अजना का सतीत्व-भग करना चाहा, उस वानर-सुदरी का विरोध वायु के यह वचन देने पर शीघ्र ही शांत हो गया कि तुम्हारे मेरे ही समान तेजस्वी, बुद्धिमान एवं शीघ्रगामी पुत्र होगा (४।६६।१८-९)। वर्तमान भारतीय समाज के विपरीत, रामायणकालीन समाज विवाह की परिधि से बाहर उत्पन्न होनेवाली सतान को घृणा या उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखता था, माताओ का पथभ्रष्ट होना पुत्रो की प्रगति में बाधक नहीं होता था। चूलि ऋषि के 'मानस' पुत्र ब्रह्मदत्त, अपनी माता के अज्ञात-कुल-शीला होने पर भी, महाराज कुशनाभ की कन्याओ का पाणिग्रहण करने के योग्य समझे गए। इद्र के साथ व्यभिचार करनेवाली अहल्या के पुत्र शतानंद महाराज जनक के राज-पुरोहित बन गए।

मनोवाञ्छित सतान पाने के लिए गर्भवती को आचार-विचार की आत्यंतिक शुद्धि रखनी आवश्यक थी। कश्यप ने अपनी पत्नी दिति से कहा था कि यदि तुम नियत समय तक आचार की पवित्रता भग न करो तो तुम्हें इद्रजयी पुत्र की उपलब्धि हो सकती है।^१ असमय समागम का सतति पर कुप्रभाव पड़ता था। कैकसी ने विश्रवा से पुत्र की अभ्यर्थना सध्या के अशुभ समय में की थी, अतः उसकी सतान क्रूरकर्मा एवं भयकर-दर्शन राक्षस बनी।^२

पत्नी में गर्भ के लक्षण देखकर पति की प्रसन्नता का पारावार न रहता था। भावी पिता प्रसव-काल में पत्नी के प्रत्येक मनोरथ को परिपूर्ण करने की चेष्टा करता था। गर्भवती की इच्छाओ की परितुष्टि करना पति का पावन कर्तव्य था।

अल्प वय में ही किसी बालक का मेधावी बन जाना, प्राचीनो के अनुसार, इस बात पर निर्भर करता है कि गर्भविस्था में माता कैसी परिस्थिति और कैसे वातावरण में रहती है। हमारे पुराण-साहित्य में वैदिक विद्वानो की ऐसी गर्भवती पत्नियों के आख्यान वर्णित हैं, जो अपने पतियों के साथ वेदाध्ययन करती थीं,

१. पूर्णं वर्षसहस्रे तु शुचिर्यदि भविष्यसि । पुत्रं त्रैलोक्यहन्तारं मत्तस्त्वं जनयिष्यसि ॥१।४६।६

२. सुताभिलाषो मत्तस्ते मत्तमातंगामिनी । दारुणायां तु वेलायां यस्मात्त्वं समुपस्थिता ।...तस्मात्...प्रसविष्यसि सुश्रोणि राक्षसान् क्रूरकर्मणः ॥ ७।९।२२-४

जिमके परिणामस्वरूप उनके पुत्र समय से पहले ही वौद्धिक प्रतिभा का परिचय देने लगते थे और शीघ्र ही अपने पिताओं की तरह सत और शास्त्रज्ञ बन जाते थे। उत्तरकांड में कथा आती है कि पुलस्त्य मुनि की पत्नी गर्भ-काल में उनका वेद-पाठ श्रवण करती रहती थी, इस कारण उसका पुत्र 'विश्रवा' कहलाया। विश्रवा भी छोटी आयु में ही वैदिक अध्ययन में निरत हो गए और शीघ्र ही अपने पिता की तरह धर्मपरायण, व्रत-रत, पवित्र और शीलवान बन गए (७।२।३१-३)।

एक सामान्य मान्यता यह प्रचलित थी कि नवजात शिशु और सद्य प्रसूता माता को हानि पहुंचाने के लिए भूत-पिशाच ताक में रहते हैं। आचार में लेश-मात्र स्वलन भी इन अशुभ बाह्य तत्वों को अपना दुष्प्रभाव डालकर गर्भ को नष्ट कर डालने का अवसर दे देता है। इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के टोटकों का प्रयोग प्रचलित था। कश्यप ने अपनी पत्नी को पुत्र-प्रसवा होने का वर देकर गर्भ-रक्षा के लिए जादू-टोना किया था। इच्छित सतान के जन्म में अवरोधक अशुभ तत्वों के निवारणार्थ उन्होंने पत्नी का हाथ से परिमार्जन किया, फिर उसका आर्लिंगन किया और 'स्वस्ति' शब्द का उच्चारण करके मंगल-कामना की।^१ इसी प्रकार मीता के गर्भ से लव-कुश के प्रसूत होने पर उनकी प्रेत-वाधा-निवृत्ति के लिए तुरत महर्षि वाल्मीकि को बुलाया गया। महर्षि ने कुशाओं का एक मूठा और उनके लव (नीचे के भाग) लेकर उनके द्वारा उन दोनों बालकों की भूत-वाधा-निवारण करने के लिए रक्षा की व्यवस्था की (७।६६।५-६)।

गर्भपात या असमय प्रसव को 'गर्भ-परिस्रव' या 'गर्भ-स्कन्न' कहते थे। भ्रूण हत्या एक निन्दित पाप थी। कठिन प्रसव की दशा में गर्भाशय की शल्य-क्रिया की जाती थी (५।२८।६)। राम-राज्य के वर्णन में वाल्मीकि ने कहा है कि उस समय स्त्रियां विना किसी खतरे के मतान-प्रसव किया करती थी—अरोगप्रसवा नार्यः (७।४१।१९)। इसमें तत्कालीन प्रसव-विज्ञान की प्रगति का आभास मिलता है।

मतान के व्यक्तित्व-निर्माण में माता का क्या योग होता है? एक लौकिक कथावत के अनुसार, पुत्र अपने पिता की तरह और कन्याएँ अपनी माता की तरह

१. एवमुक्त्वा महातेजा पाणिना सममार्जं ताम् । तामालम्य तत स्वस्ति
इत्युक्त्वा तपसे ययौ ॥१।४६।७

होती है—पितृन्समनुजायन्ते नरा मातरमंगनाः (२।३५।२८) । उदाहरण-स्वरूप सुमित्र ने कैकेयी का दृष्टांत दिया, जिसने अपने दोनो वर मागने का स्वार्थ-पूर्ण दुराग्रह करके जाने-अनजाने अपनी माता का ही अनुकरण किया था।^१ एक और कहावत यह है कि मनुष्यों का चरित्र माता के ही अनुकरण पर निर्मित होता है, पिता के अनुकरण पर नहीं—न पित्र्यमनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति (२।१६।३४) । शारीरिक दृष्टि से भी प्रजनन में माता ही प्रमुख योग देती है, पिता तो जीव के जन्म में निमित्त-मात्र होता है।^२

वाल्मीकि की दृष्टि में गौ का अपने वत्स के प्रति जो ममत्व है, वही मातृ-स्नेह का सच्चा आदर्श है। इसीलिए वह मातृ-प्रेम की प्रगाढता दिखाने के लिए उसकी उपमा गौ के वत्स-प्रेम से देते हैं। उदाहरणार्थ, राम को वन जाते देखकर कौसल्या उनका अनुगमन करने के लिए उसी प्रकार उद्यत हो गईं, जिस प्रकार गौ अधीर होकर अपने बछड़े के पीछे दौड़ी चली जाती है।^३ पुत्र से विरहित अपनी दशा की समता वह वत्स-विहीन गौ से करती है।^४ राम के लिए विलाप करती दशरथ के अंत पुर की रानिया वत्सो से विछुड़ी हुई गौओं के समान थी (विवत्सा इव धेनवः, २।४१।७) । जब राम रथ में बैठकर वन की ओर शीघ्रता से जाने लगे, तब धर्म के बधन में बधे होने के कारण वह रस्सी से बधे बछड़े की भांति अपनी माता को न देख सके—

स बद्ध इव पाशेन किशोरो मातर यथा ।

धर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाशं नाभ्युदेक्षत ॥२।४०।४०

माताए अपने पुत्रों को सौतेले भाइयों से बढा-चढा बनने को उकसाती रहती थी। रावण के जोर-शोर-भरे जीवन की रूपरेखा उसकी महत्वाकांक्षिणी माता कैकसी

१. न हि निम्न्रात्स्त्रवेत्क्षीद्रं लोके निगदितं वच. । तव मातुरसद्ग्राहं विद्म पूर्वं यथा श्रुतम् ॥२।३५।१७-८

२. बीजमात्र पिता जन्तोः शुकं शोणितमेव च । संयुक्तमृतुमन्मात्रा पुरुषस्येह जन्म तत् ॥२।१०८।११

३. अनुव्रजिष्यामि वनं त्वयैव गौः सुदुर्वला वत्समिवाभिकांक्षया । २।२०।५४; २।२४।९ भी देखिए ।

४. गताहमद्यैव परेतसंसदं विना त्वया धेनुरिवात्मजेन वै । २।२०।५३

न निर्धारित की थी। उसने रावण को अपने सौतेले भाई वैश्रवण से अधिक प्रतापी बनने की प्रेरणा दी थी। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक कैंकसी रावण को सत्परामर्श देती रही। राम को सीता लौटाकर उनसे सधि कर लेने का भी उसने उपदेश दिया था (६।३४।२०-३)।

माता के प्रति पुत्रों के स्नेह और आदरपूर्ण भाव थे। पारिवारिक जीवन का वह केंद्र-बिंदु थी। माता को अनजाने में भी दुःख पहुंचने पर पुत्र अपने को निकृष्ट मानने लगता था, जैसा कि वन में राम के अपनी असहाय माता के लिए किये गए विलापो से प्रकट है। राम के रूप में हमें उस आदर्श पुत्र के दर्शन होते हैं, जो अपनी सौतेली माताओं के प्रति सगी माता का-सा व्यवहार करता है। वन जाते समय उन्होंने सीता से कहा था कि तुम अयोध्या में ही रहकर मेरी सौतेली माताओं की समान भाव से सेवा करती रहना, क्योंकि स्नेह, प्रेम और सेवा, इन सभी दृष्टियों से सब माताएं मेरे लिए समान हैं—स्नेहप्रणयसम्भोगं समा हि मम मातरं (२।२६।३२)।

रामायण में एक रोचक प्रश्न यह उपस्थित किया गया है कि पति और पुत्र, इन दोनों में से कौन पतिव्रता नारी के स्नेह का अपेक्षाकृत अधिक अधिकारी है। यो तो इस प्रश्न के उत्तर-स्वरूप कैंकेयी का उदाहरण मौजूद है, जिसने अपने पति को मर्मांतक कष्ट पहुंचाकर भी अपने पुत्र के हितों को सर्वोपरि रखा। किंतु उसके आचरण की सर्वत्र कटु निंदा की गई है। अयोध्या के नागरिक उसे लोभ के कारण मूढ़-बुद्धि मानते थे—ऐसा लोभ, जिसने उसे अपने पति से भी विमुख कर दिया—और उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि कैंकेयी के जीते-जी हम उसके राज्य में नहीं रहेंगे (२।३३।२१-६)। कौसल्या भी अपने प्रगाढ़ मातृ-स्नेह से प्रेरित हो दशरथ को छोड़कर राम के साथ वन जाने को उद्यत हो गई थी। पर राम ने उन्हें रोकते हुए समझाया कि जब तक धर्मात्मा महाराज जीवित है और स्वधर्म में स्थित है, तुम किसी दीन विधवा की तरह मेरे साथ कैसे चल सकती हो।^१ सुमत्र ने पति का अमंगल करनेवाली कैंकेयी को खूब फटकारकर कहा था कि पत्नी के लिए पति की इच्छा करोड़ों पुत्रों से भी बढ़कर होनी चाहिए—भर्तुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते (२।३५।८)। विधवा तारा को अगद-जैसे सौ पुत्रों की अपेक्षा

१ तस्मिन् पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः स्वे पयि वर्तमाने । देवी मया सार्ध-मितोऽभिगच्छेत् कथस्त्रिदन्या विधवेव नारी ॥२।२१।६१

अपने मृत पति के अंगों का आलिंगन अधिक सुगन्धकर मालूम देता था।^१

पुरुष और स्त्री के दापत्य मन्त्रों के विषय में ऊपर जो कुछ कहा गया है, उनको देखने हुए कुल-स्त्री के लिए वैधव्य में बड़कर और कोई विपत्ति नहीं हो सकती थी (भयानामपि सर्वेषां वैधव्य व्यसनं महत्, ७।२५।४३)। किन्तु पति के शरीरगत पर पत्नी अपने जीवन का अंत नहीं कर लेती थी। पति की चिंता पर विधवाओं के गती हो जाने की प्रथा का रामायण प्रायः समर्थन नहीं करती। दशरथ अथवा रावण की विधवा स्त्रियों में से कोई भी अपने पति का महगमन नहीं करती। हा, दशरथ की मृत्यु पर कौमल्या अपने विलापो में यह उद्गार अवरथ प्रकट करती है कि एक पतिव्रता के नाने में महाराज के शरीर का आलिंगन करके अग्नि में प्रवेश करूंगी—इदं शरीरमास्मिन् प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् (२।६६।१२)। किन्तु शीघ्र ही 'व्याघ्रान्किक' अर्थात् लोकाचार जाननेवाले व्यक्ति उन्हें वहाँ से हटा देते हैं (धृषपनिन्दु)। इससे यह स्पष्ट है कि सती-प्रथा गर्ववा अन्तर्होनी बात न होती है भी समाज में सामान्यतया प्रचलित नहीं थी और न विवेकशील लोगों में उसे मान्यता ही प्राप्त थी। जब दशरथ ने कैकेयी से यह कहा कि मेरे मरने और राम के वन चले जाने के बाद तू विधवा होकर अपने पुत्र के साथ राज्य करना (सेदानो विधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि, २।१२।९३), तब स्पष्ट ही दशरथ ने कैकेयी के गती हो जाने की कल्पना नहीं की थी।

उत्तरकाण्ड में सती होने की एक घटना का उल्लेख आता है। गर्जपि कुशध्वज को रान में मोने नमय शम्भु नामक दैत्य ने मार डाला था। इस पर कुशध्वज की पत्नी ने पति के शव का आलिंगन करके अपने को अग्नि में होम दिया था।^२ नमस्त्वं रामायण में सती-प्रथा का यही एक उदाहरण पाया जाता है। किन्तु परवर्ती उत्तरकाण्ड में पाये जाने के कारण कुछ विद्वान् इन घटना की ऐतिहासिकता स्वीकार नहीं करते।^३ ही नकल है, उत्तरकाण्ड के नमय में सती-प्रथा का कुछ-कुछ

१. अगदप्रतिरपाणा पुत्राणामेकदाः शतम् । हतस्याप्यस्य दीरस्य गात्रनंश्लेषणं परम् ॥४।२१।१३

२. ततो मे जलनी दीना तच्छरीरं पितुर्मम । परिप्लव्य महाभागा प्रविष्टा हृष्यात्मन् ॥७।१७।१४

३. अन्त मत्तानिच जलनेवर—'पोजीशन आफ वीमेन इन हिंदू सिविलिजेशन', पृ० १४२

प्रचार हो गया।

मौलिक रामायण में भी विधवाओं द्वारा पति-शोक में प्राण त्याग देने के कई उद्गार पाये जाते हैं, पर ऐसी कोई वास्तविक घटना नहीं घटित हुई है। वाली की मृत्यु पर तारा अन्न-जल छोड़कर प्राण-त्याग करने का निश्चय करती है^१ और सीता भी गम की कथित मृत्यु पर पति का अनुगमन करने का सकल्प करती है।^२ इस प्रकार की उक्तियाँ पति-शोक की प्रारंभिक तीव्रता-मात्र सूचित करती हैं, प्राण-त्याग का कोई दृढ निश्चय नहीं।

आर्यों में विवाह-सवध की अविच्छेद्यता के कारण विधवा स्त्री के पुनर्विवाह का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता था। अरण्यकांड में जब सीता के बार-बार आग्रह करने पर लक्ष्मण राम की महायतार्थ जाने को तैयार नहीं हुए, तब सीता ने लक्ष्मण से कहा कि तुम चाहते हो कि राम मर जाय, जिससे तुम मुझे पा सको—इच्छसित्त्व दिन्श्मन्त राम लक्ष्मण मत्कृते (३।४५।६)। जर्मन विद्वान श्री जे० जे० मेयर^३ ने सीता की उक्ति से यह संकेत ग्रहण किया है कि आर्यों में विधवाएँ अपने देवर का वरण कर लेती होंगी, अन्यथा राम की मृत्यु के बाद लक्ष्मण द्वारा ग्रहण किये जाने की आशंका सीता के मन में क्यों आती? इस अनुमान का रामायण में अन्यत्र कही समर्थन नहीं हुआ है। उक्त शंका सीता ने अत्यंत आवेश में आकर की है और उसे स्त्रियाँचित अनगल उक्ति से अधिक महत्व देना ठीक नहीं। लका-युद्ध में सीता ने गम को दो बार मरा हुआ मानकर विलाप किया है, किंतु देवर द्वारा ग्रहण किये जाने की कोई संभावना व्यक्त नहीं की है।

रामायण में आर्य-विधवाओं को सर्वत्र एकाकी विरहपूर्ण जीवन ही व्यतीत करते हुए चित्रित किया गया है। सच पूछिए तो वाल्मीकि जहाँ कहीं किसी वस्तु के असमय में नष्ट या क्षीण होने की बात कहना चाहते हैं, वहाँ उनकी तुलना विधवा नारी से करते हैं।^४

१ ध्यवस्यत प्रायमनिन्द्यवर्णा उपोपवेष्टु भुवि यत्र वाली ।४।२०।२६

२ रावणानुगमिष्यामि गतिं भर्तुर्महात्मन ।६।३२।३२

३ 'सेन्सचुअल लाइफ इन एन्ड्रयट इंडिया', भाग २, पृ० ४३६, पाद-टिप्पणी १

४ शोपमेप्यति दुर्घर्षा प्रमदा विधवा यया । ५।२६।२५, भविष्यति पुरी लका नष्टभर्त्रो ययागना ।५।२६।२६

वानरो में विधवा के पुनर्विवाह अथवा किसी संबन्धी से यौन संबंध स्थापित कर लेने की प्रथा प्रचलित थी। वाली की मृत्यु पर तारा अपने वैधव्य पर विलाप करती है, पर उसकी दाह-क्रिया समाप्त होते ही सुग्रीव विधवा तारा को अपनी प्रियतमा बना लेता है। तारा भी अपने पति के हत्यारे के प्रति अनुरक्त जान पड़ती है और उसके हितार्थ लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने का बीड़ा भी उठाती है। हाँ, तारा का पुत्र अंगद अवश्य ही इस नवीन सबंध से प्रसन्न नहीं है, पर इसका दोष वह अपने चाचा (सुग्रीव) पर ही मढ़ता है। विजित (वाली) की पत्नी का इस प्रकार विजेता (सुग्रीव) को युद्ध की लूट के रूप में मिल जाना वानरो की एक असंस्कृत रूढ़ि का परिचायक माना जा सकता है।

सुग्रीव के सरक्षण में चले जाने पर तारा का अपने पुत्र अंगद पर कोई अधिकार नहीं रह गया, उसे सुग्रीव के ही अधीन रहना पड़ा। जैसाकि तारा ने स्वयं कहा—“मेरा न अपने पति के राज्य पर अधिकार है और न पुत्र अंगद पर ही। अब तो ये दोनो सुग्रीव के वश में है” (४।२।१।१४)। इससे यह प्रकट होता है कि वानरो में विधवा का अपने पति की संपत्ति या संतान पर अधिकार नहीं होता था। इसके अतिरिक्त, विधवा से विवाह करने का अधिकार बड़े भाई को प्राप्त नहीं था। बड़े भाई का छोटे भाई की पत्नी से अनुचित संबन्ध रखना दंडनीय होता था। इसी अपराध के कारण वाली राम के हाथों मारा गया।

अनैतिकता के पुजारी राक्षसों में विधवाएँ प्रायः अन्य पुरुष से संबन्ध स्थापित कर लेती थी, चाहे वह विधिपूर्वक विवाह द्वारा हो अथवा अवैध ससर्ग द्वारा। रावण की बहन और विद्युज्जिह्व की विधवा शर्पणखा ने कामासक्त हो राम से विवाह का प्रस्ताव किया था। स्वयं रावण ने अपने विरोधियों को मारकर उनकी सुदरी विधवाओं को अपने अंतःपुर में इकट्ठा कर रखा था।^१

प्राचीन भारत की आर्य-विधवाएँ जहाँ पुनर्विवाह से वंचित होकर अपने समस्त जीवन को वैधव्य की ज्वाला में क्षीण करती रहती थी, वहाँ अन्य दृष्टियों से वे परिवार में स्नेह और समान की पात्र होती थी। पुत्रवती विधवा के लिए पति के प्रयाण के बाद भी ससार में बने रहने का प्रलोभन विद्यमान रहता था—

१. यास्त्वया विधवा राजन्कृता नैका कुलस्त्रियः । ६।११।६४; ७।२।४; ७।२।८; ७।२।१९ इत्यादि भी देखिए।

अपनी सतान के लालन-पालन के लिए वह स्वयं भी जीवित रहने को इच्छुक होती थी।^१ माता और सतान के बीच मधुर स्नेह-सन्धियों के रहते कुटुंब में विधवा के साथ आदरपूर्वक व्यवहार किया जाता था। दशरथ की विधवा रानिया समानपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी। पुत्र और पुत्रवधुएं उनका यथोचित स्नेह-सत्कार करते थे। राजमहलो में वे सुखपूर्वक अपनी आयु के शेष दिन व्यतीत करती और दान-पुण्य में सलग्न रहती थी।

मागलिक अवसरो पर विधवाओं की उपस्थिति अशुभ नहीं मानी जाती थी। राम के वन से लौटने पर उनका जिन लोगों ने स्वागत किया, उनमें उनकी विधवा माताएं भी थीं। राम, सुग्रीव तथा अन्य वानर-वीरो ने उनका सादर अभिवादन किया था। राज्याभिषेक के लिए सीता का श्रृंगार उनकी विधवा सासो ने किया था।^२ उत्तरकांड में भी उत्सवादि में विधवाओं के अमागलिक माने जाने का कोई संकेत नहीं मिलता। जब शत्रुघ्न मधुपुरी के राजा के रूप में प्रतिष्ठित किये गए तब राजभवन में सारे मागलिक और अनिष्टनाशक कृत्यों का संपादन कौसल्या, सुमित्रा और कैंकेयी ने ही किया था (७।६३।१७)। पुत्र-पौत्रों से युक्त एवं घन-धान्य से समृद्ध होकर तथा पर्याप्त लौकिक समान और पारलौकिक पुण्य का अर्जन करने के बाद दशरथ की रानियों का स्वर्गवास हुआ। अपनी दिवगत माताओं के कल्याण के निमित्त राम समय-समय पर तपस्वियों और ब्राह्मणों को प्रचुर दान देते रहते थे—

तासां रामो महादान काले काले प्रयच्छति ।

मातृणामविशेषेण ब्राह्मणेषु तपस्विषु ॥ ७।९९।१७

प्रतीत होता है कि रामायण-काल में स्त्रियों को पुरुष-समाज से पृथक रखने का रिवाज स्थिर हो चुका था। जब सीता अयोध्या के राज-मार्ग से अपने पति के साथ वन को प्रस्थान करती हैं, तब कवि खेदपूर्वक कह उठता है—

या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाशगैरपि ।

तामद्य सीता पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥ २।३३।८

अर्थात् जिनको पहले आकाश में विचरण करनेवाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे,

१. ६।४८।२१; ४।२१।४; ४।२१।११

२. प्रतिकर्म च सीताया सर्वा दशरथस्त्रिय चक्रुः । ६।१२८।१७

उन्ही सीता को आज सड़को पर खड़े लोग देख रहे हैं। इससे यह सूचित होता है कि राज-परिवार की महिलाएँ महलो से बाहर प्रायः नहीं निकलती थी और सामान्य लोगों की दृष्टि से बची रहती थी। विशेष परिस्थितियों में यह मर्यादा तोड़ी भी जा सकती थी। युद्धकांड में कहा गया है कि विपत्ति-काल में तथा युद्धो, स्वयंवरों, यज्ञों और विवाहों में स्त्रियों को देखना दोषावह नहीं है।^१ वस्तुतः रामायण में ऐसे ही अवसरों पर स्त्रियों का जन-समूह में आना वर्णित हुआ है।

इन अवसरों पर भी जब उन्हें महलो से बाहर आना पड़ता, तब वे पर्दों का प्रयोग नहीं करती थी। जब भरत अपनी विशाल सेना और अयोध्या के नागरिकों के साथ राम को लौटा लाने के लिए चित्रकूट जाने लगे, तब कौसल्या, सुमित्रा और कैंकेयी भी ययुधानेन भास्वता, एक चमकदार रथ पर सवार होकर उनके साथ गई थी (२।८३।६)। इस स्थल पर उनके द्वारा पर्दा करने या घूँघट निकालने का कोई उल्लेख नहीं है। सीता भी वन-गमन के समय साधारण प्राणियों की दृष्टि अपने ऊपर पड़ने पर घूँघट से अपना मुह नहीं ढक लेती।

घर के भीतर भी युवतियाँ अपने ज्येष्ठ संबंधियों के सामने पर्दा नहीं करती थी। ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि श्वसुर अपनी पुत्रवधू का मुख नहीं देख सकता था अथवा पुत्र अपनी पत्नी के साथ माता-पिता के दर्शन करने नहीं जा सकता था, जैसा कि आजकल भारत के कुछ प्रदेशों में प्रचलित है। वन जाने से पहले राम सपत्नीक अपने पिता से विदा लेने गए थे। संभाषण की जैसी स्वतंत्रता और पारस्परिक सबंधों की जैसी सरलता और स्पष्टता इक्ष्वाकु-परिवार के स्त्री-पुरुषों में थी, वैसी किसी पर्दाग्रस्त परिवार में शायद ही संभव हो।

वानरों में भी पर्दों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जब लक्ष्मण सुग्रीव को फटकारने के लिए उनके राजमहल में पहुँचे, तब तारा ने पर्दा किये बिना उनके सामने आकर अपने स्वामी के पक्ष का बड़ी योग्यता से समर्थन किया था। किंतु पर्दों का प्रचार न होने पर भी वानरों में स्त्रियों को पृथक रखा जाता था और वे सबके सामने प्रायः नहीं आती थी। किष्किंधा का राजकीय अंतपुर स्त्रियों के लिए एक पृथक और सुरक्षित निवास-स्थान था, जिसमें जब जो चाहे प्रवेश नहीं कर

१. व्यसनेषु च कृच्छ्रेषु न युद्धेषु स्वयंवरे । न ऋती नो विवाहे वा दर्शनं दृष्यते स्त्रियाः ॥६।११४।२८

सकता था। अपनी स्त्रियों के बीच बैठे हुए सुग्रीव ने जब अपने अनुचरो को आने का आदेश दिया, तब वे ही सेवक भीतर जा सके, ये स्यु स्त्रीदर्शनक्षमाः, जिन्हें स्त्रियों के सामने आने की अनुमति प्राप्त थी (४।३।८)।

राक्षसों में अवगुठन या पर्दे की प्रथा निस्सदेह प्रचलित थी। इसकी पुष्टि रावण की रानी मदोदरी के कथन से होती है। रावण की मृत्यु के पश्चात् मदोदरी अपनी अन्य सपत्नियों के साथ युद्ध-स्थल पर आकर इस प्रकार विलाप करने लगी— “देखिए, नाथ, मैं पर्दा छोड़कर नगर-द्वार से पैदल ही चलकर आपके पास आई हूँ। मुझे देखकर आप क्रुद्ध क्यों नहीं होते? आपकी अन्य प्रिय भार्याएँ भी घूघट हटाकर यहाँ आई हुई हैं। इन्हें इस तरह नगर से बाहर आया हुआ देखकर आप अप्रसन्न क्यों नहीं होते?” (६।११।६१-३)।

इससे यह स्पष्ट है कि राक्षस-समाज में पुरुष अपनी स्त्रियों से पर्दे के व्यवहार की अपेक्षा करते थे और उनके ऐसा न करने पर क्रुद्ध होते थे। मदोदरी के कथन से यह भी ज्ञात होता है कि उच्च वर्ग की राक्षस महिलाएँ साधारण स्त्रियों की भाँति पैदल चलकर रनवास से बाहर प्रायः नहीं निकलती थी। इसी कारण विभीषण ने, अपने समाज में प्रचलित पर्दा-प्रथा के अनुसार, लंका-विजय के बाद वैदेही को राम के समुख पहुँचाने में उपयुक्त सावधानी और शिष्टाचार का पालन किया था। उन्होंने पहले परिचारिकाओं द्वारा सीता के पास अपने आने की सूचना भिजवाई और तत्पश्चात् वह स्वयं उपस्थित हुए। यह उल्लेखनीय है कि सीता ने विभीषण से कोई पर्दा नहीं किया और मुक्त भाव से उनसे बातें की। विभीषण सीता को एक सुंदर पालकी में बैठाकर राम के पास ले आये। पालकी दोनों में समर्थ राक्षस और बहुत-से निशाचर सीता की रक्षार्थ उन्हें चारों ओर से घेरकर चल रहे थे। जब सीता की पालकी राम के निकट पहुँची, तब उस स्थल को निर्जन बनाने के लिए विभीषण वहाँ खड़े हुए लोगों को दूर हटाने लगे। पगड़ी बाधे और अंगा पहने हुए बहुत-से सिपाही हाथ में छड़ी लेकर सबको हटाते हुए चारों ओर घूमने लगे। ऋक्षो, वानरो, और राक्षसों के समुदाय हटायें जाने पर दूर जाकर खड़े हो गए (६।११।८-२३)। यह कार्य राक्षसों के रिवाज के अनुसार था, क्योंकि उनमें स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था, जिससे सर्वसाधारण की दृष्टि उन पर न पड़े।

परंतु राम एक समाज-सुधारक थे। उन्होंने इस बात को लक्ष्य किया कि जिन लोगों को हटाया जाता था, उन्हें बड़ा उद्वेग होता था। अपनी सहज उदारता के

कारण उन्होंने हटानेवालो को रोषपूर्वक रोका और विभीषण से कहा—“तुम किसलिए इन सब लोगो को तग कर रहे हो ? रोक दो इस उद्वेगजनक कार्य को । यहा जितने लोग है, सब मेरे स्वजन ही तो है । स्त्रियो के लिए न घर, न वस्त्र, न दीवारें और न राज-सत्कार ही वैसी आड करनेवाला है, जैसाकि उनका अपना सदा-चरण । विपत्ति में, कष्ट मे, स्वयवर में, यज्ञ मे और विवाह में स्त्रियो को देखने में कोई पाप नही लगता । सीता विपत्ति में है और विशेष कर मेरे निकट उन्हें देखने में कोई दोष नही है । वह पालकी से उतरकर पैदल ही मेरे पास आयं और ये सभी वानर उनके दर्शन करे” (६।११४।२४-३०) ।

राम के उपर्युक्त कथन से चार प्रकार के निष्कर्ष निकलते है—(१) अपरिचितो के सामने स्त्री का घूँघट निकालना उनके प्रति सदेह का द्योतक है, (२) अपने पति के निकट-परिचितो के समक्ष पत्नी पर्दे का त्याग कर सकती है, (३) पति की उपस्थिति मे पत्नी को देखा जा सकता है तथा (४) विशेष परिस्थितियो में स्त्रियो के उन्मुक्त विचरण पर पर्दे का बंधन नही लगना चाहिए ।

पर्दा-प्रथा का मुख्य उद्देश्य प्राकृत मनुष्यो के ‘दुष्ट चक्षुओ’ से शिष्ट महिलाओ की रक्षा करना माना जाता है । किंतु राम ने स्त्री के चरित्र-बल को ही उसका सच्चा रक्षक बताकर पर्दे की निस्सारता और अनावश्यकता सिद्ध की । अयोध्या के नागरिक अपनी पत्नियो की ओर से सर्वथा निश्चित होकर राम के साथ वन जाने को तैयार हो गए थे, क्योकि उनकी मान्यता थी कि हमारी स्त्रिया अपने चरित्र-बल से पूर्णतया सुरक्षित रहेगी—**दाराश्चारित्ररक्षिताः** (२।४५।२५) । इससे भी यह ध्वनि निकलती है कि वे पर्दे को स्त्रियो की रक्षा करने में अनुपयुक्त और अनावश्यक समझते थे । इस कथन की सत्यता सीता के उदाहरण से स्वतः प्रकट है, जो शत्रु-गृह मे भी अपने पातिव्रत्य-तेज के प्रभाव से निष्कलक बनी रही (**रक्षितां स्वेन तेजसा**, ३।३७।१४) ।

भारतीय सम्यता के इतिहास मे रामायण ही सभवत पहली रचना है, जिसमें वेश्याओ के वर्ग को राजकीय स्वीकृति मिली है, और उनका राज-काज में उपयोग किया गया है । रोमपाद के राज्य में अकाल पडने पर उनके मत्रियो ने यह हल सुझाया कि विभाडक-सुत ऋष्यशृंग को लुभाकर राज्य मे बुलाया जाय । ऋष्यशृंग स्त्री-ससर्ग-जन्य सुख से अनभिज्ञ एक सरलचित्त ऋषिकुमार थे । अत यह सोचा गया कि उन्हें ऐसे पदार्थो से लुभाया जाय, जो उनकी इद्रियो को उत्तेजित कर सकें । रोमपाद के पुरोहित ने यह सुझाव दिया कि सुदर वेश्याओ को वस्त्राभूषणो से

अलकृत कर ऋषिकुमार को प्रलोभित करने के लिए भेजा जाय । वेश्याओ के चुनाव और उन्हें भेजने का काम मत्रियो के ही सुपुर्द था (१।१०) । इससे ज्ञात होता है कि मत्रिगण वेश्याओ से सुपरिचित थे और ये राजकीय मामलो से अधिकृत रूप से सबद्ध रहती थी ।

वेश्याओ और नर्तकियो की उपस्थिति राजकीय शिष्टाचार के निर्वाह के लिए आवश्यक थी । शान-शौकत के प्रति भारतीयो की नैसर्गिक अभिरुचि भी उनके उपयोग को प्रोत्साहित करती थी । ये वेश्याएं साधारण वारवनिताओ से भिन्न थी । सभी राजकीय समारोहो में इनकी सेवाए स्वीकार की जाती थी । राम के यौवराज्याभिषेक की तैयारी कराते समय वसिष्ठ ने यह आदेश दिया था कि अलकृत वेश्याए राजमहल की दूसरी कक्ष्या में मौजूद रहे ।^१ वेश्याए निश्चय ही अशुभ नहीं मानी जाती थी, तभी तो राम के वनवास से लौटने पर भरत ने उनका स्वागत करने के लिए गणिकाओ का समूह तैयार रखा था ।^२ ये स्त्रिया किसी भी सैनिक अभियान का अनिवार्य अंग हुआ करती थी, शाही फौजें इन्हें अपने साथ रखती थी । दशरथ ने सुमत्र को यह आज्ञा दी थी कि राम के साथ वन में एक चतुरगिणी सेना भेजने की व्यवस्था की जाय, जिसमें मधुरभाषिणी वेश्याएं भी हो ।^३ इस प्रकार वेश्याए राजाओ की छत्रछाया में रहती थी, और राजकीय मनोरंजन का एक साधन मानी जाती थी ।

सैन्य-व्यवस्था का ही नहीं, नागरिक जीवन का भी वेश्याए एक अभिन्न अंग थी । अयोध्या नगरी गणिकावरशोभिता थी (२।५।१२१) । सामान्य वेश्याए रूपाजीवा, रूप से आजीविका चलानेवाली कहलाती थी (२।३६।३) । यद्यपि रामायण में यह नहीं बताया गया है कि वे अपना पेशा किस तरह करती थी, तथापि ऋष्यशृंग पर अपना जादू चलाने के लिए उन्होने जिन उपायो का आश्रय लिया, उनसे उनकी गति-विधि का पर्याप्त आभास मिल सकता है (१।१०) ।

१. सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च स्वलकृता । कक्ष्यां द्वितीयमासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मन ॥२।३।१८; २।१४।३९ भी देखिए ।

२. गणिकाश्चैव सर्वशः । अभिनिर्यान्तु रामस्य व्रष्टु क्षशनिभं मुखम् ॥ ६।१२७।५

३. रूपाजीवाश्च वादिन्यो.. शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनी. सुप्रसारिताः ॥२।३६।३

नारी—समाज में

पिछले अध्याय में रामायण-काल में नारी की स्थिति का विशेष कर घर की दृष्टि से मूल्यांकन किया गया था। इस अध्याय में नारी की सामाजिक स्थिति का अवलोकन करके उसके प्रति आर्यों के सामान्य दृष्टिकोण का विवेचन किया गया है, जिससे पाठको के समक्ष तत्कालीन नारी-समाज की समग्र परिस्थिति का एक सर्वांगी चित्र प्रस्तुत हो सके।

सिद्धांततः नारी को अपने-आपकी रक्षा करने में असमर्थ माना जाता था, अतः वह पति, पुत्र या बधु-बाधवों के ही अधीन रहने के योग्य थी।^१ किंतु व्यवहार में इसका अर्थ यह नहीं था कि वह सदा घर की चहारदीवारी में ही कैद रहती थी। जीवन कहीं नीरस न बन जाय, अतएव वह सामूहिक भोजों, धार्मिक समारोहों, प्रदर्शनो और क्रीडा-विनोद में मुक्त भाव से सम्मिलित होती थी। सामूहिक अवसरों पर वह अपने समस्त अलकरणों में पूरी सजधज के साथ उपस्थित होकर वातावरण में उल्लास और चमक-दमक का संचार कर देती थी। सार्वजनिक उत्सवों में—जबकि राजधानी एक अलंकृत रमणी के-से सुंदर वेश में सज्जित होती थी, कहीं मद और कहीं उच्च स्वर में सगीत-ध्वनि सुनाई पड़ती थी तथा सूत और मागधगण जन-सकुल मार्गों को और भी कोलाहलमय बना देते थे—नर्तकिया और सुंदर नारिया अवसर की चित्र-विचित्रता में अभिवृद्धि करने के लिए मौजूद रहती थी।

राम के यौवराज्याभिषेक के दिन अयोध्या के नर-नारी और बालक उत्कण्ठित होकर राजमार्गों पर खड़े थे—उन्हे सूर्योदय की इतनी आकांक्षा नहीं थी, जितनी उस महोत्सव के आरंभ होने की।^२ राम का राजप्रासाद उनका अभिनंदन करने के लिए

१. गतिरेका पतिर्नार्यां द्वितीया गतिरात्मजः । तृतीया ज्ञातयो राजंश्चतुर्थी नैव विद्यते ॥२॥६१॥२४

२. ततो ह्ययोध्यानिलयः सस्त्रीबालाकुलो जनः । रामाभिषेकमाकांक्षन्नाकांक्षन्मुदयं रवेः ॥२॥५१॥

आये हर्ष-मग्न नर-नारियो से परिपूर्ण था (हृष्टनारीनरयुतम्) । सारा नगर मानो अपने प्रिय युवराज की जयजयकार करने उमड पडा, और इसमें स्त्रियो ने भी उल्लेखनीय योग दिया था । जिस समय राम रथ पर विराजमान होकर पताकाओ से सुसज्जित एव सुगन्धित द्रव्यो से सुवासित राजमार्ग के बीच से जा रहे थे, तब महलो की अटारियो और झरोखो में बैठी वस्त्राभूषणो से विभूषित वनिताएँ सब ओर से उन पर फूलो की वर्षा कर रही थी । मार्गों पर भी स्त्रिया बडी सख्या में खडी थी और ये तथा महलो पर स्थित नारिया दोनो राम की तथा उनकी माता और पत्नी की प्रशस्तिया गा रही थी (२।१६।३७-४१) ।

राम के वनवास से लौटने पर उनका जो अभूतपूर्व स्वागत किया गया, उसमें स्त्रियो का योग और भी अधिक दर्शनीय था । सारी अयोध्या नगरी उनके स्वागतार्थ नदिग्राम को उमड चली । मैनिक और उनकी पत्निया, सूत और मागध, वारवनिताएँ, राजकुल की नारिया, सभी उनके सत्कारार्थ चल पडे । कौसल्या और सुमित्रा को आगे करके दशरथ की सब पत्निया सवारियो पर बैठकर चली । नदिग्राम से अयोध्या तक के सारे राजमार्ग की सजावट की गई । राम के आगमन पर सब पुरवासियो की हर्ष-ध्वनि से आकाश गूज उठा । दशरथ की रानियो ने सीता और वानर-स्त्रियो का अपने हाथो से शृंगार किया । श्रेष्ठ आभूषणो से विभूषित तथा शुभ कुडलो से अलकृत वे अन्य रथो में चढकर राम के रथ के पीछे-पीछे नगर की शोभा देखते-देखते चलने लगी । राम के आगे कन्याएं चल रही थी । प्रसन्नमन ब्राह्मण-कुमारिकाएँ स्थान-स्थान पर उन्हे फल अर्पित करके प्रदक्षिणा कर रही थी ।^१ उनके अभिवेचन में भी कन्याओ ने भाग लिया था (६।१२७-८) ।

इनके अतिरिक्त, राजागण बडे-बडे यज्ञ-समारोह किया करते थे, जिनमें सभी तरह के अभ्यागत आते और आनद मनाते थे । महिलाएँ भी इन समारोहो में बडी सख्या में भाग लेती और पुरुषो की ही तरह विभिन्न भोज्य-पदार्थो का आस्वादन करती थी । महाराज दशरथ के यज्ञ-समारोह में भिन्न-भिन्न देशो से आये स्त्री-पुरुषो को अन्न-पान से परितृप्त किया गया था (१।१४।१६, १३) । गोमती-तट पर होने-वाले राम के अश्वमेध-यज्ञ में देश-देशांतर से द्विजगणो को सपत्नीक आमन्त्रित किया

१ तुलना कीजिए—कदा सुमनस. कन्या द्विजातीनां फलानि च । प्रदिशन्तः पुरो हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम् ॥२।४३।१५

गया था। ऋषियों को भी उनकी पत्नियों-सहित बुलवाया गया था। नट-नर्तको और अन्य लोगों के साथ यौवनशाली नारिया, राजमाताए तथा राजकुमारों के अंत पुर की स्त्रिया भी नैमिषारण्य में सपन्न होनेवाले उस अविस्मरणीय यज्ञ में भाग लेने गई थी। वहाँ अनेक स्त्रियों के साथ विभीषण ने महर्षियों का आतिथ्य किया था (७।९१)।

अन्य दृष्टियों से भी नारी-वर्ग ससार और उसके विविध अनुभवों से अलग-थलग नहीं रहता था, पुरुष-वर्ग के साथ ही वह सभी प्रवृत्तियों में भाग लेता था। सेना के अनुगामी दलों में स्त्रिया भी संमिलित रहती थी। चेटिया अथवा दासिया, वेश्याए (रूपाजीवाः), सैनिकों की स्त्रिया (वध्वः) तथा सस्त्रीक नट लोग सैनिकों के मनोरंजन के लिए फौज के साथ रहते थे। सैन्य-शिविर में कैसा उन्मुक्त खान-पान और आमोद-प्रमोद चलता था, तथा उनमें स्त्रिया भी कैसे निर्द्वंद्व भाव से बह जाती थी, इसका विशद परिचय भरद्वाज-आश्रम में भरत की सेना के पडाव्र के वर्णन से प्राप्त होता है (२।९१)।

पुरुषगण यात्रा और विहार में या मित्रों-सबधियों के यहाँ जाते समय अपनी स्त्रियों को अवश्य साथ रखते थे। पति को प्रभावित करनेवाली समस्याओं में पत्नी को भुला नहीं दिया जाता था। पर्वतों, घाटियों, वनों-उपवनों आदि में पति के विहार करते समय पत्नी उसकी 'क्रीडा-सहाय' बनती थी। नर्मदा की कल-कल ध्वनि से निनादित विंध्य पर्वत की रमणीय उपत्यकाओं में रावण ने सभी प्रकार के लौकिक-अलौकिक प्राणियों को अपनी प्रेमिकाओं के साथ क्रीडा-विनोद में मग्न देखा था (७।३१।१५-७)।

स्त्रियों को अकेले या अपनी सखियों के साहचर्य में आमोद-प्रमोद करने के साधन और अवसर प्राप्त थे। प्रकाश और वायु, प्रकृति के इन दो वरदानों से वे निश्चय ही वंचित नहीं रखी जाती थी। सुमत्र को तो वैदेही प्रवास के लिए ही बनी जान पड़ती थी—उचितेव प्रवासानां वैदेही प्रतिभाति मे (२।६०।८)।

उत्तरकांड के अनुसार, स्त्रियों को पुरुषों की ही तरह न्यायालय में जाकर धर्मासन पर आसीन राजा के समक्ष शिकायत पेश करने का अधिकार प्राप्त था (७।५३।५)।

सारी रामायण में ऐसा सकेत कहीं नहीं मिलता कि आश्रमों में सीता-जैसी युवती स्त्री की उपस्थिति आश्रमवासियों के लिए या स्वयं राम और सीता के लिए संकोच-

जनक मानी गई हो। जिन-जिन आश्रमों में राम और सीता गए, सर्वत्र उनका परिचितो की तरह आदरपूर्वक स्वागत किया गया। जब राम महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुँचे, तब उन्होंने मुनिवर से अपनी पत्नी का यह कहकर परिचय कराया कि यह विदेहराज की पुत्री और मेरी कल्याणमयी पत्नी सीता है, जो निर्जन तपोवन में भी मेरा साथ देने के लिए आई है। शिष्यों और मुनियों के समूह में बैठे हुए महर्षि ने सीता-सहित राम का आतिथ्य किया और अपने ही आश्रम में निवास करने का आग्रह किया (२।५४)। कहीं भी सीता को अनावश्यक लाज-सकोच नहीं हुआ और न कहीं उनकी स्वाभाविक विशेषताओं ने उनका साथ छोड़ा। ऋषि शरभग के आश्रम में सीता ने पति के साथ उनकी यज्ञशाला में जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आतिथ्य ग्रहण किया। अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुँचने पर लक्ष्मण ने उनके पास यह सूचना भिजवाई कि महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र महाबली राम अपनी पत्नी सीता के साथ आपके दर्शन करने आये हैं। अगस्त्य ने स्वयं अपने शिष्यों-सहित बाहर आकर सीता का स्वागत किया और कहा कि यह परम प्रशंसनीय और पतिव्रताओं में अरुघती के समान अग्रगण्य है। आज से इस देश की शोभा बढ़ गई, जहाँ सीता के साथ राम और लक्ष्मण निवास करेंगे—

अलकृतोऽय देशश्च यत्र सौमित्रिणा सह ।

वैदेह्या चानया राम वत्स्यसि त्वमरिन्वम ॥३॥१८।८

इन आश्रमों के प्राकृतिक वातावरण में निवास करने से सीता के सबल स्त्री-पक्ष का भी विकास हुआ। चित्रकूट में रहते समय सीता भी राम के साथ प्रकृति-पर्यवेक्षण, वन-पर्यटन और नदी-विहार के लिए जाया करती थी (२।९४-६)। अयोध्या के दरबारी शिष्टाचार ने यदि उनके मन में भीरुता या कोमलता उत्पन्न कर दी हो तो वह एक वर्ष के वनवास से ही दूर हो चुकी थी। चित्रकूट में राम ने राक्षसों को कुपित कर दिया था और इनके आतंक से वहाँ के निवासी अन्यत्र चले गए थे। ऐसे स्थान में एक युवती स्त्री का वास करना बड़े साहस की बात थी (२।११६)। बारह वर्ष के वनवास के बाद सीता एक कोमलांगी और असहाय पत्नी न होकर एक वीर और साहसी रमणी बन चुकी थी। पचवटी में वह, राम-लक्ष्मण की अनुपस्थिति में, अपने श्वसुर के मित्र जटायु के सरक्षण में रहती थी। रावण के हाथों उनके घायल

हो जाने पर सीता ने उनका आर्लिगन करके विलाप किया था ।^१ अपरिचितो के समक्ष उन्हें कोई झिझक नहीं रही । भिक्षु-वेशधारी रावण का उन्होंने अकेले ही निस्सकोच अतिथि-सत्कार किया था । उसके अनुचित और अश्लील सकेतो से हतप्रभ न होकर उन्होंने सत्कारक की मर्यादा का पालन करते हुए उससे सहज वार्ता-लाप भी किया (३।४६-७) । जान पड़ता है, सीता ने सबल मन के साथ सबल शरीर भी बना लिया था । तभी तो दुर्धर्ष रावण को भी उन्हें बलपूर्वक ले जाने में और अपने पजे से निकलकर न भागने देने में पर्याप्त शारीरिक बल का प्रयोग करना पड़ा था ।^२

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उच्च वर्ग, विशेष कर क्षत्रिय वर्ग की महिलाओ को (जिनकी स्थिति का रामायण में मुख्य रूप से विवेचन है) इतनी स्वतंत्रता मिली हुई थी, जितनी पश्चिम के समुन्नत सामंती युग की नारियो को भी शायद प्राप्त न रही हो ।

इस प्रसंग में अत पुर के अस्तित्व और उसके दुष्परिणामो को भी आखो से ओझल नहीं किया जा सकता । बहु-विवाह-प्रथा की व्यापकता के कारण अंत पुर उस युग की सपन्न गृह-व्यवस्था के अग बन चुके थे । इन अत पुरो में बीसियो स्त्रिया एक ही पुरुष के साथ विवाह-बंधन से जकडी रहती थी । यह परिस्थिति उनकी स्वतंत्रता को बहुत सीमित कर देती थी । अत पुर या रनवास महल की सबसे भीतरी इयोडी होता था और उसकी रक्षा मे स्त्री-द्वारपाल (प्रतीहारी), कुबडी और नाटी स्त्रिया तथा हिजडे (वर्षवर) तत्पर रहते थे । इन सबके ऊपर वयोवृद्ध 'स्त्र्यध्यक्षो' का निरीक्षण रहता था, जिनको सुमत्र ने गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छडी लिये हुए राम के अत पुर के दरवाजे पर सावधानी से बैठे देखा था ।^३ किंतु अत पुर को इस प्रकार सुरक्षित रखने की प्रथा का धनी एव अभिजात

१. आर्लिग्य गृध्र निहतं रावणेन बलीयसा । चिललाप सुदुःखार्ता सीता शशिनिभानना ॥३।५२।१


२ जहार पापस्तरुणीं विचेष्टतीं नृपात्मजामागतगात्रवेपथुः ।३।५३।२६;
तामकामां स कामार्तः पन्नगेन्द्रवधूमिव । विचेष्टमानामादाय उत्पपाताथ
रावणः ॥३।४९।२२; ३।५२।६-९ भी देखिए ।

३. अत्र काषायिणो वृद्धान्वेत्रपाणीन् स्वलंकृतान् । ददर्श विष्ठितान् द्वारि
स्त्र्यध्यक्षान् सुसमाहितान् ॥२।१६।३

वर्गों में सामान्यतः प्रचलन था, सामाजिक प्रतिष्ठा, समान एव कुलीनत्व की सूचक होने के साथ-साथ वह शत्रु-पक्ष के कुचक्रियो और अनधिकृत लोगो का प्रवेश रोकने के लिए भी आवश्यक मानी जाती थी। बहुविवाह की प्रथा भी तत्कालीन समाज-व्यवस्था में सर्वथा अनिन्दित थी। सुरक्षित और पृथक इयोढी में स्थित होने पर भी रनवास में महिलाओ के लिए सुविधा के समस्त उपकरण प्रस्तुत रहते थे। उद्यानो और क्रीडा के विविध साधनो से युक्त अलग-अलग प्रासादो में राजा की रानिया सुख-वैभव से परिपूर्ण, अभाव और असुविधा से परे, मनोनुकूल जीवन बिताया करती थी।

सुदर स्त्रियो को उपहार में देने की प्रथा रामायण में अनेक वार पाई जाती है। राम को कर-रूप में सुदर दासिया भेंट की गई थी (७।३९।११)। दशरथ का श्राद्ध करते समय भरत ने दिवगत आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणो को दासिया दान में दी थी।^१ वन-प्रस्थान करने से पहले राम ने तैत्तिरीय शाखा के एक आचार्य को कई दासिया भेंट की थी (२।३२।१५-६)। पत्नी का दान पुण्योत्पादक कर्म समझा जाता था। वाली की मृत्यु पर तारा ने राम से यह प्रार्थना की थी कि जिस वाण से आपने मेरे पति का वध किया है, उसीसे मुझे भी मार डालिए, मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी, ससार में ज्ञानी पुरुषो की दृष्टि में स्त्री-दान से बढकर दूसरा कोई दान नहीं है—दारप्रदानाद्धि न दानमन्यत्प्रदृश्यते ज्ञानवता हि लोके (४।२४।३८)। तभी जब हनुमान ने भरत को राम के अयोध्या लौटने का सुसवाद सुनाया, तब भरत ने प्रसन्न हो उन्हे सोलह कन्याए पत्नी-रूप में प्रदान की—ऐसी कन्याए, जो कुडल पहने हुई थी, जो शुभ आचरणवाली थी, जिनका रग सोने के समान था, जिनकी सुदर नाक और जाधे थी, जिनका मुखमडल चद्रमा के समान सौम्य था, जो सभी प्रकार के आभूषणो से सज्जित थी तथा जिनका जन्म अच्छे कुलो में हुआ था।^२ वाल्मीकि ने यह नहीं बताया है कि हनुमान ने इन कन्याओ के उपहार को स्वीकार करके उनसे विधिपूर्वक विवाह किया या नहीं। फिर भी इतना स्पष्ट है कि स्त्रियो को उपहार में देना गौरव एव प्रसन्नता का चिह्न था।

-
- १ दासीर्दासांश्च . ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुत्रो राजस्तस्योर्ध्वदेहिकम् । २।७७।३
 २ सकुण्डला. शुभाचारा भार्याः कन्यास्तु षोडश। हेमवर्णा सुनासोरु. शशिसौम्या-
 नना. स्त्रिय ॥ सर्वाभरणसम्पन्ना सम्पन्नाः कुलजातिभिः । ६।१२५।४४-५




सीता, राम, लक्ष्मण
और हनुमान
(वडक्कुपणयूर, तजोर, से
प्राप्त कास्य-मूर्तिया, चोल-
काल ८५०-११०० ई०,
राजकीय संग्रहालय, मद्रास)





कैलास हिलाने का प्रयत्न करते हुए रावण (एलोरा, कैलास-मंदिर,
आठवीं शताब्दी ई०, पुरातत्व-विभाग, भारत सरकार)


पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हुए दशरथ
(शिव-मंदिर, प्राचिन, जावा, नवीं शताब्दी ई०)





अहल्योद्धार

(देवगढ, भासी, पाचवी
शताब्दी ई०, पुरातत्व-
विभाग, भारत सरकार)



लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा
का विरूपीकरण
(देवगढ, भासी, पाचवी
शताब्दी ई०, पुरातत्व
विभाग, भारत सरकार)



रावण द्वारा सीता का अपहरण (प्रावनन, जावा, नवी शताब्दी ई०)

रावण-जटायु-युद्ध (प्रावनन, जावा, नवी शताब्दी ई०)





राम-लक्ष्मण का
कवच के साथ
युद्ध (प्राचिन,
जावा, नवी
शताब्दी ई०)




वाली-सुग्रीव-युद्ध
(एलोरा, आठवी
शताब्दी ई०,
पुरातत्व-विभाग,
भारत सरकार)

अशोकवाटिका में सीता के समक्ष हनुमान
(प्रावनन, जावा, नवी शताब्दी ई०)

हनुमान की पूंछ में आग
लगाते हुए राक्षस

(प्रावनन, जावा, नवी शताब्दी ई०)

जलती पूंछ से रावण के महल
पर कूदते हुए हनुमान



समुद्र पर सेतु-निर्माण के लिए पत्थर ले जाते हुए वानर
(प्राबनन, जावा, नवी शताब्दी ई०)

वानर-सेना के साथ नल-सेतु पार करते हुए राम, लक्ष्मण और सुग्रीव
(प्राबनन, जावा, नवी शताब्दी ई०)



वी
व-
र)

हनुमान
(बेलूर, मैसूर, बारहवी शताब्दी ई०,
पुशातत्व-विभाग, भारत सरकार)

रामायण का युग वैभव और विलास का समय था जब पुरुषों को स्नान कराने का कार्य तरुण और सुंदर दासिया किया करती थी। लका-विजय के बाद विभीषण ने राम से निवेदन किया कि शृंगार-क्रिया में निपुण कमलनयना स्त्रिया उपस्थित हैं, जो आपको विधिपूर्वक स्नान करा देंगी।^१ भरद्वाज के आश्रम में भरत के प्रत्येक सैनिक की सेवा में सात-आठ स्त्रिया नियुक्त थी, जो तैल-मर्दन करके उसे नदी के सुंदर घाटों पर नहलाती, फिर पीछकर और पैर दबाकर मदिरा पिलाती थी (२।९।१।५३-४)। राम की बाहों का वर्णन करते हुए वाल्मीकि कहते हैं कि उत्तम सैरधिया उबटन लगाते या अलंकार पहनाते समय उनका स्पर्श किया करती थी।^२ राम चंदन लगाकर बहुमूल्य शय्याओं पर विश्राम किया करते थे और रूपवती अलंकृत स्त्रिया उन पर पखा डुलाया करती थी—

यः सुखेनोपधानेषु शोते चन्दनरूपितः।

वीज्यमानो महार्हाभिः स्त्रीभिर्मम सुतोत्तमः ॥२।४२।१४

तत्कालीन अश्वमेध-यज्ञों में राजागण अपनी रानियों को दक्षिणा के रूप में पुरोहितों को भेंट कर देते थे, यद्यपि इस भेंट के बदले धन भी दिया जा सकता था। दशरथ की चारों रानिया दक्षिणा के रूप में चारों पुरोहितों को प्रदान कर दी गई थी।^३ तत्पश्चात् दशरथ ने रानियों के स्थान पर पुरोहितों को धन-धान्य देकर सन्तुष्ट किया (१।१४।४३-९)। इससे जान पड़ता है कि पुरोहितों को रानिया दान में दे देने की यह प्रथा एक औपचारिकता-मात्र रह गई थी, फिर भी इस औपचारिकता की स्वीकृति एव उसका निर्वाह यह ध्वनित करता है कि स्त्री को निजी संपत्ति मानने की धारणा विद्यमान थी।

नारी की स्थिति और सत्ता को गिरानेवाले अन्य कारणों में तत्कालीन बहु-पत्नी-प्रथा प्रमुख थी। जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, यह प्रथा अनेक स्त्रियों का भाग्य और जीवन एक ही पुरुष से जोड़ देती थी और उन्हें उसीके भोग-विलास का

१. अलंकारविदश्चेता नार्यः पद्मनिभेक्षणाः । उपस्थितास्त्वां विधिवत् स्नापयिष्यन्ति राघव ॥६।१२।१३

२. भुजः परमनारीणामभिमृष्टमनेकधा (बाहु) ।६।२।१३

३. होताध्वर्युस्तयोद्गाता ह्येन समयोजयन् । महिष्या परिवृत्याथ वावाताम-परं तथा ॥१।१४।३५, टीका देखिए ।

साधन बना देती थी। दासियों का उपहार-रूप में भेंट किया जाना, गणिकाओं का मनोरजन के साधनों के रूप में उपयोग तथा अप्सराओं के वारे में यह धारणा कि वे युद्ध में वीर-गति पानेवालों का स्वर्ग में प्रणय-क्रीडाओं से स्वागत करती हैं, ये सब नारी के 'इन्द्रियार्थ' (विलास की सामग्री) मान लिये जाने के सूचक हैं। स्त्री-लपट राक्षसों द्वारा आये दिन अनगिनत नारियों की खुले आम लाज लूटी जाना, स्वर्ग के देवताओं का मर्त्यलोक की सुदरियों की ओर आकृष्ट होना और उनका उपभोग करने के अवसर की ताक में रहना, दड-जैसे राजा का मुनि-कन्या अरजा के पिता से उसकी पत्नी-रूप में याचना करने के वजाय उस पर बलात्कार ही कर डालना, आदि दृष्टान्तों से प्रमाणित होता है कि समाज के लपट और दुराचारी वर्गों के हाथों स्त्री का गौरव और समान कितना खतरे में पड़ा हुआ था।

स्वयं राम भी कभी-कभी अपनी उक्तियों में ऐसा आभास देते हैं कि असाधारण परिस्थितियों में स्त्री की स्वतंत्र सत्ता या इच्छा का कोई स्थान नहीं है तथा उसके प्रति एक सर्वथा महत्वहीन एवं उपेक्षणीय प्राणी का-सा व्यवहार किया जा सकता है। उन्होंने कौक्यी से कहा था कि पिता की आज्ञा से मैं भरत को राज्य ही नहीं, अपनी पत्नी सीता भी दे सकता हूँ।^१ एक अन्य स्थल पर वह सकेत करते हैं कि पत्नी इन्द्रियों के विलास की एक सामान्य वस्तु है, जो जहाँ चाहे सुलभ हो सकती है। लका की युद्ध-भूमि पर लक्ष्मण के मूर्च्छित हो जाने पर राम ने विलाप करते हुए कहा था—
“प्रत्येक देश में स्त्रियाँ मिल सकती हैं, हर देश में जाति-भाई प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ऐसा कोई देश नहीं दिखाई देता, जहाँ सहोदर भाई मिल सकता हो” —

देशे देशे फलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः ।

त तु देश न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥ ६।१०।१।१४

दूसरे शब्दों में राम भाई की तुलना में पत्नी को तुच्छ समझते थे। उनकी दृष्टि में जहाँ आत्म-समान का प्रश्न उपस्थित हो वहाँ पत्नी की भी बलि दी जा सकती थी। इसी कारण वह लोकापवाद के भय से लका-विजय के बाद सीता का परित्याग करने को तैयार हो गए थे।

१. अहं हि सीता राज्य च...हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्या भरताय प्रचोदितः ।

इस प्रकार स्त्री एक वस्तु थी, एक तरह की निजी संपत्ति थी, जो स्वामी की इच्छानुसार ली-दी जा सकती थी। रावण ने राज्य, नगर और अन्न-वस्त्र-जैसी अपनी उपभोग्य संपत्ति के साथ-साथ अपनी स्त्रियो का भी उल्लेख किया था और वाली के साथ मैत्री स्थापित करते हुए कहा था कि आज से ये सब वस्तुएँ हम दोनों की समान (अविभक्त) रहेगी।^१ सीता ने ऐसे अभिनेताओ (शैलूपो) का वर्णन किया था, जो अपनी स्त्रियो को दूसरो के उपयोग के लिए दे देते हैं (शैलूप इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छति, २।३०।८)। इससे भी यह सूचित होता है कि पति पत्नी का स्वतंत्र और निरकुश स्वामी है। निजी संपत्ति की भाँति ही स्त्री की निरंतर रक्षा और देखभाल करनी चाहिए, उसे पूर्ण स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है। स्त्री की पहली शरण उसका पति, दूसरी उसके पुत्र और तीसरी उसके संबन्धी हैं, चौथी शरण स्त्री की कोई है ही नहीं।^२ राम के अनुसार पत्नी और पुत्र गृह-जनो के नियंत्रण में होते हैं।^३ स्त्री का योगक्षेम (संरक्षण एवं भरण-पोषण) पुरुष की शक्ति और उसके श्रम पर निर्भर करता है।^४ क्योंकि विवाह करने का मुख्य उद्देश्य वश की अविच्छिन्नता बनाये रखना था, अतः पति का यह कर्तव्य माना गया कि वह पत्नी की सावधानी से देखभाल करे (दारा रक्ष्या विमर्शनात्, ३।५०।८), क्योंकि यदि उसे स्वच्छंद छोड़ दिया गया तो वह परिवार पर अपयश का टीका लगा सकती है।^५

स्त्री को संपत्ति की नाई समझने की उक्त भावना के बावजूद उसका प्रचुर संमान रामायणकालीन संस्कृति की विशेषता थी। महिलाओ के प्रति समाज शालीन व्यवहार एवं उच्च शिष्टाचार का पालन करता था। रथो, नावो और अन्य वाहनो

१. दाराः पुत्राः पुर राष्ट्रं भोगाच्छादनभोजनम् । सर्वमेवाविभक्तं नो भविष्यति हरीश्वर ॥७।३४।४१

२. देखिए पाद-टिप्पणी १, पृ० १८७

३. कामकारो महाप्राज्ञ गुरुणा सर्वदानघ । उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥२।१०।१।१८

४. योगक्षेमो हि सीताया व्रतंते लक्ष्मणावयोः । २।५३।३

५. तुलना कीजिए—मातुः कुलं पितृकुल यत्र चैव च वीर्यते । कुलत्रयं सदा कन्या सशयं स्थाप्य तिष्ठति ॥७।९।११

फिर चढ़ते समय उन्हें प्रथम स्थान दिया जाता था । जब राम, लक्ष्मण और सीता वन की ओर प्रस्थान किया, तब सर्वप्रथम सीता ने रथ में अपना आसन ग्रहण किया, तत्पश्चात् दोनों भाई सवार हुए (२।४०।१३-७) । इसी प्रकार जब इन लोगों ने गंगा को पार किया, तब लक्ष्मण ने राम के आदेश से पहले सीता को नाव पर चढ़ाया और उसके बाद वह स्वयं चढ़े ।^१ रथों में स्त्रियाँ आगे की ओर बैठती थी । माता कौसल्या बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करती रहती थी कि सीता को रथ में आगे बैठाकर राम वन से अयोध्या कब लौटेंगे—

फदायोध्यां महाबाहु पुरीं वीर प्रवेक्ष्यति ।

पुरस्कृत्य रथे सीता वृषभो गोवधूमिव ॥ २।४३।१२

राजरानी के प्रति प्रजाजन और अनुचर प्रणाम द्वारा आदर-भाव प्रकट करते थे । अशोकवाटिका में हनुमान ने सीता को सर्वप्रथम प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उन्हें संबोधित किया । कैंकेयी ने दशरथ से कहा था कि राम-माता कौसल्या को राज-माता के रूप में प्रजाजनो की अजलिया प्राप्त हो, इससे पहले मैं मर जाना ही श्रेयस्कर समझती हूँ ।^२ सीता को संबोधित करने से पूर्व विभीषण ने विनयपूर्वक सिर पर अजलि उठाकर उन्हें नमस्कार किया था (मूर्ध्नि वद्वाजलिः) । परित्यक्ता सीता के प्रति वाल्मीकि का व्यवहार इस बात का सूचक है कि वनवासी मुनि लोग भी स्त्रियों के प्रति उचित शिष्टाचार का पालन करने में त्रुटि नहीं होने देते थे (७।४९) ।

बड़े भाई की पत्नी माता के समान मानी जाती थी । लक्ष्मण नित्य सीता के चरणों में प्रणाम करते थे (नित्य पादाभिवन्दनात्) । मारीच-वध में सलग्न राम की सहायता के लिए न जाने पर लक्ष्मण को जब सीता ने किसी दुष्ट भाव से प्रेरित बताया, तब जितेंद्रिय लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि आप मेरे लिए साक्षात् देवता हैं, आपको प्रत्युत्तर देने की सामर्थ्य मुझमें नहीं है—उत्तर नोत्सहे वन्ननु दैवतं भवती मम (३।४५।२८)

कुलीन स्त्रियों के समक्ष अपने-आपको अकस्मात् उपस्थित कर देना

१. आरोप्य मैथिलीपूर्वमारोहात्मवास्ततः । २।५२।७६

२. एकाहमपि पश्येय यद्यह राममातरम् । अजलिं प्रतिगृह्णन्तीं श्रेयो ननु मतिर्मम ॥ २।१२।४८

असम्यता थी। इसीलिए लंका-विजय के बाद विभीषण ने, जो राम का सदेव सीता को देने जा रहे थे, पहले स्त्री-परिचारिकाओं द्वारा सीता को सूचना निजवाइ और फिर वह स्वयं उनके सामने उपस्थित हुए (५।११४।८)।

सूर्याव के अंतःपुर में स्त्रियों के नूपुरों की झंकार सुनकर लक्ष्मण लज्जित हो गए; अपने वनूप की टंकार करके उन्होंने अपने आगमन की सूचना दी और अपने कुलीनता का परिचय देते हुए वह एकांत में जाकर खड़े हो गए (४।३३।२५-७)।

रामायण में स्त्रियों की रक्षा करने का दार-द्वार आग्रह करने पर भी उनके वश में रहने के लिए विनी प्रकार के बल का प्रयोग अनुचित और हेय बताया गया है। स्त्रियों के सामने उत्तेजित अथवा क्रोडित होता नर्पादि के विपरीत है। तारु की उपस्थिति में लक्ष्मण ने अपने कोप का निवारण कर लिया था। महात्मा लोग स्त्रियों के प्रति कोई क्रूर व्यवहार नहीं करते थे—न ही स्त्रीषु महात्मानः क्वचिद् कुर्वन्ति दारुणम् (४।३३।३६)।

स्त्रियों की ओर घूरना असम्यता थी। सुमंस्कृत व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करते थे। नदविह्वलागी वानरराजपत्नी तारा को अस्तव्यस्त रूप में देखते ही महात्मा लक्ष्मण सिर नीचा करके उदासीन भाव में खड़े हो गए (तस्याबुद सीततया महात्मा ४।३३।३९)। स्त्रियों के साथ चलते समय पुरुष आगे की ओर चलते थे और स्त्रियाँ उनका अनुसरण करती थी। परित्यक्ता सीता को अपने आश्रम में ले जाते समय वाल्मीकि उनके आगे-आगे चले थे।^१ इस प्रथा के दो उद्देश्य थे—एक तो स्त्रियों की ओर घूरने का अवसर न आने देना और दूसरा उन्हें मार्ग दिखाना। लक्ष्मण ने सीता को घूरकर देखने की वृष्टता कभी नहीं की थी। जब वह राम की आज्ञा से सीता को वन में छोड़ने गए, तब सीता ने उन्हें अपनी असहाय अवस्था का भान कराया और कहा कि मेरी ओर देखो, मैं पूर्ण गर्भावस्था में हूँ, मेरे आसन्न-प्रसव के चिह्न क्या तुम्हें नहीं दिखाई देते?—निरीक्ष्य साद्य गच्छ त्वमृतुकालानुवर्तिनीम् (७।४८।१९)।

इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया—

कि मां वक्ष्यति शोभने।

दृष्टपूर्वं न ते रूपं पादौ दृष्टौ तवानये।

क्यन्न हि पश्यामि रामेण रहिता वने ॥ ७।४८।१९-२२

१. तं प्रयान्तं मुनि सीता प्राञ्जलि पृच्छतोऽन्वगात् ॥७।४९।१४

६

४

५

“आप यह क्या कह रही हैं ! आज तक मैंने चरणों के अतिरिक्त आपके रूप को कभी नहीं निहारा । यह तो निर्जन वन है और आर्यं राम भी यहाँ नहीं हैं । ऐसी स्थिति में मैं अपनी दृष्टि आप पर कैसे डाल सकता हूँ ?”

स्त्रियों का अपहरण—नारी-चीर्य—एक घृणित अपराध था । विभीषण ने रावण से कहा था कि पराई स्त्री से ससंग रखना धर्म और अर्थ का नाशक तथा अपयश का दाता होता है (६।१।१३-२२) । मनुष्य का कर्तव्य है कि वह बलात्कार से पराई स्त्रियों की अपनी ही स्त्री की भाँति रक्षा करे ।^१ सीता ने रावण से कहा कि तुम अपने को उदाहरण-योग्य बनाओ और केवल अपनी स्त्रियों से रमण करो ।^२ पराई स्त्रियों का लोभी राजकुमार भी देश से निर्वासित कर दिया जाता था । राम के वनवास के कारण से अनभिज्ञ भरत ने कैकेयी से पूछा था कि कहीं राम पराई स्त्रियों पर तो आमक्त नहीं थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें दंडकारण्य में निर्वासित कर दिया गया हो ।^३ किसी ‘अकामा’ (अनिच्छुक) स्त्री का बलात् उपभोग कठोर रूप से दंडनीय होता था ।^४

स्त्रियों को ‘अवध्या’ अर्थात् न मारे जाने योग्य घोषित किया गया था । स्त्री का वध करनेवाला राजा, बालक या वृद्ध का वध करनेवाले के समान घृणित था ।^५ स्त्री का वध एक अनायोचित कृत्य था—एक जघन्य कार्य, जो अपनी आयु का नाशक था तथा जिसके लिए परलोक में कठोर यातना भुगतनी पड़ती थी । जब इंद्रजित (माया-सीता) का वध करने पर उतारू हो गया, तब हनुमान ने

१ यथात्मनस्तथान्येषा दारा रक्ष्या विमर्शनात् । ३।५०।८; ७।२६।२९; ५।२१।७ भी देखिए ।

२ आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम् । ५।२१।७

३ कच्चिन्न परदारान्वा राजपुत्रोऽभिमन्यते । कस्मात्स दण्डकारण्ये ग्राता रामो विवासित ॥२।७२।४५

४ तुलना कीजिए—यदा ह्यकामा कामातोर्धर्वयिष्यति योषितम् । मूर्धा तु सप्तधा तस्य शकली भविता तदा ॥७।२६।५५-६

५ राजस्त्रीबालवृद्धानां वधे यत्पापमुच्यते । २।७९।३७

उसे चेतावनी दी कि स्त्री-हत्यारे मृत्यु के बाद उन लोको को ले जाये जाते हैं, जहा कुत्सित अपराधी भी जाने में हिचकते हैं।^१

समाज-विरोधी कार्यों के कारण जहा दुष्टा स्त्रियो का वध अनिवार्य हो जाता था, वहा भी मार डालने की अपेक्षा उन्हें विकृत या कुरूप कर देना अधिक उचित समझा जाता था, जैसाकि शूर्पणखा और अयोमुखी के उदाहरण से प्रकट है। शूर्पणखा ने रावण से कहा था कि राम ने मेरे प्राण इसलिए छोड दिये कि वह स्त्री-हत्या का पाप नहीं करना चाहते थे।^२ लक्ष्मण ने राक्षसी अयोमुखी के कान, नाक तथा स्तन काट डाले थे। राम ने ताटका का वध तभी किया जबकि समाज-हित की दृष्टि से उसे मार डालने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया। मानवता की रक्षार्थ दो स्त्रियो की हत्याओ का दृष्टात-रूप में उल्लेख विश्वामित्र ने राम से किया था—एक तो विष्णु द्वारा भृगु-पत्नी का वध और दूसरा इद्र द्वारा विरोचन की पुत्री मथरा का वध (१।२५।२०-१)।

जब लका की अधिष्ठात्री राक्षसी लकिनी ने हनुमान को प्रवेश करने से रोका, तब हनुमान ने केवल अपने बाये हाथ से उसे एक घूसा जमाया और स्त्री जानकर उस पर अधिक क्रोध नहीं किया—स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोध स्वयं कृतः (५।३।४१)। शत्रुघ्न चाहते थे कि कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट करनेवाली दासी मथरा का काम तमाम कर दिया जाय, किंतु भरत ने उन्हें रोका और कहा कि स्त्रियो को सभी प्राणियो के हाथो वध से मुक्ति मिली हुई है, यदि तुम यह घृणित कार्य कर बैठोगे तो राम तुमसे बोलना छोड देगे (२।७८।२१-३)। स्वयं रावण ने सीता द्वारा कई बार अपमानित होने पर भी उनका वध नहीं किया, क्योंकि ऐसा कार्य वीरोचित नहीं था।

इस प्रसंग में अपहृत नारियो के प्रति तत्कालीन समाज के दृष्टिकोण की समीक्षा करना आवश्यक है। जो स्त्रिया एक बार शत्रुओ या दुष्टो के फेर में अनिच्छा से पड जाती है और जिन्हे फिर किसी प्रकार उनसे छुटकारा पाकर अपना पूर्व पारि-

१. ये च स्त्रीघ्रातिनां लोका लोकवर्ध्मश्च कुत्सिताः। इह जीवितमुत्सृज्य प्रेत्य तान्प्रतिलप्स्यसे ॥६।८।१।२२

२. एका कथंचिन्मुक्ताहं परिभूय महात्मना। स्त्रीवधं शंकमानेन रामेण विदितात्मना ॥३।३।४।१२

वारिक जीवन व्यतीत करने का सुयोग मिल जाता है, क्या ऐसी स्त्रियो को समाज अपने अक में पुन स्थान देने को तैयार है ? इस प्रश्न का उत्तर ही स्त्रियो के प्रति किसी समाज के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की खरी कसौटी माना जायगा ।

रामायण में ऐसी कई स्त्रियो के उदाहरण आये हैं, जिनका बलात्कार से सतीत्व-भग किया गया हो अथवा जो बलपूर्वक अपहृत होकर शत्रु-गृह में रही हो । राक्षसराज रावण ने राजाओ, ऋषियो, देवताओ और दानवो की अनेक विवाहित-अविवाहित कन्याओ का अपहरण करके उन्हे अपने अत पुर में भर रखा था । उनकी दशा सिंह के पजे में पडी हरिणियो की-सी थी—उन्हे अपने दु ख का कोई छोर नही दिखाई देता था । रावण की मृत्यु हो जाने पर इन स्त्रियो की क्या दशा हुई, उन्हे समाज में पुन समानपूर्ण स्थान मिला या नही, इस विषय पर वाल्मीकि ने कोई प्रकाश नही डाला है ।

उत्तरकांड में भार्गव-ऋषि की कन्या अरजा की कथा विस्तार से वर्णित है (७।८०-१) । एक वार विंध्य प्रदेश का राजा दंड भार्गव ऋषि के आश्रम में जा पहुचा, जहा उसने मुनि की अपूर्व सुदरी कन्या अरजा को विचरण करते देखा । राजा उस पर मोहित हो गया और उसने उससे प्रेम की भिक्षा मागी । किंतु अरजा ने अपने को पिता के सर्वथा अधीन बताते हुए असमर्थता प्रकट की और कहा कि आप मेरे पिता से मेरी याचना कर लें, आपकी प्रार्थना पर वह मुझे आपको समर्पित कर देंगे । किंतु कामोन्मत्त राजा दंड ने मस्तक पर अजलि उठाकर समागम के लिए पुन प्रार्थना की और अत में विह्वल हो बलपूर्वक उस मुनि-कन्या का उपभोग कर लिया । इस दुष्कृत्य के बाद राजा तो शोचता से अपनी राजधानी मधुमत लौट गया और बेचारी अरजा भयभीत हो रोती हुई आश्रम के समीप पिता की प्रतीक्षा करने लगी ।

जब भार्गव ऋषि ने अपने शिष्यो से अरजा का सारा वृत्तांत सुना, तब उनकी क्रोधाग्नि भमक उठी और उन्होने सात दिन में दंड के राज्य का सर्वनाश कर देने की प्रतिज्ञा की । इस पर सारे आश्रमवासी आश्रम खाली करके दंड के राज्य से बाहर चले गए । ऋषि ने अपनी पुत्री को भी सर्वथा निर्दोष नही माना और 'दुर्मेषा' (दुर्दुद्धि) कहकर उसकी भर्त्सना की, क्योंकि कामातुर राजा के बलात्कार को स्वीकार और सहन कर उसने भी तो इस पापाचरण में सहयोग दिया था । आश्रम से जाने से पहले मुनि ने अपनी पुत्री को वही रहकर तपस्या में निरत रहने की आज्ञा

दी। स्पष्टतः अरजा के लिए विवाह का प्रश्न ही समाप्त हो गया और पिता के आदेशानुसार उसने निर्जन आश्रम में जीवनपर्यंत तपस्या करने का ही संकल्प कर लिया। भार्गव ऋषि का व्यवहार यह सूचित करता है कि वह अपनी बलपूर्वक दूषित की गई पुत्री को स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं थे और उन्होंने उसका सदा के लिए परित्याग कर दिया।

अपहृत नारियो का इतिहास-प्रसिद्ध उदाहरण सीता का है, जिनको रावण ने पंचवटी से हरकर अपने यहां एक वर्ष तक बंदी-रूप में रखा था। रावण के वध के पश्चात् राम सीता को अंगीकार करने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी की सच्चरित्रता में संदेह हो गया था। उन्होंने सीता से कहा— “अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है, वह सब मैंने किया। अपने समान की रक्षा के लिए मैंने रावण का नाश कर डाला। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से इसमें विजय पाई है, वह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं, अपितु सदाचार की रक्षा करने, अपने को अपवाद से मुक्त करने तथा अपने विख्यात वश का कलक मिटाने के लिए ही किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, वैसे ही आज तुम अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। इसलिए जानकी, तुम्हारी जहा इच्छा हो चली जाओ। मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हू। ये दसों दिशाएँ तुम्हारे लिए खुली हैं। मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा, जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई अपनी स्त्री को ग्रहण करेगा? रावण की गोद में बैठकर तुम अपवित्र हो चुकी हो और उसने कामातुर नेत्रों से तुम्हें देखा है। अपने ही घर में तुम-जैसी अद्वितीय सुदरी को पाकर क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया होगा? इसलिए अपने कुल-गौरव का अभिमान करनेवाला मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? अतः अब तुम जहा जाना चाहो, जा सकती हो। मेरा तुमसे कोई अनुराग नहीं” (६।११५।१३-२४)।

इस पर सीता ने सदाचार की शपथ खा कर कहा—“आप मुझे जैसी समझ रहे हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। रावण के शरीर से मेरे शरीर का जो स्पर्श हो गया है, उसमें मेरी विवशता ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था, इसमें मेरे दुर्भाग्य का दोष है। परंतु मेरा हृदय मेरे अधीन है, और वह सदा आप ही में लगा रहता है” (६।११६।८-९)। राम को सीता के इस स्पष्टीकरण से संतोष नहीं

हुआ और उन्होंने उनको तभी स्वीकार किया जब एक दैवी साक्षी ने उनकी सच्चरित्रता का प्रमाण दिया ।

राम के उपर्युक्त कथन के विपरीत रामायण में ऐसे अनेक कथन हैं, जिनसे यह स्पष्ट आभास मिलता है कि वह सीता को रावण के चुगल से इसलिए छुड़ाना नहीं चाहते थे कि उनके यश पर लगा टीका धुल जाय, वरन इसलिए कि वह अपनी उस प्राणप्रिय भार्या को पुन सुखी और प्रसन्न कर सकें, जिसने शारीरिक कष्टों की परवा न करते हुए स्वेच्छा से उनका वनवास में साथ दिया था (४।१।१०३-९) । लका पर आक्रमण करने के लिए जब राम समुद्र पार करने की तैयारी करते हैं, तब उन्हें यह स्मरण कर अत्यंत क्लेश होता है कि वह पचवटी में सीता की कातर वाणी नहीं सुन पाये और समय पर उनकी रक्षा करने न पहुँच सके । यही नहीं, वह बड़ी व्यग्रता, आतुरता और विद्वलता के साथ उस घड़ी की प्रतीक्षा करते हुए जान पड़ते हैं, जब सीता उत्कठावश उनके गले से लिपटकर आनन्द के आसू वहायगी (६।५।७-२०) । वाल्मीकि ने ऐसा संकेत कही नहीं दिया है कि लका-विजय के बाद राम सीता को, पर-घर में रहने के कारण, त्याग देना चाहते थे । ऐसी स्थिति में रावण-वध के पश्चात् सीता के प्रति राम का उपर्युक्त कथन अस्वाभाविक एवं विस्मयकारक जान पड़ता है । किंतु इसका वास्तविक कारण हमें सीता की अग्नि-शुद्धि के बाद ज्ञात होता है, जब राम कहते हैं—“सीता की पवित्रता की परीक्षा लोक-दृष्टि से आवश्यक थी, क्योंकि इन्हें बहुत दिनों तक रावण के अंत पुर में रहना पड़ा है । यह बात मैं भी जानता हू कि जनकनदिनी सीता का मन मुझमें ही लगा रहता है और यह मेरी इच्छाओं का ही अनुसरण करती है । लका में यह अपने तेज से सुरक्षित थी, अतः रावण इनका कुछ भी नहीं विगाड सकता था । तथापि यदि मैं इनकी परीक्षा न करता तो संसार यही कहता कि दशरथ-पुत्र राम बड़ा मूर्ख और कामी है” (६।११।१३-६) ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकापवाद के भय से ही राम सीता का त्याग करने को उत्तारू हो गए थे और इसी कारण उन्हें संसार को सीता के निष्कलंक होने का प्रमाण उनकी अग्नि-परीक्षा कराकर देना पड़ा ।

लोकापवाद का यही भय उत्तरकांड में वर्णित सीता के अंतिम परित्याग का कारण हुआ । अयोध्या का रूढ़िवादी और कट्टर समाज अपहृत स्त्री को परिवार

और समाज में उसका पूर्व स्थान देने को प्रस्तुत न था। इसी कारण राम के अयोध्या लौटने के कुछ ही दिनों बाद राज्य में सर्वत्र, नगरों और देहातों में, लोग उनके इस कृत्य की चर्चा करने लगे—“रावण को मारकर राम सीता को ले आये और उनमें किसी प्रकार का दोष न देख कर इन्होंने उन्हें घर में रख लिया। इनके हृदय में सीता के सभोग का सुख कैसा घर कर गया है ! जिन्हें रावण बलपूर्वक गोद में उठाकर ले गया, जो लका में ले जाई गई और जो अशोकवाटिका में राक्षसों के अधीन होकर रही, उनको भी इन्होंने निन्दनीय नहीं ममज्ञा। अब हम लोगों को भी अपनी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेगी, क्योंकि राजा जैसा करता है, प्रजा भी उसीका अनुसरण करने लगती है” (७।४३।१७-२०)। इस लोक-निंदा के समक्ष राम को झुकना पड़ा। यद्यपि उनकी अतरात्मा सीता को निष्पाप ही मानती थी, तथापि वह अपनी प्रजा को अप्रसन्न करने को तैयार नहीं थी; भार्या के संरक्षण की तुलना में लोकानुरजन उन्हें अधिक महनीय कर्तव्य जान पड़ा। अतः उन्होंने सीता का सदा के लिए परित्याग कर दिया (७।४५। १०-१६)। वर्षों पश्चात् सीता को अयोध्या की सभा में आकर अपनी शुद्धता का प्रमाण देने के लिए आमंत्रित किया गया। अयोध्या की प्रजा के समक्ष वह हृदय-विदारक शपथें खाकर अपनी पवित्रता की दुहाई देने लगी, किंतु इस मानसिक आघात को अधिक देर तक सह न सकी और उनके प्राण-पखेरू उड़ गए।

भारतीय परंपरा ने लोक-संग्रहार्थ किये गए राम के इस अनुपम आत्मत्याग की सराहना की है, उनके अतस्तल में होनेवाले सघर्ष के प्रति सहानुभूति दर्शाई है और उनके कार्य में महान एव लोकोत्तर आदर्श की भी ज्ञाती पाई है। वास्तविक दोष यदि कुछ है तो वह राम का उतना नहीं जितना कि तत्कालीन कट्टर जन-मत का, जिसका विरोध करना राम की सामर्थ्य से बाहर था। रामायणकालीन समाज का अपहृत नारियों के प्रति संकुचित दृष्टिकोण था। वह उन्हें अपने बीच पुनः समानित स्थान देने के किसी प्रयास का प्रबल विरोध करता था। यह सतोष का विषय है कि हमारे प्राचीन स्मृतिकारों ने सामान्य स्त्रियों के लिए पवित्रता के इस उच्च किंतु अव्यावहारिक आदर्श का समर्थन नहीं किया है।^१

१ उदाहरणार्थ, स्मृतिकार पाराशर (१०।२१-२) का कथन है कि यदि किसी स्त्री का बलपूर्वक या डरा-धमकाकर उपभोग किया जाय तो वह प्रायश्चित्त

रामायण में स्त्रियों के पातिव्रत्य की प्रशंसा के अतिरिक्त कई स्थानों पर उनके अवगुणों की भी चर्चा हुई है और उन्हें तीव्र भर्त्सना और उपालम्भ का पात्र बनाया गया है। यदि इन स्थलों का अध्ययन किया जाय तो स्त्री-चारित्र्य की कई कथित विशेषताओं पर तथा उनके मूल में निहित भावनाओं पर यथेष्ट प्रकाश पड़ेगा।

स्त्री का एक प्रमुख दोष है उसकी उत्सुकता की भावना। जब स्त्री में किसी चीज को जानने या पाने की इच्छा जागृत हो उठती है, तब वह अदम्य बन जाती है। फिर उसे मर्यादा का ध्यान नहीं रहता, उसकी इच्छा की पूर्ति होनी ही चाहिए, चाहे इसके लिए कीमत कितनी ही क्यों न चुकानी पड़े। एक बार कैंकेयी के पिता अपनी रानी (कैंकेयी की माता) के साथ शयनागार में थे कि उन्हें एक जृभ पक्षी की चहचहाहट सुनाई पड़ी। केकय-नरेश 'सर्वभूतस्तविद्या,' सब प्राणियों की भाषा जानते थे, अतः उस जृभ पक्षी की बोली का अभिप्राय समझकर हँस पड़े। इससे कैंकेयी की माता क्रुद्ध हो गई और बोली—“राजन, मैं आपके हँसने का कारण जानना चाहती हूँ।” राजा ने कहा—“देवी, यदि मैं कारण बता दू तो निस्मदेह डमी क्षण मेरी मृत्यु हो जायगी।” यह सुन कर रानी ने अपने पति से कहा—“चाहे जिये या मरें, मुझे हँसने का कारण अवश्य बताना होगा।” अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह महाराज को मृत्यु के मुख में भी ढकेलने को तैयार थी। राजा ने ऐसी स्त्री को घर से बाहर निकाल देने में ही अपना कल्याण समझा (२।३५।१८-२६)।

उत्सुकता का यह दोष स्त्री में कभी अनुचित यौन आकांक्षा भी जगा देता है, वह कुतूहलवश अनेक पुरुष-सपर्क-जन्य रति-सुख पाने की इच्छुक हो जाती है, जैसाकि गौतम-पत्नी अहल्या के साथ हुआ। अहल्या ने इंद्र के रति-प्रस्ताव को कुतूहलवश ही स्वीकार किया था—मतिं चकार दुर्मेवा देवराजकुतूहलात्—दिव्य रति के कौतूहल ने अहल्या को बेवस कर दिया था (१।४८।४९)।

त्रिया-हठ एक लोकप्रसिद्ध सत्य है। किसी बात के लिए दुराग्रह कर बैठना,

करने से और अपने मासिक रज स्राव से पुनः शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्तपुराण (प्रकृति-खंड ६।१।७९) में भी कहा गया है कि अनिच्छा से बलात्कार किये जाने पर कोई स्त्री दूषित या जाति-बहिष्कृत नहीं होती—प्रायश्चित्त करने पर वह शुद्ध हो जाती है।

उसका पीछा न छोड़ना, निबंल स्त्री-जाति का एक सवल पक्ष है । नारी सचमुच पुरुष को अपनी हठीली मागो में हतप्रभ कर देने का अनोखा कौशल अपने में मजोये रहती है । दशरथ की घमकिया, आज्ञाए, दीनतापूर्ण प्रार्थनाए, मान-मनुहारें, कोई भी कैकेयी को अपने हठ से हटा न सकी, शोक-ग्रस्त राजा जब उसके पैरो पड गए और वर लौटा लेने के लिए गिडगिडाने लगे, तब भी कैकेयी टस-से-मस न हुई । उधर, वन में सीता को ज्योही स्वर्ण-मृग दिखाई पडा, उनकी आखे आश्चर्य से खिल उठी और उसे पाने के लिए उनके मन में प्रबल इच्छा जग पडी—“विचित्र रंगो से सुशोभित इस अद्भुत मृग ने मेरे मन को मोहित कर लिया है । यदि यह जीवित ही पकड लिया जाय तो हमारे लिए एक कौतुक की वस्तु होगा और सबको आश्चर्य में डाला करेगा । जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जायगी और हम पुनः अपना राज्य पा लेंगे, तब यह मृग हमारे अत पुर की शोभा बढ़ायगा । यदि यह जीते-जी न पकडा जा इसके तो भी मैं इसके चर्म पर अवश्य बैठना चाहती ह ।

कामवृत्तमिदं रौद्रं स्त्रीणामसदृशं मतम् ।

वपुषा त्वस्य सत्त्वस्य विस्मयो जनितो मम ॥३४३।२१

“ऐसी घोर कामना स्त्रियो में अनुचित मानी गई है, किंतु क्या करू, इस मृग की सुनहरी देह ने मेरे अदर विस्मय पैदा कर दिया है ।” सुदर वस्तुओ के प्रति अपने प्रलोभन को प्रकट कर सीता ने अपना स्त्रीत्व ही अनावृत कर दिया ।

पुरुषो से अपने मन की बात मनवाने के लिए स्त्री के पास दो और शस्त्र हैं— निर्मम स्वभाव और वज्र-तुल्य वाणी (वज्रसमा वाक्) । कठोर और निर्दयी कैकेयी अपने अहकार, उद्वत स्वभाव, तनुकमिजाजी तथा सपत्नियो के प्रति तीव्र घृणा के सहारे महाराज दशरथ के रनवास पर हावी हो गई थी । राम अपनी विमाता के इस स्वभाव से परिचित थे । अपने प्रस्तावित यौवराज्याभिषेक के दिन जब राम ने देखा कि पिताजी का चेहरा उतरा हुआ है और मुह सूख गया है, तब उन्होने पास ही खडी कैकेयी से पूछा—“कही तुमने अभिमान या रोप मे आकर पिताजी से कोई कठोर बात तो नही कह डाली, जिससे इनका मन व्यथित हो रहा है ?”

१ क्वचित्ते पुरुषं किंचिदभिमानात्पिता मम । उक्तो भवत्या रोषेण येनास्यं लुलितं मनः ॥२।१८।१७

कैकेयी ही नहीं, मुग्धा सीता भी क्रोध करने और चुभती बात कहने में समर्थ थी। वन में राम की सहायतार्थ लक्ष्मण के न जाने पर वह उबलकर उन पर वरस ही तो पड़ी थी।

व्यर्थ का गर्व अथवा अपने-आपके विषय में अहकार-भरी धारणा स्त्री-स्वभाव की एक जानी-मानी पहचान है। कैकेयी स्वार्थ के प्रति कितनी जागरूक थी—उसने दशरथ से पहले तो वर-पूति की शपथ दिलवा ली और फिर अपना दुष्ट मतव्य प्रकट किया। वाल्मीकि ने उसके लिए वृथा-पडित-मानिनी (पाडित्य का व्यर्थ अभिमान करनेवाली) का उपयुक्त विशेषण प्रयुक्त किया है। मथरा ने कैकेयी को यह स्मरण दिलाकर कि महाराज पर तुम्हारा कितना अपरिमित प्रभाव है, उसकी अहकार-भावना को और भी अधिक उकसाया। कैकेयी के प्रति दशरथ के इन शब्दों से बढ़कर स्त्री की आत्म-महत्व की भावना को और क्या प्रश्रय मिल सकता है—“किमने तुम्हारा अपराध किया है, जो मुझे दुःखी करने के लिए तुम इस तरह घूल में लोट रही हो? बताओ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं आज किसका प्रिय करूँ? अथवा, किसने तुम्हारा अप्रिय किया है, जिसके लिए उसे कठोर दंड दूँ? किस निरपराध का वध कर दूँ और किस अपराधी को मुक्त कर दूँ? किस दरिद्र को धनवान और किस धनी को दर-दर का भिखारी बना दूँ? मैं और मेरे सभी सेवक सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं” (२।१०।२८-४०)।

प्रायः यह देखा जाता है कि स्त्री अभिमान-वश पुरुष के किसी मार्मिक स्थल पर—उसके पुरुषत्व, वीरत्व या चरित्र पर—ऐसा तीखा प्रहार करती है, जिससे वह तिलमिलाकर उसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य हो जाय। वन में कुछ समय तक तो लक्ष्मण राम की सहायतार्थ जाने के सीता के आग्रह को टालते रहे, पर जब सीता उनके चरित्र पर लाछन लगाने को उतारूँ हो गईं—ऐसा लाछन, जिसने जितेंद्रिय लक्ष्मण के कानों को तपाये हुए नाराच बाण की तरह वेध दिया (तप्त-नाराचसनिभम्)—तब वह रुक न सके और तुरत राम के पास चल दिये। जब दशरथ कैकेयी को उनके दोनों वर देने में हिचकिचा रहे थे, तब कैकेयी ने उन पर व्यग्य किया कि आप राम को राजा बनाने के बाद मेरी सौत कौसल्या के साथ निर्वृद्ध होकर रमण करना चाहते हैं—सह कौसल्यया नित्य रन्तुमिच्छंसि दुमंते (२।१२।४५)। वनवास के कष्टों के कारण राम सीता को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, पर सीता ने उनको ताना मारते हुए कहा—“न जाने मेरे पिता मिथिलेश्वर

ने तुम्हें क्या समझकर अपना जामाता बना लिया, तुम तो स्त्रियं पुरुषविग्रहम्, पुरुष के रूप में स्त्री हो" (२।३०।३); और जब राम ने सीता से अयोध्या में ही रहकर भरत की वशवर्तिनी बने रहने के लिए कहा, तब तो सीता का अभिमान चोट खाये हुए सर्प की भाँति आहत हो उठा और वह बोली—“हे राम, तुममें और एक नीच नट (शैलूष) में क्या अंतर है, जो अपनी पत्नी को दूसरे के हाथ सौंप देता है ?” (२।३०।८)। यह आरोप मर्म पर चोट करनेवाला है और पाठक सोचता है कि क्या ऐसी उक्ति सीता के मुह से शोभा देती है।

शरीर और मन की दुर्बलता नारी की एक और विशेषता है। 'नैराश्य' और हृदय का 'लघुत्व' ये दोनों स्त्री-स्वभाव के विशिष्ट लक्षण हैं। उसे फुसलाकर पथ-भ्रष्ट कर देना कोई कठिन काम नहीं। कुब्जावाक्प्रवशंगता, मथरा के हाथों कैंकेयी का प्रलोभीकरण यह सिद्ध करता है कि स्त्रियों के लिए कुशिक्षा ग्रहण करना सहज-संभव है। रामायण में यह संभावना सर्वत्र व्यक्त की गई है कि लपट जन नारी को अननय-विनय करके, जीवन के सौख्यो का रगीला चित्र दिखाकर, नृत्य और सगीत के आकर्षणों से अथवा उसके सौंदर्य की स्तुति द्वारा अपने वश में कर सकते हैं। किमी अनिच्छुक रमणी के तरल भाव को जगाने में इस तर्क का आश्रय लिया जाता था—

इदं ते चारुसंजातं यौवनं ह्यतिवर्तते।

यदतीतं पुनर्नैति स्रोतः स्रोतस्विनामिव ॥५।२०।१२

अर्थात् तुम्हारी यह रमणीय युवावस्था बीती जा रही है, और नदी के बहे हुए प्रवाह की भाँति कभी लौटकर नहीं आनेवाली है (इसलिए क्यों नहीं तुम सुखोपभोग में अपनी आयु विताती ?)।

इन सब उक्तियों से यही ध्वनित होता है कि नारी में भावुकताजन्य दुर्बलता का आधिपत्य होता है, वह लुभावनी बातों से प्रलुब्ध की जा सकती है, वह प्रेम के किमी प्रस्ताव से सद्य प्रभावित हो जाती है और उसमें प्रलोभनों से मुह मोडने की पर्याप्त क्षमता नहीं होती। इमीलिए वधु-वाधुवों को स्त्री की निरंतर देखभाल करते रहना चाहिए—कच्चित्स्त्रियं सात्वयसे कच्चित्तास्ते सुरक्षिताः (२।१००।४९)।

स्त्रियों में प्रायः चपलता अथवा अस्थिरता पाई जाती है (विद्यते स्त्रीषु चापल्यम्)। दृढचित्तता उनसे कोसो दूर रहती है। महामुनि अगस्त्य ने स्त्रियों की दुर्बलता पर प्रकाश डालते हुए राम से कहा था—“सृष्टि के आदि से ही स्त्रियों

की यह प्रकृति रही है कि वे अपने 'समस्थ' (धन-धान्यादियुक्त) पति का अवलंबन करती हैं और 'विषमस्थ' (दरिद्र, रोगादिग्रस्त) पति का परित्याग कर देती हैं। अपना निवास बदलने में वे विद्युत की चंचलता का, स्नेह-वधन तोड़ने में शस्त्रों की तीक्ष्णता का और अकार्य करने में गरुड और वायु की शीघ्रता का अनुकरण करती हैं" (३।१३।५-६)। दुष्टा स्त्रियों की चंचलता की तीव्र निंदा वाल्मीकि ने कौसल्या के मुख से कराई है—“जो स्त्रिया पति द्वारा सदा समानित होने पर भी सकट में पड़ने पर उसका अपमान करती है, वे ससार में असती के नाम से पुकारी जाती हैं। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति से यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी-सी विपत्ति में पड़ जाता है, तब उस पर अनेक दोषारोपण करके उसका त्याग कर देती हैं। युवती स्त्रिया असत्यपरायण, विकारग्रस्त, अनियंत्रित, हृदयहीन, पापसंकल्प और क्षणिक अनुराग रखनेवाली होती हैं। उच्च कुल, उपकार, विद्या, दान, वधन, इनमें से कोई भी उन्हें पाप-कर्म से निवृत्त नहीं कर सकता क्योंकि अनित्यहृदया हिता, उनका हृदय अस्थिर होता है” (२।३९।२०-३)। इसीलिए राम ने भरत को यह परामर्श दिया था कि तुम्हें स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, न उन्हें गुप्त बातें ही बतानी चाहिए—कच्चिन्न श्रद्धास्यासां कच्चिद् गुह्य न भाषसे (।२।१००।४९)

सीता के दोषारोपण से मर्माहत हो लक्ष्मण ने भी अगस्त्य के-से ही भाव प्रकट किये थे—“ऐसी अनुचित बातें मुह से निकालना स्त्रियों के लिए कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ससार में नारियों का ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है। स्त्रिया प्रायः विनय आदि धर्मों से रहित, चंचल, कठोर तथा आपस में फूट डालने-वाली होती हैं। इसी स्त्री-स्वभाव के वशीभूत होकर आप मुझसे ऐसी बातें कह रही हैं।”^१

स्त्री-जाति की एक और विशेषता है ईर्ष्या की स्वभावगत भावना। उस युग के बहुसंख्यक स्त्रियों से भरे अत पुर नारी के ईर्ष्या-द्वेष की क्रीडास्थली थे। कैंकेयी का अपने दो वरों के लिए दुराग्रह एक ईर्ष्यालु स्त्री की विषाक्त मनोवृत्ति का परिचायक है। कैंकेयी द्वारा छले गए महाराज दशरथ के लिए धिगस्तु योषितो

१. वाक्यमप्रतिरूप तु न चित्र स्त्रीषु मैथिलि । स्वभावस्त्वेष नारीणामेषु लोकेषु
दृश्यते । विमुक्तधर्माश्चपलास्तीक्ष्णा भेदकरा. स्त्रियः ॥ ३।४५।२९-३०

नाम शठाः स्वार्थपरायणा, स्त्रिया दुष्ट, स्वार्थी और धिक्कार की पात्र होती हैं (२।१२।१००)। यह दर्शनीय है कि सीता-हरण की घटना का आधार एक रक्त-पिपासु स्त्री (शूर्पणखा) की ईर्ष्यालुता थी। राम और लक्ष्मण दोनों के द्वारा ठुकराये जाने पर वह गुस्से से उबलती हुई रावण के दरबार में गई और उसे प्रतिशोध के लिए उकसाने लगी। तिरस्कृत स्त्री का खूबवारपन यदि देखना हो तो शूर्पणखा में देखा जा सकता है। उसने राम के प्रति अपने काम-भाव को रावण पर प्रकट नहीं किया और सीता के रूप की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं तो उसे आपके रनवास के लिए लाना चाहती थी, पर ऐसा करने के प्रयत्न में लक्ष्मण ने मुझे विरूप कर दिया।^१

अनसूया के अनुसार असती स्त्रियों का हृदय काम के अधीन रहता है। वे भर्तृनायाः, अपने पतियों पर शासन किया करती हैं। उनका हृदय एक पहेली-सा होता है—वे न तो बल-प्रयोग करनेवाले कामुक से प्रेम करती हैं, न गिडगिडानेवाले से और न धनहीन से ही अनुराग करती हैं।^२ राग और घृणा दोनों की साधनभूत होती है ये स्त्रियाः; कम-से-कम जो स्त्रियों के वशीभूत हो जाता है, वह 'कामक्रोधाभिभूत' अवश्य होता है। पुरुष की इद्रियों के लिए वे उन्मादकारिणी होती हैं, अपने दुर्निवार आकर्षणों से वे पुरुष को जीवन के ऊँचे ध्येय से पथ-भ्रष्ट कर देती हैं, जैसाकि अप्सराओं द्वारा ऋषि-मुनियों के प्रलोभीकरण से प्रकट है। यही नहीं, ऋष्यशृंग-जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी तरुण, जो वन में ही बड़ा हुआ और स्त्री नामक वस्तु से सर्वथा अनभिज्ञ था, सुदरियों के रूप-पाश में अनायास फस जाता है। रावण-जैसा दिविगजयी शूरवीर भी नारी के सौंदर्य-जाल से वशीभूत और जडीभूत होकर उसके सामने घुटने टेक देनेवाला कायर बन जाता है (३।५५।३५-६)। इसीलिए स्त्री को 'प्रमदा', प्रलुब्ध करनेवाली की सजा दी जाती है। वासना की वह पुतली है—काम-भोग से उसे सतत सतुष्ट रखना पड़ता है। सतति-प्रेम भी उसे रति-सुख से विमुख नहीं कर सकता। स्त्रियों में आसक्ति सुरा और द्यूत में आसक्ति के समान है (२।७५।४५) और उसकी गणना उन दस दोषों (दशवर्ग) में की गई है, जिनसे राजा को बचना चाहिए। उत्तरकांड के अनुसार

१. भार्यायै तु तवानेतुमुद्यताहं वराननाम् । विरूपितास्मि क्रूरेण लक्ष्मणेन
महाभुज ॥३।३५।२१-२

२. देखिए २।१००।२८; ५।२२।२; २।३९।२०

स्त्रियो में, विशेष कर यौवनशाली सुदरियो में, रज स्राव के दिनो में ब्रह्महत्या का भी कुछ अश वास करता है (७।८६।१५-६) ।

ऐसी दशा में क्या आश्चर्य यदि वाल्मीकि नारी और नागिन के बीच सादृश्य स्थापित करने को प्रेरित हो, क्योंकि दोनो ही कपट और धोखे के घर हैं । दशरथ की दृष्टि में कैकेयी एक तीक्ष्ण विपवाली व्याली (नागिन) थी, जिसे अज्ञानवश राजकुमारी समझकर वह अपने भवन में ले आये थे ।^१ धर्मात्मा विभीषण के लिए पराई स्त्री नागिन के समान थी, भाई रावण को चेतावनी देते हुए उन्होने कहा था कि वक्ष स्थल-रूपी फनधारी, चिंता-रूपी विप से युक्त, हास्य-रूपी तीक्ष्ण दातोवाला और पाच अगुलियो के रूप में पाच सिरोवाला यह सीता-रूपी भारी सर्प आपके गले में किसने लपेट दिया है ?—

वृतो हि बाह्वन्तरभोगराशि-
शिचन्ताविष. सुस्मिततीक्ष्णदंष्ट्र ।

पचागुली पचशिरोऽतिकाय

सीता महाहिस्तव केन राजन् ॥६।१४।२

नारी का कपटाचरण, उसकी विनाशकारी प्रवृत्ति तथा उसका वास्तविक रूप जानने में पुरुष की असमर्थता, इनको विशद करने के लिए कवि ने विप-सयुक्त मदिरा, सगीत से लुभाकर मृग की हत्या करनेवाले व्याध, अपथ्य व्यजनो का आस्वादन करने-वाले रोगी आदि उपमानो का प्रयोग किया है । नारी के मोह-जाल में पडा हुआ पुरुष पाश में बवे मृग की भांति अमहाय, पुत्र को बेच देनेवाले पिता के समान निदनीय और सडको पर लोगो का उपहासास्पद बननेवाले शरावी ब्राह्मण की तरह घृणित होता है ।^२ कैकेयी में आसक्त दशरथ को लक्ष्मण ने 'कृपण-चित्त, वृद्धौती में लडकपन करनेवाले तथा निन्दित और घृणास्पद' बताया था ।^३

१ त्व मयात्मविनाशाय भवन स्व निवेशिता । अविज्ञानान्नुपसुता व्याला तीक्ष्णविषा यया ॥२।१२।९-१०

२. देखिए २।१२।७६-७, ७०; २।११।२२, २।१२।७८

३ हनिष्ये पितर वृद्ध कैकेय्यासक्तमानसम् । कृपण च स्थित बाल्ये वृद्धभावेन गर्हितम् ॥२।२१।१९

नारी के प्रति उपर्युक्त कटूक्तियों का हमें निष्पक्षता से मूल्यांकन करना होगा। इनमें से अधिकांश उक्तियाँ ऐसे लोगों के मुख से निकली हैं, जो किसी कारण से स्त्रियों से रुष्ट, अपकृत या असंतुष्ट थे। रामायण के अधिकतर स्त्री-निंदापरक स्थल कँकेयी से संबन्धित हैं, जिसने अपनी कुटिल महत्वाकांक्षा और स्वार्थपरायणता से उस समय के सभी विचारशील लोगों को क्रुद्ध कर दिया था।^१ इन उक्तियों का अभिप्राय समस्त नारी-जाति को कलंकित करना नहीं है। कँकेयी की स्वार्थांधता से दुःखी महाराज दशरथ स्त्री-मात्र की निंदा कर बैठे थे, परंतुरत ही उन्होंने अपने अमर्यादित कथन में सशोधन कर लिया—न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वां भरतस्यैव मातरं, अर्थात् मेरा आशय यह नहीं है कि सभी स्त्रियाँ भरत की माता के समान शठ और स्वार्थी होती हैं (२।१२।१००)। सीता-जैसी नारियाँ इन दोषों से सर्वथा रहित और श्लाघ्या च व्यपदेश्या च यथा देवेष्वरुन्धती, देवो में अरुन्धती के समान प्रशंसनीय और पूजनीय होती हैं (३।१३।७)। स्त्रियों को वासना का पिंड तथा उनके अनुराग को क्षणिक बतानेवाले लोग प्रायः तपोनिरत ऋषि-मुनि हुआ करते थे, जो सयमी जीवन के महत्व को भली भाँति जानते थे तथा स्त्रियों में अनासक्ति रखने की शिक्षा देकर जनसाधारण को वैराग्य की ओर उन्मुख करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त दशरथ, कौसल्या, अगस्त्य, अनसूया, लक्ष्मण आदि का उद्देश्य निरी स्त्री-निंदा करना नहीं था, प्रत्युत निन्दित आचरण के विपरीत का, अर्थात् सदाचार का, पातिव्रत्य का, आग्रह करना और उमकी प्रशंसा करना था।^२

इस प्रकार हम देखने हैं कि रामायणकालीन समाज का नारी के प्रति दृष्टिकोण विभिन्न पहलुओं से निर्धारित होता था, और इसी कारण उसमें परस्पर विरोधी बातें देखने को मिल जाती हैं। पुरुष की मन स्थिति, उसके व्यक्तिगत अनुभव, चारित्रिक बल तथा अन्य परिस्थितियों से भी नारी के प्रति उसका व्यवहार नियंत्रित रहता है। भारत में मुख्यतः दो वर्गों की नारी के प्रति तीव्र प्रतिक्रियाएँ हुई हैं— एक भोगी, दूसरा वैरागी। इन वर्गों ने नारी की जो क्रमशः प्रभूत प्रशंसा और कटु

१. नराश्च नार्यश्च समेत्य संघशो विगर्हमाणा भरतस्य मातरम् ।२।६६।२९

२. 'न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रयुज्यते । किं तर्हि । निन्दितादितरत्प्रशंसितुम् । तत्र न निन्दितस्य प्रतिषेधो गम्यते किं त्वितरस्य विधिः ।' जीमन्ते २।४।२१ पर शबर-भाष्य।

निंदा की है, उनसे प्रभावित होकर समाज में नारी की स्थिति के विषय में कोई एकांगी मत नहीं बनाया जा सकता। फिर भी रामायण में निर्दिष्ट विविध प्रकार की नारी-विषयक सामग्री के समुचित मूल्यांकन से यह निष्कर्ष सरलता से निकाला जा सकता है कि कुल मिलाकर उस युग में स्त्रियों की स्थिति सामान्यतः सुखद थी। कम-से-कम तत्कालीन परिस्थितियों में नारी को एक कन्या, पत्नी, माता और विधवा के रूप में समस्त सभव सुविधाएँ और अधिकार प्राप्त थे, और इनके सहारे वह परिवार, समाज और राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान में अमूल्य योगदान कर रही थी।

आर्थिक जीवन

वैदिक युग के भ्रमणशील आर्य रामायण-काल से बहुत पहले ही, एक नियमित समाज-व्यवस्था के अतर्गत संगठित होकर, अपनी जीवन-चर्या को स्थायी रूप दे चुके थे। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक था कि उनका आर्थिक जीवन अधिक स्थिर, उन्नत एवं व्यापक बन जाय। रामायणकालीन आर्य उन पूर्वकालिक सैनिक-कृषको की भाँति नहीं थे, जिन्होंने कृष्ण-वर्ण दस्युओं को परास्त करके सिंधु का मैदान हस्तगत किया था। अब तो सभ्यता प्रगति कर चुकी थी, समाज अधिक सभ्य एवं सुसंस्कृत बन चुका था तथा विद्या और कला का प्रसार हो गया था। राजागण विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित करते, प्रचलित विधि के अनुसार विशाल यज्ञों का आयोजन करते, रण-क्षेत्र में चतुरगिणी सेनाओं का नेतृत्व करते तथा करो की वसूली, न्याय का वितरण और शासन का प्रबन्ध करने के लिए सुयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त करते थे।

एक सुशासित राज्य ही आर्थिक व्यवस्था का मूलाधार हो सकता है। “जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस देश में खेतों में बीज नहीं बोये जा सकते। राजहीन देश में धन अपना नहीं हो सकता, मनुष्यों की कोई पचायत नहीं रहती, राष्ट्र को उन्नति-शील बनानेवाले उत्सव और सभ भी बढ़ने नहीं पाते। कृषि और गो-रक्षा से जीविका चलानेवाले धनवान लोग सुरक्षित नहीं रह सकते, अपने घर का दरवाजा खोलकर सो नहीं सकते तथा दूर देश में जाकर व्यापार करनेवाले बेचने की वस्तुएँ लेकर कुशलपूर्वक मार्ग तय नहीं कर सकते। अराजकता फैल जाने पर अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा नहीं हो सकती। . . अराजक देश में कोई भी मनुष्य किसी वस्तु को अपनी नहीं कह सकता” (२।६७)।

वित्त-शास्त्र को प्राचीन भारत में ‘वार्ता’ की संज्ञा दी जाती थी। वार्ता शब्द का प्रयोग वैश्यों के तीन प्रमुख धर्मो—कृषि, गो-चारण और व्यापार—के लिए किया जाता था। रामायण-काल में वार्ता-शास्त्र का इतना महत्त्व बढ़ गया प्रतीत होता है कि उसे तिस्रः विद्याः के अतर्गत त्रयी (तीनों वेद) और दंडनीति के समकक्ष

गिना जाने लगा (२।१००।६८)। इससे यह अनुमान होता है कि वार्ता का शास्त्रीय अध्ययन प्रारंभ होने से पहले कृषि आदि उद्योगों का अनियमित ढंग से विकास होता रहा होगा। वार्ता-विद्या के शास्त्रीय स्तर पर पहुँचने के बाद कृषि, गो-पालन और व्यापार के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा—उनकी प्रगति की एक सुनिश्चित दिशा निर्धारित हो गई।^१ चित्रकूट पर राम ने भरत से निम्नलिखित प्रश्न पूछकर इसी ओर इंगित किया —

कच्चित्ते दयिता सर्वे कृषिगोरक्ष्यजीविन ।

वार्ताया साम्प्रतं तात लोकोऽय सुखमेघते ॥२।१००।४७

‘कृषि और गो-रक्षा से आजीविका चलानेवाले सभी वैश्य क्या तुम्हारे प्रीति-पात्र हैं? वार्ता का अनुशीलन करनेवाले ये लोग सुखी तो हैं?’ इस प्रकार राज्य में वार्ता के नियमों और सिद्धांतों को लागू करना राजा का प्रधान कर्तव्य था।

अर्थ या धन का तात्पर्य सिक्के ही नहीं था, धान्य, गवादि पशु, घर-बार, खेत-खलिहान, हाथी, घोड़े, ऊनी वस्त्र, मृग-चर्म आदि वे सभी वस्तुएँ धन के अत-गंत थीं, जिनका समाज के लिए कोई आर्थिक महत्व होता था।^२ इस प्रकार उस युग में भी अर्थ से बहुत-कुछ वही आशय लिया जाता था, जो आधुनिक अर्थ-शास्त्रीय परिभाषा में लगाया जाता है—अर्थात् प्रत्येक विनिमय-योग्य वस्तु अर्थ है।

राष्ट्र या व्यक्ति के जीवन में अर्थ का महत्व भली भाँति प्रकट था, जैसा कि लक्ष्मण के भाषण से स्पष्ट है—“अर्थ ही धर्म का मूल है। जैसे पर्वत से नदियाँ निकलती हैं, वैसे ही अर्थ से सब क्रियाएँ। अर्थहीन मनुष्य मदबुद्धि गिना जाता है, उसके सब काम बिगड़ जाते हैं, उसकी दशा ग्रीष्म-ऋतु के तालाब की-सी हो जाती है। जिसके पास संपत्ति होती है, उसीके मित्र और उसीके बधु होते हैं, वही पंडित, पराक्रमी, बुद्धिमान और गुणी कहलाता है। धन के त्याग में दोष-ही-दोष है। जिसके पास धर्म और काम के लिए अर्थ वर्तमान है, उसके लिए सब कुछ उसके पास ही है। आनंद, काम, दर्प, धर्म, क्रोध, शक्ति और दम, ये सब धन की ही सहायता से सिद्ध होते हैं” (६।८३।२१-३६)।

१. नरेंद्रनाथ लॉ—‘स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर’, पृ० ८१

२. २।३३।१७-२१; २।७०।१६-२१

राजा की आमदनी का प्रमुख स्रोत 'बलि-षड्-भाग', प्रजा की आय का छठा हिस्सा था। उसे अपने सामंतों से भी उपहार मिलते रहते थे।^१ राजाओं को खानों का भी कुछ लाभांश मिलता था। राम ने अयोध्या की खानों के बारे में जो पूछताछ की थी,^२ उससे कुछ ऐसा ही आभास मिलता है। विश्वामित्र ने राजा को 'रत्नहारी' कहकर यह सकेत दिया है कि उसका राज्य में पाये जानेवाले रत्नों पर, अथवा प्रत्येक उत्कृष्ट वस्तु पर, अथवा प्रत्येक लाभांश पर अधिकार रहता था। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे आयकर्मण्यपायज्ञः संदृष्टव्ययकर्मवित् हो, अर्थात् आमदनी के जरिये बढ़ाने में कुशल और खर्च करने की उचित मदों के जानकार हों (२।१।२६)। दशरथ के मंत्री ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट पहुँचाये बिना राज्य-कोश भरा करते थे।^३ इससे प्रतीत होता है कि वैश्यों पर ही करो का अधिकतर बोझ पड़ता था।

राजकीय आय प्रायः यज्ञादिक धार्मिक कृत्यों के संपादन में, ब्राह्मणों और अभ्यागतों के आतिथ्य में, परिवार और मित्रों के संरक्षण में तथा सेना को सुदृढ़ बनाने में व्यय होती थी।^४ निरर्थक व्यय से राजा को बचें रहना चाहिए—अपात्रेषु न ते कच्चित्कोशो गच्छति राघव (२।१००।५४)।

भारत का शाश्वत एव चिर-अम्यस्त उद्योग कृषि रामायण-युग में भी आजीविका का सर्वसामान्य साधन था। दशरथ की मृत्यु के बाद अयोध्या में एकत्र होनेवाले वैश्यों को कृषिगोरक्षजीविनः कहा गया है (२।६७।१८), अर्थात् वे अपनी जीविका खेती और गो-पालन द्वारा चलाते थे। वाल्मीकि ने कोसल-राज्य की संपत्ति खेतों, लता-गुल्मों और गावों के रूप में (२।५०।८-११), तथा अयोध्या के नागरिकों की समृद्धि उद्यानों, खेतों, भवनों और धन-धान्य के रूप में गिनाई है (२।३३।१७)। उत्तरकांड के अनुसार रामायण से पूर्व कृत-युग में कृषि-जैसे आजीविका के साधन हेय दृष्टि से देखे और 'अनृत' के नाम से पुकारे जाते थे;

१. १।५।१४; २।८२।८; ७।३६।८

२. परित्यक्तो भयैः सर्वैः खनिभिश्चोपशोभितः । २।१००।४५

३. ब्रह्मक्षत्रमहिंसन्तस्ते कोशं समपूरयन् । १।७।१३

४. देवतार्ये च पित्र्ये ब्राह्मणाभ्यागतेषु च । योषेषु मित्रवर्गेषु कच्चिद् गच्छति ते व्ययः ॥ २।१००।५५

किंतु त्रेता-युग में, जो रामायण का काल था, अनृत ही लोगो की प्रमुख जीविका बन गया (७।७।१६-७)।

कृषि-उद्योग को राज्य की ओर से पर्याप्त सरक्षण प्राप्त था। राजा से कृषि-विषयक जानकारी की अपेक्षा की जाती थी। जिन आठ शासन-सवधी विषयो से राजा को परिचित रहना पडता था, उन्हे 'अष्टवर्ग' कहते थे (२।१००।६८) और इसमें कृषि का भी समावेश था। राजा का यह कर्तव्य था कि वह कृषको और गो-पालको के कष्टो का निवारण करे तथा उनकी सुख-समृद्धि के साधन जुटाये—तेषा गुप्तिपरीहारै कञ्चित्ते भरण कृतम् (२।१००।४८)।

बालकांड में महाराज जनक के विषय में कहा गया है कि एक बार जब वह हल से यज्ञ-भूमि जोत रहे थे, तब उन्हे सीता की प्राप्ति हुई थी। इससे यह स्पष्ट है कि क्षत्रियो के लिए कृषि वर्जित नही थी और राज-समारोहो में राजा का हल चलाना एक अतिशय शोभा एव पुण्य का कार्य माना जाता था। क्योंकि प्रत्येक यज्ञ-समारभ के लिए यज्ञ-भूमि का हल से शोधन करना आवश्यक था, अतः कृषि का सबध यज्ञ-यागादिक से स्थापित हो गया और उसके आर्थिक महत्व में धार्मिकता का पुट जुड गया। राजाओ द्वारा हल चलाने की घटनाओ ने उन दिनो जन-मानस को बडा प्रभावित किया होगा, साथ ही, कृषि-उद्योग को भी एक असाधारण गौरव का पद मिल गया होगा।

राज्य की ओर से अन्न के सरकारी गोदाम बने रहते थे, जिन्हे 'धान्यकोश' कहा जाता था (२।३६।७)।

दशरथ और राम के शासन-काल में भारत कृषि की दृष्टि से समृद्ध और सुखी था। कोसल-राज्य के वृर्णन में वाल्मीकि कहते हैं कि वह धन, धान्य और गौओ से परिपूर्ण तथा तालाबो, उद्यानो और आम्रवनो से युक्त था (२।४६)। सारे जनपद पूर्णकाम और दुग्ध आदि से सपन्न थे—प्राज्यकामा जनपदा. सम्पन्नतर-गोरसा. (३।१६।७)। वत्स-राज्य सुखी, सपन्न और धान्य की लहलहाती पक्तिर्यो से सुशोभित था।^१ मागधी नदी हरी-भरी फसलवाले खेतो में होकर बहती थी (सुक्षेत्रा सस्यमालिनी, १।३२।१०)। लका का जल-वायु समुद्री हवाओ से प्रभावित होने के कारण समशीतोष्ण था और वहा की भूमि पर्याप्त वर्षा के कारण

बड़ी उपजाऊ थी ।^१ भारत का दक्षिणी समुद्र-तट एक रमणीय वन-प्रदेश था, जहां 'तक्कोल' और 'जाति' नामक सुगन्धित फलों, तमाल के पुष्पो तथा 'मरीच' की झाड़ियों की बहुलता थी ।^२

कृषि की समृद्धि बहुत-कुछ जान-माल की सुरक्षा पर निर्भर करती है । एक ऐसे राज्य में जहां अराजकता फैली हुई हो, किसानों की दुर्दशा के अतिरिक्त क्या हीगा ? उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि फसल की कटाई के समय हमें अपने परिश्रम का फल मिलेगा ही, इसलिए वे खेत की जुताई-बुवाई नहीं करते—नाराजके जनपदे बीजमुष्टिः प्रकीर्यते (२।६७।१०) । बिहार के मलद और करुष प्रदेश किसी समय दीर्घ काल तक बड़े समृद्धिशाली और धन-धान्य से सुखी थे, किंतु राक्षसी ताटका के आतक के कारण उनकी सारी समृद्धि नष्ट हो गई और वे एक वीरान प्रदेश में परिणत हो गए ।^३

कोसल-राज्य के कृषकों की सुख-संपत्ति का कारण प्रजा-पालक इक्ष्वाकु-नरेशों का उदार, न्यायपूर्ण एवं धर्मपरायण शासन था । राम के पूर्वज राजा अनरण्य के समय में अयोध्या में न कभी कोई दुर्भिक्ष पड़ा, न अनावृष्टि हुई और न चोरो से ही कोई भय उत्पन्न हुआ ।^४ राम-राज्य मे

सताता था न किसीको रोग, न होती कभी काल की मार,
प्रजा थी सुखी और संपन्न, विभव से भरे हुए भंडार ।
न थी तूफानों से भीति, न होता चोरो का उत्पात,
न था दावानल का संताप, न होता बाढ़ों का आघात ॥^५

इस सुरक्षा के वातावरण के कारण कृषकगण अपने-अपने जनपदों में स्थायी

१. ५।३।३; ५।२।१२-४

२. तक्कोलानां च जात्यानां फलानां च सुगन्धिनाम् । पुष्पाणि च तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च ॥३।३।५।२३

३. एतौ जनपदौ स्फीतौ दीर्घकालमरिन्दम । मलदाश्च करुषाश्च मुदिता धन-धान्यतः ॥१।२।४।२४-५; देशमुत्सादयत्येनम् ।१।२।५।१४

४. नानावृष्टिर्बभूवास्मिन्न दुर्भिक्षः सतां वरे । अनरण्ये महाराजे तत्करो वापि कश्चन ॥२।१।१०।१०

५. ६।१२।२।६८-१००, १०२ का पद्यानुवाद ।

रूप से बसे हुए थे (सुनिविष्टजनाकुल, २।१००।४३), और वे स्थान-परिवर्तन करने के अनिच्छुक रहे होंगे। आधुनिक अर्थ-शास्त्र की भाषा में इसे 'इमोविलिटी आफ एग्रिकल्चरल लेबर' (कृषि-श्रमिकों की अगतिशीलता) कह सकते हैं।

वाल्मीकि कहते हैं कि उन दिनों वर्षा समय पर और आवश्यक मात्रा में होती थी, खेत अनाज से भरे-पूरे थे, नगर धन-धान्य-पूरित थे तथा पृथ्वी पके धान से युक्त और सभी प्रकार की ओपधियों से सपन्न थी।^१ शरद-ऋतु के अंत में पृथ्वी सस्यमालिनी, पके धान की मालाएँ पहनी जान पड़ती थी और देश की खाद्य-आवश्यकताएँ परिपूर्ण हो जाती थी। इस समय देहातो की छटा निराली हो जाती थी। सुख-समृद्धि का सर्वत्र प्रसार दीख पड़ता था। शिशिर-ऋतु में कहीं ज्वार और गेहूँ के कुहरे से छाये हुए खेत, सूर्योदय के समय क्रीच और सारस पक्षियों के चहचहाने से, मनोहर प्रतीत होते थे, तो कहीं चावल के पौधे, जिनकी धान-भरी सुनहरी वालें खजूर के फूलों की तरह जान पड़ती थी, कुछ-कुछ झुके हुए बड़े रमणीय लगते थे (३।१६।१६-७)। वन जाते समय राम रथ में बैठकर जिस प्रदेश में से होकर गए, उसका वर्णन इस बात का सूचक है कि उस समय देहातो की जनता कितनी सुसपन्न, सुखी और समृद्ध थी (२।४६)।

कृषि-प्रधान देहात ग्राम कहलाते थे तथा बड़े शहर, जहाँ ग्रामों की कृषि-मपत्ति जाकर विकती थी, नगर कहलाते थे। वन जाते समय राम ऐसे ग्रामों के पाम होकर निकले थे, जिनकी भीमा पर जुते हुए खेत थे (ग्रामान् विकृष्टसीमान्तान्, २।४६।३)। कृषि-प्रधान ग्रामों एवं व्यापार-प्रधान नगरों की प्रायः सन्निधि सूचित होती है, राम को वन में छोड़ देने के बाद सारथी सुमत्र नगरों और ग्रामों को देखते हुए लौटे थे—पश्यन्त्यत्तो ययौ शोघ्र ग्रामाणि नगराणि च (२।५७।४)। प्रतीत होता है कि अयोध्या के नागरिकों के खेत नगर के बाहर या पास ही थे। तभी तो राम के वन-गमन के समय उन्होंने कहा था कि हम अपने खेतों, घरों और बगीचों को छोड़कर राम का अनुगमन करेंगे।^२ नगरों की इस निकटता के फलस्वरूप ग्रामों में खेती को प्रोत्साहन मिलता होगा। कृषकों के लिए नगरों का सामीप्य

१. ७।४१।२०; ७।६६।१२; ६।१२८।१-२; ७।७०।१०; ३।१६।५;
३।३५।२५-६; ७।५६(१)।८ इत्यादि।

२. उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च। २।३३।१७

आर्थिक दृष्टि से विशेष लाभदायक था, क्योंकि अपनी उपज की विक्री के लिए उन्हें निकट ही सुलभ साधन मिल जाते थे ।

यो तो राम-राज्य में भारत दुर्भिक्षभयवर्जितः, अकाल के भय से मुक्त था (१।१।६०), किंतु खेती के छ शत्रुओं की ओर जो सकेत हुआ है तथा राजा से उनके निवारण की जो अपेक्षा की गई है (२।१००।४४), उससे प्रतीत होता है कि दुर्भिक्ष कोई असंभव या सर्वथा अज्ञात घटना नहीं थी । वाल्मीकि ने अराजक स्थिति को देश में दुर्भिक्ष का एक कारण माना है । राम के पूर्ववर्ती युग के अकालों का भी वर्णन रामायण में उपलब्ध होता है । इन दुर्भिक्षों का प्रधान कारण अनावृष्टि होता था, जिससे खेतों की फसल नष्ट हो जाती थी । दशरथ के समय में उनके पड़ोसी राजा रोमपाद के अग-राज्य में अनावृष्टि के कारण एक भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था, जिससे सारी प्रजा त्रस्त एवं व्यथित हो गई थी ।^१ कहते हैं कि मुनिकुमार ऋष्यशृंग के आगमन से इंद्र ने अकस्मात् वर्षा करके सर्वत्र प्रसन्नता का संचार कर दिया । ऐसे ही एक दुर्भिक्ष का वृत्तांत ऋषि अत्रि ने राम को वन में सुनाया था । यह दुर्भिक्ष अतीत के दिनों में लगातार दस वर्ष तक पड़ा, जिससे पृथ्वीजल गई थी ।^२ उत्तरकांड के अनुसार इंद्र के अतर्धान होने पर एक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण पृथ्वी सत्वहीन हो गई, उसकी उत्पादन-शक्ति नष्ट हो गई, वन उजड़ गए, जलाशय सूख गए तथा समस्त प्राणी मृतप्राय हो गए । अश्वमेध-यज्ञ के अनुष्ठान से ही पृथ्वी की श्री-संपत्ति पुनः लौटी थी ।

खेतों की सिंचाई मुख्यतः वर्षा के जल पर निर्भर करती थी, जैसा कि वर्षा की प्रतीक्षा करते हुए किसानों से संबंधित अनेक उपमाओं एवं उत्प्रेक्षाओं के प्रयोग से प्रकट है ।^३ फिर भी अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से बचने के लिए सिंचाई के कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता था । रामायण-काल में भी आज की तरह दो फसले होती थी, एक खरीफ की फसल, जो वर्षा के जल पर निर्भर करती थी, और दूसरी

१. तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञः भविष्यति सुदारुणा । अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वलोक-भयावहा ॥१।६।८-९

२. दशवर्षाण्यनावृष्ट्या दग्धे लोके निरन्तरम् ।२।११।७।६

३. त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः ।२।११।२।१२; २।३२।१३ भी देखिए ।

रबी की फसल, जो अन्य प्रकार की सिंचाई से बढ़ाई जाती थी। सिंचाई की दृष्टि से खेत दो भागों में विभाजित थे। जो खेत कृत्रिम साधनों से सींचे जाते थे, वे 'अदेवमातृक' या 'नदीमातृक' कहलाते थे, जबकि वर्षा पर निर्भर रहनेवाले खेत 'देवमातृक' कहलाते थे। कोसल-राज्य के खेतों को 'अदेवमातृक' कहा गया है (२।१००।४५), अर्थात् उनकी पैदावार वर्षा के जल पर निर्भर नहीं थी। इससे यह स्पष्ट सूचित होता है कि किसानों को सिंचाई के कृत्रिम साधन उपलब्ध थे।

सिंचाई के मुख्य साधन बड़े जलाशय, छोटे तालाब, नदियाँ और कुएँ थे। कोसल-राज्य में तालाबों की अधिकता थी (तटाकैश्चोपशोभितः, २।१००।४३)। यदि खेत में कोई क्यारी सूखी हो और उसके पास ही दूसरी क्यारी जल से पूर्ण हो तो पहली क्यारी सन्निकटताजन्य जलीयता के प्रभाव से अपने पौधों को सींच लेती थी।^१ वर्षा में नदी की बाढ़ें तटवर्ती प्रदेश को उपजाऊ बना देती थी।^२ गोमती नदी के किनारे अनेक जलीय स्थल थे, जो गौओं के चरागाहों के काम आते थे।^३ स्पष्टतः ये स्थल नदी की वर्षाकालीन बाढ़ों के कारण बन गए होंगे और वहाँ गौओं के चरने-योग्य भूमि बन गई होगी। हिमालय से निकलनेवाली सरयू नदी बारह मास बहा करती थी, और सरयू का तटवर्ती देश होने के कारण कोसल-राज्य में सिंचाई एवं अन्य प्रयोजनों के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धि रहती होगी तथा वहाँ के किसान एक-मात्र वर्षा-जल पर निर्भर नहीं रहते होंगे।

नहरों, जलाशयों, कुओं, पुलों, बाधों आदि के निर्माता 'यत्रक' कहलाते थे (२।५०।१)। उनका निर्माण राज्य की ओर से किया जाता था। नहर या नाली को 'प्रणाली' और बाध को 'रोधस्' कहते थे। अयोध्या से शृगवेरपुर तक के मार्ग-निर्माण के समय यत्रक कारीगरों ने भरत के आदेशानुसार थोड़े ही समय में अल्प जलवाले झरनों का जल रोकने के लिए बाध बना दिये, जिससे वे विविध आकारवाले अगाध जलयुक्त तालाबों में परिणत हो गए।^४ जहाँ जल का अभाव था, वहाँ

१. केदारस्येव केदारः सोदकस्य निरुदकः । उपस्नेहेन जीवामि ॥६।५।११

२. तुलना कीजिए—प्रावृषीव महानद्या स्पष्टकूलं नवाम्भसा । २।२०।४६

३. गोमतीं गोयुतानूपाम् (गोयुक्तजलप्रदेशविशिष्टाम्) । २।४६।१०

४. अचिरेण तु कालेन परीवाहान्बहूदकान् । चर्कृद्विधाकारान्सागरप्रतिमान्बहून् ॥२।५०।११

उन्होंने अनेक नये कुए और तालाब खोदे और उनके सस्तीफलीगों के विधाम के लिए चबूतरे बना दिये ।^१ नदियों का जल सग्रह करने के लिए उन्हें बांधों से रोका जाता था, जैसाकि 'टूटे हुए बाधवाली नदी के समान' (नदीं विस्रावितामिव) ^२ जैसी उपमाओं से सूचित होता है । वर्षा-काल में जल के वेग से सेतुओं के टूट जाने का भी वाल्मीकि ने उल्लेख किया है—महताम्बुवेगेन भिन्नसेतुर्जलागमे (२।१०।५।५) । दशवर्षीय दुर्भिक्ष के समय अनसूया ने गंगा की धारा बहाकर (उसका प्रवाह बदलकर) प्रजा की प्राण-रक्षा की और फल-मूलों की उत्पत्ति कराई थी । इन सभी उल्लेखों से यह अत्यंत सभब जान पड़ता है कि रामायण-कालीन आर्य जल-सग्रह के कृत्रिम साधनों से पूर्णतया अवगत थे, जिनका उपयोग वे कृषि को समृद्ध बनाने में करते थे ।^३

१. निर्जलेषु च देशेषु खानयामासुरुत्तमान् । उदपानान्बहुविधान् वेदिकापरि-मण्डितान् ॥२।८०।१२ ।
२. विस्रावितां रोधोभंगादिना अननिर्गमितजलामित्यर्थः । ५।१६।१५ पर गोविंदराज की टीका ।
३. हजार बाहोवाले कार्तवीर्य अर्जुन का नर्मदा में क्रीड़ा करना कहीं अनेक स्तंभोवाले बांध के निर्माण का रूपकात्मक वर्णन तो नहीं है ? सहस्रबाहु को देखकर राक्षसों ने रावण से कहा था—

बहुसालप्रतीकाशः कोऽप्यसौ राक्षसेश्वर ।

नर्मदां रोगवद्दृध्वा क्रीडापयति योषितः ।

तेन बाहुसहस्रेण क्रीडापयति योषितः ॥७।३२।१८-६

'हे राक्षसेश्वर, अनेक साल वृक्षों के समान यह भीमकाय (पुरुष) कौन है, जो नर्मदा को बाध की तरह रोककर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है ?' यह भी कहा गया है कि जल के इस प्रकार अचानक रुक जाने से नदी का प्रवाह उलटा चलने लगा था और उसमें समुद्र के समान बाढ़ आ गई थी —

कार्तवीर्यभुजासक्तं तज्जलं प्राप्य निर्मलम् ।

कूलोपहारं कुर्वाणं प्रतिस्त्रोतः प्रधावति ॥७।३२।१५

तेन बाहुसहस्रेण संनिरुद्धजला नदी ।

सागरोद्गारसंकाशानुद्गारान्सृजते मुहुः ॥७।३२।१६ (शेष आगे)

उपयोग की दृष्टि से भूमि चार भागों में विभाजित थी—(१) निवास-भूमि (नगरों और ग्रामों-जैसे बस्तीवाले प्रदेश जिन्हें पुर और राष्ट्र कहते थे), (२) कृषि-भूमि (क्षेत्र), (३) गोचर-भूमि या चरागाह (शाद्वल) तथा (४) वन-प्रदेश (कानन), जिसमें वजर (ईरिण या ऊषर) भूमि भी सम्मिलित थी। सारी भूमि का स्वामी राजा होता था।^१ प्रजा द्वारा राजा को 'बलि' या कर देना राजा के भूमि-स्वामित्व का सूचक है।

खेत को 'क्षेत्र' या 'केदार' कहते थे। खेत के झाड़-झखाड़ों की सफाई (शोधन) के बाद जुताई (कर्पण) की जाती थी। आज की भांति तब भी दुरात्मा कृषक द्वारा निर्दयतापूर्वक पीटे जानेवाले तथा सूर्य की गर्मी में झुलसनेवाले दुबले बैलों की दोन दशा का मार्मिक वर्णन हुआ है।^२ बुवाई के लिए मुट्ठी में बीज भर-भर कर खेत में फेंके जाते थे (बीजमुष्टि' प्रकीर्णते, २।६७।१०)। हल से जुती हुई खेत की पक्ति (कूड) को 'सीता' कहा जाता था। हेमत-ऋतु में धूप के कारण श्याम-वर्ण हुई सीता कुहरे के कारण धुधली पड़ी चादनी की शोभा धारण कर लेती थी—

ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौर्णमास्या न राजते।

सीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते न च शोभते ॥३।१६।१४

खेत की बुवाई का उपयुक्त समय वर्षा-ऋतु था। उपजाऊ खेत में वर्षा-काल में बोया हुआ बीज अवश्य फलीभूत होता है।^३ हवा और घाम से नष्ट हुए बीज वर्षा होने पर पुन हरे-भरे हो जाते हैं।^४ सामयिक और अच्छी वर्षा (सुवर्ष)

समस्त वर्णन के आधार पर यह अनुमान निरर्थक नहीं जान पड़ता कि कार्तवीर्य अर्जुन ने नर्मदा पर कोई बाध बधवाया होगा, जिसका कवि ने रूपक-शैली में वर्णन किया है (देखिए—अखिल भारतीय प्राच्य परिषद के सप्तम अधिवेशन के विवरण में श्री विष्णु करदीकर का 'नर्मदा घाटी की सम्यता' शीर्षक लेख)।

१. तुलना कीजिए—इक्ष्वाकूणामिय भूमि, सशैलवनकानना १४।१८।६
२. तुलना कीजिए—एतौ दृष्ट्वा कृशौ दीनौ, सूर्यरश्मिप्रतापितौ । बध्यमानौ वलीवदौ कर्षकेण दुरात्मना ॥२।७४।३३
३. तुलना कीजिए—वर्षास्विच च सुक्षेत्रे सर्वं सम्पद्यते तव १४।७।२० /
४. तुलना कीजिए—वातातपक्लान्तमिव प्रणष्टं वर्षेण बीज प्रतिसजहर्षं । ५।२६।६

खेती के लिए विशेष लाभदायक थी (अथवा, एक पाठातर के अनुसार, वर्षा की तीन झडिया—त्रिवर्ष—खेती के लिए अनुकूल मानी जाती थी) ।^१ कर्म-फल की भांति धान्य के पकने में भी समय लगता है ।^२ आधे उगे हुए धान्यवाली भूमि में वर्षा बड़ी हितकर होती है ।^३

चावल के खेत को 'कलम-क्षेत्र' कहते थे । किष्किधाकाड में एक ऐसे कलम-क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें वर्षा के कारण कोपलें फूट रही हैं—प्रसूतं कलमक्षेत्रं वर्षणेव शतक्रतुः (४।१४।१६) । चावल की दो फसले होती थी, एक तो शरद-ऋतु की व्रीही की फसल, जो लगभग कार्तिक मास में काटी जाती थी, और दूसरी हेमत-ऋतु की फसल, जो लगभग फाल्गुन मास में काटी जाती थी । शरद और शिशिर ऋतुओं के वर्णन में राम ने पके हुए धान की वालों और फसलों की पक्ति से युक्त पृथ्वी की ओर सकेत किया है ।^४

खेती के शत्रुओं का उल्लेख राम ने हिंसाओं के रूप में किया है (२।१००।४४) । टीकाकारों ने इन हिंसाओं का अर्थ छ 'ईतिया' किया है, जिनके अतर्गत अनावृष्टि, बाढ, चूहे, पक्षी, टिड्डिया तथा शत्रुओं के आक्रमण गिने जाते हैं ।

किसान लोग खेती में निम्नलिखित औजारों और वस्तुओं का उपयोग करते थे—

- कठिनकाज (२।५५।१७)—गेदी और चमड़े का थैला ।
- कलश (२।६३।३८)—घडा ।
- कुठार (२।८०।७)—कुल्हाड़ी ।
- कुदाल (२।३२।२६)—कुदाल ।
- कुंभ (२।६४।१५)—गागर ।
- क्षुर (२।१२।१०)—छुरा ।

१. तुलना कीजिए—अभ्युपेक्ष्यति धर्मात्मा सुवर्ष (त्रिवर्ष) इव लालयन् । २।४३।१६
२. कालोऽप्यगीभवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये । ३।४६।२७
३. तुलना कीजिए—त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं संप्रहृष्यामि वानर । अर्धसंजातसस्येव वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा ॥५।४०।२
४. विपक्वशालिप्रसवानि भुक्त्वा प्रहर्षिता सारसचारुपक्तिः । ४।३०।४७

- खनित्र (२।३१।२५)—फावडा ।
 टक (२।८०।७)—टाकी ।
 दात्र (२।८०।७)—दराती ।
 परशु (२।३२।३२)—फरसा ।
 पिटक (२।३१।१५)—टोकरी ।
 फाल (२।३२।२६)—हल के नीचे लगा हुआ छड़ ।
 लागल (१।४०।२७)—एक प्रकार का हल ।
 शूल (१।३६।१६)
 हल (१।३६।१६)

ऋग्वेद के समय की कृषि-व्यवस्था को देखते हुए रामायण-काल में कृषि की स्थिति पर्याप्त उन्नत हो चुकी थी। यद्यपि वाल्मीकि ने तत्कालीन खेती की प्रणाली और उत्पादन के विषय में अधिक जानकारी नहीं दी है, तथापि रामायण में विविध प्रकार के खाद्य-पदार्थों के उल्लेखों से तथा उनकी बहुलता के वर्णनों से प्रतीत होता है कि आर्य लोग अनेक प्रकार के अन्नो का प्रचुर मात्रा में उत्पादन करते थे। जब पार्वती ने पृथ्वी को 'नैकरूपा' (१।३६।३३), अनेक रूपोवाली हो जाने का शाप दिया, तब उन्होंने प्रकारांतर से पृथ्वी की विविध पदार्थों को उत्पन्न करने की क्षमता भी स्वीकार की। वृत्र के शासन-काल की कृषि-समृद्धि का वर्णन करते हुए वाल्मीकि ने पृथ्वी को 'सर्वकामदुघा' (७।८४।७) अर्थात् सभी इच्छाओं को तृप्त करनेवाली बताया है। इस प्रकार उन्होंने स्वीकार किया है कि राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति कृषि-उद्योग की समृद्धि पर निर्भर है।

कृषि के सहकारी धधे के रूप में फलों के बगीचे लगाने का उद्योग भी बहुत प्रचलित था। अशोकवाटिका के वर्णन से तत्कालीन उद्यान-विद्या का पर्याप्त आभास मिलता है। सुग्रीव का मधुवन एक समृद्ध फलोद्यान था, जिसकी बड़े ध्यान से देखभाल की जाती थी (५।६१-२)। क्योंकि उद्यानों को ऐसे वृक्षों से युक्त बताया गया है, जिनमें सभी ऋतुओं के फल-फूल लदे रहते थे,^१ अतः फलोद्योग की उन्नतावस्था सूचित होती है। रामायण में इतनी विविध प्रकार की वनस्पतियों—पुष्प-वृक्षों, छाया-

१. सर्वकामफला वृक्षाः सर्वे फलसमन्विताः । ६।२७।३६; सर्वकामफलद्रुमाः । ६।२७।३४, नित्यमूला नित्यफलास्तरवस्तत्र पुष्पिताः । ६।१२८।१०२

वृक्षो, फल-वृक्षो तथा दारु-वृक्षो—के नाम आये हैं कि उनकी एक बड़ी लंबी सूची बन सकती है। यदि इतिहास और वनस्पति-विज्ञान की दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाय तो प्राचीन भारत की वनस्पति-विद्या पर भरपूर प्रकाश पड़ेगा।^१

कृषि और पशु-पालन दोनो परस्पर पूरक धधे थे। रामायण-काल में पशु-प्रधान गाव को 'घोष' कहा जाता था। ग्राम-घोषो का रामायण में प्रायः सयुक्त उल्लेख हुआ है, जिससे इन दोनो प्रकार की बस्तियों की निकटता तो सूचित होती ही है, कृषि और पशु-पालन की पारस्परिक निर्भरता का भी संकेत मिलता है।

पशु-पालन में सर्वापेक्षा अधिक महत्त्व गो-पालन का था। गो-पालन देहाती क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं था, शहरी क्षेत्रों में भी गौओं की बहुतायत थी। अयोध्या नगरी हाथी, घोडो, गौओं, ऊटो तथा गधो से भरी पडी थी—वाजिवारणसम्पूर्णा गोभिरुष्ट्रैः खरैस्तथा (१।५।१३)। कहा जाता है कि जिस दिन राम ने वन को प्रस्थान किया, उस दिन अयोध्या में गौओं ने अपने बछडो तक को दूध नहीं पिलाया—गावो वत्सान्न पाययन् (२।४।१।९)।

रामायण में ऐसे अनेक स्थल हैं, जिनमें ब्राह्मण-याचको को असख्य गौए दान में दी गई हैं। इससे यह स्पष्ट है कि देश में गोधन का बाहुल्य था। वन-प्रयाण करते समय राम ने मार्ग में तमसा तथा गोमती नदियों के किनारों पर गौओं के झुंड-के-झुंड चरते देखे थे। कोसल-प्रदेश 'पशुमान्' अर्थात् ढोरो से भरा-पूरा था। लाखों और करोडों गौओं की उपस्थिति का स्थल-स्थल पर उल्लेख मिलता है। राजा स्वयं गो-पालन एवं गो-संवर्धन करता था। राम ने भरत से चित्रकूट पर पूछा था—कच्चित्ते सन्ति धेनुकाः—“तुम्हारे पास विपुल गोधन है?” (२।१००।५०)।

गो-शालाओं को 'प्रत्यागार' तथा गो-समूह को 'गोकुल', 'गोयुत' अथवा 'गोव्रज' कहा जाता था। ग्वाले को 'गोपाल' और चरागाह को 'शाद्वल' कहते थे।^२ भरद्वाज के आश्रम में भरत के सैनिकों को चारों ओर पशुओं के लिए ऐसे विस्तृत चरागाह दिखाई पडे थे, जिन पर नीली वैदूर्य-मणि के समान नरम-नरम घास जमी थी—

१. देखिए शिवदास चौधरी—'कान्कार्डन्स आफ दि फौना इन दि रामायण' ('इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टरली', २८।२ से ३०।२ तक)

२. देखिए क्रमशः २।४०।४३; २।४६।१७; २।४६।१०; २।३२।३६; २।६७।२६ ३।१६।२०

नीलवद्वयवर्णाश्च मृदून्यवससंचयान् ।

निर्वापार्थं पशूना ते ददृशुस्तत्र सर्वशः ॥२।६।१।७६

आर्थिक दृष्टि से गो-पालन का विशेष महत्त्व था। बैलो को हल चलाने के काम में लिया जाता था। उन पर सवारी भी की जाती थी तथा उन्हें देहाती गाड़ियो (गो-रथो) में जोता जाता था। दूसरी ओर, गौए पारिवारिक एव धार्मिक क्रियाओं के लिए दूध-दही-घी सुलभ करती थी। आज की तरह तब भी ढोरो का गोबर ईंधन के रूप में जलाने के काम आता था। भरत ने चित्रकूट-स्थित राम की कुटिया में उपलो के ढेर लगे देखे थे, जो सर्दी से बचने के लिए जलाये जाते थे।^१ राष्ट्र की उन्नति में ग्वालो के योग-दान को राम ने स्वीकार किया था।

गो-सवर्धन मनोयोग से किया जाता था। समूचे कोसल-राज्य में व्यापक रूप से गौओं की नस्ल-सुधार का कार्य होता था। गो-समूहो के बीच विचरते हुए मस्त गो-वृषो (साडो) का कई जगह उल्लेख आया है।^२ प्रतीत होता है, गो-वश की वृद्धि के लिए चुने हुए साड ही नदी-तटो पर चरती हुई गौओं के साथ रखे जाते थे।

वैदिक काल की भाँति रामायण के युग में भी गौओं को छीनकर भगा ले जाने की प्रथा प्रचलित थी। वसिष्ठाश्रम की कपिला गौ को राजा विश्वामित्र बलपूर्वक हर ले जाना चाहते थे, किंतु आश्रम में रहनेवाले शक, यवन, पल्लव और अन्य बर्बर लोगो ने प्रत्याक्रमण करके उन्हें मार भगाया। ये लोग सभवतः आश्रम के गो-धन की रक्षा के लिए नियुक्त किराये के भृत्य थे (१।५४)।

गौ और बैल के वाद राष्ट्र के आर्थिक जीवन में घोडे का प्रमुख स्थान था। घोडे की अच्छी नस्ल तैयार करने का विशेष ध्यान रखा जाता था। राम के घोडे श्रेष्ठ नस्ल के शीघ्रगामी तुरग थे।^३ भरत के चित्रकूट आने पर उन्होंने

१. ददर्श भवने तस्मिन् महत संचयान् कृतान् । मृगाणा महिषाणा च करोषः शीतकारणात् ॥२।६।१।७

२. मदोत्कटा सम्प्रति युद्धलुब्धा वृषा गवा मध्यगता नदन्ति । ४।३।०।३८; ४।२३।२६, २।११।४।६ भी देखिए।

३. वहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तुरंगमाः । २।४५।१४

दूर में ही अपने पिता के मनोहर, वायु के समान वेगवाने तथा अच्छी नस्ल के घोड़े पहचान लिये थे।^१

विशिष्ट कार्या के लिए घोड़ों की विशेष नस्लें तैयार की जाती थी। अश्व-सेना के घोड़ों को सामरिक प्रशिक्षण दिया जाता था। राम-जैसे राजकुमारों को अश्वारोहण की शिक्षा मिली हुई थी। सामरिक रथों में जोते जानेवाले घोड़े 'साम्रा-मिक रथ' कहलाते थे, उन्हें रण-भूमि के शोरगुल को सहन करने तथा निर्दिष्ट गति-विधि करने की शिक्षा दी जाती थी। इन्द्रजित के युद्ध-रथ में 'विधेय अश्व' (प्रशिक्षित घोड़े) जुते थे, सारथी के मर जाने पर उन्होंने रण-क्षेत्र में चतुराई-भरी हलचलें करके मवको विस्मय में डाल दिया था।^२ रावण के महारथ को 'विनीत' (मिखाये हुए) अश्व हाकते थे। सामरिक अश्वों को सोने के आभूषणों से सजाया जाता तथा कवचादि से सुरक्षित रखा जाता था। आमोद-प्रमोद के काम में जानेवाने पुष्परथ, राजकीय रथ तथा सामान्य रथ में जोते जानेवाले घोड़ों को भी तदनुत्प प्रशिक्षण दिया जाता था। वेगवान पहाड़ी घोड़े (पार्वतीय तुरगम) जमाकर पैर रखते थे और ऊबड़-खाबड़ जमीन पर काम में लाये जाते थे। पर्वतीय प्रदेश में रथ हाकने में उपयुक्त होने के कारण उनका भरत ने, कैकय से अयोध्या लौटते समय, उपयोग किया था। घोड़ों का सबसे द्रष्ट गुण उनकी त्वरित गति थी। तेज चालवाले घोड़ों की अलग नस्लें तैयार की जाती थी। भरत को कैकय से बुला जाने के लिए जो दूत भेजे गए थे, उनके घोड़े विशेष रूप से तेज (समत) थे।^३

घोड़ों की उत्तम नस्लें तैयार करने का काम विशिष्ट प्रदेशों में होता था (देशजात, कुलज)। उन दिनों की श्रेष्ठ अश्व-जातियों में कबाँज (तारतार), बाल्हीक (वैकिट्टया), नदीज (सिंध) और बनायु (अरब) के नाम उल्लेखनीय हैं (१।६।२२)। संभवतः ये नस्लें पड़ोसी देशों से आयात की जाती थी।

१. एतौ तौ सम्प्रकाशते गोत्रवन्तौ मनोरमौ । वायुवेगसमौ घोरी जवनौ तुर-गोत्तमौ ॥२।६७।२४
२. अमृतास्ते ह्यास्तत्र रथमूहुरवियत्तवाः । मण्डलान्यभिधावन्ति तदद्भुतमिवा-भवत् ॥६।६०।२८-६
३. ह्यानाद्यस्य संमतान् । २।६८।१० (जयन्त्येनाध्वधमसहृत्वेन च संमतान्—गोविंदराज) ।

सेना के विविध विभागों में ऊटों की भी एक टुकड़ी होती थी। रावण की सेना में उष्ट्र-सवारों का एक विभाग था (६।५३।५)। रथों में भी ऊट जोते जाते थे (उष्ट्र-रथ)। ऊट किस प्रदेश के प्राणी थे, इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

अश्वतरी (खच्चर) शांति और युद्ध दोनों कालों में बोझा ढोने या खींचने के काम आती थी। गधों से भी रथ हकवाये जाते थे। रावण के रथ में जुते गधों के मध्य भाग सोने के 'उरश्छद' (जिरहवस्त्र) से सुरक्षित थे और उन्हें पिशाचों के-से कनटोप पहनाये गए थे—काचनोरश्छदादचेमे पिशाचवदना खरा. (३।६४।४६)। शीघ्रगामी गधों की नस्ल सभ्यत केकय देश की विशेषता थी।

केकय में शक्तिशाली, खूबवार कुत्तों की नस्ल होती थी। वे राजप्रासादों की भीतरी कक्ष्याओं में परिपुष्ट किये जाते थे। वे ऊँचे डीलडौलवाले, बाघों की तरह बल-वीर्य-सपन्न तथा बड़े-बड़े दातवाले होने थे। ऐसे कुत्तों का केकयराज ने भरत को उपहार दिया था।^१

नागरिक और सामरिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं के लिए तथा राजकीय वैभव और समृद्धि के प्रदर्शन में हाथियों का अनिवार्यत उपयोग होता था। अपने उदार, सौम्य और भव्य स्वरूप के लिए हाथी मूल्यवान होते थे। अच्छी नस्ल के हाथी सावधानी से पाले जाते थे। उनके सरक्षण और सवर्धन के लिए राजाओं के पाम विशाल वन होते थे, जो 'नागवन' कहलाते थे। उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए चित्रकूट पर राम ने भरत का ध्यान आकर्षित किया था—कच्चिन्नागवन गुप्तम् (२।१००।५०)।

जगली हाथियों को पकड़ने और उन्हें पालतू बनाने की नियमित व्यवस्था थी। इसमें पहले से पालतू बनाये गए हाथियों का सहयोग लिया जाता था। हाथिनियों से भी उन्हें फसाया जाता था। रात के समय बहुत-से लोग मशालें लेकर जगली हाथियों का पीछा करते और उन्हें तिनकों से ढके कुओं में खदेड़ देते थे। तोमरो और अकुशो से भी हाथी को घायल करके जमीन पर गिरा दिया जाता था। बंदी

१. अन्तःपुरेऽतिसवृद्धान् व्याघ्रवीरवलोपमान् । दष्ट्रायुक्तात्महाकायान् शुनश्चोपायन ददौ ॥२।७०।२०

वनाने के बाद हाथी को रस्सियों से बाध दिया जाता था।^१ रावण के चंगुल में फंसी सीता की तुलना उस गजराजवधू से की गई है, जो अपने यूथपति से विछुड़ गई है, जो पकडकर खभे से बाध दी गई है तथा जो लवी-लवी उसासैं भर रही है—

गृहीतां लाडितां स्तम्भे यूथपेन विनाकृताम् ।

निःश्वसन्तीं मुदुःखार्तां गजराजवधूमिव ॥५११६११८

महावत लोग 'महामात्र', हाथियों की देखभाल करनेवाले नौकर 'कुजरग्रह' या 'हस्तिवधक' और गज के स्वामी 'हस्त्यध्यक्ष' कहलाते थे। युद्ध में हाथियों की रक्षा के लिए चमड़े की ढालें हुआ करती थी। हाथियों को विपक्षी हाथियों से टक्कर लेने की शिक्षा दी जाती थी। साठ वर्ष की आयुवाले (षष्टिहायनाः), हाथी बहुमूल्य और अतिशय बल के प्रतीक माने जाते थे। रावण के यहा हनुमान ने दो, तीन और चार दातोवाले हाथी देखे थे—चतुर्विषाणैर्द्विरदैस्त्रिविषाणैस्तथैव च... परिक्षिप्तम् (५।६।५)।

हिमालय तथा विंध्य पर्वतो की तराइया अच्छी नस्ल के हाथियों के लिए प्रसिद्ध थी। वहा के हाथी पर्वत के समान विशाल, मदनोन्मत्त और अत्यंत बलवान् होते थे, उनके मस्तक पर से निरंतर मद चूता रहता था।^२ अयोध्या नगरी में ऐरावत-कुल, महापद्म-कुल, आजन-कुल और वामन-कुल, इन नस्लों के श्रेष्ठ हाथी विद्यमान थे (१।६।२४)। ऐरावत और इन्द्रशिर पर्वतो की गज-जातियों को 'प्रियदर्शन' कहा गया है।^३

पशुओं से प्राप्त होनेवाले पदार्थों से अनेक कुटीर-उद्योग चलाये जाते थे। दुग्ध-पदार्थ बनाने का कुटीर-उद्योग देहातो में प्रचलित था। ग्वालो के घोष बड़े समृद्ध थे। हेमत-ऋतु का वर्णन करते हुए लक्ष्मण ने देहातो को दुग्ध और दुग्ध-पदार्थों से भरपूर बताया था। शाकाहार के व्यापक प्रचलन के कारण दूध और दूध से बने पदार्थों की बड़ी माग रही होगी।

१. देखिए ३।५।५।३१; ६।१६।६-८; ५।४७।२०; २।२१।५४; ६।१३।१६; ६।२४।३८; २।७४।३५; ५।१।६४

२. विन्ध्यपर्वतजर्मत्तः पूर्णा हैमवतैरपि । मदान्वितैरतिबलैर्मतिगैः पर्वतोपसैः ॥ १।६।२३

३. ऐरावतान्द्विशिरान्नागान्वै प्रियदर्शनान् ॥२।७०।२३

हाथी-दात का उद्योग भी काफी उन्नत था। इस काम में लगे कारीगर 'दतकार' कहलाते थे। रथो, सिंहासनो, शयनासनो तथा राजमहलो में हाथी-दात की पच्चीकारी की जाती थी। धनी वर्गों में इसकी बड़ी माग थी। कैंकेयी का महल हाथी-दात की चौकियो तथा आसनो से सपन्न था।^१ लका के प्रासादो में हाथी-दात के खभे और झरोखे थे, जिन पर सोने की जालिया पडी थी।^२ रावण के रथ में हाथी-दात की प्रतिमाए थी।^३ उसके कमरे में स्फटिक का फर्श था, जिसके जोडो में हाथी-दात जडा था (दन्तान्तरितरूपिकाम्, ५।६।२३)। कुभकर्ण के महल का तोरण हाथी-दात की चित्रकारी से सज्जित था (दान्ततोरणविन्यस्तम्)। स्पष्ट है, हाथी-दात के उद्योग मे कई शिल्पी लगे होंगे।

व्याघ्र-चर्म, सिंह-तनु और मृग-चर्म या अजिन ओढने-विछाने के बहुत काम आते थे, जिससे चमडा कमाने की कला का ज्ञान प्रमाणित होता है। शय्या, रथ और सिंहासन पर वे प्राय बिछाये जाते थे। धार्मिक क्रियाओ में मृग-चर्म का ही अधिकतर प्रयोग होता था। मृग-चर्म में कभी-कभी सोने की कशीदाकारी की जाती थी।^४ केकय देश का मृग-चर्म उत्कृष्ट माना जाता था। मुलायमियत, रग-विरगापन और सोफियानापन अच्छे मृग-चर्म के लक्षण थे। कदली, प्रियकी, प्रवेणी और आविकी की किस्में अच्छी होती थी (३।४३।३५-६)। बकरे की खाल 'अजाविक' कहलाती थी। चमर-मृग के बालो से चवर बनाये जाते थे, जिन्हें 'चामर-व्यजन' (२।३।११) या 'व्याल-व्यजन' (२।६।३६) कहते थे। मृगो से कस्तूरी भी प्राप्त की जाती थी। 'आर्यभ चर्म' अर्थात् बैलो की खाल का कई प्रकार से उपयोग किया जाता था। बैल की खाल की ढाले राक्षस और विद्याधर जाति के लोग

-
१. दान्तराजतसौवर्णैर्वेदिकाभि समायुतम् । २।१०।१४; दान्तराजतसौवणः संवृत परमासनै ॥२।१०।१५
 २. दान्तकैस्तापनीयैश्च स्फाटिकै राजतैस्तथा । स्तम्भैर्दृष्टिमनोरमैः ॥३।५।५।८, दान्तका राजताश्चैव गवाक्षाः प्रियदर्शना । हेमजालावृताश्चासस्तत्र प्रासादपक्तय ॥३।५।१०
 ३. दान्तकाचनराजती. (दन्तादिमयीः प्रतिमा सन्धारयद्भि रयैरिति शेषः) । ५।६।५
 ४. तेषु कांचनचित्रेषु मृगचर्मयुतेषु च ॥७।१।१४-५

काम में लाते थे।^१ मृग-चर्म के स्थान पर लका के राक्षस-तपस्वी 'गोजिन' (बैल का चर्म) धारण करते थे (५।४।१५)। हाथी के चमड़े से बना रग-विरगा ऊनी कालीन 'कुथा' कहलाता था। रावण के अनुचर चमड़े की ढालें व्यवहार में लाते थे (असिचर्मधरा योधाः, ६।११।५)।

वनो (अरण्यो या काननो) की उपज से पूरा आर्थिक लाभ उठाया जाता था। वाल्मीकि के समय में दक्षिण भारत का अधिकांश घने जंगलो से व्याप्त था। वनो पर राजकीय अधिकार होता था, और समाज के लिए उनका अत्यधिक आर्थिक महत्व था। ताम्रपर्णी नदी के द्वीपों पर चदन के वन थे। गोचर-भूमि और श्मशान-भूमि के रूप में वनो का उपयोग होता ही था। ईंधन के वे अटूट स्रोत थे। कुल्हाड़ी से पेड़ों की लकड़ी काटने के अनेक उल्लेख मिलते हैं।^२ वनो से अपनी आजीविका चलानेवाले वनजीवनाः (२।८।३०) या वनोपजीविनः (२।५।७) कहलाते थे। गृहो, रथो, शयनासनो, यज्ञ-सवधी सामग्रियो इत्यादि के निर्माण में वनो का अधिक-से-अधिक उपयोग किया जाता था। माल, औदुवर, वेणु, ताल और देवदारु वृक्ष लकड़ी की दृष्टिसे वि शेष उपयोगी माने जाते थे।

जंगली पेड़ों से 'आरण्यक मधु' (जंगली शहद) प्राप्त किया जाता था। उनसे 'निर्यास' नामक पदार्थ भी इकट्ठा किया जाता था। वह पेड़ों और पौधों का रस होता था, जो बहकर उनके तनों के पास इकट्ठा होकर गोद की तरह जम जाता था। ऐसे गोदों का भी उल्लेख मिलता है, जिनका सुगन्धियुक्त वस्तुओं के निर्माण में उपयोग होता था।^३ ऋषि-मुनि अपनी जटाओं में बड़ का दूध (न्यग्रोध-क्षीर) लगाते थे। वनो के फल-मूलों का वनजीवियों तथा अरण्यवासी तपस्वियों के लिए आहार की दृष्टि से बड़ा महत्त्व था। समुद्र-वर्ती प्रदेशों के वृक्षों से मरीच (काली मिर्च) और पिप्पली (पीपर)-जैसी मिर्च, तक्कोल और नारिकेल-जैसे फल, तमाल-जैसे पत्ते तथा खजूर-जैसे मेवे प्राप्त होते थे। चदन और केसर-जैसे पदार्थ, जिनका नागरिकों के सौंदर्य-प्रसाधनों में उपयोग होता था, वन से ही प्राप्त होते थे। वनवासी मुनि लोग पेड़ों की छालों का बल्कल-वस्त्र के रूप में उपयोग करते

१. ६।५।३०, ५।१।२४

२. २।८।३०; २।२०।३२; २।७।२।२२ इत्यादि।

३. निर्यासरसमूलानां चन्दनाना सहस्रशः ॥३५५।२१

थे। राजकीय आसनो का वर्णन करते समय उन्हें वेंत के जालो से ढका बताया गया है (कुशान्तर्घनिदत्तेषु आसनेषु, ७।१।१५), जिससे अनुमान होता है कि वेंत का उद्योग काफी उन्नत था।

वाल्मीकि ने अनेक खनिज-पदार्थों की ओर भी सकेत किया है। राम ने कोसल-राज्य को खानो से सुशोभित बताया है (खनिभिश्चोपशोभितः, २।१००।४७)। हिमालय और विंध्य-पर्वतमालाओ में अनेक प्रकार की धातुएं पाय जाने का उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार चित्रकूट, कैलास, सप्तवण, सह्य, मलय और उदय पर्वतो को भी 'धातु-मंडित' या धातुशतैश्चितम् कहा गया है। जिस पर्वत से हनुमान ने लका की ओर उड़ान भरी थी, वह नीले, लाल, मजीठ और कमल के वर्ण के तथा सफेद-काले रंग के स्वभाव-सिद्ध, विशुद्ध धातुओ से भूपित था।^१ चित्रकूट के नाना प्रकार के धातुओ में कोई चादी के तुल्य, कोई लाल, कोई पीला, कोई काला, कोई नीला और कोई मजीठ के रंग का दीख पड़ता था (२।६४।५-६)।

कतिपय विशेष प्रकार की धातु-प्रधान चट्टानो का उल्लेख मिलता है। कड़े या बलुआ प्रस्तर-खडो को 'शिला' की सजा दी जाती थी। पारदर्शक शिलाएं 'स्फटिक' कहलाती थी। खानो से मन शिला (मैनसिल), गैरिक (गेरू) और कालागुरु (काला अगरू)-जैसे प्रसाधन-पदार्थ भी प्राप्त किये जाते थे।

नदी के तल से भी धातु निकाले जाते थे। इस प्रकार प्राप्त होनेवाला सोना 'जाबूनद' कहलाता था (१।१४।५४)। धातुओ के परिशोधन तथा मिश्रित धातुओ के उत्पादन की कला ज्ञात थी। खर ने सोने-जैसे प्रतीत होनेवाले ताबे की ओर सकेत किया था, जो अग्नि में तपाये जाने पर अपना असली रूप प्रकट कर देता है।^२ सोने को भी तपाकर उसकी अशुद्धिया अलग कर दी जाती थी।^३ आभूषणो की बनावट तथा शरीर के आदर्श वर्ण का वर्णन करने में तपाये गए सोते का प्राय उल्लेख किया जाता है।^४ पीतल और कासे के बर्तनो के उल्लेख से टीन और जस्त का प्रयोग ध्वनित होता है।

१. स्वभावसिद्धैर्विमलैर्धातुभिः समलकृतम् । ५।१।१५

२. सुवर्णप्रतिरूपेण तप्तनेव कुशाग्निना । ३।२८।२०

३. अग्नौ विवर्णं परितप्यमानं किट्टं यथा राघव जातरूपम् । ४।२४।१८

४. तप्तजाम्बूनवप्रभम् । १।३७।१८; तप्तहाटकभूषणौ । ४।३।१८

इस्पात बनाने के लिए लोहा ढाला जाता था। 'सूची' या सूई के उल्लेख से इस्पात और इस्पात के औजारों के निर्माण की सूचना मिलती है। तेज धारवाले क्षुर (३।४७।४१) का उल्लेख पानी चढ़े हुए इस्पात का प्रयोग द्योतित करता है।

घटिया धातु को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्कृष्ट धातु में परिवर्तित करने की विद्या रस-विद्या कहलाती है। यह विद्या उस युग में प्रचलित थी अथवा नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बालकाड के ६७वें सर्ग में इस प्रक्रिया की ओर संकेत किया गया है। किंतु कुछ विद्वान इसे प्रक्षिप्त मानते हैं।

वाल्मीकि ने निम्नलिखित धातुओं का प्रसंगवश उल्लेख किया है—

अयस् (२।४०।२३) या कालायस (५।४१।१२)—फौलाद।

पीतल—३।२६।२० में संकेतित।

कार्णायस (१।३७।१७) या लोह (३।४७।४६)—लोहा।

कास्य (४।५०।३४)—कासा।

रजत (२।३४।१४) या हिरण्य (१।५३।२१)—चादी। सुग्रीव ने कोशकारों की भूमि में चादी की खानों का वर्णन किया था (४।४०।२३)।

सुवर्ण (२।३२।१४), काचन (१।३७।१६), जातरूप (१।३७।२२), जांबूनद (१।१४।५४), महारजत (५।१०।७) या हेम (४।५०।३४)—सोना।

शीश (१।३७।२०)—सीसा।

ताम्र (४।२३।२०)—तांबा।

त्र्यु (१।३७।२०)—टीन।

धातुओं के व्यापक प्रयोग से खनिज-उद्योगों का भी प्रचलन सूचित होता है। सोने-चादी का विविध प्रकार के पात्र और आभूषण बनाने में उपयोग होता था। इस्पात का उपयोग अर्गल, बाण की नोक, तलवार और पट्टिश बनाने में होता था। कवचादि का निर्माण उन युद्ध-बहुल दिनों में काफी होता होगा। कवच, गदा तथा अन्य शस्त्रों में कार्णायस या लोहे की जगह कालायस या फौलाद काम में लाया जाता था। तलवारों और बाणों का पैनापन दर्शनीय था। उनके निर्माण में कारीगर प्रशंसनीय कौशल का परिचय देते थे। धनुष-बाण और खड्ग को स्वर्ण-भूषित करके वे अपनी कलाप्रियता प्रकट करते थे। घोड़ों और हाथियों के लिए भी उपयुक्त कवचादि बनाये जाते थे।

इस्पात के नानाविध उपकरण बनते थे । यत्रायुध, इपूपलयत्र, पुलो को उतारने-उठाने के यत्र, बड़ी-बड़ी चट्टानें उठाने-ले जाने के यत्रादिक इसके प्रमाण हैं । दुर्गों में किलेवदी और सरक्षण के लिए धातु-निर्मित मशीनो और यात्रिक औजारो का व्यापक व्यवहार यत्र-निर्माण-कला की उन्नतावस्था सूचित करता है ।

एक ऐसे समाज में, जहा स्त्री-पुरुष दोनों आभूषण-प्रिय थे, यह स्वाभाविक था कि मणिकार और स्वर्णकार के पेशे समृद्ध हों । सोने के विविध कलापूर्ण आभूषण तथा विभिन्न आकार-प्रकार के मणि-रत्न इस बात के प्रमाण हैं कि सोने और जवाहरात की कारीगरी कितनी बड़ी-बड़ी थी । समुद्र-तल से बहुमूल्य मूंगे-मोती प्राप्त किये जाते थे । लका से मारीच-आश्रम की ओर जाते समय रावण ने मार्ग में समुद्र-तट पर हजारो मूंगे सूखते हुए देखे थे—मुक्ताना च समूहानि शुष्यमाणानि तोरतः (३।३५।२३) ।

महलो के निर्माण में पारदर्शी शीशा (स्फटिक) प्रयुक्त होने के अनेक उल्लेखों से काच-उद्योग का अस्तित्व सूचित होता है ।

इनके अतिरिक्त और भी कई उपयोगी उद्योग-धंधे प्रचलित थे । कुशल कारीगर अपने-अपने विशिष्ट शिल्प का अनुसरण करते थे । 'टक' या टाकी से काम करने-वाले मूर्तिकारो और पत्थर का काम करनेवालो की बड़ी माग थी । आग लगाकर चट्टानो को तोड़ने की कला से वे परिचित थे । अनेक मजिलवाले भवनो, प्रासादो, देवालयो, दुर्गो आदि का निर्माण कुशल स्थपतियो की कला का नमूना था । सगीत के व्यापक प्रचलन से ज्ञात होता है कि वाद्य-यंत्रो के निर्माण में अनेक शिल्पी लगे हुए होंगे ।

वस्त्र-उद्योग में भी कम प्रगति लक्षित नहीं होती । कुशल बुनकर 'सूत्र-कर्म-विशारद' कहलाते थे (२।८०।१) । कई प्रकार के तनुओ से वस्त्र बनाये जाते थे । ऊनी कपडे भी बहुतायत से बनते थे । मेढे के रोओ से 'और्ण' नामक वस्त्र निर्मित किया जाता था (६।७५।६) । भरत के साथ अनेक कम्बलकारका भी राम को लिवा लाने के लिए चित्रकूट गए थे (२।६३।१४) ।

कपडो की रगाई-धुलाई भी की जाती थी । इस काम में लगे कारीगरो को 'रजक' की सजा दी जाती थी । रग-विरगी वस्त्रो के अनगिनत उल्लेख आये हैं । कपडे का रग 'वर्ण' कहलाता था । नील-पीत, रक्त, शुक्ल, नील, शुकप्रभ तथा काषाय

रगो का अधिक प्रचलन था। रगाई के लिए कृमि-राग या लाक्षा-राग का व्यवहार किया जाता था।

वाणिज्य-व्यापार वैश्यो के हाथ में था, जो वणिक कहलाते थे। मुख्य कर-दाता होने के कारण वे राजकीय सरक्षण के अधिकारी थे। उस युग के प्रमुख नगर व्यापार के समृद्ध केंद्र थे, जहां देश-देशांतर के व्यवसायी और शिल्पी वास करते थे। अयोध्या वाणिज्य-उद्योग की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख नगरी थी। दशरथ ने यह प्रस्ताव किया था कि राम के साथ वन जानेवाली चतुरगिणी सेना के साथ राजधानी के धनी-मानी व्यापारी भी जाय।^१ राजकीय प्रासाद से शहर को जोड़नेवाले राजमार्ग पर विविध ऋय-वस्तुओं से भरी-पूरी दूकानें सजी थी (२।१७।३-५)। सेना के अनुगामी दलों में व्यापारी भी होते थे। भरत के साथ अयोध्या के सभी प्रकार के वाणिज्य-उद्योगों के प्रतिनिधि चित्रकूट गए थे। (२।८३)।

देश में प्रचुर आंतरिक व्यापार होता था। अयोध्या के समृद्धिशाली वणिक बहुत-सा माल लेकर दूर-दूर की यात्रा करते थे।^२ ऐसी व्यावसायिक यात्राएँ 'सार्थ' या दल बनाकर की जाती थी। चोरो और हिंस्र पशुओं से सुरक्षित रहने के लिए यह आवश्यक था। सार्थ से बिछुड़ जानेवाले यात्री को वन्य पशुओं के आक्रमण का भय बना रहता था।^३ देश के आंतरिक व्यापार-मार्गों को निरापद रखने का दायित्व राज्य पर था, जैसाकि दशरथ की मृत्यु के बाद इकट्ठे हुए 'राजकर्तार' के इस कथन से प्रकट है कि अराजक प्रदेश में वणिक लोग दूर-दूर तक धन-धान्य लेकर यात्रा नहीं कर सकते।^४ राजा ही देश में आंतरिक सुरक्षा का ऐसा प्रबंध करता था, जिससे सपन्न लोग निश्चिंत होकर रह सकें तथा कृषक और ग्वाले दरवाजे खोलकर सो सकें।^५

१. वणिजश्च महाधनाः । शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः ॥२।३६।३

२ तुलना कीजिए—नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः । गच्छन्ति क्षेममध्वान बहुपण्यसमाचिताः ॥२।६७।२२

३ तुलना कीजिए—मया विरहिता बाला रक्षसा भक्षणाय वै । सार्थेनैव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा ॥३।६०।३४; ४।६७।४८ भी देखिए।

४ ऊपर टिप्पणी २ देखिए।

५, तुलना कीजिए—नाराजके जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः । शेरते विवृतद्वाराः कृषिगोरक्ष्यजीविनः ॥२।६७।१८

दुकानें 'आपण' के नाम से संबोधित की जाती थी। विक्री की चीजें 'विक्रय' या 'पण्य', उनका दाम 'मूल्य' तथा व्यापार से होनेवाला मुनाफा 'पण्य-फल' कहलाता था। पण्य में चदन, अगुरु, गध, क्षौम, कौशेय, मुक्ता, स्फटिक, माला आदि विविध वस्तुएँ होती थी।^१

विदेशो से भी व्यापारिक सबघ होने के सकेत मिलते हैं, यद्यपि इस विषय में निःसदिग्ध प्रमाणों का अभाव-सा है। सुशासित भारतीय नगरों की सुविधाओं से लाभ उठाने के लिए देशांतर से व्यापारी आते रहते होंगे। अयोध्या के वर्णन में वाल्मीकि कहते हैं कि वह नानादेशनिवासैश्च वणिग्भिरुपशोभिताम्, नाना देश-निवासी व्यापारियों से शोभित थी (१।५।१४)। उत्तरकांड में मधुपुरी, लवणासुर के अत्याचारों से मुक्त होने पर, नाना देशों के व्यापारियों से समृद्ध हो गई थी (७।७।१।१४)। किष्किंधाकांड के ४०वें सर्ग में, सीतान्वेषण के सिलसिले में, सुग्रीव ने अनेक समुद्र-पार स्थानों का उल्लेख किया है, पर यह स्थल प्रक्षिप्त माना जाने के कारण विश्वसनीय नहीं है।

वाल्मीकि महासागरो से सुपरिचित प्रतीत होते हैं, अन्यथा समुद्र से अपरिचित कोई कवि उनके-जैसे महाकाव्य की रचना न कर पाता। हनुमान ने भारत के तट से लका को जो छलाग मारी थी, उसमें समुद्र पर नौ-यात्रा करने की उत्प्रेक्षाएँ व्यवहृत हुई हैं।^२ समुद्र को लेकर कवि ने अनेक रूपकात्मक वर्णन किए हैं,^३ जिनसे उसका समुद्री जीवन से प्रगाढ़ परिचय प्रमाणित होता है। रामायण में ऐसे व्यापारियों का उल्लेख हुआ है, जो समुद्र-पार देशों से व्यापार करते और अयोध्या के सम्राट् को रत्नों के उपहार लाकर प्रदान करते थे।^४ वाल्मीकि को ऐसे बड़े व्यापारी जहाजों का पता था जो माल से लदे बीच महासागर में आवागमन करते थे। ऐसे जहाज 'महानौ' और उनके मार्ग 'नौ-पथ' कहलाते थे। लका का वर्णन करते समय

१. देखिए—२।५।७।१५; १।६।१।२१, १।६।१।१५, २।६।७।५५, १।१।१।००;
२।१।७।३-४; २।७।१।४१

२. सागरे मास्ताविष्टा नौरिवासीत्तदा कपिः १।५।१।६५

३. २।५।१।२८-३१; ३।२।१।१२, ६।७।२०

४. कोट्यापारान्ताः सामुद्रा रत्नान्युपहरन्तु ते १।२।८।२।८

कहा गया है कि उसके चारों ओर कही नौ-पथ नहीं है ।^१ रावण के अधीन, शोक-सागर में डूबती हुई सीता की उपमा एक ऐसी नौका से दी गई है, जो भार से अत्यधिक दबी होने के कारण समुद्र में डूबी जा रही है—शोकभारैरिव न्यस्तां भारैर्नावमि-वाम्भसि (६।१७।३) । एक अन्य स्थल पर सीता की तुलना समुद्र में हवा के थपेड़ों से डगमगाते हुए, माल से भरे जहाज से की गई है—समुद्रमध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैरि-वाहता (५।२४।१४) । इन आलंकारिक उक्तियों से अनुमान होता है कि महासागरों में बड़े-बड़े जहाजों का पर्याप्त आना-जाना था । समुद्री दुर्घटनाओं का वर्णन समुद्री यात्राओं का ही सूचक हो सकता है ।

वस्तुओं का विनिमय-व्यापार 'निष्क्रय' कहलाता था । गौ को विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मानदंड माना जाता था । किसी वस्तु-विशेष का मूल्य गौओं की संख्या में तय किया जाता था । शुन शेष के माता-पिता एक लाख गौए लेकर अपने पुत्र को बेचने लिए तैयार हो गए थे ।^२ किसी श्रेष्ठ गौ का मूल्य अनेक साधारण गौओं के रूप में गिनाया जाता था । उदाहरणार्थ, विश्वामित्र ने वसिष्ठ से यह प्रस्ताव किया था कि एक लाख गौए लेकर यह मूल्यवान कपिला गौ मुझे दे दीजिए—गवां शतसहस्रेण दीयतां शबला मम (१।५३।६) । रामायण के अनेक स्थलों से यह सिद्ध होता है कि यद्यपि उस युग में सोने और चादी का प्रयोग होने लगा था और उपहार या पारिश्रमिक के रूप में उनका लेन-देन भी होता रहता था, फिर भी वे गौओं का स्थान नहीं ले सकते थे और किसी भी आदान-प्रदान की क्रिया को पूर्णत्व का आभास देने के लिए उसमें गौओं का समावेश आवश्यक था । महाराज दशरथ ने अपने पुरोहितों को सोना और चादी तो दिया ही, पर अपने दान को सर्वांगपूर्ण बनाने के लिए दस लाख गौए भी प्रदान की । पुत्रेष्टि-यज्ञ की समाप्ति पर दशरथ ने समस्त पृथ्वी अपने ऋत्विजों को दान कर दी थी, पर इन्होंने पृथ्वी का शासन करने में अपने को असमर्थ बताकर उसके बदले में मणि, सुवर्ण और गौए देने की प्रार्थना की थी—

निष्क्रयं किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति ।

मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतम् ॥१।१४।४८

पारिश्रमिक देने या अन्य व्यापार-क्रियाओं में मुद्राओं या सिक्कों का भी उपयोग

१. नौपथश्चापि नास्त्यत्र निरुद्देशश्च सर्वशः । ६।३।२१

२. गवां शतसहस्रेण विक्रीणीषे सुतं यदि । १।६।१।१३ .

किया जाता था। सिक्के को 'निष्क' की सजा दी जाती थी। केकयराज ने भरत को दो हजार निष्क दिये थे।^१ वन-गमन के समय राम ने सुयज्ञ को एक हजार निष्क भेंट किये थे।^२ निश्चय ही ये निष्क सिक्के रहे होंगे, भरत या सुयज्ञ ने उनका शायद ही आभूषणों के रूप में प्रयोग किया हो। यह सच है कि रामायण में गले के हार को भी निष्क कहा गया है, किंतु इसका कारण यह था कि हार में भी निष्क सिक्के गूथे जाते थे। सिक्को का हार पहनने का रिवाज प्राचीन काल की तरह आज भी देखने में आता है।

यह कहना कठिन है कि निष्क आधुनिक अर्थ में मुहर-लगा सिक्का था, क्योंकि रामायण-काल का कोई सिक्का कहीं खुदाई में मिला नहीं है। विना मुहर-लगे सिक्के सोने और चादी के होते थे। सोने के सिक्के 'जावूनद' या 'सौवर्ण' कहलाते थे, तथा चादी के सिक्के 'रजत'। उत्तरकांड में लव-कुश के अनुपम रामायण-गान से प्रसन्न होकर राम ने उन्हें अठारह हजार सोने के सिक्के देने चाहे थे।^३ महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों को एक करोड़ जावूनद और चालीस करोड़ रजत वाटे थे (१।१४।५१, ५४)। यह गणना-योग्य सख्या नियत आकार-प्रकार, नियत तोल और नियत मूल्य के सिक्कों की ओर इंगित करती है। यह भी अनुमान होता है कि सोने का एक सिक्का चादी के चार सिक्कों के बराबर रहा होगा।

माप-तोल के निश्चित परिमाण थे। द्रव्य-पदार्थों के लिए 'द्रोण' (वत्तीस सेर) नामक माप प्रचलित था। राम को वन में द्रोण-प्रमाण के शहद के छत्ते लटकते दिखाई दिये थे।^४ धन का नियत भागों में विभाजन 'प्रविभाग' कहलाता था (१।१४।५२)। दंड मापने का डंडा था। लवाई धनुष से अथवा हाथ फैलाकर मापी जाती थी।^५

^१ रुक्मनिष्कसहस्रे द्वे सत्कृत्य केकयीपुत्र केकयो घनमाविशन् । २।७०।२१

^२ त ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुंगव । २।३२।१०

^३ अष्टादशसहस्राणि सुवर्णस्य महात्मनोः । प्रयच्छ शीघ्रं काकुत्स्थ यदन्यदभि-
काक्षितम् ॥ ७।६४।१७-८

^४ पश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण । मघूनि मघुकारीभिः सम्भृतानि
नगे नगे ॥ २।५६।८

^५ उद्यम्य प्रक्षिपेच्चापि तरसा द्वे धनुःशते । ४।११।७२; द्वावेव तत्र विहितौ
बाहुव्यस्तपरिग्रहौ ॥ १।१४।२३

‘व्याम’ लवाई का एक माप होता था।^१ चौबीस अगुल के माप को ‘अरत्ति’ कहते थे। दशरथ के अश्वमेध-यज्ञ में खभे इक्कीस-इक्कीस अरत्ति ऊंचे थे (एकविंशत्यरत्नयः, १।१४।२५)। ‘योजन’ दूरी का माप था। सामान्यतः योजन चार कोस के बराबर होता है। वाल्मीकि ने योजन का दो अर्थों में प्रयोग किया है। एक कोस ‘धनुसहस्र’ अर्थात् हजार धनुषों के बराबर तथा एक धनुष चार हाथ या दो गज के बराबर होता है। इस प्रकार एक योजन आठ हजार गज यानी साढ़े चार मील के बराबर हुआ। किंतु एक अन्य स्थल पर वाल्मीकि ने योजन को सौ धनुषों (धनुशतम्) या दो सौ गज के बराबर माना है। उदाहरणार्थ, सुग्रीव ने राम से कहा था कि वाली ने दुद्रुभि का अस्थि-पजर एक योजन की दूरी पर फेंक दिया था, यदि आप उसे उठाकर द्वादश धनुशते (दो सौ धनुष या चार सौ गज) फेंक सकें तो मैं आपको वाली से अधिक बलवान मान लूंगा (४।११।७१-२)। इससे यह प्रतीत होता है कि वाली ने जिस योजन की दूरी तक दुद्रुभि का अस्थि-पजर फेंका था, वह धनुशत या दो सौ गज रहा होगा, साढ़े चार मील नहीं।^२

श्रमिक दो प्रकार के होते थे, ‘विष्टि’ और ‘कर्मातिक’ (२।८२।२०)। विष्टि-मजदूरों को पारिश्रमिक धान्य या जिन्स के रूप में दिया जाता था, कर्मातिकों को द्रव्य के रूप में नकद मजदूरी मिलती थी। नौकरो से काम कराकर उन्हें उचित वेतन न देना जघन्य पाप समझा जाता था। भरत ने कौसल्या से कहा था कि राम को वन भेजने में मेरा कुछ भी हाथ रहा हो तो मैं इस पाप का भागी बनूँ।^३

जिन कारीगरों का काम कुछ विशेषता या कौशल लिये हुए होता था, उन्हें शिल्पी कहा जाता था। वाल्मीकि कहते हैं कि अयोध्या नगरी में सब तरह के शिल्पी निवास करते थे (उषिता सर्वशिल्पिभिः, १।५।१०)। राज्य उन्हें विशेष सुख-सुविधाएँ प्रदान करता था। ऊंचे दर्जे के कारीगरों का, विशेषतया उनका जो

१. दोनो भुजाओं को दोनो ओर फैलाने पर एक हाथ की उंगलियों के सिरे से दूसरे हाथ की उंगलियों के सिरे तक जितनी दूरी होती है, उसे ‘व्याम’ कहते हैं (६।६५।३८)।

२. देखिए श्री टी० परमशिव ऐयर-कृत ‘रामायण एंड लंका’, पृ० ३

३. कारयित्वा महत्कर्म भर्ता भृत्यमनर्थकम्। अधर्मा योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्यो-
ऽनुमते गतः ॥२।७५।२३

यज्ञ-यागादिक में अपना शिल्प-कौशल दिखाने में पटु थे, समाज में समानपूर्ण स्थान था। दशरथ ने उन्हें अपने अश्वमेध-यज्ञ में आमंत्रित किया था तथा यथोचित आदर-सत्कार, धन और भोजन द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की समुचित व्यवस्था की थी (१।१३।६-८)। जनता के आर्थिक विकास एवं राजधानी की श्री-वृद्धि में शिल्पियों का उल्लेखनीय सहयोग था। रामायण में इन विविध प्रकार के श्रमिकों का उल्लेख हुआ है—

भूमिप्रदेशज्ञ (२।८०।१)—भूमि की नमी या उसके सूखेपन का जानकार।

चर्मकृत् (२।८।३०)—चमार।

दुर्गविचारक (२।७६।१३)—दुर्गम प्रदेशों में (वनो में) विचरण करने-वाला।

धूपक (२।८३।१४)—धूप अथवा सुगंधियुक्त पदार्थों का निर्माता।

दत्तकार (२।८३।१३)—हाथी-दात का काम करनेवाला।

दास (१।७४।५)—नौकर।

दासी (२।३२।१६)—नौकरानी।

द्रष्टार. (२।८०।३)—मार्ग दिखानेवाले।

दैवज्ञ (२।४।१८) या दैवचित्तक (२।४।२१)—ज्योतिषी।

गंधोपजीवी (२।८३।१३)—सुगंधि बनाने या बेचनेवाला।

गणक (१।१३।७)—ज्योतिषी, गोविंदराज के अनुसार लेखक।

गायक (२।६५।२)

गणिका (१।१०।५)—नर्तकी।

कर्मांतिक (१।१३।७)—दिन में काम करनेवाला मजदूर, जिसे मजदूरी के बदले पैसा मिलता है।

कार्तांतिक (६।४८।५)—ज्योतिषी।

खनक (२।८०।१)—खोदनेवाला।

कर्षक (२।११।२।१२)—किसान।

कर्णधार (२।५३।८।१) या कर्णग्राह (२।५।२।६)—मल्लाह।

कुंभकार (२।८३।१२)—कुम्हार।

क्राकचिक (२।८३।१३)—लकड़ी चीरनेवाला।

कंबलकारक (२।८३।१४)—कबल बनानेवाला।

- कैवर्तक (२।८३।१५) या दाश (२।८६।७)—मछुआ ।
 लुब्ध (२।१२।७७)—शिकारी ।
 लाक्षणिक (६।४८।२)—ज्योतिषी ।
 मणिकार (२।८३।१२)—मोती का काम करनेवाला ।
 मायूरक (२।८३।१३)—मोरपख का काम करनेवाला ।
 मागध (२।६५।२)—स्तुति-कर्ता ।
 मार्गी (२।८०।२)—मार्ग-रक्षक ।
 मार्गशोधक (२।८२।२०)—सडक बनानेवाला ।
 मार्गदक्षक (२।८२।२०)—सडक का रखवाला ।
 नट (२।६।१४)—अभिनेता ।
 नर्तक (१।१३।७)—नाचनेवाला ।
 नाविक (२।५२।७०)—नौका खेनेवाला ।
 नदीरक्ष (२।८४।७)—नदी-तट का रखवाला ।
 परिचारक (१।४५।३४)—घरेलू नौकर ।
 पाणिवादक (२।६५।४)—ताली बजानेवाला ।
 परमनारी (६।२।१३)—सैरध्री, उवटन आदि लगानेवाली सेविका ।
 रोचक (२।८३।१३)—काच का सामान बनानेवाला ।
 रजक (२।८३।१५)—धोबी ।
 रूपाजीवा (२।३६।३) या वारमुष्या (१।१०।७)—वेश्या ।
 स्नापक (२।८३।१४) या स्नानशिक्षाज्ञ (२।६५।८)—स्नान करानेवाला,
 स्नान कराने की विधि में निपुण ।
 शस्त्रोपजीवी (२।८३।१२)—शस्त्रो से आजीविका चलानेवाला ।
 शैलूष (२।८३।१५)—अभिनेता ।
 शौनिक (२।४८।१८)—कसाई ।
 सूत्रकर्मविशारद (२।८०।१) या सूत्रकर्मविशेषज्ञ (२।८३।१३)—
 जुलाहा या तबू बनानेवाला ।
 स्थपति (२।८०।२)—भवन-निर्माता ।
 शिल्पी (१।१३।७)—दस्तकार ।
 शिल्पकार (१।१३।७)—कलाकार

- सूत (२।४।३)—रथ चलानेवाला ।
 पौराणिक (१।१८।२०)—पुराण-विद्या का जानकार ।
 स्वस्तिक (२।१६।४६)—स्तुतिकर्ता ।
 सूद (३।५६।२५) या सूपकार (२।१२।१६६)—रसोइया ।
 श्मश्रुवर्धक (६।१२८।१३)—नाई ।
 सुधाकार (२।८०।३)—सफेदी करनेवाला ।
 सुवर्णकार (२।८३।१४)—सुनार ।
 शौंडिक (२।८३।१४)—शराब बेचनेवाला ।
 तालापचर (२।३।१७)—ताल लगानेवाला ।
 तुन्नवाय (२।८३।१५)—दर्जी ।
 उष्णोदक (२।८३।१४)—मालिश करनेवाला ।
 वादिक (२।१६।४६) या वावी (२।३६।३)—वाद्य-यंत्र बजानेवाला ।
 वैद्य (२।८३।१४)—चिकित्सक ।
 वैतालिक (६।१२७।३)—या वदी (२।६५।१)—भाट ।
 वर्धकी (२।८०।२)—बढ़ई ।
 वृक्षतक्षक (२।८०।२)—पेड़ काटनेवाला ।
 व्याध (२।३६।५) या निषाद (१।२।१०)—बहेलिया ।
 वेधक (२।८३।१३)—मोती पिरोनेवाला ।
 विष्टि (६।१२७।६)—मजदूर, जिसे धान्य के रूप में मजदूरी मिलती

है ।

- वणिक् ((२।६।१२)—बनिया, व्यापारी ।
 वशकृत् (२।८०।३)—बास का काम करनेवाला ।
 यंत्रक (२।८०।१)—नहर बनानेवाला ।
 याजक (१।१४।३)—यज्ञ करानेवाला ।

एक ही प्रकार के उद्योग-धंधों में लगे शिल्पियों या मजदूरों के अपने-अपने सघ होते थे । इस प्रकार के राजधानी के सघों का सामूहिक सगठन 'नैगम' कहलाता था । इसके सदस्य भी नैगम कहलाते थे । नागरिक और राजकीय क्रिया-कलापों में नैगमों का महत्त्वपूर्ण (समत) स्थान था । राम के प्रस्तावित यौवराज्याभिषेक

में सम्मिलित होने के लिए नैगमो के प्रतिनिधि आये थे।^१ उनके राज्यारोहण के समय नैगमो ने उनका अभिषेक किया था।^२ राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए नैगम भी भरत के साथ चित्रकूट गए थे।^३ इनमें मणिकार, हाथी-दात का काम करनेवाले, काष्ठ की खुदाई करनेवाले आदि सभी श्रमिक-वर्गों के लोग थे (२।८३।१२-५)।

टीकाकार गोविंदराज ने 'श्रेणी' (२।७६।४) का अर्थ भी नैगम ही किया है। अतः 'श्रेणीमुख्या' का अर्थ 'मजदूर सघों के सभापति' हुआ। ननिहाल से अयोध्या लौटने पर भरत को सूचना दी गई कि सभी श्रेणियां अभिषेचन-सामग्री लेकर आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं।^४ डा० राधाकुमुद मुखर्जी के अनुसार श्रेणी का अर्थ एक ही पेशा करनेवाली विभिन्न जातियों के लोगो का सगठन है। रामायण में 'गण' शब्द आधुनिक 'ट्रेड यूनियन' (व्यापार-सगठन) के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (२।१४।४०)। इन गणों के सभापति 'गणवल्लभा' कहलाते थे। भरत के साथ गणवल्लभ भी चित्रकूट गए थे (२।८१।१२)। 'सयोधश्रेणी' सैनिकों का आर्थिक सगठन था।

राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि यातायात के शीघ्रगामी साधनों पर निर्भर करती है। उन दिनों आवागमन के मार्गों में स्थल-मार्ग ही अधिक प्रयुक्त होते थे। नगरों में चौड़े और व्यवस्थित मार्ग बने थे (सुविभक्तमहापथा), जिनकी सावधानी से देख-भाल की जाती थी। उनकी प्रतिदिन सफाई कराई जाती और धूल-मिट्टी को दवाने के लिए उन पर छिड़काव किया जाता था।^५ इससे अनुमान होता है कि ये सड़कें पक्की नहीं थीं। अयोध्या और लका के राजमार्ग दीप-वृक्षों से प्रकाशित रहते थे।

१. पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह । अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः ॥२।१४।४०-१
२. योधैश्चैवाभ्याषिचस्ते सम्प्रहृष्टैः सनैगमैः । ६।१२८।६२
३. ये च तत्रापरे सर्वे सम्मता ये च नैगमाः । रामं प्रति ययुर्हृष्टाः सर्वाः प्रकृतयः शुभाः ॥२।८३।११
४. आभिषेचनिकं सर्वमिदमादाय राघव । प्रतीक्षन्ते त्वां स्वजनः श्रेणयश्च नृपात्मज ॥२।७६।४
५. सिंचन्तु पृथिवीं कृत्स्नां हिमशीतेन वारिणा । ६।१२७।७

उत्सवों पर इन राजमार्गों पर लाज और पुष्प बिखेरे जाते, मालाओं और पताकाओं से इनकी कलापूर्ण सजावट की जाती तथा सुगन्धयुक्त पदार्थ डालकर इन्हे सुवासित किया जाता।^१ एक नगर को दूसरे नगरों और ग्रामों से जोड़नेवाले मार्ग भी बने हुए थे। ये सड़कें रथ आदि सवारियों के चलने योग्य होती थी। ऐसा एक मार्ग केकय-राज्य के गिरिव्रज नगर से अयोध्या तक बना हुआ था। इस मार्ग को रथ द्वारा तय करने में भरत को आठ दिन लगे थे। वन जाते समय राम को, तमसा पार करने पर, एक ऐसा प्रशस्त पथ दिखाई पड़ा था, जो सशक्ति लोगों को भी आश्चर्य कर देता था।^२ अयोध्या से गंगा-तट तक एक मार्ग बना हुआ था, जिस पर होकर राम ने रथ में वन-प्रयाण किया था।^३ वस्तुतः उन दिनों उत्तरी भारत के आबाद हिस्से सड़कों के जाल से परस्पर जुड़े हुए थे, जिन पर खूब यातायात और वाणिज्य-व्यापार होता था। वर्षा-ऋतु में ये मार्ग आवागमन के लिए अयोग्य हो जाते थे—

अभीक्षणवर्षोदकविक्षतेषु

यानानि मार्गेषु न सम्पतन्ति ॥४॥२८॥१६

अरण्यों में स्थित आश्रम भी मार्गों से परस्पर जुड़े हुए थे। मारीच का आश्रम लका द्वीप के उत्तर की ओर समुद्र-तट पर स्थित था और वहां खच्चर-जुते रथ से पहुंचा जा सकता था। ऋषि भरद्वाज का आश्रम चित्रकूट के तापसालय से एक रमणीय एवं सुरक्षित मार्ग से जुड़ा हुआ था। पचवटी भी किसी मार्गहीन जंगल में नहीं बसी थी। अगस्त्य के आश्रम से वहां को एक रास्ता जाता था। सीता को खोने के बाद राम पचवटी से दक्षिण की ओर जिस मार्ग से गए थे, वह पपासर और मतगाश्रम होता हुआ किष्किंधा तक चला गया था।

सड़कों और पुलों के निर्माण, उनकी मरम्मत में लगे मजदूरों तथा उनकी कार्य-प्रणाली का वाल्मीकि ने तीन स्थलों पर विस्तृत वर्णन किया है। जब भरत ने राम को लौटा लाने के लिए अपनी सेना-सहित चित्रकूट को प्रस्थान किया, तब उन्होंने शिल्पियों और वनचरों को आदेश दिया कि आगे जाकर विषम वन-प्रदेश में सेना

१ ततोऽभ्यकिरन्त्वन्ये लाजं पुष्पैश्च सर्वतः । समुच्छ्रितपताकासु रथ्याः पुरवरोत्तमे ॥६॥१२७॥८; २१२७॥३ भी देखिए।

२. प्रापद्यत महामार्गमभय भयदर्शिनान् ॥२१४६॥२६

३. प्रचोदयामास ततस्तुरगमान्स सारथिर्येन पथा तपोवनम् ॥२१४६॥३३

के लिए समतल मार्ग का निर्माण करे।^१ अयोध्याकांड के ८०वें सर्ग में इस निर्माण-कार्य का जो वर्णन किया गया है, वह तत्कालीन शिल्पि-वर्ग के कौशल का अच्छा परिचय देता है। इन शिल्पियों में जमीन की तरी और सूखेपन को जाननेवाले (भूमि-प्रदेशज्ञ), खुदाई करनेवाले (खनक), निर्माता (स्थपति) तथा नहरों और जल-प्रवाहों के निर्माण में प्रवीण कारीगर थे। उन्होंने मार्ग की बाधाओं, डालियों, झाड़-झाखाड़, घास-पात, पेड़-पौधों, ककड़-पत्थर आदि को टाकी और कुल्हाड़ी से साफ करते हुए मार्ग बनाना शुरू किया। अपने सगठित कार्य द्वारा उन्होंने वृक्षहीन प्रदेशों में वृक्ष लगाये तथा अनावश्यक एवं अवरोधक पेड़ों और 'वीरण' नामक पौधों के झुरमुटों को काटकर साफ कर दिया। ऊँची-नीची भूमि समतल कर दी गई, कुएं तथा गड्ढे मिट्टी से भर दिये गए, चट्टानों को काटा गया, जलीय स्थलों पर पुल बनाये गए, मिट्टी को कूट-पीटकर बराबर कर दिया गया, तथा जहाँ खोदने की आवश्यकता थी, वहाँ खनन-क्रिया भी की गई (२।८०।६-१०)। इस मार्ग को भारी यातायात के योग्य बनाया गया था, क्योंकि इस पर असह्य सवारियों और पशुओं से युक्त भरत की चतुरगिणी सेना का आवागमन होना था।

भारत और लका के बीच जिम नल-सेतु का निर्माण किया गया, उसका वर्णन और भी विलक्षण है। उससे वानर-शिल्पियों के निर्माण-कौशल एवं यत्र-चातुरी पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। वे लोग चट्टानों को उखाड़कर यंत्रों की सहायता से जल के समीप ले जाते थे, चट्टानों को सीधी पक्ति में डालने के लिए वे 'सूत्रों' अर्थात् रस्सियों का प्रयोग करते थे। दंडों अर्थात् मापने की लकड़ियों का भी व्यवहार किया गया था। छोटे-छोटे पत्थर, घास-पात, लता-पौधे तथा लकड़ियों का उस पुल के निर्माण में उपयोग किया गया। वानर-मजदूर पहले विशाल वृक्षों को जल में फेंकते, फिर उन पर चट्टानों को सतुलित करते और छोटे-मोटे खड्डों को ककड़ों, लकड़ियों, घास-पात आदि से पाट देते। ये विभिन्न कार्य वानर-मजदूरों के पृथक-पृथक दलों को सौंपे गए थे, किंतु उनके बीच इतना सुचारु सहयोग था कि पाँच ही दिनों के अल्प समय में वह अद्भुत पुल सर्वांगपूर्ण बनकर तैयार हो गया (६।२२।६४-७६)।

जब राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में राम का नदिग्राम से अयोध्या तक जुलूस

१. क्रियन्तां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमाणि च । रक्षिणश्चानुसंयान्तु पथि दुर्गविचारकाः ॥२।७६।१३

निकलनेवाला था, तब शत्रुघ्न ने कई हजार विष्टियो (कुली-कवाडियो और कारीगरो) को आज्ञा दी कि नदिग्राम से अयोध्या तक का मार्ग ठीक कर दें—जहा कही मार्ग ऊबड-खाबड हो, उसे मिट्टी से भरकर और छीलकर समतल कर दें, फिर हिम-शीतल जल से उस पर छिड़काव करें (६।१२७।६-७)।

प्राचीन भारत में यातायात के साधन 'यान' कहलाते थे (२।६२।३५)। वे मनुष्यो, पशुओ और धन-धान्य को ढोने के काम आते थे। यल पर पुरुषो के सबसे अधिक उपयोग में आनेवाला यान रथ था। नागरिक और सामरिक आवश्यकताओ में उसका अनिवार्य स्थान था। नागरिको के दैनिक कार्य-कलाप रथो पर ही निर्भर रहते थे। नगरो के मार्ग रथो की घरघराहट से गुजते रहते थे। रामायण में तीन प्रकार के रथो का उल्लेख है—(१) 'औपवाह्य रथ' (२।३६।१०), जो प्रतिदिन की सवारी के काम आनेवाला सामान्य रथ था। इसमें प्राय दो घोडे जोते जाते थे। भरत ने ऐसे ही रथ में राजगृह से अयोध्या की यात्रा की थी। मार्ग में घोडो को पर्याप्त भोजन और विश्राम दिया जाता तथा समय-समय पर बदल भी दिया जाता था।^१ (२) 'साग्रामिक रथ' (३।६५।६), जो युद्ध-क्षेत्र में प्रयुक्त होता था। (३) 'पुष्परथ' (२।२६।१५), जो उत्सवो के अवसर पर उपयोग में आनेवाला सुसज्जित रथ था। इसमें चार शीघ्रगामी और सोने के आभूषणो से सजे घोडे जुतते थे।

साग्रामिक रथ में दो पहिये होते थे। इसकी घुरी पर रथ का समूचा ढाचा सतुलित रहता था। रथ के सामनेवाले भाग में सारथी और रथी (रथ का स्वामी) रहते, जबकि पीछे के हिस्से में युद्ध की सामग्री भरी रहती थी और कभी-कभी कोई परिचारक उपस्थित रहता था। प्राचीन शिल्पो के आधार पर यह अनुमान होता है कि इन रथो के ऊपर छत नही होती थी। इनमें प्राय चार घोडे जोते



चित्र १२—साग्रामिक रथ (अमरावती, दूसरी शताब्दी ई०)

१. शीतीकृत्वा तु गात्राणि क्लान्तानाश्वस्य वाजिनः । ततः स्नात्वा च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम् ॥२।७।१।७

जाते थे। सारथी रथ का संचालन करता और रथी युद्ध में सलग्न रहता। रथ के ऊपर ध्वजा फहराती थी, जिस पर रथी का विशेष चिह्न अंकित रहता था।

रथ के पिछले भाग को 'रथोपस्थ' कहते थे, जहाँ सारथी या रथी घायल हो जाने पर गिर जाया करते थे। रावण के रथ में दो चवर डुलानेवाले भृत्य भी थे (चामरग्राहिणौ)। अतिकाय राक्षस के रथ में चार सारथी थे। रावण-पुत्र अक्ष-कुमार के महारथ में आठ घोड़े जुते थे, उसमें पताकाए फहरा रही थी और उसकी ध्वजा में रत्न जुड़े थे। राजाओ के रथ में छत्र भी होता था।

रथो में गधो और ऊटो के जोते जाने का उल्लेख किया जा चुका है। भरत के साथ अयोध्या के कई नागरिक उष्ट्र-रथो पर सवार होकर राम को लिवा लाने चित्रकूट गए थे।

सारथी का पेशा वश-परपरागत होता था। सुमत्र इक्ष्वाकु-राजाओ के वशगत सारथी थे। वह केवल सारथी नहीं, अपितु राजा के सखा, हितचिंतक और परामर्शदाता भी थे। सारथी से यह अपेक्षा की जाती थी कि स्थान और समय, शकुन और अपशकुन, रथी के हर्ष और विपाद, उत्साह और अनुत्साह, युद्ध-भूमि की समानता और असमानता, शत्रु का बलाबल आदि का ध्यान रखते हुए रथ का संचालन करे। शत्रु के पास जाने, दूर हटने, युद्ध में स्थिर रहने तथा युद्ध-भूमि से हट जाने का उपयुक्त अवसर कब आता है, इन बातों का निर्णय सारथी के विवेक पर ही निर्भर रहता था (६।१०४।१८-२०), क्योंकि रथी तो युद्ध करने में दत्तचित्त रहता था और इन बातों की ओर ध्यान नहीं दे सकता था। राम ने रावण के रथ को सामने से आता हुआ देखकर सारथी मातलि से कहा कि तुम सावधान हो जाओ, मन तथा दृष्टि को स्थिर कर लो और घोड़ों की रासों को खींचने और ढीली करने में सावधानी रखते हुए शीघ्रतापूर्वक रथ हाककर शत्रु के रथ के सामने ले चलो। मातलि ने रथ ऐसा हाका कि रावण का रथ बाईं ओर पड गया और राम के रथ के पहियों से उडी हुई धूल से रावण ढक गया (६।१०६।९-१५)।

रथ-निर्माण का उद्योग उन दिनों काफी प्रचलित एव उन्नत रहा होगा।

'शिविका' या पालकी पर्वतीय स्थानों की मुख्य सवारी थी। वानरो में उसका अधिक प्रचलन दीख पडता है। वानरराज सुग्रीव अनेक अनुचरो द्वारा ढोई जानेवाली पालकी में सवार होकर राम के दर्शनार्थ गए थे। राक्षसों में भद्र महिलाएँ पालकी में सवारी करती थी। इसीलिए विभीषण सीता को पालकी में सवार करा-

कर राम के समीप लाये थे—आरोप्य शिविका सीता राक्षसैर्वहनोचितैः
(६।११४।१४) ।

माल ढोने के काम आनेवाली गाडिया 'शकट' कहलाती थी। बैलो से खीची जाने के कारण उन्हें 'गो-रथ' भी कहते थे। सिद्धाश्रम से मिथिला रवाना होने पर विश्वामित्र के पीछे-पीछे कई तपस्वी सौ शकटों में सवार होकर चले थे।^१ (इससे यह भी सूचित होता है कि सिद्धाश्रम से मिथिला तक गाडियों के चलने लायक रास्ता रहा होगा।) बैलो और घोडों पर भी सामान लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। भरत अपनी उपमा ऐसे किशोर अश्व और वृषभ से देते हैं, जो भार ढोने में असमर्थ हैं।^२ जनक का प्रसिद्ध धनुष आठ पहियोवाली मजूपा पर रखा हुआ था, जिसे कई आदमी मिलकर ढोते थे।^३

देश में भीतरी यातायात के लिए नावें भी प्रयोग में लाई जाती थी। ये नावें पालो और पतवारों के सहारे चलाई जाती थी, जैसाकि हत्कण्ठ नौजले (टूटी पतवारवाली नौका के समान), मूढवातेव नौजले (प्रतिकूल हवा से विमूढ हुई नौका के समान)—जैसी उक्तियों से ध्वनित होता है।^४ जहा स्थल-मार्ग के बीच से कोई नदी बहती, वहा नाव द्वारा उसे पारकर यात्रा की अविच्छिन्नता स्थिर रखी जाती थी। विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण ने गंगा नदी एक ऐसी नौका पर बैठकर पार की थी, जिसमें एक सुखद दरी बिछी हुई थी और जो ऊपर से ढकी हुई थी (सुखास्तीर्णा, १।४५।६)। इस नाव के स्वामी वनवासी मुनि लोग थे। सरयू और गंगा के अशांत और तेज प्रवाहवाले सगम-स्थल को इन लोगों ने कामाश्रम की एक नाव में पार किया था। अपनी वन-यात्रा में राम, सीता और लक्ष्मण जिस नौका में गंगा-पार हुए थे, वह सुदृढ, सुदर और सुखपूर्वक पार

१. तं ब्रजन्त मुनिवरमन्वगादनुसारिणाम् । शकटीशतमात्र तु प्रयाणे ब्रह्मवादि-
नाम् ॥१।३।१७
२. घुरमेकाकिना न्यस्ता वृषभेण बलीयसा । किशोरवद्गुरु भार न बोढुमह-
मुत्सहे ॥६।१२।३
३. नृणा शतानि पचाशद्व्यायताना महात्मनाम् । मजूषामष्टचक्रा तां समूहस्ते
कथचन ॥१।६७।४
४. ६।४८।२६, ६।५०।१

उतारनेवाली तथा मल्लाहो (कर्णग्राह) और पतवारो से युक्त थी—

अस्य वाहनसयुदतां कर्णग्राहवतीं शुभाम् ।

सुप्रतारांदृढां तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहर ॥ २।५२।६

क्योंकि रामायण में अधिकतर राम के क्रिया-कलाप का वर्णन है और क्योंकि तत्कालीन आर्य-नरेश हिमालय और विध्य के बीच के उत्तरी भारत में राज्य करते थे, इसलिए उनके द्वारा नौ-सेना रखे जाने की कोई सूचना नहीं मिलती । शृगवेरपुर के राजा गुह ही एक ऐसे नरेश हैं, जिनके पास उल्लेखनीय नौ-पोत थे । गुह गगा-तट के निवासी थे । उनके पास पाच सौ नौकाए, तट-रक्षक और सुसज्जित सेना भी थी । जब भरत, दल-बल-सहित राम के पास चित्रकूट जाते समय, शृगवेर-पुर से गुजर रहे थे, तब गुह ने उन्हें किसी दुष्ट भाव से प्रेरित समझा और सैकड़ों कैवर्त-युवको को आज्ञा दी कि पाच सौ नावे लेकर शत्रु का मार्ग अवरुद्ध कर दे । प्रत्येक नाव सौ सशस्त्र कैवर्तों को ले जा सकती थी ।^१ ये नावें सभवत 'अग्र-मदिरा' श्रेणी की रही होगी, जिनमें 'मदिर' (जहाज का मार्ग देखने के लिए बनी केबिन) नाव के आगे के भाग की ओर बना होता है । ये नौकाए वर्षा-ऋतु के समाप्त हो जाने पर प्रयोग में लाई जाती थी । लबी यात्राओं या जल-युद्ध के लिए ये विशेष उपयुक्त होती थी ।^२ यात्री और माल ढोने में भी ये प्रयुक्त होती थी । भरत का शुद्ध भाव जानकर निषादराज ने उनकी सारी सेना को गगा पार कराने के लिए ऐसी पाच सौ नावों की व्यवस्था कर दी । इन नावों में पुरुष, स्त्रिया, हाथी, घोड़े, रथ और अन्य भारी सामान ले जाया गया था, अतः ये अवश्य ही नौ-पोतों के समान विशाल रही होगी । राज-परिवार के बैठने के लिए गुह ने विशेष नौकाए मगाई थी । इन सुसज्जित नावों के अग्र भाग की ओर ध्वजाए फहरा रही थी तथा बड़े-बड़े घटे लटक रहे थे । इनमें पतवारे लगी थी, कुशल नाविक इनका संचालन कर रहे थे और इनके जोड़ बड़ी मजबूती से बनाये गए थे । ये नावें सामान्य नौकाओं से बड़ी और स्वस्तिक के आकार-प्रकार की थी, इसलिए इन्हें 'स्वस्तिक' की सजा दी गई थी ।^३ एक श्वेत

१. नावां शताना पचाना कैवर्तानां शतं शतम् । सन्नद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्वित्यभ्यचोदयत् ॥२।८४।८
२. राधाकुमुद मुखर्जी—'हिस्ट्री आफ इंडियन शिपिंग', पृ० २६
३. अन्या स्वस्तिकविज्ञेया महाघण्टाधराधराः । शोभमानाः पताकिन्यो युक्तवाहाः सुसंहताः ॥२।८६।११

कबल इनमें विछा हुआ था (पाण्डुकम्बलसवृता)। यात्रियों को पार उतारने के बाद गुह के मल्लाहो ने लौटते समय अपनी नावों के चित्र-विचित्र पैतरे, नौका-चालन की अनेक विधिया प्रदर्शित की थी—निवृत्ता काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशबन्धुभिः (२।८६।१८)। उन दिनों नौकानयन निषाद और दाश-जैसी अनार्य जातियों के हाथ में था। उत्तरकांड में अपने वनवास के समय सीता ने लक्ष्मण के साथ जिस नौका में बैठकर गंगा पार की थी, उसे भी इन्हीं जातियों के नाविकों ने खेया था।

कुछ लोग इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हैं कि राम ने अपनी सेना को लका पहुंचाने के लिए बड़े जल-पोतो का उपयोग न कर एक कष्टसाध्य महान सेतु का निर्माण क्यों किया। सभवत इसका कारण यह था कि एक छिछले और अशांत सागर में जल-पोतो का प्रयोग नहीं किया जा सकता था और फिर सामने के तट से एक प्रबल शत्रु के प्रतिरोध का भी तो भय था।^१

नौकाओं के अतिरिक्त वेडो (पोतो और प्लवो) और घडो द्वारा भी नदिया पार की जाती थी। नदियों में पहरा देनेवाले 'नदीरक्ष' कहलाते थे। 'तीर्थ' नावों के ठहरने का स्थान था। 'स्फ्य' डाड को कहते थे और पतवार को 'कर्ण' या 'वाहन'।^२

हवाई यातायात की भी सूचना मिलती है। आकाशगामी यान को 'खग' या 'विमान' कहते थे। सीता ने पति के चरणों की छाया के सामने 'विहायस-गत' (२।२७।७) अर्थात् आकाश-भ्रमण को भी तुच्छ समझा था। सीता की खोज करने के बाद हनुमान, अगद आदि वानर आकाश-मार्ग से सुग्रीव के पास लौटे थे (५।६४।२३-६)। लका-युद्ध में आकाश-युद्ध के अनेक वर्णन आये हैं। सहस्रो वर्षों के पश्चात् आज हम यह कहने में असमर्थ हैं कि इस आकाश-युद्ध और आकाश-मार्ग का यथातथ्य स्वरूप क्या रहा होगा। रावण का सुप्रसिद्ध पुष्पक विमान एक अद्भुत आकाशचारी यान था, जो उड़ते समय महाघोष करता था (महानादमुत्प-पात विहायसम् ६।१२३।१)। उसके निर्माण, उमकी संचालन-क्रिया आदि पर कवि ने प्रकाश नहीं डाला है।

संक्षेप में, वाल्मीकि के समय में भारत आर्थिक दृष्टि से एक सुखी, समृद्ध और

१. चिंतामण विनायक वैद्य—'दि रिडिल आफ दि रामायण', पृ० १६५

२. क्रमशः देखिए—५।१०।३७; २।५५।१४, २।८६।२०; २।८४।७; २।५२।६; २।५२।८१, २।५२।८१, २।५२।६

वैभवशाली देश था। दशरथ के राज्य-काल में अयोध्या तथा उसके जनपदों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त उन्नत हो चुकी थी—वे धन, धान्य, पशु आदि जीवन की सुख-सुविधाओं से सपन्न थे। प्रजा के जीवन का स्तर बहुत ऊँचा था, वह बहुमूल्य वेश-भूषा धारण करती और उत्तम अन्न-पान का सेवन करती थी। साक्षरता का व्यापक प्रचार था। लोग पुण्यशाली, दीर्घजीवी, नीरोग और प्रसन्न थे। वे अपनी ही अर्जित संपत्ति से सन्तुष्ट रहते तथा लोभ-वश अधिक की प्राप्ति के लिए लालायित नहीं होते थे। कोसल-राज्य के देहाती क्षेत्र में घनी आबादी थी, वह उद्यान और आम के बगीचों, निर्मल जल से भरे विपुल जलाशयों, हृष्ट-पुष्ट अधिवासियों, गौओं के झुंडों तथा चैत्य और यूपों से सुशोभित था। कोसल की आर्थिक समृद्धि का आभास इन प्रश्नों से भी होता है, जो चित्रकूट पर राम ने भरत से पूछे थे—“उन्नति-शील और समृद्धिशालिनी अयोध्या की तुम भली भाँति रक्षा तो करते हो? जहाँ नाना प्रकार के यज्ञ होते रहते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित लोग बड़ी सख्या में निवास करते हैं, अनेक देव-स्थान, पौसले और तालाब जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जहाँ के स्त्री-पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामयिक उत्सवों से सदा शोभा-सपन्न दिखाई देता है, जहाँ खेत जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, जो बहुत सुंदर है और हिंसक पशुओं से रहित है, जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, नाना प्रकार की खाने जिसकी शोभा बढ़ाती है, जहाँ पापी मनुष्यों का सर्वथा अभाव है, तथा हमारे पूर्वजों ने जिसकी भली भाँति रक्षा की है, वह कोसल देश धन-धान्य से सपन्न एवं सुखी तो है? कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलानेवाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीति-पात्र तो हैं? व्यापार आदि में लगे हुए लोग सुखी तो हैं? इष्ट की प्राप्ति कराकर तथा अनिष्टों का निवारण करके तुम इन सब लोगों का पालन करते हो? राजा को अपने राज्य में रहनेवाले सब लोगों का धर्मानुसार पालन करना चाहिए” (२।१००।४३-८)।

राम ने भरत से एक प्रश्न यह भी पूछा था कि आयस्ते विपुलः कश्चित्कश्चिदल्पतरो व्ययः, क्या तुम्हारी आमदनी बढ़ी हुई और तुम्हारे खर्च घटे हुए है? (२।१००।५४)। अमरीकी विद्वान ई० डब्ल्यू० हार्किंस^१ ने इससे यह निष्कर्ष

१. देखिए ‘जर्नल आफ अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी’ (भाग १३) में श्री हार्किंस का लेख।

निकाला है कि राजागण अत्यधिक करो के बोझ से प्रजा को लादकर अपना खजाना भरने में ही सलग्न रहते थे। किंतु रामायण में अनुचित करो का विरोध ही किया गया है। राम की विशाल संपत्ति धर्मानुसार उपाजित की गई थी (महाघन धर्मबलैरुपाजितम्, २।३।२।४५)। राजा को कर-वसूली में उदार और नरम नीति बरतनी चाहिए, उग्रता का आश्रय लेकर प्रजा को विक्षुब्ध करना श्रेयस्कर नहीं है।^१ जो राजा प्रजा की आय का छठा भाग लेकर उसका पुत्रवत् परिपालन नहीं करता, वह पाप का भागी बनता है।^२ उत्तरकांड में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, वह प्रजा की आय के छठे भाग का उपभोक्ता नहीं बन सकता—षड्भागस्य च भोक्तासौ रक्षते न प्रजा कथम् (७।७।४।३१)। राम द्वारा पूछे गए उक्त प्रश्न की व्याख्या इन कथनों को दृष्टि में रखकर करनी चाहिए। निश्चय ही राम ने इस बात पर बल दिया है कि राजा को अपनी आय खर्च से बढ़ाकर रखनी चाहिए, किंतु प्रजा को सुशासन के बरदानों से वंचित रखकर नहीं। 'बलि-षड्-भाग' राजा को प्रजा का सरक्षण करने के पारिश्रमिक के रूप में ही दिया जाता था।

-
१. तुलना कीजिए—कच्चिन्नोप्रेण दण्डेन भूशमुद्वेजिता प्रजा। १२।१००।२७
 २. तुलना कीजिए—बलिषड्भागमुद्धृत्य नृपस्यारक्षितु प्रजाः। अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गत। २।७।५।२५; अधर्मं सुमहान्नाथ भवेत्तस्य तु भूपते। यो हरेद्बलिषड्भाग न च रक्षति पुत्रवत् ॥३।६।११

प्रशासन

रामायणकालीन भारत में कोई एकच्छत्र साम्राज्य नहीं था। हिमालय और विंध्य पर्वतमालाओं का मध्यवर्ती आर्यावर्त देश अंग, काशी, कोसल, केकय, मगध, मत्स्य, मिथिला, वंग, विशाला, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, साकाश्या आदि स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था।^१ दशरथ ने कैकेयी के समक्ष अपने को सारी वसुधरा का स्वामी बताया था,^२ और राम ने, वाली से विवाद करते समय, समस्त भारत पर अयोध्यापति भरत की प्रभु-सत्ता का दावा किया था,^३ पर वस्तुतः कोसल-नरेश का प्रभाव पडोस के कुछ सामंत राजाओं तक ही सीमित था।^४ रोमन या ब्रिटिश साम्राज्य की तरह अयोध्या का साम्राज्य सशक्त या केंद्र-संचालित नहीं था। दशरथ की सत्ता की तुलना परवर्ती मुगल-सम्राटों की सत्ता से की जा सकती है। हा, राम के शासन-काल में कोसल-राज्य के प्रभाव में अतिशय वृद्धि हुई।

कोसल-राज्य का क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं था। स्यदिका (आधुनिक सर्ई) नदी का तटवर्ती प्रदेश कोसल की दक्षिणी सीमा था। वन जाते समय राम ने, अयोध्या से रथ में चलकर, लगभग एक ही दिन में यह सीमा पार कर ली थी (रथेन पुरुष-व्याघ्रः कोसलानत्यवर्तत, २।५०।१०)। इसीके साथ कुछ छोटे-छोटे राज्य थे और फिर निषादराज गुह का राज्य आरंभ होता था।

१. १।१३।२३-८; १।४७।१२; १।७०।७; २।१०।३७

२. यावदावर्तते चक्रं तावती मे वसुंधरा। २।१०।३६-८

३. इक्ष्वाकूणामियं भूमिः सशैलवनकानना। ४।१८।६

४. अयोध्या की सड़कें उपहार लेकर आनेवाले सामंत राजाओं से भरी पड़ी थीं— 'सामन्तराजसंघैश्च बलिकर्मभिरावृताम्' (१।५।१४)। दशरथ को 'नतसामन्तः' (जिसने सामंतों को वश में कर रखा है) कहा गया है (१।७।२२)। विश्वामित्र ने भी दशरथ से पूछा था कि सामंत राजाओं को तुमने वश में तो कर रखा है—'अपि ते सन्नताः सर्वे सामन्तरिपवो जिताः' (१।१८।४६)।

रामायण में किसी गणतंत्र का उल्लेख नहीं है। तत्कालीन शासन का स्वरूप मर्यादित राज्यतंत्र था। एक वैधानिक शासक द्वारा स्थापित सुदृढ़ शासन-व्यवस्था में जनता का परम विश्वास था। स्थायी सरकार के अभाव में होनेवाली अराजकता के दोषों से प्रजा सुपरिचित थी (२।६७)।

राजा का पद कुल-परंपरागत था। इक्ष्वाकु-वंश की वंशावली से ज्ञात होता है कि राम से कई पीढ़ियाँ पहले और बाद भी राजपद आनुवंशिक था। नये राजा की नियुक्ति के लिए सभा (लोक-सभा) की अनुमति आवश्यक होती थी। भावी राजा पहले वर्तमान राजा तथा मन्त्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित किया जाता और तत्पश्चात् सभा द्वारा निर्वाचित किया जाता। सामंत राजाओं की भी सहमति ली जाती थी।^१ राम को युवराज बनाने से पहले दशरथ ने अपनी सभा की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी।^२ वाली की अनुपस्थिति में मंत्रियों ने मिलकर सुग्रीव का राज्याभिषेक किया था।^३ उत्तरकांड में राजा नृग ने प्रजाजनो, नैगमो, मंत्रियों तथा पुरोहित को बुलाकर उनके समक्ष अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने का प्रस्ताव किया था।^४ चित्रकूट पर राम से भरत ने निवेदन किया था कि आप यही प्रजाजनो, ऋत्विजो तथा पुरोहित के हाथों अपना अभिषेक करा लीजिए।^५ इन उदाहरणों से तत्कालीन राज्यतंत्र में लोकतंत्र का भी पुट लक्षित होता है।

१ दशरथ की सभा में अन्य प्रतिनिधियों के साथ जिन 'राजान' का उल्लेख आया है, वे सभवतः ये ही सामंत राजा थे। इन्हें दशरथ ने, राम को युवराज बनाने के प्रस्ताव पर विचार-विनिमय के लिए, शीघ्रता से बुला भेजा था (२।१।४६)। ब्राह्मणों आदि के साथ राजागण भी राम के अभिषेक की प्रतीक्षा करते हुए बताये गए हैं (२।१।४।४०-१)।

२ यदिद मेऽनुरूपायं मया साधु सुमन्त्रितम् । भवन्तो मेऽनुमन्यन्ता कथं वा करवाण्यहम् ॥ २।२।१५ (अपनी सभा के समक्ष महाराज दशरथ के उद्गार)।

३ ततोऽहं तं (मन्त्रिभिः) समागम्य समेतैरभिषेचितं । ४।६।२१

४. आहूय मन्त्रिण सर्वान्निगमान्त्सपुरोधस । तानुवाच नृगो राजा सर्वाश्च प्रकृती-स्तथा । . कुमारोऽयं वसुर्नाम स चेहाद्याभिषिच्यताम् ॥ ७।५।४।५-८

५ इहैव त्वाभिषिञ्चन्तु सर्वा प्रकृतय सह । ऋत्विजः सवसिष्ठाश्च मन्त्रविन्मन्त्र-कोविदाः ॥ २।१०६।२६

प्रायः ज्येष्ठ पुत्र ही युवराज-पद का अधिकारी होता था, किंतु साथ ही, उसका गुणी और धर्मात्मा होना भी आवश्यक था। अयोग्य और दुष्ट होने पर ज्येष्ठ पुत्र अपने अधिकार से वंचित कर दिया जाता था। प्रजा के आग्रह पर राजा सगर ने अपने अत्याचारी ज्येष्ठ पुत्र असमज का राज्याधिकार छीनकर उसे देश से निर्वासित कर दिया था। राजा ययाति ने ज्येष्ठ यदु को राज्य न देकर अपने आज्ञाकारी कनिष्ठ पुत्र पुरु को ही राज्य दिया। पुत्र के अभाव में राजा का भाई युवराज बनाया जाता था। राम के राज्याभिषेक के समय भरत को युवराज बनाया गया, क्योंकि उस समय तक राम के कोई पुत्र नहीं था। राजा की मृत्यु पर युवराज-पद पर अभिषिक्त किया गया राजकुमार ही राज्याख्य होता था। जीवित राजा के सामने उसका यौवराज्याभिषेक इसलिए कर दिया जाता था कि बाद में उत्तराधिकार-विषयक विवाद न हो और राजगद्दी खाली न रहे। शासक की मृत्यु होने पर युवराज के राज्याभिषेक के लिए सभा की पुनः अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी।

पुत्र ज्येष्ठ हो और किसी अपराध के कारण अयोग्य न ठहरा दिया गया हो, फिर भी यदि उसे राज्याधिकार से वंचित किया जा रहा हो तो वह इन तीन उपायों का आश्रय ले सकता था— (१) पहला उपाय, जिसे लक्ष्मण ने राम को सुझाया था, राजा को मारकर या कैद कर राज्य पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना था।^१ कौसल्या ने इस प्रस्ताव से असहमति नहीं प्रकट की थी और इसके प्रति राम का ध्यान आकर्षित किया था, किंतु राम ने इस प्रकार क्षात्र-परपरा का आश्रय लेने के बजाय धर्म का ही पालन करने, पिता की ही आज्ञा शिरोधार्य करने का सकल्प प्रकट किया।^२ ध्यान देने की बात है कि राम ने लक्ष्मण के सुझाव को क्षात्र-परपरा के विरुद्ध नहीं बताया। (२) दूसरा उपाय स्वयं दशरथ ने सुझाया था। उन्होंने राम से कहा कि कैकेयी को वर देकर मेरी मति मारी गई है, अतः तुम मुझे बंदी बनाकर अयोध्या के राजा बन जाओ।^३ (३) तीसरा उपाय प्रजा के सहयोग पर निर्भर था।

१. प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या सन्तुष्टो यदि नः पिता । अमित्रभूतो निःसंगं बध्यतां बध्यतामपि ॥ २।२१।१२-३

२. तदेता विसृजानार्या क्षत्रधर्माश्रिता मतिम् । धर्ममाश्रय मा तंक्ष्य ॥ २।२१।४४

३. अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः । अयोध्याया त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम् ॥ २।३४।२६

राजकुमार की लोकप्रियता के कारण मन्त्रिगण, सेना तथा नागरिक राजधानी छोड़कर उसके साथ अन्यत्र जा सकते थे और नया राज्य बसाकर रह सकते थे।^१

ये सभी उपाय अज्ञात या अप्रचलित नहीं रहे होंगे।

कभी-कभी अपने किसी पुत्र को युवराज नियुक्त किये बिना ही राजा की मृत्यु हो जाती थी। ऐसे अतर्वर्ती काल में नये राजा के निर्वाचन का प्रवध 'राजकर्तार' (२।६७।२) करते थे। मन्त्रि-परिषद के वे सदस्य, जो नये राजा की नियुक्ति का प्रस्ताव रखते थे, इसी नाम से संबोधित किये जाते थे। दशरथ की मृत्यु हो जाने पर, जबकि राम-लक्ष्मण वन-प्रस्थान कर चुके थे तथा भरत और शत्रुघ्न सुदूर केकय देश में थे, राजकर्तार (जिसमें विशिष्ट मन्त्रिगण तथा राजपुरोहित की गणना की जाती थी) ने मिलकर विचार-विमर्श किया और भरत को तुरत बुलाने का निश्चय किया। यदि किसी कारणवश नये राजा की नियुक्ति संभव न होती, तो राज्य का शासन-सूत्र एक प्रवधक को सौंप दिया जाता था। इस व्यवस्था के अनुसार भरत ने चौदह वर्ष तक अयोध्या के राज्य को एक न्यास (ट्रस्ट) मानकर उसका शासन-प्रवध किया था। वनवास की अवधि समाप्त होने पर जब राम अयोध्या लौटे, तब भरत ने उन्हें राज्य की बागडोर सौंपते हुए कहा था कि आप खजाना, कोठार, सेना आदि का निरीक्षण कर लें —

एतत्ते सकल राज्य न्यास निर्यातित मया ।

अवेक्षता भवान्कोश कोष्ठागार गृह बलम् ॥६।१२७।५४-६

आर्य-राष्ट्र-नीति में राजा प्रजावर्ग की समष्टि-आत्मा का प्रतिनिधि है, विश्व के अतर्यामी नियता का प्रत्यक्ष विग्रह-रूप है। राम ने वाली से कहा था कि 'राजा लोग दुर्लभ धर्म, जीवन और लौकिक अम्युदय के दाता होते हैं, अतः उनकी निंदा, हिंसा तथा उनके प्रति आक्षेप नहीं करना चाहिए। वे वास्तव में देवता हैं, जो मनुष्य-रूप से इस पृथ्वी पर विचरते हैं। मनुष्य पाप करके यदि राजा के दिये हुए दंड को भोग लेते हैं, तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा पुरुषों की भांति स्वर्गलोक में जाते

१ अस्माभिश्च परित्यक्त पुर सम्पद्यता वनम् । २।३३।१६-२५; नहि तद्भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपति । तद्वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति ॥ २।३७।२५-६

है ।^१ रावण के मतानुसार तेजस्वी राजा अग्नि, इद्र, सोम, यम और वरुण इन पाचो देवताओ के स्वरूप को धारण किये रहते हैं, उनमे इन पाचो के गुण—प्रताप, पराक्रम, सौम्य स्वभाव, दड और प्रसन्नता—विद्यमान रहते हैं, अत सभी अवस्थाओ में राजाओ का समान और पूजन करना चाहिए (३।४०।१२-४) ।

जहा प्रजागण राजा को अपने हृदय के आराध्य देवता के रूप में पूजते थे, वहा उसमे सभी सद्गुणो और सभी सत्शक्तियो को प्रतिबिंबित देखने की भी आशा रखते थे । वाल्मीकि के अनुसार, आदर्श राजा गुणवान, पराक्रमी, धर्मज्ञ, उपकार माननेवाला, सत्यवक्ता, दृढप्रतिज्ञ, सदाचारी, समस्त प्राणियो का हित-साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली, प्रियदर्शन, मन पर अधिकार रखनेवाला, क्रोध को जीतनेवाला, कातिमान, अनिदक और सग्राम मे अजेय योद्धा होता है (१।१।२-४) ।

नारद के अनुसार, आदर्श राजा का व्यक्तित्व आकर्षक एव प्रभावोत्पादक होता है । उसके कधे मोटे, भुजाए बडी-बडी, ग्रीवा शख के समान, ठोडी भरी हुई, छाती चौडी, गले के नीचे की हड्डी मास से छिपी हुई, भुजाए घुटनो तक लबी, मस्तक सुदर, ललाट भव्य, चाल मनोहर, शरीर मध्यम और सुडौल, देह का रग स्निग्ध, वक्ष स्थल भरा हुआ और आखें बडी होती है । मानसिक दृष्टि से वह बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, ज्ञानी, वेद-वेदांग के तत्व को जाननेवाला, धनुर्वेद मे प्रवीण, धर्म का ज्ञाता, अखिल शास्त्रो का मर्मज्ञ, स्मरण-शक्ति से युक्त तथा प्रतिभासपन्न होता है । नैतिक दृष्टि से वह धैर्यवान, जितेंद्रिय, सत्यप्रतिज्ञ, पवित्र, यशस्वी, श्री-सपन्न तथा अच्छे विचार और उदार हृदयवाला होता है (१।१।५-१६) ।

हनुमान के अनुसार, आदर्श राजा पूर्ण चद्र के समान मनोहर मुखवाला, पद्म-पत्र के समान विशाल नेत्रो से युक्त, रूप और औदार्य से सपन्न, तेज, क्षमा, बुद्धि और यश से युक्त, सदाचार, धर्म और चातुर्वर्ण्य का रक्षक, परम प्रकाश-स्वरूप, राज-नीति में पूर्ण शिक्षित, ब्राह्मणो का उपासक, ज्ञानी, शीलवान, विनम्र, वेद-वेदांग

१. दुर्लभस्य च धर्मस्य जीवितस्य शुभस्य च । राजानो वानरश्रेष्ठ प्रदातारो न सशयः । तान्न हिंस्यान्न चाक्रोशेन्नाक्षिपेन्नाप्रियं वदेत् । देवा मानुषरूपेण चरन्त्येते महीतले ॥ ४।१८।४१-२; राजभिर्वृतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ ४।१८।३१

का परिनिष्ठित विद्वान, और सामुद्रिक-शास्त्र के अनुसार शुभ अग-प्रत्यगो से युक्त होता है (५।३५।८-११) ।

अयोध्या की जनता के अनुसार, आदर्श राजा वीर्यवान, स्थिरप्रज्ञ, विद्वान, सभी विद्याओं और वेद-वेदांगों को भली भाँति जाननेवाला, मधुर-भाषी, सज्जन, ईर्ष्या, असूया और मात्सर्य से दूर, वृद्धो और ब्राह्मणों का प्रतिपूजक, सदैव शांत, कृतज्ञ, सदाचारी, शील-सपन्न, मार्दव और कोमलता से युक्त, क्षमावान, प्रजाप्रिय, दूसरों के अतर्गत विचारों को तुरत ताड़नेवाला, दयालु, आलस्य और अभिमान से शून्य, धर्म, अर्थ और काम का ज्ञाता, गभीर मन्त्र को गुप्त रखनेवाला, भाषा-ज्ञान में निपुण, संगीत, वाद्य और चित्रकारी का विशेषज्ञ, शत्रु पर आक्रमण और प्रहार करने में कुशल, सेना-संचालन में निपुण, दोष-दृष्टि से रहित, अमित तेजस्वी, रूपवान, पराक्रमी, बाहर और भीतर से शुद्ध, युक्तिया देने में बृहस्पति के समान, नीरोग, तरुण, असाधारण वक्ता, सुंदर विग्रह से सुशोभित, देश-काल के तत्व को समझनेवाला और दीनता से रहित होता है (२।२।२८-४७) ।

राजा को व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा जन-हित का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। जन-मत के सामने उसे झुकना पड़ता था। सगर-पुत्र असमज का निर्वासन तथा सीता का परित्याग जन-मत की प्रबलता के ही परिणाम थे। राजा समस्त प्रजा का सरक्षक होता था, धर्मानुसार न्याय-वितरण करना उसका कर्तव्य था। चारों वर्णों को 'स्वकर्मनिरत' रखना उसका एक लक्ष्य था। वलिषड्भाग (प्रजा की आय का छठा भाग) कर-रूप में पाने के बदले राजा पर दुष्टों के दमन और साधुओं के संरक्षण का भार आ पड़ता था। 'राज्य के भीतर कहीं पाप की प्रबलता होने पर, कहीं दुर्भिक्ष या महामारी होने पर, कहीं सघर्ष, अशांति या अकाल मृत्यु होने पर तथा कहीं प्रजागण के मानव-जीवन के आध्यात्मिक आदर्श से च्युत होने पर सत्पुरुष राजा को ही उत्तरदायी मानते थे। वे ऐसा निश्चय करते थे कि राजा के जीवन में अवश्य कहीं अधर्म को आश्रय मिला है। जिस प्रकार राजा प्रजा का निर्णायक था, वैसे ही प्रजा भी राजा की निर्णायिका थी। राजा के पारिवारिक तथा राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक व्यापार पर प्रजा की तीव्र दृष्टि रहती थी, क्योंकि उसकी जीवन-धारा पर ही सारे राष्ट्र का हिताहित अवलंबित था। प्रजागण राजा के जीवन के सबंध में कैसी आलोचना करते हैं—गुप्तचरों द्वारा इसका सवाद प्राप्त करना, तथा उसके अनुसार अपने आचरण का सशोधन करना या अपने को दंड देना राजा का विशेष

कर्तव्य माना जाता था। राजा का जीवन आदर्श होने पर तथा राजा और प्रजा के बीच सुमधुर सबंध प्रतिष्ठित होने पर ही राष्ट्र का अभ्युदय हो सकता है।^१

वाली के अनुसार इन्द्रियो का सयम, मन का निग्रह, क्षमा, धर्म, धैर्य, पराक्रम और अपराधियो को दड देना ये राजा के गुण है, राजाओ को स्वेच्छाचारी नही होना चाहिए, नीति और विनय, दड और अनुग्रह, इनका अविवेकपूर्वक उपयोग करना उनके लिए उचित नही।^२ उन्हे अनावश्यक हिंसा से बचना चाहिए। जैसाकि लक्ष्मण ने राम से निवेदन किया था, एक के अपराध के लिए अनेक का सहार करना अनुचित है—**नैकस्य तु कृते लोकान् विनाशयितुमर्हसि (३।६५।६)**। धर्म की उपेक्षा करके अर्थ और काम के सेवन में ही निरत रहना राजा के पथ-भ्रष्ट होने का लक्षण है। उसे न्यायपरायण और लोकप्रिय बनने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। राज-काज में राजा को सक्रिय योग देना चाहिए।^३ जब सुग्रीव ने राज्य का कार्य मंत्रियो को सौंप दिया और उनके कार्यों की स्वयं देखभाल तक नही करने लगे, तब हनुमान ने उलाहना देकर उन्हे सचेष्ट किया था।

राजा का दैनिक कार्यक्रम क्या होना चाहिए, इसका उदाहरण उत्तरकांड में वर्णित राम की दिनचर्या से प्राप्त होता है। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व बदिगण आकर स्तुति और सगीत द्वारा राजा राम को जगाते थे। उठने के पश्चात राम स्नान करते, वस्त्राभूषण धारण करते तथा कुल-देवता, पितरो और विप्रो की पूजा करते थे। तदनंतर वह बाह्य कक्ष्या में जाकर सार्वजनिक कार्यों को निपटाते थे। यहा वह अमात्यो, पुरोहितो, सैनिक अधिकारियो, जानपदो, सामत राजाओ, ऋषियो तथा पौरवर्गो के साथ सभा का संचालन करते थे। पौरकार्य मे व्यस्त न होने पर वह मुनियो के धर्म-प्रवचन का श्रवण करते थे। अपराहण का समय राम अपने अंत पुर के

१. अक्षयकुमार वंद्योपाध्याय—'रामायण की मर्म-वाणी', 'कल्याण' का 'संक्षिप्त वाल्मीकि-रामायणाक', पृ० १०
२. साम दानं क्षमा धर्मः सत्यं धृतिपराक्रमौ । पार्थिवानां गुणा राज दण्ड-श्चाप्यपकारिषु ॥ नयश्च विनयश्चोभौ निग्रहानुग्रहावपि । राजवृत्तिरसंकीर्णा न नृपाः कामवृत्तयः ॥ ४।१७।२६-३२
३. पौरकार्याणि यो राजा न करोति दिने दिने । संवृत्ते नरके घोरे पतितो नात्र सशयः ॥ ७।५३।६

अशोक-वन में सीता के साथ व्यतीत करते थे। दिन के शेष समय में वह मध्य कक्ष्या में गुप्तचरो आदि के साथ महत्वपूर्ण मंत्रणा करते थे।^१

राजा को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उसके दर्शनार्थी सभी वर्ग उससे सरलतापूर्वक मिल सके। स्त्री-पुरुष सभीको अपनी शिकायतें कहने के लिए राजा के पास प्रातः काल आने का अवसर मिलना चाहिए।^२ प्रतिदिन राजा को राजोचित वेश-भूषा में सभा-भवन में बैठकर जनता को दर्शन देना चाहिए।^३

शिक्षा-दीक्षा, मंत्रियो, पुरोहितो तथा गुरुजनो का नियंत्रण, धर्म-निष्ठा, परलोक में यातना पाने का भय, परपराओ और सस्कारो का समादर तथा लोकापवाद का डर राजाओ को मर्यादा में रहने को प्रेरित करते थे। राजा का व्यक्तित्व आदरणीय होते हुए भी इतना पवित्र या अलौकिक नहीं था कि अनाचार करने पर भी वह लोक-निंदा से बचा रहे। राम के साथ वन-प्रस्थान करने से पूर्व जब सीता को भी वल्कल-वेश धारण करना पड़ा, तब प्रजाजन धिक् त्वा दशरथम् कहकर दशरथ को धिक्कारने लगे थे।^४ उन्होंने अयोध्या छोड़कर अन्यत्र जाने का भी निश्चय प्रकट किया था (गच्छन्तमनुच्छामो यत्र गच्छति राघवः, २।३३।१५)। नगर-त्याग प्रजा की ओर से राजा को दिया जानेवाला कठोरतम दंड होता था। रावण भी लोक-निंदा से बचा रहना चाहता था। जब उसने हनुमान को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया, तब विभीषण ने उसे स्मरण दिलाया था कि दूत का वध करना लोक-दृष्टि में एक निन्दित कार्य है (लोकवृत्तेश्च गर्हितम्, ५।५२।६)।

शासन-संचालन की समुचित व्यवस्था किये बिना राजा राज्य छोड़कर नहीं जा सकता था। गगावतरण के आख्यान में कहा गया है कि तपस्या-हेतु वन-प्रस्थान

१. ७।३७; ७।५३।४-६, १८; ७।४२।२७, ३६, ७।४३।१

२. आह्वयन्ता प्रकृतयः पुरोधा मन्त्रिणस्तथा। कार्यार्थिनश्च पुरुषा स्त्रियो वा पुरुषर्षभ ॥ ७।५३।६

३. ततः प्रभाते विमल कृतपूर्वाह्निकक्रियः। अभिचक्राम काकुत्स्थो दर्शनं पौर-कार्यवित् ॥ ७।६०।२, कच्चिद्दर्शयसे नित्य मानुषाणा विभूषितम्। उत्थायोत्थाय पूर्वाह्निं राजपुत्र महापथे ॥ २।१००।५१

४. तस्या चीर वसानाया नाथवत्यामनाथवत्। प्रचुक्रोश जन सर्वो धिक्त्वा दशरथ त्विति ॥ २।३८।१

करने से पूर्व राजा भगीरथ ने राज्य का प्रबन्ध मंत्रियों के सुपुर्द कर दिया था (मन्त्रि-
ष्वाधाय तद्राज्यम्) । गगावतरण होने पर जब वह पितरो का यथाविधि श्राद्ध
सपन्न कर चुके, तब उन्होंने लौटकर राज्य की बागडोर सम्हाल ली थी ।^१ इसी
प्रकार उत्तरकाण्ड में, शंबूक की खोज में जाने से पहले, राम ने लक्ष्मण और भरत को
अयोध्या का राज्य-भार सौंप दिया था । राजा की आज्ञा बिना युवराज को नगर
छोड़ने का अधिकार नहीं था । भरत के चित्रकूट आने पर राम ने (जो तब तक दशरथ
की मृत्यु से अनभिज्ञ थे) पूछा था कि पिता के जीवित रहते (उनकी आज्ञा बिना)
तुम यहा वन में कैसे आ गए ।^२ पुत्र को राज्य सौंपकर अवकाश-ग्रहण की अनु-
मति सभा से प्राप्त करनी पड़ती थी ।

अयोध्याकाण्ड के १००वें (कच्चित्) सर्ग में राम ने भरत से जो राजनीति-
विषयक प्रश्न पूछे हैं, उनसे ज्ञात होता है कि राजाओं से कैसे आचार-व्यवहार की
अपेक्षा की जाती थी । उन्होंने पूछा—“तुम समय पर जाग जाते हो ? रात के पिछले
पहर में अर्थ-सिद्धि के उपायो पर विचार करते हो ? तुम अकेले या अधिक आदमियों
के साथ किसी गुप्त विषय पर विचार नहीं करते ? तुम्हारा विचार हुआ गुप्त मन्त्र
समूचे राष्ट्र में फैल तो नहीं जाता ? जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत
बड़ा हो (लघुमूल महोदयम्), ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र
प्रारंभ कर देते हो ? उसमें विलंब तो नहीं करते ? तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर
अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ? कहीं ऐसा
तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को वे पहले ही जान जाते हो ? तुम्हारे
निश्चित किये हुए विचारों को, तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी, दूसरे
लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा तो नहीं जान लेते ? तुम्हें और तुम्हारे अमात्यो को
दूसरे के गुप्त विचारों का पता लगता रहता है ? जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से
निकाल दिया है, वे यदि फिर लौटकर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी
उपेक्षा तो नहीं करते ? काम-काज में लगे सभी लोग निडर होकर तुम्हारे सामने
तो नहीं आते अथवा सदा तुमसे दूर तो नहीं रहते ? मध्यम स्थिति का अवलंबन

१. १४२।१२; १४४।१८

२. क्व नु ते भूत्पिता तात यदरप्यं त्वमागतः । न हि त्वं जीवितस्तस्य वनमागन्तु-
मर्हसि ॥ २।१००।४

करना ही अर्थ-सिद्धि का कारण होता है। नास्तिकता, असत्य-भाषण, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, ज्ञानी पुरुषों का सग न करना, आलस्य, नेत्र आदि पाचो इन्द्रियों के वशीभूत होना, राज्य-कार्यों के विषय में अकेले ही विचार करना, विपरीत बुद्धि-वाले मूर्खों से सलाह लेना, निश्चित किये हुए कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ न करना, गुप्त मन्त्रणा को प्रकट कर देना, मागलिक कार्यों का अनुष्ठान न करना तथा सब शत्रुओं पर एक ही साथ चढाई कर देना, ये राजाओं के चौदह दोष हैं। तुम इनसे दूर रहते हो ? दशवर्ग, पचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, तीन विद्या, छ गुण, इन्द्रिय-निग्रह, दैवी और मानुषी बाधाएँ, राजा के नीतिपूर्ण कार्य, विशतिवर्ग, प्रकृति-मडल, यात्रा (शत्रु पर आक्रमण), दड-विधान (व्यूह-रचना), तथा सधि और विग्रह, इन सबकी ओर तुम यथार्थ रूप से ध्यान देते हो ?”^१

१. देखिए २।१००।१७-२१, ३७, ५२, ६५-७०। काम से उत्पन्न होनेवाले दस दोषों को 'दशवर्ग' कहते हैं। ये राजा के लिए त्याज्य हैं। मनु ने इनके नाम इस प्रकार गिनाये हैं—आखेट, जुआ, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना, स्त्री में आसक्त होना, मद्य-पान, नाचना, गाना, बाजा बजाना और व्यर्थ घूमना। जल-दुर्ग, पर्वत-दुर्ग, वृक्ष-दुर्ग, ईरिण-दुर्ग और घन्व-दुर्ग, ये पाच प्रकार के दुर्ग 'पचवर्ग' कहलाते हैं। इनमें आरम्भ के तीन प्रसिद्ध ही हैं। जहाँ किसी प्रकार की खेती नहीं होती, ऐसे प्रदेश को 'ईरिण' कहते हैं। बालू से भरी मरु-भूमि को 'घन्व' कहते हैं। गरमी के दिनों में वह शत्रुओं के लिए दुर्गम होती है। इन सब दुर्गों का यथासमय उपयोग करके राजा को आत्मरक्षा करनी चाहिए। साम, दान, भेद और दड की चार प्रकार की नीति को 'चतुर्वर्ग' कहते हैं। राजा, मन्त्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्रवर्ग, ये परस्पर उपकार करनेवाले राज्य के सात अंग हैं, जिन्हें 'सप्त-वर्ग' कहते हैं। चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोष-दर्शन, अर्थ-दूषण, तथा वाणी और दड की कठोरता, ये क्रोध से उत्पन्न होनेवाले आठ दोष 'अष्टवर्ग' माने गए हैं। किसी-किसीके मत से खेती की उन्नति करना, व्यापार को बढ़ाना, दुर्ग बनाना, पुल-निर्माण कराना, जंगल से हाथी पकड़कर मगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना और निर्जन प्रदेश को आबाद करना, राजा के लिए उपादेय ये आठ गुण ही 'अष्टवर्ग' हैं। धर्म,

रामायण में राम, सुग्रीव और विभीषण तथा (उत्तरकांड में) राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के पुत्रों के राज्याभिषेक का उल्लेख आया है। इनमें केवल राम और सुग्रीव के राज्याभिषेको का ही अपेक्षाकृत विस्तार से वर्णन मिलता है।

अर्थ और काम को अथवा उत्साह-शक्ति, प्रभु-शक्ति तथा मंत्र-शक्ति को 'त्रिवर्ग' कहते हैं। त्रयी, वार्ता और दंडनीति, ये तीन विद्याएं हैं। इनमें तीनों वेदों को 'त्रयी' कहते हैं, कृषि और गो-रक्षा वार्ता के अंतर्गत हैं तथा नीति-शास्त्र का नाम दंडनीति है। संधि, विग्रह, दान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय, ये छः गुण हैं। इनमें शत्रु से मेल रखना 'संधि', उससे लड़ाई छेड़ना 'विग्रह', आक्रमण करना 'दान', अवसर की प्रतीक्षा में बैठे रहना 'आसन', दुरंगी नीति बरतना द्वैधीभाव और अपने से बलवान राजा की शरण लेना 'समाश्रय' कहलाता है। आग लगना, वाढ आना, बीमारी फैलना, अकाल पड़ना और महामारी का प्रकोप होना, ये पांच देवी बाधाएं हैं। राज्य के अधिकारियों, चोरों, शत्रुओं और राजा के प्रिय व्यक्तियों से तथा स्वयं राजा के लोभ से जो भय प्राप्त होता है, उसे मानवी बाधा कहते हैं। शत्रु राजाओं के सेवकों में से जिनका वेतन न मिला हो, जो अपमानित किये गए हो, जो अपने स्वामी के किसी व्यवहार से कुपित हो तथा जिन्हें भय दिखाकर डराया गया हो, ऐसे लोगों को इच्छित वस्तु देकर फोड़ लेना राजा का 'कृत्य' (नीतिपूर्ण कार्य) माना गया है। बालक, वृद्ध, दीर्घ काल का रोगी, जातिच्युत, डरपोक, भीरु मनुष्यों को साथ रखनेवाला, लोभी, लालची लोगो को आश्रय देनेवाला, मंत्री-सेनापति आदि प्रकृतियों को असंतुष्ट रखनेवाला, विषयों में आसक्त, चंचल-चित्त मनुष्यों से सलाह लेनेवाला, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करनेवाला, देव का मारा हुआ, भाग्य के भरोसे पुरुषार्थ न करनेवाला, दुर्भिक्ष से पीड़ित, सैनिक कष्ट से युक्त (सेना-रहित), स्वदेश में न रहनेवाला, अधिक शत्रुओंवाला, अकाल (क्रूर ग्रह-वशा आदि से युक्त) और सत्य-धर्म से रहित, ये बीस प्रकार के राजा संधि के योग्य नहीं माने गए हैं; इन्हींको 'विशतिवर्ग' का नाम दिया गया है। राज्य के स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, राज्य के इन सात अंगों को 'प्रकृति-मंडल' कहते हैं। किसी-किसीके मत में मंत्री,

राम के यौवराज्याभिषेक की तैयारी के विवरण, राम के वन-प्रस्थान से अनभिज्ञ सीता के उद्गार तथा युद्धकांड में राम के राज्याभिषेक के वर्णन, इन तीनों को एक सूत्र में पिरोने पर रामायणकालीन राज्याभिषेक-प्रणाली की रूपरेखा प्राप्त की जा सकती है ।^१

राज्याभिषेक का समस्त प्रवध राजपुरोहित के सुपुर्द रहता था । हवन, अभिषेक तथा अन्य कृत्यों के लिए इन आवश्यक वस्तुओं का पहले से संग्रह कर लिया जाता था—चारो समुद्रो, (गंगा आदि) पवित्र नदियों, सरोवरो और तीर्थों का जल, सुवर्ण, रत्न, देव-पूजन की सामग्री, सब प्रकार की ओपधिया, श्वेत पुष्पो की मालाए, लावा, घी, मधु, नये वस्त्र, सुसज्जित राजकीय रथ, शस्त्रास्त्र, चतुरगिणी सेना, उत्तम लक्षणो से युक्त हाथी, दो चवर, ध्वजा, सुवर्ण-भूषित श्वेत छत्र, साड के सीग, अनुलेपन, अगराग, चदन, अक्षत, प्रियंगु, मधु, घी, दही, सुदर एव बहुमूल्य जूते, अग्नि के समान देदीप्यमान सोने के सौ कलश, सोने से मढे हुए सीगोवाला एक साड, व्याघ्र-चर्म, अभिषेक के लिए सोने का पीढा (भद्रपीठ), तथा अन्य उपयोगी वस्तुए । इनमें से आवश्यक वस्तुए अग्निशाला में इकट्ठी करके रख दी जाती थी । स्वस्ति-वाचन करनेवाले ब्राह्मणो के लिए आसन, दक्षिणा आदि का प्रवध रहता था । अलकृत कन्याए एव गणिकाए भी उपस्थित रहती थी । अभिषेक से एक दिन पहले, राजकुमार और उनकी पत्नी को उपवास-व्रत की दीक्षा दी जाती थी और वे दोनों ब्रह्मचर्यपूर्वक भगवान नारायण का पूजन और हवन करते थे । राज्याभिषेक के प्रात काल ब्राह्मणो को मदिरो तथा अन्य सार्वजनिक स्थानो में दही-दूध-घी आदि से सयुक्त उत्तम भोजन कराया जाता और प्रचुर दान-दक्षिणा दी जाती थी । नगर में सब ओर पताकाए फहराई जाती और राज-मार्गों पर छिडकाव कराया जाता था ।

सभा के सदस्य, प्रमुख व्यापारी और नागरिक, श्रमिक सघो के प्रधान, सामत

राष्ट्र, किला, खजाना और दड, ये पाच प्रकृतिया अलग हैं और बारह राजाओ के समूह को 'मडल' कहते हैं । (देखिए 'कल्याण' का 'सक्षिप्त वाल्मीकि-रामायणाक', पृ० १६६)

१. देखिए २।३।८-२०; २।१४।३४-४१, २।१५।१-१२, २।२६।६-१८, ६।१२८।६८

राजा, मन्त्रिगण, सैनिक अधिकारी तथा राजकीय कर्मचारी—इन सबसे अपेक्षा की जाती थी कि वे सस्कार आरम्भ होने से पूर्व ही राजप्रासाद में आकर अपना-अपना आसन ग्रहण कर लें। अभिषेक-सस्कार प्रासाद की अग्निशाला में सपन्न होता था। पहले द्विजगण स्वस्तिवाचन-पूर्वक सपत्नीक राजकुमार को आशीर्वाद प्रदान करते, फिर वे दोनों दर्भयुक्त वेदी पर स्थापित अग्नि में हवन करते। तत्पश्चात् उन्हें भद्रासन पर बैठाया जाता और सर्वप्रथम ब्राह्मण और ऋत्विज उनका मन्त्रोच्चारण-पूर्वक पवित्र जल से अभिषेक करते, फिर क्रमशः कन्याएँ, मन्त्री, सैनिक अधिकारी और वैश्य उनका अभिषेचन करते थे।

इसके बाद राजकुमार नवीन कौशेय वस्त्र धारण करते, शरीर पर चदन, गोरोचन और मन शिला का अनुलेपन करते और पत्नी-सहित रत्नों से सुशोभित सुवर्णमय सभा-भवन में आकर दर्शन देते थे। यहाँ उन्हें समारोहपूर्वक राजपद पर प्रतिष्ठित किया जाता था। सपत्नीक राजकुमार को रत्ननिर्मित सिंहासन पर विराजमान किया जाता, पुरोहित द्वारा उनके सिर पर रत्नमय किरीट रखा जाता, उन पर श्वेत छत्र ताना जाता और चवर डुलाये जाते थे। सामतगण उन्हें विविध उपहार लाकर भेंट करते। राजा भी उपस्थित लोगों को पुरस्कार आदि देकर सन्तुष्ट करते थे।

तदनन्तर नवाभिषिक्त राजा को पुष्परथ पर सवार करके नगर में उनका जुलूस निकाला जाता था। रथ में सोने की साज-सज्जा से युक्त चार श्वेत अश्व जुड़े रहते थे। राजा के बैठने के स्थान पर व्याघ्र-चर्म बिछा रहता था। अयोध्या-नरेशों के रथ का कोविदार-व्वज दूर से ही लक्षित हो जाता था। सौ शलाकाओवाले श्वेत राजकीय छत्र से उन पर छाया की जाती, और दोनों ओर से चवर डुलाये जाते थे। इनके डडे सोने के बने तथा मणि-जटित रहते थे। राज्याभिषेक के समय उपस्थित रहनेवाले सभी अधिकारी जुलूस में राजा के साथ रहते थे।

आदर्श शासन-प्रवध के अतर्गत देश की समृद्धि होनी स्वाभाविक थी। राजा दशरथ के शासन-काल में सारे अयोध्यावासी प्रसन्न, धर्मात्मा, धन-धान्य-सपन्न तथा निर्लोभ थे। वे नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित रहते, मालाएँ और अगराग धारण करते तथा बहुमूल्य खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन करते थे। अपवित्र अन्न का भोजन करनेवाला, दान न देनेवाला तथा मन का निग्रह न करनेवाला मनुष्य वहाँ कोई

दिखाई नहीं देता था। अयोध्यापुरी में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था, जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो। क्षुद्र, चोर, दुराचारी अथवा वर्णसंकर का वहां नाम भी नहीं था। सभी मनुष्य स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे (१।६)।

राम-राज्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उस समय विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था, सर्पादि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था, रोगों की आशंका नहीं थी, कोई चोर नहीं था, पाप का कोई स्पर्श भी नहीं करता था तथा बूढ़ों को बालकों के अत्येष्टि-संस्कार नहीं करने पड़ते थे। सभी लोग प्रसन्न थे, धर्मपरायण थे तथा राम को देखते हुए एक-दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। उस समय लोग दीर्घ-जीवी और पुत्र-पौत्र-संपन्न थे, तथा उन्हें किसी प्रकार का रोग या शोक नहीं होता था। वृक्षों की जड़ें मजबूत होती थीं और वे फल-फूलों से लदे रहते थे। मेघ यथेष्ट वर्षा करते थे और वायु सुखकारी होकर प्रवाहित होता था। सब लोग अपने-अपने कर्मों से सतुष्ट रहकर उन्हींका आचरण करते थे। सारी प्रजा सुखी, सतुष्ट और पुष्ट थी। दुर्भिक्ष का भय नहीं था। स्त्रियां सदा-सुहागिनी और पतिव्रता थीं। आग लगने का भय नहीं था। कोई प्राणी जल में नहीं डूबता था। वात, ज्वर या क्षुधा का डर नहीं था। सभी नगर और जनपद धन-धान्य से संपन्न थे (१।१।१५०-३, ६।१२८।१५५-१०४)।

तत्कालीन शासन-तंत्र के तीन मुख्य अंग सभा, मंत्रि-परिषद तथा शासनाधिकारी (तीर्थ) थे। इन तीनों की सहायता से राजा शासन-संचालन करता था।

राम और दशरथ के युग की राज्य-सभा, लोक-सभा या धारा-सभा 'परिषद', 'समिति', 'संसद' या केवल 'सभा' कहलाती थी।^१ आज के युग में 'पार्लमेंट' या 'असेंबली' का जो महत्व है, कुछ-कुछ वैसा ही उस समय सभा या परिषद

१ सामान्य जन-समूह के लिए भी 'सभा' और 'परिषद' शब्द आये हैं—'समेत्य सघश. सर्वे चत्तवरेषु सभासु च' (२।६।२०)। जहां सभा का अधिवेशन होता था, उस भवन को भी 'सभा' कहते थे—'समेत्य राजकर्तारः सभामीयुर्द्विजातय (२।६।७।२)।

का था। सभा के सदस्य 'प्रकृति', 'सभासद' अथवा 'आर्यमिश्र' कहलाते थे। उन्हें 'आर्य' अर्थात् माननीय कहकर संबोधित किया जाता था। सामूहिक रूप से उन्हें 'आर्यगण' कहते थे।

सभा के सदस्य सरकारी और गैर-सरकारी दोनों होते थे। सरकारी सदस्यों में अमात्य-गण (क्षत्रिय), मन्त्रिगण (ब्राह्मण ऋषि-मुनि) और सेनापति तथा गैर-सरकारी सदस्यों में राजागण (सामंत) और नगर-ग्राम के प्रतिनिधि होते थे। राजधानी के प्रतिनिधि 'पौर' और शेष राष्ट्र के प्रतिनिधि 'जानपद' कहलाते थे। सभा का यह 'पौर-जानपद' अग ही सबसे अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि देश के बहुमत का यही प्रतिनिधित्व करता था। पौर-जानपदों में राजधानी के नगम और गणवल्लभ तथा देहात के ग्रामघोषमहत्तर (किसानों और ग्वालों के प्रतिनिधि) समाविष्ट होते थे। ये वैश्य वर्ण और व्यापारी वर्गों के प्रतिनिधि थे। इस प्रकार सभा में वर्णों, हिंदुओं और प्रदेशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। ये प्रतिनिधि सरकार द्वारा नियुक्त अथवा जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, यह स्पष्ट नहीं है, फिर भी नैगमा, ग्रामघोषमहत्तरा, श्रेणीमुख्या, गणवल्लभा, जनमुख्या जैसे नामों से किसी-न-किसी प्रकार का चुनाव ध्वनित होता है।

सभा के अधिवेशन में बाहर से विशिष्ट व्यक्तियों को आमन्त्रित करने की प्रथा प्रचलित थी। जब वसिष्ठ ने दशरथ का उत्तराधिकारी चुनने के लिए अयोध्या की सभा का विशेष अधिवेशन बुलाया, तब उसमें भरत के मामा राजकुमार युधाजित भी आमन्त्रित किये गए थे (२।८।१।३)। भरत से संबोधित होने के कारण युधाजित की इस अधिवेशन में विशेष रुचि रही होगी।

सामान्यतः शासन-संबंधी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सभा का परामर्श लिया जाता था। राजा या युवराज के निर्वाचन, युद्ध की घोषणा, राजा के राज-त्याग या अवसर-ग्रहण-जैसे विषयों में सभा की स्वीकृति आवश्यक होती थी। जब दशरथ ने वृद्धावस्था के कारण राम को राज्य-भार सौंपना चाहा, तब उन्होंने अपनी सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया था। इसी प्रकार उनकी मृत्यु के बाद नया राजा चुनने के लिए अयोध्या की सभा जुटी थी। भरत के हाथों दशरथ की अत्येष्टि समाप्त हो जाने पर राजपुरोहित वसिष्ठ ने सभा का पुनः एक विशेष अधिवेशन बुलाया, जिसमें सभा तथा प्रजा की ओर से उन्होंने, कैंकेयी-दशरथ की इच्छानुसार, भरत को अयोध्या की राजगद्दी स्वीकार करने को कहा था।

रामायण-में लोक-सभा की गति-विधि पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। एक ओर हमें दशरथ-जैसे वैधानिक शासक की सभा के शांतिकालीन अधिवेशन का वर्णन मिलता है, तो दूसरी ओर रावण-जैसे एकच्छत्र और निरकुश सम्राट की परिपद के युद्धकालीन अधिवेशन का भी रोचक वृत्तांत प्राप्त होता है। इन अधिवेशनों की तुलना यदि आधुनिक ससद की कार्रवाई से की जाय, तो दोनों में बहुत-कुछ समानता दिखाई देगी।

सभासदों को उपस्थित होने की सूचना दूतो या सदेशवाहको द्वारा पहुँचाई जाती थी।^१ राजा की अनुपस्थिति में सभा का अधिवेशन पुरोहित या अमात्यगण भी बुला सकते थे।^२ बाहर के सदस्यों के लिए राजधानी में निवासस्थान का प्रवच होता था।^३

अयोध्या का ससद-भवन राजप्रासाद का ही एक अंग था। राजा दशरथ अपने महल से निकलते ही ससद-भवन में पहुँच गए थे और अधिवेशन की समाप्ति पर भवन से निकलकर राजमहल में चले गए थे।^४ इसके अतिरिक्त अयोध्या का सभा-भवन^५ तीनों ओर से खुला भी रहा होगा, तभी तो दशरथ ने सभा में बैठे-बैठे ही राम को राज-मार्ग से आते हुए देख लिया था (प्रासादस्थो दशरथो ददर्शयान्तमात्मजम्, २।३।२७)। किंतु लका में सभा-भवन राजप्रासाद से दूर एक

१. २।८।१।११, २।१।४६, ६।१।१।१७

२. २।८।१।१२, २।६।७।२

३. जनपद से आनेवाले प्रतिनिधियों को 'पुरालय' अर्थात् राजधानी में निवास करनेवाले कहा गया है (२।१।५।१)। एक अन्य स्थल पर राजा द्वारा बाहर से आनेवाले प्रतिनिधियों का निवास-स्थान आदि से सत्कार किये जाने की बात कही गई है—'तान्वेऽश्मनानाभरणैर्यथाहं प्रतिपूजितान्' (२।१।४।७)।

४. २।४।१।३, २।१।०।६-१०

५. सभा-भवन के गलियारे अथवा दर्शन-कक्ष प्रजा के लिए खुले रहते होंगे। यहीं से राम के मित्रों ने सभा की कार्रवाई देखी होगी और राम के यौवराज्याभिषेक का निश्चय होते ही वे कौसल्या को यह शुभ सवाद सुनाने दौड़े गए, 'तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः । त्वरिताः शीघ्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन् ॥' २।३।४६-७

अतिरिक्त भवन रहा होगा, क्योंकि रावण अपने महल से ~~रथ पर सवार~~ होकर एक राजकीय जुलूस में वहा पहुँचा था ।^१

सभा का अध्यक्ष राजा होता था और उसकी अनुपस्थिति में राजपुरोहित । सबसे पहले सुसज्जित वेश-भूषा में राजा प्रवेश कर आसन ग्रहण करता था । रावण के सभासद सुवर्ण, मुक्ता और मणियों से अलंकृत तथा उत्तम वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा अगरराग से सज्जित थे ।^२ अयोध्या की सभा के सभासद सुदर वस्त्रों तथा चदन के लेप से प्रकाशमान थे—वस्त्रागरागप्रभया द्योतिता सा सभोत्तमा (२।८२।२) ।

सभा-भवन में समुचित शिष्टाचार का पालन किया जाता था । राजा अथवा सभापति के सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात् अन्य सभासद अपना आसन ग्रहण करते थे । बैठने के स्थान सभापति की दिशा में न्यायानुसार लगे रहते थे । राजा का आसन सभा-भवन के एक ओर बीच में लगा रहता था और उन्हींके पास युवराज बैठते थे (२।३।३४-५) । सामंत राजाओं, क्षत्रिय और वैश्य प्रतिनिधियों तथा ब्राह्मणों के लिए विशेष स्थान नियत थे । सभी अपने पद के अनुसार आसन ग्रहण करते थे । दशरथ की सभा में सारे सभासद समानपूर्वक राजा की ओर मुह करके बैठते थे (राजानमेवाभिमुखा निषेदुर्नियता नृपाः, २।१।५०) । भाषण की अनुमति मिलने पर ही वे सभा को संबोधित करते थे ।^३

सभासदों के कर्तव्य के विषय में राम कहते हैं—“वह सभा सभा नहीं जहा वृद्ध न हो, वे वृद्ध वृद्ध नहीं जो धर्मयुक्त वात न कहते हो, वह धर्म धर्म नहीं जो सत्य न हो और वह सत्य सत्य नहीं जो निश्छल और स्वतः प्रेरित न हो । अर्ध-सत्य वाते कहना निदनीय है । जो सभासद सत्य वात जानते हुए भी मौन रहते हैं, उन्हें असत्य-वादी ही समझना चाहिए । जो सभासद स्वार्थ, क्रोध या भयवश सत्य वात नहीं कहते, जबकि ऐसा करना उनका परम कर्तव्य है, वे नरक में दड के भागी बनते हैं ।

१. तमात्त्याय रथश्रेष्ठं महामेघसमस्वनम । प्रययौ रक्षसां श्रेष्ठो दशग्रीवः सभा प्रति ॥ ६।११।४

२. सुवर्णानामणिभूषणानां सुवाससां संसदि राक्षसानाम् । तेषां पराधर्यागुरु-चन्दनानां स्रजां च गन्धाः प्रववुः समन्तात् ॥ ६।११।२६

३. ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम् ॥ २।२।२०; अथ रामेण सम्पृष्टाः सर्व एव सभासदः । ७।५९ (२)।३१

प्रत्येक सभासद का यह कर्तव्य है कि वह लोभ, भय अथवा पक्षपात किये बिना नि स्वार्थ भाव से सभा की कार्रवाई में अपनी योग्यता के अनुसार पूर्ण सहयोग दे ।”^१

तत्कालीन ससद की कार्य-प्रणाली का विस्तृत परिचय वाल्मीकि-कृत दशरथ की सभा के वर्णन से मिलता है (२।२-३) । सभापति के नाते दशरथ ने सभासदों के समुख खड़े होकर उन्हें गभीर उच्च स्वर से संबोधित किया और अधिवेशन बुलाने का कारण बतलाया । उन्होंने कहा कि मैंने राज्य के शासन का दीर्घ समय तक अपनी पूरी योग्यता और शक्ति के साथ सचालन किया है, किंतु अब मैं वृद्धावस्था के कारण शासन-भार से मुक्त होना चाहता हूँ । तत्पश्चात् दशरथ ने यह प्रस्ताव रखा कि मेरे पुत्र राम को, जो युवक है तथा मुझसे योग्यता और सामर्थ्य में बड़े-बड़े हैं, युवराज-पद पर अभिषिक्त कर दिया जाय, यदि यह प्रस्ताव आप लोगों को रचिकर, बुद्धि-मत्तापूर्ण तथा कल्याणकारी प्रतीत होता हो । अपने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए दशरथ ने राम की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और सभा से निवेदन किया कि या तो आर्यगण मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें अथवा उससे अधिक उपयुक्त कोई और प्रस्ताव रखें—

यद्यप्येषा मम प्रीतिर्हितमन्यद्विचिन्त्यताम् ।

अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमर्दाभ्यधिकोदया ॥२।२।१६

इस प्रकार राजा को प्रस्ताव रखने मात्र का अधिकार था । अंतिम चुनाव या निर्णय का अधिकार केवल सभा को प्राप्त था । दशरथ ने अंतिम निर्णय का भार सभासदों पर ही छोड़ दिया, अन्यथा वह स्वयं राम के चुनाव के पक्षपाती समझ लिये जाते । उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि योग्य व्यक्ति को चुनने के लिए परिषद का सर्वथा पक्षपातहीन निर्णय परम आवश्यक है ।

सभा के समुख किसी प्रस्ताव को रखने से पूर्व यह आवश्यक था कि राजा

१. न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् । नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छ्रलेनानुबिद्धम् ॥ य तु सभ्याः सदा ज्ञात्वा तूष्णीं ध्यायन्त आसते । यथा प्राप्तं न भ्रुवते ते सर्वेऽनृतवादिनः । जानन्न वाब्रवीत्प्रश्नान्कामात्क्रोधाद्भयात्तथा । सहस्रं वारुणान्पाशानात्मनि प्रतिमुचति ॥ ७।५६(२)।३३-५

उसके विषय में अपनी मन्त्रि-परिषद् के साथ विचार-विनिमय कर ले । दशरथ ने उक्त प्रस्ताव पर अपने मन्त्रियों के साथ परामर्श करके यह पता लगा लिया था कि प्रजा उनके प्रस्ताव से कितनी सहमत होगी—निश्चित्य सचिवैः सार्धं यौवराज्य-समन्यत (२।१।४२)

दशरथ के भाषण का सभा ने तुमुल जयजयकार-ध्वनि से स्वागत किया ।

यह दर्शनीय है कि दशरथ ने सभा पर अपना निर्णय लादने की चेष्टा नहीं की, अपितु अपने प्रस्ताव पर विचारपूर्वक निर्णय कर एक सर्व-समत निश्चय प्रकट करने की प्रार्थना-भर की थी । एक वैधानिक शासक की मर्यादाओं को वह जानते थे ।

राजा के आदेशानुसार सभा ने विचार-विनिमय के बाद सर्व-समति से यह निर्णय किया कि राम ही दशरथ के उत्तराधिकारी बनने के योग्य है । प्रस्ताव उपस्थित किये जाने के बाद सभासदों का उस पर विचार करना उस आधुनिक परिपाटी का ही पूर्व-रूप है, जिसके अनुसार किसी प्रस्ताव-विशेष पर ऊहापोह करने के लिए ससद के सभी या कुछ विशेष सदस्य एक प्रवर-समिति बना लेते हैं और फिर ससद के समक्ष अपना सुविचारित एवं परिपक्व निर्णय प्रकट करते हैं । वाल्मीकि ने यह नहीं बताया है कि अपने प्रस्ताव पर बहस होते समय दशरथ ने सभापति का स्थान छोड़ दिया था अथवा नहीं । सभा के निर्णय की सूचना राजा को सभा के किसी एक प्रतिनिधि या प्रवक्ता ने आकर दी होगी, क्योंकि सभी सदस्यों का एक साथ चिल्लाकर निर्णय सूचित करना तो सगत नहीं जान पड़ता ।

राम के पक्ष में सभासदों की समति जान लेने पर दशरथ ने यह शका प्रकट की कि मेरे धर्मपूर्वक शासन करते रहने पर भी आप राम को युवराज क्यों बनाना चाहते हैं । इस पर सभा ने राम के गुणों का उल्लेख किया और यह सिद्ध किया कि राजा को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपितु सर्वोत्तम शासक चुनने की इच्छा से प्रेरित होकर ही यह निर्णय किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि सभा का यह कर्तव्य था कि वह अपने निर्णय की सकारण पुष्टि भी करे । राम को चुनने का कारण स्पष्ट करने के बाद सभा ने दशरथ से निवेदन किया कि सारे राज्य के ग्रामीण एवं नागरिक प्रजागण राम को युवराज के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं ।

राजा दशरथ ने सभा का निर्णय सुना और अपने पुत्र को अयोध्या का भावी राजा चुनने के उपलक्ष्य में प्रसन्नता प्रकट की तथा सभा के प्रति आभार प्रदर्शित किया । इसके बाद उन्होंने अपने मन्त्रियों को आदेश दिया कि सभा के निर्णय को

कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें। राजा की इस तत्परता से प्रसन्न हो सभासदों ने उनका जयघोष किया।

आश्चर्य की बात है कि महाराज दशरथ ने सभा के इस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया—राम युवराज नहीं बनाये गए और उन्हें अत पुर के पड्यत्र का शिकार हो वन चले जाना पडा। प्रजा ऐसा नहीं चाहती थी, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी यह नहीं चाहते थे, पर एक रानी की मार्गों अधिक प्रबल सिद्ध हुई। राजा के निजी वचन की रक्षा के लिए जनता की माग ठुकरा दी गई। इससे यह प्रमाणित होता है कि सभा की अनुमति बहुत-कुछ औपचारिक होती थी तथा असाधारण परिस्थितियों में राजा का निर्णय ही अंतिम होता था।

अब रावण की सभा के अधिवेशन की भी एक झाकी कर ली जाय। रावण यह भली भाँति जानता था कि सफलता का मूल सत्परामर्श है—मन्त्रमूल हि विजय प्रवदन्ति मनस्विन (६।६।५)। एतदर्थं उसने भी एक परामर्शदात्री सभा या परिषद बना रखी थी, जिससे वह सक्रम-काल में मन्त्रणा किया करता था। रावण की सभा में उसके सैन्य-अधिकारियों, मन्त्रियों और वधु-बाधवों का बाहुल्य था। वह स्वयं उसका अध्यक्ष था।

रामायण में रावण द्वारा अपनी सभा के दो अधिवेशन बुलाने का उल्लेख मिलता है—एक तो हनुमान द्वारा लका के अग्निकांड के पश्चात् और दूसरा लका पर राम का आक्रमण होने के समय।

प्रथम अधिवेशन (६।६) में रावण ने सभासदों को पहले यह सूचना दी कि हनुमान ने दुर्गम लकापुरी का विध्वंस कर दिया है, और फिर उनकी समति मागी कि राम के विरुद्ध क्या कदम उठाया जाय—तस्माद्द्वं रोचये मन्त्र राम प्रति महाबलाः (६।६।५)। रावण ने राजाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित करते हुए कहा कि जो राजा अपने हितकारियों के साथ परामर्श करके कार्यारंभ करता है, वह उत्तम श्रेणी का है, जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, वह मध्यम है, तथा जो गुण-दोष का विचार न करके अहंकारवश कार्य आरंभ करता है, वह अधम है। इसी प्रकार निश्चयों को भी रावण ने तीन श्रेणियों में विभाजित किया। जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मन्त्री एकमत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम निश्चय कहते हैं, जहा प्रारंभ में अनेक प्रकार के मत-भेद होने पर भी अंत में सबका एकमत हो जाय, वह निश्चय मध्यम होता है, तथा जहा अपनी-अपनी बुद्धि की प्रधानता रख-

कर स्पर्धापूर्वक भाषण किया जाय, और ऐसे परस्पर-विरोधी मत प्रकट किये जाय, जिनमें कल्याण की सभावना न हो, वह निश्चय अधम कहा जाता है।

रावण की सभा के अधिकांश सदस्यों को न नीति का ज्ञान था और न वे शत्रु की शक्ति के सबध में ही कुछ जानते थे। उनमें चाटुकारिता और युद्ध के प्रति मोह था। उन्होंने रावण के पराक्रम की प्रशंसा करके उसे परामर्श दिया कि हनुमान द्वारा किये गए अपमान का बदला अवश्य लिया जाय और प्रतिशोध-स्वरूप सीता को न लौटाया जाय। प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रहनु आदि राक्षसों ने तमक-तमककर अपनी शेखी बधारी। केवल विभीषण ने विपरीत परामर्श दिया और कहा—“आप मेरे भाई हैं। मैं आपसे विनय करता हूँ और आपके हित के लिए सच्ची बात कहता हूँ कि राम को उनकी पत्नी लौटा दीजिए।” विभीषण की बात सुनकर रावण ने सभा भग कर दी और वह अपने महल में चला गया।

राक्षसी सभा के राजकीय वैभव और विशेषाधिवेशन का परिचय उसकी दूसरी बैठक के वर्णन में मिलता है (६।११-२)। प्रातःकाल होने पर रावण सोने की जाली और मणि-मुक्ताओं से विभूषित रथ पर चढ़कर सभा-भवन में गया। रथ में प्रशिक्षित घोड़े जुते हुए थे। उसके साथ-साथ ढाल-तलवार आदि सब प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित राक्षस चले। वे चित्र-विचित्र वेश में आभूषणों से सज-धजकर उसके आगे, पीछे और दायें-बायें चल रहे थे। इनमें कुछ रथों पर, कुछ मत-वाले हाथियों पर और कुछ उछलते-कूदते घोड़ों पर सवार थे। रावण के सिर पर शुभ्र छत्र तना हुआ था। दोनों ओर से चवर और पखे झूल रहे थे। राजपथ पर चलने-वाले राक्षसों के रथों से और सहस्रों शखों और तुरहियों की ध्वनि से समस्त वातावरण गूँज रहा था। मार्ग में खड़े लोग हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर उसका अभिवादन कर रहे थे। राक्षसों की जयकार के साथ रावण अपनी राज्य-सभा में पहुँचा।

सभा-भवन के फर्श में सोने-चादी का काम किया हुआ था। बीच-बीच में स्फटिक जड़ा था। उस पर सुनहला कालीन बिछा था। छ सौ राक्षस योद्धा सभा-भवन की रक्षा के लिए तैनात थे। रावण का सिंहासन वैदूर्य-मणियों का बना हुआ था। उस पर अत्यंत कोमल मृग-चर्म बिछा था। सभासदों के लिए सुंदर चौकिया रखी थीं। भूमि पर भी बैठने का प्रबध था। सभा में सदस्यों को बैठाने का प्रबध गुक्त और प्रहस्त नामक राक्षसों के अधीन था। अयोध्या की लोक-सभा की भाँति लका

की सभा में भी सदस्यगण चाहे जहा नहीं बैठ सकते थे। उन्हीं आसनो पर उन्हे बैठना पडता था, जो उनके लिए नियत थे।

रावण ने अध्यक्ष-स्थान ग्रहण करके समस्त सभासदो को तुरत बुला लाने के लिए दूतो को आदेश दिया, क्योकि अधिवेशन में महत्व की मत्रणा होनेवाली थी। दूतो ने घर-घर जाकर सभासदो को रावण के आदेश से अवगत किया। आदेश पाते ही कोई रथ पर, कोई घोडे पर, कोई हाथी पर तो कोई पैदल ही सभा-भवन की ओर चल पडा। अपने वाहन बाहर छोडकर सदस्यो ने पैदल ही भवन मे प्रवेश किया। भीतर आने पर उन्होने राजा का चरण-स्पर्श किया। राजा ने उनका समान करके उन्हे आसन ग्रहण करने को कहा। थोडी ही देर में भवन बुद्धिमान अमात्यो, नीति-निपुण मत्रियो तथा सैकडो सैन्य-अधिकारियो से खचाखच भर गया। सबसे अत में विभीषण ने आकर अपने अग्रज को प्रणाम किया। सभासदो मे से कोई भी शोरगुल नहीं करता था, कोई जोर से नहीं बोलता था, न कोई असत्य-भाषण ही करता था, सभी राजा की ओर उन्मुख होकर बैठे थे—

न चुक्रुशुर्नानृतमाह कश्चित्सभासदो नापि जजल्पुरुच्चं ।

ससिद्धार्या सर्व एवोप्रवीर्या भर्तुः सवः ददृशुश्चानन ते ॥६।१।३०

युद्धकालीन अधिवेशन होने के कारण रावण ने विशेष सावधानी बरती थी। उसने सभा-भवन और नगर-दुर्ग की रक्षा का प्रबध करने के लिए प्रहस्त को आज्ञा दी। प्रहस्त के लौट आने तक सभा उसकी प्रतीक्षा करती रही। प्रहस्त ने भवन के रक्षको की सख्या दुगुनी कर दी और लौटकर रावण से निवेदन किया कि अब निश्चित होकर अधिवेशन प्रारभ कीजिए—**कुरुष्वाविमना क्षिप्र यदभिप्रेतमस्ति ते (६।१।५)।**

रावण ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सर्वप्रथम सभासदो की पूर्व-सेवाओ के लिए उन्हें धन्यवाद दिया—“आप सबकी सहायता से ही मैंने देवासुर-सग्राम मे विजय प्राप्त की थी।” सीता का हरण कर लेने की सूचना रावण ने अपने सभासदो को नहीं दी थी, पर अब याचना-भरे स्वर में उसने कहा—“वे दोनो राजकुमार सीता का पता पाकर सुग्रीव आदि वानरो को साथ लिये समुद्र के उस तट पर आ पहुचे हैं। आप लोग ऐसी युक्ति बताय कि जिससे वे मारे जाय और सीता को न लौटाना पडे। मेरी दृष्टि में सीता के समान तीनो लोको में कोई स्त्री नहीं है। उसके मनोहर सौंदर्य और गुणो पर मैं मुग्ध हूँ।”

रावण का प्रलाप सुनकर कुभकर्ण को क्रोध आ गया और उसने कहा—“महाराज, आपको चाहिए था कि सीता को हर लेने से पहले हमसे परामर्श करते। आपने बिना विचार किये एक अनुचित काम कर डाला।” पर बाद में कुभकर्ण को, सरकारी सदस्य होने के कारण, राजा का समर्थन करना ही पडा। उसने आगे कहा—“यद्यपि आपने यह काम अपनी योग्यता से बढ़कर कर डाला है, फिर भी आपके शत्रुओं का सहार करके मैं सब ठीक कर दूंगा।”

विभीषण ने रावण को उसके सर्वनाश से सावधान कर देना अपना कर्तव्य समझा। उसने भाई को सलाह दी कि आप क्षमा-याचना के साथ राम के पास सीता को पहुँचा दें। विभीषण के बाद प्रहस्त, इद्रजित आदि अन्य सभासदों ने राम के विरुद्ध युद्ध-घोषणा करने का समर्थन किया और विभीषण को कायर बताया। रावण ने विभीषण को देशद्रोही और कुलकलक-जैसे विशेषणों से सबोधित किया और उन पर यह आरोप लगाया कि शत्रु ने तुम्हें रिश्वत दी है। इन आरोपों को सुनकर विभीषण ने अपने को अपमानित अनुभव किया और वह सभा-भवन छोड़कर चले गए।

इस प्रकार रावण की सभा में कोई विरोधी दल नहीं था, फिर भी कुभकर्ण और विभीषण के विरोधी भाषण एक निरकुश शासन में प्रजातांत्रिक पद्धति का आभास देते हैं। रावण के सभा-भवन की सुरक्षा के लिए जो सैनिक प्रबन्ध होता था, वह आज भी देखा जा सकता है।

राजागण देश का शासन एक मन्त्रि-परिषद की सहायता से चलाया करते थे। अश्वमेध करने के समय, युवराज को कार्यवश बाहर भेजने के समय, युवराज के योग्य वधू का चुनाव करते समय, सभा के समक्ष किसी प्रस्ताव को रखने से पूर्व, युद्ध-घोषणा करने से पूर्व तथा अन्य कठिन समस्याओं का हल करने के लिए राजा मन्त्रि-परिषद से परामर्श करता था। इसमें दो प्रकार के सदस्य होते थे—(१) गुरुजन (गुरुवः), जो एक परामर्शदात्री समिति के रूप में काम करते थे। इनसे राजा महत्त्वपूर्ण कार्य आरम्भ करने से पूर्व, परामर्श लिया करता था। ये सभी ब्राह्मण वर्ण के होते थे और ‘मन्त्रिण’ भी कहलाते थे। (२) अमात्य या सचिव, जिन्हें आज की भाषा में ‘कैबिनेट’ या मन्त्रिमंडल कहा जा सकता है। प्रत्येक सचिव को एक विभाग सौंपा जाता था।

गुरुजनो अथवा मन्त्रियो तथा अमात्यो अथवा सचिवो का यह अंतर राम के एक कथन से प्रकट होता है। चित्रकूट पर उन्होंने भरत से पूछा था—“तुम अपने

अमात्यो और मन्त्रियो से परामर्श तो करते रहते हो ?”^१ यहा मन्त्रियो से राम का अभिप्राय परामर्शदाता गुरुजनो से ही है । वानर और राक्षसो में भी मन्त्रि-परिपद के ये दोनो विभाग स्पष्ट प्रकट होते है । हनुमान को सुग्रीव का सचिव (४।३।२२) और उन परामर्शदाताओ को, जिन्होंने वाली को मृत समझकर सुग्रीव के राज्याभिषेक का आग्रह किया था, मन्त्री कहा गया है (४।६।२०-१) । विभीषण अपने जिन चार साथियो को लेकर राम की शरण में आये थे, वे उनके अमात्य थे । रावण के साथ उसके सचिव भी दिग्विजय के लिए गए थे, जबकि उसकी सभा के परामर्शदाता मन्त्र-तत्वज्ञ मन्त्री थे ।

महाराज दशरथ की मन्त्रि-परिपद (अमात्य और गुरुजन दोनो) महर्षि वसिष्ठ के नेतृत्व में काम करती थी, जो राजपुरोहित और वास्तविक प्रधान मन्त्री थे । अमात्यो के साथ उनका निकट संपर्क था । सभी राजकीय मामलो में दशरथ अपने पुरोहित, अमात्यो और मन्त्रियो के साथ परामर्श करते थे ।

परामर्शदाता गुरुजन ये आठ व्यक्ति थे—सुयज्ञ, जावालि, कश्यप, गौतम, मार्कंडेय, कात्यायन, वसिष्ठ और वामदेव । इनमें से वसिष्ठ और वामदेव ऋत्विज भी थे (१।७।४-५) । ये सभी ब्रह्मर्षि और ‘वेदपारग’ थे । कुल-परपरा से ये राजा के सलाहकार बने हुए थे और अपनी आयु, बुद्धिमत्ता तथा शास्त्र और परपरा के ज्ञान के कारण सुविख्यात थे ।

जहा अमात्यगण सदैव राजा के सान्निध्य में रहा करते थे, वहा गुरुजन आवश्यकतानुसार परामर्श के लिए बुलाये जाते थे । जब महाराज दशरथ अश्वमेध-यज्ञ करने के औचित्य पर विचार कर रहे थे, जब महाराज राम पर एक ब्राह्मण ने कुशासक होने का आरोप लगाया था, तथा जब सीता की पवित्रता की सार्वजनिक परीक्षा लेने का प्रश्न उठा था, तब गुरुजन परामर्श के लिए आमन्त्रित किये गए थे । अपने अगाध धर्मशास्त्रीय ज्ञान और अनुभव, तथा नीति, इतिहास और परपराओ से विस्तृत परिचय के कारण वे राजा के बड़े सहायक सिद्ध होते थे । साधारण और असाधारण धर्मों के निर्णय में उनकी समति प्रमाण-स्वरूप होती थी । सर्कट-कालीन स्थिति में जब राजा का पद रिक्त होता था, वे ‘राजकर्तार’ के रूप में

१. अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च बुद्धिर्भूतैश्च मन्त्रिभिः । सर्वकार्याणि समन्वय महान्त्यपि हि कारय ॥ २।११२।१७

नूतन राजा की नियुक्ति करते थे । कोई स्वार्थ न रहने के कारण यह कार्य उनके विशेष उपयुक्त था ।

महाराज दशरथ के निधन के तुरत बाद ही उनके परामर्शदाता गुरुजन समिलित होकर सभा-भवन में गए और अमात्यो-सहित प्रधान मंत्री महर्षि वसिष्ठ को संबोधित करके बोले कि अराजकता के अनेक दोष हैं, इसलिए इक्ष्वाकु-वंश के राजकुमारों में से जिसे आप उपयुक्त समझे, राजा बना दें ।^१ इस प्रकार गुरुजनो ने राजा नियुक्त करने का अपना अधिकार मुनिवर वसिष्ठ को सौंप दिया । ऐसा करना तत्कालीन परिस्थिति में वाछनीय भी था, क्योंकि दशरथ उत्तराधिकारी नियुक्त किये बिना परलोक जा चुके थे तथा राम और भरत भी राजधानी में नहीं थे । इसलिए राजा किसे बनाया जाय, इसका तुरत निर्णय करना आवश्यक था । आपसी मत-भेद के कारण कहीं इसमें विलंब न हो, इसलिए समस्त गुरुजनो ने प्रधान मंत्री को यह अधिकार सौंप देने की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की, क्योंकि वही सबसे अधिक नीतिज्ञ, निष्पक्ष एवं सार्वजनीन आदर के पात्र थे । जब वसिष्ठ ने राजकुमार भरत को उनके ननिहाल से बुला भेजने का प्रस्ताव किया, तब उसका सभी ने अनुमोदन किया । दशरथ की अत्येष्टि संपन्न हो जाने के बाद इन्हीं गुरुजनो ने राजकर्ता की हैसियत से भरत को राज-पद प्रदान किया था । अमात्यो को ऐसा करने का अधिकार नहीं था ।

दशरथ के आठ अमात्य या सचिव थे (१।७।३)—वृष्टि, जयत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मन्त्रपाल और सुमन्त्र । अमात्यो में क्या-क्या गुण होने चाहिए, इसका पता हमें राम के उस उपदेश से चलता है, जो उन्होंने भरत को चित्रकूट पर दिया था । उन्होंने कहा—“क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन और बाहरी चेष्टाओं से मन की बात समझ लेनेवाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही अमात्य बनाया है ? अच्छी मन्त्रणा ही राजाओं की विजय का साधन है । नीति-शास्त्र के ज्ञाता एवं मन्त्र को गुप्त रखनेवालों में श्रेष्ठ अमात्यो द्वारा ही राजा भली भाँति सुरक्षित रहता है । मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ अमात्य यदि एक भी हों तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त करा सकता

१. इक्ष्वाकूणामिहाद्यैव कश्चिद्राजा विधीयताम् । अराजकं हि नो राष्ट्रं विनाशं समवाप्नुयात् ॥ २।६७।८

महात्मा तुमसे प्रथम आलिना हो प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और प्रथम श्रेणी के लोगों को श्रेष्ठता में ही नियुक्त किया है न ? जिनकी भली भाँति परीक्षा कर ली गई है, जा पुरानों के समय में ही काम करते जा रहे हों, तथा जो बाहर-बाहर से आये और श्रेष्ठ हैं, ऐसे अमात्याँ का तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो ? (२।१००।१५-३, २६-३) ।

इसके ही भाँति-परिपद के मन्त्रियों के विषय में कहा गया है कि वे सर्वसे-मध्य विद्वान्, विचलनीय, माताची, चतुर, जितेन्द्रिय, श्री-मपन्न, महात्मा, सहाय-कारक के साथ, पराक्रमी, वशनी, राज्य-कार्य में साधन, राजा की आज्ञा के अनु-सार हार करनेवाले, नेतृत्वी, क्षमावान और हँसकर बात करनेवाले थे । उनमें कोई ऐसा न था, जो काम, शोध या सारथ के बगीभक्त होकर कभी झूठ धोखता हो । अपने सामने सत्य है राजाओं को कोई भी बात उन्हीं दिखी नहीं रहती थी । दूसरे राजा तथा राज्य के साथ क्युंके हैं और त्या करना चाहते हैं—ये सभी बातें उन्हें गुप्ततासे ज्ञान प्राप्त रहती थी । ये सभी व्यवहार में कुशल थे । उनके मोक्षार्थ ही अपने राज्या पर परीक्षा हो चुकी थी । ये मोक्ष पदों पर अपने पुत्र को भी उचित श्रेणी में नहीं लिखते थे और अपराध न होने पर शत्रु की भी क्षमा नहीं करते थे । राजाओंमें और उन्माद था । सभी राजनीति के अनुसार कार्य करते और अपने राज्य के भी हानि होने से बचाने का ही उपाय ही विचार करके उद्या करते थे । वे राज्या पर उचित श्रेणी में श्रेष्ठ न पड़नाकर व्याप्तोचित श्रेणी में राजा का राज्या भन्ते थे । वे ही, जो अपने राजा से ही उपाय नश नश रहते थे और अपने गुणा के कारण भयानक ही विद्वेय तथा है पाते थे । उन्हें सभी और विपद के उपशान और आशान का ही उपाय मिलता था । वे सर्वोपरि मानता ही गुण करने में मग्न और मन्त्रियों के सहायक करने में गुप्त थे (१।१) ।

मन्त्रियों के अनुसार, समर्थ है कि सामान्य योग्य-व्याख्या, श्रेष्ठता से प्रथम श्रेणी में अमात्र अनु-स्य और साथ विनाय-भक्तियों थे । श्रेष्ठता का मन्त्रियों के ही श्रेष्ठता का ही मानना था । राजाओं में विभागों का ऐसा व्यवहार नहीं था । श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता है ही श्रेष्ठता है ही श्रेष्ठता के नाम । उनके श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता है ही श्रेष्ठता है ही श्रेष्ठता है । श्रेष्ठता, श्रेष्ठता और विद्वान्—

१. श्री १०० धर्मा— रामायण परिचय, पृ. ११-२

इन तीन नामों का अर्थ क्रमशः साहस, इन्द्र का विजयी पुत्र तथा युद्ध में सफलता है। इसलिए इन तीनों को सैन्य-विभाग का सचिव माना जा सकता है। सिद्धार्थ का शाब्दिक अर्थ सफल व्यक्ति है। अर्थ या धन-संग्रह करने में सफलता-प्राप्त व्यवित भी उसका अर्थ हो सकता है। अर्थ-साधक से तात्पर्य अर्थ अथवा व्यवहार में निपुण व्यक्ति है। इस प्रकार सिद्धार्थ और अर्थ-साधक वित्त-सचिव माने जा सकते हैं। छठे अमात्य का नाम अशोक अर्थात् शोक-रहित था। कोई मंत्री प्रजा को शोकग्रस्त तभी करेगा, जब वह कानून और न्याय के दुरुपयोग से उसे कष्ट पहुँचाय। इसलिए अशोक नामक अमात्य के अधीन न्याय-विभाग रहा होगा। मन्त्रपाल का काम मन्त्रो अर्थात् ऋक्-यजु-साम-जैसे पवित्र मन्त्र-शास्त्रों का संरक्षण रहा होगा, इसलिए उसे धर्म-विभाग का सचालक माना जा सकता है। राजा राष्ट्र का धार्मिक अध्यक्ष होता था, और उसे व्यावहारिक एवं धार्मिक नियमों को सुचारु रूप से क्रियान्वित करना पड़ता था, इसलिए बहुत संभव है कि धर्म का विभाग एक विशिष्ट अमात्य के जिम्मे कर दिया गया हो। आठवें अमात्य सुमन्त्र के अधीन विविध विभाग रखे गए होंगे। सुमन्त्र दशरथ और राम दोनों के स्तुतिपाठक, सारथी और प्रिय निजी सचिव थे। रामायण के कथानक में सुमन्त्र ने वसिष्ठ के ही समान महत्वपूर्ण योग दिया है।

अमात्यों के कर्तव्य विविध थे। समूचे राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति बनाये रखने का उत्तरदायित्व उनका था। मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्रीलपट मनुष्यों की उन्हें जानकारी रखनी पड़ती थी। लोगों में कानून का भय बनाये रखना, उन्हें सत्य, नीति, धर्म और सदाचार के नियमों का उल्लंघन करने से रोकना, अमात्यों का काम था। आज की तरह अमात्यों का काम अपने-अपने विभाग की नीति का संचालन करना था। दैनिक कार्यों का वहन विभागीय अधिकारी करते थे, जो 'तीर्थ' कहलाते थे। रावण की सभा के वर्णन में उसके अमात्यों को सर्वज्ञा बुद्धिदर्शनाः तथा गुरुओं (परामर्शदाता मंत्रियों) को निश्चिंतार्थेषु पण्डिता कहा गया है (६।११।२५)।

राम के समय में व्यावहारिक धर्म और शास्त्रीय धर्म के विभाग दो अमात्यों के अधीन थे, जो क्रमशः 'व्यवहारज्ञ' और 'धर्मपारग नीतिज्ञ' कहलाते थे। जब राजा धर्मासन पर विराजमान होकर न्याय-वितरण करता था, तब ये दोनों अमात्य उसके साथ रहते थे। शासन-व्यवस्था में अमात्यगण राजा के निकट संपर्क में रहते थे। अपने-अपने विभागों का उत्तरदायित्व होने पर भी उन्हें राजा से बराबर

आदेश लेते रहना पडता था। शासकीय मामलो में राजा को कम-से-कम तीन-चार अमात्यो से विचार-विमर्श अवश्य करना पडता था। राम ने भरत को यह राय दी थी कि एक साथ कई लोगो से परामर्श करना ठीक नहीं।^१ अमात्यो से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे प्रस्तुत समस्या पर सभी दृष्टियो से विचार करके अपना निश्चय राजा को बतायें (६।६।७-८)।

अमात्यगण तथा गुरुजन (मन्त्रिगण) सभा के 'पदेन' सदस्य हुआ करते थे और उसकी कार्रवाई में सक्रिय भाग लेते थे। राजा अथवा सभा के निर्देशो को कार्यान्वित करने का भार अमात्यो पर होता था। मुनिकुमार ऋष्य-श्रुग को अपने राज्य में बुलाने के विषय पर राजा रोमपाद ने पहले अपने मन्त्रिगण से चर्चा की और निर्धारित योजना को पूरा करने का काम अमात्यो को करना पडा। यात्राओ, जलूसो, अभियानो आदि में अमात्य राजा के साथ रहा करते थे।

जैसाकि मारीच ने रावण से कहा, सचिवो को यह अधिकार था कि वे राजा को दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त होने से रोकें।^२ जवर्दस्ती और अधिक कर वसूल करने तथा प्रजाजनो को अत्यधिक कठोर दंड देने से राजा को रोकना मन्त्रियो का काम था।^३ जव सुग्रीव राम को दिये गए अपने वचन को भूल गए और सुरापान में लीन रहने लगे, तब उनके सचिव हनुमान ने उन्हें सावधान किया था। इसी प्रकार जव रावण सीता का वध करने को उताहू हो गया, तब उसके अमात्य सुपाशर्व ने उसे इस पाप से बचाना अपना कर्तव्य समझा था (६।६२।५८)।

मन्त्रियो के आचरण के विषय में रावण की बड़ी विचित्र धारणा थी। मारीच के हितकर किंतु अप्रिय उपदेश पर रावण ने उसे मार डालने की धमकी दी थी। शुक और सारण को भी, कटु सत्य कहने के कारण, रावण के कोप का भाजन बनना पडा था।

१ कच्चिन्मन्त्रयसे नैक कच्चिन्न बहुभि सह। मन्त्रिभिस्त्व ययोद्दिष्ट चतुर्भि-
स्त्रिभिरेव च। कच्चित्समस्तैर्व्यस्तैश्च मन्त्र मन्त्रयसे बुध ॥ २।१००।७१

२ तुलना कीजिए--वध्या खलु न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण। ये त्वामुत्पय-
मारुड न निगृह्णन्ति सर्वश ॥ देखिए ३।४१।६-८

३ तुलना कीजिए--कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भृशमुद्वेजिता प्रजा। राष्ट्रे
तवावजानन्ति मन्त्रिण कंकयीसुत ॥ २।१००।२७

अमात्यो को कार्य-संचालन करते समय सुंदर वेश-भूषा धारण करनी पड़ती थी (मुवाससः सुवेषाश्च, १।७।१६)। अमात्यो की बैठक राजप्रासाद में हुआ करती थी। अमात्यो को राजधानी छोड़ने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उन्हें दैनिक शासन-प्रबंध की देखरेख करनी पड़ती थी। राम के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने जब दशरथ मिथिला गए, तब वह प्रधान मंत्री (पुरोहित) तथा गुरुजनो (मंत्रियो) को अपने साथ लेते गए थे (१।६।४-५), अमात्यगण स्पष्टतः शासन सम्हालने के लिए अयोध्या में ही रह गए थे। नदिग्राम से शासन-संचालन करते समय भरत के साथ केवल उनके पुरोहित एव मंत्रिगण थे (वृत्तो मन्त्रिपुरोहितैः, २।११।५।६)। अमात्य अथवा सचिव राजधानी में ही रहकर अपने विभागो का काम करते थे। वनवास से लौटने पर राम के स्वागत एव राज्याभिषेक का प्रबंध इन्हीं सचिवो न किया था (६।१२।२३-४)।

तीर्थो (शासनाधिकारिणो) के अस्तित्व का संकेत चित्रकूट पर राम-भरत-सवाद में हुआ है (२।१००।३६), पर इन विभिन्न अधिकारियो के नामो का कोई उल्लेख नहीं है। टीकाकारो के अनुसार ये अधिकारी सख्या में अठारह होते थे, जिनके नाम ये थे—मन्त्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, दौवारिक (द्वारपाल), आतर-वशिक (राजप्रासाद का प्रबंधक), कारागाराधिकृत (जेल-अधिकारी), अर्थ-सचयकृत, कार्य-नियोजक (मुख्य सचिव), प्राड्विवाक (न्यायाधीश), सेनानायक, नगराध्यक्ष, कर्मांतिक (जायसवाल के अनुसार खानो और कारखानो का अधिकारी), सम्य (सभा-सचिव), धर्माध्यक्ष (मुख्य न्यायाधीश), दंडपालक (मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर), दुर्गपाल (किले का प्रबंधक) और राष्ट्रातरपाल (सीमांत प्रदेश का राज्यपाल)।

न्याय-वितरण की पद्धति बड़ी सरल, सस्ती और तात्कालिक थी। उन दिनों न पेशेवर वकील थे और न अदालती खर्च का ही कोई झमेला था। न्याय-तंत्र में कोई जटिलता नहीं थी, क्योंकि मुकदमे का फैसला राजा स्वयं करता था और वादी-प्रतिवादी उसके पास बेरोकटोक पहुंच सकते थे। न्याय निष्पक्ष था तथा मुकदमे का निर्णय शीघ्र किया जाता था। मुकदमेबाजी भी कम होती थी, क्योंकि प्रजा निष्पक्षता और शीघ्रता से फैसला करनेवाले कठोर शासक से भय खाती थी और कानन के उल्लघन से बचे रहने में ही अपना कल्याण समझती थी।

प्राचीन भारत के राजा परंपरा से स्थापित राजधर्म के अनुसार न्याय-शासन

करते थे। तत्कालीन न्याय का एक स्पष्ट सिद्धांत यह था कि योग्य न्यायाधीशों द्वारा जाच-पडताल कराये बिना अभियुक्त को दंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यह मान्यता प्रचलित थी कि निरपराध होने पर भी जिन लोगों को मिथ्या दोष लगाकर दंड दिया जाता है, उनकी आंखों से जो आसू निकलते हैं, वे पक्षपातपूर्ण शासन करनेवाले राजा के पुत्र और धन-धान्य का नाश कर डालते हैं।^१ साथ ही, राजा का यह भी कर्तव्य था कि भ्रष्ट न्यायाधीशों के कारण या अन्य किसी कारणवश अपराधी व्यक्ति दंड पाने से कहीं बच न जाय। असहाय दरिद्र और साधन-संपन्न धनी के बीच मुकदमों का फैसला निष्पक्षता से कराने का दायित्व राजा पर ही था।

न्याय के उक्त सिद्धांत निम्नलिखित प्रश्नों से स्पष्ट हो जाते हैं, जो राम ने भरत से चित्रकूट पर पूछे थे—

कच्चिदायोरपि शुद्धात्मा क्षारितश्चापकर्मणा ।

अदृष्टः शास्त्रकुशलैर्न लोभाद्बध्यते शुचिः ॥

गृहीतश्चैव पृष्टश्च काले दृष्टः सकारणः ।

कच्चिन्न मुच्यते चोरो धनलोभान्नरर्षभ ॥

व्यसने कच्चिदाढ्यस्य दुर्बलस्य च राघव ।

अर्थं विरागा पश्यन्ति तवामात्या बहुश्रुता ॥ २।१००।५६-८

अर्थात् कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्धात्मा पुरुष पर भी दोष लगा दे और, शास्त्र-ज्ञान में कुशल विद्वानों से उसके विषय में विचार कराये बिना ही, लोभ आदि के कारण उसे दंड दे दिया जाय ? जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिसे किसीने चोरी करते समय देखा हो, पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध चोरी का माल वरामद होने-जैसे बहुत-से सबूत हो, ऐसे चोरो को भी तुम्हारे राज्य में धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता ? यदि धनी और गरीब में कोई विवाद छिड़ा हो और वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो तो तुम्हारे अमात्य धन आदि के लोभ से तो उम मामले पर विचार नहीं करते ?

न्यायाधीशों के लिए उत्तरकांड में 'धर्मपालक' शब्द आया है। कानून और

१ यानि मिथ्याभिज्ञस्तानां पतन्त्यश्रूणि राघव । तानि पुत्रपशून्घ्नन्ति प्रीत्यर्थ-
मनुशासत ॥ २।१००।५६

राजनीति के विशिष्ट ज्ञान के कारण ही वे इस पद पर नियुक्त किये जाते थे । पक्षपात और रिश्वत से बचे रहने की उनसे अपेक्षा की जाती थी । भरत ने माता कौसल्या से कहा था कि राम को वन भेजनेवाले को वही पाप लगे जो पक्षपात करनेवाले न्यायाधीश (मध्यस्थ) को लगता है ।^१

राम-राज्य के सर्वोच्च न्यायालय की गति-विधि का परिचय उत्तरकांड से प्राप्त होता है ।^२ न्यायालय की बैठक सभा-भवन में प्रतिदिन प्रातः काल हुआ करती थी जबकि राजा और न्यायाधीश अपने नित्य-कर्म से निवृत्त हो चुकते थे । प्रजा के सभी वर्गों को—चाहे वे नर हो या नारी—राजा के समुख उपस्थित होकर अपनी शिकायतें रखने का अधिकार था । जिस आसन पर बैठकर राजा मुकदमों का फैसला करता था, वह 'धर्मसन' कहलाता था ।

सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष स्वयं राजा हुआ करता था । उसके अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश भी होते थे, यथा, पुरोहित वसिष्ठ, 'धर्मपारंग' और 'व्यवहारज्ञ' ब्राह्मण मन्त्रिगण, परपरा और लोकाचार के ज्ञाता अनुभवी ऋषिवृद्ध, क्षत्रिय अमात्य, सभा के अर्थशास्त्र-पारंग सदस्य, प्रमुख व्यापारी (नैगम) तथा राजा के भाई । इनमें ऋषि-मुनि राजा को धर्म और सदाचार-संबंधी वादों में परामर्श देते थे । मन्त्रिगण अपने शासन-अनुभव के आधार पर यह बतलाते थे कि अमुक फैसला कार्य-रूप में परिणत किया जा सकता है अथवा नहीं और उसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या होगी । क्षत्रिय अमात्य कूटनीति में अभ्यस्त थे तथा सामरिक मामलों और विदेश-नीति से संबंधित प्रश्नों पर अपनी राय देते थे । साथ ही, वे क्षत्रिय-जाति के अधिकारों की रक्षा का भी ध्यान रखते थे । प्रमुख व्यापारी वाणिज्य-व्यवसाय के मामलों में राजा को परामर्श देते थे तथा वैश्यवर्ग के हितों को सुरक्षित रखते थे । राजा के भाई संभवतः राजकीय विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए नियत रहते थे ।

राजा का यह कर्तव्य था कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि जिससे प्रत्येक कार्यार्थी (शिकायत लेकर आनेवाला व्यक्ति) न्यायालय में तुरंत प्रवेश पा सके । राजा नृग ने अपने द्वार पर दो ब्राह्मण कार्यार्थियों को बहुत देर तक ठहराये रखा था । इस

१. भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः । तेन पापेन युज्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २।७५।५८, टीका देखिए ।

२. देखिए सर्ग ५६ के बाद के प्रक्षिप्त सर्ग ।

अपराध के लिए नृग को शाप का भागी बनना पडा (७।५३।१६-८) । महाराज राम के पूर्वज राजा निमि ने भी ऐसा ही अपराध किया था । जब वसिष्ठ अपनी शिकायत सुनाने उनके यहा आये, तब निमि सो रहे थे, तुरत सुनवाई न होने के कारण वसिष्ठ ने उनको शाप दे दिया (७।५५।१५-७) । इसके विपरीत राम-राज्य के न्यायालय इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि वहा निष्पक्ष और तात्कालिक न्याय प्राप्त होता था, राजा या न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होने की तुरत अनुमति मिलती थी और स्टाप, फीस या वकीलो का कोई बखेडा नही था । राजा का त्वरित एव कठोर न्याय-शासन लोगो को एक-दूसरे के अधिकारो का समान करने को प्रेरित करता था (राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यांहिसन् परस्परम् ६।१२८।१००), इसलिए लोग मुकदमेवाजी का कम ही आश्रय लेते थे और परिणामत राम-राज्य की अदालतो में अधिक काम नही था—दृश्यते न च कार्यार्थी रामे राज्य प्रशासति (७।५६(१)।१०) ।

वाल्मीकि ने इन कृत्यो को अपराधो की श्रेणी में गिना है—राजद्रोह, झूठी गवाही, कुमारिकाओ पर बलात्कार, पराई स्त्रियो का अपहरण, न्यास (ट्रस्ट)-सपत्ति का दुरुपयोग, चोरी, डकैती, ब्रह्महत्या, सैनिको को निर्धारित वेतन न देना, युद्ध में पीठ दिखाना, बालको, स्त्रियो, वृद्धो और राजाओ की हत्या, आग लगाना, जलाशय में विष मिला देना और गुरु-स्त्री-गमन ।

इन अपराधो का दंड यातना-मात्र देने से लेकर प्राण-दंड तक होता था । फासी के लिए सवेरे का समय नियत रहता था । लका में विलाप करते हुए सीता ने कहा था कि दो मास की अवधि पूरी होने पर राक्षसाधम रावण मुझे वैसे ही मृत्यु के घाट उतार देगा जैसे रात्रि के अत में चोर का वध कर दिया जाता है—

बद्धस्य बध्यस्य यथा निशान्ते

राजोपरोधादिव तस्करस्य १५।२८।७

राजमार्गों पर व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस-कर्मचारियो की नियुक्ति का भी सकेत मिलता है । पुलिस के सिपाही 'दंडायुधधरा' (लाठी से लैस) रहते थे । लका के रास्ते में हनुमान ने विभिन्न शस्त्रास्त्र धारण किये हुए अनेक सैनिको को देखा था । क्योकि कवि ने कुछ सैनिको को खूख्वार शस्त्रो से सज्जित बताया है और दूसरो को दंडो अर्थात् लाठियो से लैस बताया है (५।४।१६), अत यह ध्वनित होता है कि ये लाठीधारी (दंडायुधधर) सैनिक लका के मार्गों पर पुलिस का काम

करन के लिए राज्य की ओर से नियुक्त थे। रावण-वध के बाद जब विभीषण जानकी को प्रालकी में बैठाकर राम के पास लाये, तब अगा और पगडी पहने इन्ही पुलिस-वालों ने अपने हाथों के डडों से वानरो और राक्षसों की भीड़ को हटाया था।^१ उधर राम के अयोध्या लौटने की घड़ी में भरत ने यह आदेश जारी किया था कि राजमार्ग पर भीड़-भाड़ न होने देने के लिए सैकड़ों व्यक्ति तैनात किये जाय—
राजमार्गमसम्बाधं किरन्तु शतशो नरा (६।१२७।१०)। स्पष्टतः ये व्यक्ति सड़कों पर व्यवस्था बनाये रखने के लिए नियुक्त पुलिस-कर्मचारी थे।

‘वधन’ (४।५५।१०) और ‘वद्ध’ (५।२८।७)—जैसे शब्दों का प्रयोग कारागृहों की ओर संकेत करता है। अगद ने भयभीत होकर कहा था कि मेरे चाचा सुग्रीव क्रूर और निर्दयी है, यदि मैं अवधि बीतने के बाद सीता को ढूँढे बिना किष्किंधा लौटा तो वह या तो मुझे तीव्र यातना देगे अथवा कैद में डाल देंगे—उपाशु-दण्डेन हि मां बन्धनेनोपपादयेत् (४।५५।१०)।

जब अगद—जैसा युवराज भी यातनाओं के आतंक से भयभीत था, तब कोई आश्चर्य नहीं यदि सामान्य कैदियों पर उनका व्यापक प्रयोग किया जाता हो। अशोक-वाटिका में विलाप करते हुए सीता ने यातना देने की पद्धतियों का उल्लेख किया था और निश्चय किया था कि मुझे ऐसी कितनी ही यातनाएँ क्यों न दी जाय, मैं रावण के वशीभूत न हूँगी—

छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नौ प्रदीपिता ।

रावणे नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वशिचरम् ॥५।२६।१०

यहाँ सीता ने शरीर को शूल से छेद डालना या तलवार से दो भागों में काट डालना, कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालना, कैदी को आग पर सेकना या जला डालना आदि यातनाओं की ओर संकेत किया है। गला घोटकर कैदियों को मार डालने का भी तरीका प्रचलित था। सीता की राक्षसी पहरेदारानियों ने सीता का गला घोटकर उनका काम तमाम कर डालने का विचार कर लिया था—
कण्ठस्य नृशंसाया पीडयाम किमास्यते (५।२४।४१)।

गुप्तचरो को ‘चर’, ‘चार’, ‘प्रणिधि’, ‘चारक’ अथवा ‘चारण’ कहा जाता

१. कच्चुकोष्णीषिणस्तत्र वेत्रज्ञज्ञरपाणयः । उत्सारयन्तस्तान् योधान् समन्ता-
त्परिचक्रमुः ॥ ६।११४।२१

था । भारत के प्राचीन राजनीतिकारो ने चारो को राजतंत्र के लिए अनिवार्य बताया है । अयोध्या में एक नियमित गुप्तचर-विभाग था, जो आधुनिक समय के सी० आई० डी० विभाग का समकक्ष माना जा सकता है । दशरथ के मन्त्रिगण चारो द्वारा शत्रुओ की गति-विधि से अपने को अवगत रखते थे ।^१ राम ने भरत से चित्रकूट पर पूछा था कि तुम चारणो द्वारा अपने मन्त्रियो और अधिकारियो की गति-विधि से सुपरिचित रहते हो ?—वेत्सि तीर्थानि चारणं (२।१००।३६) ।

गुप्तचर दो प्रकार के होते थे—नागरिक-गुप्तचर और सैनिक-गुप्तचर । उत्तरकांड में जिन जासूसो से राम को सीता-विषयक लोकापवाद की सूचना मिली थी, वे नागरिक-गुप्तचर थे । सुग्रीव ने भी हनुमान को ऐसा ही गुप्तचर बनाकर राम-लक्ष्मण का मनोभाव जानने के लिए भेजा था । सैनिक-गुप्तचरो का दायित्व अधिक कठिन था । उन्हें सदा राजभक्त, वीर और निर्भय बने रहना पडता था ।^२ शत्रु-सेना का बलाबल जानने के लिए राजा और सेनापति उन्ही पर निर्भर रहते थे । लका के सुरक्षा-साधनो का पता लगाने के लिए राम ने विभीषण के अमात्यो से जासूसी करवाई थी ।

नगरो का स्वायत्त-शासन नागरिको की स्थानीय समितियो के सुपुर्द रहता था, जैसे गण और उनके सभापति गणवल्लभा, नैगम-जैसे व्यापार-सघ और उनके सभापति नैगमवल्लभ, तथा पौर और श्रेणीमुख्य-जैसी स्वायत्त-समितिया । राज-धानी की व्यवस्था 'पौर' समिति के अधीन थी । नगर-व्यवस्था को 'पौरकार्य' कहते थे । राजा या युवराज नगर-प्रबन्ध-समिति का अध्यक्ष होता था । क्षत्रिय सैनिक-अधिकारी, वैश्य व्यापारी, विभिन्न उद्योग-धधो में लगे कारीगर, राजा की उदारता पर निर्वाह करनेवाले कतिपय ब्राह्मण, सेवा-कार्य में सलग्न शूद्र तथा दास लोग अयोध्या की जनसख्या के मुख्य अंग थे । नगर-प्रबन्ध-समिति के कार्य ये थे—नगर-सन्निवेश, राजमार्ग की देखरेख, मरमत और छिडकाव, नगर में जल की व्यवस्था (अयोध्या में शुद्ध, मधुर और स्वच्छ जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, जल-प्राप्ति के स्रोत सरित, नदी, नद, प्रस्रवण, निर्झर, वापी, कूप, तटाक, पल्लव, सरस,

१. तेषामविदित किञ्चित्स्वेषु नास्ति परेषु वा । क्रियमाण कृत वापि चारेणापि चिकीर्षितम् ॥ १।७।६

२. चरान्प्रत्यायिकान् शूरान् धीरान् विगतसाध्वसान् । ६।२६।१८

उद्भेद और नलिनी थे), नगर में प्रकाश के लिए दीपो और दीप-वृक्षो की व्यवस्था, यातायात का नियंत्रण, उत्सवो के अवसर पर नगर की सजावट, उद्यान और उनकी व्यवस्था आदि । ग्रामो और घोषो की स्वायत्त-समितियो के अध्यक्ष 'ग्राम-महत्तर' और 'घोष-महत्तर' कहलाते थे । गाव के मुखिया के अर्थ में 'ग्रामणी' शब्द रामायण में नहीं आया है ।

युद्ध

प्राचीन अथवा प्रागैतिहासिक भारत में आर्यों और अनार्यों के निरन्तर संपर्क से अन्तरराष्ट्रीय सवधो के विकास के लिए पर्याप्त अवकाश था। उत्तरी भारत का आर्य-साम्राज्य तथा लका का राक्षस-साम्राज्य दोनों अपने-अपने प्रभाव का विस्तार करने में लगे थे और इस प्रसंग में आर्यों और राक्षसों के बीच अनेक भयकर युद्ध लड़े गए। जहाँ आर्यावर्त में राक्षसों ने लवणासुर, ताटका तथा खर-दूषण को तैनात कर अपने प्रभाव-क्षेत्र की वृद्धि की, वहाँ आर्यों ने भी वानर-जाति से मित्रता कर दक्षिण में अपने प्रभुत्व का विस्तार किया। इस प्रकार तत्कालीन राजनीति में सधि-विग्रह के अनेक अवसर उपस्थित थे, जिनके अध्ययन से सैन्य-संचालन, युद्ध-प्रणाली, कूटनीतिक सवध, सैनिक शिष्टाचार आदि की अनेक सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।

सैन्य-विभाग का निर्देशन स्वयं राजा अपने अमात्यो की सहायता से करता था। दशरथ के अमात्य दृढविक्रमा, युक्ता बलस्य च परिग्रहे और वीरा थे (१।७।६-११)। युद्ध या सधि की घोषणा करने का अंतिम अधिकार राजा को ही था।

लका में सैन्य-विभाग एक मन्त्रि-विशेष के अधीन रहा होगा। रावण की युद्ध-परिषद में विभीषण ने ऐसे मन्त्री की विशेषताएँ बताते हुए कहा था कि उसे स्वपक्ष और शत्रु-पक्ष के बलाबल का पता होना चाहिए, अपने राज्य तथा शत्रु-राज्य की स्थिति, वृद्धि और क्षय की जानकारी होनी चाहिए तथा उसे विचारपूर्वक अपने राजा को हितकर परामर्श देना चाहिए।^१

तत्कालीन नगर दुर्गों के रूप में बनाये जाते थे। ये दुर्ग सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रो, आक्रमण-प्रत्याक्रमण के साधनो तथा कूटागारो (तहखानो, तिलस्मो) से युक्त

१ परस्य वीर्यं स्वबलं च बुद्ध्या स्थानं क्षयं चैव तथैव वृद्धिम् । तथा स्वपक्षेऽप्यनु-
मृश्य बुद्ध्या वदेत्क्षमं स्वामिहितं स मन्त्री ॥६॥१४।२२

थे। दुर्ग चार प्रकार के होते थे—नादेय (समुद्र या नदी से घिरा हुआ, जैसे लका), पार्वत (पहाड़ियों से घिरा हुआ, जैसे किष्किधा), वन्य (घने जंगलो में घिरा हुआ, जैसे लका) और कृत्रिम (चहारदीवारी तथा खाई से घिरा हुआ, जैसे अयोध्या, लका और साकाश्या)।

सेना के चार भाग होते थे—पैदल (पदाति), घुडसवार (सादी), रथी और गजारोह। इसीलिए वह 'चतुरगबल' कहलाती थी। सैनिकों की श्रेणिया भी चार प्रकार की थी (६।१७।२४)—मित्र-बल (मित्र राजाओं के सैनिक), आटवि-बल (जंगली जातियों के सैनिक), भृत्य-बल (वैतनिक सैनिक, जिन्हें आजकल 'स्टैंडिंग आर्मी' कहा जाता है) और द्विषद्बल (शत्रु को छोड़कर आये हुए सैनिक)। पैदल सेना दो भागों में बटी थी—तलवार-भाले से लड़नेवाले सैनिक तथा धनुष-बाण से लड़नेवाले सैनिक। सैनिकों के हाथी-घोड़ों की देखभाल करने के लिए 'अश्वबध' और 'कुजरग्रह' नियत रहते थे (२।११।५७)। लका-युद्ध में त्रिशिरा राक्षस साड़ पर बैठकर रण-भूमि की ओर गया था।^१ आवागमन का मार्ग, तबू, पुल आदि बनानेवाले खनकों और परिसारकों का दल सेना के आगे जाया करता था। खाद्य-सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामान एक और दल के सुपुर्द रहते थे। सेना के पीछे व्यापारी, सैनिकों की स्त्रिया तथा दास-वर्ग रहते थे।

सेनाध्यक्ष को सेनानी, सेनापति या सेनानायक कहते थे। उसे राजा से आदेश लेने पड़ते थे और उसके अधीन कई बलाध्यक्ष और यूथपति होते थे। राजा और सेनापति युद्ध-परिषद की राय से कार्य करते थे। भारतीय महासागर के तट पर राम और सुग्रीव ने परामर्श करने के लिए अपनी युद्ध-परिषद की बैठक बुलाई थी। प्रमुख सैन्य-अधिकारियों का निर्वाचन उनकी योग्यता, राज्य-भक्ति, साहस एवं चातुर्य के आधार पर किया जाता था।^२ सेना का सबसे विश्वसनीय अंग वह था, जिसमें 'कुल-पुत्र' (प्रतिष्ठित कुलोत्पन्न व्यक्ति) होते थे (६।३।२७)। दशरथ, सुग्रीव और रावण की सेना में महत्वपूर्ण सैन्य-पदों पर ऐसे ही विश्वस्त व्यक्ति

१. वृषेन्द्रमास्थाय शशिप्रकाशमायाति योऽसौ त्रिशिरा यशस्वी । ६।५९।१६

२. कचिद्धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान्मतिमाञ्छुचिः । कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः
कृतः ॥ बलवन्तश्च कच्चित्ते मुख्या युद्धविशारदाः । दृष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया
सत्कृत्य मानिताः ॥ २।१००।३०-१

नियुक्त थे, जिन्हें कुल-परपरा से अच्छे सस्कार प्राप्त हुए थे तथा जो द्रव्य के लिए नहीं, वरन राष्ट्र, धर्म और सस्कृति की रक्षा के लिए सब कुछ उत्सर्ग कर देने को कटिबद्ध रहते थे।

अयोध्या में सैनिकों का अपना अलग वर्ग था। वे 'भट' (१।५।४।८) या 'योध' (२।८२।२५) कहलाते थे। यह सजा उन सभी क्षत्रियों के लिए प्रयुक्त होती थी, जिनका पेशा केवल लडना होता था। लका और किष्किंधा में सैनिकों का कोई अलग वर्ग नहीं था, वहा तो प्रत्येक पुरुष सैनिक था।

राम-राज्य के आदर्श सैनिक से वेदों और शस्त्रास्त्रों का ज्ञान अपेक्षित था। हाथी, रथ और घोड़े पर से युद्ध करने की उसे शिक्षा दी जाती थी। साम, दाम, भेद और दड से उसे अम्यस्त रहना पडता था (६।७।१।२८-६)। अयोध्या, किष्किंधा और लका के सैनिक प्रायः विवाहित थे। विवाहित सैनिकों से सेना की स्थिरता बनी रहती थी, क्योंकि गृहस्थ सैनिक देश और राजा के लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी शत्रु का सामना करने के लिए उद्यत रहेंगे। सैनिकों को पुरस्कार और प्रीति-पूर्ण व्यवहार से सतुष्ट रखा जाता था।^१ राम ने भरत से पूछा था कि 'सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर दे देते हो? देने में विलंब तो नहीं करते? यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिये जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर बहुत असतुष्ट रहते हैं और इसके कारण बहुत अनर्थ हो जाता है।'^२ युद्ध की समाप्ति पर सैनिकों को उपहार तथा युद्ध की लूट का हिस्सा दिया जाता था। लका-विजय के बाद राम ने विभीषण से कहा था कि इन वानरों ने प्राणों का मोह त्याग कर मुझे विजय दिलाई है, इसलिए मेरी ओर से कृतज्ञता-रूप में इन्हें रत्न तथा विविध प्रकार का धन प्रदान कर इनका समान करो, जो राजा सेना को दान-मान से प्रसन्न नहीं रखता, उसे वह छोड़ देती है (६।१२२।४-६)।

१. बल च सुभृत वीर हृष्टतुष्टमनुद्धतम् । सभाषासप्रदानेन रजयस्व नरोत्तम ॥

७।६।४।५

२. कच्चिद्वलस्य भक्तं च वेतन च यथोचितम् । सप्राप्तकाले दातव्यं ददासि न विलम्बसे ॥ कालातिक्रमणे ह्येव भक्तवेतनयोर्भृताः । भर्तुरप्यतिकुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान्कृतः ॥२।१००।३२-३

उस युग के सैनिकों को सुदूर और भडकीले वस्त्राभूषण पहनने तथा अपने बाहनों को अलकृत करने का बड़ा शौक था। सुरा-पान भी उनमें प्रचलित था। वे अपने साथ पालतू पशु-पक्षी ले जाया करते थे। लका के सैनिकों के घर बड़े वैभव-शाली, गवाक्षों से युक्त, मुक्ता-प्रवाल से सुशोभित, चन्दन-अगुरु से सुवासित, सोने-चादी के पात्रों, बहुमूल्य शयनासनो और मणि-रत्नों से सज्जित तथा कबल, चवर, कस्तूरी, व्याघ्र-चर्म, नाना प्रकार से वस्त्रों, अस्त्र-शस्त्रों तथा कवचों से सपन्न थे (६।७।५।७-२७)। अयोध्या के सैनिक विलासी जीवन के अभ्यस्त थे। उनके स्नान-प्रसाधन के लिए दासिया नियुक्त रहती थी। अगराग, चन्दन, दत्त-धावन, अजन, दर्पण, कघा आदि सामग्री का वे प्रतिदिन उपयोग करते थे। इसीलिए महर्षि भरद्वाज ने भरत के साथ उनका आतिथ्य करते समय उन्हें ये सब वस्तुएँ भेंट की थी (२।६।१।५२-८१)।

अपने साथियों से भेंट होने पर सैनिक अपने वस्त्रों को हिलाकर उनका स्वागत करते थे। जब हनुमान आकाश-मार्ग द्वारा लका से लौट रहे थे, तब सारे वानर वृक्षों पर चढ़कर उनके स्वागत में उत्साह से अपने वस्त्रों को रह-रहकर हिलाने लगे थे।^१

सैनिकों में 'सौम्यातृमिलन' की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अनुसार युद्ध समाप्त होने पर दोनों पक्ष के सैनिक पूर्व-वर भुलाकर नई मित्रता स्थापित करते थे। एकता, सौहार्द और आत्मीयता की स्वस्थ भावनाओं के संचार के लिए यह प्रथा बड़ी उपादेय थी। राम-रावण-युद्ध के बाद दोनों पक्षों के सैनिकों ने एक-साथ मिलकर जयघोष किया और सारा वैर भुलाकर परस्पर आलिंगन किया था। वालि-वध के बाद भी राम और वाली के अनुयायियों में प्रेम और मित्रता का ऐसा ही सबंध स्थापित हुआ था।

सैनिक अनुशासन बड़ा कठोर था। अपने बिखरे हुए सैनिकों को शीघ्र इकट्ठा होने का आदेश भेजते समय सुग्रीव ने यह स्पष्ट कह दिया था कि जो सैनिक मेरी आज्ञा पाने के दस दिन के अंदर उपस्थित नहीं होगा, उसका वध कर दिया जायगा।^२

१. ते प्रीताः पादपाशेषु गृह्य शाखामवस्थिताः । वासासि च प्रकाशानि समाविध्यन्त वानराः ॥५॥५७।२६
२. अहोभिर्दशभिर्ये च नागच्छन्ति ममाज्ञया । हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासन-दूषकाः ॥४॥३७।१२

सका की चढाई में भी सुग्रीव ने यह चेतावनी दे दी थी कि जो सैनिक पीठ दिखायागा अथवा आदेश के अनुसार नहीं लडेगा, उसे मार डाला जायगा ।^१

राम स्वयं कठोर अनुशासक थे । लकाभियान करते समय उन्होंने वानरो को मार्ग में पडनेवाले नगरों और ग्रामों को बचाकर चलने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्हें भय था कि सैनिकगण नागरिकों को त्रस्त करेगे और उनकी सपत्ति को हानि पहुँचा देंगे । राम को 'भीमकोप' कहा गया है ^२ सभी वानर उनसे भयभीत थे ।

रामायणकालीन सैनिक-शिष्टाचार एवं नैतिकता भी उल्लेख-योग्य है । राजाओं और योद्धागणों से सामरिक परपराओं का पालन अपेक्षित था । युद्ध से पराङ्मुख होकर भाग जाना अपनी कीर्ति में बट्टा लगाना था ^३ और स्वामी के हितार्थ युद्ध-भूमि में प्राण-त्याग करना पुण्योत्पादक था ।^४ स्त्रियो, युद्ध में सक्रिय भाग न लेनेवालों (भय के मारे छिप जानेवालों), सधि की माचना करनेवालों तथा शरणागतों को मारना पाप था, किंतु युद्ध का आमन्त्रण स्वीकार करना प्रत्येक स्वाभिमानी के लिए अनिवार्य था । किसी व्यक्ति पर अकारण ही वार करना, किसी और से लडते हुए सैनिक पर हमला करना, किसी एक व्यक्ति के अपराध के कारण असख्य लोगों को मौत के घाट उतार देना तथा शरणागत को शरण न देना निन्दनीय था । नील के साथ लडते हुए रावण पर वार करना हनुमान ने अनुचित समझा था (अन्येन युद्धमानस्य न युक्तमभिधावनम् ६।५६।७२) । सोते हुए, शस्त्रास्त्रों से हीन, थके हुए, नशे में चूर या स्त्रियो से घिरे

१. यश्च वो वितथ कुर्यात्त्र तत्राप्युपस्थितः । स हन्तव्योऽभिसप्लुत्य राजशासन-दूषकः ॥६।७५।४३
२. रामस्य शासनं ज्ञात्वा भीमकोपस्य भीतवत् । वर्जयन्नगराम्याशास्तथा जन-पदानपि ॥६।४।३८-६
३. त्यक्तयुद्धसमुत्साहा. शूरत्वं क्व नु वो गतम् । पृष्ठतो न द्रजध्वं मामग्रतो यान्तमाहवे । शूरैरभिजनोपेतैरयुक्तं हि निर्वर्तितुम् ॥६।८२।३-४
४. कृती शूरो रणे जेता स्वाम्यर्थे त्यक्तजीवितः । इन्द्रस्यातिथिरैवैषः ... ॥ ७।२३(३)।१२-५

हुए शत्रु पर वार करना अनुचित था ।^१ जब रावण थक गया, तब राम ने उसे घर लौट जाने के लिए और विश्राम के पश्चात् नये रथ में नया धनुष लेकर आने के लिए कहा था (६।५.६।१४०-१) । फिर भी शत्रु की कमजोरियों से लाभ उठाना अज्ञात नहीं था । लक्ष्मण ने यज्ञ-कर्म में व्यस्त इन्द्रजित पर वार किया था और राम ने छिपकर वाली पर बाण चलाया था । उत्तरकाण्ड में शत्रुघ्न ने लवणासुर पर अकस्मात् आक्रमण किया था, जब उसके पास उसका विख्यात शूल नहीं था । हनुमान ने लका में शत्रु-दृष्टि से बचने के लिए छद्म वेश धारण किया था ।

समुचित कारण बिना लडाईं ठान लेना राजाओं के लिए अनुचित था । शत्रु को यह पूर्व-सूचना देनी चाहिए कि निर्धारित मांगें पूरी न होने पर युद्ध घोषित कर दिया जायगा । वाली ने राम से कहा था कि अकारण ही किसी पर आक्रमण कर देना अशोभनीय है तथा उदासीन (तटस्थ) के प्रति युद्ध छेड़ना अनुचित है ।^२ रावण ने मारीच से शिकायत की थी कि राम ने जनस्थान-स्थित मेरी सेना का, सूचना दिये बिना ही, नाश कर डाला^३ और, उत्तेजित न किये जाने पर भी, मेरी भगिनी को विरूप कर दिया ।^४

रामायण में वर्णित युद्धों की समीक्षा से ज्ञात होता है कि युद्ध के प्रायः ये आठ कारण होते थे—(१) अपहृत नारियों को मुक्त करने तथा अत्याचारी का नाश करने के लिए, उदाहरणार्थ राम-रावण युद्ध, (२) प्रतिशोध के लिए; परशुराम ने समस्त क्षत्रिय-जाति का नाश करने की इसलिए ठाती थी कि उनके पिता की एक क्षत्रिय राजा ने हत्या कर दी थी, (३) मित्रों की सहायता के लिए, राम-रावण युद्ध में सुग्रीव आदि वानरो ने राम के मित्र-रूप में भाग लिया था,

-
१. युद्धस्य कालो विज्ञातः साधु भो साधु रावण । यः क्षीवं स्त्रीगतं चैव योद्धुं मुत्सहसे नृपम् ॥७।३२।२८-६
 २. पराङ्मुखवधं कृत्वा कोऽत्र प्राप्तस्त्वया गुणः । उदासीनेषु योऽस्मासु विक्रमोऽयं प्रकाशितः ॥४।१७।१६, ४६
 ३. तेन संजातरोषेण रामेण रणमूर्धनि । अनुक्त्वा परुषं किञ्चिच्छरैर्व्यापारितं घनुः ॥३।३६।७-८
 ४. येन वैरं विनाऽरण्ये सत्त्वमास्थाय केवलम् । कर्णनासापहारेण भगिनी मे विरूपिता ॥३।३६।१३

दशरथ ने इद्र की सहायता के लिए शबरामुर से मोर्चा लिया था, (४) नारी के लिए, वाली और मायावी के बीच एक स्त्री की प्राप्ति के लिए (स्त्रीकृत) युद्ध हुआ था तथा सीता को पाने में असफल राजाओं ने जनक पर हमला बोल दिया था, (५) भूमि, सोने और चादी के लिए, जैसाकि वाली ने मरते समय राम को बताया था (भूर्मिहरण्य रूपं च निग्रहे कारणानि च, ४।१७।३१) । उत्तरकांड में युद्ध के तीन और कारण निर्दिष्ट हैं—(६) सार्वभौम सत्ता स्थापित करने के लिए, रावण ने दिग्विजय की इच्छा से तत्कालीन राजाओं को चुनौती दी थी, (७) राज्य-विस्तार के लिए, राम ने गांधार, कारुपथ और चद्रकात के राजाओं को परास्त कर उनके प्रदेश अपने राज्य में मिला लिये थे, (८) कुशासक पडोसी राजाओं को दड देने के लिए, राम के आदेशानुसार शत्रुघ्न ने लवणामुर के राज्य पर आक्रमण कर उसे कोसल-साम्राज्य में मिला लिया था ।

प्राचीन भारत में युद्ध का आश्रय अंतिम उपाय के रूप में ही लिया जाता था । उससे पहले साम, दाम और भेद की युक्तियों से इष्ट-सिद्धि की चेष्टा की जाती थी । इनमें असफल होने पर ही दड-प्रयोग किया जाता था ।^१ युद्ध में प्राप्त होनेवाली विजय अस्थिर होती है—युद्धसिद्धिर्हि चचला (५।४६।१७)—यह रावण भी भली भाँति जानता था । युद्ध टालने के लिए राजागण दूतों का उपयोग करते थे । अन्तरराष्ट्रीय सबंधों की स्थापना में, सधि और विग्रह के निर्णय में, ये दूत महत्वपूर्ण योग देते थे ।

राजा ऐसे ही दूत चुनता था, जो व्यवहार-कुशल, राजभक्त और चतुर होते थे । उन्हें राजा के आदेशों का अक्षरशः पालन करना पड़ता था । जो दूत अपने स्वामी की आज्ञा की अवहेलना कर स्वयं अपना मत प्रकट करता है, उसके लिए वध का विधान किया गया है ।^२ जहा गुप्तचर पकड़े जाने पर वध का पात्र होता था, वहा दूत अवध्य गिना जाता था, क्योंकि वह अपने स्वामी का सदेशवाहक-मात्र होता है, पराधीन होता है—ब्रुवन्परार्थं परवान्न दूतो वधमर्हति (५।५२।१६) ।

१. अप्युपायैस्त्रिभिस्तात योर्ध्वः प्राप्तु न शक्यते । तस्य विक्रमकालास्तान्युक्तानाहुर्मनीषिण ॥६।६।८

२. यस्तु हित्वा मत भर्तु स्वमत सप्रधारयेत् । अनुक्तवादी दूत सन्स दूतो वधमर्हति ॥६।२०।१८

फिर भी सिर मूडकर, अग-भग कर, कोड़े लगाकर अथवा दाग कर उसे दडित किया जा सकता था ।^१ राम की ओर से अगद ने लका में दौत्य-कर्म किया था ।

दूत की स्थिति अवध्य होने के कारण कई बार गुप्तचर भी पकड़े जाने पर अपने को दूत घोषित कर देते थे । हनुमान ने, गुप्तचर होने पर भी, रावण के समक्ष अपने को निर्भीकता से राम-दूत बतलाया था—दूतोऽयमिति विज्ञाय राघवस्या-मितौजस (५।५०।१६) । रावण के गुप्तचरो—शुक और सारण—ने भी अपने को रावण का दूत बतलाकर वानरो के बधन से मुक्ति पाई थी, और लौटती बार वे रावण के लिए राम का सदेश ले गए थे (६।२०।१६-२०) ।

वर्षा-काल में सामरिक तैयारिया स्थगित कर दी जाती थी (स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानाम्, ४।२८।१५) । ग्रीष्म-काल में सेना को नदी पार कराया जाता था ।^२ वर्षात में, शरत्काल के प्रारम्भ में, सामरिक अभियान किये जाते थे ।^३ राम ने प्रस्रवण पर्वत पर वर्षा के चार मास शरत्काल की प्रतीक्षा में बिताये थे । वर्षा-काल समाप्त होते ही, 'श्वेत आकाश, निर्मल चन्द्र-मण्डल तथा चादनी से लिपी शरत्काल की रात्रि को देखकर',^४ उन्होंने सुग्रीव को सीतान्वेषण कराने को प्रेरित किया था । शत्रुघ्न ने मधुपुरी पर आकस्मिक आक्रमण करने के लिए वर्षा-ऋतु में भी अभियान किया था ।^५

शांति-काल में सेना के एकत्र किये जाने का वर्णन कवि ने भरत की चित्रकूट-यात्रा के सिलसिले में किया है । चित्रकूट जाने का निश्चय करने के बाद भरत ने

१. वैरूप्यमगेषु कशाभिघातो मौण्ड्यं तथा लक्षणसंनिपातः । एतान्हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वधस्तु दूतस्य न नः श्रुतोऽस्ति ॥५।४२।१५
२. यया ग्रीष्मावशेषेण तरेयुर्जाह्नवीजलम् ॥७।६४।११
३. कार्तिके समनुप्राप्ते त्वं रावणवधे यत । ४।२६।१७; अन्योन्यवरेण समायु-तानामुद्योगकालोऽद्य नराधिपानाम् ॥४।३०।३७; ४।३०।६०-१ भी देखिए ।
४. पाण्डुरं गगनं दृष्ट्वा विमलं चन्द्रमण्डलम् । शारदीं रजनीं चैव, दृष्ट्वा ज्योत्स्नानुलेपनाम् ॥४।३०।२
५. स ग्रीष्म अपयाते तु वर्षारान्न उपागते । हन्यास्त्वं लवणं सौम्य स हि कालोऽस्य दुर्मतेः ॥७।६४।१०

अमात्य सुमत्र को आज्ञा दी कि सेना को शीघ्र एकत्र कर यात्रा प्रारम्भ की जाय । तदनुसार सुमत्र ने सैन्य-अधिकारियों द्वारा यथोचित व्यवस्था करवा दी । सेना के इकट्ठा होते ही उसे सुसज्जित-सुसगठित किया गया । यात्रा का उद्देश्य सैन्य-अधिकारियों तथा प्रमुख नागरिकों को वता दिया गया था (२।६२।२२-३२) ।

युद्ध-काल में सेना के एकत्रीकरण का वर्णन राक्षसों और वानरों की सामरिक तैयारियों के प्रसंग में मिलता है । राम की चढ़ाई के समय रावण के सैनिक लका नगरी में ही रह रहे थे । लका में रावण ने असह्य राक्षस सैनिकों का सग्रह कर रखा था । रावण ने अपने बलाध्यक्षों को आदेश दिया कि शीघ्र ही घोंसा (भेरी) बजाकर सैनिकों को इकट्ठा किया जाय, पर उन्हें इसका कारण न बताया जाय ।^१ परिस्थितिबश इस सैनिक हलचल का कारण प्रकट न करना ही आवश्यक समझा गया ।

राक्षसी सेना के विपरीत वानरी सेना बिखरी हुई थी और उसका सग्रह करना तत्काल सम्भव न था । सुग्रीव ने अपने सेनापति नील को आदेश दिया कि मेरी सारी सेना पन्द्रह दिन के भीतर किष्किंधा में इकट्ठी हो जाय तथा सभी यूथपति अपनी-अपनी सेना के साथ आ जाय (४।२६।२६।३२) । नील ने तुरत ही इस आज्ञा का पालन किया और दूतों को प्रेषित कर दिया । कुछ समय बाद सुग्रीव ने, लक्ष्मण के कोप से भयभीत हो, पहले भेजे गए वानरों से जल्दी कराने के लिए (त्वःणार्थम्) तथा पराक्रमी वानरों को साम-दान आदि उपायों द्वारा बुला लाने के लिए पुनः कई वेगवान वानर भेजे (४।३७) । सैनिकों के आ जाने पर उन्हें अलग-अलग दलों में सगठित किया गया, जिनका प्रत्येक का अपना पृथक बलाध्यक्ष था—निवेशयित्वा विधिवद्बलानि बल बलज्ञ प्रतिपत्तुमीष्टे (४।३६।४४) ।

ज्ञात प्रदेशों में कूच करते समय सेना के पडाव की व्यवस्था पूर्व-नियोजित होती थी, जैसा कि भरत-सेना की चित्रकूट-यात्रा से स्पष्ट है । इन पडावों में अनेक शिविर लगाये जाते थे तथा आवागमन के मार्गों और क्रय-विक्रय स्थलों की योजना रहती थी । राजशिविर की प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त में की जाती थी । उसका निर्माण ईंट-चूने के पक्के फर्श पर किया जाता तथा सुभीते से रहने के लिए उसमें पर्याप्त

१. शीघ्रं भेरीनिनादेन स्फुटं कोणाहलेन मे । समानयध्व सैन्यानि वक्तव्यं न च कारणम् ॥६।३२।४३

स्थान रखा जाता था (२।८०।१३-७) । आगे कूच करते समय इन शिविरो को जला कर नष्ट कर दिया जाता था (आवासमादीपयताम् २।८६।१५), जिससे शत्रु उनका उपयोग न कर पाय ।

तत्कालीन सामरिक अभियानो का विशद परिचय राम के लका-अभियान के वर्णन से प्राप्त होता है । आक्रमणकारी सेनापति के लिए शत्रु-प्रदेश के दुर्गों, प्रवेश-मार्गों, नगर-द्वारों की स्थिति, शत्रु-सेना की सख्या और गति-विधि, शत्रु के प्रतिरक्षात्मक साधन आदि की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक था । राम ने अपनी आक्रमण-योजना बनाने से पहले लका के विषय में इन सब बातों की सूचना हनुमान से प्राप्त कर ली थी (६।३) । कूच करने से पूर्व राम ने सेना के निर्बल और अनावश्यक अंगों को किष्किधा में ही रह जाने का आदेश दे दिया था,^१ जिससे वे स्वदेश पर किसी आकस्मिक आक्रमण का सामना कर सके ।

सेना का अग्र-भाग 'मूर्धन्' कहलाता था, जबकि दाये-बाये के भाग 'पार्श्व' और मध्य भाग 'कुक्षि' या 'उरस्' कहलाते थे । किष्किधा से लका का मार्ग बीहड़ जंगलो और पहाडियो में से होकर जाता था । अतः सुरक्षा की दृष्टि से राम ने प्रधान सेनापति नील को आज्ञा दी कि तुम चुने हुए सैनिकों को लेकर सेना के शीर्ष-भाग में प्रयाण करो और देखते रहो कि मार्ग निरापद है अथवा नहीं । इस अग्रगामी टुकड़ी का यह भी कर्तव्य था कि वह पीछे आनेवाली सेना के लिए ऐसे ही मार्गों को चुने जो अन्न-जल से परिपूर्ण हो । राम जानते थे कि शत्रु लोग मार्ग में छिपकर बैठे रहते हैं तथा अन्न-जल में विष भी मिला देते हैं । इन सभावित सकटों से सावधान रहने के लिए उन्होंने नील को सतर्क कर दिया था तथा जंगलो और घाटियों में छिपे हुए शत्रु-सैनिकों का पता लगाते रहने का आदेश दे दिया था (६।४।६-१२) ।

वानरी सेना के दाहिने पार्श्व का नेतृत्व गज, गवय और गवाक्ष-जैसे निर्भीक वानर कर रहे थे । बायें पार्श्व की रक्षा गधमादन नामक बलवान वानर कर रहा था । राम, लक्ष्मण और सुग्रीव सेना के मध्य भाग में रहकर सैनिकों का उत्साह-वर्धन कर रहे थे । इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि वानरराज सुग्रीव और सर्वोच्च अधिनायक राम खतरों से भली भाँति सुरक्षित रहे, क्योंकि अभियान की सफलता उन्हींकी कुशल-क्षेम पर निर्भर थी । सेना का पृष्ठ-भाग बुद्धिमान जाव-

वान के अधीन था। इन सभी अधिकारियों का यह कर्तव्य था कि वे सैनिकों को निरंतर सचेष्ट रखें और उन्हें कूच करते रहने का प्रोत्साहन देते रहें (६।४।१५-२०)।

किष्किधा में वानर-सैनिकों को जिस शीघ्रता से सगठित किया गया था, उमी तत्परता से लका की ओर अभियान भी किया गया। रात और दिन जगलो में से कूच करती हुई राम की सेना दक्षिणी समुद्री तट पर विद्युत-वेग से जा पहुँची। महेंद्र पर्वत की चढ़ाई पार करके वह उसके दक्षिणी ढाल से नीचे की ओर उतरी और शीघ्रता से उसने हिंद महासागर के तट पर स्थित जगल में पडाव डाला। समूचे मार्ग में कोई दूसरा पडाव डालने की सूचना नहीं मिलती।

समुद्र-तट पर पडाव के लिए सुग्रीव ने सेना को तीन भागों में बांट दिया। पडाव में गश्ती दलों की भी समुचित व्यवस्था की गई थी। मैद और द्विविद वानरों को छावनी पर बराबर निगरानी करते रहने और योद्धाओं को असावधान न होने देने का कार्य सौंपा गया।^१ क्योंकि यह एक अज्ञात देश था, अतः राम ने सारी सेना को सगठित रूप में एक ही स्थान पर रखा और छावनी के बाहर किसी भी सैनिक के जाने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने यह कठोर आज्ञा जारी कर दी थी कि प्रत्येक नायक अपनी-अपनी टुकड़ी पर नियुक्त रहे और किसी भी दशा में अपना स्थान न छोड़े, क्योंकि सभव था कि शत्रु कहीं छिपा हुआ हो—स्वा स्वा सेना समुत्सृज्य मा च कश्चित्कुतो व्रजेत् (६।४।१०२)।

नल-सेतु का निर्माण होते ही राम ने द्रुत वेग से सेना को समुद्र पार कराया और लका-तट पर फल-मूलों से युक्त एक सघन स्थल में मोर्चाबंदी की।^२ प्रधान सेनापति की आज्ञा से वानर-सैनिक रात के समय लका में लुक-छिपकर घूम-फिर सकते थे।^३

१ विचैरतुश्च ता सेना रक्षार्यं सर्वतो दिशम् ।६।५।२, गच्छन्तु वानरा शूरा ज्ञेयं छन्न भयं च न ।६।४।१०२

२ वानराणां हि सा तीर्णा वाहिनी नलसेतुना । तीरे निविविशे राज्ञा बहुमूल-फलोदके ॥६।२२।८३

३. अन्ये तु हरिवीराणां यूयान्निष्क्रम्य यूथपा । सुग्रीवेणाभ्यनुज्ञाता लका जग्मुः पताकिनोम् ॥६।३६।१३

आक्रमण आरम्भ करने से पहले राम ने परामर्श करने के लिए अपनी सेना के प्रधान अधिकारियों की एक युद्ध-समिति बुलाई और उसके निश्चयानुसार अपनी सेना को सुवेल पर्वत पर स्थापित किया। पर्वत की सबसे ऊँची चोटी पर चढकर उन्होंने अपने बलाध्यक्षों के साथ शत्रु के समस्त प्रदेश का विहगावलोकन किया और आक्रमण की योजना बनाई। इसके बाद तुरत ही उन्होंने अपनी सेना के साथ लका-दुर्ग पर कूच किया और उसे घेर लिया।

पुल और रास्तो की रक्षा का राम ने विशेष रूप से ध्यान रखा था। जब वानर-सेना सेतु पार कर रही थी, तब विभीषण और उनके चारों साथी लका-तट पर पहरा देते रहे, जिससे समुद्र पार करती हुई सेना पर शत्रु हमला न कर सके।^१ युद्ध के दौरान में भी राम पुल की रक्षा के प्रति असावधान नहीं थे। जब एक बार कुम्भकर्ण ने वानरी सेना में भारी आतक मचा दिया, तब राम ने नील को पीछे के रास्तो और पुलों की रक्षा का विशेष ध्यान रखने का आदेश दिया था।^२

लका-दुर्ग का घेरा डालने के बाद राम ने राजधर्म के अनुसार अगद को दूत बनाकर रावण के पास यह सदेश भेजा कि बिना शर्त आत्मसमर्पण करके सीता को लौटा दो अथवा लडाई के मैदान में उतर आओ। रावण समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर वानरों ने दुर्ग की खाई को चट्टानों, पेड़ों, कीचड़ आदि से पाट दिया और चहारदीवारी को तोड़-फादकर नारे लगाते हुए अंदर के दुर्ग को घेर लिया। वानर-सेना को चार भागों में बांट दिया गया था और प्रत्येक भाग एक-एक सुयोग्य बलाध्यक्ष के अधीन था। लका के उत्तरी प्रवेश-द्वार की रक्षा रावण कर रहा था, अतः इस स्थान पर स्वयं राम उपस्थित थे।

सेना की विभिन्न प्रकार के व्यूहों में रचना की जाती थी, यथा श्येन, सूची, वज्र, शकट, मकर, दड, पद्म आदि। राम को गरुड-व्यूह विशेष प्रिय था। विखरे हुए दुर्ग में से जो-जो राक्षस-सैनिक द्वार से बाहर निकलने की चेष्टा करते, उनसे वानर-योद्धा जूझ जाते। इस प्रकार जब शत्रु के अधिकांश सेनाध्यक्ष और सैनिक

-
१. ततः पारे समुद्रस्य गदापाणिर्विभीषणः । परेषामभियानार्थं (घातार्थं) मतिष्ठत्सचिवैः सह ॥६॥२२॥७६-७
 २. गच्छ सैन्यानि सर्वाणि व्यूह्य तिष्ठस्व पावके । द्वाराण्यादाय लकायाश्चर्या-श्चास्याथ संक्रमान् ॥६॥६१॥३४

मारे गए, तब सुग्रीव ने राम की अनुमति से लका में आग लगा दी। परिणाम यह हुआ कि दुर्ग में छिपी हुई फौजों को बाहर निकल आने को बाध्य होना पड़ा। रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद तथा अन्य सभी प्रमुख राक्षस-वीर राम और उनके साथियों द्वारा मारे गए।

वानरी सेना में केवल पदाति सैनिक थे। नख और दात ही उनके आयुध थे (नखदष्ट्रायुधा, ६।१४।३)। वाली और सुग्रीव ने लड़ते समय नखों, तमाचों, घूसों, लातों और हाथों की मार का खुलकर प्रयोग किया था। वानरों के वज्रतुल्य घूमो और तमाचों की चोट खाकर राक्षस लोग खून उगलने लगते थे, उनके मुह और नेत्र फट जाते थे। शत्रु के वाहनो का भी वानर थप्पड़ों और घूसों से काम तमाम कर देते थे। किंतु इन आयुधों का उपयोग शत्रु को पकड़ पाने पर ही किया जा सकता था, अतः दूरस्थ शत्रु पर वानर वृक्ष और चट्टानों फेंककर धावा किया करते थे। हनुमान ने यह गर्वोक्ति की थी कि हजारों की सख्या में वृक्ष और शिलाएँ फेंककर मैं एक नहीं, सहस्र रावणों का भी मुकाबला कर सकता हूँ।^१ कभी-कभी वानर प्रतिपक्षी का शस्त्र छीनकर उसका उसीके विरुद्ध उपयोग करते थे। अनेक राक्षस-योद्धाओं की वानरों के हाथों अपने ही शस्त्रों से मृत्यु हुई थी।

मल्ल-युद्ध या कुश्तीवाजी उस समय की सर्वाधिक प्रचलित युद्ध-प्रणाली थी। उसे बाहु-युद्ध, द्वन्द्व-युद्ध, मुष्टि-युद्ध (घूसेवाजी), गदा-युद्ध आदि के नाम भी दिये गए हैं। इनमें थोड़ा-बहुत भेद अवश्य था पर सबमें पैतरेवाजी की कुशलता पर ही हार या जीत निर्भर करती थी। वानर और राक्षस ही मल्ल-युद्ध का आश्रय लिया करते थे, शस्त्रास्त्रों के प्रयोग में निपुण आर्य-योद्धा नहीं। मल्ल या कुश्तीवाज भिड़ जाने से पहले कसकर लंगोटी पहन लेते, खूब गरजते और एक-दूसरे को ललकारते थे। लड़ते समय बीच-बीच में वे एक-दूसरे को डाटते भी जाते थे। रामायण में सबसे रोमांचकारी मल्ल-युद्ध रावण और सुग्रीव के बीच हुआ है (६।४०)। उस समय वानरी सेना सुवेल-पर्वत पर डेरा डाले पड़ी थी और रावण-नगर के गोपुर की छत पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही सुग्रीव क्रोध से उबलकर सुवेल के शिखर पर से ही गोपुर की छत पर कूद पड़े और उन्होंने रावण के मुकुट को खींचकर जमीन

१. न रावणसहस्र मे युद्धे प्रतिबल भवेत्। शिलाभिश्च प्रहरत पादपंश्च सहस्रश. ॥

पर गिरा दिया । इस पर रावण ने सुग्रीव को अपनी भुजाओं में उठाकर जमीन पर दे मारा । सुग्रीव ने भी गेद की तरह उछलकर रावण को पटक लगाई । अब वे दोनों आपस में गुथ गए । दोनों के ही शरीर पसीने से तर और खून के लथपथ हो गए । राक्षसराज और वानरराज दोनों में घूसे, थप्पड़, कोहनी और पजो की मार से घोर युद्ध होने लगा । गोपुर के चबूतरे पर एक-दूसरे को उछालते हुए वे आपस में गुथकर इतने झुक गए कि उस चबूतरे से ही जा लगे । लडते-लडते वे किले की खाई में गिर गए , वहा कुछ देर पृथ्वी-तल का स्पर्श किये पडे रहे, फिर सास लेते हुए खडे हो गए और एक-दूसरे को बाहु-पाश में जकडकर आपस में बध गए । दोनों कसरती जवान थे तथा युद्ध की शिक्षा और बल से सपन्न थे । उन्होंने निम्नलिखित दाव-पेंचो का प्रयोग किया था —

मार्जार अवस्थान—अपने शिकार की ओर ध्यान लगाकर निश्चल भाव से खडी दो बिल्लियो की-सी मुद्रा में मल्लो का वार करने के लिए खडा रहना ।

मंडल—मडल चार प्रकार के होते हैं—‘चारि’, ‘करण’, ‘खड’ और ‘महा-मडल’ । एक पैर आगे करके बढना ‘चारि’ कहलाता है । दोनों पैर एक साथ बढाकर आगे आने को ‘करण’ कहते हैं । करण की शैली में कई बार आगे बढने को ‘खड’ कहते हैं, जबकि तीन-चार प्रकार से खडो का प्रयोग करना ‘महामडल’ कहलाता है । उक्त सभी मडल दाये या दाये या दायें-बाये प्रयुक्त होने पर क्रमश ‘सव्य’, ‘अपसव्य’ और ‘सव्यापसव्य’ कहलाते थे ।

स्थान—कदमो का विभिन्न प्रकार से आगे-पीछे, टेढे-मेढे सचालन करना ‘स्थान’ कहलाता है । स्थान अर्थात् पाद-विन्यास छ प्रकार के होते हैं—‘वैष्णव’, ‘समपाद’, ‘वैशाख’, ‘मडल’, ‘प्रत्यालीढ’ और ‘अथालीढ’ । इनमें बाघ, सिंह, कुत्ते, बिल्ली आदि की झपटने की मुद्रा का अनुकरण किया जाता है ।

गोमूत्रक—बहते हुए गोमूत्र के समान टेढी-मेढी गति, जैसाकि नाम से ही स्पष्ट है ।

गत-प्रत्यागत—आगे बढना और पीछे हटना ।

तिरश्चीनगत—उल्लू, बाज आदि शिकारी पक्षियो की तरह तिरछी चाल से झपटना ।

बक्रगत—दायें-बाये होकर झपटना ।

प्रहाराणां वर्जनम्—शीघ्रता से हटकर शत्रु के वार को व्यर्थ कर देना ।

वर्जन—शत्रु के वार को अपने वार से रोकना ।

परिधावन—हमला करने की नीयत से प्रतिपक्षी के चारों ओर दौड़ना ।

अभिद्रवण—प्रतिपक्षी का तेजी के साथ सामना करना ।

आप्लाव—मेढक की तरह रुक-रुककर प्रतिपक्षी की ओर बढ़ना ।

अवस्थान सविग्रहम्—आक्रमणात्मक मुद्रा में निर्भय खड़े रहना ।

परावृत्तम्—प्रतिपक्षी के वार से बचने के लिए सामने न आना ।

अपावृत्तम्—बगल से होकर निकल जाना अथवा खड़े-खड़े बिना मुड़े पीछे की ओर हटना ।

अपद्रुत—प्रतिपक्षी की जाघ आदि पकड़ने के इरादे से शरीर को सिकोड़ कर झुकते हुए आगे बढ़ना ।

अवप्लुत—प्रतिपक्षी को लात मारने के लिए नीचा मुह करके कूदना ।

उपन्यस्त—विरोधी की भुजाएँ पकड़ने के लिए छाती तानकर बाहें फैलाना ।

अपन्यस्त—विरोधी की पकड़ से बचने के लिए बाहों को इधर-उधर फेंकना ।

इनमें बहुत-से दाव-पेंच आज भी किसी-न-किसी रूप में भारतीय पहलवानों द्वारा अपनाये जा रहे हैं ।

युद्ध में मर जानेवाले राम-पक्षीय योद्धा रण-भूमि में ही पड़े रहते थे, पर राक्षस-मृतकों के शव तुरत ही समुद्र में फेंक दिये जाते थे, ^१ क्योंकि रावण को भय था कि उनकी अधिक सख्या देखकर बचे-खुचे राक्षस कहीं आतंकित न हो जाय ।

रात के समय युद्ध प्रायः बंद कर दिया जाता था । खर सूर्यास्त से पहले ही राम के साथ युद्ध समाप्त कर देना चाहता था, क्योंकि अंधेरे में सैन्य-संचालन करना और निशाने पर वाण मारना कठिन हो जाता था । किंतु लका-युद्ध में इद्रजित और रावण ने रात में भी राम और उनके वानर सैनिकों से मुठभेड़ की थी ।

आर्य और राक्षस सैनिक सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया करते थे । तलवारें तीन तरह की होती थी—‘असि’, ‘खड्ग’ और ‘ऋष्टि’ । असि लंबी, खड्ग छोटी और ऋष्टि दुवारी तलवार थी । राम की असि में सोने की मूठ लगी

१. ये हन्यन्ते रणे तत्र राक्षसाः । कपिकुजरैः । हता हतास्तु क्षिप्यन्ते सर्व एव तु सागरे ॥६।७४।७२

थी। 'कोदड' धनुष को कहते थे। बाण 'तूणी' या 'कलाप' में रखे जाते थे। छिपी कटारी 'कूट' कहलाती थी। 'वज्र' लोहे का दड, 'मुद्गर' लोहे का हथौडा, 'परश्वध' युद्ध का कुठार (परशु) तथा 'चक्र' चक्राकार आयुध था, जिसके बीच में काटनेवाली आराए और परिधि पर चारो ओर नोकें निकली हुई थी। 'शूल' बर्छा और 'त्रिशूल' तीन फलवाला बर्छा था। ये दोनों भाले के समान थे। शक्ति भी एक प्रकार का भाला थी। वाल्मीकि के अनुसार 'उसमें आठ घटिया लगी थी, उसमें से एक डरावनी आवाज निकलती थी, मय ने उसे छल और कलापूर्वक निर्मित किया था, वह अमोघ, शत्रु के जीवन-शोणित का पान करनेवाली और वायु में विद्युत-गति से चलनेवाली थी, तथा उसके पीछे एक रेखा अकित होती जाती थी' (६।१००।२६-३५)। 'अशनि' गदा को कहते थे। गदा में कभी-कभी सुवर्ण-पट्ट लगा रहता तथा लोहे की कीलें जड़ी रहती थी। 'परिघ' लोहे के काटो से जडा दड था। 'शतघ्नी', जैसाकि इसके नाम से प्रकट है, एक बार में सौ व्यक्तियों का सहार करती थी, पर उसके आकार-प्रकार के विषय में मत-भद है। उसके ये अनेक अर्थ लगाये जाते हैं—(१) चारो ओर से असख्य तेज लोहे के छुरो से विधा हुआ दड, (२) दुर्ग की दीवार पर रखा हुआ एक विशाल स्तभ, जिसके धरातल पर असख्य तीक्ष्ण नोके हो, (३) सैकड़ो पत्थर एक बार में फेंकने का यत्र, जिसे आधुनिक तोप का पूर्व-रूप कहा जा सकता है, (४) तोपनुमा यत्र से फेका जानेवाला एक बडा पत्थर, जिसमें लोहे की आराए लगी हो। अन्य शस्त्रो मे उल्लेखनीय ये थे—प्राश, पट्टिश, पाश, तोमर, मुसल और क्षेपणी (ढेलवास या गुलेल)।

अस्त्रो में बाण (शर या नाराच) ही सबसे अधिक प्रयोग मे लाये जाते थे। अमोघ बनाने के लिए उन्हें कभी-कभी मत्रो से अभिषिक्त करके छोडा जाता था। ये मत्र उनके 'प्रयोग' (छोडने) और 'सहार' (लौटाने) के गुप्त विधि-विधान रहे होंगे। बाण का 'प्रयोग' करते समय किसी मत्र-विशेष का जप किया जाता, जिससे वह किसी विशिष्ट आकृति को ग्रहण कर ले या विशिष्ट कार्य का साधक बन जाय, तथा 'सहार' के समय निवारक-मत्र का जप किया जाता, जिससे अभिमत्रित बाण में आई हुई शक्ति चली जाती और वह अपने पूर्व-रूप मे आ जाता था। राम को विश्वामित्र से अनेक अस्त्रो के प्रयोग और सहार की शिक्षा मिली थी।

बाणो मे पखो की पूछ (पत्रयुक्त) लगी होती थी। कभी-कभी वे सुवर्ण-मण्डित भी होते थे (रुक्मपुत्र)। विष से पुते बाणो का भी प्रयोग प्रचलित था

(आशीविधोपमम्)। वाणों के नानाविध आकार-प्रकार होते थे। पी० सी० घर्मा^१ ने रामायण से इन-इन वाणों के नामों का सकलन किया है—अधोगति, अग्निदीप्त-मुग्ध, जजलिक, अर्धचन्द्र, अर्धनाराच, आशीविपानन, आशुग, ईहामृगमुख, उल्कामुख, काकमुरा, ककमुग्ध, ककपत्रिन्, कर्णिन्, खरमुख, क्षुर, क्षुरप्र, कुक्कुटवक्त्र, ग्रहवक्त्र, गृध्रमुग्ध, चद्रवक्त्र, घ्न्रकेतुमुख, नक्षत्रवक्त्र, नतपर्व, नाराच, नागमय, पचास्य, प्रगन्नाग्र, भल्ल, मकरानन, मार्गण, रुमपुख, लेलिहान, वराहमुख, वत्सदत, विद्युग्जिह्वोपम, विपाट, व्यादितास्य, व्याघ्रमुख, शल्य, शिलीमुख, सिंहमुख, शृगालनदन, सूयमुख, श्वानवक्त्र तथा श्येनमुख।

वचाव के आयुध या जिरहवस्तु भी कई प्रकार थे, यथा वर्म या कवच, अभेद्य कवच, आर्षभ-चर्म, गोधा (घनुप के चिल्ले की चोट से वचने के लिए बाईं कलाई पर बाधने का जमडा), तनुत्राण, मर्मत्राण, अगुलित्राण और शिरस्त्राण। घोड़ा की सुरक्षा के लिए 'उरश्छद' काम में लाया जाता था।



संदर्भ-ग्रंथ

- अनंत सदाशिव अलतेकर 'पोजीशन आफ वीमेन इन हिंदू सिविलिजेशन', वाराणसी, १९३८,
'प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति', प्रयाग, १९४८
- अवनींद्रनाथ ठाकुर 'सम नोट्स आन इंडियन आर्टिस्टिक एनेटामी', कलकत्ता, १९१४
- आनंद कुमारस्वामी 'दि डान्स आफ शिव', न्यूयार्क, १९२४
- आशुतोष मुखर्जी रजत-जयती ग्रंथ, ओरिएण्टलिया, भाग १, २, कलकत्ता, १९२२
- ई० डब्ल्यू० हार्पिकस 'दि ग्रेट एपिक आफ इंडिया', न्यूयार्क, १९०१
- ए० ए० मैकडानेल 'ए हिस्ट्री आफ सस्कृत लिटरेचर', लंदन, १९००
- एन० ए० गोरे 'ए विब्लिऑग्राफी आफ दि रामायण', पूना, १९४३
- एम० विंटरनिट्स 'ए हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर', जिल्द १, कलकत्ता, १९२७
- एस० वी० विश्वनाथ 'इटरनेशनल लॉ इन एन्ड्यट इंडिया', लंदन, १९४०;
'रेशियल सिंथेसिस आफ हिंदू कल्चर', लंदन, १९२८
- एस० सी० सरकार 'एज्युकेशनल आइडियाज एंड इन्स्टीट्यूशंस इन एन्ड्यट इंडिया',
'सम एस्पैक्ट्स आफ दि अर्लिएस्ट सोशल हिस्ट्री आफ इंडिया'
'रामायणाक' तथा 'सक्षिप्त वाल्मीकि-रामायणाक', वर्ष ५ और १८
- कल्याण 'राम-कथा', प्रयाग, १९५०
- कामिल बुल्के 'राम-कथा', प्रयाग, १९५०
- के० वी० रगास्वामी आयगर अभिनदन-ग्रंथ, मद्रास, १९४०
- चंद्रशेखर पाडेय तथा 'सस्कृत साहित्य की रूपरेखा', कानपुर, १९५४
- शातिकुमार नानूराम व्यास 'दि रिडिल आफ दि रामायण', बंबई, १९०६
- चिंतामण विनायक वैद्य 'लेक्चर्स आन दि एकानामिक कडिशनस इन एन्ड्यट इंडिया', कलकत्ता, १९२२
- जे० एन० समहूर 'सेक्सचुअल लाइफ इन एन्ड्यट इंडिया', लंदन, १९३०
- जे० जे० मेयर

- जे० म्युजर 'ओरिजिनल सस्कृत टेक्स्ट्स', भाग २, लदन, १८७१
- टी० परमशिव ऐयर 'रामायण एंड लका', बंगलौर, १९४०
- नशलाल दे 'दि ज्योग्राफिकल डिक्शनरी आफ एन्डयट एंड मिडीवल इंडिया', लदन, १९२७
- नरेंद्रनाथ लॉ 'स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर'
- नवीनचंद्र दान 'ए नोट आन दि एन्डयट ज्योग्राफी आफ एशिया कपाइलड फ्रॉम वाल्मीकि रामायण', कलकत्ता, १८९६,
- 'ए नोट आन दि एटोक्विटी आफ दि रामायण', कलकत्ता, १८९९
- पडरीनाथ एच० बालावलकर 'हिंदू सोशल इन्स्टीट्यूशन्स', बंबई, १९३९
- पांडुरंग वामन काणे 'हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र', जिल्द २, भाग १, पूना, १९४१
- पी० सी० धर्मा 'रामायण पॉलिटी', मद्रास, १९४१
- वेनीप्रसाद 'दि स्टेट इन एन्डयट इंडिया', इलाहाबाद, १९२८
- भगवतशरण उपाध्याय 'कालिदास का भारत', बनारस, १९५४
- भजारकर ओरिएटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट 'ट्वेंटीफादर ईयर्स आफ एपिक एंड पुराणिक रिसर्च', पूना, १९४२
- मन्मथनाथ दत्त वाल्मीकि-रामायण का अंग्रेजी भाषांतर, ३ भाग, कलकत्ता, १८८९-९१
- महाराष्ट्रीय 'रामायण समालोचना', पूना, १९२७
- रमेशचंद्र दत्त 'हिस्ट्री आफ मिनिनिजेशन इन एन्डयट इंडिया', लदन, १८९३
- रमेशचंद्र मजूमदार 'जाउटलाइन आफ एन्डयट इंडियन हिस्ट्री एंड मिनिनिजेशन', कलकत्ता, १९२७
- रामानुजमुद मुनार्जी 'ए हिस्ट्री आफ इंडियन शिपिंग एंड मरीटाइम एक्टिविटी', लदन, १९१२
- बानुदेवगदा अग्रवाल 'भारत की मौनिक एकरा', इलाहाबाद, १९५४
- बाल्मीकि 'रामायण', बंबई, १९१२-२०
- शानिमुनार नानूगम ब्यान 'नक्षिप्त वाल्मीकि-रामायण', दिल्ली, १९५५

परिशिष्ट

वाल्मीकि-कालीन स्थान-परिचय

अगस्त्य-आश्रम—नासिक से चौबीस मील दक्षिण-पूर्व ।

अर्धगंगा—कावेरी ।

अपर ताल—रामपुर के उत्तर में रामगंगा-तटवर्ती प्रदेश ।

अपर विदेह—रगपुर और दीनाजपुर ।

अर्बुद—आबू पर्वत ।

अयोध्या—सरयू के दक्षिण तट पर स्थित ।

अंग—गंगा के उत्तर-दक्षिण भागलपुर का इलाका, जिसमें मुगेर भी शामिल है ।

अवंती—मालवा की प्राचीन राजधानी ।

अंशुमती—यमुना नदी का एक प्राचीन नाम ।

आनर्त—उत्तरी गुजरात ।

इक्षुमती—फर्रुखाबाद जिले की इक्षुला या ईखन नदी ।

इंद्रप्रस्थ—दिल्ली ।

इरावती—रावी ।

इल्वल—एलोरा ।

उज्जिहान—उझानी, बदायूँ ।

उत्कल—उड़ीसा ।

उत्तर कुरु—तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान ।

उत्तरगा या उत्तानिका—रामगंगा नदी ।

उशीनर—दक्षिणी अफगानिस्तान ।

ऋष्यमूक—बिलारी जिले में हपी के उत्तरे में स्थित पर्वत ।

ऋष्यशृंग-आश्रम—भागलपुर जिले में माधीपुर तहसील में सिंहेश्वर ।

कंबोज—पामीर, बदख्शा ।

करूष—बघेलखंड

कर्णाट—दक्षिण भारत का एक प्रदेश, जिसमें आजकल बेलगाव, धारवाड, बीजापुर, बिलारी आदि स्थित हैं ।

कर्मनाशा—बिहार के शाहाबाद जिले की पश्चिमी सीमा पर एक नदी ।

कालिंग—उड़ीसा से दक्षिण तथा द्रविड देश से उत्तर, पूर्वी घाट का एक प्रदेश ।

कांची—काजीवरम ।

कान्यकुब्ज—कन्नौज ।

कांपिल्य—कपिल, फर्रुखाबाद ।

कामाश्रम—बलिया जिले में सरयू-गंगा के सगम पर । अब सरयू पूरब में हट गई है ।

कामरूप—असम ।

कारुपथ—सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर वन्नू जिले में स्थित कालावाग या कारावाग । राम ने लक्ष्मण-पुत्र चंद्रकेतु को यहां का राजा बनाया था ।

कार्लिदी—यमुना नदी का एक प्राचीन नाम ।

काशी—वह जनपद जिसकी राजधानी वाराणसी थी ।

किर्णिका—बिलारी जिले में, हपी से चार मील दूर, तुगभद्रा नदी पर स्थित वर्तमान अनागोदी ।

किरात—भारत का पूर्वी सीमा-प्रदेश ।

कुरुजागल—हस्तिनापुर के उत्तर-पश्चिम की ओर सरहिंद में ।

कुर्लिद—सहारनपुर जिला ।

कुशावती—भडौच से अठतीस मील उत्तर पूर्व । राम-पुत्र कुश द्वारा स्थापित ।

कूटिकोष्टिका—कौसिला नदी, रामगंगा की पूर्वी शाखा ।

कृष्णवेणी—कृष्णा और वेणा नदियों की संयुक्त धारा ।

कृतमाला—वैगा नदी, जिस पर मदुरा स्थित है ।

केकय—झेलम और चिनाव के मध्य का प्रदेश । आधुनिक शाहपुर-गुजरात ।

केरल—कनाडा, मलावार, त्रावणकोर ।

कैलास—मानसरोवर से पच्चीस मील उत्तर ।

कोसल (उत्तर)—अवध ।

कौशावी—प्रयाग से तीस मील पश्चिम यमुना के बायें किनारे पर स्थित कोसम नामक एक प्राचीन गाव ।

कौशिकी—कोसी नदी, गंगा की एक शाखा ।

गधर्व—कुनार तथा सिंधु नदियों के बीच कावुल नदी के किनारे का प्रदेश ।

गाधार—तक्षशिला से कावुल तक का प्रदेश ।

गिरिद्वज—केकय राज्य की राजधानी । झेलम पर स्थित गिरिद्वज या जलालपुर । इसका नाम राजगृह भी था ।

गोकर्ण—गगोत्री से दो मील आगे, गोमुखी, जहा भगीरथ ने गंगा को भूतल पर लाने के लिए तप किया था ।

गोप्रतार—फैजाबाद में सरयू नदी पर स्थित गुप्तार । यही राम ने इहलीला समाप्त की थी ।

गोमती—जिस पर लखनऊ स्थित है ।

गौतमाश्रम—तिरहुत में, जनकपुर से चौबीस मील दक्षिण-पश्चिम की ओर, जरैल परगने के अहियारी

गाव का अहल्या-स्थान ।

चंद्रभागा—चिनाव ।

चंपा—भागलपुर ।

चर्मण्वती—चवल ।

चित्रकूट—चित्रकूट स्टेशन के समीप कामतानाथ गिरि ।

चित्रोत्पला—महानदी ।

चेर—मलावार का कुछ हिस्सा तथा कोयबटूर ।

चोल (द्रविड)—कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच का प्रदेश ।

जनस्थान—औरगावाद तथा कृष्णा और गोदावरी के बीच का प्रदेश ।

जाबालिपत्तन—जबलपुर ।

तक्षशिला—पूर्वी गांधार की राजधानी । रावलपिंडी जिले में तक्षिला गाव ।

तमसा—इस नाम की दो नदिया रामायण से सूचित होती हैं । एक अयोध्या से दक्षिण सरयू और गोमती के बीच में बहती है, जिसका नाम वेदश्रुति भी है, तथा दूसरी गंगा के दक्षिण में टोस, जिसके तट पर वाल्मीकि का आश्रम स्थित था ।

ताम्रपर्णी—तिन्नेवेली जिले में ताबर-वारी नदी ।

दक्षिण कोसल—छत्तीसगढ़ ।

दक्षिणापथ—नर्मदा का दक्षिणवर्ती भारतीय प्रायद्वीप । मूल रूप से यह ऊपरी गोदावरी की आर्य-वस्तियों

का सूचक था ।

दंडकारण्य—चित्रकूट से लेकर गोदावरी तक का वन-प्रदेश; डा० भंडारकर के अनुसार महाराष्ट्र ।

ददुर पर्वत—नीलगिरि ।

दशार्ण—भेलसा, वेत्रवती तथा बुदेल-खड की अन्य छोटी नदियों का प्रदेश ।

दृशद्वती—सरस्वती और यमुना के बीच में कुरुक्षेत्र की चिताग नदी ।

धर्मारण्य—कृतयुग में उत्कल में आर्यों का अधिनिवेश (राम से पूर्व) ।

नलिनी—बगाल की पद्मा नदी । इसे ब्रह्मपुत्र नदी भी माना जाता है ।

नदिग्राम—अयोध्या से एक कोस । आधुनिक नदगाव । फैजाबाद से आठ-नौ मील दक्षिण ।

नैमिषारण्य—गोमती नदी पर स्थित । आधुनिक निमसर, लखनऊ से पैतालीस मील उत्तर-पश्चिम ।

पंचवटी—नासिक ।

पयोष्णी—ताप्ती ।

पर्णाशा—बनास ।

पंपासर—तुगभद्रा की एक सहायक नदी, जो ऋष्यमूक पर्वत से निकलती है ।

पंचाल—रुहेलखंड ।

पाड्य—तिन्नेवेल्ली और मदुरा जिले ।

पुष्कलावती—स्वात और काबुल

नदियों के सगम पर स्थित, वर्तमान चारसहा ।
 प्रलव—पश्चिमी रुहेलसड में, विजनौर से आठ मील उत्तर मुदावर या मुदोरा ।
 प्रलवण पर्वत—तुगभद्रा नदी-वर्ती एक पर्वत-माला ।
 प्राग्ज्योतिष—कामरूप की राजधानी, आधुनिक गोहाटी ।
 बाल्हीक—बल्ल ।
 ब्रह्मावर्त—सरस्वती और दृशद्वती के बीच की भूमि ।
 मगध—दक्षिणी विहार ।
 मतग-आश्रम—विलारी जिले में पपा के पास ।
 मतंग-वन—पपा के पश्चिमी तीर पर ।
 मत्स्य—अलवर, भरतपुर ।
 मद्र—चिनाव के पूर्व में उत्तरी पजाब का एक जनपद ।
 मधुपुरी—मथुरा ।
 मध्यदेश—सरस्वती, हिमालय, प्रयाग और विंध्य के मध्य का देश ।
 मधुमत—दडकारण्य में स्थित ।
 मदाकिनी—चित्रकूटा या पयस्विनी नदी, जो ऋष्यवान पर्वत से निकल कर चित्रकूट में बहती हुई यमुना में जा मिलती है ।
 मलद—गंगा के पूर्वी किनारे का जनपद, जो अब मालदा कहलाता

है ।
 मलय गिरि—पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग ।
 मल्ल देश—मुलतान जिला ।
 महेंद्र पर्वत—पूर्वी घाट में गजाम जिले में ।
 महोदधि—बगाल की खाड़ी ।
 मागधी—सोन नदी ।
 माल्यवान पर्वत—किर्किधा के पास ।
 प्रलवण-पर्वतमाला का एक शिखर ।
 मालिनी—प्रलव और अपरताल नामक प्राचीन जिलों के बीच बहने-वाली चुक (शुक) नदी, जो अयोध्या से पचास मील उत्तर सरयू में गिरती है ।
 माहिष्मती—नर्मदा-स्थित महेश्वर ।
 इंदौर से चालीस मील दक्षिण ।
 मिथिला—विदेह में जनकपुर से दक्षिण एक नगर ।
 मैनाक—लका और भारत के मध्य-वर्ती समुद्र में स्थित एक पर्वत ।
 यवद्वीप—जावा ।
 रत्नाकर—अरब सागर ।
 रसातल—पश्चिमी तारतार ।
 राजगृह—केकय देश की राजधानी गिरिद्रज का दूसरा नाम । बौद्ध काल में यह नाम मगध की प्राचीन राजधानी का था ।
 रामगिरि—नागपुर से चौबीस मील

- उत्तर में रामटेक, जहा राम ने शबूक-वध किया था ।
- लंका—परंपरा-नुसार वर्तमान श्रीलका (सिलोन) । कुछ विद्वानो के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश, मैडेगास्कर, अरबसागर के मलय द्वीप या आस्ट्रेलिया ।
- लवपुर—लाहौर । राम-पुत्र लव द्वारा स्थापित ।
- लोहित्या—ब्रह्मपुत्र ।
- वत्स—प्रयाग से पश्चिम का प्रदेश, जिसकी राजधानी कौशाबी थी ।
- वाराणसी—बनारस ।
- बाल्मीकि-आश्रम—गंगा के दक्षिण में, तमसा नदी पर स्थित, प्रयाग से दस कोस । प्रयाग से चित्रकूट जाते समय राम यहा आये थे । किंतु उत्तरकांड के अनुसार यह गंगा पर कानपुर से चौदह मील आधुनिक बिठूर है ।
- वितस्ता—झेलम ।
- विदर्भ—बरार ।
- विदिशा—भेलसा ।
- विदेह—तिरहुत ।
- विपाशा—व्यास नदी ।
- विशाला—मुजफ्फरपुर (बिहार) जिले में बेसाड । रामायण के समय में यह गंगा के उत्तरी किनारे पर स्थित थी । यही बौद्ध काल की वैशाली थी ।
- विश्वामित्र-आश्रम—बक्सर का चरित्र-वन ।
- वेत्रवती—बेतवा ।
- वेदश्रुति—कोसल जनपद में सरयू के दक्षिण में सबसे पहले मिलनेवाली एक छोटी नदी, जिसे राम ने अपनी वनवास-यात्रा में पार किया था । इसका वर्तमान नाम तानसा या तमसा है ।
- वंग—बंगाल ।
- शतद्रु या शतुद्रि—सतलज ।
- शात्मली—चद्रभागा की सहायक नदी ।
- शूर—मथुरा के आसपास का प्रदेश ।
- शृगवेरपुर—सिंगरौर, प्रयाग से अठारह मील वायव्य दिशा में गंगा-तट पर स्थित ।
- श्रावस्ती—राप्ती पर स्थित सहेत-महेत ।
- सदानीरा—राप्ती ।
- सरयू—घाघरा ।
- सरस्वती—घघर ।
- सह्य—सह्याद्रि, पश्चिमी घाट ।
- साकाश्या—फर्रुखाबाद जिले में फतेह-गढ के पश्चिम की ओर तेईस मील इक्षुमती नदी पर कपित्थ नाम से प्रसिद्ध ।
- सिद्धाश्रम—शाहाबाद जिले में बक्सर का पश्चिमी भाग ।

सिंधु—उत्तरी सिंधु नदी का देश ।

सुतीक्ष्ण-आश्रम—मदाकिनी के उद्गम के पास, बुदेलखंड की भूतपूर्व पन्ना रियासत में ।

सुवर्ण द्वीप—सुमात्रा ।

सौराष्ट्र—काठियावाड ।

स्यदिका—गोमती और गंगा के बीच कोमल की दक्षिणी सीमा पर बहनेवाली सई नदी ।

सौवोर—उत्तरी सिंध ।

हस्तिनापुर—दिल्ली और मेरठ से उत्तर-पूर्व में गंगा पर स्थित ।

हिरण्यवाह—सोन नदी ।

ह्लादिनी—केकय और शतद्रु के बीच की कोई नदी, जिसे भरत ने अयोध्या लौटते समय पार किया था ।

त्रिकूट—दक्षिणी-पूर्वी लका का एक पर्वत ।

अनुक्रमणिका

अगस्त्य का दक्षिण-अभियान २६
 अजाविक २३०
 अतिकाय की शिक्षा ४१
 अतिप्रणय और अप्रणय १४६
 अध्यात्म-रामायण ५
 अनुराग, दर्शन-जन्य १४४, पारस्परिक
 १४४-५
 अनुलोम-विवाह ११२
 अनृत २१५-६
 अत पुर १२८-३१, १६१-२, २०८
 अतर्वर्ती काल २५६
 अपराधो के प्रकार २८४
 अपहरण, स्त्रियों का १६८
 अप्सराए २१-३
 अभियान, सामरिक २६७-३००
 अमरावती २४६
 अमात्य (सचिव) २७५-८१
 अरजा ११२-३, १४७, २००-१
 अरति २३६
 अराजक राज्य २१३
 अर्थ का तात्पर्य २१४, —का महत्व
 २१४
 अलबर्ट, चार्ल्स ८
 अलकृत नारी, प्रणय का अव्यर्थ उद्दीपन
 १४१-२
 अश्वतरी (खच्चर) २२८
 असती स्त्रिया २०६-१०
 असुर २०-१
 अस्पृश्य ८८-६

अहल्या का परित्याग १५८-६
 आकाश-युद्ध ४६, २५०
 आद्य २४
 आर्थिक जीवन २१३-५२, —का
 आधार २१३, —समृद्धि २५०-१
 आर्य-अनार्य १५-२३, विवाह-संबंध
 ३८
 आर्ष विवाह १२०-१
 आर्षभ चर्म २३०-१
 आसुर विवाह १२०
 आश्रम ६३-८, —और वर्ण ६६-७
 ईर्ष्या, स्त्रियों में २०८-६
 उत्सुकता, नारी में २०४
 उद्यान, प्रणय की रगस्थलिया १४१
 उद्योग-धंधे २२६-३५
 उपनयन-संस्कार ६४
 उपाध्याय, ब्रह्मदेव ६५
 ऊट २२८, २४७
 वृक्ष ५८
 ऋग्वेद ७५, २२४
 ऋतु-काल १४६, १६६
 ऋषि-पत्निया १४४
 ऋष्यश्रृंग १४०-१
 एकपत्नी-व्रत १३२-३
 ऐयर, टी० परमशिव ६, २३६
 औजार, खेती के २२३-४
 और्ध्वदैहिक क्रिया में पत्नी का योग
 १७०
 कन्या १४६-५४, पति-वरण में स्वतंत्र

रामायणफाल्गुन समाज

- नहीं ११२, विवाह के समय आयु ११४-६, विवाह-योग्य कन्या के लिए चिता १४६-५०, —का परित्याग १५०-१, —के प्रति उदार व्यवहार १५१, —का विवाहित जीवन गुपी बनाने की चिन्ता १५१-२, —की मांगलिकता १५२, —की शिक्षा १५२-४, कीर्ति १५३
- कन्या-धन १२२, १६८
 करदीकर, विष्णु २२१-२
 कर्मांतिक २३६
 कस्तूरी २३०
 काण, पा० वा० ६७
 काम का प्रभाव १३६-७, —का अव्यय उद्दीपन, नारी १४१
 काम-नवध, धर्म-संगत १४६
 काम-भेदन का समय १४६
 कारागृह २८५
 कानागुरु २३२
 कालिदास ६
 कित्तर २१-२
 किष्किंधा ५७, गुफा में स्थिति ५७-८, —का वैभव ६२
 कीथ ६
 कुटीर-उद्योग २२६-३२
 कुत्ते २२८
 कुया (ऊनी कानीन) २१३
 कुभकर्ण का राजनीतिक ज्ञान ४५
 कुल-पुत्र २८६-६०
 कृत्तिवासीय रामायण ५
 कृषि २१३-२४, आजीविका का सामान्य साधन २१५-६, राजकीय सुरक्षण २१६, —की समृद्धि २१६-७, —की उन्नत स्थिति २२४
- केरन २४
 केरी, मिलियम ७
 कैथी का परित्याग १५६-६०
 कैथी की माता का परित्याग १५६
 कोटिन्य ६
 लोमान, रो १३५, जाँवरु समृद्धि २५१, क्षोभक २५३
 लोमन्या, शम्भु की बहन ? १३५, जादू नारी १६६
 राजर २३१
 राजिज २३२-४
 गण २४३
 गणतन्त्र का अभाव २५४
 गण २२८, २४७
 गभय २१
 गभ-पात १७६
 गभ-वनी १७५-६
 गाँव विवाह १२०
 ग्रामणी २८७
 गुप्तचर २८५-६, २६४-५, राक्षसों में—४६, चानरा में —५६
 गुफा १६-८
 गृहस्थाश्रम ६३-५, १४५
 गैरिक २३२
 गोजिन २३१
 गो-पालन २१३-४, २२५-६
 गोरेशियो ८, ७३
 गोलागता ५८
 गो-वत्स-प्रेम (मातृ-प्रेम का प्रतीक) १७७
 गो-सवर्धन २२६
 गो, विनिमय का माध्यम २३७
 घोडे २२६-७
 घोष, नगेंद्रनाथ १३

घोष, पशु-प्रधान गाव २२५
 चपलता, स्त्रियो मे २०७-८
 चर्म-उद्योग २३०-१
 चाडाल ८८-९
 चामर-व्यजन (व्याल-व्यजन) २३०
 चारण २१-२
 चेर २०
 चोल २४
 जल-मार्ग २४८-५०
 जातक ८
 जाति-परिवर्तन ८९-९१
 जाबूनद २३२, (सिक्के) २३८
 जिरहबस्तर ३०४
 तक्कोल २३१
 तपस्या, राक्षसो मे ३८-९
 तमाल २३१
 तलवार ३०२-३
 तारा की प्रतिभा ६८-७०
 तिपिटक ८
 तीर्थ (शासनाधिकारी) २८१
 दक्षिणा-रूप मे स्त्री १९३
 दड (डडा) २३८
 दड (न्याय) ८५
 दडनीति २१३
 दशरथ की कैकेयी के प्रति प्रगाढ प्रीति
 १३८-९, —की कामपरायणता
 १४७, —की सभा २६८-७२
 दहेज-प्रथा १२१-२
 दाव-पेंच (कुश्ती के) ३०१-२
 दापत्य प्रणय मे पुरुष की अगवानी
 १३८-९, —मे शारीरिक आकर्षण
 १३९-४०, राम - सीता का—
 १४३-४, —की चरम परिणति
 १४५

दास, अविनाशचद्र १७
 दास, नवीनचद्र ३५, ५२
 दीक्षितार, वी० आर० रामचद्र २०,
 २४, ५१
 दुर्ग २८८-९
 दुर्भिक्ष २१९-२१
 दूत २९४-५
 देव २१
 द्रोण २३८, द्रोणाचार्य ७८
 द्विज ७६, ९३, —के सामान्य कर्तव्य-
 कर्म ७६
 द्विवेदी, हजारीप्रसाद १२
 धर्म, अर्थ, काम मे श्रेष्ठ कौन १४८
 धर्म-रति १४५
 धर्मा, पी० सी० २, २७८, ३०४
 धातुए २३२-३
 धान्यकोश २३२-३
 नकाब ४५-६
 नख और दात (आयुध) ३००
 नर-मास-भक्षण १६, ३५-६, ४९
 नर-रक्त-पान ३६
 नल-सेतु का निर्माण २४५
 नवजात शिशु की रक्षा १७६
 नाग १६, १९-२०
 नारिकेल २३१
 नारी, काम का उद्दीपन १४१, —घर
 मे १४९-१८६, —कन्या-रूप मे
 १४९-५४, पत्नी-रूप मे १५४-७३,
 माता-रूप मे १७३-९, विधवा-रूप
 रूप मे १७९-८२, वेश्या-रूप मे
 १८५-६, —समाज मे १८७-
 २१२, —स्वातन्त्र्य १८७-९१,
 इन्द्रियार्थ १९४, सपत्ति-रूप मे
 १९२-५, —के प्रति शिष्टाचार

रामायणकालीन समाज

- १२५-६, ~~अपहृत~~ नारिया १६६-
 २०३, —के प्रति कटूक्तिया २०४-
 ११
- नारी और नागिन २१०
 नारी-सौंदर्य का आदर्श १६०-४
 नार्वे २४८-५०
 निकुभिला ३६
 निर्यास २३१
 निपाद १६-७
 निष्क २३८
 नैगम २४२-३
 नौ-सेना २४६-५०
 न्याय-व्यवस्था, २८१-४, —के सिद्धांत
 २८१-२
 न्यायाधीश २८२-३
 पतजलि ६
 पति का देवत्व १५५
 पति-पत्नी की आयु में अंतर ११६,
 —के पारस्परिक संबंधों का
 आदर्श १२६-७, —की अनुरूपता
 १४४, —का धार्मिक क्रियाओं में
 सहयोग १६६
 पतिव्रता की प्रशंसा १५६-७
 पत्नी १५४-७४, नव-विवाहिता १५४
 पुरुष-सौंदर्य के लक्षण ११८-६
 पुरुषों की उद्दाम वासना १३८
 पुलिस २८४-५
 पुत्रवधू १५४
 पितृक स्नेह १०७
 पैशाच विवाह १२१
 प्रतिलोम-विवाह ११२
 प्रतीकवाद (टोटैमिज्म) १८
 प्रविभाग २३८
 प्रशासन २५३-८७
- प्राजापत्य विवाह १२०
 प्रेम १३६-४८, —में काम-चेतना
 १३६, —क्रीडाओं में स्त्रियों की
 रुचि १३६-७, —से उद्भूत काव्य-
 कल्पनाएँ १४२-३, —का आदर्श
 १४३-८
- प्रोपितभर्तृका १६५
 फलोद्योग २२४
 फ्रेजर, जान ५२
 वलिषड्भाग ८५, २१५, २५२
 बहुपति-प्रथा १३३
 बहु-पत्नी-प्रथा १२८-३२, १६२-४
 वाण ३०३-४
 बुल्के, कामिल ६
 वेंत-उद्योग २३२
 ब्रह्मचर्याश्रम ६३-४
 ब्रह्मराक्षस ३६, ५२
 ब्राह्मण ७६-८७, ८६-६१, कर्तव्य-
 कर्म ७६, जीविका के साधन ७७-६,
 पौरोहित्य-विषयक एकाधिकार ७७,
 पाच प्रकार के ब्राह्मण ७६, आदर-
 समान ८०, विशेषाधिकार ८२-३,
 लोकप्रियता का रहस्य ८३-५,
 क्षत्रियों से संबंध ८६-७
 ब्राह्म विवाह ११६-२०, —रथ ८२-३
 भगवद्दत्त ८
 भागवत १४६
 भास ६
 भूमि के चार भाग २२२
 मजूमदार, रमेशचंद्र १७
 मदिरा का सेवन, राक्षसों में ३६,
 वानरो में ६०, प्रणय-क्रीडाओं में
 १४१-२
 मधु २३१

मन शिला २३२
 मनुष्य का पूर्णत्व १६६
 मन्त्रिगण (गुरुजन) २७५-७
 मन्त्रि-परिषद २७५-८१
 मरीच २३१
 मलद-करुष २१७
 मल्ल-युद्ध ३००-२
 महानारिया १४६
 महाभारत ५, ६-१४, १६, २४, ७६,
 ८२, १४६
 माता १७३-६, —का गौरव १७३,
 पथभ्रष्ट माता के पुत्र १७५,
 गर्भवती १७५-६, सतान के व्यक्ति-
 त्व-निर्माण में माता का योग १७६-
 ७, — के प्रति स्नेह १७८, — के
 लिए पति या पुत्र, कौन अधिक स्नेह-
 पात्र १७८-६
 माप-तोल २३८-६
 मार्शमैन, जोशुआ ७
 मुष्टिक ८६
 मृग-चर्म २३०
 मेयर, जे० जे० १८०
 मैक्डानेल ८
 मोदी, पी० एम० ६३
 मोनियर विलियम्स ८
 म्युअर, जे० १६, ५८
 यक्ष १६, १६
 यज्ञ-याग, राक्षसों में ३६, —में पत्नी
 का योग १७०-१, १८८-६
 याकोबी ८, ६
 यातनाए २८५
 यातायात २४३-५०
 यान २४६
 युद्ध २८८-३०४, —के कारण २६३-४

योजन २३६
 यौन इच्छा १०७
 यौन सबध, एक स्वाभाविक कृत्य
 १४०-१, —समागम, एक उदात्त
 कर्तव्य १४६
 रजत (सिक्के) २३८
 रथ २४६-७, ब्राह्म —८२-३
 रस-विद्या २३३
 राजा, आमदनी और खर्च २१५,
 २५१-२, कुल-परंपरागत २५४,
 मनुष्य-रूप में देवता २५६-७,
 आदर्श २५७-८, —के कर्तव्य
 २५८-६३, —का दैनिक कार्यक्रम
 २५६-६०, —को मर्यादा में रखने-
 वाले कारण २६०
 राज्यतंत्र, मर्यादित २५४
 राज्याधिकार हस्तगत करने के तीन
 उपाय २५५-६
 राज्याभिषेक २६३-५, —में पत्नी का
 योग १७०
 राम का विष्णुत्व ६-७, चातुर्वर्ण्य के
 रक्षक ६२, —के जीवन का
 सिद्धांत ६७, पारिवारिक प्रभाव
 १०६-१०, —सीता-विवाह १२२-
 ६, —की पत्नी, एक या अनेक ?
 १३२-३, —सीता के दापत्य प्रेम
 की अलौकिकता १४३-४, एक
 समाज-सुधारक १८४-५, —का
 वनवास से लौटने पर स्वागत १८८,
 —द्वारा भरत को राजनीति का
 उपदेश २६१-४
 रामदास, जी० ७२
 राम-राज्य २१७, २६६, २८३
 रामलभाया ८

रामायणकालीन समाज

रामायण का समाजशास्त्रीय महत्व १-४, —के कर्ता ४-७, —के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण १, —के टीकाकार १-२, —का रचना-काल ४, ८-१०, —में प्रक्षेप ७, पाठ और सस्करण ७-८, समीक्षित (क्रिटिकल) सस्करण ८, —और उपनिषदों का समय ८, —और महाभारत १०-४, —एक ब्राह्मण-प्रधान कृति ८३, —में नारी-पात्र १४६

राय, मन्मथनाथ ७३

रावण का साम्राज्यवादी अभियान २६-६, —और वाली की मुठभेड़ २७-८, —की आकृति ३२-५, वैदिक विद्वान ४०, सस्कृत-भाषी ३४१, —की राज्य-सभा ४१, २७२-५, —का राजप्रासाद ४२-३, —का शयन-कक्ष ४३, —की लपटता ४६, वेदविद्यात्रतस्नातक ४०, —का रनवास १३७, —का सुग्रीव से मल्ल-युद्ध ३००-२

राक्षस १५-६, १६-२१, २४-५२, तीन शाखाएँ २५, उत्पत्ति और विस्तार २५-३०, आर्यों से सघर्ष २८-३०, रूप-रंग ३०-३५, खान-पान ३५-६, शिष्टाचार ३६, शव-सस्कार ३६-७, विवाह-विधि ३७-८, धार्मिक कृत्य ३८-६, शिक्षा ३६-४२, वैदिक अध्ययन ३६-४०, भौतिक समृद्धि ४२-४, निवास-स्थान ४३-४, राजनीतिज्ञता ४४-५, घोखेघडी का प्रयोग ४५, सैन्य-व्यवस्था ४६-७, हिंसा-वृत्ति ४७-

८, यज्ञ-विध्वंस ४७, स्त्रियों पर बलात्कार ४८-६, —और नर ४६-५०, पहचान ५०-२ लका ४२, सुवर्णमयी ४४, —पर अभियान २६७-३००

लॉ, नरेंद्रनाथ २१४

लोकापवाद २०१-३

वधू की योग्यता ११७

वनस्पति-विद्या २२५

वनो से आर्थिक लाभ २३१-२

वद्योपाध्याय, अक्षयकुमार २५६

वद्य्या १७३-४

वर की योग्यता ११७-६

वर-वधू में विवाह से पूर्व परिचय १११,

—की विवाह के समय आयु ११४-

५, —की योग्यता ११६-६

वर्ण-व्यवस्था ७५-६८, उत्पत्ति ७६,

राजकीय स्वीकृति ६१-२, —और

आश्रम-व्यवस्था ६६-७

वस्त्रोद्योग २३४-५

वानप्रस्थाश्रम ६३, ६५-६

वानर १६, ५३-७४, शारीरिक विशेष-

ताएँ ५३-४, मानसिक लक्षण ५४-

७, घनी आवादी ५८, समाज-

व्यवस्था ५८, राजनीतिक सगठन

५६-६०, आहार ६०, वेश-भूषा

६०-१, रीति-रिवाज ६१-२, यौन-

सवध ६२-४, नैतिक आदर्श ६४-५,

धर्म-कर्म ६५-६, शिक्षा ६६-७०,

यात्रा के शौकीन ६८, मनुष्य या

वदर ७०-३, पहचान ७३-४

वार्ता २१३-४

वाली-सुग्रीव का वैवाहिक जीवन

६३

वाल्मीकि का जीवन-वृत्त ४-६, —का
दृष्टिकोण ६-७
विधवा १७६-८२, —का पुनर्विवाह
१८०-१, स्नेह-समान की पात्र
१८१-२, अमागलिक नहीं १८२
वालावलकर, पढरीनाथ एच० ६७
विवाह १११-३५, राक्षसों में ३७-८,
वानरों में ६४, —का महत्व १११,
—सबध का क्षेत्र १११-२, अतर-
जातीय—११२, अनुलोम और प्रति-
लोम ११२, —के समय वर-वधू
की आयु ११४-५, —के छ प्रकार
११६-२१, उनका कन्या की स्थिति
पर प्रभाव १२१, —प्रणाली १२२-
७, —सबधों में कटुता के उदाहरण
१२७-८, सुखी—१४४, —की
सफलता १४५, —की परिधि का
उल्लघन १७४-५
विटरनित्स ६
विनिमय २३७
विश्वनाथ, एस० वी० १८
विश्ववधु ८
विश्वामित्र का जाति-परिवर्तन ८६-६१
विष्टि २३६
वेंकटरमन, टी० के० ५१
वेद १५, २१३
वैद्य, चि० वि० ६, २४, २६, ३५, ४४,
४७, ७३, २५०
वेश्याएँ १४१, १८५-६
वैश्य ८७
व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा ६७-८
व्यभिचार १४६
व्यापार २१३-४, २३५-७, आतरिक
२३५, वैदेशिक २३६, समुद्री २३६-

७, विनिमय २३७
व्याम २३६
व्यूह २६६
शकट २४८
शक्ति ३०३
शतघ्नी ३०३
शबर १६, १८
शास्त्रास्त्र ३०२-४
शासन-तंत्र के तीन अंग २६६
शासन-प्रबध, आदर्श २६५-६
शास्त्री, के०एस० रामस्वामी ५१, ७३
शास्त्री, श्रीनिवास २
शिविका २४७-८
शिला २३२
शिल्पी २३६
शिष्टाचार, स्त्रियों के प्रति १६५-६,
सैनिक—२६२-३
शूद्र ८८
शैलूप १६७, १६५
श्रमिक २३६-४३
श्रेणी २४३
श्लीगल ७
सडके (स्थल-मार्ग) २४३-६
सती-प्रथा १७६-८०
सतीत्व की रक्षा १५७-८
सतानोत्पत्ति, दापत्य प्रेम की चरम
परिणति १४५
सतान के व्यक्तित्व-निर्माण में माता का
योग १७६-७
सन्यासाश्रम ६३, ६६
सभा (लोक-सभा, परिषद) २६६-
७५, —के सदस्य २६७, —का
परामर्श २६७, दशरथ की—२६८-
७२, —भवन २६८-६, —का

रामायणकालीन समाज

~~अन्वय~~ २६६, शिष्टाचार २६६,
सभासदों के कर्तव्य २६६-७०, कार्य-
प्रणाली २७०-२, रावण की —
२७२-५

समदर, जे० एन० १२

सयोधश्रेणी २४३

सर्वोच्च न्यायालय २८३

सामंत राजा २५३-४

साम्राज्य, एकच्छत्र, का अभाव २५३

सारथी २४६-७

सावरकर, वि० दा० ७२

सास-समुद्र १५५, १६६

सिवके २३७-८

सिंचाई २१६-२०

सिद्ध २१-२

सीता का स्वयंवर ११३-४, विवाह के

समय आयु ११४-५, राम-लक्ष्मण

की मयुक्त पत्नी ? १३३-४, राम

की बहन ? १३५, परित्यक्ता

कन्या ? १५०-१, —का पातिव्रत्य-

सवधी दृष्टिकोण १५६, —का

परित्याग १५६, —का आश्रम-

पर्यटन १८६-६०, —का अपहरण

और प्रत्याख्यान २०१-३

सुपर्ण १७

सुलक्षणा स्त्री ११७

सूडानी ५२

सेन, दिनेशचंद्र ७२

सेना, चार भाग २८६, —के पडाव

२६६-८, वानरी—२६७-८

सेनापति २८६

सैनिक, आदर्श २६०, घेतन और भत्ता

२६०, रीति-रिवाज २६१, अनु-

ज्ञानन २६१-२, शिष्टाचार २६२-३

सैन्य-विभाग २८८

सैन्य-मग्नह २६५-६, शांति-काल में

२६५-६, युद्ध-काल में २६६

सौवर्ण (निक्के) २३८

स्फटिक २३२

स्नातक ६४, तीन प्रकार के ६४

स्नान करानेवाली स्त्रिया १६३

स्त्रियों का उपहार १६२

स्त्री-धन १२२, १३०, १६८

स्त्री-धर्म १५५-६

स्त्री-वध १६८-९

स्वयंवर ११३-४

स्वस्त्ययन, राक्षसों में ३८, वानरी में

६५

स्वायत्त शासन २८६-७

हनुमान की शिक्षा-दीक्षा ६६-७

हरिगण ५८, तीन शाखाएँ ५८

हवाई यातायात २५०

हाथी २२८-९

हाथी-दात २३०

हाफिस २५१

हिसाए २२३

हवीलर ७३

क्षत्रिय ८५-७

त्रिया-हूठ २०४

त्रिशकु ७७, ८७, ८६

